

**भारतीय गैर - न्यायिक
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार
ई-स्टाम्प विवरण**

प्रमाणपत्र संख्या: आईएन -डीएल 31375584322329टी
प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि: 15-जनवरी-2021 03:10 अपराह्न
खाता संदर्भ: आईएमपीएसीसी (IV) डी 942203/दिल्ली /डीएल -डीएलएच
यूनिक दस्तावेज़ संदर्भ: एसयूबीआईएन - डीएलडीएल 94220365803124504134टी
क्रेता: अदाणी तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड
दस्तावेज़ का विवरण: अनुच्छेद 5 सामान्य समझौता
संपत्ति का विवरण: लागू नहीं
प्रतिफल मूल्य (₹.): 0
(शून्य)
प्रथम पक्ष: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
द्वितीय पक्ष: अदाणी तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड
स्टाम्प शुल्क भुगतानकर्ता: अदाणी तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड
स्टाम्प शुल्क राशि (₹.): 500
(पाँच सौ रुपये मात्र)

यह स्टाम्प पेपर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अदाणी तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड के बीच तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए 19.01.2021 को निष्पादित रियायत समझौते का एक अभिन्न अंग है।

तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा

के लिए

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

और

अदाणी तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड

के द्वारा और के मध्य

रियायत समझौता

दिनांक: 19 जनवरी, 2021

विषय-सूची

अनुच्छेद 1.	परिभाषाएँ और व्याख्या	6
अनुच्छेद 2.	परियोजना का कार्यक्षेत्र	25
अनुच्छेद 3.	रियायत प्रदान किया जाना	26
अनुच्छेद 4.	पूर्ववर्ती शर्तें	27
अनुच्छेद 5.	रियायतग्राही के दायित्व	30
अनुच्छेद 6.	प्राधिकरण के दायित्व	37
अनुच्छेद 7.	अभ्यावेदन और वारंटियाँ	43
अनुच्छेद 8.	अस्वीकरण	46
अनुच्छेद 9.	निष्पादन प्रतिभूति	48
अनुच्छेद 10.	मार्ग का अधिकार	50
अनुच्छेद 11.	उपयोगिताएँ और वृक्ष	55
अनुच्छेद 12.	हवाईअड्डे का विकास और विस्तार	56
अनुच्छेद 13.	निर्माण की निगरानी	60
अनुच्छेद 14.	चरण का पूर्ण होना	63
अनुच्छेद 15.	वाणिज्यिक सेवा में प्रवेश	66
अनुच्छेद 16.	संक्रमणकालीन व्यवस्थाएँ	67
अनुच्छेद 17.	कार्यक्षेत्र में परिवर्तन	69
अनुच्छेद 18.	प्रचालन, अनुरक्षण और प्रबंधन	71
अनुच्छेद 19.	ओ एंड एम (O&M) सेवाएँ	81
अनुच्छेद 20.	आरक्षित सेवाएँ	87
अनुच्छेद 21.	प्रचालन और अनुरक्षण की निगरानी	91
अनुच्छेद 22.	यातायात विनियमन और गणना	95
अनुच्छेद 23.	मुख्य निष्पादन संकेतक	96
अनुच्छेद 24.	स्वतंत्र अभियंता	100
अनुच्छेद 25.	सिटी साइड विकास	102
अनुच्छेद 26.	वित्तीय समापन	106
अनुच्छेद 27.	रियायत शुल्क	107
अनुच्छेद 28.	शुल्क	110
अनुच्छेद 29.	एस्करो खाता	116
अनुच्छेद 30.	बीमा	118
अनुच्छेद 31.	लेखा और संपरीक्षा	120
अनुच्छेद 32.	फोर्स मेज्योर	123
अनुच्छेद 33.	अनुबंध के उल्लंघन के लिए प्रतिपूर्ति	129
अनुच्छेद 34.	रियायतग्राही के अधिकारों का निलंबन	130
अनुच्छेद 35.	समाप्ति	132
अनुच्छेद 36.	अधिकारों और हितों का विनिवेश	137
अनुच्छेद 37.	समाप्ति के पश्चात् दोष-दायित्व	139
अनुच्छेद 38.	समानुदेशन और प्रभार	141

अनुच्छेद 39.	विनियामक दर्शन में परिवर्तन	143
अनुच्छेद 40.	दायित्व और क्षतिपूर्ति	144
अनुच्छेद 41.	विवाद समाधान	147
अनुच्छेद 42.	प्रकटीकरण	149
अनुच्छेद 43.	लोक शिकायतों का निवारण	150
अनुच्छेद 44.	विविध	151

भाग ।

प्रारंभिक

रियायत अनुबंध

यह रियायत अनुबंध ("अनुबंध") नई दिल्ली में 19 जनवरी, 2021 को निष्पादित किया गया है।

निम्नलिखित के द्वारा और के बीच:

1. **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण**, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा गठित एक निगमित निकाय है और जिसका निगमित कार्यालय राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली, 110003, भारत में स्थित है (जिसे इसके पश्चात "**प्राधिकरण**" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक वह संदर्भ या उसके अर्थ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती सम्मिलित होंगे);

और

2. **अदाणी तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट लिमिटेड**, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अंतर्गत निगमित एक कंपनी है, जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या U63030GJ2019PLC110043 है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय अदाणी कॉर्पोरेट हाउस, शांतिग्राम, वैष्णो देवी सर्किल के निकट, एस. जी. हाईवे, खोड़ियार, अहमदाबाद - 382421, गुजरात, भारत में स्थित है (जिसे इसके पश्चात "**रियायतग्राही**" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक वह संदर्भ या उसके अर्थ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी, अनुज्ञेय समनुदेशिती और प्रतिस्थापी सम्मिलित होंगे)।

जैसा कि संदर्भ अपेक्षित करे, प्राधिकरण और रियायतग्राही को इसके पश्चात् पृथक-पृथक रूप से "**पक्षकार**" और सामूहिक रूप से "**पक्षकारगण**" कहा जाएगा।

जबकि:

- क. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत प्राधिकरण के कृत्यों और शक्तियों में भारत में हवाईअड्डों का विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन सम्मिलित है, और उसके अनुसरण में प्राधिकरण ने केरल राज्य में तिरुवनंतपुरम में हवाईअड्डे का निर्माण करके, उसे उक्त अधिनियम के अंतर्गत और उसके अनुसार संचालित किया जा रहा है।
- ख. भारत सरकार (जैसा कि नीचे परिभाषित है) ने सेवा-प्रदायगी में दक्षता, विशेषज्ञता, उद्यमशीलता और व्यावसायिकता लाने के साथ-साथ आवश्यक निवेश जुटाने के लिए, सार्वजनिक-निजी भागीदारी के आधार पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कुछ हवाईअड्डों के प्रचालन, प्रबंधन और विकास हेतु बोलियाँ आमंत्रित करने का निर्णय लिया है।

- ग. प्राधिकरण ने, हवाईअड्डे (जैसा कि नीचे परिभाषित है) के प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए तकनीकी और वाणिज्यिक निबंधन एवं शर्तें विहित करते हुए, अपने प्रस्ताव सं. 2018_AAI_19457_1 दिनांक 14 दिसंबर, 2018 ("प्रस्ताव हेतु अनुरोध" अथवा "आरएफपी") हेतु अनुरोध द्वारा परियोजना (जैसा कि नीचे परिभाषित है) के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए।
- घ. बोलीदाताओं से प्राप्त बोलियों के मूल्यांकन तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार से सुरक्षा मंजूरी प्राप्त होने के पश्चात, प्राधिकरण ने बोलीदाता अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ("चयनित बोलीदाता") की बोली स्वीकार की और चयनित बोलीदाता को अपना आशय-पत्र सं. AAI/SIU/PPP/06 APTS/LOA/ तिरुवनंतपुरम /2020/364 दिनांक 01 सितंबर, 2020 ("एलओए") जारी किया, जिसमें चयनित बोलीदाता से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह अपेक्षित था कि वह आरएफपी में विहित समयावधि के भीतर किसी विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से यह अनुबंध निष्पादित करे।
- ङ. चयनित बोलीदाता ने तत्पश्चात आरएफपी के निबंधनों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत रियायतग्राही के रूप में ऐसे विशेष प्रयोजन वाहन को प्रवर्तित और निगमित किया है, तथा प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि वह रियायतग्राही को उस निकाय के रूप में स्वीकार करे जो एलओए के अंतर्गत चयनित बोलीदाता के दायित्वों का निर्वहन और अधिकारों का प्रयोग करेगा, जिसमें हवाईअड्डे के प्रचालन, प्रबंधन और विकास हेतु यह अनुबंध करने का दायित्व भी सम्मिलित है।
- च. रियायतग्राही ने अपने पत्र दिनांक 16 जनवरी, 2021 द्वारा, यह अभ्यावेदन करते हुए कि उसे इस प्रयोजन हेतु चयनित बोलीदाता द्वारा प्रवर्तित किया गया है, चयनित बोलीदाता के उस अनुरोध में सहभागिता की है कि प्राधिकरण रियायतग्राही को उस निकाय के रूप में स्वीकार करे जो चयनित बोलीदाता के दायित्वों का निर्वहन और अधिकारों का प्रयोग करेगा, जिसमें एलओए के अनुसरण में यह अनुबंध करने का दायित्व भी सम्मिलित है।
- छ. प्राधिकरण ने चयनित बोलीदाता और रियायतग्राही के उक्त अनुरोध को स्वीकार कर लिया है, और तदनुसार इसमें आगे उपवर्णित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, पीपीपी के माध्यम से हवाईअड्डे के प्रचालन, प्रबंधन और विकास हेतु रियायतग्राही के साथ यह अनुबंध करने पर सहमति व्यक्त की है।

अब, इसलिए, पूर्वोक्त तथा इस अनुबंध में उपवर्णित संबंधित प्रसंविदाओं और अनुबंधों के प्रतिफल में, जिसकी प्राप्ति और पर्याप्तता एतद्वारा स्वीकार की जाती है, और विधितः आबद्ध होने के आशय से, पक्षकार निम्नानुसार सहमत होते हैं:

अनुच्छेद 1. परिभाषाएँ और व्याख्या

1.1 परिभाषाएँ

इस अनुबंध में, निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जब तक वे संदर्भ या उनके अर्थ के प्रतिकूल न हों, वही अर्थ होगा जो इसके पश्चात् उन्हें क्रमशः दिया गया है:

"एएआई" अथवा "प्राधिकरण" से अभिप्रेत है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (यथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा संशोधित) के अंतर्गत स्थापित है, और इसमें उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती सम्मिलित होंगे;

"एएआईसीएलएस" से अभिप्रेत है एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड, और इसमें उसके उत्तराधिकारी तथा अनुज्ञेय समनुदेशिती सम्मिलित हैं;

"स्वीकार करने वाले कर्मचारी" का वही अर्थ है जो खंड 6.5.7 में उपवर्णित है;

"लेखा वर्ष" से अभिप्रेत है वह वित्त वर्ष जो किसी कैलेंडर वर्ष के अप्रैल के 1st (प्रथम) दिन से प्रारंभ होकर अगले कैलेंडर वर्ष के मार्च के 31st (इकतीसवें) दिन को समाप्त होता है, परंतु यह कि 1st (प्रथम) लेखा वर्ष के प्रयोजनार्थ, ऐसी अवधि सीओडी की तारीख से प्रारंभ होगी और उसके तुरंत पश्चात आने वाली 31 (इकतीस) मार्च को समाप्त होगी, तथा रियायत अवधि के अंतिम लेखा वर्ष के लिए ऐसी अवधि अप्रैल के 1st (प्रथम) दिन से प्रारंभ होगी और रियायत अवधि के अंतिम दिन को समाप्त होगी;

"एसीआई" का वही अर्थ है जो खंड 23.7.1 में उपवर्णित है;

"प्राधिकरण द्वारा नामित संपरीक्षक" से अभिप्रेत होंगे वे संपरीक्षक जो खंड 31.2.3 में चिह्नित किए गए हैं;

"समायोजित मानित प्रारंभिक आरएबी" का वही अर्थ होगा जो खंड 28.11 में उपवर्णित है;

"ईआरए" से अभिप्रेत है भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, जो ईआरए अधिनियम के अंतर्गत स्थापित है, और इसमें लागू विधियों के अनुसार कोई उत्तरवर्ती निकाय सम्मिलित होगा;

"ईआरए अधिनियम" से अभिप्रेत है भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008, यथा समय-समय पर संशोधित, रूपांतरित और अधिक्रमित;

"वैमानिकी परिसंपत्तियाँ" से अभिप्रेत हैं वे परिसंपत्तियाँ जो हवाईअड्डे पर वैमानिकी सेवाओं के निष्पादन के लिए आवश्यक या अपेक्षित हैं, और इसमें ऐसी अन्य परिसंपत्तियाँ भी सम्मिलित होंगी जिन्हें रियायतग्राही, इस अनुबंध के उपबंधों के अनुसार, वैमानिकी सेवाओं के निष्पादन के लिए अथवा उससे संबंधित रूप में समय-समय पर अर्जित कर सकता है, तथा इसमें गैर-वैमानिकी परिसंपत्तियाँ सम्मिलित नहीं हैं;

"वैमानिकी प्रभार" से अभिप्रेत हैं विनियामक द्वारा अनुमोदित वे प्रभार, जिन्हें रियायतग्राही वैमानिकी सेवाओं के प्रावधान के लिए उद्गृहीत, संगृहीत और विनियोजित कर सकता है;

"वैमानिकी राजस्व" से अभिप्रेत है विनियामक द्वारा विनियामक ढाँचे के अनुसार अवधारित समग्र राजस्व अपेक्षा;

"वैमानिकी सेवाएँ" का वही अर्थ है जो आईआरए अधिनियम में उपवर्णित है;

"प्रभावित पक्षकार" का वही अर्थ है जो खंड 32.1 में उपवर्णित है;

"अनुबंध " अथवा "रियायत अनुबंध " से अभिप्रेत होगा यह अनुबंध, इसकी प्रस्तावनाएँ, अनुसूचियाँ तथा इस अनुबंध में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार किए गए कोई भी संशोधन;

"एयरफील्ड प्रकाश व्यवस्था" से अभिप्रेत है हवाईअड्डे पर प्रकाश व्यवस्थाएँ, जिनमें रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और अप्रोच से संबंधित वे व्यवस्थाएँ सम्मिलित हैं जो संबंधित आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार विमान परिचालनों हेतु अपेक्षित हैं;

"हवाईअड्डा" से अभिप्रेत है स्थल पर स्थित तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और इसमें सिविल, यांत्रिक तथा विद्युत कार्य, टर्मिनल भवन, कार्गो सुविधाएँ, रनवे तथा वे सभी परियोजना आस्तियाँ सम्मिलित हैं जो हवाई अड्डे के प्रचालन और विस्तार के लिए आवश्यक हैं और उससे संबद्ध हैं;

"एओडीबी " का वही अर्थ है जो खंड 21.1 में उपवर्णित है;

"लागू कानून" से अभिप्रेत हैं भारत सरकार और/अथवा राज्य सरकार, डीजीसीए, बीसीएस, इकाओ की सभी कानून, जिनमें मार्गदर्शी सिद्धांत, परिपत्र, नियम, विनियम और अधिसूचनाएँ, निर्णय, डिक्रियाँ, व्यादेश, रिट तथा किसी अभिलेख न्यायालय के आदेश सम्मिलित हैं, जो इस अनुबंध तथा पक्षकारों के संबंधित अधिकारों और दायित्वों के प्रयोग, निष्पादन और निर्वहन पर लागू होती हैं, जैसी कि वे इस अनुबंध के अस्तित्व के दौरान प्रवृत्त और प्रभावी हों;

"लागू अनुज्ञप्तियाँ" से अभिप्रेत हैं वे सभी मंजूरियाँ, लाइसेंस, अनुज्ञप्तियाँ, प्राधिकार, अनापति प्रमाणपत्र, सम्मतियाँ, अनुमोदन और छूटें जो इस अनुबंध के अस्तित्व के दौरान परियोजना के संबंध में लागू विधियों के अंतर्गत प्राप्त या बनाए रखी जानी अपेक्षित हैं;

"अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता" से अभिप्रेत हैं ऐसे मूल्यांकनकर्ता जो आयकर विभाग द्वारा इस रूप में मान्यताप्राप्त हैं, और जिन्हें कम से कम 5 (पाँच) ऐसी संपत्तियों के मूल्यांकन का अनुभव है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य रु. 100,00,00,000 (रुपये एक सौ करोड़) से अधिक है;

"अवार्ड " का वही अर्थ है जो खंड 41.3.3 में उपवर्णित है;

"वास्तुशिल्पीय अभिकल्प" का वही अर्थ है जो खंड 12.4.1 में उपवर्णित है;

"एएसएमयू" का वही अर्थ है जो खंड 18.15.4 में उपवर्णित है;

"एएसक्यू" से अभिप्रेत है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी, जो एसीआई द्वारा किए गए उपयोगकर्ता सर्वेक्षण के आधार पर, खंड 23.7.1 में उपवर्णित रूप में अवधारित की जाती है;

"सहयोगी" अथवा "संबद्ध निकाय" से अभिप्रेत है, किसी भी पक्षकार और/अथवा चयनित बोलीदाता के संबंध में, ऐसा व्यक्ति जो ऐसे पक्षकार या चयनित बोलीदाता को नियंत्रित करता है, उसके द्वारा नियंत्रित है, अथवा उसके साथ सामान्य नियंत्रण के अधीन है (इस परिभाषा में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "नियंत्रण" से अभिप्रेत है, ऐसे व्यक्ति के संबंध में

जो कंपनी, निगम या सीमित दायित्व भागीदारी है, ऐसे व्यक्ति के 50% (पचास प्रतिशत) से अधिक आर्थिक या मताधिकारों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व, और ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो कंपनी, निगम या सीमित दायित्व भागीदारी नहीं है, विधि के प्रवर्तन द्वारा अथवा संविदा या अन्यथा, ऐसे व्यक्ति के प्रबंधन और नीतियों को निर्दिष्ट करने की शक्ति);

"एटीसी " से अभिप्रेत है वायु यातायात नियंत्रण;

"एटीसी सुविधा" से अभिप्रेत है हवाई अड्डे पर वायु यातायात सेवा परिसर, जिसमें एटीसी टावर, तकनीकी ब्लॉक तथा कार्यालय आवास सम्मिलित हैं, जिनके साथ उसके कर्मचारियों के लिए संलग्न वाहन पार्किंग हो, तथा वातानुकूलन एवं विद्युत और जल की निरंतर आपूर्ति का प्रावधान हो;

"प्राधिकरण व्यतिक्रमका वही अर्थ है जो खंड 35.2.1 में उपवर्णित है;

"संतुलनकारी भुगतान" का वही अर्थ होगा जो खंड 31.4.1 में उपवर्णित है;

"बैंक" से अभिप्रेत है भारत में निगमित कोई अनुसूचित बैंक जिसका न्यूनतम निवल मूल्य रु. 1,000,00,00,000 (रुपये एक हजार करोड़) हो, अथवा वरिष्ठ ऋणदाताओं को स्वीकार्य कोई अन्य बैंक, किंतु इसमें कोई सहकारी बैंक सम्मिलित नहीं है;

"बैंक दर" से अभिप्रेत है भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 49 के अनुसरण में अथवा तत्समय प्रवृत्त उसके किसी प्रतिस्थापन के अनुसरण में, समय-समय पर विनिर्दिष्ट ब्याज दर;

"बीसीएस " से अभिप्रेत है नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो अथवा उसका कोई प्रतिस्थापी या समनुदेशी;

"बोली" से अभिप्रेत हैं वे दस्तावेज, अपनी संपूर्णता में, जो चयनित बोलीदाता द्वारा प्रस्ताव हेतु अनुरोध के प्रत्युत्तर में उसके उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत बोली में सम्मिलित हैं;

"बोली प्रतिभूति" से अभिप्रेत है वह प्रतिभूति जो रियायतग्राही द्वारा प्रस्ताव हेतु अनुरोध के अनुसार बोली के साथ प्राधिकरण को प्रदान की गई है, और जो निष्पादन प्रतिभूति द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने तक प्रवृत्त रहेगी;

"कार्गो सुविधाएँ" से अभिप्रेत हैं वे भवन, संरचनाएँ और उपकरण, डॉकिंग स्थान, विमान पार्किंग, वाहन पार्किंग तथा उससे संलग्न भूमि, जैसी भी स्थिति हो, जो आवक और जावक कार्गो के प्रहस्तन के लिए अपेक्षित हों, जिसमें उसका अल्पकालिक भंडारण भी सम्मिलित है;

"विधि में परिवर्तन" से अभिप्रेत है बोली की तारीख के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी का घटित होना:

(क) किसी नई भारतीय विधि का अधिनियमन;

(ख) किसी विद्यमान भारतीय विधि का निरसन, रूपांतरण या पुनः अधिनियमन;

(ग) किसी ऐसी भारतीय विधि का प्रारंभ जो बोली की तारीख तक प्रभावी नहीं हुई थी;

(घ) किसी अभिलेख न्यायालय के ऐसे निर्णय द्वारा, जो अंतिम, निर्णायक और आबद्धकर हो गया है, किसी भारतीय विधि के निर्वचन या प्रयोग में परिवर्तन, बोली की तारीख से पूर्व किसी अभिलेख न्यायालय द्वारा किए गए निर्वचन या प्रयोग की तुलना में; अथवा

(ड) ऐसे किसी कर की दरों में कोई परिवर्तन जिसका परियोजना पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता हो;

"स्वामित्व में परिवर्तन से अभिप्रेत है किन्हीं शेरों, अथवा शेरों में परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के प्रत्यक्ष और/अथवा अप्रत्यक्ष विधिक या हिताधिकारी स्वामित्व का ऐसा अंतरण, जिससे समग्र धारिता:

(क) यदि चयनित बोलीदाता एकल बोलीदाता है, तो सीओडी से 5 (पाँच) वर्ष की समाप्ति तक, कुल इक्विटी में चयनित बोलीदाता की धारिता 51% (इक्यावन प्रतिशत) से नीचे गिर जाए; अथवा

(ख) यदि चयनित बोलीदाता एक कंसोर्टियम है, तो सीओडी से 5 (पाँच) वर्ष की समाप्ति तक, चयनित बोलीदाता के ऐसे प्रत्येक सदस्य की, जिसके अनुभव का मूल्यांकन तकनीकी क्षमता और/अथवा वित्तीय क्षमता के लिए किया गया है, कुल इक्विटी में धारिता 26% (छब्बीस प्रतिशत) से नीचे गिर जाए;

"विनियामक दर्शन में परिवर्तन" से अभिप्रेत है बोली की तारीख के पश्चात् विनियामक ढाँचे में परिवर्तन;

"कार्यक्षेत्र में परिवर्तन" का वही अर्थ है जो खंड 17.1.1 में उपवर्णित है;

"कार्यक्षेत्र परिवर्तन आदेश" का वही अर्थ है जो खंड 17.2.3 में उपवर्णित है;

"कार्यक्षेत्र परिवर्तन सूचना" का वही अर्थ है जो खंड 17.2.1 में उपवर्णित है;

"चेक-इन सेवाएँ" का वही अर्थ है जो खंड 19.10.1 में उपवर्णित है;

"शिकागो अभिसमय" से अभिप्रेत है शिकागो अभिसमय, 1944, यथा समय-समय पर संशोधित और/अथवा अनुपूरित; शिकागो अभिसमय के किसी "अनुबंध" के प्रति निर्देश से अभिप्रेत होगा ऐसा अनुबंध, यथा समय-समय पर संशोधित और/अथवा अनुपूरित;

"सिटी साइड" से अभिप्रेत होगी वह स्थावर संपदा जो स्थल का भाग है और अनुसूची क में सिटी साइड के रूप में चिह्नित है;

"सिटी साइड विकास" का वही अर्थ होगा जो खंड 3.2 में उपवर्णित है;

"सीएनएस/एटीएम अनुबंध " से अभिप्रेत है प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच एक अनुबंध , जो सारतः अनुसूची क्यू में उपवर्णित प्रारूप में हो;

"सीएनएस/एटीएम उपकरण" से अभिप्रेत हैं वे सभी उपकरण जो सीएनएस/एटीएम सेवाओं के निष्पादन हेतु नामनिर्दिष्ट भारत सरकार अभिकरण द्वारा अपेक्षित हैं;

"सीएनएस/एटीएम सेवाएँ" से अभिप्रेत हैं संचार, नौवहन और निगरानी तथा वायु यातायात प्रबंधन सेवाएँ, जो हवाई अड्डे पर प्रदान की जानी हैं;

"सीओडी" अथवा "वाणिज्यिक प्रचालन तिथि" का वही अर्थ है जो खंड 15.1.1 में उपवर्णित है;

"शिकायत रजिस्टर" का वही अर्थ है जो खंड 43.1.1 में उपवर्णित है;

"शिकायतकर्ता" का वही अर्थ है जो खंड 43.1.1 में उपवर्णित है;

"पूर्णता" का वही अर्थ है जो खंड 14.2 में उपवर्णित है;

"पूर्णता प्रमाणपत्र" का वही अर्थ है जो खंड 14.2 में उपवर्णित है;

"पूर्णता रिपोर्ट" का वही अर्थ है जो खंड 14.2 में उपवर्णित है;

"रियायत" का वही अर्थ है जो खंड 3.1.1 में उपवर्णित है;

"रियायतग्राही" का वही अर्थ है जो पक्षकारों की सूची में उसे दिया गया है;

"रियायत अवधि" से अभिप्रेत है वह अवधि जो सीओडी से और उस तारीख से प्रारंभ होकर अंतरण तिथि को समाप्त होती है;

"रियायत वर्ष" से अभिप्रेत है 1 (एक) वर्ष की प्रत्येक ऐसी अवधि, जो सीओडी से प्रारंभ होकर सभी वर्षों के लिए 365 दिनों की समाप्ति पर तथा अधिवर्ष के लिए 366 दिनों की समाप्ति पर समाप्त होती है, परंतु यह कि अंतिम रियायत वर्ष के लिए ऐसी अवधि अंतरण तिथि को समाप्त होगी;

"रियायतग्राही का व्यतिक्रम" का वही अर्थ है जो खंड 35.1.1 में उपवर्णित है;

"पूर्ववर्ती शर्तें" का वही अर्थ है जो खंड 4.1.1 में उपवर्णित है;

"निर्माण कार्य" से अभिप्रेत हैं वे सभी कार्य और वस्तुएँ जो इस अनुबंध के अनुसार किसी चरण को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं, और इसमें वैमानिकी आस्तियाँ, गैर-वैमानिकी आस्तियाँ, परियोजना सुविधाएँ तथा रियायत अवधि के भाग के रूप में हवाई अड्डे पर किए गए कोई अन्य निर्माण कार्य सम्मिलित हैं;

"संविदाकार" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति या व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, जिसके साथ रियायतग्राही ने कोई ईपीसी संविदा, ओएंडएम संविदा अथवा हवाई अड्डे के प्रचालन, प्रबंधन और विकास या उससे आनुषंगिक विषयों के लिए कोई अन्य तात्त्विक अनुबंध या संविदा की है, किंतु इसमें ऐसा व्यक्ति सम्मिलित नहीं है जिसने रियायतग्राही को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अनुबंध किया है;

"संविदाएँ" का वही अर्थ है जो खंड 5.6.2 में उपवर्णित है;

"कार्यों की लागत" से अभिप्रेत है निम्नलिखित का योग:

- (क) रियायतग्राही द्वारा अवधारित रूप में, चरण I के निर्माण, कार्यान्वयन और चालू किए जाने के संबंध में उपगत की जाने वाली प्राक्कलित पूँजीगत लागतें;
- (ख) प्राक्कलित मानित प्रारंभिक आरएबी ;
- (ग) खंड 6.4.5 के अनुसरण में रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को प्रतिपूरित की गई राशियाँ; तथा
- (घ) प्राक्कलित प्रारंभिक गैर-वैमानिकी निवेश;

"प्रसंविदा" का वही अर्थ है जो खंड 5.2.5 में उपवर्णित है;

"सीपीआई (आईडब्ल्यू)" से अभिप्रेत है श्रम ब्यूरो, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और इसमें ऐसा कोई भी सूचकांक सम्मिलित होगा जो सीपीआई (आईडब्ल्यू) का स्थान ले; तथा

सीपीआई (आईडब्ल्यू) के प्रति कोई निर्देश, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न करे, पूर्ववर्ती तिमाही के अंत तक की अवधि के लिए प्रकाशित सीपीआई (आईडब्ल्यू) के प्रति निर्देश समझा जाएगा;

"उपचार अवधि" से अभिप्रेत है वह अवधि जो इस अनुबंध में, इस अनुबंध के किसी उपबंध के किसी उल्लंघन या व्यतिक्रम को, ऐसे उल्लंघन या व्यतिक्रम के लिए उत्तरदायी पक्षकार द्वारा दूर करने के लिए विनिर्दिष्ट है, और वह:

(क) उस तारीख से प्रारंभ होगी जिस दिन एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को लिखित सूचना परिदत्त की जाती है जिसमें पश्चात्कर्ती से ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट उल्लंघन या व्यतिक्रम को दूर करने के लिए कहा गया हो;

(ख) किसी पक्षकार को इस अनुबंध के अथवा लागू विधियों के उपबंधों के अंतर्गत क्षतियाँ या प्रतिकर देने के दायित्व से मुक्त नहीं करेगी; तथा

(ग) इस अनुबंध के अंतर्गत किसी निलंबन की अवधि द्वारा किसी भी प्रकार से विस्तारित नहीं होगी; परंतु यह कि यदि रियायतग्राही द्वारा किसी उल्लंघन के उपचार हेतु रियायतग्राही द्वारा कोई ऐसी युक्तियुक्त कार्रवाई अपेक्षित हो जिसका इसके अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन आवश्यक हो, तो लागू उपचार अवधि, प्राधिकरण द्वारा अपना अनुमोदन देने में लिए गए समय से विस्तारित हो जाएगी;

"क्षतियाँ" का वही अर्थ है जो खंड 1.2.1 के उप-खंड (वाई) में उपवर्णित है;

"मानित प्रतिनियुक्ति अवधि" का वही अर्थ है जो खंड 6.5.1(iii) में उपवर्णित है;

"मानित निष्पादन प्रतिभूति" का वही अर्थ है जो खंड 9.4 में उपवर्णित है;

"मानित प्रारंभिक आरएबी " (का वही अर्थ होगा जो खंड 28.11 में उपवर्णित है;

"रक्षा बल" से अभिप्रेत हैं भारतीय थल सेना, नौसेना या वायु सेना, और इसमें वे अर्धसैनिक बल भी सम्मिलित हैं जिन्हें भारत सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे;

"अतिरिक्त कर्मचारी" का वही अर्थ है जो खंड 6.5.10 में उपवर्णित है;

"अतिरिक्त कर्मचारी लागत" का वही अर्थ है जो खंड 6.5.10 में उपवर्णित है;

"नामनिर्दिष्ट भारत सरकार अभिकरण" से अभिप्रेत है भारत सरकार के नियंत्रणाधीन कोई विभाग या अन्य निकाय, जिसे हवाई अड्डे के प्रचालन और प्रबंधन के संबंध में सीमाशुल्क नियंत्रण, आप्रवासन नियंत्रण, संगरोध, वायु यातायात नियंत्रण, हवाई अड्डा सुरक्षा, मौसम विज्ञान, स्वास्थ्य आदि जैसे सांविधिक कृत्य सौंपे गए हैं;

"विकास योजना" का वही अर्थ है जो अनुसूची क के अनुबंध II में उपवर्णित है;

"विकास अवधि" से अभिप्रेत है सीओडी की तारीख से चरण I पूर्णता तिथि तक की अवधि, तथा पश्चात्कर्ती चरणों के संबंध में ऐसी अवधि उस तारीख से प्रारंभ होगी जो रियायतग्राही द्वारा स्वतंत्र अभियंता के परामर्श से अवधारित की जाए और उस संबंधित तारीख को समाप्त होगी जिस दिन ऐसा चरण पूरा हो;

"डीजीसीए " से अभिप्रेत है नागर विमानन महानिदेशालय अथवा उसका कोई प्रतिस्थापी;

"विवाद" का वही अर्थ है जो खंड 41.1.1 में उपवर्णित है;

"विवाद समाधान प्रक्रिया" से अभिप्रेत है विवादों के समाधान की वह प्रक्रिया जो खंड 41.2 में उपवर्णित है;

"विनिवेश अपेक्षाएँ" से अभिप्रेत हैं समाप्ति के लिए और उसके संबंध में रियायतग्राही के वे दायित्व जो खंड 36.1 में उपवर्णित हैं;

"दस्तावेज" अथवा "प्रलेखन" से अभिप्रेत है मुद्रित या लिखित रूप में, अथवा टेपों, डिस्कों, रेखाचित्रों, कंप्यूटर प्रोग्रामों, लेखों, रिपोर्टों, छायाचित्रों, फिल्मों, कैसेटों में, अथवा किसी अन्य लिखित, इलेक्ट्रॉनिक, श्रव्य या दृश्य रूप में अभिव्यक्त प्रलेखन;

"रेखाचित्र" से अभिप्रेत हैं हवाई अड्डे से संबंधित वे सभी रेखाचित्र, परिकलन और दस्तावेज जो खंड 12.3 में उपवर्णित हैं, और इसमें हवाई अड्डे के 'यथानिर्मित' (as built) रेखाचित्र सम्मिलित होंगे;

"ईपीसी संविदा" से अभिप्रेत है वह इंजीनियरिंग, प्रापण और निर्माण संविदा या संविदाएँ जो रियायतग्राही द्वारा एक या अधिक संविदाकारों के साथ, अन्य बातों के साथ-साथ, इस अनुबंध के उपबंधों के अनुसार हवाई अड्डे की इंजीनियरिंग और निर्माण के लिए की गई हों;

"ईपीसी संविदाकार" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसके साथ रियायतग्राही ने ईपीसी संविदा की है;

"आपात स्थिति" से अभिप्रेत है ऐसी दशा या स्थिति जिससे हवाई अड्डे पर या उसके आसपास जीवन या संपत्ति की सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न होने की संभावना हो, अथवा जिससे किसी परियोजना आस्ति को तात्त्विक क्षति का तात्कालिक खतरा हो, और इसमें लोक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा सम्मिलित है;

"विल्लंगम" से अभिप्रेत है, हवाई अड्डे के संबंध में, कोई भी विल्लंगम जैसे बंधक, प्रभार, गिरवी, धारणाधिकार, हाइपोथिकेशन, प्रतिभूति हित, समनुदेशन, विशेषाधिकार या किसी भी प्रकार की प्राथमिकता जिसका प्रभाव प्रतिभूति या ऐसे अन्य दायित्वों का हो, और इसमें हवाई अड्डे से संबंधित किसी बीमा पॉलिसी के अंतर्गत हानि-प्राप्तकर्ताओं या हिताधिकारियों का कोई पदनामांकन अथवा कोई समान व्यवस्था सम्मिलित होगी, जहाँ यह यहाँ लागू हो, किंतु इसमें खंड 11.1 में निर्दिष्ट विद्यमान उपयोगिताएँ सम्मिलित नहीं हैं;

"नियोजन प्रस्ताव" का वही अर्थ है जो खंड 6.5.6 में उपवर्णित है;

"इक्विटी" से अभिप्रेत है भारतीय रुपयों में अभिव्यक्त वह राशि जो रियायतग्राही की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी को निरूपित करती है, और इस अनुबंध के प्रयोजनार्थ इसमें परिवर्तनीय लिखत अथवा पूँजी के अन्य समान रूप सम्मिलित होंगे, जो अनिवार्यतः इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तित होंगे;

"एस्क्रो खाता" से अभिप्रेत है वह खाता जिसे रियायतग्राही किसी बैंक में खोलेगा और बनाए रखेगा, जिसमें पूँजीगत और राजस्व प्राप्तियों तथा व्ययों के लेखे में नकदी के सभी अंतर्प्रवाह और बहिर्प्रवाह, जैसी भी स्थिति हो, इस अनुबंध के उपबंधों के अनुसार जमा और नामे किए जाएँगे, और इसमें ऐसे एस्करो खाते के उप-खाते सम्मिलित हैं;

"एस्करो अनुबंध " का वही अर्थ है जो खंड 29.1.2 में उपवर्णित है;

"एस्करो बैंक" का वही अर्थ है जो खंड 29.1.1 में उपवर्णित है;

"एस्करो व्यतिक्रम") का वही अर्थ है जो अनुसूची M में उपवर्णित है;

"प्राक्कलित मानित प्रारंभिक आरएबी " का वही अर्थ है जो खंड 28.11.3(ख) में उपवर्णित है;

"छूटप्राप्त व्यक्ति" से अभिप्रेत हैं वे व्यक्ति/व्यक्तियों की श्रेणियाँ जिन्हें नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नागरिक हवाई अड्डों पर प्रस्थान-पूर्व सुरक्षा जाँच से छूटप्राप्त के रूप में अधिसूचित किया गया है;

"विद्यमान संविदाएँ" से अभिप्रेत हैं वे संविदाएँ, जिनमें पट्टे सम्मिलित हैं, जो अनुसूची T में सूचीबद्ध हैं;

"शुल्क" से अभिप्रेत है वह प्रभार जो किसी उपयोगकर्ता पर उद्गृहीत किया जाता है और उसके द्वारा निम्नलिखित में से किसी या सभी का उपयोग करने के लिए संदेय है: (क) वैमानिकी सेवाएँ, विनियामक ढाँचे के उपबंधों के अनुसार विनियामक द्वारा अवधारित या पुनरीक्षित और अनुमोदित दरों के अनुसार; और (ख) गैर-वैमानिकी सेवाएँ;

"वित्तीय क्षमता" का वही अर्थ है जो RFP में उपवर्णित है;

"वित्तीय समापन" से अभिप्रेत है वित्तपोषण अनुबंधों के अंतर्गत निधियाँ संवितरित करने के लिए वरिष्ठ ऋणदाताओं की तत्परता;

"वित्तीय व्यतिक्रम" का वही अर्थ है जो अनुसूची पी में उपवर्णित है;

"वित्तपोषण अनुबंध " से अभिप्रेत हैं वे अनुबंध जो रियायतग्राही द्वारा वरिष्ठ ऋणदाताओं से ऋणों, गारंटियों, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों और अन्य ऋण लिखतों के अभिदान के माध्यम से प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता के संबंध में निष्पादित किए गए हैं, जिनमें ऋण अनुबंध , गारंटियाँ, नोट, डिबेंचर, बॉण्ड और अन्य ऋण लिखत, प्रतिभूति अनुबंध , तथा कार्यों की लागत के वित्तपोषण (पुनर्वित्तपोषण सहित) से संबंधित अन्य दस्तावेज सम्मिलित हैं, और इसमें खंड 5.2.3 के अनुसार किए गए संशोधन या रूपांतरण सम्मिलित हैं;

"अप्रत्याशित घटना " अथवा " अप्रत्याशित घटना कारक " का वही अर्थ है जो खंड 32.1 में उसे दिया गया है;

अप्रत्याशित घटना का वही अर्थ है जो खंड 32.7.2 में उपवर्णित है;

" भारत सरकार से अभिप्रेत है भारत सरकार और उसके सभी विभाग/मंत्रालय/अभिकरण;

"उत्तम उद्योग पद्धति" से अभिप्रेत हैं वे पद्धतियाँ, रीतियाँ, तकनीकें, अभिकल्प, मानक, कौशल, तत्परता, दक्षता, विश्वसनीयता और विवेक, जिनकी सामान्यतः और युक्तियुक्त रूप से ऐसे युक्तियुक्त रूप से कुशल और अनुभवी संचालक से अपेक्षा की जाती है जो इस अनुबंध के अंतर्गत परिकल्पित उसी प्रकार के उपक्रम में लगा हो, और जिनसे यह अपेक्षा की जाएगी कि वे इस अनुबंध , लागू विधियों और लागू अनुज्ञप्तियों के अनुसार रियायतग्राही द्वारा उसके दायित्वों के विश्वसनीय, सुरक्षित, मितव्ययी और दक्ष रीति से निष्पादन में तथा सुरक्षित, आर्थिक, विश्वसनीय और दक्ष वैमानिकी सेवाओं एवं गैर-वैमानिकी सेवाओं के प्रावधान में परिणत होंगे;

"सरकार" से अभिप्रेत है, जैसा लागू हो, राज्य सरकार अथवा भारत की संघ सरकार;

"सरकारी क्षतिपूरित व्यक्ति" का वही अर्थ होगा जो खंड 40.1.1 में उपवर्णित है;

"सरकारी अभिकरण" से अभिप्रेत है भारत सरकार या राज्य सरकार का कोई विभाग, प्रभाग या उप-प्रभाग, और इसमें भारत सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कोई आयोग, बोर्ड, प्राधिकरण, अभिकरण अथवा नगरपालिका और अन्य स्थानीय प्राधिकारी या सांविधिक निकाय, जिसमें पंचायत भी सम्मिलित है, सम्मिलित है, जैसी भी स्थिति हो, और जिसे हवाई अड्डे पर अथवा इस अनुबंध के अंतर्गत या उसके अनुसरण में रियायतग्राही की सभी या किन्हीं सेवाओं या दायित्वों के निष्पादन पर समग्र रूप से या किसी भाग पर अधिकारिता प्राप्त हो;

"ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ" का वही अर्थ है जो खंड 19.2 में उपवर्णित है;

"जीएसटी" से अभिप्रेत होगा वस्तु एवं सेवा कर अथवा कोई अन्य कर जो भविष्य में वस्तु एवं सेवा कर का स्थान ले;

"आईएटीए" से अभिप्रेत है अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ;

"आईएटीए सेवा स्तर ईष्टतम" से अभिप्रेत हैं विभिन्न हवाई अड्डा उप-प्रणालियों पर वे न्यूनतम सेवा अपेक्षाएँ जो आईएटीए के 'एयरपोर्ट डेवलपमेंट रेफरेंस मैनुअल' के 10वें संस्करण में ' ईष्टतम ' श्रेणी में उपवर्णित हैं, यथा समय-समय पर संशोधित, रूपांतरित या अनुपूरित, और संदेह निवारण हेतु, यदि IATA 'एयरपोर्ट डेवलपमेंट रेफरेंस मैनुअल' का प्रकाशन बंद कर दे, तो इससे अभिप्रेत होगा कोई समान सेवा-स्तर ढाँचा;

"इकाओ" से अभिप्रेत है शिकागो अभिसमय द्वारा गठित अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन तथा उसका कोई उत्तरवर्ती;

"इकाओ दस्तावेज और अनुबंध" से अभिप्रेत हैं अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के दस्तावेज और अनुबंध, यथा समय-समय पर संशोधित और प्रकाशित;

"प्रारंभन अवधि") से अभिप्रेत है वह अवधि जो इस अनुबंध की तारीख से प्रारंभ होकर सीओडी के घटित होने पर समाप्त होती है;

"क्षतिपूरित पक्षकार" से अभिप्रेत है वह पक्षकार जो खंड 40.3 के अनुसरण में किसी क्षतिपूर्ति के लाभ का हकदार है;

"क्षतिपूर्तिकर्ता पक्षकार" से अभिप्रेत है वह पक्षकार जो खंड 40.3 के अनुसरण में दूसरे पक्षकार को क्षतिपूर्ति करने के लिए आबद्ध है;

"स्वतंत्र अभियंता" का वही अर्थ है जो खंड 24.1.1 में उपवर्णित है;

"अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना" का वही अर्थ है जो खंड 32.3 में उपवर्णित है;

"प्रारंभिक गैर-वैमानिकी निवेश" का वही अर्थ है जो खंड 28.12.1 में उपवर्णित है;

"निरीक्षण रिपोर्ट" से अभिप्रेत होगी वह रिपोर्ट जो स्वतंत्र अभियंता द्वारा खंड 13.2 के अनुसार तैयार की जाती है;

"बीमा कवर" से अभिप्रेत है अनुच्छेद 30 के अनुसरण में रियायतग्राही द्वारा कराए गए बीमों के अंतर्गत बीमित अधिकतम राशियों का समुच्चय, और इसमें वे सभी बीमे सम्मिलित हैं जिन्हें रियायतग्राही द्वारा खंड 30.2 के अंतर्गत कराया जाना अपेक्षित है किंतु वस्तुतः नहीं कराया गया है; और जब इसका प्रयोग किसी कार्य या घटना के संदर्भ में किया जाए, तो इससे अभिप्रेत होगा ऐसे कार्य या घटना के संबंध में बीमित और संदेय, अथवा बीमित और संदेय समझी जाने वाली अधिकतम राशियों का समुच्चय;

"बौद्धिक संपदा" से अभिप्रेत हैं सभी पेटेंट, व्यापार-चिह्न, सेवा चिह्न, लोगो, गेट-अप, व्यापार नाम, इंटरनेट डोमेन नाम, पैटर्न, अभिकल्पों में अधिकार, ब्लू प्रिंट, प्रोग्राम और मैनुअल, रेखाचित्र, कॉपीराइट (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अधिकारों सहित), डेटाबेस अधिकार, अर्ध-चालक, टोपोग्राफी अधिकार, उपयोगिता मॉडल, नोहाउ में अधिकार तथा अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार, प्रत्येक दशा में चाहे वे पंजीकृत हों या अपंजीकृत, और इसमें पंजीकरण हेतु आवेदन तथा विश्व में कहीं भी समतुल्य या समान प्रभाव वाले संरक्षण के सभी अधिकार या रूप सम्मिलित हैं;

"संयुक्त प्रबंधन अवधि" का वही अर्थ है जो खंड 6.5.1(ii) में उपवर्णित है;

"प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक" से अभिप्रेत हैं वे व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 की उपधारा (1) के अंतर्गत विहित हैं;

"मुख्य निष्पादन संकेतक" का वही अर्थ है जो खंड 23.1 में उपवर्णित है;

"आशय-पत्र" अथवा "एलओए" से अभिप्रेत है वह आशय-पत्र जिसका निर्देश प्रस्तावना डी में किया गया है;

"ऋणदाताओं का प्रतिनिधि" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा इस अनुबंध से उद्भूत या उससे संबंधित विषयों के संबंध में वरिष्ठ ऋणदाताओं के लिए और उनकी ओर से कार्य करने हेतु विधिवत् प्राधिकृत है, और इसमें उसके उत्तराधिकारी, समनुदेशिनी और प्रतिस्थापी सम्मिलित हैं;

"मास्टर प्लान" से अभिप्रेत है हवाई अड्डे के निर्माण की वह योजना, जो रियायतग्राही द्वारा तैयार की गई है, जिसमें रियायत अवधि के लिए वैमानिकी सेवाएँ और गैर-वैमानिकी सेवाएँ सम्मिलित हैं, और जिसे परियोजना की अपेक्षाओं के अनुसार समय-समय पर अद्यतन किया जाता है;

"तात्त्विक प्रतिकूल प्रभाव" से अभिप्रेत है किसी कार्य या घटना का किसी पक्षकार की इस अनुबंध के उपबंधों के अंतर्गत और उनके अनुसार अपने किन्हीं दायित्वों के निर्वहन की क्षमता पर ऐसा तात्त्विक प्रतिकूल प्रभाव, जिससे किसी भी पक्षकार पर तात्त्विक वित्तीय भार या हानि कारित होती हो;

"मासिक रियायत शुल्क" का वही अर्थ होगा जो खंड 27.1.1 में उपवर्णित है;

"मासिक विवरण" से अभिप्रेत है वह विवरण जो रियायतग्राही द्वारा प्रत्येक माह की समाप्ति के 7 (सात) दिनों के भीतर खंड 28.9 के अनुसार प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाना है;

"नामनिर्दिष्ट कंपनी" से अभिप्रेत है वह कंपनी जो ऋणदाताओं के प्रतिनिधि द्वारा चुनी जाती है और प्रतिस्थापन अनुबंध के उपबंधों के अनुसार रियायतग्राही के प्रतिस्थापन हेतु प्राधिकरण को प्रस्तावित की जाती है;

"गैर-वैमानिकी आस्तियाँ" से अभिप्रेत हैं वे आस्तियाँ जो हवाई अड्डे पर गैर-वैमानिकी सेवाओं के निष्पादन के लिए आवश्यक या अपेक्षित हैं, और इसमें ऐसी अन्य आस्तियाँ सम्मिलित होंगी जिन्हें रियायतग्राही, इस अनुबंध के उपबंधों के अनुसार, गैर-वैमानिकी सेवाओं के निष्पादन के लिए या उससे संबंधित रूप में समय-समय पर अर्जित कर सकता है, तथा इसमें वैमानिकी आस्तियाँ सम्मिलित नहीं हैं;

"गैर-वैमानिकी सेवाएँ" से अभिप्रेत हैं वैमानिकी सेवाओं से भिन्न सेवाएँ;

"गैर-राजनीतिक घटना" का वही अर्थ है जो खंड 32.2 में उपवर्णित है;

"प्रचालन एवं रखरखाव" से अभिप्रेत है हवाई अड्डे का प्रचालन, प्रबंधन और रखरखाव, और इसमें ऐसे प्रचालन और रखरखाव से संबद्ध या उससे आनुषंगिक सभी विषय, सेवाओं और सुविधाओं का प्रावधान तथा इस अनुबंध के उपबंधों के अनुसार शुल्क का संग्रहण सम्मिलित है;

"प्रचालन एवं रखरखाव संविदाएँ" से अभिप्रेत हैं वे प्रचालन, प्रबंधन और रखरखाव संविदाएँ जो सभी या किन्हीं प्रचालन एवं रखरखाव दायित्वों के निष्पादन के लिए रियायतग्राही और प्रचालन एवं रखरखाव संविदाकारों के बीच की जा सकती हैं;

"प्रचालन एवं रखरखाव संविदाकार" से अभिप्रेत हैं वे व्यक्ति, यदि कोई हों, जिनके साथ रियायतग्राही ने रियायतग्राही के लिए और उसकी ओर से ओ एण्ड एम दायित्वों के निर्वहन हेतु ओ एण्ड एम संविदाएँ की हैं;

"प्रचालन एवं रखरखाव व्यय" से अभिप्रेत हैं वे व्यय जो रियायतग्राही द्वारा या उसकी ओर से, अथवा प्राधिकरण द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, समस्त ओ एण्ड एम के लिए उपगत किए जाते हैं, जिनमें (क) वेतन और कर्मचारियों को अन्य प्रतिकर की लागत, (ख) सामग्री, आपूर्तियों, उपयोगिताओं और अन्य सेवाओं की लागत, (ग) बीमा हेतु प्रीमियम, (घ) ओ एण्ड एम के लिए देय और संदेय सभी कर और फीस, (ङ) समस्त मरम्मत, प्रतिस्थापन, पुनर्निर्माण, पुनःस्थापन, सुधार और अनुरक्षण लागतें, (च) ओ एण्ड एम संविदाओं, शुल्क संग्रहण संविदा अथवा ओ एण्ड एम से संबद्ध या आनुषंगिक किसी अन्य संविदा के अंतर्गत अपेक्षित भुगतान, तथा (छ) लागू विधियों, लागू अनुज्ञप्तियों या इस अनुबंध के अंतर्गत हवाई अड्डे के ओ एण्ड एम के लिए उपगत किया जाने वाला अन्य समस्त व्यय सम्मिलित है;

"प्रचालन एवं रखरखाव निरीक्षण रिपोर्ट" का वही अर्थ है जो खंड 21.5 में उपवर्णित है;

"चार्टर्ड अकाउंटेंटों का पैनल" का वही अर्थ है जो खंड 31.2.1 में उपवर्णित है;

"पार्किंग" का वही अर्थ है जो खंड 19.12 में उपवर्णित है;

"पक्षकारगण" से अभिप्रेत हैं इस अनुबंध के पक्षकार सामूहिक रूप से, और "पक्षकार" से अभिप्रेत होगा इस अनुबंध का कोई भी पक्षकार पृथक रूप से;

"यात्री यातायात" से अभिप्रेत है हवाई अड्डे का उपयोग करने वाले यात्रियों की कुल संख्या, जिसमें विमान में चढ़ने और उतरने वाले यात्री सम्मिलित हैं;

"व्यस्ततम घंटा" से अभिप्रेत है वह घंटा जो पूर्ववर्ती लेखा वर्ष के उस घंटे के आधार पर अवधारित किया जाता है जिसमें ऐसे लेखा वर्ष के दौरान यात्री यातायात 30वाँ (तीसवाँ) व्यस्ततम घंटा रहा हो;

"व्यस्ततम अवधि" से अभिप्रेत हैं किसी दिन के वे 4 (चार) घंटे जब यात्री यातायात सर्वाधिक होता है; और उस दिन के शेष घंटे "गैर-व्यस्त अवधि" (Off Peak Period) समझे जाएंगे;

"व्यस्ततम घंटे में यातायात" से अभिप्रेत है प्रत्येक दिन व्यस्ततम घंटे के दौरान का यात्री यातायात;

"निष्पादन प्रतिभूति" का वही अर्थ है जो खंड 9.1.1 में उपवर्णित है;

"निष्पादन गारंटी" का वही अर्थ होगा जो खंड 37.2.3 में उपवर्णित है;

"चरण" से अभिप्रेत हैं वे निर्माण कार्य जो रियायतग्राही द्वारा, मास्टर प्लान के अनुसार हवाई अड्डे की क्षमता बढ़ाने के प्रयोजनार्थ, सामान्य रूप से इस अनुबंध के निबंधनों का और विशेष रूप से मुख्य निष्पादन संकेतकों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर किए जाते हैं;

"चरण I" से अभिप्रेत हैं वे सभी निर्माण कार्य जो मास्टर प्लान के अनुसार खंड 4.1.3(h) के अनुसरण में रियायतग्राही द्वारा किए जाने के लिए प्रस्तावित हैं, और संदेह निवारण हेतु, इसमें वे प्रगतिरत कार्य सम्मिलित हैं जो खंड 6.4.5 के अनुसरण में प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को सौंपे गए हैं;

"चरण I पूर्णता तिथि" से अभिप्रेत है वह तारीख जिस दिन अनुच्छेद 14 के उपबंधों के अंतर्गत पूर्णता प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र, जैसी भी स्थिति हो, जारी किया जाता है;

"चरण पूर्णता अनुसूची" से अभिप्रेत हैं संबंधित चरण की उसके लिए नियत पूर्णता तिथि को या उससे पूर्व पूर्णता हेतु उत्तरोत्तर चरण मील-पत्थर;

"चरण मील-पत्थर" से अभिप्रेत हैं वे उत्तरोत्तर मील-पत्थर जो खंड 12.5.2 और अनुसूची F में परिभाषित हैं;

"पुलिस" से अभिप्रेत है कोई विधि प्रवर्तन अभिकरण, और इसमें राज्य पुलिस अथवा कोई अन्य संगठन सम्मिलित है जो सुरक्षा, अपराध निवारण अथवा विधि और व्यवस्था के अनुरक्षण से संबंधित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए लागू विधियों के अंतर्गत सशक्त हो;

"पुलिस सहायता चौकी" का वही अर्थ है जो खंड 20.4 में उपवर्णित है;

"राजनीतिक घटना" का वही अर्थ है जो खंड 32.4 में उपवर्णित है;

"प्रवर्तक एसपीवी" का वही अर्थ है जो खंड 5.3.3 में उपवर्णित है;

"चयनित बोलीदाता" का वही अर्थ है जो प्रस्तावना डी में उपवर्णित है, और यदि चयनित बोलीदाता कोई कंसोर्टियम हो, तो इसमें ऐसे कंसोर्टियम के सभी सदस्य सम्मिलित होंगे;

"परिरक्षण लागत" का वही अर्थ है जो खंड 13.5.3 में उपवर्णित है;

"परियोजना" से अभिप्रेत है इस अनुबंध के उपबंधों के अनुसार हवाई अड्डे का प्रचालन , प्रबंधन और विकास, और इसमें परियोजना के कार्यक्षेत्र से संबंधित या उसके संबंध में सभी कार्य, सेवाएँ और उपकरण सम्मिलित हैं;

"परियोजना अनुबंध " से अभिप्रेत हैं यह अनुबंध , वित्तपोषण अनुबंध , ईपीसी संविदा, ओ एण्ड एम संविदाएँ, सीएनएस-एटीएम अनुबंध , भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन, हवाई अड्डा संचालक अनुबंध , तथा उप-पट्टा या उप-लाइसेंस और कोई अन्य तात्त्विक अनुबंध या संविदाएँ जो रियायतग्राही द्वारा किसी व्यक्ति के साथ परियोजना से संबंधित, उससे उद्भूत या उसके आनुषंगिक विषयों के संबंध में की जा सकती हैं और जिनका संविदा मूल्य वार्षिक रूप से या संचयी रूप से रु. 25,00,00,000/- (रुपये पच्चीस करोड़) से अधिक हो, किंतु इसमें एस्करो अनुबंध और प्रतिस्थापन अनुबंध सम्मिलित नहीं हैं;

"परियोजना आस्तियाँ" से अभिप्रेत हैं वे सभी भौतिक और अन्य आस्तियाँ जो स्थल से संबंधित हैं या उसका भाग हैं, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- (क) पट्टे, मार्गाधिकार अथवा अन्यथा रूप में स्थल पर अधिकार;
- (ख) वैमानिकी आस्तियाँ और गैर-वैमानिकी आस्तियाँ;
- (ग) मूर्त आस्तियाँ जैसे सिविल कार्य और उपकरण, जिनमें नींव, जल-निकासी कार्य, विद्युत प्रणालियाँ, संचार प्रणालियाँ और प्रशासनिक कार्यालय सम्मिलित हैं;
- (घ) स्थल पर स्थित परियोजना सुविधाएँ;
- (ङ) सिटी साइड विकास का भाग बनने वाले भवन और स्थावर जुड़नार या संरचनाएँ;
- (च) परियोजना अनुबंधों के अंतर्गत रियायतग्राही के सभी अधिकार;
- (छ) वित्तीय आस्तियाँ, जैसे प्राप्त राशियाँ, प्रतिभूति निक्षेप, सभी परक्राम्य लिखत आदि;
- (ज) बीमा आगम; तथा
- (झ) हवाई अड्डे से संबंधित या उसके संबंध में लागू अनुज्ञप्तियाँ और प्राधिकार;

"परियोजना सुविधाएँ" से अभिप्रेत हैं स्थल पर स्थित वे सभी सुख-सुविधाएँ और सुविधाएँ जो अनुसूची बी में वर्णित हैं;

"संरक्षित दस्तावेज" से अभिप्रेत हैं वे दस्तावेज, लिखत और सूचना जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 के उपबंधों के अंतर्गत, अथवा समय-समय पर उसके किसी प्रतिस्थापित, संशोधित और रूपांतरित उपबंध के अंतर्गत छूटप्राप्त हैं;

"अनंतिम पूर्णता" का वही अर्थ है जो खंड 14.3.1 में उपवर्णित है;

"पंच सूची" का वही अर्थ है जो खंड 14.3.1 में उसे दिया गया है;

"रु.", "रुपये", "आईएनआर" अथवा "भारतीय रुपये" से अभिप्रेत है भारत गणराज्य की वैध मुद्रा;

"विनियामक" से अभिप्रेत है ऐसा अथवा कोई अन्य निकाय जिसे भारत सरकार द्वारा हवाई अड्डे के लिए वैमानिकी प्रभारों के अवधारण हेतु लागू विधियों के अनुसार नामनिर्दिष्ट किया जाए, जैसी भी स्थिति हो;

"विनियामक ढाँचा" से अभिप्रेत है वह ढाँचा जो विनियामक द्वारा लागू विधियों के अनुसार अंगीकृत किया गया है, जिसमें ऐसा अधिनियम तथा भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (हवाई अड्डा संचालकों के लिए प्रशुल्क के अवधारण हेतु निबंधन और शर्तों) मार्गदर्शी सिद्धांत, 2011 सम्मिलित हैं;

"प्रस्ताव हेतु अनुरोध" अथवा "आरएफपी" का वही अर्थ है जो प्रस्तावना सी में उपवर्णित है;

"आरक्षित क्षेत्र" से अभिप्रेत होगा वह स्थान और क्षेत्र जो खंड 19.8 और खंड 20.7 के उपबंधों के अनुसार प्राधिकरण और नामनिर्दिष्ट भारत सरकार अभिकरणों के लिए आरक्षित है;

"आरक्षित पार्किंग" का वही अर्थ है जो खंड 19.12.4 में उपवर्णित है;

"आरक्षित सेवाएँ" का वही अर्थ है जो खंड 20.1.1 में उपवर्णित है;

"मार्गाधिकार" (से अभिप्रेत है स्थल का आन्वयिक कब्जा, तत्सहित वे सभी मार्ग-सुविधाएँ, सुखाचार, अप्रतिबंधित पहुँच तथा मार्ग के अन्य अधिकार, चाहे वे किसी भी रूप में वर्णित हों, जो हवाई अड्डे के प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए आवश्यक हों;

"नियम" से अभिप्रेत हैं अंतरराष्ट्रीय सेंटर फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, नई दिल्ली के माध्यस्थता नियम, यथा समय-समय पर संशोधित या रूपांतरित;

"रनवे" से अभिप्रेत है हवाई अड्डे पर भूमि की वह पट्टी जिस पर विमान उड़ान भरेंगे और उतरेंगे, और जो मानव-निर्मित सतह वाली हो सकती है, जिसमें डामर, कंक्रीट अथवा दोनों के मिश्रण का प्रयोग सम्मिलित है;

"सुरक्षा अपेक्षाएँ" का वही अर्थ है जो खंड 18.15 में उपवर्णित है;

"नियत पूर्णता तिथि" का, चरण I के लिए, वही अर्थ है जो खंड 12.5.1 में उपवर्णित है, तथा अन्य चरणों के संबंध में यह रियायतग्राही द्वारा, निर्माण कार्यों के प्रारंभ से पूर्व, ऐसे चरण के लिए स्वतंत्र अभियंता के परामर्श से अवधारित की जाएगी;

"परियोजना का कार्यक्षेत्र" का वही अर्थ है जो खंड 2.1 में उपवर्णित है;

"चयनित कर्मचारी" का वही अर्थ है जो खंड 6.5.1(i) में उपवर्णित है;

"चयनित कर्मचारी लागत" का वही अर्थ है जो खंड 6.5.5 में उपवर्णित है;

"वरिष्ठ ऋणदाता" से अभिप्रेत हैं वे वित्तीय संस्थाएँ, बैंक, बहुपक्षीय ऋणदाता अभिकरण, न्यास, निधियाँ तथा डिबेंचरधारकों के अभिकर्ता या न्यासी, जिनमें उनके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी सम्मिलित हैं, जिन्होंने वित्तपोषण अनुबंधों में से किसी के अंतर्गत रियायतग्राही को वित्त की गारंटी देने या वित्त उपलब्ध कराने पर सहमति दी है और जो उसके निबंधनों के अनुसार रियायतग्राही की आस्तियों, अधिकारों, स्वत्व और हितों पर समपंक्तिक (pari passu) प्रभार धारण करते हैं;

"सेवा गुणवत्ता अपेक्षाएँ" (का वही अर्थ है जो अनुसूची एच के अनुबंध I में उपवर्णित है;

"स्थल" का वही अर्थ होगा जो खंड 10.1 में उपवर्णित है;

"विनिर्देश और मानक" से अभिप्रेत हैं हवाई अड्डे के लिए गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता और अन्य अपेक्षाओं/प्राचलों से संबंधित वे विनिर्देश और मानक जो अनुसूची सी में उपवर्णित हैं, तथा उनमें कोई रूपांतरण या उनमें कोई परिवर्धन;

"राज्य" से अभिप्रेत है वह राज्य जिसमें प्राधिकरण का पंजीकृत कार्यालय स्थित है;

"राज्य सरकार" से अभिप्रेत है केरल सरकार;

"सांविधिक संपरीक्षक" से अभिप्रेत है चार्टर्ड अकाउंटेंटों की कोई प्रतिष्ठित फर्म जो कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अंतर्गत, जिसमें तत्समय प्रवृत्त उसका कोई पुनः अधिनियमन या संशोधन सम्मिलित है, रियायतग्राही के सांविधिक संपरीक्षक के रूप में कार्य कर रही है, और जिसकी नियुक्ति खंड 31.2.1 के अनुसार तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसार की गई है;

"गौण ऋण" से अभिप्रेत है भारतीय रुपयों में अथवा ऋण की मुद्रा में, जैसी भी स्थिति हो, अभिव्यक्त निम्नलिखित राशियों का समुच्चय जो अंतरण तिथि को बकाया हो:

(क) ऋणदाताओं अथवा रियायतग्राही के शेयरधारकों द्वारा परियोजना लागत की पूर्ति हेतु प्रदत्त ऋण की मूल राशि, जो वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता के अधीनस्थ (subordinated) हो; तथा

(ख) उप-खंड (क) में निर्दिष्ट ऋण पर प्रोद्भूत समस्त ब्याज, किंतु भारतीय रुपयों में अभिव्यक्त ऋणों की दशा में वास्तविक ब्याज दर और बैंक दर से 5% (पाँच प्रतिशत) अधिक दर, इन दोनों में से जो कम हो, उस तक सीमित, तथा विदेशी मुद्रा में अभिव्यक्त ऋणों की दशा में वास्तविक ब्याज दर और 6 (छह) माह के एलआईबीओआर (लंदन इंटर-बैंक ऑफर दर) से 2% (दो प्रतिशत) अधिक, इन दोनों में से जो कम हो, उस तक सीमित; किंतु इसमें ऐसा कोई ब्याज सम्मिलित नहीं है जो अंतरण तिथि से 1 (एक) वर्ष पूर्व देय हो चुका था;

परंतु यह कि यदि गौण ऋण का समस्त या कोई भाग ऋणदाताओं और/अथवा रियायतग्राही के शेयरधारकों के विकल्प पर इक्विटी में परिवर्तनीय हो, तो वह इस अनुबंध के प्रयोजनार्थ ऐसे परिवर्तन के पश्चात् भी गौण ऋण ही समझा जाएगा और उसकी मूल राशि से इस प्रकार व्यवहार किया जाएगा मानो ऐसा परिवर्तन किया ही न गया हो;

"प्रतिस्थापन अनुबंध " का वही अर्थ है जो खंड 38.3.1 में उपवर्णित है;

"निलंबन" का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 34 में उपवर्णित है;

"कर" से अभिप्रेत हैं कोई भी भारतीय कर, जिनमें उत्पाद शुल्क, सीमाशुल्क, जीएसटी, मूल्य वर्धित कर, सेवा कर, बिक्री कर, स्थानीय कर, उपकर तथा उसी प्रकृति का कोई अधिभार या प्रभार (चाहे केंद्रीय, राज्य या स्थानीय हो) सम्मिलित है, जो हवाई अड्डे में समाविष्ट और उसका भाग बनने वाली वस्तुओं, सामग्रियों, उपकरणों और सेवाओं पर किसी सरकारी अभिकरण द्वारा प्रभारित, उद्गृहीत या अधिरोपित किया गया हो, किंतु इसमें उससे संबंधित किसी भी लेखे में अधिरोपित कोई ब्याज, शास्ति और अन्य राशियाँ सम्मिलित नहीं हैं। करों में निगम आय पर कर सम्मिलित नहीं होंगे;

"तकनीकी क्षमताका वही अर्थ है जो RFP में उपवर्णित है;

"टर्मिनल भवन" से अभिप्रेत है स्थल पर स्थित पृथक अथवा एकीकृत यात्री टर्मिनल भवन, जिसमें घरेलू यात्रियों और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए पृथक रूप से चिह्नित क्षेत्र हो, तथा उससे संलग्न भूमि, जिसमें कर्बसाइड और अप्रोच सड़कें तथा विद्यमान टर्मिनल भवन सम्मिलित हैं, जैसा कि अनुसूची क के अनुबंध II में और/अथवा मास्टर प्लान में, जैसी भी स्थिति हो, उपवर्णित परिप्रेक्ष्य योजना में वर्णित और सीमांकित है;

"समाप्ति" से अभिप्रेत है इस अनुबंध तथा इसके अंतर्गत रियायत का अवसान या समाप्ति;

"समाप्ति सूचना" से अभिप्रेत है वह संसूचना जो इस अनुबंध के अनुसार एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को इस अनुबंध को समाप्त करते हुए जारी की जाती है;

"समाप्ति भुगतान" से अभिप्रेत है वह राशि जो नीचे उप-खंड (क) के अनुसरण में अवधारित राशियों के योग तथा उप-खंड (ख) और उप-खंड (ग) के अनुसरण में अवधारित राशियों में से जो कम हो, उसके योग के बराबर हो।

(क) अंतरण तिथि को निम्नलिखित राशियों का योग:

- (i) मानित प्रारंभिक आरएबी की राशि, यदि कोई हो, जैसा कि विनियामक द्वारा वैमानिकी प्रभारों के अपने नवीनतम अवधारण में और उसके लिए सम्मिलित की गई हो, विनियामक द्वारा विचारित/नियत दरों के अनुसार मूल्यहासित; तथा
- (ii) सीओडी को और उससे रियायतग्राही द्वारा किन्हीं वैमानिकी आस्तियों में किए गए निवेश का मूल्य (और जो मानित प्रारंभिक आरएबी का भाग न हो), जैसा कि विनियामक द्वारा वैमानिकी प्रभारों के अपने नवीनतम अवधारण में और उसके लिए सम्मिलित किया गया हो, तथा विनियामक द्वारा विचारित/नियत दरों के अनुसार मूल्यहासित।

(ख) स्वतंत्र अभियंता द्वारा प्रमाणित रूप में, अंतरण तिथि को निम्नलिखित राशियों का योग:

- (i) रियायतग्राही द्वारा निर्मित, अर्जित या संस्थापित किसी अतिरिक्त वैमानिकी आस्ति का मूल्य, जो विनियामक द्वारा वैमानिकी प्रभारों के अपने नवीनतम अवधारण में और उसके लिए सम्मिलित न की गई हो (किंतु ऐसी किसी वैमानिकी आस्ति को छोड़कर जिसे विनियामक द्वारा ऐसे अवधारण में सम्मिलित किया गया हो), विनियामक द्वारा विचारित/नियत दरों के अनुसार मूल्यहासित;
 - (ii) प्रारंभिक गैर-वैमानिकी निवेशों का मूल्य, रियायतग्राही की बहियों में प्रयुक्त दरों पर मूल्यहासित;
 - (iii) सीओडी को और उससे रियायतग्राही द्वारा गैर-वैमानिकी आस्तियों में किए गए निवेश का मूल्य (सिटी साइड विकास का भाग बनने वाली आस्तियों तथा प्रारंभिक गैर-वैमानिकी निवेशों को छोड़कर), रियायतग्राही की बहियों में प्रयुक्त दरों पर मूल्यहासित;
 - (iv) सीओडी को और उससे रियायतग्राही द्वारा सिटी साइड विकास का भाग बनने वाली सभी परियोजना आस्तियों में किए गए निवेश का मूल्य, रियायतग्राही की बहियों में प्रयुक्त दरों पर मूल्यहासित; तथा
 - (v) अंतरण तिथि को रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को सौंपे गए प्रगतिरत कार्यों में रियायतग्राही द्वारा उपगत वास्तविक लागतें (उस सीमा तक जहाँ तक वे विनियामक द्वारा वैमानिकी प्रभारों के अपने नवीनतम अवधारण में और उसके लिए वैमानिकी आस्तियों के भाग के रूप में सम्मिलित न की गई हों)।
- (ग) उपर्युक्त उप-खंड (ख) में यथावर्णित आस्तियों के मूल्यों और/अथवा उपगत लागतों का योग, जैसी भी स्थिति हो, जैसा कि किसी अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता द्वारा अवधारित किया जाए, जिसका चयन और नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा अंतरण तिथि के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर की जाएगी, और जो नियुक्ति के 30 (तीस) दिनों के भीतर अपना अवधारण प्रस्तुत करेगा;

"परीक्षण" से अभिप्रेत हैं वे परीक्षण जो इस अनुबंध के उपबंधों, संबंधित इकाओं दस्तावेजों और अनुबंधों तथा डीजीसीए द्वारा विहित लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार पूर्णता अवधारित करने के लिए अनुसूची जी में उपवर्णित हैं, और इसमें, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, वे परीक्षण भी सम्मिलित होंगे जो इस अनुबंध और मास्टर प्लान के अनुसार हवाई अड्डे के विस्तार की पूर्णता अवधारित करने के लिए हैं;

"अंतरण तिथि" से अभिप्रेत है वह तारीख जिस दिन यह अनुबंध तथा इसके अंतर्गत रियायत, इस अनुबंध के उपबंधों के अनुसरण में समाप्त हो जाती है अथवा समाप्ति सूचना द्वारा समाप्त कर दी जाती है;

"अप्रत्याशित घटना" का वही अर्थ है जो खंड 32.12.1 में उपवर्णित है;

"उपयोगकर्ता" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति, जिसमें कोई एयरलाइन, यात्री, आगंतुक या अन्य व्यक्ति सम्मिलित है, जो इस अनुबंध और लागू विधियों के उपबंधों के अनुसार शुल्क के भुगतान पर अथवा उनके अनुसार, किसी या सभी वैमानिकी सेवाओं अथवा गैर-वैमानिकी सेवाओं सहित, हवाई अड्डे या उसके किसी भाग का उपयोग करता है या उपयोग करने का आशय रखता है;

"उपयोगकर्ता चार्टर" का वही अर्थ है जो खंड 23.10 में उपवर्णित है;

"उपयोगकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण" का वही अर्थ है जो खंड 23.7.3 में उपवर्णित है;

"निहितता प्रमाणपत्र" का वही अर्थ है जो खंड 36.4 में उपवर्णित है; तथा

"डब्ल्यूपीआई" से अभिप्रेत है उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित सभी वस्तुओं के लिए थोक मूल्य सूचकांक, और इसमें ऐसा कोई भी सूचकांक सम्मिलित होगा जो डब्ल्यूपीआई का स्थान ले; तथा डब्ल्यूपीआई के प्रति कोई भी निर्देश, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न करे, पूर्ववर्ती माह के अंत तक की अवधि के लिए प्रकाशित डब्ल्यूपीआई के प्रति निर्देश समझा जाएगा।

1.2 निर्वचन

1.2.1 इस अनुबंध में, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न करे,

- (क) किसी अधिनियमिति या उसके किसी उपबंध के प्रति निर्देशों में ऐसी अधिनियमिति या उसके किसी उपबंध का संशोधन, पुनः अधिनियमन या समेकन सम्मिलित होगा, जहाँ तक ऐसा संशोधन, पुनः अधिनियमन या समेकन इसके अंतर्गत की गई किसी संव्यवहार पर लागू होता है या लागू होने योग्य है;
- (ख) लागू विधियों के प्रति निर्देशों में वे विधियाँ, अधिनियम, अध्यादेश, नियम, विनियम, उपविधियाँ या अधिसूचनाएँ सम्मिलित होंगी जिनका भारत के राज्यक्षेत्र में विधि का बल है, जैसा कि वे समय-समय पर संशोधित, रूपांतरित, अनुपूरित, विस्तारित या पुनः अधिनियमित की जाएँ;
- (ग) "व्यक्ति" के प्रति निर्देश तथा प्राकृतिक व्यक्ति को द्योतित करने वाले शब्दों का अर्थ किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, निगम, समिति, न्यास, सरकार, राज्य या राज्य के अभिकरण अथवा उपर्युक्त में से दो या अधिक के किसी संगम या भागीदारी (चाहे उनका पृथक विधिक व्यक्तित्व हो या न हो) के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा, और इसमें उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी सम्मिलित होंगे;

- (घ) इस अनुबंध में विषय-सूची, शीर्षक या उप-शीर्षक केवल निर्देश की सुविधा के लिए हैं और इस अनुबंध के अर्थान्वयन या निर्वचन में उनका प्रयोग नहीं किया जाएगा और न ही वे उन्हें प्रभावित करेंगे;
- (ङ) "सम्मिलित है" और "सम्मिलित करते हुए" शब्दों का अर्थ बिना किसी परिसीमा के लगाया जाएगा और उनके पश्चात् "बिना किसी परिसीमा के" अथवा "किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं" शब्द समझे जाएँगे, चाहे वे ऐसे पदबंधों से अनुगत हों या नहीं;
- (च) "निर्माण" या "भवन-निर्माण" के प्रति निर्देशों में, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न करे, अन्वेषण, अभिकल्प, इंजीनियरिंग, प्रापण, प्रदाय, परिवहन, संस्थापन, प्रसंस्करण, निर्मिति, परीक्षण, चालू करना, विस्तार तथा निर्माण से आनुषंगिक अन्य क्रियाकलाप सम्मिलित होंगे, और "निर्मित करना" या "बनाना" का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;
- (छ) "विकास" के प्रति निर्देशों में, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न करे, निर्माण, विस्तार, नवीकरण, पुनर्संज्जा, संवर्धन, उन्नयन तथा उससे आनुषंगिक अन्य क्रियाकलाप सम्मिलित होंगे, और "विकास करना" का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;
- (ज) समय की किसी अवधि के प्रति किसी निर्देश का अर्थ भारतीय मानक समय के अनुसार उस अवधि के प्रति निर्देश होगा;
- (झ) "घंटा" के प्रति किसी निर्देश से अभिप्रेत होगी 60 (साठ) मिनट की अवधि जो या तो पूरे घंटे पर अथवा घड़ी के आधे घंटे पर प्रारंभ होती है, जो दृष्टांत के रूप में, पूरे घंटे पर 5.00 (पाँच), 6.00 (छह), 7.00 (सात) इत्यादि तथा आधे घंटे पर 5.30 (पाँच तीस), 6.30 (छह तीस), 7.30 (सात तीस) इत्यादि होगी;
- (ञ) दिन के प्रति किसी निर्देश से अभिप्रेत होगा कैलेंडर दिन के प्रति निर्देश;
- (ट) "कार्य दिवस" के प्रति निर्देश का अर्थ ऐसे दिन (रविवार से भिन्न) के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा जिस दिन राज्य में बैंक सामान्यतः कारबार के लिए खुले हों;
- (ठ) माह या तिमाही के प्रति किसी निर्देश से अभिप्रेत होगा ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार कैलेंडर माह या कैलेंडर तिमाही के प्रति निर्देश;
- (ड) किसी तारीख, अवधि या चरण मील-पत्थर के प्रति निर्देशों से अभिप्रेत होगी और उनमें सम्मिलित होगी ऐसी तारीख, अवधि या चरण मील-पत्थर, जैसी कि वह इस अनुबंध के अनुसरण में विस्तारित की जाए;
- (ढ) किसी विनिर्दिष्ट दिन या तारीख "से" (from) प्रारंभ होकर "तक" (till) या "जब तक" (until) किसी विनिर्दिष्ट दिन या तारीख तक की किसी अवधि के प्रति किसी निर्देश में ऐसे दोनों दिन या तारीखें सम्मिलित होंगी, परंतु यह कि यदि इस अनुबंध के अंतर्गत परिकलित किसी अवधि का अंतिम दिन कार्य दिवस नहीं है, तो वह अवधि अगले कार्य दिवस के अंत तक चलेगी;
- (ण) एकवचन को द्योतित करने वाले शब्दों में बहुवचन सम्मिलित होगा और इसके विपरीत भी;
- (त) किसी लिंग के प्रति निर्देशों में अन्य लिंग तथा नपुंसक लिंग सम्मिलित होंगे;
- (थ) "लाख" से अभिप्रेत है एक लाख (100,000) और "करोड़" से अभिप्रेत है एक करोड़ (10,000,000);

- (द) "ऋणग्रस्तता" का अर्थ इस प्रकार लगाया जाएगा कि उसमें धन के भुगतान या प्रतिसंदाय का कोई भी दायित्व (चाहे मूलतः या प्रतिभू के रूप में उपगत हो) सम्मिलित हो, चाहे वह वर्तमान हो या भावी, वास्तविक हो या समाश्रित;
- (ध) किसी कंपनी या निगम के "समापन", "विघटन", "दिवालियापन" या "पुनर्गठन" के प्रति निर्देशों का अर्थ इस प्रकार लगाया जाएगा कि उनमें ऐसी कंपनी या निगम के निगमन की अधिकारिता की विधि के अंतर्गत अथवा ऐसी किसी अधिकारिता की विधि के अंतर्गत, जहाँ ऐसी कंपनी या निगम कारबार करता है, कोई समतुल्य या तत्सदृश कार्यवाहियाँ सम्मिलित हों, जिनमें परिसमापन, समापन, पुनर्गठन, विघटन, व्यवस्था, ऋणियों का संरक्षण या अनुतोष प्राप्त करना सम्मिलित है;
- (न) इस अनुबंध में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी समय किसी भी अनुबंध, विलेख, लिखत, पट्टे, लाइसेंस या किसी भी विवरण के दस्तावेज के प्रति किसी निर्देश का अर्थ ऐसे अनुबंध, विलेख, लिखत, पट्टे, लाइसेंस या अन्य दस्तावेज के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा जैसा कि वह ऐसे निर्देश के समय संशोधित, परिवर्तित, अनुपूरित, रूपांतरित या निलंबित किया गया हो, परंतु यह कि यह उप-खंड (त) इस प्रकार प्रवर्तित नहीं होगा कि इससे प्राधिकरण के इसके अंतर्गत या इसके अनुसरण में दायित्वों या बाध्यताओं में किसी भी रीति से वृद्धि हो;
- (प) इस अनुबंध के अंतर्गत या इसके अनुसरण में किसी पक्षकार से या किसी पक्षकार द्वारा अपेक्षित कोई अनुबंध, सम्मति, अनुमोदन, प्राधिकार, सूचना, संसूचना, सूचना या रिपोर्ट तभी विधिमान्य और प्रभावी होगी जब वह ऐसे पक्षकार के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर से लिखित रूप में हो, अन्यथा नहीं;
- (फ) इस अनुबंध की अनुसूचियाँ और प्रस्तावनाएँ इस अनुबंध का अभिन्न अंग हैं और पूर्णतः प्रवृत्त और प्रभावी होंगी मानो उन्हें इस अनुबंध के मुख्य भाग में अभिव्यक्त रूप से उपवर्णित किया गया हो;
- (ब) इस अनुबंध में प्रस्तावनाओं, अनुच्छेदों, खंडों, उप-खंडों, परंतुकों या अनुसूचियों के प्रति निर्देशों से, सिवाय जहाँ संदर्भ अन्यथा अपेक्षित करे, अभिप्रेत होंगे इस अनुबंध की या इस अनुबंध से संबंधित प्रस्तावनाओं, अनुच्छेदों, खंडों, उप-खंडों, परंतुकों और अनुसूचियों के प्रति निर्देश;
- (भ) किसी अनुबंध (Annex) के प्रति निर्देश का अर्थ, उसमें प्रतिकूल रूप से विनिर्दिष्ट किसी बात के अधीन रहते हुए, उस अनुसूची के अनुबंध के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा जिसमें ऐसा निर्देश आता है; और किसी पैराग्राफ के प्रति निर्देश का अर्थ, उसमें प्रतिकूल रूप से विनिर्दिष्ट किसी बात के अधीन रहते हुए, उस अनुसूची या अनुबंध के पैराग्राफ के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा, जैसी भी स्थिति हो, जिसमें ऐसा निर्देश आता है;
- (म) इस अनुबंध में उपवर्णित रूप में किसी एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को संदेय क्षतियाँ, चाहे प्रतिदिन (per diem) के आधार पर हों या अन्यथा, पारस्परिक रूप से सहमत वास्तविक पूर्व-प्राक्कलित हानि और क्षति हैं, जिनके उस पक्षकार द्वारा सहन और उपगत किए जाने की संभावना है जो उन्हें प्राप्त करने का हकदार है, और वे शास्ति के रूप में नहीं हैं ("क्षतियाँ");

(य) जब 'इसका' (hereof), 'इसमें' (herein), 'इससे' (hereto) और 'इसके अंतर्गत' (hereunder) शब्द तथा समान आशय वाले शब्द इस अनुबंध या किसी अन्य परियोजना अनुबंध में प्रयुक्त हों, तो वे इस अनुबंध या ऐसे अन्य परियोजना अनुबंध, जैसी भी स्थिति हो, के प्रति समग्र रूप से निर्देशित होंगे, न कि इस अनुबंध या ऐसे अन्य परियोजना अनुबंध के किसी विशिष्ट उपबंध के प्रति, जैसी भी स्थिति हो;

(कक) जब तक यहाँ अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, यहाँ प्रयुक्त सभी लेखा-संबंधी पदों का निर्वचन किया जाएगा, तथा इसके अंतर्गत अपेक्षित सभी वित्तीय विवरण, प्रमाणपत्र और वित्तीय विषयों संबंधी रिपोर्टें भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार की जाएँगी, और सभी तकनीकी पदों और कथनों का निर्वचन और प्रयोग उत्तम उद्योग पद्धतियों के अनुसार किया जाएगा;

(खख) कोई भी विनिर्दिष्ट उपबंध, अभ्यावेदन या वारंटी किसी अधिक सामान्य उपबंध, अभ्यावेदन या वारंटी की प्रयोज्यता को सीमित नहीं करेगी, और पक्षकारों का आशय यह है कि इस अनुबंध में अंतर्विष्ट प्रत्येक अभ्यावेदन, वारंटी, प्रसंविदा, शर्त और अनुबंध को पूर्ण, पृथक और स्वतंत्र प्रभाव दिया जाएगा तथा ऐसे उपबंध संचयी होंगे; तथा

(गग) पक्षकारों के संबंधित दायित्वों के निष्पादन में समय सारभूत होगा। यदि यहाँ विनिर्दिष्ट कोई समयावधि विस्तारित की जाती है, तो ऐसी विस्तारित अवधि भी सारभूत होगी।

1.2.2 इस अनुबंध में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को उपलब्ध कराया या प्रस्तुत किया जाने वाला कोई भी प्रलेखन निःशुल्क तथा 3 (तीन) भौतिक प्रतियाँ और एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति में उपलब्ध कराया जाएगा; और यदि प्राधिकरण से ऐसा कोई प्रलेखन अपनी टिप्पणियों और/अथवा अनुमोदन सहित लौटाना अपेक्षित हो, तो वह उसकी दो प्रतियाँ अपने पास रखने का हकदार होगा।

1.2.3 अर्थान्वयन का वह नियम, यदि कोई हो, कि किसी संविदा का निर्वचन उसके प्रारूपण और तैयारी के लिए उत्तरदायी पक्षकारों के विरुद्ध किया जाना चाहिए, लागू नहीं होगा।

1.2.4 खंड 1.2 में अंतर्विष्ट निर्वचन के नियमों के अधीन रहते हुए, इस अनुबंध में प्रयुक्त कोई भी शब्द या अभिव्यक्ति, जब तक इस अनुबंध में अन्यथा परिभाषित या अर्थान्वित न हो, अपना साधारण अंग्रेजी अर्थ धारण करेगी, और इन प्रयोजनों के लिए साधारण खंड अधिनियम, 1897 लागू नहीं होगा।

1.3 मापन और अंकगणितीय परिपाटियाँ

सभी मापन और परिकलन मीट्रिक प्रणाली में होंगे तथा परिकलन 2 (दो) दशमलव स्थानों तक किए जाएँगे, जिसमें तीसरा अंक 5 (पाँच) या उससे अधिक होने पर ऊपर की ओर तथा 5 (पाँच) से कम होने पर नीचे की ओर पूर्णांकित किया जाएगा।

1.4 अनुबंधों, खंडों और अनुसूचियों की प्राथमिकता

1.4.1 यह अनुबंध तथा इस अनुबंध का भाग बनने वाले या इसमें निर्दिष्ट अन्य सभी अनुबंध और दस्तावेज पारस्परिक रूप से स्पष्टीकारक माने जाएँगे, और जब तक इस अनुबंध में अन्यत्र अभिव्यक्त रूप से अन्यथा

उपबंधित न हो, इस अनुबंध तथा इसका भाग बनने वाले या इसमें निर्दिष्ट अन्य दस्तावेजों और अनुबंधों की प्राथमिकता, किसी विरोध की दशा में, निम्नलिखित क्रम में होगी:

(क) यह अनुबंध ; तथा

(ख) इसका भाग बनने वाले या इसमें निर्दिष्ट अन्य सभी अनुबंध और दस्तावेज, अर्थात् उपर्युक्त (क) का अनुबंध , (ख) के अनुबंधों और दस्तावेजों पर अभिभावी होगा।

1.4.2 खंड 1.4.1 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अनुबंध के भीतर अस्पष्टताओं या विसंगतियों की दशा में निम्नलिखित लागू होगा:

(क) इस अनुबंध के दो या अधिक खंडों के बीच, विचाराधीन विषय से संबंधित विशिष्ट खंड के उपबंध अन्य खंडों के उपबंधों पर अभिभावी होंगे;

(ख) इस अनुबंध के खंडों और अनुसूचियों के बीच, खंड अभिभावी होंगे; तथा अनुसूचियों और अनुबंधों के बीच, अनुसूचियाँ अभिभावी होंगी;

(ग) किन्हीं दो अनुसूचियों के बीच, उस विषय से संबंधित अनुसूची अभिभावी होगी;

(घ) रेखाचित्रों पर लिखित विवरण और विनिर्देशों एवं मानकों के बीच, पश्चात्कर्ती अभिभावी होंगे;

(ङ) रेखाचित्र से मापित विमा और उसकी विनिर्दिष्ट लिखित विमा के बीच, पश्चात्कर्ती अभिभावी होगी; तथा

(च) अंकों में लिखे किसी मान और शब्दों में लिखे मान के बीच, पश्चात्कर्ती अभिभावी होगा।

भाग ॥

रियायत

अनुच्छेद 2. परियोजना का कार्यक्षेत्र

2.1 परियोजना का कार्यक्षेत्र

परियोजना के कार्यक्षेत्र ("परियोजना का कार्यक्षेत्र") से अभिप्रेत होगा और उसमें सम्मिलित होगा, रियायत अवधि के दौरान, हवाई अड्डे का प्रचालन , प्रबंधन और विकास, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं:

- (क) हवाई अड्डे का चरणबद्ध रीति से अभिकल्प, विकास, वित्तपोषण, निर्माण, उन्नयन और विस्तार, स्थल पर तथा अनुसूची क और अनुसूची ख में व्यापक रूप से उपवर्णित अपेक्षाओं के अनुसार, तत्सहित अनुसूची ख में विनिर्दिष्ट संबंधित परियोजना सुविधाओं का प्रावधान, और अनुसूची ग में उपवर्णित विनिर्देशों एवं मानकों के अनुरूप, तथा लागू विधियों और लागू अनुज्ञप्तियों के अनुसार;
- (ख) इस अनुबंध , लागू विधियों और लागू अनुज्ञप्तियों के उपबंधों के अनुसार हवाई अड्डे का प्रचालन , अनुरक्षण और प्रबंधन;
- (ग) इस अनुबंध के उपबंधों के अनुसार, और विशेष रूप से अनुसूची क, अनुसूची ख और अनुसूची ग के अनुसार, सिटी साइड का विकास, प्रचालन और अनुरक्षण; तथा
- (घ) इस अनुबंध , लागू विधियों और लागू अनुज्ञप्तियों के उपबंधों के अनुसार, रियायतग्राही के अन्य सभी दायित्वों तथा उनसे आनुषंगिक अथवा इस अनुबंध के अंतर्गत रियायतग्राही के किन्हीं या सभी दायित्वों के निष्पादन के लिए आवश्यक विषयों का निष्पादन और पूर्ति।

अनुच्छेद 3. रियायत का अनुदान

3.1 रियायत

3.1.1 इस अनुबंध , लागू विधियों और लागू अनुज्ञप्तियों के उपबंधों के अधीन रहते हुए तथा उनके अनुसार, प्राधिकरण एतद्वारा रियायतग्राही को इसमें उपवर्णित रियायत प्रदान करता है, जिसमें सीओडी से प्रारंभ होकर 50 (पचास) वर्ष की अवधि के लिए हवाई अड्डे के प्रचालन , प्रबंधन और विकास का अनन्य अधिकार, पट्टा और प्राधिकार सम्मिलित है ("रियायत"), और रियायतग्राही एतद्वारा रियायत स्वीकार करता है तथा इसमें उपवर्णित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए और उनके अनुसार परियोजना को कार्यान्वित करने पर सहमत होता है।

3.1.2 इस अनुबंध , प्राधिकरण, लागू विधियों और लागू अनुज्ञप्तियों के उपबंधों के अधीन रहते हुए तथा उनके अनुसार, एतद्वारा प्रदत्त रियायत रियायतग्राही को निम्नलिखित के लिए आबद्ध करेगी अथवा हकदार बनाएगी (जैसी भी स्थिति हो):

- (क) इस अनुबंध के उपबंधों द्वारा प्रदत्त प्रयोजन के लिए और उस सीमा तक, स्थल का मार्गाधिकार, पहुँच और पट्टा;
- (ख) हवाई अड्डे के विकास और विस्तार का वित्तपोषण करना;
- (ग) हवाई अड्डे का प्रचालन , अनुरक्षण और प्रबंधन करना तथा तृतीय पक्षकारों द्वारा उसके उपयोग को विनियमित करना;
- (घ) हवाई अड्डे या उसके किसी भाग के उपयोग के लिए शुल्क के भुगतान हेतु दायी उपयोगकर्ताओं से शुल्क की माँग करना, उसे संगृहीत और विनियोजित करना, तथा यदि देय शुल्क का भुगतान न किया जाए तो ऐसे किसी उपयोगकर्ता का प्रवेश अस्वीकार करना;
- (ङ) इस अनुबंध के अंतर्गत और उसके अनुसार रियायतग्राही के सभी दायित्वों का निष्पादन और पूर्ति करना;
- (च) इस अनुबंध में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अनुबंध के अंतर्गत रियायतग्राही के दायित्वों के निष्पादन से संबंधित या उससे आनुषंगिक सभी लागतों, व्ययों, करों और प्रभारों को वहन करना और उनका भुगतान करना; तथा
- (छ) इस अनुबंध अथवा प्रतिस्थापन अनुबंध द्वारा अभिव्यक्त रूप से अनुज्ञात के सिवाय, न तो इस अनुबंध अथवा एतद्वारा प्रदत्त रियायत का, अथवा हवाई अड्डे के समस्त भाग या किसी भाग का समनुदेशन या अंतरण करना, या उस पर कोई धारणाधिकार या विल्लंगम सृजित करना, और न ही उसका अंतरण अथवा आंशिक कब्जा देना।

3.2 सिटी साइड विकास

इस अनुबंध और लागू विधियों के उपबंधों के अधीन रहते हुए तथा उनके अनुसार, एतद्वारा प्रदत्त रियायत, खंड 3.1.2 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही को यह अधिकार देगी कि वह अनुसूची क में विनिर्दिष्ट स्थल पर, अनुसूची ख और अनुसूची ग के अनुसार, स्थावर संपदा का विकास, वित्तपोषण, प्रचालन और अनुरक्षण करे तथा अनुच्छेद 25 के उपबंधों के अनुसार ऐसे विकास का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग करे ("सिटी साइड विकास"), जिसमें परियोजना अनुबंधों के माध्यम से उसके किसी या सभी भागों को उप-पट्टे पर देने और/अथवा उप-लाइसेंस देने का अधिकार सम्मिलित है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि सिटी साइड का अंतिम उपयोग इस अनुबंध के निष्पादन की तारीख को प्रवृत्त लागू विधियों के अनुसार होगा, तथा रियायतग्राही उसके किसी पश्चात्कर्ती पुनःकथन, संशोधन या पुनः अधिनियमन के अनुसरण में अनुज्ञात किसी अतिरिक्त अंतिम उपयोग का हकदार केवल भारत सरकार के पूर्व लिखित अनुमोदन पर ही होगा।

अनुच्छेद 4. पूर्ववर्ती शर्तें

4.1 पूर्ववर्ती शर्तें

4.1.1 अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 44 में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित के सिवाय, अथवा जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न करे, इस अनुबंध के अंतर्गत पक्षकारों के संबंधित अधिकार और दायित्व इस खंड 4.1 में विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ती शर्तों ("पूर्ववर्ती शर्तें") की पूर्ण संतुष्टि के अधीन होंगे। परंतु यह कि कोई पक्षकार, खंड 4.1.2 अथवा खंड 4.1.3 के उपबंधों के अनुसार, जैसी भी स्थिति हो, दूसरे पक्षकार द्वारा किसी पूर्ववर्ती शर्त की संतुष्टि से छूट प्रदान कर सकता है, और ऐसी छूट की सीमा तक, उस पूर्ववर्ती शर्त को इस खंड 4.1.1 के प्रयोजनार्थ पूरी हुई समझा जाएगा।

4.1.2 रियायतग्राही, अनुच्छेद 9 के अनुसार प्राधिकरण को निष्पादन प्रतिभूति प्रदान करने पर, सूचना द्वारा प्राधिकरण से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह इस खंड 4.1.2 में उपवर्णित किसी या सभी पूर्ववर्ती शर्तों की संतुष्टि ऐसी सूचना में विहित अवधि के भीतर करे, और ऐसी अवधि, रियायतग्राही को सीओडी प्राप्त करने हेतु उपलब्ध अवधि से कम नहीं होगी; और प्राधिकरण द्वारा संतुष्ट की जाने वाली अपेक्षित पूर्ववर्ती शर्तें तब पूरी हुई समझी जाएंगी जब प्राधिकरण ने:

- (क) खंड 10.3 के उपबंधों के अनुसार रियायतग्राही के लिए स्थल का मार्गाधिकार अभिप्राप्त कर लिया हो;
- (ख) विद्यमान संविदाओं का रियायतग्राही के पक्ष में नवीयन (novation) कर दिया हो, उस सीमा तक जहाँ तक ऐसा नवीयन संबंधित संविदाओं के उपबंधों का उल्लंघन न करता हो;
- (ग) ऐसी विद्यमान संविदाओं के संबंध में, जिनका किसी कारण से रियायतग्राही के पक्ष में नवीयन नहीं किया जा सकता, रियायतग्राही को मुख्तारनामा (power of attorney) के माध्यम से प्राधिकरण के अभिकर्ता के रूप में प्राधिकरण के लिए और उसकी ओर से कार्य करने का प्राधिकार प्रदान कर दिया हो;
- (घ) निम्नलिखित संबंधित अनुबंधों का निष्पादन करा दिया हो (रियायतग्राही द्वारा अपने तत्संबंधी दायित्वों का अनुपालन किए जाने के अधीन):
 - (i) अनुसूची एम में दिए गए प्रारूप में एस्करो अनुबंध ;
 - (ii) अनुसूची आर में दिए गए प्रारूप में समझौता ज्ञापन; तथा
 - (iii) अनुसूची क्यू में दिए गए प्रारूप में सीएनएस-एटीएम अनुबंध ,

स्वयं द्वारा अथवा संबंधित निकाय द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, रियायतग्राही से उसकी विधिवत् निष्पादित प्रति प्राप्त होने पर तथा उसके अंतर्गत उन सभी निबंधनों के अनुपालन पर, जो क्रमशः उसके निष्पादन के लिए आवश्यक हों।

4.1.3 इस अनुबंध में विनिर्दिष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अनुबंध की तारीख से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की अवधि के भीतर रियायतग्राही द्वारा संतुष्ट की जाने वाली अपेक्षित पूर्ववर्ती शर्तें तब पूरी हुई समझी जाएंगी जब रियायतग्राही ने, प्राधिकरण की संतुष्टि के अधीन रहते हुए:

- (क) खंड 9.1 के अनुसार प्राधिकरण को निष्पादन प्रतिभूति प्रदान कर दी हो;
- (ख) परियोजना के प्रारंभ हेतु अपेक्षित सभी लागू अनुज्ञप्तियाँ बिना शर्त अभिप्राप्त कर ली हों, अथवा यदि वे शर्तों के अधीन हों, तो उनमें विनिर्दिष्ट तारीख तक पूरी की जाने वाली सभी ऐसी शर्तें पूर्णतः संतुष्ट कर दी गई हों, और ऐसी लागू अनुज्ञप्तियाँ पूर्णतः प्रवृत्त और प्रभावी हों;
- (ग) अनुसूची M में दिए गए प्रारूप में एस्क्रो अनुबंध निष्पादित कर दिया हो और उसका निष्पादन करा लिया हो तथा वह उसके निबंधनों के अनुसार प्रभावी हो गया हो;
- (घ) अनुसूची क्यू में दिए गए प्रारूप में सीएनएस - एटीएम अनुबंध निष्पादित कर दिया हो और उसका निष्पादन करा लिया हो तथा वह उसके निबंधनों के अनुसार प्रभावी हो गया हो;
- (ङ) आर एफ पी और इस अनुबंध की अपेक्षाओं के अनुसार रियायतग्राही की शेयरधारिता बनाए रखी हो;
- (च) चयनित बोलीदाता से प्राधिकरण को, इस अनुबंध के खंड 7.1 के उप-खंड (ग), (घ), (छ), (ज), (ट), (ठ), (ण) और (त) में उपवर्णित अभ्यावेदनों और वारंटियों की शुद्धता की पुष्टि परिदत्त कर दी हो;
- (छ) रियायतग्राही के विधि परामर्शी से, इस अनुबंध को करने के रियायतग्राही के प्राधिकार तथा इसके उपबंधों की प्रवर्तनीयता के संबंध में विधिक राय प्राधिकरण को परिदत्त कर दी हो;
- (ज) प्राधिकरण को परिदत्त कर दिया हो:

(क) उन निर्माण कार्यों की सूची जिन्हें वह प्रथम 7 (सात) रियायत वर्षों में करने का प्रस्ताव करता है, निम्नलिखित कार्यों का सम्यक् ध्यान रखते हुए:

अ. जो वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं; तथा

ब. जिन्हें अनुबंध पर हस्ताक्षर की तारीख को प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है (और जो अनुसूची U में उपवर्णित हैं),

(ख) ऐसे निर्माण कार्यों की पूर्णता हेतु नियत तारीख;

(झ) अनुसूची R में दिए गए प्रारूप में समझौता ज्ञापन निष्पादित कर दिया हो और उसका निष्पादन करा लिया हो तथा वह उसके निबंधनों के अनुसार प्रभावी हो गया हो।

परंतु यह कि रियायतग्राही द्वारा लिखित अनुरोध किए जाने पर, प्राधिकरण अपने विवेकानुसार, सीओडी की प्राप्ति के प्रयोजनार्थ इस खंड 4.1.3 में उपवर्णित किसी भी पूर्ववर्ती शर्त से छूट दे सकता है। प्राधिकरण अपने एकमात्र विवेकानुसार, इसके अंतर्गत ऐसी शर्तों के साथ कोई छूट प्रदान कर सकता है जैसी वह उचित समझे।

4.1.4 प्रत्येक पक्षकार, नियत समय के भीतर पूर्ववर्ती शर्तों को संतुष्ट करने के लिए सभी युक्तियुक्त प्रयास करेगा तथा दूसरे पक्षकार को ऐसा युक्तियुक्त सहयोग प्रदान करेगा जो उस पक्षकार को उन पूर्ववर्ती शर्तों की संतुष्टि में, जिनके लिए वह उत्तरदायी है, सहायता देने हेतु अपेक्षित हो।

4.1.5 पक्षकार पूर्ववर्ती शर्तों की संतुष्टि में हुई प्रगति के संबंध में कम से कम माह में एक बार एक-दूसरे को लिखित रूप में सूचित करेंगे। प्रत्येक पक्षकार, जिस पूर्ववर्ती शर्त के लिए वह उत्तरदायी है उसके संतुष्ट हो जाने पर, दूसरे पक्षकार को तत्परता से सूचित करेगा।

4.2 रियायतग्राही द्वारा विलंब के लिए क्षतियाँ

यदि (क) रियायतग्राही खंड 4.1.3 में उपवर्णित किसी या सभी पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति या उनसे छूट उस खंड में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं करता है, तथा (ख) ऐसा विलंब खंड 4.1.2 के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में असफलता, प्राधिकरण द्वारा इस अनुबंध के किसी अन्य उल्लंघन अथवा दैवी संकट के परिणामस्वरूप नहीं हुआ है, तो रियायतग्राही प्राधिकरण को ऐसी पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति होने तक विलंब के प्रत्येक दिन के लिए निष्पादन प्रतिभूति के 0.3% (शून्य दशमलव तीन प्रतिशत) की दर से परिकलित राशि में क्षतियाँ अदा करेगा, जो अधिकतम निष्पादन प्रतिभूति के 20% (बीस प्रतिशत) के बराबर राशि के अधीन होगी; और ऐसी अधिकतम सीमा पर पहुँचने पर प्राधिकरण, अपने एकमात्र विवेकानुसार तथा खंड 9.2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अनुबंध को समाप्त कर सकता है। परंतु यह कि यदि खंड 4.1.2 में विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति प्राप्त करने में प्राधिकरण द्वारा हुए विलंब का, खंड 4.1.3 के अंतर्गत रियायतग्राही द्वारा पूरी की जाने वाली किन्हीं पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, तो इस खंड 4.2 के अंतर्गत रियायतग्राही द्वारा उस तारीख तक कोई क्षतियाँ देय या संदेय नहीं होंगी जिस दिन प्राधिकरण खंड 4.1.2 में विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति प्राप्त कर लेता है। इस खंड 4.2 के अनुसरण में क्षतियों का भुगतान, इस अनुबंध के किसी अन्य उपबंध के अंतर्गत रियायतग्राही के दायित्वों से स्वतंत्र है। इसके अंतर्गत संदेय क्षतियाँ, रियायतग्राही द्वारा विलंब के लिए प्राधिकरण को उपलब्ध एकमात्र उपचार होंगी।

4.3 विलंब पर मानित समाप्ति

4.3.1 खंड 4.2 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, तथा खंड 9.1 और खंड 9.2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पक्षकार अभिव्यक्त रूप से सहमत होते हैं कि यदि पूर्ववर्ती शर्तें, किसी भी कारण से, इस अनुबंध के निष्पादन की तारीख से 270 (दो सौ सत्तर) दिनों की समाप्ति से पूर्व अथवा इस अनुबंध के निबंधनों के अनुसार किसी विस्तारित अवधि के भीतर या पक्षकारों के बीच अन्यथा सहमत अवधि के भीतर पूरी नहीं होती हैं, तो इस अनुबंध के अंतर्गत या उससे उद्भूत रियायतग्राही के सभी अधिकार, विशेषाधिकार, दावे और हकदारियाँ रियायतग्राही द्वारा अभिव्यक्त और उसकी सहमति से समाप्त हुई समझी जाएँगी, तथा यह अनुबंध पक्षकारों के पारस्परिक अनुबंध द्वारा समाप्त हुआ समझा जाएगा। परंतु यह कि यदि पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति में हुआ विलंब रियायतग्राही के प्रति आरोपणीय कारणों से हुआ हो, तो उपर्युक्त खंड 4.2 के उपबंधों के होते हुए भी, रियायतग्राही की निष्पादन प्रतिभूति प्राधिकरण द्वारा भुनाई जाएगी और उसकी क्षतियों के रूप में विनियोजित की जाएगी।

4.3.2 ऐसी समाप्ति पर: चयनित बोलीदाता और रियायतग्राही में से प्रत्येक, ऐसी समाप्ति के 7 (सात) दिनों के भीतर, किसी भी रूप में सृजित सभी दायित्वों का, यदि कोई हों, निर्वहन करेगा।

4.4 प्राधिकरण द्वारा विलंब के लिए क्षतियाँ

यदि (i) प्राधिकरण खंड 4.1.2 में उपवर्णित किसी या सभी पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति उनके संबंध में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं करता है, तथा (ii) ऐसा विलंब रियायतग्राही द्वारा इस अनुबंध के उल्लंघन अथवा दैवी संकट के परिणामस्वरूप नहीं हुआ है, तो प्राधिकरण रियायतग्राही को ऐसी पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति होने तक विलंब के प्रत्येक दिन के लिए निष्पादन प्रतिभूति के 0.1% (शून्य दशमलव एक प्रतिशत) की दर से परिकलित राशि में क्षतियाँ अदा करेगा, जो अधिकतम निष्पादन प्रतिभूति के 20% (बीस प्रतिशत) के अधीन होगी।

अनुच्छेद 5. रियायतग्राही के दायित्व

5.1 रियायतग्राही के दायित्व

- 5.1.1 इस अनुबंध के निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए तथा उन पर, रियायतग्राही अपनी लागत और व्यय पर, लागू अनुज्ञप्तियों, लागू विधियों और इस अनुबंध के उपबंधों के अनुसार हवाई अड्डे के प्रचालन , प्रबंधन और विकास के लिए वित्त की व्यवस्था करेगा और उन्हें करेगा, तथा इस अनुबंध में उपवर्णित या इसके अंतर्गत उद्भूत अपने सभी दायित्वों का पालन, पूर्ति, अनुपालन और निष्पादन करेगा।
- 5.1.2 रियायतग्राही इस अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों के निष्पादन में सभी लागू विधियों और लागू अनुज्ञप्तियों (यथा-अपेक्षित नवीकरण सहित) का अनुपालन करेगा।
- 5.1.3 रियायतग्राही इस अनुबंध के अस्तित्व के दौरान हर समय, प्रचालन , प्रबंधन और विकास के लिए आवश्यक लागू अनुज्ञप्तियों में नियत सभी शर्तों का अनुपालन करेगा।
- 5.1.4 इस अनुबंध अथवा लागू विधियों में, जैसी भी स्थिति हो, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, रियायतग्राही इस अनुबंध के अंतर्गत अपने सभी दायित्वों के निर्वहन में हर समय उत्तम उद्योग पद्धति के अनुरूप रहेगा और उसका पालन करेगा।
- 5.1.5 रियायतग्राही, इस अनुबंध के उपबंधों और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार, समय-समय पर वैमानिकी आस्तियों और गैर-वैमानिकी आस्तियों का विस्तार या संवर्धन करेगा।
- 5.1.6 इस अनुबंध में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित के सिवाय, रियायतग्राही इस अनुबंध के अस्तित्व के दौरान हर समय, हवाई अड्डे, किन्हीं वैमानिकी सेवाओं, गैर-वैमानिकी सेवाओं और अन्य सेवाओं के संबंध में अथवा उसमें भंडारित सामग्रियों के संबंध में संदेय वे सभी कर तथा अन्य सभी सांविधिक प्रभार, शोध्य, निर्धारण या देय राशियाँ अदा करेगा, जो किसी सरकारी अभिकरण द्वारा उद्धृत की जा सकती हैं।
- 5.1.7 रियायतग्राही, अपनी लागत और व्यय पर, इस अनुबंध में अन्यत्र उपवर्णित अपने दायित्वों के अतिरिक्त और उनका अल्पीकरण किए बिना:
- (क) लागू अनुज्ञप्तियाँ प्राप्त करने के लिए अपेक्षित ऐसे विवरणों और ब्यौरों सहित संबंधित सरकारी अभिकरणों को आवश्यक आवेदन करेगा अथवा कराएगा, तथा लागू विधियों के अनुरूप ऐसी लागू अनुज्ञप्तियाँ प्राप्त करेगा और उन्हें प्रवृत्त एवं प्रभावी बनाए रखेगा;
 - (ख) हवाई अड्डे में प्रयुक्त या समाविष्ट सामग्रियों, रीतियों, प्रक्रियाओं, नोटाउ और प्रणालियों के लिए यथा-अपेक्षित उपयुक्त स्वत्वाधिकार, लाइसेंस, अनुबंध और अनुज्ञाएँ अभिप्राप्त करेगा;
 - (ग) वित्तपोषण अनुबंधों के अंतर्गत अपने दायित्वों का निष्पादन और पूर्ति करेगा;

- (घ) इस अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों के निष्पादन के संबंध में स्वयं द्वारा अथवा अपने संविदाकारों द्वारा नियोजित कार्मिकों के बीच सौहार्द और अच्छे औद्योगिक संबंध बनाए रखने के युक्तियुक्त प्रयास करेगा;
- (ङ) यह सुनिश्चित करेगा और कराएगा कि उसके संविदाकार, इस अनुबंध के अंतर्गत रियायतग्राही के किन्हीं दायित्वों के अपने द्वारा किए जाने वाले निष्पादन में, सभी लागू अनुज्ञप्तियों और लागू विधियों का अनुपालन करें;
- (च) सदैव इस अनुबंध के उपबंधों के अनुरूप रीति से कार्य करेगा तथा ऐसा कोई कार्य, कृत्य या बात, चाहे साशय या अन्यथा, न तो करेगा और न ही करने में विफल रहेगा, जो किसी भी रीति से इस अनुबंध के किसी उपबंध का उल्लंघन हो;
- (छ) यह सुनिश्चित कराएगा कि हवाई अड्डे के भीतर सभी सुविधाएँ और सुख-सुविधाएँ इस अनुबंध और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार संचालित और अनुरक्षित की जाएँ, तथा यह सुनिश्चित करेगा कि उपयोगकर्ताओं को इस अनुबंध, लागू विधियों और लागू अनुज्ञप्तियों के उपबंधों के अनुसार उनके उपयोग हेतु गैर-विभेदकारी पहुँच प्राप्त हो;
- (ज) यह सुनिश्चित करेगा कि उपयोगकर्ताओं के साथ सम्यक् शिष्टाचार और विचारशीलता का व्यवहार किया जाए तथा उन्हें सेवाओं और सूचना तक सहज पहुँच प्रदान की जाए;
- (झ) इस अनुबंध, लागू विधियों और लागू अनुज्ञप्तियों के उपबंधों के अनुसार हवाई अड्डे पर वैमानिकी सेवाएँ और गैर-वैमानिकी सेवाएँ प्रदान करेगा या प्रदान कराएगा;
- (ञ) हवाई अड्डे पर आरक्षित सेवाओं के प्रावधान और प्रचालन के लिए प्राधिकरण अथवा नामनिर्दिष्ट भारत सरकार अभिकरण को, जैसी भी स्थिति हो, समस्त समर्थन और सहायता प्रदान करेगा;
- (ट) खंड 18.12.1 के अधीन रहते हुए, हवाई अड्डे पर विद्युत, दूरसंचार सेवाओं, जल तथा ऐसी अन्य उपयोगिताओं की आपूर्ति ऐसे स्तरों पर अभिप्राप्त करेगा जो इस अनुबंध की तारीख के स्तरों से कम न हों, जिसमें आपूर्ति बाधित होने या विफल होने की दशा में वैमानिकी सेवाओं और गैर-वैमानिकी सेवाओं के अनुरक्षण हेतु आवश्यक ऐसी उपयोगिताओं की आपूर्ति के लिए स्टैंडबाय व्यवस्थाएँ अभिप्राप्त करना सम्मिलित है, तथा लागू विधियों के अनुसार हवाई अड्डे के उपयोगकर्ताओं और विभिन्न वैमानिकी सेवाओं एवं गैर-वैमानिकी सेवाओं के लिए ऐसी उपयोगिताओं की उपलब्धता की व्यवस्था भी करेगा:

परंतु यह दायित्व केवल उस तारीख से प्रारंभ होगा जो सीओडी से 6 (छह) माह पश्चात् की है, और उस तारीख तक ऐसी उपयोगिताओं की आपूर्ति प्राधिकरण द्वारा की गई विद्यमान व्यवस्थाओं के अंतर्गत जारी रहेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि रियायतग्राही उपर्युक्त 6 (छह) माह की अवधि के दौरान ऐसी उपयोगिताओं की आपूर्ति के संबंध में सभी भुगतान करने का दायी होगा, इस शर्त के अधीन कि संबंधित बीजक प्राधिकरण द्वारा, उसे ऐसे बीजक प्राप्त होने की तारीख से 7 (सात) दिनों के भीतर रियायतग्राही को प्रस्तुत किए जाएँ;

- (ठ) इस अनुबंध, लागू विधियों और लागू अनुज्ञप्तियों के उपबंधों के अनुसार परियोजना के कार्यान्वयन और प्रचालन में प्राधिकरण को समर्थन देगा, उसके साथ सहयोग करेगा और उसे सुकर बनाएगा;

- (ड) इस अनुबंध की समाप्ति पर, इसके उपबंधों के अनुसार परियोजना आस्तियाँ प्राधिकरण को अंतरित करेगा; तथा
- (ढ) विद्यमान हवाई अड्डा आस्तियों का प्रचालन , अनुरक्षण और (यदि आवश्यक हो) नवीकरण करेगा, जिनमें अनुसूची क के अनुबंध । में यथा-उपबंधित टर्मिनल भवन, रनवे, कार्गो टर्मिनल, कार पार्क, एप्रन, टैक्सीवे और अन्य हवाई अड्डा आस्तियाँ सम्मिलित हैं, किंतु वे इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

5.2 परियोजना अनुबंधों से संबंधित दायित्व

- 5.2.1** रियायतग्राही, इस अनुबंध की अवधि के दौरान हर समय, परियोजना अनुबंधों या किन्हीं अन्य अनुबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अनुबंध के अंतर्गत अपने सभी दायित्वों के लिए उत्तरदायी और दायी रहेगा; और किसी परियोजना अनुबंध या किसी अन्य अनुबंध के अंतर्गत कोई व्यतिक्रम, रियायतग्राही को इसके अंतर्गत उसके दायित्वों या देयता से मुक्त नहीं करेगा और न ही प्राधिकरण पर कोई अतिरिक्त दायित्व या देयता अधिरोपित करेगा।
- 5.2.2** उन परियोजना अनुबंधों को छोड़कर जो इस अनुबंध से अनुसूची के रूप में संलग्न हैं, प्राधिकरण को समय-समय पर सभी परियोजना अनुबंधों अथवा उनके किन्हीं संशोधनों या प्रतिस्थापनों के प्रारूपों तक पहुँच का अधिकार होगा, किंतु दायित्व नहीं। प्राधिकरण को उन सभी अनुबंधों , संविदाओं, उप-पट्टों, उप-लाइसेंसों तथा किन्हीं अन्य तात्त्विक अनुबंधों या संविदाओं की सही प्रतियाँ माँगने और प्राप्त करने का अधिकार भी सुरक्षित है, जो रियायतग्राही द्वारा किसी व्यक्ति के साथ परियोजना से संबंधित, उससे उद्भूत या उसके आनुषंगिक विषयों के संबंध में की जा सकती हैं, चाहे संविदा का प्रतिफल वार्षिक रूप से रु. 25,00,00,000/- (रुपये पच्चीस करोड़) से कम ही क्यों न हो।
- 5.2.3** रियायतग्राही, प्राधिकरण को पूर्व लिखित सूचना दिए बिना, किसी भी वित्तपोषण अनुबंध में कोई परिवर्धन, प्रतिस्थापन या संशोधन नहीं करेगा।
- 5.2.4** इस अनुबंध में हवाई अड्डे के प्रचालन , प्रबंधन और विकास के प्रयोजनार्थ, जिसमें वैमानिकी सेवाएँ और गैर-वैमानिकी सेवाएँ सम्मिलित हैं, अन्यथा अंतर्विष्ट के सिवाय, रियायतग्राही किसी परियोजना आस्ति का समनुदेशन नहीं करेगा और न ही किसी रीति से उस पर विल्लंगम सृजित करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह खंड सिटी साइड विकास पर लागू नहीं होगा, जो खंड 25.6 द्वारा शासित होगा।
- 5.2.5** रियायतग्राही यह सुनिश्चित कराएगा कि उन परियोजना अनुबंधों को छोड़कर जिनमें प्राधिकरण या कोई सरकारी अभिकरण पक्षकार है, प्रत्येक परियोजना अनुबंध में ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट हों जो प्राधिकरण को यह अधिकार दें कि वह समाप्ति या निलंबन की दशा में, अपने एकमात्र विवेकानुसार, रियायतग्राही के प्रतिस्थापन में ऐसे अनुबंध में प्रवेश कर सके ("प्रसंविदा")। यह अभिव्यक्त रूप से सहमत है कि यदि प्राधिकरण अंतरण तिथि से 90 (नब्बे) दिनों से अनधिक अवधि के भीतर प्रतिस्थापन के ऐसे अधिकारों का प्रयोग नहीं करता है, तो परियोजना अनुबंध अंतरण तिथि को प्राधिकरण पर बिना किसी देयता के प्रवृत्त और प्रभावी नहीं रह गए समझे जाएँगे, और प्रसंविदा ऐसी संभाव्यता के लिए अभिव्यक्त रूप से उपबंध करेगी। रियायतग्राही अभिव्यक्त रूप से सहमत होता है कि वह ऐसे सभी परियोजना अनुबंधों में प्रसंविदा सम्मिलित

करेगा और वचन देता है कि वह ऐसे प्रत्येक परियोजना अनुबंध के संबंध में, प्रत्येक ऐसे परियोजना अनुबंध के प्रतिपक्षकार(रों) से, प्राधिकरण को स्वीकार्य प्रारूप में एक अभिस्वीकृति और वचनबंध अभिप्राप्त कर प्राधिकरण को परिदत्त करेगा, जिसके अंतर्गत ऐसा प्रतिपक्षकार प्रसंविदा को अभिस्वीकार और स्वीकार करेगा तथा उससे आबद्ध होने का वचन देगा और समाप्ति या निलंबन की दशा में प्राधिकरण से कोई भी अनुतोष या उपचार न माँगने का वचन देगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रसंविदा उन सभी अनुबंधों , संविदाओं, उप-पट्टों, उप-लाइसेंसों तथा किन्हीं अन्य तात्त्विक अनुबंधों या संविदाओं का भाग नहीं होगी जो रियायतग्राही द्वारा किसी व्यक्ति के साथ सिटी साइड विकास से संबंधित, उससे उद्भूत या उसके आनुषंगिक विषयों के संबंध में की जा सकती हैं, और ऐसी संविदाएँ खंड 25.7 के अधीन होंगी।

5.2.6 परियोजना अनुबंधों के अंतर्गत दी गई प्रतिभूति निक्षेप राशियाँ ऐसी राशियों के लिए होंगी जो संबंधित परियोजना अनुबंधों के अंतर्गत रियायतग्राही को प्राप्त होने वाले किराये और अन्य राजस्व धाराओं के, 3 (तीन) लेखा वर्षों की किसी अवधि के समुच्चय से अधिक न हों।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यह निर्बंधन उन सभी अनुबंधों , संविदाओं, उप-पट्टों, उप-लाइसेंसों तथा किन्हीं अन्य तात्त्विक अनुबंधों या संविदाओं पर लागू होगा जो रियायतग्राही द्वारा किसी व्यक्ति के साथ परियोजना से संबंधित, उससे उद्भूत या उसके आनुषंगिक विषयों के संबंध में की जा सकती हैं, चाहे संविदा का प्रतिफल वार्षिक रूप से रु. 25,00,00,000/- (रुपये पच्चीस करोड़) से कम ही क्यों न हो।

5.2.7 इस अनुबंध में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, रियायतग्राही सहमत होता है और अभिस्वीकार करता है कि किसी या सभी ईपीसी संविदाकारों या प्रचालन एवं रखरखाव संविदाकारों का चयन या प्रतिस्थापन तथा सभी ईपीसी संविदाओं या प्रचालन एवं रखरखाव संविदाओं का निष्पादन, लोकहित की दृष्टि से प्राधिकरण के तथा राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से नामनिर्दिष्ट भारत सरकार अभिकरण के पूर्व अनुमोदन के अधीन होगा। प्राधिकरण और नामनिर्दिष्ट भारत सरकार अभिकरण का इस निमित्त विनिश्चय अंतिम, निर्णायक और रियायतग्राही पर आबद्धकर होगा, तथा रियायतग्राही वचन देता है कि वह ऐसे किसी चयन या संविदा को ऐसे पूर्व अनुमोदन के बिना प्रभावी नहीं करेगा। यह अभिव्यक्त रूप से सहमत है कि इसके अंतर्गत नामनिर्दिष्ट भारत सरकार अभिकरण अथवा प्राधिकरण का अनुमोदन क्रमशः केवल राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकहित की दृष्टि तक सीमित होगा। यह भी सहमत है कि प्राधिकरण ऐसे अनुमोदन के प्रदान किए जाने या अन्यथा के लेखे में किसी भी रीति से दायी नहीं होगा, और ऐसा अनुमोदन अथवा उसका इनकार, रियायतग्राही अथवा उसके ईपीसी संविदाकारों या प्रचालन एवं रखरखाव संविदाकारों को इस अनुबंध के अंतर्गत किसी देयता या दायित्व से किसी भी रीति से मुक्त नहीं करेगा।

5.3 स्वामित्व में परिवर्तन से संबंधित दायित्व

5.3.1 रियायतग्राही, प्राधिकरण के पूर्व लिखित अनुमोदन के सिवाय, स्वामित्व में कोई परिवर्तन न तो करेगा और न ही उसकी अनुज्ञा देगा।

5.3.2 इस अनुबंध में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, रियायतग्राही सहमत होता है और अभिस्वीकार करता है कि:

- (क) किसी अर्जक द्वारा, चाहे स्वयं अथवा सहमति से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के साथ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जिसमें किसी इक्विटी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधिक या हिताधिकारी स्वामित्व या नियंत्रण का अंतरण सम्मिलित है, रियायतग्राही की कुल इक्विटी के 15% (पंद्रह प्रतिशत) या अधिक के समुच्चय में इक्विटी का समस्त अर्जन; अथवा
- (ख) किसी व्यक्ति द्वारा, चाहे स्वयं अथवा उसके साथ सहमति से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ मिलकर, रियायतग्राही के निदेशक मंडल के किसी नियंत्रण का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्जन,

स्वामित्व में ऐसा परिवर्तन गठित करेगा जिसके लिए लोकहित की दृष्टि से प्राधिकरण का तथा राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से नामनिर्दिष्ट भारत सरकार अभिकरण का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा। प्राधिकरण और नामनिर्दिष्ट भारत सरकार अभिकरण का इस निमित्त विनिश्चय अंतिम, निर्णायक और रियायतग्राही पर आबद्ध कर होगा, और रियायतग्राही वचन देता है कि वह प्राधिकरण के ऐसे पूर्व अनुमोदन के बिना इक्विटी के ऐसे किसी अर्जन अथवा रियायतग्राही के निदेशक मंडल के नियंत्रण को प्रभावी नहीं करेगा। इसके अंतर्गत नामनिर्दिष्ट भारत सरकार अभिकरण और प्राधिकरण का अनुमोदन क्रमशः केवल राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकहित की दृष्टि तक सीमित होगा, और प्राधिकरण उस पर अपना विनिश्चय शीघ्रता से संसूचित करने का प्रयास करेगा। प्राधिकरण ऐसे अनुमोदन के प्रदान किए जाने, विलंब या अन्यथा के लेख में किसी भी रीति से दायी नहीं होगा, और ऐसा अनुमोदन, विलंब, इनकार या अन्यथा, रियायतग्राही को इस अनुबंध के अंतर्गत किसी देयता या दायित्व से किसी भी रीति से मुक्त नहीं करेगा।

इस खंड 5.3.2 के प्रयोजनार्थ:

- (i) अभिव्यक्ति "अर्जक", "नियंत्रण" और "सहमति से कार्य करने वाला व्यक्ति" का वही अर्थ है जो उन्हें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 अथवा उसके किसी सांविधिक पुनः अधिनियमन में दिया गया है, जैसा कि वह इक्विटी के अर्जन अथवा निदेशक मंडल के नियंत्रण की तारीख को, जैसी भी स्थिति हो, रियायतग्राही के संबंध में प्रवृत्त हो;
- (ii) इक्विटी के विधिक या हिताधिकारी स्वामित्व के अप्रत्यक्ष अंतरण या नियंत्रण से अभिप्रेत होगा किसी कंपनी या कंपनियों के, चाहे वे भारत में हों या विदेश में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हिताधिकारी स्वामित्व या नियंत्रण का ऐसा अंतरण जिसके परिणामस्वरूप अर्जक को रियायतग्राही के शेयरों या शेयरों के मताधिकारों पर नियंत्रण प्राप्त हो जाए; तथा
- (iii) किसी ऐसी कंपनी, जो प्रत्यक्ष रूप से अथवा एक या अधिक कंपनियों (चाहे भारत में स्थित हों या विदेश में) के माध्यम से रियायतग्राही की इक्विटी धारण करती है, के शेयरों के नियंत्रण या अर्जन के आधार पर अथवा संविदा द्वारा, रियायतग्राही के निदेशक मंडल में आधे से अनूयून निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति, अथवा ऐसी किसी कंपनी की, चाहे वह भारत में स्थित हो या विदेश में,

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रियायतग्राही की इक्विटी के 15% (पंद्रह प्रतिशत) या अधिक पर अंतिम नियंत्रण रखना, रियायतग्राही के निदेशक मंडल के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण का अर्जन गठित करेगा।

5.3.3 रियायतग्राही एतद्वारा सहमत होता है कि यदि चयनित बोलीदाता एक ऐसा विशेष प्रयोजन वाहन है जो मुख्यतः रियायतग्राही में इक्विटी धारण करने के प्रयोजनार्थ स्थापित किया गया है (ऐसा चयनित बोलीदाता "प्रवर्तक एसपीवी" होगा), तो ऐसे प्रवर्तक एसपीवी में किसी शेयरधारिता का अंतरण, इस अनुबंध के प्रयोजनार्थ प्रवर्तक एसपीवी द्वारा इक्विटी का अप्रत्यक्ष अंतरण गठित करेगा और इस अनुबंध में उपवर्णित शेयरों के अंतरण संबंधी निर्बंधनों के अधीन होगा।

5.3.4 पक्षकारों का यह आशय है कि रियायतग्राही, यदि उसकी विकास-वित्तपोषण आवश्यकता हो, तो बंबई स्टॉक एक्सचेंज और/अथवा राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में रियायतग्राही के शेयरों की सूचीबद्धता करा सकता है। ऐसी कोई भी सूचीबद्धता खंड 5.3.1, 5.3.2 और/अथवा 5.3.3 में उपवर्णित दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी।

5.4 शेयरधारिता से संबंधित दायित्व

प्राधिकरण, रियायत अवधि के दौरान किसी भी समय, रियायतग्राही की किसी पूंजीगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी भी रूप में कोई समर्थन या गारंटी प्रदान नहीं करेगा।

5.5 डीजीसीए लाइसेंस से संबंधित दायित्व

5.5.1 रियायतग्राही डीजीसीए से लागू अनुज्ञप्तियाँ अभिप्राप्त करेगा और उन्हें प्रवृत्त रखेगा; और यदि ऐसी लागू अनुज्ञप्तियाँ शर्तों के अधीन जारी की जाती हैं, तो रियायतग्राही हर समय ऐसी सभी शर्तों का अनुपालन करेगा।

5.5.2 रियायतग्राही के अनुरोध पर, प्राधिकरण रियायतग्राही द्वारा नागर विमानन महानिदेशालय के समक्ष सम्यक् और पूर्ण आवेदन दाखिल करने की तारीख से 90 (नब्बे) दिनों से अनधिक अवधि में डीजीसीए से लागू अनुज्ञप्तियाँ प्राप्त करने के लिए रियायतग्राही को आवश्यक समर्थन प्रदान करने का प्रयास करेगा।

5.5.3 खंड 5.5.1 और खंड 5.5.2 के उपबंध, इस अनुबंध की समाप्ति तक लागू अनुज्ञप्तियों के नवीकरण पर, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

5.6 वस्तुओं और सेवाओं के प्रापण से संबंधित दायित्व

5.6.1 रियायतग्राही सहमत होता है और वचन देता है कि वह हवाई अड्डे के प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए संविदाओं, वस्तुओं और सेवाओं का प्रापण निष्पक्ष, पारदर्शी और दक्ष रीति से, तथा इस निमित्त बिना किसी अनुचित पक्षपात या विभेद के करेगा। इसके अनुसरण में, वह सीओडी से 6 (छह) माह के भीतर एक प्रापण नीति बनाएगा जिसमें वे सिद्धांत और प्रक्रियाएँ विनिर्दिष्ट होंगी जिनका वह वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति हेतु संविदाएँ प्रदान करने में पालन करेगा, और वह उस नीति को आम जनता तथा सभी हितबद्ध पक्षकारों की जानकारी के लिए अपनी वेबसाइट पर रखेगा। वह नीति:

(क) उन सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को सम्मिलित करेगी जिनका पालन हवाई अड्डे में निजी निकायों को किसी स्थान, भवन, अधिकार या विशेषाधिकार के उप-पट्टे, उप-लाइसेंस अथवा अनुदान या आवंटन के लिए किया जाएगा;

(ख) रियायतग्राही के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित होगी।

5.6.2 वस्तुओं, कार्यों, सेवाओं, उप-पट्टे(टोटों), उप-लाइसेंस(सों) अथवा किन्हीं अन्य अधिकारों या विशेषाधिकारों के प्रापण के लिए, जहाँ प्रतिफल (जिसमें उसके संबंध में किसी भी रूप में निक्षेप सम्मिलित हैं) किसी लेखा वर्ष में रु. 25,00,00,000/- (रुपये पच्चीस करोड़) से अधिक हो (सामूहिक रूप से "संविदाएँ"), रियायतग्राही ई-निविदा के माध्यम से खुली प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित करेगा और खंड 5.6.1 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट नीति के अनुसार अधिनिर्णीतियों का चयन करेगा।

5.6.3 पक्षकार सहमत होते हैं कि रियायतग्राही को आवेदकों की पूर्व-अर्हता और संक्षिप्त सूची निष्पक्ष और पारदर्शी रीति से बनानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि केवल अनुभवी और अर्हित आवेदक ही अंततः ऐसी रीति से निर्बंध (arm's length) आधार पर चुने जाएँ जो वाणिज्यिक रूप से विवेकपूर्ण हो और उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करती हो।

5.6.4 रियायतग्राही एतद्वारा सहमत होता है कि वह किसी अन्य पक्षकार के साथ कोई सहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम अथवा उसी प्रकार की कोई अन्य व्यवस्था नहीं रखेगा।

5.7 विदेशी नागरिकों के नियोजन से संबंधित दायित्व

रियायतग्राही अभिस्वीकार करता है, सहमत होता है और वचन देता है कि रियायतग्राही और/अथवा उसके संविदाकारों और उनके उप-संविदाकारों द्वारा विदेशी कार्मिकों का नियोजन, अपेक्षित विनियामक अनुज्ञप्तियों और अनुमोदनों के प्रदान किए जाने के अधीन होगा, जिनमें नियोजन/आवासीय वीजा और कार्य अनुज्ञप्तियाँ तथा सुरक्षा मंजूरी, यदि कोई अपेक्षित हो, सम्मिलित हैं। ऐसे अनुमोदन और अनुज्ञप्तियाँ माँगने और प्राप्त करने का दायित्व सदैव रियायतग्राही का होगा; और इस अनुबंध में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, रियायतग्राही अथवा उसके किन्हीं संविदाकारों या उप-संविदाकारों को ऐसे किन्हीं अनुमोदनों और अनुज्ञप्तियों से इनकार अथवा उन्हें प्राप्त करने में असमर्थता, दैवी संकट घटना गठित नहीं करेगी और न ही रियायतग्राही को इस अनुबंध के अंतर्गत उसके दायित्वों और देयताओं के निष्पादन एवं निर्वहन से किसी भी रीति से मुक्त करेगी।

5.8 प्रशिक्षित कार्मिकों के नियोजन से संबंधित दायित्व

रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि इस अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों के निष्पादन में उसके द्वारा नियोजित कार्मिक हर समय अपने-अपने कृत्यों के लिए समुचित रूप से प्रशिक्षित हों। रियायतग्राही स्थानीय कार्मिकों की भर्ती के संबंध में लागू विधियों और लागू अनुज्ञप्तियों का अनुपालन करेगा, तथा परियोजना के कार्यान्वयन, विकास और प्रचालन के दौरान स्थानीय कार्मिकों को नियोजित करने का प्रयास करेगा।

5.9 सुरक्षा मंजूरी से संबंधित दायित्व

इस अनुबंध में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, रियायतग्राही तथा उसके संविदाकारों और उप-संविदाकारों के कर्मचारियों, स्टाफ और कार्मिकों की नियुक्ति सदैव नामनिर्दिष्ट भारत सरकार अभिकरण द्वारा सुरक्षा मंजूरी के अधीन होगी, जैसी लागू विधियों के अंतर्गत अपेक्षित हो, और स्थल पर केवल उन्हीं व्यक्तियों को अनुज्ञात किया जाएगा जिनके पास विधिमान्य सुरक्षा मंजूरी हो। यह सहमत है कि रियायतग्राही अथवा उसके किन्हीं संविदाकारों या उप-संविदाकारों को ऐसी किन्हीं अनुज्ञप्तियों और अनुमोदनों से इनकार अथवा उन्हें प्राप्त करने में असमर्थता, अप्रत्याशित घटना गठित नहीं करेगी और न ही रियायतग्राही को इस अनुबंध के अंतर्गत उसके दायित्वों और देयताओं के निष्पादन एवं निर्वहन से किसी भी रीति से मुक्त करेगी। तथापि यह उपबंधित है कि यहाँ का निर्बंधन स्थल का भाग बनने वाले सिटी साइड विकास पर लागू नहीं होगा।

5.10 गैर-विभेदकारी पहुँच से संबंधित दायित्व

लागू अनुज्ञप्तियों के अधीन रहते हुए, रियायतग्राही हवाई अड्डे का प्रचालन और प्रबंधन सामान्य उपयोगकर्ता आधार पर करेगा तथा इस अनुबंध के उपबंधों के अनुसार सभी एयरलाइनों, विमानों और अन्य व्यक्तियों को गैर-विभेदकारी पहुँच प्रदान करेगा, और किसी उपयोगकर्ता या संभावित उपयोगकर्ता के विरुद्ध कोई अनुचित या विभेदकारी व्यवहार अपनाने से विरत रहेगा।

5.11 चिकित्सा सहायता से संबंधित दायित्व

उपयोगकर्ताओं को आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए, रियायतग्राही हवाई अड्डे पर एक चिकित्सा सहायता चौकी स्थापित और संचालित करेगा जो आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करे, और जो प्राथमिक उपचार देने तथा आसपास के अस्पतालों से आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्राप्त करने में सहायता करने हेतु सुसज्जित होगी।

5.12 हवाई अड्डे की सौंदर्यात्मक गुणवत्ता से संबंधित दायित्व

रियायतग्राही हवाई अड्डे के स्वरूप और सौंदर्यात्मक गुणवत्ता में उच्च मानक बनाए रखेगा तथा उपयुक्त अभिकल्प और सभी दृश्य तत्वों के संवेदनशील प्रबंधन, दोनों के माध्यम से हवाई अड्डे का आसपास के भूदृश्य के चरित्र के साथ एकीकरण प्राप्त करेगा। रियायतग्राही यह सुनिश्चित करने के लिए कि हवाई अड्डे का अभिकल्प उपर्युक्त सौंदर्यात्मक मानकों को पूरा करता है, प्रतिष्ठित व्यावसायिक वास्तुविदों और नगर आयोजकों की सेवाएँ लेगा।

5.13 ध्वनि नियंत्रण से संबंधित दायित्व

रियायतग्राही, हवाई अड्डे से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तथा उपयोगकर्ताओं और पड़ोस पर उसके प्रभाव को नियंत्रित और न्यून करने के लिए, लागू विधियों और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार ऐसे सभी उपाय करेगा जो आवश्यक हों।

5.14 रियायतग्राही का एकमात्र प्रयोजन

5.14.1 रियायतग्राही की स्थापना इस अनुबंध के अंतर्गत अपने अधिकारों के प्रयोग तथा अपने दायित्वों और देयताओं के पालन एवं निष्पादन, अर्थात् हवाई अड्डे के प्रचालन, प्रबंधन और विकास के एकमात्र प्रयोजन के लिए की गई है। रियायतग्राही एतद्वारा सहमत होता है कि वह किसी निकाय में कोई शेयरधारिता हित या

अन्यथा, अथवा किसी व्यक्ति के साथ किसी अन्य रूप की कोई व्यवस्था नहीं रखेगा, जो उसे कोई अन्य कारबार क्रियाकलाप करने या निष्पादित करने की अनुज्ञा दे।

5.14.2 रियायतग्राही एतद्द्वारा सहमत होता है कि वह किसी अन्य पक्षकार के साथ कोई सहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम अथवा उसी प्रकार की कोई अन्य व्यवस्था नहीं रखेगा।

5.15 हवाई अड्डे की ब्रांडिंग

5.15.1 हवाई अड्डे या उसके किसी भाग की ब्रांडिंग किसी भी रीति से इस प्रकार नहीं की जाएगी कि उससे रियायतग्राही या उसके शेयरधारकों के नाम या पहचान का विज्ञापन, प्रदर्शन या प्रतिबिंबन हो। कारबार के सामान्य अनुक्रम में जितना आवश्यक हो उतने के सिवाय और सदैव प्राधिकरण के नाम के साथ, रियायतग्राही वचन देता है कि वह हवाई अड्डे के नाम या पहचान का उपयोग अपनी स्वयं की पहचान, ब्रांड इक्विटी या कारबार हितों के, जिनमें उसके शेयरधारकों के हित भी सम्मिलित हैं, विज्ञापन या प्रदर्शन के लिए किसी भी रीति से नहीं करेगा।

5.15.2 हवाई अड्डे को हर समय केवल "तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा" (Thiruvananthapuram International Airport) के नाम से ही जाना, संवर्धित, प्रदर्शित, विज्ञापित और ब्रांडेड किया जाएगा, और रियायतग्राही हर समय, किसी विज्ञापन, प्रदर्शन, प्रतिबिंबन, ब्रांडिंग या अन्यथा के प्रयोजनार्थ, हवाई अड्डे को उसी रूप में प्रदर्शित करेगा। यदि वह उन स्थानों पर अपना स्वयं का नाम या अपने शेयरधारकों का नाम प्रदर्शित करना चाहता है जहाँ उपयोगकर्ताओं के लिए अन्य लोक सूचनाएँ प्रदर्शित की जाती हैं, तो उससे पूर्व प्राधिकरण का नाम होगा।

5.15.3 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि हवाई अड्डे पर अथवा उसके संबंध में किसी भी विज्ञापन, प्रदर्शन या अन्यथा में, प्राधिकरण का लोगो ऐसे प्रारूप और रीति में अंतर्विष्ट हो जैसा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर उपबंधित किया जाए।

5.16 दिव्यांग और वयोवृद्ध व्यक्तियों के लिए सुविधाएँ

रियायतग्राही, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अथवा उसके किसी प्रतिस्थापी द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों और मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप, हवाई अड्डे का उपयोग करने वाले दिव्यांग और वयोवृद्ध व्यक्तियों के लिए बाधा-रहित वातावरण उपलब्ध कराएगा।

अनुच्छेद 6. प्राधिकरण के दायित्व

6.1 प्राधिकरण के दायित्व

6.1.1 प्राधिकरण अपनी लागत और व्यय पर, इस अनुबंध में उपवर्णित या इसके अंतर्गत उद्भूत अपने सभी दायित्वों का निर्वहन, अनुपालन और निष्पादन करेगा।

6.1.2 प्राधिकरण रियायतग्राही को समर्थन प्रदान करने पर सहमत होता है और, इस अनुबंध तथा लागू विधियों के उपबंधों के अधीन रहते हुए और उनके अनुसार, निम्नलिखित का पालन, अनुपालन और निष्पादन करने का वचन देता है:

- (क) रियायतग्राही के लिखित अनुरोध पर, और रियायतग्राही द्वारा लागू विधियों का अनुपालन किए जाने के अधीन, हवाई अड्डे के प्रचालन, प्रबंधन और विकास हेतु किसी सरकारी अभिकरण से अपेक्षित लागू अनुज्ञप्तियाँ, रियायतग्राही की लागत और व्यय पर, अभिप्राप्त कराने के लिए युक्तियुक्त समर्थन और सहायता प्रदान करना;
- (ख) रियायतग्राही के लिखित अनुरोध पर, सभी आवश्यक अवसंरचना सुविधाओं और उपयोगिताओं तक पहुँच प्राप्त करने में रियायतग्राही को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करना, जिसमें जल और विद्युत ऐसी दरों पर और ऐसे निबंधनों पर सम्मिलित हैं जो रियायतग्राही के लिए उन दरों और निबंधनों से कम अनुकूल न हों जो सारतः समतुल्य सेवाएँ प्राप्त करने वाले समान उपयोगिता ग्राहकों को सामान्यतः उपलब्ध हैं;
- (ग) यह सुनिश्चित कराना कि किसी सरकारी अभिकरण द्वारा अथवा उसके माध्यम से या उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा हवाई अड्डे पर या उसके आसपास कोई अवरोध खड़ा या रखा न जाए, सिवाय सुरक्षा अपेक्षाओं, आपात स्थिति, राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा विधि और व्यवस्था के कारणों से;
- (घ) लागू विधियों और लागू अनुज्ञप्तियों के अधीन रहते हुए और उनके अनुसार, रियायतग्राही को स्थल और हवाई अड्डे पर उपयोगकर्ताओं को विनियमित करने का प्राधिकार प्रदान करना;
- (ङ) उपयोगकर्ताओं के विनियमन, अतिचारियों को हटाने तथा हवाई अड्डे पर या उसके संबंध में सुरक्षा के लिए नामनिर्दिष्ट भारत सरकार अभिकरण से सहायता प्राप्त करने में रियायतग्राही की सहायता करना;
- (च) ऐसा कोई कार्य, कृत्य या बात न करना अथवा करने में लोप न करना जो किसी भी रीति से इस अनुबंध के किसी उपबंध का उल्लंघन हो;
- (छ) इस अनुबंध के उपबंधों के अनुसार तथा लागू विधियों और लागू अनुज्ञप्तियों के अनुसार, हवाई अड्डे के प्रचालन, प्रबंधन और विकास में रियायतग्राही को समर्थन देना, उसके साथ सहयोग करना और उसे सुकर बनाना;
- (ज) रियायतग्राही के लिखित अनुरोध पर और खंड 5.7 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अनुबंध और परियोजना अनुबंधों के अंतर्गत अपने-अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु लागू बीजा और कार्य अनुज्ञप्तियाँ

प्राप्त करने के लिए रियायतग्राही तथा रियायतग्राही या उसके संविदाकारों के किसी प्रवासी कार्मिक को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करना;

(झ) सी ओ डी के 12 (बारह) सप्ताहों के भीतर रियायतग्राही को उपकरणों की वारंटियों और अनुरक्षण संविदाओं के अंतर्गत हिताधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट करना, और यदि किसी कारण से ऐसा नामनिर्देशन संभव न हो, तो यह सुनिश्चित कराना कि उपकरणों के संबंध में ऐसी वारंटियाँ और अनुरक्षण संविदाएँ इस प्रकार दक्षतापूर्वक अनुरक्षित और प्रशासित की जाएँ कि उपकरण ऐसी वारंटियों या संविदाओं के अनुसार, जैसी भी स्थिति हो, अनुरक्षित रहें; तथा

(ञ) रियायतग्राही को हवाई अड्डे के सभी 'यथानिर्मित' (as-built) रेखाचित्र, जिनमें विद्यमान सुविधाओं, उपयोगिताओं और सेवाओं के विनिर्देश तथा उनके अनुरक्षण अभिलेख सम्मिलित हैं, उपलब्ध कराने के प्रयास करना।

6.2 सी ओ डी से पूर्व अनुरक्षण दायित्व

सी ओ डी से पूर्व, प्राधिकरण अपनी लागत और व्यय पर हवाई अड्डे का अनुरक्षण इस प्रकार करेगा कि उसकी दशा किसी भी समय, बोली की नियत तारीख से 7 (सात) दिन पूर्व की उसकी दशा की तुलना में तात्त्विक रूप से निम्नतर न हो; और सामान्य टूट-फूट से भिन्न किसी तात्त्विक क्षरण या क्षति की दशा में, प्राधिकरण उसकी मरम्मत करेगा, अथवा सी ओ डी के पश्चात् ऐसी मरम्मत किए जाने के लिए स्वतंत्र अभियंता द्वारा अवधारित लागत और व्यय रियायतग्राही को अदा करेगा। प्राधिकरण सी ओ डी से पूर्व केवल नैमित्तिक अनुरक्षण करेगा, और विशेष मरम्मत केवल हवाई अड्डे के सुरक्षित प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए, अथवा अत्यधिक क्षरण की दशा में या बाढ़ या मूसलाधार वर्षा जैसी अप्रत्याशित घटनाओं से कारित क्षति की दशा में करेगा।

6.3 आरक्षित सेवाओं से संबंधित दायित्व

6.3.1 इस अनुबंध , लागू विधियों और लागू अनुज्ञप्तियों के उपबंधों के अधीन रहते हुए और उनके अनुसार, प्राधिकरण नामनिर्दिष्ट भारत सरकार अभिकरण के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं तथा अनुच्छेद 20 के उपबंधों के अनुसार सीएनएस/एटीएम सेवाओं को अभिप्राप्त करने में समर्थन देगा, और हर समय यह सुनिश्चित कराएगा कि वायु यातायात को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए सशक्त नामनिर्दिष्ट भारत सरकार अभिकरण, लागू विधियों, लागू अनुज्ञप्तियों और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार रनवे पर विमानों की आवाजाही को संभव बनाए।

6.3.2 अनुच्छेद 20 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण इस अनुबंध , लागू विधियों और लागू अनुज्ञप्तियों के उपबंधों के अनुसार सभी आरक्षित सेवाओं के निष्पादन के लिए समर्थन प्रदान करेगा।

6.3.3 प्राधिकरण सहमत होता है और वचन देता है कि रियायतग्राही को इस अनुबंध , लागू विधियों और लागू अनुज्ञप्तियों के अंतर्गत अपने दायित्वों का निर्वहन करने में समर्थ बनाने के लिए, प्राधिकरण अपने स्वयं के कृत्यों का निर्वहन दक्षतापूर्वक और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार करेगा।

6.4 विद्यमान संविदाओं के संबंध में दायित्व

6.4.1 प्राधिकरण, प्रारंभन अवधि के दौरान, विद्यमान संविदाओं के अंतर्गत अपने सभी दायित्वों का निष्पादन और अनुपालन करेगा, तथा अपनी लागत और व्यय पर ऐसी संविदाओं और अनुबंधों का रियायतग्राही के पक्ष में नवीयन कराएगा, जो सी ओ डी से प्रभावी होगा और उसके अंतर्गत शेष अवधि तक प्रवृत्त रहेगा। पक्षकार इस खंड 6.4.1 के अंतर्गत परिकल्पित रूप में विद्यमान संविदाओं के नवीयन ("नवीयित संविदाएँ") हेतु आवश्यक दस्तावेज निष्पादित करने पर सहमत होते हैं। रियायतग्राही उसके संबंध में संदेय सभी स्टांप शुल्क वहन करेगा और उनका भुगतान करेगा।

6.4.2 यदि प्राधिकरण पूर्वोक्त के अनुसार किसी विद्यमान संविदा का नवीयन कराने में असमर्थ रहता है ("गैर-नवीयित संविदाएँ"), तो वह सी ओ डी से प्रभावी एक मुख्तारनामा निष्पादित करेगा जिसमें रियायतग्राही को (अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से कार्य करते हुए) अपना मुख्तार और अभिकर्ता नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, जिसे गैर-नवीयित संविदाओं के कार्यक्षेत्र की सीमा तक सभी आशयों और प्रयोजनों के लिए उसकी ओर से कार्य करने की शक्तियाँ होंगी, जिनमें ऐसी किसी गैर-नवीयित संविदा के अंतर्गत प्राधिकरण को समय-समय पर प्रोद्भूत होने वाले सभी लाभों का विनियोजन करने की तथा ऐसी गैर-नवीयित संविदाओं को उनके निबंधनों के अनुसार समाप्त करने की शक्ति सम्मिलित है। रियायतग्राही ऐसे मुख्तारनाम(नामों) के संबंध में संदेय सभी स्टांप शुल्क वहन करेगा और उनका भुगतान करेगा।

6.4.3 सी ओ डी को और उससे, रियायतग्राही अपने जोखिम और लागत पर (i) नवीयित संविदाओं के अंतर्गत अपने सभी दायित्वों का, तथा (ii) गैर-नवीयित संविदाओं के अंतर्गत प्राधिकरण के सभी दायित्वों का इस प्रकार निष्पादन और अनुपालन करेगा मानो रियायतग्राही ऐसी संविदाओं का मूल पक्षकार हो। रियायतग्राही सहमत होता है और वचन देता है कि वह सरकारी क्षतिपूरित व्यक्तियों को किसी भी प्रकार और प्रकृति की ऐसी सभी हानि, क्षति, लागत और व्यय हेतु किन्हीं और सभी वादों, कार्यवाहियों, अभियोगों, माँगों और दावों के विरुद्ध, जो सी ओ डी के पश्चात् किसी नवीयित संविदा या गैर-नवीयित संविदा के अंतर्गत या उसके संबंध में उद्भूत हों, क्षतिपूर्ति करेगा, प्रतिरक्षा करेगा, बचाएगा और क्षतिरहित रखेगा; किंतु इसमें वह हानि, क्षति, लागत और व्यय सम्मिलित नहीं है जो सी ओ डी के पश्चात् उद्भूत हो किंतु सी ओ डी से पूर्व प्राधिकरण के किसी कार्य या लोप से संबंधित हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि जब तक ऐसे अनुबंधों के निबंधनों के अनुसार उन्हें पहले समाप्त न किया जाए, नवीयित संविदाएँ और गैर-नवीयित संविदाएँ अपनी समाप्ति तक अस्तित्व में रहेंगी। ऐसी समाप्ति या अवसान के अनुसरण में, रियायतग्राही अपने विवेकानुसार, संबंधित नवीयित संविदा और/अथवा गैर-नवीयित संविदा की विषय-वस्तु के संबंध में किसी तृतीय पक्षकार के साथ ऐसे निबंधनों और शर्तों पर कोई संविदा कर सकता है, जैसी वह उचित समझे।

6.4.4 प्राधिकरण यह प्रयास करेगा कि वह (i) ऐसी किसी विद्यमान संविदा का नवीकरण न करे जो सी ओ डी के 6 (छह) माह के भीतर समाप्त होने वाली है अथवा प्रारंभन अवधि के दौरान समाप्त हो गई है; और/अथवा (ii) रियायतग्राही की पूर्व लिखित सम्मति के बिना, जो अयुक्तियुक्त रूप से रोकी या विलंबित नहीं की जाएगी, तृतीय पक्षकारों के साथ कोई नई संविदा न करे; सिवाय उन मामलों के जहाँ हवाई अड्डे के सुरक्षित, सुचारु और अबाधित कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए किसी विद्यमान संविदा का नवीकरण और/अथवा किसी नई संविदा का निष्पादन आवश्यक हो। परंतु यह कि जहाँ कोई नई संविदा किए जाने का

प्रस्ताव हो, जिसके लिए पूर्वोक्त के अनुसरण में रियायतग्राही की पूर्व लिखित सम्मति अपेक्षित नहीं है, वहाँ ऐसी नई संविदा केवल किसी ऐसी विद्यमान संविदा के स्थान पर होगी जो प्रारंभन अवधि के दौरान समाप्त हो गई है या समाप्त कर दी गई है, और ऐसी नई संविदा, निष्पादन पर, विद्यमान संविदा समझी जाएगी। परंतु यह भी कि जहाँ किसी विद्यमान संविदा का नवीकरण अपेक्षित हो और/अथवा कोई नई संविदा किए जाने का प्रस्ताव हो, जिसके लिए इस उप-खंड के उपबंधों के अनुसरण में रियायतग्राही की पूर्व लिखित सम्मति अपेक्षित नहीं है, वहाँ प्राधिकरण यह सुनिश्चित कराएगा कि: (i) ऐसी नवीकृत विद्यमान संविदा और/अथवा नई संविदा की अवधि 365 (तीन सौ पैंसठ) दिनों से अधिक न हो; तथा (ii) विद्यमान संविदा के नवीकरण और/अथवा नई संविदा के निष्पादन से पूर्व, प्राधिकरण रियायतग्राही से परामर्श करेगा और उसकी टिप्पणियों पर विचार करेगा, जिस प्रयोजनार्थ प्राधिकरण निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए रियायतग्राही को 15 (पंद्रह) कार्य दिवस प्रदान करेगा:

(क) नई या विद्यमान संविदा के प्रस्तावित प्रारूप की समीक्षा;

(ख) प्राधिकरण से स्पष्टीकरण माँगना; तथा

(ग) प्राधिकरण द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों को, अन्य बातों के साथ-साथ, ध्यान में रखते हुए रियायतग्राही की अंतिम टिप्पणियों का प्रस्तुतीकरण।

6.4.5 प्रगतिरत कार्य

इस खंड 6.4 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, रियायतग्राही प्राधिकरण को ऐसी राशियाँ अदा करने का दायी होगा जो अनुसूची T में उपवर्णित प्रगतिरत कार्यों से संबंधित संविदाओं के संबंध में सी ओ डी को प्राधिकरण द्वारा उपगत की गई हों। ऐसी राशियाँ प्राधिकरण द्वारा समर्थक दस्तावेजों और ब्यौरों सहित सी ओ डी के 30 (तीस) दिनों के भीतर सूचित की जाएँगी और उस पर 90 (नब्बे) दिनों की अवधि के भीतर रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को देय और संदेय होंगी।

पक्षकार एक समिति गठित करेंगे जिसमें रियायतग्राही, प्राधिकरण तथा ऐसी संविदाओं के अंतर्गत प्रत्येक प्रतिपक्षकार के प्रतिनिधि होंगे, और यह समिति निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी: (क) AAI, रियायतग्राही तथा ऐसी संविदाओं के अंतर्गत प्रतिपक्षकारों के बीच किसी चर्चा और/अथवा अंतःक्रिया को सुकर बनाना, जिसमें कार्यों में किन्हीं रूपांतरणों के संबंध में भी सम्मिलित है; तथा (ख) ऐसे प्रगतिरत कार्यों की प्रगति का समन्वय, सुकरीकरण और निगरानी करना। सी ओ डी के पश्चात् ऐसी प्रगतिरत आस्तियों की पूर्णता हेतु कोई अतिरिक्त लागत उपगत करने के लिए रियायतग्राही उत्तरदायी होगा।

उपर्युक्त के अनुसार, ऐसी प्रगतिरत आस्तियों के लिए सी ओ डी को प्राधिकरण द्वारा उपगत राशियों की रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को प्रतिपूर्ति किए जाने तथा रियायतग्राही द्वारा ऐसे प्रगतिरत कार्यों को पूरा किए जाने पर, ऐसी प्रगतिरत आस्तियाँ हवाई अड्डे का भाग बनेंगी।

रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को प्रतिपूरित राशियाँ तथा ऐसी प्रगतिरत आस्तियों की पूर्णता के लिए रियायतग्राही द्वारा उपगत अतिरिक्त राशियाँ, विनियामक द्वारा वैमानिकी प्रभारों के अवधारण के प्रयोजनार्थ, ऐसी आस्तियों के सृजन में रियायतग्राही द्वारा किए गए निवेश मानी जाएँगी। यदि इस खंड 6.4.5 के अनुसरण में रियायतग्राही द्वारा

प्राधिकरण को प्रतिपूरित राशियों का कोई भाग, प्राधिकरण की ओर से किसी कार्य या लोप के कारण विनियामक द्वारा पास-थू के लिए नहीं माना जाता है, तो रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को प्रतिपूरित राशियों और विनियामक द्वारा पास-थू के लिए मानी गई राशियों के बीच किन्हीं अंतरों का समायोजन, विनियामक द्वारा वैमानिकी प्रभारों के अवधारण के तुरंत पश्चात् खंड 31.4 के अनुसार देय और संदेय होने वाले संतुलनकारी भुगतान के भाग के रूप में किया जाएगा।

6.5 प्राधिकरण के कर्मचारी

6.5.1 इस खंड 6.5 के प्रयोजनार्थ:

- (i) "चयनित कर्मचारी" से अभिप्रेत होंगे प्राधिकरण के वे कर्मचारी जो अनुसूची एस में उपवर्णित हैं (सहायक महाप्रबंधक तथा उससे नीचे के पद के), जो प्राधिकरण द्वारा हवाई अड्डे पर पदस्थापित हैं और जो संयुक्त प्रबंधन अवधि तथा मानित प्रतिनियुक्ति अवधि की कालावधि तक हवाई अड्डे पर तैनात रहेंगे।

चयनित कर्मचारियों की संख्या उन कर्मचारियों की सीमा तक कम हो जाएगी जो संयुक्त प्रबंधन अवधि या मानित प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान सेवानिवृत्त होते हैं, मृत होते हैं अथवा अन्यथा प्राधिकरण की सेवाओं से पृथक् होते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि चयनित कर्मचारियों की संख्या उन कर्मचारियों की सीमा तक कम नहीं की जाएगी जिनका स्थानांतरण ए ए आई द्वारा किया जाता है।

- (ii) "संयुक्त प्रबंधन अवधि" से अभिप्रेत होगी वह अवधि जो सी ओ डी से प्रारंभ होकर सी ओ डी के 1 (एक) कैलेंडर वर्ष पश्चात् की तारीख को समाप्त होती है।

- (iii) "मानित प्रतिनियुक्ति अवधि" से अभिप्रेत होगी वह अवधि जो संयुक्त प्रबंधन अवधि की समाप्ति से प्रारंभ होकर उससे 2 (दो) कैलेंडर वर्ष पश्चात् की तारीख को समाप्त होती है।

6.5.2 चयनित कर्मचारियों के अपवाद के साथ, रियायतग्राही का हवाई अड्डे के संबंध में सेवारत प्राधिकरण के विद्यमान कर्मचारियों के संबंध में कोई दायित्व नहीं होगा।

6.5.3 उप महाप्रबंधक और उससे ऊपर के पद के प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधन स्टाफ ("वरिष्ठ कार्मिक") सी ओ डी से 3 (तीन) माह से अनधिक अवधि के लिए हवाई अड्डे पर प्रतिनियुक्त रहेंगे।

- (i) ऐसी 3 (तीन) माह की अवधि की समाप्ति पर, वरिष्ठ कार्मिकों को हवाई अड्डे से बाहर स्थानांतरित किया जाएगा और प्राधिकरण द्वारा पुनः तैनात किया जाएगा।
- (ii) यह स्पष्ट किया जाता है कि रियायतग्राही वरिष्ठ कार्मिकों के संबंध में कोई लागत वहन करने का दायी नहीं होगा, और ऐसी लागतें पूर्णतः प्राधिकरण द्वारा वहन की जाएँगी।

6.5.4 रियायतग्राही संयुक्त प्रबंधन अवधि और मानित प्रतिनियुक्ति अवधि के लिए चयनित कर्मचारी लागत वहन करेगा।

6.5.5 खंड 6.5.4 के अधीन रहते हुए, रियायतग्राही प्राधिकरण को मासिक आधार पर ऐसी राशियाँ अदा करेगा जो प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही पर, चयनित कर्मचारियों को प्राधिकरण द्वारा संदेय परिलब्धियों के संबंध में उठाए गए बीजक में दर्शाई जाएँ ("चयनित कर्मचारी लागत")।

- (i) रियायतग्राही, चयनित कर्मचारी लागत का भुगतान उस तारीख से, जिस दिन बीजक उठाया जाता है, 7 (सात) दिनों को या उससे पूर्व करेगा।
- (ii) रियायतग्राही द्वारा ऐसा भुगतान किए जाने पर, रियायतग्राही को प्राधिकरण द्वारा चयनित कर्मचारियों को परिलब्धियों के भुगतान न किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।
- (iii) रियायतग्राही की ओर से चयनित कर्मचारी लागत के भुगतान में विलंब की दशा में, रियायतग्राही विलंब की अवधि के लिए बैंक दर से 2% (दो प्रतिशत) अधिक दर पर परिकलित ब्याज प्राधिकरण को अदा करने का दायी होगा।
- (iv) चयनित कर्मचारी लागत समय-समय पर संबंधित सेवा नियमों के अनुसार कॉस्ट-टू-कंपनी आधार पर अवधारित की जाएगी और उसमें, जैसा लागू हो, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की ओर लागतें सम्मिलित होंगी।
- (v) यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खंड 6.5.5 के अंतर्गत रियायतग्राही की देयता स्वीकार करने वाले कर्मचारियों की सीमा तक कम हो जाएगी।

6.5.6 संयुक्त प्रबंधन अवधि के दौरान किसी भी समय, किंतु सीओडी से 90 (नब्बे) दिनों से अनधिक, रियायतग्राही न्यूनतम 60% (साठ प्रतिशत) चयनित कर्मचारियों को नियोजन प्रस्ताव ("नियोजन प्रस्ताव") देगा।

- (i) यह स्पष्ट किया जाता है कि खंड 6.5.1 में उपवर्णित रीति से चयनित कर्मचारियों की संख्या में कमी होने की दशा में, जिन चयनित कर्मचारियों को नियोजन प्रस्ताव दिए जाने अपेक्षित हैं उनकी न्यूनतम संख्या तदनुसार कम हो जाएगी, और उसके किसी भिन्न को निकटतम पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित किया जाएगा।
- (ii) नियोजन प्रस्तावों के निबंधन और शर्तें, वेतन, पद इत्यादि की दृष्टि से, वार्षिक कॉस्ट-टू-कंपनी आधार पर चयनित कर्मचारियों के वर्तमान नियोजन निबंधनों के समान होंगी।

6.5.7 नियोजन प्रस्ताव के प्राप्तकर्ता, नियोजन प्रस्ताव किए जाने के 1 (एक) माह के भीतर उसे स्वीकार या अस्वीकार करेंगे।

- (i) ऐसे चयनित कर्मचारी, नियोजन प्रस्ताव स्वीकार करने पर ("स्वीकार करने वाले कर्मचारी"), प्राधिकरण के नियोजन से त्यागपत्र देंगे और प्राधिकरण के कर्मचारी नहीं रहेंगे।
- (ii) रियायतग्राही, रियायतग्राही और स्वीकार करने वाले कर्मचारियों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत निबंधनों और शर्तों पर, स्वीकार करने वाले कर्मचारियों का नया नियोजक होगा।

6.5.8 उस तारीख से, जिस दिन पहला नियोजन प्रस्ताव किया जाता है, 15 (पंद्रह) माह की समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय, किंतु सीओडी से 2 (दो) वर्ष की समाप्ति से पूर्व, रियायतग्राही और नियोजन प्रस्ताव करने का हकदार होगा। खंड 6.5.7 के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, ऐसे नियोजन प्रस्तावों पर लागू होंगे।

6.5.9 मानित प्रतिनियुक्ति अवधि के अंत में, वे सभी चयनित कर्मचारी जो प्राधिकरण के साथ नियोजन जारी रखने का विकल्प चुनते हैं अथवा जिन्हें नियोजन प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं, प्राधिकरण के साथ अपना नियोजन जारी रखेंगे और उन्हें हवाई अड्डे से बाहर स्थानांतरित कर प्राधिकरण द्वारा पुनः तैनात किया जाएगा।

6.5.10 यदि मानित प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति पर, स्वीकार करने वाले कर्मचारियों की संख्या चयनित कर्मचारियों के 60% (साठ) प्रतिशत से कम है ("अतिरिक्त कर्मचारी"), तो रियायतग्राही, मानित प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति से प्रारंभ करते हुए, प्राधिकरण को मासिक आधार पर ऐसी राशियाँ अदा करेगा जो प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही पर, ऐसे अतिरिक्त कर्मचारियों के संबंध में प्राधिकरण द्वारा संदेय परिलब्धियों के संबंध में उठाए गए बीजक में दर्शाई जाएँ ("अतिरिक्त कर्मचारी लागत")।

- (i) वे चयनित कर्मचारी जिनके संबंध में अतिरिक्त कर्मचारी लागत संदेय है, पक्षकारों द्वारा मानित प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति से 3 (तीन) माह से अनधिक पूर्व पारस्परिक रूप से चिह्नित किए जाएँगे।
- (ii) अतिरिक्त कर्मचारी लागत, वैमानिकी प्रभागों के अवधारण में पास-थ्रू के लिए मानी जाएगी।
- (iii) उप-खंड 6.5.5 (i), 6.5.5 (ii), 6.5.5 (iii) और 6.5.5(iv) के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, अतिरिक्त कर्मचारी लागत के भुगतान पर लागू होंगे।
- (iv) अतिरिक्त कर्मचारी लागत, अतिरिक्त कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति अथवा प्राधिकरण की सेवाओं से अन्य पृथक्करण, जो भी पहले हो, तक संदेय होगी।

अनुच्छेद 7. अभ्यावेदन और वारंटियाँ

7.1 रियायतग्राही के अभ्यावेदन और वारंटियाँ

रियायतग्राही प्राधिकरण के समक्ष यह अभ्यावेदन और वारंटी देता है कि:

- (क) वह भारत की विधियों के अंतर्गत विधिवत् संगठित और विधिमान्य रूप से अस्तित्व में है, तथा उसे इस अनुबंध को निष्पादित करने और इसके अंतर्गत अपने दायित्वों का निष्पादन करने एवं एतद्वारा परिकल्पित संव्यवहारों को कार्यान्वित करने की पूर्ण शक्ति और प्राधिकार प्राप्त है;
- (ख) उसने इस अनुबंध के निष्पादन और परिदान को प्राधिकृत करने तथा इस अनुबंध के अंतर्गत अपने अधिकारों का विधिमान्य रूप से प्रयोग करने और अपने दायित्वों का निष्पादन करने के लिए, लागू विधियों के अंतर्गत सभी आवश्यक कॉर्पोरेट और अन्य कार्रवाइयाँ कर ली हैं;
- (ग) चयनित बोलीदाता (जिसमें उसके सदस्य, यदि कोई हों, सम्मिलित हैं) के पास सीओडी को इस अनुबंध के निबंधनों के अनुसार परियोजना करने के लिए वित्तीय स्थिति और क्षमता है, जिसमें वित्तीय क्षमता और तकनीकी क्षमता सम्मिलित है किंतु वह उन्हीं तक सीमित नहीं है, तथा सीओडी से 5 (पाँच) वर्ष की समाप्ति तक ऐसी वित्तीय स्थिति और क्षमता बनी रहेगी;
- (घ) यह अनुबंध उसका विधिक, विधिमान्य और आबद्धकर दायित्व गठित करता है, जो इसके निबंधनों के अनुसार उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय है, तथा इस अनुबंध के अंतर्गत उसके दायित्व, इसके निबंधनों के अनुसार उसके विरुद्ध विधिक रूप से विधिमान्य, आबद्धकर और प्रवर्तनीय दायित्व होंगे;
- (ङ.) वह भारत की विधियों के अधीन है, और एतद्वारा अभिव्यक्त एवं अप्रतिसंहरणीय रूप से इस अनुबंध अथवा इसके अंतर्गत उद्भूत विषयों के संबंध में किसी भी अधिकारिता में किसी उन्मुक्ति का परित्याग करता है, जिसमें इसके अंतर्गत कोई दायित्व, देयता या उत्तरदायित्व अथवा अधिकारिता का प्रश्न सम्मिलित है;
- (च) चयनित बोलीदाता द्वारा बोली में दी गई तथा इस अनुबंध की तारीख को या उससे पूर्व अद्यतन की गई सूचना, इस अनुबंध की तारीख को सभी दृष्टियों से सत्य और सही है;
- (छ) इस अनुबंध का निष्पादन, परिदान और निष्पादन न तो उसके संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेदों अथवा चयनित बोलीदाता के किसी सदस्य के उनके किसी निबंधन से, अथवा किसी लागू विधि या किसी प्रसंविदा, संविदा, अनुबंध, व्यवस्था, समझौते, डिक्री या आदेश से, जिसका वह पक्षकार है या जिससे वह या उसकी कोई संपत्ति या आस्ति आबद्ध या प्रभावित है, विरोध में होगा, न ही उनका उल्लंघन करेगा, न उनके अंतर्गत व्यतिक्रम गठित करेगा और न ही अपेक्षित निष्पादन को त्वरित करेगा;
- (ज) उसके विरुद्ध विधि में या साम्या में किसी न्यायालय के समक्ष अथवा किसी अन्य न्यायिक, अर्ध-न्यायिक या अन्य प्राधिकारी के समक्ष कोई ऐसी कार्रवाइयाँ, वाद, कार्यवाहियाँ या अन्वेषण लंबित नहीं हैं अथवा उसकी जानकारी में धमकाए नहीं गए हैं, जिनका परिणाम इस अनुबंध का उल्लंघन हो सकता हो

अथवा जो पृथक् रूप से या समुच्चय में इस अनुबंध के अंतर्गत अपने किन्हीं दायित्वों के निष्पादन की उसकी क्षमता में कोई तात्त्विक अपकर्ष कारित कर सकते हों;

- (झ) उसे किसी न्यायालय या सरकारी अभिकरण के किसी आदेश, रिट, व्यादेश या डिक्री के संबंध में ऐसे किसी उल्लंघन या व्यतिक्रम की जानकारी नहीं है जिसका परिणाम इस अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों के निष्पादन की उसकी क्षमता पर कोई तात्त्विक प्रतिकूल प्रभाव हो सकता हो, और कोई ऐसा तथ्य या परिस्थिति विद्यमान नहीं है जिससे ऐसी कार्यवाहियाँ उत्पन्न हो सकती हों जिनका परिणाम इस अनुबंध के अंतर्गत उसके दायित्वों के निष्पादन में तात्त्विक प्रतिकूल प्रभाव हो;
- (ट) न तो उसे और न ही चयनित बोलीदाता को (जिसमें उसके सदस्य, यदि कोई हों, सम्मिलित हैं) तथा संबंधित सहयोगियों को किसी विधि न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है अथवा अभियोजित किया गया है, और न ही किसी विनियामक प्राधिकारी द्वारा ऐसे प्रतिकूल आदेश पारित किए गए हैं जो परियोजना को करने की उसकी क्षमता पर संदेह उत्पन्न कर सकें अथवा जो ऐसे गंभीर अपराध से संबंधित हों जो समुदाय की नैतिक भावना को आहत करता हो;
- (ठ) न तो उसके विरुद्ध और न ही चयनित बोलीदाता (जिसमें उसके सदस्य, यदि कोई हों, सम्मिलित हैं) तथा संबंधित सहयोगियों के विरुद्ध, भारत की सुरक्षा और अखंडता से संबंधित विषयों के संबंध में किसी सरकारी अभिकरण द्वारा आरोप-पत्र दाखिल किया गया है अथवा किसी विधि न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि की गई है;
- (ड) न तो उसके विरुद्ध और न ही चयनित बोलीदाता (जिसमें उसके सदस्य, यदि कोई हों, सम्मिलित हैं) तथा संबंधित सहयोगियों के विरुद्ध, अथवा उनके संबंधित मुख्य कार्यपालक अधिकारी या किन्हीं निदेशकों, प्रबंधकों या कर्मचारियों के विरुद्ध किसी विनियामक प्राधिकारी द्वारा कोई अन्वेषण लंबित है;
- (ढ) उसने सभी तात्त्विक दृष्टियों से लागू विधियों का अनुपालन किया है और वह ऐसे किन्हीं जुर्मानों, शास्तियों, व्यादेशात्मक अनुतोष अथवा किसी अन्य सिविल या दांडिक देयता के अधीन नहीं रहा है जिनका समुच्चय में इस अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों के निष्पादन की उसकी क्षमता पर तात्त्विक प्रतिकूल प्रभाव हो या हो सकता हो;
- (ण) वह खंड 5.3 के उपबंधों के अनुसार के सिवाय, किसी भी समय स्वामित्व में कोई परिवर्तन न तो करेगा और न ही उसकी अनुज्ञा देगा;
- (त) चयनित बोलीदाता और उसके सहयोगियों (जिनमें उसके सदस्य, यदि कोई हों, सम्मिलित हैं) के पास अपेक्षित इक्विटी का वित्तपोषण करने तथा इस अनुबंध के अनुसार परियोजना को करने और कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक ऋण जुटाने हेतु वित्तीय स्थिति और संसाधन हैं;
- (थ) चयनित बोलीदाता (जिसमें उसके सदस्य, यदि कोई हों, सम्मिलित हैं) अपने निगमन या पंजीकरण की अधिकारिता की विधियों के अंतर्गत विधिवत् संगठित और विधिमान्य रूप से अस्तित्व में है, तथा उसने प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि वह आशय-पत्र के अनुसरण में रियायतग्राही के साथ यह अनुबंध करे, और उसने इस अनुबंध में उपवर्णित निबंधनों और शर्तों को स्वीकार तथा बिना शर्त अंगीकार किया है;

- (द) हवाई अड्डे में उसके सभी अधिकार और हित, अंतरण तिथि को लागू विधियों और लागू अनुज्ञप्तियों के अनुसार, सभी धारणाधिकारों, दावों और विल्लंगमों से मुक्त एवं विमुक्त होकर, उसकी या प्राधिकरण की ओर से किसी और कार्य या कृत्य के बिना प्राधिकरण को अंतरित और उसमें निहित हो जाएँगे, तथा उसके द्वारा कोई भी परियोजना आस्ति किसी ऐसे अनुबंध के अधीन अर्जित नहीं की जाएगी जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा कोई प्रतिभूति हित या अन्य धारणाधिकार या विल्लंगम प्रतिधारित किया जाता हो, सिवाय इस अनुबंध में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित के;
- (ध) उसके द्वारा इसमें अंतर्विष्ट अथवा लागू अनुज्ञप्तियों के संबंध में उसके द्वारा प्राधिकरण को या किसी सरकारी अभिकरण को दिए गए किसी अन्य दस्तावेज में अंतर्विष्ट कोई भी अभ्यावेदन या वारंटी, तात्त्विक तथ्य का कोई असत्य या भ्रामक कथन न तो अंतर्विष्ट करती है और न ही करेगी, और न ही ऐसे किसी तात्त्विक तथ्य का कथन करने का लोप करती है या करेगी जो ऐसे अभ्यावेदन या वारंटी को अभ्रामक बनाने के लिए आवश्यक हो;
- (न) रियायत प्राप्त करने अथवा इस अनुबंध को करने के लिए, अथवा इसके संबंध में या बोली प्रक्रिया के दौरान प्राधिकरण या किसी सरकारी अभिकरण के किसी अधिकारी या कर्मचारी को प्रभावित करने या प्रभावित करने का प्रयास करने के लिए, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को फीस, कमीशन या अन्यथा के रूप में कोई राशि, नकद या वस्तु रूप में, न तो अदा की गई है और न ही अदा की जाएगी;
- प) चयनित बोलीदाता द्वारा प्रस्ताव हेतु अनुरोध के प्रत्युत्तर में अथवा अन्यथा दी गई समस्त सूचना, उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, सभी तात्त्विक दृष्टियों से सत्य और सही है; तथा
- (फ) प्रस्ताव हेतु अनुरोध से अथवा अन्यथा उद्भूत रियायतग्राही के सभी वचनबंध और दायित्व रियायतग्राही पर इस प्रकार आबद्धकर होंगे मानो वे इस अनुबंध का भाग हों।

7.2 प्राधिकरण के अभ्यावेदन और वारंटियाँ

प्राधिकरण रियायतग्राही के समक्ष यह अभ्यावेदन और वारंटी देता है कि:

- (क) उसे भारत सरकार तथा अन्य लागू अनुज्ञप्तियों के अनुसरण में इस अनुबंध को निष्पादित करने, परिदत्त करने और इसके अंतर्गत अपने दायित्वों का निष्पादन करने, एतद्वारा परिकल्पित संव्यवहारों को कार्यान्वित करने की पूर्ण शक्ति और प्राधिकार प्राप्त है, तथा उसने इस अनुबंध को निष्पादित करने, अपने अधिकारों का प्रयोग करने और इस अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों का निष्पादन करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाइयाँ कर ली हैं;
- (ख) उसने इस अनुबंध के निष्पादन, परिदान और निष्पादन को प्राधिकृत करने के लिए लागू विधियों के अंतर्गत सभी आवश्यक कार्रवाइयाँ कर ली हैं;
- (ग) उसके पास इस अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों का निष्पादन करने के लिए वित्तीय स्थिति और क्षमता है;

- (घ) यह अनुबंध एक विधिक, विधिमान्य और आबद्धकर दायित्व गठित करता है जो इसके निबंधनों के अनुसार उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय है;
- (ङ.) उसे किसी आदेश, रिट, व्यादेश अथवा किसी न्यायालय की किसी डिक्री या किसी सरकारी अभिकरण के किसी विधिक रूप से आबद्धकर आदेश के संबंध में ऐसे किसी उल्लंघन या व्यतिक्रम की जानकारी नहीं है जिसका परिणाम इस अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों के निष्पादन की प्राधिकरण की क्षमता पर कोई तात्त्विक प्रतिकूल प्रभाव हो सकता हो;
- (च) उसने सभी तात्त्विक दृष्टियों से लागू विधियों का अनुपालन किया है; तथा
- (छ) उसे रियायतग्राही को स्थल के संबंध में पट्टा प्रदान करने की शक्ति और प्राधिकार प्राप्त है।

7.3 प्रकटीकरण

यदि किसी पक्षकार के ध्यान में कोई ऐसी घटना या परिस्थिति आती है जिससे उसके उपर्युक्त अभ्यावेदनों या वारंटियों में से कोई असत्य या अशुद्ध हो जाती है, तो ऐसा पक्षकार तत्काल दूसरे पक्षकार को उसकी सूचना देगा। ऐसी सूचना का यह प्रभाव नहीं होगा कि वह उस अभ्यावेदन या वारंटी के किसी उल्लंघन का, जो असत्य या अशुद्ध पाया गया है, उपचार कर दे, और न ही वह किसी पक्षकार के किसी अधिकार, उपचार या दायित्व को इस अनुबंध के अंतर्गत प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी या उसका परित्याग करेगी।

अनुच्छेद 8. अस्वीकरण

8.1 अस्वीकरण

8.1.1 रियायतग्राही अपनी ओर से तथा चयनित बोलीदाता की ओर से अभिस्वीकार करता है कि इस अनुबंध के निष्पादन से पूर्व, चयनित बोलीदाता और रियायतग्राही ने, पूर्ण और सावधानीपूर्वक परीक्षण के पश्चात्, प्रस्ताव हेतु अनुरोध, परियोजना के कार्यक्षेत्र, विनिर्देशों एवं मानकों, स्थल, इस अनुबंध के अंतर्गत अपने अधिकारों को प्रभावी करने के लिए लागू अनुज्ञप्तियों की अपेक्षाओं, विद्यमान संरचनाओं, स्थानीय दशाओं, भूमि, अवभूमि और भूविज्ञान के भौतिक गुणों, यातायात परिमाणों तथा प्राधिकरण द्वारा दी गई या अन्यथा अभिप्राप्त, उपार्जित या संगृहीत समस्त सूचना का स्वतंत्र मूल्यांकन किया है, और अपनी संतुष्टि तक उसकी शुद्धता या अन्यथा तथा उन कठिनाइयों, जोखिमों और संकटों की प्रकृति और विस्तार का अवधारण कर लिया है, जो इसके अंतर्गत अपने दायित्वों के निष्पादन के अनुक्रम में उत्पन्न हो सकते हैं या जिनका उसे सामना करना पड़ सकता है। प्राधिकरण, इसमें अथवा लागू विधियों के अंतर्गत अपने द्वारा दिए गए किसी निर्धारण, अवधारणा, कथन या सूचना की शुद्धता, पर्याप्तता, सटीकता, विश्वसनीयता और/अथवा पूर्णता के संबंध में कोई भी अभ्यावेदन, चाहे अभिव्यक्त, विवक्षित या अन्यथा, नहीं करता है; और रियायतग्राही अपनी ओर से तथा चयनित बोलीदाता की ओर से पुष्टि करता है कि उसका इस संबंध में प्राधिकरण के विरुद्ध कोई भी दावा नहीं होगा।

8.1.2 रियायतग्राही अभिस्वीकार करता है और एतद्वारा अपनी ओर से तथा चयनित बोलीदाता की ओर से, उपर्युक्त खंड 8.1.1 में उपवर्णित किसी भी विषय में या उससे संबंधित अपर्याप्तता, भूल या त्रुटि का जोखिम स्वीकार करता है, और एतद्वारा अभिस्वीकार करता है और सहमत होता है कि प्राधिकरण उसके लिए रियायतग्राही, चयनित बोलीदाता और उसके सहयोगियों अथवा उनमें से किसी के माध्यम से या उसके अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति के प्रति किसी भी रीति से दायी नहीं होगा।

8.1.3 पक्षकार सहमत होते हैं कि उपर्युक्त खंड 8.1.1 में उपवर्णित किसी भी विषय में या उससे संबंधित कोई भूल या त्रुटि, इस अनुबंध को दूषित नहीं करेगी और न ही इसे शून्यकरणीय बनाएगी।

8.1.4 यदि किसी पक्षकार को उपर्युक्त खंड 8.1.1 में उपवर्णित किसी विषय से संबंधित किसी भूल या त्रुटि की जानकारी होती है, तो वह पक्षकार तत्काल दूसरे पक्षकार को भूल या त्रुटि विनिर्दिष्ट करते हुए सूचित करेगा; परंतु यह कि प्राधिकरण की ओर से इस खंड 8.1.4 के अनुसरण में कोई सूचना देने में विफलता, खंड 8.1.1 में अंतर्विष्ट प्राधिकरण के अस्वीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी और न ही इस अनुबंध के अनुसरण में रियायतग्राही द्वारा ग्रहण किए गए किसी जोखिम को किसी भी रीति से प्राधिकरण पर अंतरित करेगी।

8.1.5 इस अनुबंध में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, परियोजना से संबंधित सभी जोखिम रियायतग्राही द्वारा वहन किए जाएंगे, और प्राधिकरण ऐसे जोखिमों अथवा उनके परिणामों के लिए किसी भी रीति से दायी नहीं होगा।

भाग III

विकास और प्रचालन

अनुच्छेद 9. निष्पादन प्रतिभूति

9.1 निष्पादन प्रतिभूति

9.1.1 रियायतग्राही, इसके अंतर्गत चरण I के दौरान अपने दायित्वों के निष्पादन हेतु, इस अनुबंध की तारीख से 120 (एक सौ बीस) दिनों से अनधिक अवधि में प्राधिकरण को, अनुसूची E में उपवर्णित प्रारूप में किसी बैंक से रु. 80,00,00,000 (रुपये अस्सी करोड़) के बराबर राशि की अप्रतिसंहरणीय और बिना शर्त गारंटी प्रदान करेगा ("निष्पादन प्रतिभूति")। जब तक एतदनुसरण में रियायतग्राही द्वारा निष्पादन प्रतिभूति प्रदान नहीं कर दी जाती और वह प्रभावी नहीं हो जाती, तब तक बोली प्रतिभूति प्रवृत्त और प्रभावी रहेगी; और एतदनुसरण में निष्पादन प्रतिभूति प्रदान किए जाने पर, प्राधिकरण बोली प्रतिभूति रियायतग्राही को मुक्त कर देगा।

9.1.2 इस अनुबंध में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यदि रियायतग्राही द्वारा इस अनुबंध की तारीख से 120 (एक सौ बीस) दिनों की अवधि के भीतर निष्पादन प्रतिभूति प्रदान नहीं की जाती है, तो प्राधिकरण बोली प्रतिभूति भुना सकता है और उसके आगम को क्षतियों के रूप में विनियोजित कर सकता है; और तत्पश्चात् इस अनुबंध के अंतर्गत या उससे उद्भूत रियायतग्राही के सभी अधिकार, विशेषाधिकार, दावे और हकदारियाँ रियायतग्राही द्वारा अभित्यक्त और उसकी सहमति से समाप्त हुई समझी जाएँगी, तथा यह अनुबंध पक्षकारों के पारस्परिक अनुबंध द्वारा समाप्त हुआ समझा जाएगा।

9.1.3 चरण-I की पूर्णता के पश्चात्, निष्पादन प्रतिभूति का मूल्य पुनरीक्षित करके उस राशि के बराबर किया जाएगा जो उस रियायत वर्ष में रियायतग्राही द्वारा अदा किए गए वार्षिक रियायत शुल्क के 10% (दस प्रतिशत) के बराबर हो, जो उस रियायत वर्ष से तुरंत पूर्ववर्ती है जिसमें चरण I पूर्णता तिथि पड़ती है। तत्पश्चात्, निष्पादन प्रतिभूति का मूल्य रियायतग्राही द्वारा प्रत्येक 5 (पाँच) रियायत वर्षों में बढ़ाकर उस राशि के बराबर किया जाएगा जो तुरंत पूर्ववर्ती रियायत वर्ष में रियायतग्राही द्वारा अदा किए गए वार्षिक रियायत शुल्क के 10% (दस प्रतिशत) के बराबर हो।

9.2 निष्पादन प्रतिभूति का विनियोजन

रियायतग्राही के व्यतिक्रम के घटित होने अथवा किसी पूर्ववर्ती शर्त को पूरा करने में विफलता पर, प्राधिकरण, इसके अंतर्गत या लागू विधि में अपने अन्य अधिकारों और उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे रियायतग्राही के व्यतिक्रम के लिए और उसके संबंध में अथवा किसी पूर्ववर्ती शर्त को पूरा करने में विफलता के लिए देय राशियाँ निष्पादन प्रतिभूति से भुनाने और विनियोजित करने का हकदार होगा। बोली प्रतिभूति या निष्पादन प्रतिभूति, जैसा लागू हो, से ऐसे भुनाने और विनियोजन पर, रियायतग्राही उसके 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, आंशिक विनियोजन की दशा में उसे उसके मूल स्तर तक पुनः भरेगा, तथा संपूर्ण बोली प्रतिभूति या निष्पादन प्रतिभूति के विनियोजन की दशा में नई निष्पादन प्रतिभूति प्रदान करेगा, ऐसा न करने पर प्राधिकरण अनुच्छेद 35 के अनुसार इस अनुबंध को समाप्त करने का हकदार होगा। ऐसी पुनःपूर्ति अथवा नई निष्पादन प्रतिभूति दिए जाने पर, रियायतग्राही, रियायतग्राही के व्यतिक्रम का उपचार करने अथवा किसी पूर्ववर्ती शर्त को संतुष्ट करने के लिए 60 (साठ) दिनों की अतिरिक्त

उपचार अवधि का हकदार होगा; और यदि रियायतग्राही ऐसी उपचार अवधि के भीतर अपने व्यतिक्रम का उपचार नहीं करता या ऐसी पूर्ववर्ती शर्त को पूरा नहीं करता, तो प्राधिकरण ऐसी निष्पादन प्रतिभूति को क्षतियों के रूप में भुनाने और विनियोजित करने तथा अनुच्छेद 35 के अनुसार इस अनुबंध को समाप्त करने का हकदार होगा।

9.3 निष्पादन प्रतिभूति की मुक्ति

निष्पादन प्रतिभूति रियायत अवधि के अंत तक प्रवृत्त और प्रभावी रहेगी तथा ऐसी समाप्ति के 3 (तीन) माह पश्चात् मुक्त की जाएगी; परंतु यह कि यदि रियायतग्राही इस अनुबंध के उपबंधों के उल्लंघन में है तो निष्पादन प्रतिभूति मुक्त नहीं की जाएगी। रियायतग्राही द्वारा, इस खंड 9.3 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं की संतुष्टि स्थापित करने वाले विवरणों सहित निष्पादन प्रतिभूति की मुक्ति हेतु अनुरोध किए जाने पर, प्राधिकरण निष्पादन प्रतिभूति तत्काल मुक्त कर देगा।

9.4 मानित निष्पादन प्रतिभूति

पक्षकार अभिव्यक्त रूप से सहमत होते हैं कि प्रत्येक चरण के संबंध में, संबंधित चरण के निर्माण कार्यों की लागत (जैसा रियायतग्राही द्वारा अवधारित हो) के 2% (दो प्रतिशत) के समतुल्य राशि की एक अतिरिक्त निष्पादन प्रतिभूति, इस खंड 9.4 के अंतर्गत सृजित हुई समझी जाएगी ("मानित निष्पादन प्रतिभूति")। मानित निष्पादन प्रतिभूति बिना शर्त और अप्रतिसंहरणीय होगी, और खंड 29.3 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, वह एस्क्रो खाते में समतुल्य अतिशेष पर तथा रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को देय और संदेय सभी राशियों पर प्रथम और अनन्य प्रभार गठित करेगी; और प्राधिकरण, एस्क्रो खाते से आहरण द्वारा अथवा खंड 9.5 के उपबंधों के अनुसार रियायतग्राही द्वारा उसे देय और संदेय राशियों में से कटौती करके मानित निष्पादन प्रतिभूति को प्रवर्तित करने का हकदार होगा। पक्षकार सहमत होते हैं कि किसी संभावित क्षति के, जो किसी पश्चात्कर्ती तारीख को देय हो सकती है, भुगतान को प्रतिभूत करने के लिए एस्क्रो खाते में कोई राशि चिह्नित, अवरुद्ध या रोकी नहीं जाएगी, और केवल वही राशियाँ इसके अंतर्गत विनियोजन के लिए दायी होंगी जो रियायतग्राही के व्यतिक्रम के घटित होने पर रियायतग्राही द्वारा देय और संदेय हो गई हैं। मानित निष्पादन प्रतिभूति, संबंधित चरण के लिए पूर्णता प्रमाणपत्र जारी होने पर मुक्त हो जाएगी।

9.5 मानित निष्पादन प्रतिभूति का विनियोजन

रियायतग्राही के व्यतिक्रम के घटित होने पर, प्राधिकरण, इसके अंतर्गत या विधि में अपने अन्य अधिकारों और उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संबंधित चरण में निर्माण कार्यों के संबंध में रियायतग्राही के किसी व्यतिक्रम के लिए क्षतियों के रूप में मानित निष्पादन प्रतिभूति से संबंधित राशियाँ विनियोजित करने का हकदार होगा। पक्षकार अभिव्यक्त रूप से सहमत होते हैं कि मानित निष्पादन प्रतिभूति के पूर्णतः या भागतः विनियोजित होने पर, वह ऐसे विनियोजन की सीमा तक पुनः भर दी गई समझी जाएगी, और अतिरिक्त उपचार अवधि के संबंध में खंड 9.2 के उपबंध ऐसी पुनःपूर्ति पर लागू होंगे।

9.6 निष्पादन प्रतिभूति के प्रति निर्देश

इस अनुबंध में निष्पादन प्रतिभूति के प्रति आने वाले निर्देश, रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को निष्पादन प्रतिभूति के परिदान से पूर्व की किसी अवधि के लिए और उसके संबंध में, अथवा उसकी समाप्ति या मुक्ति के पश्चात्कर्ती किसी

अवधि के संबंध में, जैसी भी स्थिति हो, केवल रियायतग्राही द्वारा संदेय क्षतियों की राशि के परिकलन के प्रयोजनार्थ अर्थान्वित किए जाएँगे, और इस प्रकार अवधारित राशि बोली प्रतिभूति या मानित निष्पादन प्रतिभूति से, जैसी भी स्थिति हो अथवा जैसी ऐसी तारीख को उपलब्ध हो, विनियोजित की जा सकेगी।

अनुच्छेद 10. मार्गाधिकार

10.1 स्थल

हवाई अड्डे के स्थल में वह स्थावर संपदा सम्मिलित होगी जो अनुसूची क में वर्णित है और जिसके संबंध में प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को इस अनुबंध के अंतर्गत और उसके अनुसार पट्टे के रूप में मार्गाधिकार प्रदान और अनुदत्त किया जाएगा ("स्थल")। एतद्वारा अभिस्वीकार और सहमत किया जाता है कि स्थल के प्रति निर्देशों का अर्थ, अनुसूची क में उपवर्णित रूप में हवाई अड्डे के लिए अपेक्षित स्थावर संपदा के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा, और इसमें सिटी साइड सम्मिलित होगा।

10.2 पट्टा, पहुँच और मार्गाधिकार

10.2.1 प्राधिकरण एतद्वारा रियायतग्राही को, सुरक्षा निर्बंधनों और इस अनुबंध के अन्य निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, सी ओ डी से पूर्व ऐसे कोई सर्वेक्षण, अन्वेषण और मृदा परीक्षण करने के लिए स्थल तक पहुँच प्रदान करता है जिन्हें रियायतग्राही आवश्यक समझे; यह अभिव्यक्त रूप से सहमत और समझा गया है कि समाप्ति की दशा में या अन्यथा, एतदनुसरण में रियायतग्राही द्वारा स्थल पर या उसके आसपास किए गए सर्वेक्षण, अन्वेषण और परीक्षणों अथवा किए गए कार्य के संबंध में प्राधिकरण की कोई भी देयता नहीं होगी।

10.2.2 मासिक रियायत शुल्क, इस अनुबंध तथा रियायतग्राही की ओर से इसमें अंतर्विष्ट प्रसविदाओं और वारंटियों के प्रतिफल में, प्राधिकरण, इसमें उपवर्णित निर्बंधनों और शर्तों के अनुसार, रियायतग्राही को सी ओ डी से प्रारंभ करते हुए, उस समस्त भूमि (तत्सहित उस पर स्थित कोई भवन, संरचनाएँ या स्थावर आस्तियाँ, यदि कोई हों) के संबंध में, जो स्थल का गठन करती है और जो एतदसंलग्न अनुसूची क में वर्णित, सीमांकित और दर्शाई गई है, किन्हीं विल्लंगमों से मुक्त, स्थल के विकास, प्रचालन और अनुरक्षण हेतु पट्टा अधिकार प्रदान करेगा, तत्सहित उक्त स्थल, पैतृक संपदा या परिसर अथवा उसके किसी भाग से संबंधित या किसी भी प्रकार से उससे संलग्न या उसके साथ उपभुक्त समस्त और प्रत्येक अधिकार, स्वतंत्रताएँ, विशेषाधिकार, सुखाचार और अनुलग्नियाँ, इस अनुबंध के अंतर्गत अनुज्ञात प्रयोजनों के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं, रियायत अवधि के लिए।

10.2.3 रियायतग्राही अभिस्वीकार करता है कि उसने, पूर्ण और सावधानीपूर्वक परीक्षण के पश्चात्, समग्र रूप से स्थल का स्वतंत्र मूल्यांकन किया है और उन कठिनाइयों, उन्नयनों, निवेशों, लागतों, समय, संसाधनों, जोखिमों और संकटों की प्रकृति तथा विस्तार का, जो इस अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों के निष्पादन के अनुक्रम में उत्पन्न होने की संभावना है या जिनका उसे सामना करना पड़ सकता है, तथा अपेक्षित प्रयासों के विस्तार और रीति का अवधारण कर लिया है। रियायतग्राही यह भी अभिस्वीकार करता है कि यदि किसी पश्चात्पूर्व तारीख को यह पाया जाता है कि स्थल किसी भी रीति से त्रुटिपूर्ण है, तो उसे प्राधिकरण के विरुद्ध कोई भी प्रत्याश्रय प्राप्त नहीं होगा। यदि कोई कमी पाई जाती है, तो रियायतग्राही एतद्वारा

अभिस्वीकार करता है और सहमत होता है कि वह अपनी लागत पर और प्राधिकरण पर बिना किसी लागत के, उसका उपचार करने हेतु सभी समुचित उपाय करेगा।

10.2.4 इस अनुबंध के प्रयोजनार्थ, रियायतग्राही ने:

- (क) स्थल और उसके आसपास का निरीक्षण कर लिया है;
- (ख) स्थल की जलवायविक, जलविज्ञानीय और सामान्य भौतिक दशाओं की प्रकृति, भूमि और अवभूमि की प्रकृति, स्थल के स्वरूप और प्रकृति, तथा इस अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए आवश्यक अभिकल्प, कार्य और सामग्रियों की प्रकृति के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर लिया है;
- (ग) हवाई अड्डे पर संचार के साधनों, उस तक पहुँच और आवास के संबंध में, जिनकी उसे आवश्यकता हो सकती है अथवा जो इस अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए अन्यथा आवश्यक हो सकते हैं, स्वयं को संतुष्ट कर लिया है;
- (घ) उन जोखिमों, समाश्रितताओं और अन्य सभी परिस्थितियों के संबंध में स्वयं समस्त आवश्यक सूचना प्राप्त कर ली है, जो रियायतग्राही तथा इसके अंतर्गत उसके अधिकारों और दायित्वों एवं इस अनुबंध के अंतर्गत या उसके अनुसरण में उसके अन्य अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित कर सकती हैं।

10.2.5 इस अनुबंध द्वारा रियायतग्राही को प्रदत्त पट्टा, पहुँच और मार्गाधिकार सदैव विद्यमान मार्गाधिकारों के अधीन होगा, और रियायतग्राही अपने दायित्वों का निष्पादन इस रीति से करेगा कि हवाई अड्डा रियायत अवधि के दौरान हर समय उपयोगकर्ताओं के लिए खुला रहे, सिवाय उन घंटों के जिनके लिए प्राधिकरण अथवा किसी अन्य सरकारी अभिकरण द्वारा उसे बंद करने की अनुज्ञा दी गई हो।

10.2.6 रियायतग्राही अभिव्यक्त रूप से अभिस्वीकार करता है कि इस अनुच्छेद 10 के पूर्वोक्त उपबंधों में से किसी के संबंध में रियायतग्राही द्वारा की गई किसी भूल अथवा पाली गई किसी भ्रान्त धारणा की दशा में उसे प्राधिकरण के विरुद्ध कोई प्रत्याश्रय प्राप्त नहीं होगा, और प्राधिकरण एतद्वारा उसके संबंध में किसी भी देयता का अभिव्यक्त रूप से अस्वीकरण करता है।

10.2.7 इसके अंतर्गत प्रदत्त पट्टा, किसी भी कारण से इस अनुबंध की समाप्ति पर, प्राधिकरण द्वारा पट्टे को समाप्त करने हेतु कोई कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बिना, स्वतः और तत्काल समाप्त हो जाएगा। रियायतग्राही अथवा उसके उप-लाइसेंसधारियों और/अथवा उप-पट्टेदार(रों) द्वारा स्थल पर खड़ी की गई किन्हीं अस्थायी या स्थायी संरचनाओं के होते हुए भी, स्थल के संबंध में पट्टा, जिसमें हवाई अड्डे के संबंध में भी सम्मिलित है, इस अनुबंध की समाप्ति पर पक्षकारों के किसी और कार्य के बिना स्वतः समाप्त हो जाएगा।

10.2.8 रियायतग्राही एतद्वारा अप्रतिसंहरणीय रूप से प्राधिकरण को (प्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी नामनिर्देशिती के माध्यम से कार्य करते हुए) अपना सच्चा और विधिपूर्ण मुख्तार नियुक्त करता है कि वह रियायत अवधि की समाप्ति के पश्चात् अथवा उसके इसके निबंधनों के अनुसार पूर्वतर समाप्त कर दिए जाने के पश्चात् किसी भी समय, यदि उस समय किन्हीं लागू विधियों के अनुसार ऐसा अपेक्षित हो, तो रियायतग्राही के नाम से इसके अंतर्गत प्रदत्त पट्टे का अंतरण या अभ्यर्पण निष्पादित और हस्ताक्षरित करे;

जिसका पर्याप्त प्रमाण प्राधिकरण के किसी विधिवत् प्राधिकृत अधिकारी की घोषणा होगी, और रियायतग्राही इस प्रयोजन हेतु उसके पंजीकरण के लिए सम्मति देता है।

10.2.9 यह अभिव्यक्त रूप से सहमत है कि स्थल पर के वृक्ष प्राधिकरण की संपत्ति हैं, सिवाय इसके कि रियायतग्राही रियायत अवधि के दौरान और लागू अनुज्ञप्तियों के अनुसार उन पर सुखोपभोग (usufructuary) अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा।

10.3 स्थल उपलब्ध कराया जाना

10.3.1 खंड 4.1.2 में विनिर्दिष्ट सूचना के अनुसरण में, प्राधिकरण और रियायतग्राही, पारस्परिक रूप से सहमत तारीख और समय पर, स्थल का निरीक्षण करेंगे और एक ज्ञापन तैयार करेंगे जिसमें स्थल की तालिका होगी, जिसमें विल्लंगम-रहित भूमि, भवन, संरचनाएँ, सड़क कार्य, वृक्ष तथा स्थल पर या उससे संलग्न कोई अन्य स्थावर संपत्ति सम्मिलित होगी। पक्षकारों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा ज्ञापन पर 2 (दो) प्रतिलिपियों में (जिनमें से प्रत्येक मूल गठित करेगी) हस्ताक्षर किया जाना, खंड 10.2.2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, रियायतग्राही के पक्ष में, इस अनुबंध के उपबंधों के अंतर्गत और उनके अनुसार तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं, रियायत अवधि के दौरान विल्लंगम-रहित स्थल के निःशुल्क और अप्रतिबंधित उपयोग एवं विकास हेतु एक विधिमान्य पट्टा और मार्गाधिकार गठित करना समझा जाएगा।

10.3.2 खंड 10.3.1 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एतदपक्षकार सहमत होते हैं कि सीओडी को या उससे पूर्व, प्राधिकरण हवाई अड्डे के लिए अपेक्षित और आवश्यक स्थल के कुल क्षेत्रफल के 100% (एक सौ प्रतिशत) के संबंध में रिक्त पहुँच, मार्गाधिकार और पट्टा प्रदान कर चुका होगा।

10.3.3 खंड 10.3.1 में निर्दिष्ट ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने को और उसके पश्चात्, अंतरण तिथि तक, रियायतग्राही स्थल पर चौबीसों घंटे निगरानी रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उस पर कोई अतिक्रमण या अधिभोग न हो; और उसके किसी भाग पर किसी अतिक्रमण या अधिभोग की दशा में, रियायतग्राही ऐसे अतिक्रमण या अधिभोग की सूचना तत्काल प्राधिकरण को देगा और अपनी लागत एवं व्यय पर उसे हटाने का कार्य करेगा।

10.3.4 [प्रयुक्त नहीं]।

10.3.5 [प्रयुक्त नहीं]।

10.3.6 यदि रियायतग्राही, स्थल के किसी भाग के स्वत्व में दोष और/अथवा उस भूमि में, जो स्थल में सम्मिलित है, प्राधिकरण के अधिकारों से उद्भूत किसी भी प्रकार और प्रकृति के किसी वाद, कार्यवाही, कार्रवाई, माँग और/अथवा तृतीय पक्षकारों के दावे के अनुसरण में पट्टे और/अथवा मार्गाधिकार से वंचित हो जाता है, तो प्राधिकरण ऐसे वंचन के 90 (नब्बे) दिनों की अवधि के भीतर, पक्षकारों की पारस्परिक संतुष्टि तक रियायतग्राही को अतिरिक्त/वैकल्पिक भूमि पर पट्टा और/अथवा मार्गाधिकार प्रदान करने के युक्तियुक्त प्रयास करेगा। यदि प्राधिकरण पूर्वोक्त समयावधि के भीतर पक्षकारों की पारस्परिक संतुष्टि तक ऐसी भूमि और/अथवा मार्गाधिकार प्रदान करने में असमर्थ रहता है, तो खंड 4.1.2 के उपबंध लागू होंगे:

परंतु यह कि प्राधिकरण इस खंड 10.3.6 के अंतर्गत उस दशा में दायी नहीं होगा जहाँ ऐसा कोई दावा, वाद, कार्यवाही, कार्रवाई और/अथवा माँग रियायतग्राही, उसकी सहायक कंपनियों, संबद्ध निकायों, संविदाकारों, सेवकों या अभिकर्ताओं की ओर से किसी उपेक्षापूर्ण कार्य या लोप, अथवा इस अनुबंध के किसी उपबंध या किसी संबंधित अनुबंध के अंतर्गत उसके किन्हीं दायित्वों के उल्लंघन, और/अथवा सांविधिक कर्तव्य के उल्लंघन के कारण उद्भूत हुई हो।

10.4 स्थल का बाधारहित होना

खंड 10.3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, स्थल प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को एतदनुसरण में सभी विल्लंगमों से मुक्त उपलब्ध कराया जाएगा, और रियायतग्राही से रियायत अवधि की कालावधि के लिए ऐसे स्थल के अर्जन और उपयोग हेतु किन्हीं लागतों, प्रतिकर, व्ययों और प्रभारों के लेखे में प्राधिकरण को कोई भुगतान करना अपेक्षित नहीं होगा, सिवाय उस सीमा तक जहाँ तक इस अनुबंध में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित हो। यह सहमत है कि स्थल से संबंधित विद्यमान मार्गाधिकार, सुखाचार, विशेषाधिकार, स्वतंत्रताएँ और अनुलग्नियाँ विल्लंगम नहीं समझी जाएँगी। यह भी सहमत है कि रियायतग्राही, स्थल की अपर्याप्तता या भौतिक दशा से उद्भूत किन्हीं और सभी जोखिमों को स्वीकार करता है और उन्हें वहन करने का वचन देता है।

10.5 स्थल का विल्लंगमों से संरक्षण

रियायत अवधि के दौरान, रियायतग्राही स्थल को किन्हीं और सभी अधिभोगों, अतिक्रमणों या विल्लंगमों से संरक्षित रखेगा, और न तो स्वयं स्थल या परियोजना आस्तियों के समस्त भाग या किसी भाग पर, अथवा उसमें या इस अनुबंध के अंतर्गत रियायतग्राही के किन्हीं अधिकारों पर कोई विल्लंगम या प्रतिभूति हित रखेगा या सृजित करेगा, और न ही रियायतग्राही के माध्यम से या उसके अधीन अथवा अन्यथा दावा करने वाले किसी संविदाकार या अन्य व्यक्ति को ऐसा करने की अनुज्ञा देगा, सिवाय इस अनुबंध में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपवर्णित के।

10.6 विशेष/अस्थायी मार्गाधिकार

रियायतग्राही, स्थल तक पहुँच के संबंध में अपेक्षित किसी विशेष या अस्थायी मार्गाधिकार हेतु सभी लागतें और प्रभार वहन करेगा। रियायतग्राही, हवाई अड्डे के प्रयोजनों और इस अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों के निष्पादन हेतु अपेक्षित ऐसी सुविधाएँ स्थल पर या उसके बाहर अपनी लागत पर प्राप्त करेगा:

परंतु यह कि यदि रियायतग्राही को, वैमानिकी आस्तियों के प्रयोजनार्थ, अनुसूची क में प्राधिकरण के लिए पृथक किए गए क्षेत्र के भीतर आने वाली कोई भूमि अपेक्षित हो, तो प्राधिकरण, अपने एकमात्र विवेकानुसार, भारत सरकार के पूर्व लिखित अनुमोदन के अधीन रहते हुए, वह रियायतग्राही को बिना किसी अतिरिक्त लागत के प्रदान कर सकता है।

10.7 प्राधिकरण की पहुँच

10.7.1 रियायतग्राही, प्राधिकरण, वरिष्ठ ऋणदाताओं और स्वतंत्र अभियंता के प्राधिकृत प्रतिनिधियों तथा किसी सरकारी अभिकरण या नामनिर्दिष्ट भारत सरकार अभिकरण द्वारा विधिवत् प्राधिकृत व्यक्तियों और उनके संबंधित कर्मचारियों, अभिकर्ताओं एवं परामर्शदाताओं को, निर्माण कार्यों और हवाई अड्डे का निरीक्षण करने तथा अपने प्राधिकार के भीतर किसी विषय का अन्वेषण करने के लिए, हर समय स्थल तक निःशुल्क

पहुँच की अनुज्ञा देगा; और रियायतग्राही ऐसे सभी व्यक्तियों को उनके संबंधित कर्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा।

10.7.2 रियायतग्राही, अनुच्छेद 11 में विनिर्दिष्ट किसी उपयोगिता या सड़क के प्रचालन और अनुरक्षण के प्रयोजनार्थ, ऐसी उपयोगिता या सड़क के नियंत्रक निकाय के प्राधिकृत व्यक्तियों और वाहनों को हर समय स्थल तक निःशुल्क पहुँच की अनुज्ञा देगा।

10.8 भूवैज्ञानिक और पुरातात्विक प्राप्तियाँ

यह अभिव्यक्त रूप से सहमत है कि खनन, भूवैज्ञानिक या पुरातात्विक अधिकार इस अनुबंध के अंतर्गत रियायतग्राही को प्रदत्त पट्टे का भाग नहीं हैं, और रियायतग्राही एतद्वारा अभिस्वीकार करता है कि उसे अंतर्निहित खनिजों, जीवाश्मों, पुरावशेषों, संरचनाओं अथवा विशेष भूवैज्ञानिक या पुरातात्विक हित की अन्य अवशिष्ट वस्तुओं में कोई खनन अधिकार या हित प्राप्त नहीं होगा, तथा ऐसे अधिकार, हित और स्थल पर या उसके नीचे की संपत्ति प्राधिकरण अथवा संबंधित सरकारी अभिकरण में निहित होगी और उसी की होगी। रियायतग्राही अपने कर्मचारों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे हित या संपत्ति को हटाए जाने या क्षतिग्रस्त किए जाने से रोकने के लिए सभी युक्तियुक्त पूर्वाधानियाँ बरतेगा, और उसकी खोज की सूचना तत्काल प्राधिकरण को देगा तथा ऐसी संपत्ति को हटाने के लिए प्राधिकरण या संबंधित सरकारी अभिकरण द्वारा युक्तियुक्त रूप से दिए गए अनुदेशों का अनुपालन करेगा। यह सहमत है कि इसके अंतर्गत रियायतग्राही द्वारा उपगत कोई युक्तियुक्त व्यय प्राधिकरण द्वारा प्रतिपूरित किया जाएगा। यह भी सहमत है कि प्राधिकरण यह सुनिश्चित कराएगा कि इसके अंतर्गत अनुदेश संबंधित सरकारी अभिकरण द्वारा युक्तियुक्त अवधि के भीतर जारी किए जाएँ ताकि रियायतग्राही ऐसे रूपांतरणों के साथ, जो आवश्यक समझे जाएँ, अपने निर्माण कार्य जारी रख सके।

10.9 पट्टा अधिकार

इस अनुबंध के प्रयोजनार्थ, रियायतग्राही को इस अनुबंध के अधीन रहते हुए और उसके अनुसार एकमात्र पट्टेदार के रूप में स्थल के उपयोग के अधिकार प्राप्त होंगे, और इस निमित्त वह इस अनुबंध के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए तृतीय पक्षकारों द्वारा हवाई अड्डे में प्रवेश और उसके उपयोग को विनियमित कर सकता है।

10.10 संपत्ति कर/सेवा प्रभार और अन्य प्रभार

10.10.1 सी ओ डी को और उससे, संपत्ति कर रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण/संबंधित नगरपालिका प्राधिकारी अथवा किसी अन्य संबंधित सरकारी अभिकरण को, लागू विधियों के अनुसार समय-समय पर लागू ऐसी दरों पर संदेय होगा।

10.10.2 स्थल के संबंध में कोई भी प्रभार और कर, यदि प्राधिकरण द्वारा लागू विधियों के अनुसार अदा किए जाते हैं, तो रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को, प्राधिकरण से आवश्यक विवरणों सहित सूचना प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों की अवधि के भीतर प्रतिपूरित किए जाएँगे।

10.10.3 रियायतग्राही, स्थल पर उपलब्ध निर्मित क्षेत्र के लिए, लागू विधियों के अंतर्गत उद्ग्रहणीय सभी प्रभारों के प्राधिकरण और संबंधित सरकारी अभिकरण को भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

10.11 किराये पर देने पर निर्बंधन

रियायतग्राही, इस अनुबंध में अभिव्यक्त रूप से उपवर्णित के सिवाय, स्थल के समस्त भाग या किसी भाग को न तो लाइसेंस पर देगा और न ही उप-किराये पर देगा; परंतु यह कि इसमें अंतर्विष्ट किसी बात का अर्थ या निर्वचन इस प्रकार नहीं किया जाएगा कि वह रियायतग्राही के, इसके अंतर्गत अपने दायित्वों के निष्पादन हेतु, जिसमें हवाई अड्डे के समस्त भाग या किसी भाग के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए भी सम्मिलित है, संविदाकार नियुक्त करने के अधिकार को निर्बंधित करता हो।

अनुच्छेद 11. उपयोगिताएँ और वृक्ष

11.1 विद्यमान उपयोगिताएँ

इसमें अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि स्थल पर, उसके नीचे या उसके ऊपर की उपयोगिताओं के स्वामी संबंधित निकाय, ऐसी उपयोगिताओं का निरंतर संतोषजनक उपयोग करने में उसके द्वारा समर्थ बनाए जाएँ, यदि आवश्यक हो तो उस उपयोगिता के नियंत्रक निकाय के प्राधिकार से उपयुक्त अस्थायी या स्थायी विपथन उपलब्ध कराकर; और प्राधिकरण, रियायतग्राही के लिखित अनुरोध पर, ऐसे विपथन हेतु आवश्यक किसी मार्गाधिकार के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ प्रारंभ और संचालित करेगा।

11.2 अवरोधक उपयोगिताओं का स्थानांतरण

रियायतग्राही, लागू विधियों के अधीन रहते हुए और प्राधिकरण की सहायता से, किसी उपयोगिता का, जिसमें विद्युत लाइनें, जल पाइप और टेलीफोन केबल सम्मिलित हैं, स्थल के भीतर या बाहर किसी उपयुक्त स्थान या संरेखण पर स्थानांतरण करेगा, यदि और केवल यदि ऐसी उपयोगिता हवाई अड्डे के प्रचालन, प्रबंधन या विकास पर तात्त्विक प्रतिकूल प्रभाव कारित करती है या कारित करेगी। उसके स्थानांतरण में किसी विलंब की दशा में, रियायतग्राही को इसके अंतर्गत अपने किन्हीं दायित्वों के निष्पादन में विफलता के लिए क्षमा किया जाएगा, यदि ऐसी विफलता ऐसी विद्युत लाइनों, जल पाइपों या टेलीफोन केबलों के स्वामी निकाय की ओर से हुए विलंब का प्रत्यक्ष परिणाम हो, जैसी भी स्थिति हो। पक्षकार अभिव्यक्त रूप से सहमत होते हैं कि केवल हवाई अड्डे के उपयोग के लिए किसी उपयोगिता के स्थानांतरण पर उपगत होने वाली समस्त लागत और व्यय रियायतग्राही द्वारा वहन किया जाएगा।

11.3 नई उपयोगिताएँ

11.3.1 रियायतग्राही, टेलीफोन लाइनें, जल पाइप, विद्युत केबल या अन्य लोक उपयोगिताएँ बिछाने के लिए स्थल तक पहुँच और उसके उपयोग की अनुज्ञा दे सकता है, परंतु यह कि ऐसी टेलीफोन लाइनों, जल पाइपों, विद्युत केबलों का बिछाया जाना अथवा अन्य लोक उपयोगिताएँ, हवाई अड्डे के प्रचालन पर किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव न डालें। जहाँ ऐसी पहुँच या उपयोग से रियायतग्राही को कोई वित्तीय हानि कारित होती है, वहाँ वह स्थल के उपयोगकर्ता से लागू विधियों के अनुसार प्रतिकर या क्षतियाँ अदा करने की अपेक्षा कर सकता है। यह सहमत है कि इस खंड 11.3 के अंतर्गत स्थल का उपयोग, रियायतग्राही को इस अनुबंध और लागू अनुज्ञप्तियों के अनुसार हवाई अड्डे के विकास और अनुरक्षण के उसके दायित्व से किसी भी रीति से मुक्त नहीं करेगा, और ऐसे उपयोग से कारित कोई भी क्षति तत्काल पुनःस्थापित की जाएगी।

11.3.2 [प्रयुक्त नहीं]।

11.4 वृक्षों का काटा जाना

प्राधिकरण, इस प्रयोजन हेतु प्राधिकरण द्वारा चिह्नित किए जाने वाले वृक्षों को काटने के लिए लागू अनुज्ञप्तियाँ प्राप्त करने में रियायतग्राही की सहायता करेगा, यदि और केवल यदि ऐसे वृक्ष हवाई अड्डे के प्रचालन, प्रबंधन या विकास पर तात्त्विक प्रतिकूल प्रभाव कारित करते हों। रियायतग्राही के नियंत्रण से परे कारणों से उन्हें काटने में किसी

विलंब की दशा में, उसे इसके अंतर्गत अपने किन्हीं दायित्वों के निष्पादन में विफलता के लिए क्षमा किया जाएगा, यदि ऐसी विफलता वृक्षों के काटे जाने में हुए विलंब का प्रत्यक्ष परिणाम हो। वृक्षों को काटने के संबंध में लागत और व्यय रियायतग्राही द्वारा वहन किया जाएगा और उससे प्राप्त कोई भी राजस्व प्राधिकरण को अदा किया जाएगा। एतदपक्षकार सहमत होते हैं कि काटे गए वृक्षों का व्ययन ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन किया जाएगा जैसी प्राधिकरण अपने एकमात्र विवेकानुसार लागू विधियों के अनुसार उचित समझे।

अनुच्छेद 12. हवाईअड्डे का विकास और विस्तार

12.1 निर्माण के प्रारंभ से पूर्व दायित्व

12.1.1 निर्माण कार्य के प्रारंभ से पूर्व, रियायतग्राही:

- (क) प्राधिकरण और स्वतंत्र अभियंता को अपनी विकास योजना, विस्तृत अभिकल्प, रेखाचित्र, निर्माण पद्धति, गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाएँ तथा संबंधित चरण की पूर्णता हेतु प्रापण, इंजीनियरिंग और निर्माण समय-अनुसूची प्रस्तुत करेगा;
- (ख) इस अनुबंध के अंतर्गत, उससे उद्भूत या उससे संबंधित सभी विषयों के संबंध में प्राधिकरण और स्वतंत्र अभियंता के साथ व्यवहार करने हेतु विधिवत् प्राधिकृत अपना प्रतिनिधि नियुक्त करेगा;
- (ग) इस अनुबंध , लागू विधियों और लागू अनुज्ञप्तियों के अंतर्गत और उनके अनुसार निर्माण के प्रारंभ से पूर्व अपेक्षित या आवश्यक सभी ऐसे कार्य, कृत्य और बातें करेगा और निष्पादित करेगा;
- (घ) लागू विधियों और लागू अनुज्ञप्तियों के अंतर्गत और उनके अनुसार, हवाई अड्डे के लिए आवश्यक सामग्रियों के उत्खनन और प्रापण हेतु अपनी स्वयं की व्यवस्थाएँ करेगा।

12.2 मास्टर प्लान

12.2.1 रियायतग्राही हर समय यह सुनिश्चित कराएगा और सुनिश्चित करेगा कि हवाई अड्डे का निर्माण और विकास मास्टर प्लान के अनुसार हो। मास्टर प्लान तैयार करने के मार्गदर्शी सिद्धांत अनुसूची क के अनुबंध II में दिए गए हैं।

12.2.2 हवाई अड्डे का मास्टर प्लान सभी विनियामक अपेक्षाओं और इस अनुबंध के, जिसमें विशेष रूप से अनुसूची ग सम्मिलित है, अनुरूप होना चाहिए। मास्टर प्लान, लागू विधियों के निबंधनों के अनुसार सभी प्रमुख हितधारकों के साथ पूर्ण परामर्श के पश्चात् बनाया जाएगा।

12.2.3 इस अनुबंध में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, पक्षकार एतद्वारा अभिस्वीकार और सहमत करते हैं कि यह सुनिश्चित करना रियायतग्राही का एकमात्र उत्तरदायित्व और दायित्व होगा कि मास्टर प्लान लागू विधियों और इस अनुबंध की अपेक्षाओं के पूर्ण अनुपालन में हो, तथा इसके अतिरिक्त अन्य परियोजना अनुबंधों में उपवर्णित प्राचलों के अनुसार हो; और इस अनुबंध की कोई भी बात, रियायतग्राही को इस दायित्व से किसी भी प्रकार मुक्त नहीं करेगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि अंतिम मास्टर प्लान, किसी भी परियोजना अनुबंध के उपबंधों और उसके अंतर्गत अन्य सभी दायित्वों के अनुसार है।

12.2.4 रियायतग्राही यह भी सहमत होता है कि वह मास्टर प्लान को समय-समय पर, प्रत्येक 5 (पाँच) वर्ष में अथवा, जैसी भी स्थिति हो, उससे पूर्व अद्यतन करेगा।

12.2.5 चरण I तथा पश्चात्पूर्वी चरणों के लिए विकास योजना, रियायतग्राही द्वारा इस अनुबंध , लागू विधियों और लागू अनुज्ञप्तियों के उपबंधों के अनुसार तैयार की जाएगी।

12.2.6 रियायतग्राही, हवाई अड्डे के भावी विस्तार के लिए पृथक किए गए किसी क्षेत्र का उपयोग, हवाई अड्डे से आनुषंगिक या संबद्ध अन्य प्रयोजनों के लिए, तब तक कर सकता है जब तक वह मास्टर प्लान में विनिर्दिष्ट विस्तार के लिए अपेक्षित न हो; इस शर्त के अधीन रहते हुए कि ऐसे क्षेत्र में केवल अस्थायी संरचनाएँ ही निर्मित की जा सकेंगी और उसका उपयोग हर समय लागू विधियों, लागू अनुज्ञप्तियों और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुरूप होगा।

12.2.7 रियायतग्राही, रियायत अवधि के दौरान किसी भी समय, वैमानिकी सेवाओं में सुधार या संवर्धन करने अथवा भीड़भाड़ को न्यून या समाप्त करने के लिए हवाई अड्डे के किसी भाग का विस्तार करने हेतु मास्टर प्लान में रूपांतरण कर सकता है।

12.3 आरेखण

12.3.1 रियायतग्राही, युक्तियुक्त तत्परता से और ऐसे क्रम में जो चरण पूर्णता अनुसूची के अनुरूप हो, सभी रेखाचित्रों की 1 (एक) सॉफ्ट प्रति और 3 (तीन) हार्ड प्रतियाँ, लागू विधियों और लागू अनुज्ञप्तियों के अनुसार स्वतंत्र अभियंता, प्राधिकरण और/अथवा किसी सरकारी अभिकरण को समीक्षा हेतु तैयार करके प्रस्तुत करेगा।

12.3.2 स्वतंत्र अभियंता और प्राधिकरण को समीक्षा हेतु रेखाचित्र प्रस्तुत करके, रियायतग्राही ने यह अभ्यावेदन किया हुआ समझा जाएगा कि उसने अवधारित और सत्यापित कर लिया है कि अभिकल्प और इंजीनियरिंग, जिसमें उससे संबंधित क्षेत्र-निर्माण मानदंड सम्मिलित हैं, परियोजना के कार्यक्षेत्र, विनिर्देशों एवं मानकों, लागू विधियों, लागू अनुज्ञप्तियों और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुरूप हैं।

12.3.3 स्वतंत्र अभियंता और प्राधिकरण, रेखाचित्रों की प्राप्ति के 30 (तीस) दिनों के भीतर उनकी समीक्षा करेंगे और परियोजना के कार्यक्षेत्र, विनिर्देशों एवं मानकों अथवा अन्यथा के साथ उनकी अनुरूपता या अन्यथा के विशेष निर्देश सहित अपने-अपने प्रेक्षण रियायतग्राही को संसूचित करेंगे। रियायतग्राही, एतदनुसरण में प्रस्तुत रेखाचित्रों पर स्वतंत्र अभियंता या प्राधिकरण के प्रेक्षणों की प्रतीक्षा उक्त 30 (तीस) दिनों की अवधि से अधिक करने के लिए आबद्ध नहीं होगा और अपने विवेक एवं जोखिम पर निर्माण कार्य प्रारंभ या जारी रख सकता है।

12.3.4 यदि स्वतंत्र अभियंता या प्राधिकरण के पूर्वोक्त प्रेक्षण यह दर्शाते हैं कि रेखाचित्र परियोजना के कार्यक्षेत्र अथवा विनिर्देशों एवं मानकों के अनुरूप नहीं हैं, तो ऐसे रेखाचित्र रियायतग्राही द्वारा पुनरीक्षित किए जाएँगे और समीक्षा हेतु पुनः प्रस्तुत किए जाएँगे। स्वतंत्र अभियंता और प्राधिकरण, पुनरीक्षित रेखाचित्रों की प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अपने प्रेक्षण, यदि कोई हों, देंगे।

12.3.5 स्वतंत्र अभियंता या प्राधिकरण द्वारा किसी रेखाचित्र की कोई समीक्षा और/अथवा प्रेक्षण, अथवा उनकी समीक्षा करने और/अथवा अपने प्रेक्षण संसूचित करने में उनकी विफलता, रियायतग्राही को इस अनुबंध के अंतर्गत उसके दायित्वों और देयताओं से किसी भी रीति से मुक्त नहीं करेगी, और न ही स्वतंत्र अभियंता या प्राधिकरण उसके लिए किसी भी रीति से दायी होंगे।

12.3.6 पूर्वोक्त उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही, वैमानिकी आस्तियों और गैर-वैमानिकी आस्तियों से संबंधित अपने रेखाचित्र स्वतंत्र अभियंता और प्राधिकरण को समीक्षा एवं टिप्पणियों हेतु प्रस्तुत

करेगा, और स्वतंत्र अभियंता एवं प्राधिकरण को ऐसे रेखाचित्रों की प्राप्ति के 30 (तीस) दिनों के भीतर ऐसी समीक्षा करने और अपनी टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, देने का अधिकार होगा, किंतु दायित्व नहीं। इस खंड 12.3 के उपबंध, इसके अंतर्गत समीक्षा और टिप्पणियों पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

12.3.7 किसी चरण की पूर्णता के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर, रियायतग्राही प्राधिकरण को 'यथानिर्मित' (as-built) रेखाचित्रों का पूर्ण सेट, 2 (दो) हार्ड प्रतियों में और उसके संपादन-योग्य डिजिटल प्रारूप में अथवा ऐसे अन्य माध्यम और रीति में, जो प्राधिकरण को स्वीकार्य हो, प्रस्तुत करेगा, जो हवाई अड्डे को वैसा दर्शाएँ जैसा वह वस्तुतः अभिकल्पित, अभियंत्रित और निर्मित किया गया है, जिसमें एक 'यथानिर्मित' सर्वेक्षण सम्मिलित होगा जो हवाई अड्डे के विन्यास तथा परियोजना सुविधाओं का भाग बनने वाले भवनों और संरचनाओं की सेटबैक रेखाओं, यदि कोई हों, को दर्शाए।

12.4 टर्मिनल भवन

12.4.1 रियायतग्राही, टर्मिनल भवन और/अथवा हवाई अड्डे के किसी भाग के निर्माण के प्रारंभ से पूर्व, प्राधिकरण और स्वतंत्र अभियंता को वास्तुशिल्पीय प्राचल, नियंत्रण, भवन प्रोफाइल, अग्रभाग, विमाएँ, अभिकल्प, भवन सामग्री, विनिर्देश, मात्रा-विवरण और लागत प्राक्कलन प्रस्तुत करेगा ("वास्तुशिल्पीय अभिकल्प")। एक बार उसकी स्वतंत्र अभियंता और/अथवा प्राधिकरण द्वारा समीक्षा और उस पर टिप्पणी किए जाने के पश्चात् ही, रियायतग्राही उसे किसी समर्थक प्रस्तुतीकरण के रूप में अथवा अन्यथा किसी सरकारी अभिकरण को, लागू विधियों और लागू अनुज्ञप्तियों के अंतर्गत अपने अनुपालन के प्रयोजनार्थ और/अथवा संबंधित लागू अनुज्ञप्तियाँ प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराएगा।

12.4.2 वास्तुशिल्पीय अभिकल्प की प्राप्ति के 30 (तीस) दिनों के भीतर, प्राधिकरण और/अथवा स्वतंत्र अभियंता अपने प्रेक्षण रियायतग्राही को संसूचित करेंगे। यदि प्राधिकरण अथवा स्वतंत्र अभियंता (प्राधिकरण के माध्यम से प्रस्तुत) के प्रेक्षण यह दर्शाते हैं कि वास्तुशिल्पीय अभिकल्प परियोजना के कार्यक्षेत्र अथवा विनिर्देशों एवं मानकों या अन्यथा के अनुरूप नहीं है, तो उसे रियायतग्राही द्वारा पुनरीक्षित किया जाएगा और प्राधिकरण के प्रेक्षणों की प्राप्ति की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर प्राधिकरण और स्वतंत्र अभियंता को समीक्षा हेतु पुनः प्रस्तुत किया जाएगा। प्राधिकरण और/अथवा स्वतंत्र अभियंता, पुनरीक्षित वास्तुशिल्पीय अभिकल्प की प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अपने प्रेक्षण, यदि कोई हों, देंगे।

12.4.3 यदि वास्तुशिल्पीय अभिकल्प में कोई रूपांतरण खंड 12.4.1 के अंतर्गत और उसके अनुसार अवधारित किए गए हों, तो वास्तुशिल्पीय अभिकल्प उस सीमा तक रूपांतरित हुआ समझा जाएगा।

12.4.4 लागू अनुज्ञप्तियाँ प्राप्त किए जाने के अधीन रहते हुए, रियायतग्राही एतदनुसरण में प्रस्तुत वास्तुशिल्पीय अभिकल्प पर प्राधिकरण के प्रेक्षणों की प्रतीक्षा खंड 12.4.2 में विनिर्दिष्ट 30 (तीस) दिनों की अवधि से अधिक करने के लिए आबद्ध नहीं होगा, और अपने विवेक एवं जोखिम पर निर्माण कार्य प्रारंभ कर सकता है। प्राधिकरण या स्वतंत्र अभियंता की कोई समीक्षा और/अथवा प्रेक्षण, अथवा वास्तुशिल्पीय अभिकल्प पर अपने प्रेक्षणों की समीक्षा करने और/अथवा उन्हें संसूचित करने में उनकी विफलता, रियायतग्राही को इस

अनुबंध के अंतर्गत उसके दायित्वों और देयताओं से किसी भी रीति से मुक्त नहीं करेगी, और न ही प्राधिकरण या स्वतंत्र अभियंता उसके लिए किसी भी रीति से दायी होंगे।

12.4.5 यदि खंड 12.4.1 या खंड 12.4.2 के अनुसार रियायतग्राही और प्राधिकरण के बीच कोई असहमति उत्पन्न होती है और कोई पक्षकार दूसरे पक्षकार को अपने आशय की सूचना देता है, तो विवाद उद्भूत हुआ समझा जाएगा और उसके समाधान हेतु अनुच्छेद 41 के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे; परंतु यह कि खंड 41.3 के उपबंधों के अंतर्गत नियुक्त किए जाने वाले मध्यस्थ केवल अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के प्रतिष्ठित वास्तुविदों में से ही होंगे। ऐसे मध्यस्थों को प्राधिकरण द्वारा संदेय फीस, यदि रूपांतरण रियायतग्राही द्वारा प्रस्तावित किया गया हो, तो रियायतग्राही द्वारा रु. 5,00,000 (रुपये पाँच लाख) प्रतिदिन की सीमा के अधीन रहते हुए प्रतिपूरित की जाएगी।

12.5 हवाई अड्डे का निर्माण

12.5.1 रियायतग्राही, हवाई अड्डे पर निर्माण, अनुसूची क, अनुसूची ख, अनुसूची ग में उपवर्णित विनिर्देशों एवं मानकों तथा मास्टर प्लान के अनुरूप करेगा।

- (i) रियायतग्राही, चरण I के निर्माण कार्यों हेतु अपेक्षित सभी लागू अनुज्ञप्तियाँ, जिनमें अनुसूची घ में विनिर्दिष्ट लागू अनुज्ञप्तियाँ सम्मिलित हैं किंतु वे उन्हीं तक सीमित नहीं हैं, बिना शर्त अभिप्राप्त करेगा; अथवा यदि वे शर्तों के अधीन हों, तो ऐसी सभी शर्तों को उनमें विनिर्दिष्ट तारीख तक तथा उनमें विनिर्दिष्ट प्रारूप और रीति में पूर्णतः पूरा करेगा।
- (ii) इस अनुबंध के निबंधनों के अनुसार विकास अवधि में अनुमोदित विस्तार(रों) के अधीन रहते हुए, परियोजना के चरण I की पूर्णता हेतु नियत तारीख वह तारीख होगी जो रियायतग्राही द्वारा खंड 4.1.3(h) के अनुसरण में इंगित की गई है ("नियत पूर्णता तिथि"), और रियायतग्राही सहमत होता है तथा वचन देता है कि हवाई अड्डे के चरण I का निर्माण नियत पूर्णता तिथि को या उससे पूर्व पूरा किया जाएगा।
- (iii) पश्चात्कर्ती चरणों के लिए नियत पूर्णता तिथियाँ रियायतग्राही द्वारा स्वतंत्र अभियंता के परामर्श से अवधारित की जाएँगी। यह सहमत है कि परियोजना पूर्णता अनुसूची और नियत पूर्णता तिथि सिटी साइड विकास पर लागू नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, हवाई अड्डे के वाणिज्यिक प्रचालन से संबंधित उपबंध अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आते हैं।

12.5.2 रियायतग्राही, हवाई अड्डे का निर्माण उस चरण पूर्णता अनुसूची के अनुसार करेगा जो रियायतग्राही द्वारा स्वतंत्र अभियंता के परामर्श से तैयार और प्रस्तुत की जानी है तथा अनुसूची च में उपवर्णित की जानी है।

12.5.3 यदि रियायतग्राही, अनुसूची च में ऐसे चरण मील-पत्थर के लिए उपवर्णित तारीख से 90 (नब्बे) दिनों की अवधि के भीतर चरण मील-पत्थर के अनुसार किसी मील-पत्थर को प्राप्त करने में विफल रहता है, जब तक कि ऐसी विफलता दैवी संकट के कारण अथवा प्राधिकरण के प्रति आरोपणीय कारणों से न हुई हो, तो वह प्राधिकरण को, चरण पूर्णता अनुसूची के अनुसार ऐसा मील-पत्थर प्राप्त होने तक विलंब के प्रत्येक दिन

के लिए, निष्पादन प्रतिभूति की राशि के 0.1% (शून्य दशमलव एक प्रतिशत) की दर से परिकलित राशि में क्षतियाँ अदा करेगा; परंतु यह कि यदि चरण पूर्णता अनुसूची के किन्हीं या सभी मील-पत्थरों अथवा नियत पूर्णता तिथि को इस अनुबंध के उपबंधों के अनुसार विस्तारित किया जाता है, तो अनुसूची च में उपवर्णित तारीखें तदनुसार रूपांतरित हुई समझी जाएँगी और इस अनुबंध के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो अनुसूची च को उपर्युक्त रूप में संशोधित किया गया हो; परंतु यह भी कि यदि किसी संबंधित चरण के लिए सीओडी ऐसे चरण की नियत पूर्णता तिथि को या उससे पूर्व प्राप्त कर लिया जाता है, तो इस खंड 12.5.3 के अंतर्गत अदा की गई क्षतियाँ प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को प्रतिदत्त की जाएँगी, किंतु उस पर बिना किसी ब्याज के। यह सहमत है कि इस खंड 12.5.3 के अंतर्गत क्षतियों की वसूली, इस अनुबंध के अंतर्गत प्राधिकरण के अधिकारों पर, जिसमें समाप्ति का अधिकार सम्मिलित है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी।

12.5.4 यदि कोई चरण नियत पूर्णता तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के भीतर पूरा नहीं होता है, जब तक कि विलंब केवल प्राधिकरण के प्रति आरोपणीय कारणों से अथवा दैवी संकट के कारण न हो, तो प्राधिकरण इस अनुबंध को समाप्त करने का हकदार होगा। इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के होते हुए भी, रियायतग्राही, नियत पूर्णता तिथि से उक्त 270 (दो सौ सत्तर) दिनों की अवधि के भीतर चरण । पूर्णता तिथि प्राप्त करने में किसी विलंब के लिए, लागू विधियों के अंतर्गत संदेय अन्य राशियाँ भी अदा करने का दायी होगा।

12.6 परियोजना सुविधाओं का विकास

12.6.1 खंड 12.5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, रियायतग्राही, अनुसूची ख में विनिर्दिष्ट परियोजना सुविधाओं का विकास, अनुसूची ग में उपवर्णित विनिर्देशों एवं मानकों, लागू विधियों और लागू अनुज्ञप्तियों के अनुरूप करेगा।

12.6.2 परियोजना सुविधाओं में कोई भी विकास, परिवर्धन या रूपांतरण, अभिकल्प और मास्टर प्लान के अनुसार तथा हवाई अड्डे के समग्र अभिकल्प और परिवेश के साथ सामंजस्य में होगा, किंतु किसी भी दशा में वह लागत-प्रभावी और उपयोगकर्ताओं के सर्वोत्तम हित में होगा।

12.7 हवाई अड्डे का विस्तार

12.7.1 जब और जैसे ही मास्टर प्लान में विनिर्दिष्ट हवाई अड्डे की क्षमता, इस अनुबंध और/अथवा इकाओ दस्तावेजों एवं अनुबंधों में विनिर्दिष्ट मानदंडों और मानकों से कम पड़ जाती है, तो रियायतग्राही ऐसी कमी को पूरा करने के लिए उसमें क्षमता वृद्धि और विस्तार करेगा। इस संबंध में, रियायतग्राही ऐसे किसी विस्तार को करने के लिए अपेक्षित सभी लागू अनुज्ञप्तियाँ बिना शर्त अभिप्राप्त करेगा, अथवा यदि वे शर्तों के अधीन हों, तो ऐसी सभी शर्तों को उनमें विनिर्दिष्ट तारीख तक और रीति में पूर्णतः पूरा करेगा।

12.7.2 इस अनुच्छेद 12 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा और कराएगा कि परियोजना सुविधाओं का विस्तार, वास्तुशिल्पीय अभिकल्प और मास्टर प्लान के अनुसार तथा हवाई अड्डे के समग्र अभिकल्प और परिवेश के साथ सामंजस्य में हो।

अनुच्छेद 13. निर्माण की निगरानी

13.1 त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट

विकास अवधि के दौरान, रियायतग्राही, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 7 (सात) दिनों से अनधिक में, प्राधिकरण को निष्पादित निर्माण कार्यों की प्रगति (भौतिक और वित्तीय दोनों) पर एक रिपोर्ट तथा अगली तिमाही की निर्माण योजना, तत्सहित ऐसी संगत सूचना जो प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हो, प्रस्तुत करेगा।

13.2 निरीक्षण

विकास अवधि के दौरान, स्वतंत्र अभियंता, रियायतग्राही द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों पर विचार करते हुए, हवाई अड्डे के कार्यों का प्रति तिमाही कम से कम एक बार निरीक्षण करेगा और ऐसे निरीक्षण की एक रिपोर्ट ("निरीक्षण रिपोर्ट") तैयार करेगा, जिसमें दोषों या कमियों, यदि कोई हों, का युक्तियुक्त विस्तार से, चरण पूर्णता अनुसूची, परियोजना के कार्यक्षेत्र, विनिर्देशों एवं मानकों, लागू विधियों और लागू अनुज्ञप्तियों के विशेष निर्देश सहित कथन होगा। वह निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति प्राधिकरण को भेजेगा, और यदि अपेक्षित हो तो प्राधिकरण, निरीक्षण रिपोर्ट में चिह्नित दोषों या कमियों, यदि कोई हों, को ठीक करने और उनका उपचार करने के लिए रियायतग्राही को सूचित करेगा; और रियायतग्राही, प्राधिकरण से ऐसी सूचना की प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, दोषों या कमियों, यदि कोई हों, को ठीक करेगा और उनका उपचार करेगा। स्वतंत्र अभियंता द्वारा ऐसा निरीक्षण अथवा निरीक्षण रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण, रियायतग्राही को इसके अंतर्गत उसके दायित्वों और देयताओं से किसी भी रीति से मुक्त या उन्मोचित नहीं करेगा। पक्षकार अभिव्यक्त रूप से सहमत होते हैं कि इस अनुच्छेद 13 के अंतर्गत स्वतंत्र अभियंता के कृत्यों में सिटी साइड विकास सम्मिलित नहीं होगा।

13.3 परीक्षण

13.3.1 यह अवधारित करने के लिए कि निर्माण कार्य विनिर्देशों एवं मानकों के अनुरूप हैं, स्वतंत्र अभियंता, गुणवत्ता आश्वासन हेतु, रियायतग्राही से यह अपेक्षा करेगा कि वह उत्तम उद्योग पद्धति, लागू विधियों, लागू अनुज्ञप्तियों और इस अनुबंध के अनुसार, ऐसे समय और आवृत्ति पर तथा ऐसी रीति से, जैसी स्वतंत्र अभियंता द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, परीक्षण करे या कराए। ऐसे परीक्षणों के लिए नमूने का आकार, यथासंभव सीमा तक, किए गए कुल कार्यों की मात्रा और/अथवा परीक्षणों की संख्या के 10% (दस प्रतिशत) से अधिक नहीं होगा। रियायतग्राही, सम्यक् तत्परता से, स्वतंत्र अभियंता के अनुदेशों के अनुसार ऐसे सभी परीक्षण करेगा या कराएगा और उनके परिणाम स्वतंत्र अभियंता को प्रस्तुत करेगा। परंतु यह कि स्वतंत्र अभियंता, इसके अंतर्गत विनिर्दिष्ट परीक्षण स्वयं करने के बजाय, अपने विकल्प पर, गुणवत्ता आश्वासन हेतु रियायतग्राही द्वारा उत्तम उद्योग पद्धति, लागू विधियों, लागू अनुज्ञप्तियों और इस अनुबंध के अनुसार किए जाने वाले किन्हीं परीक्षणों को देखने या उनमें भाग लेने का विनिश्चय कर सकता है; और ऐसी दशा में रियायतग्राही, स्वतंत्र अभियंता के साथ सहयोग करेगा और उसे इसके अंतर्गत अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

13.3.2 यदि इस खंड 13.3 के अंतर्गत किए गए किन्हीं परीक्षणों के परिणाम निर्माण कार्यों में कोई दोष या कमी स्थापित करते हैं, तो रियायतग्राही उपचारात्मक उपाय करेगा और इस निमित्त स्वतंत्र अभियंता को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। स्वतंत्र अभियंता, रियायतग्राही से यह अपेक्षा करेगा कि वह यह अवधारित करने के लिए परीक्षण करे या कराए कि ऐसे उपचारात्मक उपायों से निर्माण कार्य विनिर्देशों एवं मानकों के अनुपालन में आ गए हैं; और इस खंड 13.3 में उपवर्णित प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक ऐसे निर्माण कार्य विनिर्देशों एवं मानकों के अनुरूप न हो जाएँ।

13.3.3 यह सहमत है कि इस खंड 13.3 के अनुसरण में परीक्षण, उन परीक्षणों के अतिरिक्त और उनसे स्वतंत्र किए जाएँगे जो रियायतग्राही द्वारा अपने स्वयं के गुणवत्ता आश्वासन हेतु उत्तम उद्योग पद्धति, लागू विधियों और लागू अनुज्ञप्तियों के अनुसार किए जाएँगे। यह भी सहमत है कि ऐसे परीक्षणों के परिणामों की एक प्रति रियायतग्राही द्वारा तत्काल स्वतंत्र अभियंता को भेजी जाएगी।

13.4 निर्माण के दौरान विलंब

खंड 12.5.2 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि रियायतग्राही किन्हीं चरण मील-पत्थरों को प्राप्त नहीं करता है अथवा स्वतंत्र अभियंता ने युक्तियुक्त रूप से यह अवधारित किया है कि निर्माण कार्यों की प्रगति की दर ऐसी है कि निर्माण कार्य नियत पूर्णता तिथि तक पूरे होने की संभावना नहीं है, तो वह प्राधिकरण को सूचित करेगा और प्राधिकरण बदले में रियायतग्राही को इस आशय की सूचना देगा; और रियायतग्राही, ऐसी सूचना के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, एक संसूचना द्वारा प्राधिकरण और स्वतंत्र अभियंता को युक्तियुक्त विस्तार से उन कदमों के बारे में सूचित करेगा जिन्हें वह प्रगति को तेज करने के लिए उठाने का प्रस्ताव करता है, तथा उस अवधि के बारे में जिसके भीतर वह चरण । पूर्णता तिथि प्राप्त कर लेगा।

13.5 असुरक्षित निर्माण कार्यों का निलंबन

13.5.1 स्वतंत्र अभियंता की इस आशय की सिफारिश पर, प्राधिकरण सूचना द्वारा रियायतग्राही से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह समस्त या किसी भाग के निर्माण कार्यों को तत्काल निलंबित करे, यदि प्राधिकरण की युक्तियुक्त राय में ऐसा कार्य उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा अथवा हवाई अड्डे पर या उसके आसपास किसी जीवन या संपत्ति के लिए खतरा उत्पन्न करता है। परंतु यह कि आपात स्थिति की दशा में, प्राधिकरण स्वप्रेरणा (suo moto) से उपर्युक्त निर्दिष्ट सूचना जारी कर सकता है।

13.5.2 रियायतग्राही, खंड 13.5.1 के अंतर्गत सूचना के अनुसरण में, निर्माण कार्यों या उसके किसी भाग को ऐसे समय के लिए और ऐसी रीति से निलंबित करेगा जैसी प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, और तत्पश्चात् निलंबित कार्यों तथा जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपचारात्मक उपाय करेगा। रियायतग्राही, सूचना द्वारा स्वतंत्र अभियंता से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसे उपचारात्मक उपायों का तत्काल निरीक्षण करे और प्राधिकरण को यह सिफारिश करते हुए रिपोर्ट दे कि इसके अंतर्गत निलंबन प्रतिसंहत किया जा सकता है या नहीं। स्वतंत्र अभियंता की सिफारिशें प्राप्त होने पर, प्राधिकरण या तो ऐसा निलंबन प्रतिसंहत करेगा अथवा रियायतग्राही को ऐसे अन्य और अतिरिक्त निवारात्मक उपाय करने

का निदेश देगा जो प्राधिकरण की युक्तियुक्त राय में आवश्यक हों; और इस खंड 13.5 में उपवर्णित प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक इसके अंतर्गत निलंबन प्रतिसंहत न हो जाए।

13.5.3 खंड 32.7 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निलंबन की अवधि के दौरान निर्माण कार्य या उसके किसी भाग के अनुरक्षण और संरक्षण के लिए उपगत सभी युक्तियुक्त लागतें ("परिरक्षण लागत") रियायतग्राही द्वारा वहन की जाएँगी; परंतु यह कि यदि निलंबन प्राधिकरण द्वारा इस अनुबंध के किसी उल्लंघन के परिणामस्वरूप हुआ है, तो परिरक्षण लागत प्राधिकरण द्वारा वहन की जाएगी। परिरक्षण लागत, विनियामक द्वारा अवधारित किए जाने वाले वैमानिकी प्रभारों के अवधारण के प्रयोजनों से विनिर्दिष्ट रूप से अपवर्जित रहेगी।

13.5.4 यदि निर्माण कार्य का निलंबन ऐसे कारणों से है जो रियायतग्राही के प्रति आरोपणीय नहीं हैं, और जिनका पूर्वानुमान एवं परिवर्जन रियायतग्राही द्वारा उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार नहीं किया जा सकता था, तो प्राधिकरण, स्वतंत्र अभियंता की सिफारिश पर, चरण पूर्णता अनुसूची में उपवर्णित तारीखों का ऐसा विस्तार अवधारित करेगा जिसका रियायतग्राही युक्तियुक्त रूप से हकदार है। यदि एतदनुसरण में नियत पूर्णता तिथि विस्तारित की जाती है, तो रियायत अवधि भी नियत पूर्णता तिथि के विस्तार की अवधि के बराबर अवधि से विस्तारित हुई समझी जाएगी।

13.6 वीडियो रिकॉर्डिंग

13.6.1 विकास अवधि के दौरान, रियायतग्राही प्रत्येक कैलेंडर तिमाही के लिए प्राधिकरण को एक वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराएगा, जो 3 (तीन) घंटे की डिजिटल वीडियो डिस्क अथवा उसके किसी प्रतिस्थापी में संकलित की जाएगी, और जो उस तिमाही में निर्माण कार्य की स्थिति और प्रगति को आच्छादित करेगी। ऐसी पहली वीडियो रिकॉर्डिंग प्राधिकरण को सीओडी के 7 (सात) दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी और तत्पश्चात् प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों से अनधिक में।

13.6.2 इस खंड 13.6 के अनुसरण में रियायतग्राही द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली वीडियो रिकॉर्डिंग, रियायतग्राही द्वारा किए गए क्रियाकलापों को समान साप्ताहिक वितरण आधार पर आच्छादित करेगी, और संबंधित रिकॉर्डिंग अवधि के दौरान रियायतग्राही द्वारा किए गए और निष्पादित क्रियाकलापों का सच्चा प्रतिबिंब होगी।

अनुच्छेद 14. चरण की पूर्णता

14.1 परीक्षण

14.1.1 संबंधित चरण की संभावित पूर्णता से 30 (तीस) दिन से अनधिक पूर्व, रियायतग्राही प्राधिकरण और स्वतंत्र अभियंता को संबंधित चरण को परीक्षणों के अधीन करने के अपने आशय की सूचना देगा। प्रत्येक परीक्षण की तारीख और समय रियायतग्राही द्वारा स्वतंत्र अभियंता के परामर्श से अवधारित किया जाएगा और प्राधिकरण को अधिसूचित किया जाएगा, जो परीक्षणों को देखने के लिए अपना प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट कर सकता है। यदि रियायतग्राही और स्वतंत्र अभियंता परीक्षण किए जाने की तारीखों पर पारस्परिक रूप से सहमत होने में विफल रहते हैं, तो रियायतग्राही स्वतंत्र अभियंता को 15 (पंद्रह) दिन से अन्यून की सूचना देकर तारीखें नियत करेगा। यह सहमत है कि इस अनुच्छेद 14 के उपबंध सिटी साइड विकास पर लागू नहीं होंगे।

14.1.2 सभी परीक्षण अनुसूची छ के अनुसार, रियायतग्राही की लागत और व्यय पर किए जाएँगे। स्वतंत्र अभियंता, हवाई अड्डे के विनिर्देशों एवं मानकों तथा लागू अनुज्ञप्तियों के अनुपालन को अवधारित करने के लिए परीक्षणों के परिणामों का प्रेक्षण, अनुवीक्षण और समीक्षा करेगा; और यदि किसी परीक्षण के अनुक्रम में स्वतंत्र अभियंता द्वारा युक्तियुक्त रूप से यह प्रत्याशित या अवधारित किया जाता है कि हवाई अड्डे या उसके किसी भाग का निष्पादन विनिर्देशों एवं मानकों को पूरा नहीं करता है, तो उसे ऐसे परीक्षण को निलंबित या विलंबित करने और रियायतग्राही से दोषों या कमियों का उपचार एवं सुधार करने की अपेक्षा करने का अधिकार होगा। प्रत्येक परीक्षण की समाप्ति पर, रियायतग्राही स्वतंत्र अभियंता और प्राधिकरण को विस्तृत परीक्षण परिणामों सहित समस्त परीक्षण डेटा की प्रतियाँ उपलब्ध कराएगा।

14.1.3 प्राधिकरण और/अथवा स्वतंत्र अभियंता, रियायतग्राही से यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वह रियायतग्राही की लागत पर, उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार, हवाई अड्डे के विनिर्देशों एवं मानकों, लागू विधियों और लागू अनुज्ञप्तियों के अनुपालन को अवधारित करने के लिए अतिरिक्त परीक्षण करे या कराए, अथवा यदि उन्हें निम्नलिखित में से किसी कारण से रनवे, टैक्सीवे, एप्रन, एटीसी सुविधा और टर्मिनल भवन की भौतिक संरचना की मजबूती की पर्याप्तता के संबंध में युक्तियुक्त संदेह हो:

(क) कंक्रीट परीक्षण घनों पर संपीडन सामर्थ्य के परिणाम विनिर्दिष्ट सामर्थ्य से कम आना;

(ख) फॉर्मवर्क का समयपूर्व हटाया जाना;

(ग) कंक्रीट का अपर्याप्त क्योरिंग;

(घ) संरचना या उसके किसी भाग के निर्माण के दौरान अतिभारण;

(ङ) मधुमक्खी-छत्ता (honey-combed) जैसी या क्षतिग्रस्त कंक्रीट की उपस्थिति, जो अभिकल्पित भार वहन करने की संरचना की स्थिरता को प्रभावित कर सकती है; अथवा

(च) कोई अन्य कारण जिसके परिणामस्वरूप संरचना या उसका कोई भाग प्रत्याशित सामर्थ्य से कम का हो सकता है।

14.2 पूर्णता

इस अनुबंध के उपबंधों के अनुसार निर्माण कार्यों की पूर्णता ("पूर्णता") पर और स्वतंत्र अभियंता द्वारा परीक्षणों को सफल अवधारित किए जाने पर, रियायतग्राही प्राधिकरण को, स्वतंत्र अभियंता को एक प्रति सहित, एक पूर्णता रिपोर्ट ("पूर्णता रिपोर्ट") प्रस्तुत करेगा। पूर्णता रिपोर्ट में परीक्षण डेटा, अनुसरित प्रक्रियाएँ और परीक्षण परिणाम सम्मिलित होंगे; और स्वतंत्र अभियंता, रियायतग्राही की पूर्णता रिपोर्ट के सत्यापन पर, इस अनुबंध के निबंधनों के अनुसार संबंधित चरण के भौतिक निर्माण की पूर्णता हेतु पूर्णता प्रमाणपत्र ("पूर्णता प्रमाणपत्र") जारी करने के लिए प्राधिकरण को सिफारिश करेगा; और रियायतग्राही, लागू विधियों के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने से पूर्व सभी आवश्यक लागू अनुज्ञप्तियाँ प्राप्त करने के लिए आबद्ध बना रहेगा।

14.3 अनंतिम पूर्णता

14.3.1 प्राधिकरण, रियायतग्राही के अनुरोध पर और स्वतंत्र अभियंता की सिफारिशों के अधीन रहते हुए तथा डीजीसीए लाइसेंस सहित सभी अपेक्षित लागू अनुज्ञप्तियाँ प्राप्त कर लेने पर, निर्माण कार्यों के वाणिज्यिक प्रचालन की अनुज्ञा दे सकता है यदि परीक्षण सफल हों और निर्माण कार्यों को सुरक्षित एवं विश्वसनीय रूप से वाणिज्यिक प्रचालन में रखा जा सके, यद्यपि उसका भाग बनने वाले कुछ कार्य या वस्तुएँ शेष हों और अभी पूरी न हुई हों ("अनंतिम पूर्णता")। ऐसी दशा में, स्वतंत्र अभियंता, रियायतग्राही के परामर्श से, प्राधिकरण को शेष मदों की एक सूची प्रस्तुत करेगा, जिस पर तत्पश्चात् प्राधिकरण, स्वतंत्र अभियंता और रियायतग्राही द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए जाएँगे ("पंच सूची")।

14.3.2 एतदपक्षकार अभिव्यक्त रूप से सहमत होते हैं कि इस खंड 14.3 के अंतर्गत प्रचालन की, रियायतग्राही के इस आशय के अनुरोध पर, हवाई अड्डे के किसी भाग के प्रचालन हेतु अनुज्ञा दी जा सकती है, यदि उसे खंड 14.3.1 के उपबंधों के अनुसार सुरक्षित और विश्वसनीय रूप से वाणिज्यिक प्रचालन में रखा जा सके। इस खंड 14.3 के अंतर्गत प्रचालन की अनुज्ञा दिए जाने पर, इस अनुबंध के उपबंध हवाई अड्डे के ऐसे पूर्ण भाग पर लागू होंगे, और हवाई अड्डे के ऐसे पूर्ण भाग के लिए एवं उसके संबंध में रियायतग्राही के अधिकार और दायित्व तदनुसार अर्थान्वित किए जाएँगे।

14.3.3 रियायतग्राही, विहित अवधि के भीतर पंच सूची की मदों को पूरा करने तथा लागू विधियों के अनुसार सभी आवश्यक लागू अनुज्ञप्तियाँ प्राप्त करने के लिए आबद्ध बना रहेगा।

14.4 पंच सूची की मदों की पूर्णता

14.4.1 पंच सूची की सभी मदें रियायतग्राही द्वारा नियत पूर्णता तिथि से पूर्व पूरी की जाएँगी; और उसके पश्चात् किसी विलंब के लिए, जो केवल प्राधिकरण के प्रति आरोपणीय कारणों से अथवा दैवी संकट के कारण न हो, प्राधिकरण रियायतग्राही से क्षतियाँ वसूल करने का हकदार होगा, जो सभी मदें पूरी होने तक विलंब के प्रत्येक दिन के लिए, निम्नलिखित में से जो कम हो उस पर परिकलित और अदा की जाएँगी: (क) निष्पादन

प्रतिभूति का 0.1% (शून्य दशमलव एक प्रतिशत), और (ख) स्वतंत्र अभियंता द्वारा प्राक्कलित रूप में ऐसी मदों को पूरा करने की लागत का 0.2% (शून्य दशमलव दो प्रतिशत)। ऐसी क्षतियों के भुगतान के अधीन रहते हुए, रियायतग्राही पंच सूची की मदों की पूर्णता हेतु 120 (एक सौ बीस) दिनों से अनधिक की और अवधि का हकदार होगा। यदि किसी मद की पूर्णता केवल प्राधिकरण के प्रति आरोपणीय कारणों से अथवा दैवी संकट के कारण विलंबित होती है, तो उसकी पूर्णता तिथि स्वतंत्र अभियंता द्वारा उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार अवधारित की जाएगी।

14.4.2 पंच सूची की सभी मदों की पूर्णता पर, रियायतग्राही, यदि अपेक्षित हो, स्वतंत्र अभियंता की उपस्थिति में लागू परीक्षण करेगा और अपनी पूर्णता रिपोर्ट प्राधिकरण एवं स्वतंत्र अभियंता को प्रस्तुत करेगा। रियायतग्राही द्वारा खंड 14.4.1 में उपवर्णित समय के भीतर पंच सूची की सभी मदें पूरी करने में विफलता, किसी भी कारण से, सिवाय उन दशाओं के जो दैवी संकट गठित करती हैं अथवा केवल प्राधिकरण के प्रति आरोपणीय कारणों से हैं, प्राधिकरण को इस अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार देगी।

14.5 पूर्णता प्रमाणपत्र रोका जाना

14.5.1 यदि स्वतंत्र अभियंता यह अवधारित करता है कि हवाई अड्डा या उसका कोई भाग इस अनुबंध के उपबंधों के अनुरूप नहीं है और उसे सुरक्षित एवं विश्वसनीय रूप से वाणिज्यिक प्रचालन में नहीं रखा जा सकता, तो वह तत्काल इस निमित्त एक रिपोर्ट बनाएगा और उसकी प्रतियाँ प्राधिकरण तथा रियायतग्राही को भेजेगा। स्वतंत्र अभियंता से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर और अपना स्वयं का निरीक्षण करने के पश्चात्, यदि प्राधिकरण की यह राय है कि हवाई अड्डा वाणिज्यिक सेवा के लिए उपयुक्त और सुरक्षित नहीं है, तो वह पूर्वोक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के 7 (सात) दिनों के भीतर रियायतग्राही को हवाई अड्डे के दोषों और कमियों के बारे में सूचित करेगा और स्वतंत्र अभियंता को अनंतिम प्रमाणपत्र अथवा पूर्णता प्रमाणपत्र, जैसी भी स्थिति हो, जारी करना रोकने का निदेश देगा। ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, रियायतग्राही ऐसे दोषों या कमियों का उपचार और सुधार करेगा और तत्पश्चात् इस अनुच्छेद 14 के अनुसार परीक्षण किए जाएँगे। ऐसी प्रक्रिया तब तक यथावश्यक दोहराई जाएगी जब तक दोष या कमियाँ प्राधिकरण की संतुष्टि तक ठीक न कर दी जाएँ।

14.5.2 खंड 14.5.1 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्राधिकरण, उस खंड के अंतर्गत स्वतंत्र अभियंता से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् किसी भी समय, स्वतंत्र अभियंता को खंड 14.3 के अंतर्गत अनंतिम प्रमाणपत्र जारी करने का निदेश दे सकता है, और ऐसे निदेश का तत्काल अनुपालन किया जाएगा।

14.6 परीक्षणों का पुनर्निर्धारण

यदि स्वतंत्र अभियंता प्राधिकरण और रियायतग्राही को यह प्रमाणित करता है कि वह ऐसी घटनाओं या परिस्थितियों के कारण, जिनके फलस्वरूप परीक्षण नहीं किए जा सके या उन्हें निलंबित करना पड़ा, पूर्णता प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र, जैसी भी स्थिति हो, जारी करने में असमर्थ है, तो रियायतग्राही परीक्षणों को पुनर्निर्धारित करने और उन्हें यथासंभव शीघ्रता से करने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 15. वाणिज्यिक सेवा में प्रवेश

15.1 वाणिज्यिक प्रचालन तिथि

15.1.1 इस रियायत की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि ("सीओडी") वह तारीख होगी जिस दिन अनुच्छेद 4 के अनुसार सभी पूर्ववर्ती शर्तें संतुष्ट हो चुकी हों और रियायतग्राही ने वित्तीय समापन प्राप्त कर लिया हो; और रियायतग्राही सीओडी से हवाई अड्डे का प्रचालन एवं प्रबंधन प्रारंभ करने का हकदार होगा तथा अनुच्छेद 28 के उपबंधों के अनुसार शुल्क की माँग करने और उसे संगृहीत करने का हकदार होगा।

15.1.2 रियायतग्राही एतद्वारा सहमत होता है और वचन देता है कि वह इस अनुबंध की तारीख से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के भीतर सीओडी प्राप्त करेगा; और विलंब की दशा में वह, प्राधिकरण को निष्पादन प्रतिभूति के 0.2% (शून्य दशमलव दो प्रतिशत) की दर से परिकलित राशि में प्रति दिन क्षतियों के भुगतान के अधीन रहते हुए, 90 (नब्बे) दिनों से अनधिक की और अवधि का हकदार होगा; परंतु यह कि इसमें विनिर्दिष्ट क्षतियाँ प्रत्येक सप्ताह अग्रिम रूप से संदेय होंगी और 90 (नब्बे) दिनों की अवधि केवल इस प्रकार अदा की गई क्षतियों की सीमा तक ही प्रदान की जाएगी; परंतु यह भी कि यदि सीओडी में ऐसा विलंब, खंड 4.1.2 में विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ती शर्तों की संतुष्टि प्राप्त करने में प्राधिकरण द्वारा किसी व्यतिक्रम या विलंब के परिणामस्वरूप अथवा दैवी संकट के कारण हुआ है, तो कोई क्षतियाँ संदेय नहीं होंगी। संदेह निवारण हेतु, इसके अंतर्गत संदेय क्षतियाँ, खंड 4.2 के अंतर्गत संदेय क्षतियों के अतिरिक्त होंगी।

15.2 विलंब के कारण समाप्ति

इस अनुबंध में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किंतु खंड 32.6.1 के अधीन रहते हुए, यदि खंड 15.1 में उपवर्णित अवधि के भीतर किसी भी कारण से सीओडी घटित नहीं होता है, तो इस अनुबंध के अंतर्गत या उससे उद्भूत रियायतग्राही के सभी अधिकार, विशेषाधिकार, दावे और हकदारियाँ रियायतग्राही द्वारा अभित्यक्त और उसकी सहमति से समाप्त हुई समझी जाएँगी, तथा रियायत अनुबंध पक्षकारों के पारस्परिक अनुबंध द्वारा समाप्त हुआ समझा जाएगा।

अनुच्छेद 16. संक्रमणकालीन व्यवस्थाएँ

16.1 वित्त का अंतरण

16.1.1 हवाई अड्डे के लिए और उसके संबंध में सभी राजस्व, प्राप्तियाँ, व्यय और अन्य वित्तीय संव्यवहार, सी ओ डी को 0000 (शून्य शून्य शून्य शून्य) बजे से प्रभावी रूप से प्राधिकरण से रियायतग्राही को अंतरित हुए समझे जाएँगे, और उनसे संबंधित सभी अधिकार, दायित्व और देयताएँ उस घंटे से अंतरण तिथि तक अनन्य रूप से रियायतग्राही में निहित होंगी।

सी ओ डी से पूर्व प्राधिकरण द्वारा उपगत सभी देयताएँ, जिनमें कोई ऋण दायित्व तथा प्राधिकरण या किसी तृतीय पक्षकार को भुगतान सम्मिलित हैं, हर समय प्राधिकरण में निहित बनी रहेंगी; और प्राधिकरण, रियायतग्राही को सी ओ डी से पूर्व उद्भूत किसी नवीयित संविदा या गैर-नवीयित संविदा के अंतर्गत या उसके संबंध में किसी भी प्रकार और प्रकृति की किसी हानि, क्षति, लागत और व्यय हेतु किन्हीं और सभी वादों, कार्यवाहियों, कार्रवाइयों, माँगों और दावों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा, प्रतिरक्षा करेगा, बचाएगा और क्षतिरहित रखेगा। परंतु यह कि प्राधिकरण किसी ऐसे व्यष्टिक दावे के लिए दायी नहीं होगा जो रु. 2,00,00,000 (रुपये दो करोड़) से कम है, और न ही किसी या सभी नवीयित संविदाओं और/अथवा गैर-नवीयित संविदाओं के अंतर्गत सभी दावों (संबंधित ब्याज और प्रवर्तन लागतों को छोड़कर) के लिए प्राधिकरण की समग्र देयता रु. 20,00,00,000 (रुपये बीस करोड़) के बराबर या उससे अधिक होगी।

16.1.2 हवाई अड्डे के लिए और उसके संबंध में सभी विद्यमान प्रतिभूति निक्षेप, बयाना राशि निक्षेप, बैंक गारंटियाँ, निष्पादन प्रतिभूतियाँ अथवा अन्य तत्सदृश लिखत, जिनमें वे भी सम्मिलित हैं जो सभी नवीयित संविदाओं के प्रतिपक्षकार(रों) द्वारा दिए गए हों, प्राधिकरण द्वारा प्रतिपक्षकार को, ऐसे प्रतिपक्षकार द्वारा रियायतग्राही को वही प्रस्तुत किए जाने पर, सी ओ डी के 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के भीतर मुक्त किए जाएँगे।

16.2 गैर-वैमानिकी आस्तियों का अंतरण

खंड 16.3 के अधीन रहते हुए, रियायतग्राही ने सी ओ डी को सभी गैर-वैमानिकी आस्तियों का नियंत्रण ग्रहण कर लिया हुआ समझा जाएगा।

16.3 वैमानिकी आस्तियों का अंतरण

रियायतग्राही ने सीओडी को सभी वैमानिकी आस्तियों और टर्मिनल भवन का नियंत्रण ग्रहण कर लिया हुआ समझा जाएगा।

16.4 संयुक्त प्रबंधन के दौरान प्राधिकरण के दायित्व

16.4.1 प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा और कराएगा कि संयुक्त प्रबंधन अवधि के दौरान, हवाई अड्डे पर सेवारत उसके सभी कर्मचारी अपने-अपने कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन, रियायतग्राही के निदेशों के अनुसार, अपनी सर्वोत्तम योग्यता से तथा सत्यनिष्ठा एवं दक्षता के साथ करें।

16.4.2 प्राधिकरण या उसके कर्मचारी, संयुक्त प्रबंधन अवधि के दौरान किसी कार्य या लोप के लिए दायी नहीं होंगे, सिवाय उस दशा के जहाँ ऐसा कार्य या लोप घोर उपेक्षा या साशय व्यतिक्रम के कारण हुआ हो।

16.4.3 रियायतग्राही, सी ओ डी से 1 (एक) वर्ष के भीतर एयरोड्रोम लाइसेंस अभिप्राप्त करेगा। इस अनुबंध में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्राधिकरण, लागू विधियों के अनुसार, जिनमें विमान नियम, 1937 तथा डी जी सी ए द्वारा जारी नागर विमानन अपेक्षाएँ (CAR) दिनांक 16 अक्टूबर, 2006 का पैराग्राफ 7.3 सम्मिलित है, हवाई अड्डे के एयरोड्रोम संचालक के रूप में कार्य करना जारी रखेगा और जब तक रियायतग्राही को एयरोड्रोम लाइसेंस प्रदान नहीं कर दिया जाता तब तक हवाई अड्डे के प्रचालन के लिए उत्तरदायी होगा; परंतु यह कि उसके परिणामस्वरूप उद्भूत सभी देयताएँ रियायतग्राही की देयताएँ समझी जाएँगी।

16.4.4 यह स्पष्ट किया जाता है कि संयुक्त प्रबंधन अवधि के दौरान, रियायतग्राही हवाई अड्डे के प्रचालन , विकास और प्रबंधन के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगा, और इस अनुबंध में अन्यथा उपवर्णित के सिवाय, इस संबंध में प्राधिकरण का कोई दायित्व और/अथवा अधिकार नहीं होगा।

16.5 सी ओ डी से पूर्व अवलोकन अवधि

प्राधिकरण, सी ओ डी से पूर्व 60 (साठ) दिनों की अवधि के लिए, रियायतग्राही और उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट सभी व्यक्तियों को हवाई अड्डे में प्रवेश करने तथा हवाई अड्डे पर स्टाफ, उपकरण, प्रणालियों और सुविधाओं के कार्यकरण का अवलोकन करने में समर्थ बनाएगा। प्राधिकरण अपने स्टाफ को यह अनुदेश देगा कि वे रियायतग्राही और उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के साथ सहयोग करें तथा सी ओ डी के पश्चात् हवाई अड्डे के प्रचालन के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल अर्जित करने में उनकी सहायता करें। परंतु यह कि इस खंड 16.5 के उपबंध केवल तभी लागू होंगे जब रियायतग्राही ने अनुच्छेद 9 के उपबंधों के अनुसार निष्पादन प्रतिभूति प्रदान कर दी हो।

अनुच्छेद 17. कार्यक्षेत्र में परिवर्तन

17.1 कार्यक्षेत्र में परिवर्तन

17.1.1 इस अनुबंध में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, परियोजना के कार्यक्षेत्र का भाग बनने वाले दायित्वों में कोई परिवर्धन अथवा उनसे कोई लोप, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन ("कार्यक्षेत्र में परिवर्तन") माना जाएगा। कार्यक्षेत्र में कोई भी परिवर्तन इस अनुच्छेद 17 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

17.1.2 यदि रियायतग्राही किसी भी समय यह अवधारित करता है कि उपयोगकर्ताओं को अधिक सुरक्षित और उन्नत सेवाएँ प्रदान करने के लिए कार्यक्षेत्र में परिवर्तन आवश्यक है, तो वह लिखित सूचना द्वारा प्राधिकरण से ऐसे कार्यक्षेत्र में परिवर्तन पर विचार करने की अपेक्षा करेगा। प्राधिकरण, ऐसी सूचना की प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, या तो ऐसे कार्यक्षेत्र में परिवर्तन को रूपांतरणों सहित, यदि कोई हों, स्वीकार करेगा और इस अनुच्छेद 17 के अनुसार उसके लिए कार्यवाहियाँ प्रारंभ करेगा, अथवा ऐसे कार्यक्षेत्र में परिवर्तन को स्वीकार न करने के अपने कारणों से रियायतग्राही को लिखित रूप में अवगत कराएगा।

17.1.3 कोई भी कार्य या सेवाएँ जो इस अनुच्छेद 17 के अनुसार कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के रूप में निष्पादित की जाती हैं, हवाई अड्डे का भाग बनेंगी और इस अनुबंध के उपबंध ऐसे कार्यों या सेवाओं पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

17.1.4 रियायतग्राही अभिस्वीकार और सहमत करता है कि वैमानिकी आस्तियों और गैर-वैमानिकी आस्तियों का ऐसा कोई भी विस्तार, जो इस अनुबंध के उपबंधों के अनुपालन के लिए आवश्यक है, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन का भाग नहीं बनेगा और रियायतग्राही की लागत एवं व्यय पर किया जाएगा।

17.2 कार्यक्षेत्र में परिवर्तन की प्रक्रिया

17.2.1 यदि प्राधिकरण यह अवधारित करता है कि कार्यक्षेत्र में परिवर्तन आवश्यक है, तो वह रियायतग्राही को एक सूचना जारी करेगा जिसमें उसके अंतर्गत परिकल्पित कार्यों और सेवाओं का युक्तियुक्त विस्तार से उल्लेख होगा ("कार्य क्षेत्र परिवर्तन सूचना")।

17.2.2 कार्यक्षेत्र परिवर्तन सूचना की प्राप्ति पर, रियायतग्राही, सम्यक् तत्परता से, प्राधिकरण को आवश्यक सूचना, तत्सहित निम्नलिखित के समर्थन में प्रारंभिक प्रलेखन उपलब्ध कराएगा:

(क) वह प्रभाव, यदि कोई हो, जो कार्यक्षेत्र में परिवर्तन का चरण पूर्णता अनुसूची पर पड़ने की संभावना है, यदि कार्य या सेवाएँ विकास अवधि के दौरान की जानी अपेक्षित हों; तथा

(ख) प्रस्तावित कार्यक्षेत्र में परिवर्तन को कार्यान्वित करने के विकल्प तथा वह प्रभाव, यदि कोई हो, जो प्रत्येक ऐसे विकल्प का उसकी लागतों और समय पर पड़ेगा।

17.2.3 खंड 17.2.2 में उपवर्णित सूचना की प्राप्ति पर, यदि प्राधिकरण कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के साथ आगे बढ़ने का विनिश्चय करता है, तो वह अपना अधिमानी विकल्प रियायतग्राही को संसूचित करेगा, और

तत्पश्चात् पक्षकार, स्वतंत्र अभियंता की सहायता से, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के कार्यान्वयन की रीति पर सहमत होने के सद्भावी प्रयास करेंगे। अनुबंध पर पहुँचने पर, प्राधिकरण एक आदेश ("कार्यक्षेत्र परिवर्तन आदेश") जारी करेगा जिसमें रियायतग्राही से उसके निष्पादन के साथ आगे बढ़ने की अपेक्षा की जाएगी। यदि पक्षकार सहमत होने में असमर्थ रहते हैं, तो प्राधिकरण, कार्यक्षेत्र परिवर्तन आदेश जारी करके, रियायतग्राही से विवाद के समाधान तक उसके निष्पादन के साथ आगे बढ़ने की अपेक्षा कर सकता है।

17.2.4 इस अनुबंध के उपबंध, जहाँ तक वे निर्माण कार्यों और परीक्षणों से संबंधित हैं, इस अनुच्छेद 17 के अंतर्गत कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के रूप में रियायतग्राही द्वारा किए गए कार्यों पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

17.2.5 कार्यक्षेत्र में ऐसा कोई भी परिवर्तन इस अनुच्छेद 17 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा, जो विनियामक के अनुमोदन के अधीन होगा, जिसमें वैमानिकी प्रभारों के अवधारण हेतु विनियामक के विनिश्चय के संबंध में भी सम्मिलित है। प्राधिकरण, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन का भाग बनने वाले कार्यों या सेवाओं के संबंध में रियायतग्राही को कोई भुगतान नहीं करेगा।

17.3 कार्य और सेवाएँ करने की प्राधिकरण की शक्ति

17.3.1 इस अनुच्छेद 17 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्राधिकरण, रियायतग्राही को सूचना देने और उसके उत्तर पर विचार करने के पश्चात्, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन का भाग बनने वाले किन्हीं कार्यों या सेवाओं को खुली प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर किसी व्यक्ति को अधिनिर्णीत कर सकता है, परंतु यह कि रियायतग्राही को, ऐसे कार्यों या सेवाओं की प्राक्कलित लागत का 2.50% (दो दशमलव पाँच शून्य प्रतिशत) प्राधिकरण को अदा करने के अधीन रहते हुए, बोली प्रक्रिया में भाग लेने का विकल्प प्राप्त होगा। रियायतग्राही ऐसे एकबारगी विकल्प का प्रयोग केवल तभी करने का हकदार होगा जब उसने बोली प्रक्रिया में भाग लिया हो और उसकी बोली उसमें प्रथम स्थान प्राप्त बोली के 10% (दस प्रतिशत) के भीतर हो। यदि रियायतग्राही ऐसे किन्हीं कार्यों या सेवाओं को कार्यान्वित नहीं कर रहा है, तो रियायतग्राही, उस व्यक्ति को जो इसके अंतर्गत कार्य या सेवाएँ करता है, पहुँच, सहायता और सहयोग प्रदान करेगा।

17.3.2 इस खंड 17.3 के अनुसार किए गए कार्य या सेवाएँ विनिर्देशों एवं मानकों के अनुरूप होंगी और ऐसी रीति से की जाएँगी जिससे हवाई अड्डे के प्रचालन, प्रबंधन और विकास में न्यूनतम व्यवधान हो। इस अनुबंध के उपबंध, जहाँ तक वे निर्माण कार्यों और परीक्षणों से संबंधित हैं, इस खंड 17.3 के अंतर्गत किए गए कार्यों पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

17.4 कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के कार्यान्वयन की लागतें

कार्यक्षेत्र में परिवर्तन का भाग बनने वाले कार्यों या सेवाओं के रियायतग्राही को अधिनिर्णय अथवा इस अनुच्छेद 17 के अनुसरण में अन्यथा के होते हुए भी, प्राधिकरण द्वारा इसमें उपगत कोई भी लागतें, ऐसे कार्यों या सेवाओं की पूर्णता पर प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को सूचित की जाएँगी। रियायतग्राही, ऐसी लागतों का विवरण, वैमानिकी प्रभारों के अवधारण हेतु विनियामक को अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा, और ऐसी सभी राशियाँ प्राधिकरण को उसकी 6 (छह) समान मासिक किस्तों में अदा करेगा।

अनुच्छेद 18. प्रचालन , अनुरक्षण और प्रबंधन

18.1 रियायतग्राही के ओ एंड एम् दायित्व

18.1.1 रियायत अवधि के दौरान, रियायतग्राही, इस अनुबंध , लागू विधियों और लागू अनुज्ञप्तियों के अनुसार, या तो स्वयं अथवा ओ एंड एम् संविदाकारों के माध्यम से, हवाई अड्डे का प्रचालन और अनुरक्षण करेगा; और यदि अपेक्षित हो, तो इस अनुबंध , लागू विधियों और लागू अनुज्ञप्तियों के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए हवाई अड्डे में रूपांतरण, मरम्मत या अन्यथा सुधार करेगा, तथा विनिर्देशों एवं मानकों और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुरूप रहेगा। इसके अंतर्गत रियायतग्राही के दायित्वों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, किंतु वे इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- (क) इस अनुबंध के निबंधनों और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार अपेक्षित वैमानिकी सेवाएँ, गैर-वैमानिकी सेवाएँ और ऐसी अन्य सेवाएँ प्रदान करना सुनिश्चित करना;
- (ख) हवाई अड्डे पर सामान्य प्रचालन दशाओं के दौरान उपयोगकर्ताओं की सुरक्षित, सुचारु और अबाधित आवाजाही तथा यातायात के प्रवाह की अनुज्ञा देना, जिसमें उसकी हानि या क्षति का निवारण सम्मिलित है;
- (ग) शुल्क का संग्रहण और विनियोजन;
- (घ) हवाई अड्डे की सुरक्षा और उपयोग को प्रभावित करने वाली दुर्घटनाओं या अन्य घटनाओं की दशा में, त्वरित एवं प्रभावी प्रत्युत्तर देकर और राज्य की आपातकालीन सेवाओं के साथ संपर्क बनाए रखकर, हवाई अड्डे के प्रचालन में, जिसमें एयरसाइड, टर्मिनल भवन और लैंडसाइड सम्मिलित हैं, व्यवधान को न्यूनतम करना;
- (ङ) हवाई अड्डे का आवधिक निवारक अनुरक्षण करना;
- (च) यह सुनिश्चित करना कि वैमानिकी आस्ति्याँ, जिनमें रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और अप्रोच क्षेत्र सम्मिलित हैं, लागू विधियों, लागू अनुज्ञप्तियों और संबंधित इकाओ दस्तावेजों एवं अनुबंधों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार अनुरक्षित और संचालित की जाएँ;
- (छ) यह सुनिश्चित करना कि रनवे, जिसमें स्ट्रिप्स, शोल्डर, स्टॉप-वे और रनवे के लिए रनवे एंड सेफ्टी एरिया तथा टैक्सीवे और आइसोलेशन बे के लिए स्ट्रिप्स एवं शोल्डर सम्मिलित हैं, लागू विधियों, लागू अनुज्ञप्तियों और संबंधित इकाओ दस्तावेजों एवं अनुबंधों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार अनुरक्षित किए जाएँ;
- (ज) यह सुनिश्चित करना कि हवाई अड्डे की बाधा-परिसीमन सतहें तथा अप्रोच और टेक-ऑफ क्षेत्र अवरोधों से मुक्त हों, अथवा अवरोध लागू विधियों, लागू अनुज्ञप्तियों और संबंधित इकाओ दस्तावेजों एवं अनुबंधों में विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय सीमाओं तक सीमित हों;

- (झ) नैमित्तिक अनुरक्षण करना, जिसमें दरारों, जोड़ों, जल-निकासी प्रणालियों, तटबंधों, संरचनाओं, भवनों, फुटपाथ चिह्नों, सिग्नलिंग प्रणालियों, संचार प्रणालियों, प्रकाश व्यवस्था, साइनेज और अन्य उपकरणों की तत्काल मरम्मत सम्मिलित है;
- (ञ) प्रमुख अनुरक्षण करना, जैसे संरचनाओं की मरम्मत, उपकरणों, सिग्नलिंग एवं संचार प्रणाली की मरम्मत और नवीकरण तथा उपकरणों का बृहत् ओवरहॉल;
- (ट) यह सुनिश्चित करना कि सीएनएस/एटीएम उपकरण और सुविधाओं के प्रचालन के लिए, प्राधिकरण अथवा नामनिर्दिष्ट भारत सरकार अभिकरण द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, चिह्नित संवेदनशील और क्रांतिक क्षेत्र किसी भी अवरोध से मुक्त रखे जाएँ, और ऐसा कोई अवरोध अनुज्ञात न किया जाए जो इन उपकरणों और सुविधाओं की सुरक्षा या कार्यकरण में बाधा डाल सकता हो अथवा विमान प्रचालन की सुरक्षा को संकट में डाल सकता हो;
- (ठ) यह सुनिश्चित करना कि लागू विधियों और उत्तम उद्योग पद्धतियों के अनुसार, हवाई अड्डे में और उसके आसपास पक्षी एवं पशु-जनित बाधा के निवारण के लिए हवाई अड्डे पर समुचित व्यवस्थाएँ और पूर्वावधानियाँ की गई हैं;
- (ड) एयरफील्ड प्रकाश व्यवस्था तथा मुख्य एवं स्टैंडबाय विद्युत आपूर्ति प्रणालियों का अनुरक्षण, लागू विधियों और संबंधित इकाओ दस्तावेजों एवं अनुबंधों तथा डीजीसीए नागर विमानन अपेक्षाओं में, जैसी समय-समय पर जारी या अद्यतन की जाएँ, विहित मानकों तथा संबंधित संहिताओं और मानकों के अनुसार करना;
- (ढ) संबंधित विधि प्रवर्तन अभिकरणों की सहायता से, हवाई अड्डे पर किसी अतिक्रमण, अप्राधिकृत प्रवेश अथवा अप्राधिकृत उपयोग का निवारण करना;
- (ण) पर्यावरण का संरक्षण और परिरक्षण तथा उसके लिए उपकरण और सामग्री का प्रावधान;
- (त) वैमानिकी सेवाओं और गैर-वैमानिकी सेवाओं के दक्ष प्रचालन एवं प्रबंधन के लिए आवश्यक सभी संचार, नियंत्रण और प्रशासनिक प्रणालियों का प्रचालन और अनुरक्षण;
- (थ) अपेक्षित सूचना प्रदान करने के लिए, लागू विधियों के अनुसार उपयोगकर्ताओं, सरकारी अभिकरणों, मीडिया और अन्य अभिकरणों के साथ संपर्क बनाए रखने तथा उनके सुझावों पर ध्यान देने हेतु एक जनसंपर्क इकाई बनाए रखना;
- (द) अनुच्छेद 18 के अनुसार सुरक्षा अपेक्षाओं का अनुपालन करना;
- (ध) सभी परियोजना आस्तियों का तत्परतापूर्वक, दक्षतापूर्वक और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार प्रचालन और अनुरक्षण;
- (न) हवाई अड्डे के प्रचालन में समयबद्धता और विश्वसनीयता बनाए रखना;
- (प) हवाई अड्डे पर स्वच्छता और स्वास्थ्य-रक्षा का उच्च मानक बनाए रखना, जिसमें सभी प्रकार के अपशिष्ट का उपयुक्त स्थान पर व्ययन सम्मिलित है;

(फ) संबंधित इकाओ मानकों अथवा उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धांतों, लागू विधियों, लागू अनुज्ञप्तियों और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार अग्नि-पूर्वावधानियों से संबंधित सभी उपाय करना;

(ब) प्राधिकरण, किसी सरकारी अभिकरण, डीजीसीए , राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा-अपेक्षित सभी आवश्यक सूचना, डेटा, प्रचालन सांख्यिकी इत्यादि उपलब्ध कराना।

18.1.2 रियायतग्राही, हवाई अड्डे से सभी अतिरिक्त निर्माण मशीनरी और सामग्री, अपशिष्ट सामग्री (जिसमें संकटमय सामग्री और अपशिष्ट जल सम्मिलित हैं), कचरा और अन्य मलबा (जिसमें, बिना किसी परिसीमा के, दुर्घटना-जनित मलबा सम्मिलित है) तत्काल हटाएगा और हवाई अड्डे को स्वच्छ, सुव्यवस्थित एवं व्यवस्थित दशा में तथा लागू विधियों, लागू अनुज्ञप्तियों और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुरूप रखेगा।

18.1.3 रियायतग्राही, अनुच्छेद 11 के अनुसार, स्थल पर स्थित अप्रोच सड़कों, ऊपरी पुलों/नीचे के पुलों, ओवर-पास, अंडर-पास अथवा अन्य संरचनाओं या उपयोगिताओं के सभी विस्तारों का अनुरक्षण उत्तम उद्योग पद्धति के अनुरूप करेगा।

18.2 अनुरक्षण अपेक्षाएँ

रियायतग्राही हवाई अड्डे के अनुरक्षण में हर समय लागू विधि का अनुपालन करेगा और हवाई अड्डे को लागू विधियों, लागू अनुज्ञप्तियों, संबंधित इकाओ दस्तावेजों एवं अनुबंधों में विहित मानकों तथा उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार अच्छी प्रचालन -योग्य मरम्मत और दशा में रखेगा, अथवा युक्तियुक्त रूप से आवश्यक सीमा तक उसका नवीकरण, प्रतिस्थापन और उन्नयन करेगा। समस्त अनुरक्षण, मरम्मत और अन्य कार्य इस प्रकार किए जाएँगे कि हवाई अड्डे के उपयोगकर्ताओं को न्यूनतम असुविधा हो।

18.3 सुरक्षा, विघटन और दुर्घटनाएँ

18.3.1 रियायतग्राही उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित दशाएँ सुनिश्चित करेगा; और असुरक्षित दशाओं, रनवे या टैक्सीवे को क्षति, एयरफील्ड प्रकाश व्यवस्था में व्यवधान, विघटन और दुर्घटनाओं की दशा में, वह संबंधित मानक प्रचालन प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा तथा अवरोध और मलबे को बिना विलंब हटाएगा। ऐसी प्रक्रियाएँ इस अनुबंध , लागू विधियों, लागू अनुज्ञप्तियों, संबंधित इकाओ दस्तावेजों एवं अनुबंधों में विहित मानकों तथा उत्तम उद्योग पद्धति के उपबंधों के अनुरूप होंगी। इस संबंध में, रियायतग्राही एतद्संलग्न अनुसूची 3 में सुरक्षा हेतु विहित मार्गदर्शी सिद्धांतों का भी अनुसरण करेगा।

18.3.2 हवाई अड्डे पर बचाव कार्यों के लिए रियायतग्राही के उत्तरदायित्व में, किसी विशिष्ट घटना के प्रति प्रारंभिक प्रत्युत्तर के रूप में प्रभावित क्षेत्र से सभी उपयोगकर्ताओं और स्टाफ की सुरक्षित निकासी सम्मिलित होगी, और इसमें मलबे या किसी अन्य ऐसे अवरोध का तत्काल हटाया जाना भी सम्मिलित होगा जो यातायात के सुचारु प्रवाह और उपयोगकर्ताओं की आवाजाही को संकट में डाल सकता हो या बाधित कर सकता हो। इस प्रयोजनार्थ, वह बचाव उपकरणों सहित 2 (दो) चौबीसों घंटे उपलब्ध बचाव वाहन अनुरक्षित और संचालित करेगा तथा वाहनों को ऐसी रीति से स्थापित करेगा जिससे दुर्घटना स्थल तक तत्काल पहुँच संभव हो।

18.4 आपात स्थिति के कारण डी-कमीशनिंग

18.4.1 यदि ऐसी कोई आपात स्थिति विद्यमान है जो हवाई अड्डे के समस्त भाग या किसी भाग की डी-कमीशनिंग और बंदी को न्यायोचित ठहराती है, तो रियायतग्राही, प्राधिकरण अथवा नामनिर्दिष्ट भारत सरकार अभिकरण द्वारा सलाह दिए जाने पर, हवाई अड्डे के समस्त भाग या किसी भाग को उपयोगकर्ताओं के लिए तब तक डी-कमीशन और बंद करने का हकदार होगा जब तक ऐसी आपात स्थिति और उसके परिणाम न्यायोचित ठहराएँ; परंतु यह कि ऐसी डी-कमीशनिंग और उसके विवरण रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को बिना किसी विलंब अधिसूचित किए जाएँगे, और रियायतग्राही ऐसी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्राधिकरण द्वारा दिए गए किन्हीं युक्तियुक्त निदेशों का तत्परतापूर्वक पालन और अनुपालन करेगा।

18.4.2 रियायतग्राही, उन परिस्थितियों के, जिनके कारण डी-कमीशनिंग और बंदी हुई थी, समाप्त हो जाने या इतनी कम हो जाने पर कि रियायतग्राही हवाई अड्डे को पुनः कमीशन कर सके, यथासंभव शीघ्रता से हवाई अड्डे या प्रभावित भाग को पुनः कमीशन करेगा और उसकी सूचना प्राधिकरण को बिना किसी विलंब देगा।

18.4.3 हवाई अड्डे के किसी भाग की कोई डीकमीशनिंग या बंदी तथा उसकी पुनः कमीशनिंग, यथाशीघ्र व्यवहार्य रूप में, लोक घोषणाओं/सूचना के माध्यम से प्रभावित व्यक्तियों की जानकारी में लाई जाएगी।

18.4.4 किसी आपात स्थिति के दौरान अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकहित के कारणों से हवाई अड्डे या उसके किसी भाग की डी-कमीशनिंग या प्रतिबंधित उपयोग के लेखे में रियायतग्राही को कोई दावा या प्रतिकर देय और संदेय नहीं होगा।

18.5 अनुभाग बंदी

खंड 18.6 में उपबंधित के सिवाय, रियायतग्राही, नैमित्तिक और निवारक अनुरक्षण या मरम्मत कार्य करने के लिए हवाई अड्डे के किसी अनुभाग को बंद नहीं करेगा, सिवाय प्राधिकरण के पूर्व लिखित अनुमोदन से और प्रभावित अनुभाग में आरक्षित सेवाएँ प्रदान करने वाले नामनिर्दिष्ट भारत सरकार अभिकरणों के साथ निकट समन्वय में। ऐसा अनुमोदन रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को किए जाने वाले लिखित अनुरोध के माध्यम से, ऐसे अनुभाग की प्रस्तावित बंदी से कम से कम 7 (सात) दिन पूर्व माँगा जाएगा और उसके साथ विवरण संलग्न होंगे। ऐसा अनुरोध प्राप्त होने के 3 (तीन) दिनों के भीतर, प्राधिकरण ऐसे रूपांतरणों के साथ अनुज्ञा प्रदान करेगा जो वह युक्तियुक्त और आवश्यक समझे, और ऐसी अनुज्ञा की एक प्रति रियायतग्राही को भेजी जाएगी। विमानचालकों को सूचना (NOTAM) जारी करने की आवश्यकता पर ऐसी किसी भी परिस्थिति में विचार किया जाएगा जो विमान/हवाई अड्डे के प्रचालन को प्रभावित कर सकती हो। रियायतग्राही, जब अपेक्षित हो, विमानचालकों को सूचना (NOTAM) जारी करने के लिए आवश्यक समय की छूट देगा।

18.6 प्राधिकरण की अभिभावी शक्तियाँ

18.6.1 यदि प्राधिकरण की युक्तियुक्त राय में, रियायतग्राही इस अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों के तात्त्विक उल्लंघन में है और ऐसा उल्लंघन उपयोगकर्ताओं को तात्त्विक कठिनाई या खतरा कारित कर रहा है या कारित करने की संभावना है, तो प्राधिकरण, इस अनुबंध के अंतर्गत अपने किन्हीं अधिकारों पर, जिनमें

उसकी समाप्ति सम्मिलित है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सूचना द्वारा रियायतग्राही से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसी कठिनाई या खतरे, जैसी भी स्थिति हो, को ठीक करने या हटाने के लिए तत्काल युक्तियुक्त उपाय करे।

18.6.2 यदि रियायतग्राही, खंड 18.6.1 के अंतर्गत सूचना पर, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित अवधि के भीतर किसी कठिनाई या खतरे को ठीक करने या हटाने में विफल रहता है, तो प्राधिकरण इस खंड 18.6 के अंतर्गत अभिभावी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और ऐसी कठिनाई या खतरे को ठीक करने या हटाने के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक रियायतग्राही के किन्हीं या सभी दायित्वों का निष्पादन अपने हाथ में ले सकता है; परंतु यह कि प्राधिकरण द्वारा ऐसी अभिभावी शक्तियों का प्रयोग, उससे अधिक व्यापक कार्यक्षेत्र का और उससे अधिक लंबी कालावधि का नहीं होगा जितना इसके अंतर्गत युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित है; परंतु यह भी कि इसके अंतर्गत अपने दायित्वों के निर्वहन में प्राधिकरण द्वारा उपगत कोई लागत और व्यय ओ एंड एम् व्यय समझे जाएँगे, और प्राधिकरण उन्हें इस अनुबंध के उपबंधों के अनुसार रियायतग्राही से वसूल करने का हकदार होगा। इस प्रकार वसूल की गई राशि वैमानिकी प्रभारों के अवधारण में पास-थ्रू के लिए नहीं मानी जाएगी।

18.6.3 किसी राष्ट्रीय आपात स्थिति, सिविल उपद्रव अथवा खंड 32.3 में विनिर्दिष्ट किसी अन्य कार्य की दशा में, प्राधिकरण, रियायतग्राही के किन्हीं या सभी दायित्वों का निष्पादन आवश्यक समझी गई सीमा तक स्वयं अपने हाथ में ले सकता है अथवा किसी नामनिर्दिष्ट भारत सरकार अभिकरण से अपने हाथ में कराया सकता है, और हवाई अड्डे पर ऐसा नियंत्रण कर सकता है अथवा रियायतग्राही को ऐसे निदेश दे सकता है जो आवश्यक समझे जाएँ; परंतु यह कि प्राधिकरण द्वारा ऐसी अभिभावी शक्तियों का प्रयोग, उन परिस्थितियों में, जिनके कारण प्राधिकरण द्वारा ऐसी अभिभावी शक्ति का प्रयोग हुआ, युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित से अधिक व्यापक कार्यक्षेत्र का और अधिक लंबी कालावधि का नहीं होगा। यह सहमत है कि ऐसी कार्रवाई के परिणामों से अनुच्छेद 32 के उपबंधों के अनुसार निपटा जाएगा। यह भी सहमत है कि रियायतग्राही, इस खंड 18.6 के उपबंधों के अनुसरण में प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करेगा और प्राधिकरण को उसके दायित्वों के निष्पादन हेतु सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर सहायता एवं सहयोग प्रदान करेगा।

18.7 हवाई अड्डे को हुई हानि या क्षति की पुनःस्थापना

इस अनुबंध में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यदि रियायत अवधि के दौरान किसी भी कारण से हवाई अड्डे या उसके किसी भाग को कोई हानि या क्षति होती है, तो रियायतग्राही, अपनी लागत और व्यय पर, ऐसी हानि या क्षति को तत्काल ठीक और उपचारित करेगा ताकि हवाई अड्डा इस अनुबंध के उपबंधों के अनुरूप हो जाए। यदि ऐसी हानि या क्षति, इस अनुबंध के अंतर्गत रियायतग्राही के निष्पादन दायित्वों में किसी उल्लंघन या व्यतिक्रम के कारण हुई है, तो ऐसी हानि या क्षति की मरम्मत या सुधार पर रियायतग्राही द्वारा वहन की गई लागतें, वैमानिकी प्रभारों के अवधारण के प्रयोजनों के लिए विचार में नहीं ली जाएँगी।

18.8 हवाई अड्डे में संशोधन

18.8.1 हवाई अड्डे के चरणबद्ध विकास और ऐसे विकासात्मक कार्यों के कारण आवश्यक होने वाले परिणामी परिवर्तनों के संबंध में इस समझौते में अन्यथा प्रदान किए गए और प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित परिवर्तनों को छोड़कर, रियायतग्राही विकास अवधि के बाद किसी भी समय हवाई अड्डे में कोई भौतिक संशोधन नहीं करेगा। हालांकि, रियायतग्राही ऐसा कोई भी संशोधन कर सकता है, जहाँ हवाई अड्डे को मास्टर प्लान, विनिर्देशों और मानकों, अच्छे उद्योग अभ्यास, लागू कानूनों, लागू परमिटों और इस समझौते के प्रावधानों के अनुरूप संचालित करने के लिए ऐसे संशोधन आवश्यक हों, बशर्ते कि रियायतग्राही ऐसे संशोधनों पर काम शुरू करने से कम से कम 30 (तीस) दिन पहले प्रस्तावित संशोधनों के विवरण के साथ प्राधिकरण को सूचित करेगा और रियायतग्राही के प्रस्ताव को प्राप्त करने के 30 (तीस) दिनों के भीतर प्राधिकरण द्वारा दिए जा सकने वाले किसी भी सुझाव पर उचित विचार करेगा। इसके तहत किए गए सभी संशोधन सुरक्षा आवश्यकताओं, विनिर्देशों और मानकों, लागू कानूनों, लागू परमिटों, अच्छे उद्योग अभ्यास और इस समझौते के प्रावधानों का पालन करेंगे।

18.8.2 किसी भी समय, ऐसे संशोधनों से हवाई अड्डे के मौजूदा और परिचालन भागों और/या उपयोगकर्ताओं के प्रचालन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

18.8.3 इस समझौते के प्रावधान, जहाँ तक वे निर्माण कार्यों और परीक्षणों से संबंधित हैं, हवाई अड्डे के संशोधन का हिस्सा बनने वाले सभी निर्माण कार्यों पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

18.8.4 इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, खंड 18.8.1 के तहत किया गया कोई भी संशोधन कार्यक्षेत्र का परिवर्तन नहीं माना जाएगा।

18.9 दायित्वों के निष्पादन से छूट

रियायतग्राही को इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के उल्लंघन में नहीं माना जाएगा यदि हवाई अड्डे का कोई भी हिस्सा उसकी अवधि के दौरान निम्नलिखित में से किसी के कारण उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है:

(क) अप्रत्याशित घटना

(ख) हवाई अड्डे के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय, सिवाय इसके कि जब असुरक्षित स्थितियाँ इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में रियायतग्राही की विफलता के कारण उत्पन्न हुई हों; या

(ग) प्राधिकरण के किसी अनुरोध या किसी सरकारी निकाय के निर्देशों का अनुपालन, जिसका प्रभाव पूरे हवाई अड्डे या उसके किसी हिस्से को बंद करना हो।

बशर्ते कि ऐसी किसी भी अनुपलब्धता और उसके विवरण की सूचना रियायतग्राही द्वारा बिना किसी देरी के प्राधिकरण को दी जाएगी।

आगे बशर्ते कि रियायतग्राही हवाई अड्डे के सभी अप्रभावित हिस्सों को सामान्य परिचालन के लिए खुला रखेगा, बशर्ते उन्हें सुरक्षित रूप से संचालित किया जा सकता हो।

18.10 बाधाएं और मोड़

प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि रियायत अवधि के दौरान, आपातकाल, राष्ट्रीय सुरक्षा या कानून और व्यवस्था के कारणों को छोड़कर, किसी भी सरकारी निकाय द्वारा हवाई अड्डे पर कोई बाधा या रुकावट खड़ी न की जाए।

प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए भी उचित प्रयास करेगा कि कोई भी सरकारी निकाय, आपातकाल, राष्ट्रीय सुरक्षा या कानून और व्यवस्था के कारणों को छोड़कर, हवाई अड्डे के एप्रोच मार्गों पर कोई मोड़ न बनाए या उन्हें बंद न करे, जिससे हवाई अड्डे के आने-जाने पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो।

18.11 रक्षा बलों द्वारा हवाई अड्डे का उपयोग और कुछ अन्य आपात स्थितियों के दौरान

18.11.1 रियायतग्राही स्वीकार करता है और सहमत होता है कि रक्षा बलों को हर समय किसी भी प्रकृति के किसी प्रतिबंध या बाध्यता के बिना हवाई अड्डे और उसकी सभी सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार होगा।

18.11.2 खंड 18.3.1 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी आपात स्थिति के दौरान हवाई क्षेत्र के आवंटन और उसे बंद करने तथा हवाई अड्डे के उपयोग के संबंध में रक्षा बलों के प्रति रियायतग्राही के दायित्व समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, और उस सीमा तक, रियायतग्राही को हवाई अड्डे के नागरिक उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करने के अपने दायित्वों से मुक्त कर दिया जाएगा।

18.11.3 कहीं भी इसके विपरीत निहित किसी भी बात के बावजूद, रियायतग्राही:

- (क) भारत सरकार के 'यूनियन वॉर बुक के प्रावधानों के अनुसार युद्ध, प्राकृतिक आपदा/विपत्तियों, आंतरिक अशांति आदि जैसी आपात स्थितियों को पूरा करने के लिए हवाई अड्डे और परियोजना सुविधाओं को निःशुल्क और आवश्यक सीमा तक उपलब्ध कराएगा;
- (ख) रक्षा और अन्य अर्धसैनिक विमानों के लिए लैंडिंग और पार्किंग शुल्क के बिना निर्बाध लैंडिंग और पार्किंग सुविधाएं प्रदान करेगा, और रक्षा अभियानों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा सुविधाएं और उपकरण भी प्रदान करेगा;
- (ग) आवधिक और औचक निरीक्षणों के लिए सुरक्षा एजेंसियों को हवाई अड्डे तक पहुँच उपलब्ध कराएगा;
- (घ) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के किसी भी पद पर वरिष्ठ निर्णय लेने वाले पदों के लिए विदेशी नागरिकों को काम पर रखने के लिए संबंधित सरकारी निकायों का अनुमोदन प्राप्त करेगा;
- (ङ) बीसीएस और डीजीसीएस द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन करेगा;
- (च) स्थल और हवाई अड्डे पर निर्माण, ग्राउंड हैंडलिंग या अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए लगाई जाने वाली विदेशी कंपनियों के पूर्व-सत्यापन प्राप्त करेगा;
- (छ) हवाई अड्डे के विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमाओं से संबंधित मंजूरी संबंधित सरकारी निकायों से प्राप्त करेगा, यदि आवश्यक हो, और नियंत्रण या स्वामित्व में कोई भी परिवर्तन राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा मंजूरी के अधीन होगा;
- (ज) अंतरराष्ट्रीय यात्रियों और चालक दल को संभालने के लिए अपेक्षित बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करेगा जिन्हें आव्रजन और सीमा शुल्क से गुजरना होगा; और
- (झ) हवाई अड्डे पर स्वास्थ्य सेवाओं और पादप संगरोध के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

18.12 बिजली, दूरसंचार सेवाएं, पानी और अन्य उपयोगिताएं

18.12.1 रियायतग्राही लागू कानूनों के अनुसार प्रभारों का भुगतान करने पर संबंधित स्थानीय उपयोगिताओं से बिजली, दूरसंचार सेवाएं, पानी और ऐसी अन्य उपयोगिताएं प्राप्त करेगा, जो हवाई अड्डे के प्रचालन के लिए आवश्यक हो सकती हैं।

18.12.2 रियायतग्राही परियोजना के प्रयोजनों के लिए बिजली प्राप्त करने, उत्पादन करने या वितरण करने के प्रयोजनों के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों का पालन करेगा।

18.13 पर्यावरण लेखापरीक्षा और रिपोर्ट

18.13.1 रियायतग्राही प्राधिकरण को सहमत करता है और आश्वासन देता है कि वह हवाई अड्डे के प्रचालन, प्रबंधन और विकास के दौरान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित हवाई अड्डे और स्थल से संबंधित सभी शर्तों और समय-समय पर जारी की जाने वाली अन्य अनुमतियों और अनुमोदनों का पालन करेगा। रियायतग्राही प्राधिकरण को त्रैमासिक आधार पर उसमें उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुसार सभी डेटा और रिपोर्टों के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

18.13.2 रियायतग्राही समय-समय पर संबंधित सरकारी निकाय द्वारा अपेक्षित वायु गुणवत्ता, ध्वनि और अन्य पर्यावरणीय मापदंडों को मापने के लिए सुविधाएं और सेवाएं प्राप्त करेगा और संबंधित सरकारी निकायों द्वारा निर्धारित प्रारूप में उक्त डेटा को बनाए रखेगा और अद्यतन भी करेगा।

18.13.3 रियायतग्राही चरण 1 पूर्णता तिथि के 1 (एक) वर्ष के भीतर यह सुनिश्चित करेगा कि एक स्वतंत्र विशेषज्ञ हवाई अड्डे का पूर्ण पर्यावरणीय ऑडिट करे और ऐसे ऑडिट की एक प्रति प्राधिकरण को प्रदान करे। ऐसा स्वतंत्र विशेषज्ञ प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से नियुक्त किया जाएगा।

18.13.4 पर्यावरणीय ऑडिट से प्राप्त जानकारी के आधार पर, रियायतग्राही अगले 6 (छह) महीनों की अवधि के भीतर हवाई अड्डे के लिए एक पर्यावरण प्रबंधन रणनीति तैयार करेगा और प्रस्तुत करेगा, जिसमें हवाई अड्डे की पर्यावरणीय स्थिति का प्रबंधन करने के लिए रणनीतियाँ और कार्यो को निर्धारित किया जाएगा और एक पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम जो समय के साथ हवाई अड्डे की पर्यावरणीय स्थिति का आकलन करता है।

18.13.5 रियायतग्राही सालाना या संबंधित सरकारी निकाय द्वारा निर्धारित अंतरालों पर पर्यावरण प्रबंधन रणनीति के तहत प्रगति की समीक्षा करेगा और समय-समय पर उक्त पर्यावरण प्रबंधन रणनीति को अद्यतन करेगा। रियायतग्राही पर्यावरण प्रबंधन रणनीति के तहत प्रगति के संबंध में प्राधिकरण के साथ-साथ संबंधित सरकारी निकाय को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रदान करेगा।

18.13.6 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि समाप्ति के समय और हस्तांतरण तिथि पर, हवाई अड्डे की पर्यावरणीय स्थिति पर्यावरणीय मंजूरी और वन मंजूरी में बताए अनुसार सभी वैधानिक और विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करती हो।

18.14 स्लॉट आवंटन दिशानिर्देश

रियायतग्राही हवाई अड्डे पर विमान की लैंडिंग और समय सारिणी स्लॉट का प्रबंधन और आवंटन करेगा, और एयरलाइंस के परामर्श से तथा आईएटीए स्लॉट आवंटन दिशानिर्देशों और प्रासंगिक नामित जीओआई एजेंसी और/या प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार तथा समय-समय पर अद्यतन किए गए निष्पक्ष, उचित और न्यायसंगत तरीके से ऐसे स्लॉट आवंटित करेगा।

18.15 सुरक्षा आवश्यकताएं

18.15.1 रियायतग्राही इस समझौते, लागू कानूनों और लागू परमिटों के प्रावधानों का पालन करेगा और हवाई अड्डे पर या उसके आसपास उपयोगकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुरूप कार्य करेगा, और हवाई अड्डे पर या उसके आसपास दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप होने वाली चोटों, जीवन की हानि या जीवन या संपत्ति को होने वाले नुकसान की शून्य या न्यूनतम संख्या हमेशा सुनिश्चित करेगा, चाहे गलती

किसी भी व्यक्ति की हो। विशेष रूप से, रियायतग्राही हवाई अड्डे पर या उसके आसपास एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए एक निगरानी और सुरक्षा कार्यक्रम विकसित, कार्यान्वित और प्रशासित करेगा जहाँ तक वे उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा से संबंधित हैं, जबकि सुरक्षित आवागमन, सुरक्षा प्रबंधन, सुरक्षा उपकरण, अग्नि सुरक्षा, प्रवर्तन और आपातकालीन प्रतिक्रिया से जुड़े उपायों को शामिल करते हुए, अच्छे उद्योग अभ्यासों के अनुसार निम्नलिखित में निर्धारित सुरक्षा आवश्यकताओं ("सुरक्षा आवश्यकताएं") का पालन करेगा:

(क) लागू कानून और लागू परमिट;

(ख) इस समझौते के प्रावधान; और

(ग) प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेज और अनुबंध, डीजीसीए के लागू दिशानिर्देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत कोड में निहित अन्य प्रासंगिक मानक/दिशानिर्देश।

18.15.2 सुरक्षा आवश्यकताएं प्रचालन, प्रबंधन और विकास के सभी चरणों पर लागू होंगी, जिसमें दुर्घटनाओं से जुड़े कारकों की पहचान, उन पर विचार और उचित उपचारात्मक उपायों के कार्यान्वयन पर जोर दिया जाएगा।

18.15.3 रियायतग्राही उपयोगकर्ताओं के लिए एक निगरानी और सुरक्षा कार्यक्रम विकसित, कार्यान्वित और प्रशासित करेगा, जिसमें विमान के अपहरण पर प्रतिक्रिया, सुरक्षा उल्लंघनों और कमियों को सुधारना और इस समझौते के अनुसार एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्य शामिल हैं।

18.15.4 रियायतग्राही एक हवाई अड्डा सुरक्षा प्रबंधन इकाई ("एसएमयू") की स्थापना करेगा जो सीओडी से कार्यात्मक होगी, और अपने अधिकारियों में से एक को एसएमयू का प्रभारी नामित करेगा। ऐसे अधिकारी को इस विषय पर किसी प्रतिष्ठित संगठन द्वारा आयोजित पाठ्यक्रम में भाग लेकर हवाई अड्डा प्रणाली सुरक्षा में विशेषज्ञ ज्ञान और प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए।

18.15.5 रियायतग्राही हवाई अड्डे पर होने वाली किसी भी दुर्घटना के संबंध में पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्रत्येक प्रथम सूचना रिपोर्ट ("एफआईआर") की एक प्रति रखेगा। इसके अतिरिक्त, रियायतग्राही पुलिस द्वारा दर्ज नहीं किए गए दुर्घटनाओं के सभी मामलों के लिए भी डेटा एकत्र करेगा। इस प्रकार एकत्रित जानकारी को इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप में संक्षेपित किया जाएगा। रियायतग्राही एक रूट मैप पर प्रत्येक दुर्घटना के सटीक स्थान को भी दर्ज करेगा। उपर्युक्त डेटा प्रत्येक तिमाही के अंत में प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।

18.15.6 रियायतग्राही प्रत्येक वर्ष के 31 मई से पहले प्राधिकरण को एक वार्षिक रिपोर्ट (दस प्रतियों में) प्रस्तुत करेगा, जिसमें बिना किसी सीमा के, पूर्ववर्ती लेखा वर्ष की सभी दुर्घटनाओं की विस्तृत सूची और विश्लेषण और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को टालने या कम करने के लिए रियायतग्राही द्वारा किए गए उपाय शामिल होंगे।

18.15.7 सुरक्षा आवश्यकताओं से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित सभी लागत और खर्च रियायतग्राही द्वारा वहन किए जाएंगे, और इस समझौते, लागू कानूनों और लागू परमिटों के अनुसार वैमानिकी शुल्कों का निर्धारण या संशोधन करते समय विनियामक द्वारा हवाई अड्डे के प्रयोजनों के लिए रियायतग्राही द्वारा किए गए खर्चों के एक हिस्से के रूप में विचार किया जा सकता है।

18.16 रखरखाव नियमावली

18.16.1 निर्धारित पूर्णता तिथि से कम से कम 90 (नब्बे) दिन पहले, रियायतग्राही स्वतंत्र इंजीनियर के परामर्श से विनिर्देशों और मानकों, रखरखाव आवश्यकताओं, सुरक्षा आवश्यकताओं, प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों में निर्धारित मानकों, लागू कानूनों, डीजीसीए द्वारा समय-समय पर अधिसूचित लागू दिशानिर्देशों और अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुरूप हवाई अड्डे के नियमित और निवारक रखरखाव के लिए एक मरम्मत, प्रचालन और रखरखाव

नियमावली ("रखरखाव नियमावली") विकसित करेगा और इसकी 5 (पांच) प्रतियां प्राधिकरण को और 2 (दो) प्रतियां स्वतंत्र इंजीनियर को प्रदान करेगा। रखरखाव नियमावली को प्रत्येक 3 (तीन) वर्ष में एक बार संशोधित और अद्यतन किया जाएगा और इस खंड 18.16 के प्रावधान ऐसे संशोधन पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे। इस खंड 18.16 के प्रावधान नगर पक्ष विकास पर लागू नहीं होंगे।

18.16.2 खंड 18.16.1 के प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रखरखाव नियमावली में विशेष रूप से परियोजना परिसंपत्तियों के रखरखाव के प्रावधान शामिल होंगे और जीवन चक्र रखरखाव, नियमित रखरखाव और प्रतिक्रियाशील रखरखाव का प्रावधान होगा जो परियोजना परिसंपत्तियों के रखरखाव और मरम्मत के लिए उचित रूप से आवश्यक हो सकता है, जिसमें उनका प्रतिस्थापन भी शामिल है, ताकि उनकी समग्र स्थिति अच्छे उद्योग अभ्यास, लागू कानूनों और लागू परमिटों के अनुरूप हो।

18.17 रखरखाव कार्यक्रम

18.17.1 सीओडी पर या उससे पहले और रियायत अवधि के दौरान प्रत्येक लेखा वर्ष की शुरुआत से कम से कम 45 (पैंतालीस) दिन पहले, रियायतग्राही प्राधिकरण और स्वतंत्र इंजीनियर को रखरखाव आवश्यकताओं, रखरखाव नियमावली और सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन करने के लिए निवारक, तत्काल और अन्य निर्धारित रखरखाव का अपना प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम ("रखरखाव कार्यक्रम") प्रदान करेगा। ऐसे रखरखाव कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (क) निवारक रखरखाव अनुसूची;
- (ख) तत्काल मरम्मत करने की व्यवस्था और प्रक्रियाएं;
- (ग) रखरखाव की जरूरतों को तय करने के लिए अपनाए जाने वाले मानदंड;
- (घ) हवाई अड्डे के सभी तत्वों के निरीक्षण के लिए अंतराल और प्रक्रियाएं;
- (ङ) वे अंतराल जिन पर रियायतग्राही आवधिक रखरखाव करेगा;
- (च) सुरक्षा संबंधी उपायों को लागू करने की व्यवस्था और प्रक्रियाएं; और
- (छ) प्रमुख रखरखाव कार्यों के लिए अंतराल और उसका दायरा।

18.17.2 रखरखाव कार्यक्रम प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, स्वतंत्र इंजीनियर और प्राधिकरण इसकी समीक्षा करेंगे और विशेष रूप से रखरखाव आवश्यकताओं, रखरखाव नियमावली और सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ इसकी अनुरूपता के संदर्भ में रियायतग्राही को अपनी टिप्पणियां संप्रेषित करेंगे।

18.17.3 परिस्थितियों में उचित होने पर रियायतग्राही रखरखाव कार्यक्रम को संशोधित कर सकता है, और खंड 18.17.1 और 18.17.2 में निर्दिष्ट प्रक्रिया ऐसे संशोधनों पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होगी।

18.18 रखरखाव दायित्वों के उल्लंघन पर हर्जाना

18.18.1 इस घटना में कि रियायतग्राही रखरखाव आवश्यकताओं में निर्धारित किसी भी दोष या कमी को उसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर सुधारने या ठीक करने में विफल रहता है, तो उसे इस समझौते के उल्लंघन में माना जाएगा और प्राधिकरण हर्जाने के रूप में स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा अनुमानित ऐसी मरम्मत या सुधार की लागत का 0.1% (शून्य दशमलव एक प्रतिशत), उल्लंघन दूर होने तक प्रत्येक दिन के विलंब के लिए गणना और भुगतान करने का हकदार होगा। ऐसे हर्जाने की वसूली इस समझौते के तहत प्राधिकरण के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी, जिसमें इसे समाप्त करने का अधिकार भी शामिल है।

18.18.2 खंड 18.18.1 में निर्धारित हर्जाने का मूल्यांकन और निर्धारण स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा तुरंत किया जा सकता है, बशर्ते कि प्राधिकरण अपने विवेक से हर्जाने के रूप में एक छोटी राशि की मांग कर सकता है, यदि उसकी राय में,

उल्लंघन को तुरंत ठीक कर दिया गया है और रियायतग्राही अन्यथा इसके तहत अपने दायित्वों के अनुपालन में है। रियायतग्राही ऐसे हर्जाने का तुरंत भुगतान करेगा और यदि वह ऐसे हर्जाने का विरोध करता है, तो विवाद समाधान प्रक्रिया लागू होगी।

18.19 उपचारात्मक उपाय करने का प्राधिकरण का अधिकार

18.19.1 यदि रियायतग्राही रखरखाव आवश्यकताओं, रखरखाव नियमावली या रखरखाव कार्यक्रम के अनुरूप हवाई अड्डे या उसके किसी भाग का रखरखाव और या मरम्मत नहीं करता है...

कार्यक्रम, जैसा भी मामला हो, और ओएंडएम निरीक्षण रिपोर्ट या प्राधिकरण या स्वतंत्र इंजीनियर से इस संबंध में एक नोटिस प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर उपचारात्मक कार्य शुरू करने में विफल रहता है, तो प्राधिकरण, इस समझौते के तहत अपने अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसमें इसकी समाप्ति भी शामिल है, रियायतग्राही के जोखिम और लागत पर ऐसे उपचारात्मक उपाय करने और रियायतग्राही से अपनी लागत वसूलने का हकदार होगा। उपर्युक्त लागत की वसूली के अतिरिक्त, रियायतग्राही द्वारा हर्जाने के रूप में प्राधिकरण को ऐसी लागत के 20% (बीस प्रतिशत) के बराबर राशि का भुगतान किया जाएगा। इस खंड 18.19.1 के तहत प्राधिकरण का अधिकार खंड 18.18 के तहत प्रदान किए गए उसके अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

18.19.2 प्राधिकरण के पास खंड 18.19.1 में निर्दिष्ट लागतों और हर्जाने की वसूली सीधे एस्क्रो खाते से करने का अधिकार होगा, और रियायतग्राही इसके द्वारा प्राधिकरण को स्पष्ट रूप से यह अधिकार प्रदान करता है, जैसे कि ऐसी लागतें और हर्जाना ओएंडएम व्यय थे, और उस उद्देश्य के लिए, रियायतग्राही इसके द्वारा एस्क्रो बैंक को इस खंड 18.19.2 के तहत प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार एस्क्रो खाते से भुगतान करने और उसे ओएंडएम व्यय के नामे डालने के लिए अपरिवर्तनीय निर्देश देने हेतु सहमत होता है।

अनुच्छेद 19. प्रचालन और रखरखाव सेवाएं

19.1 वैमानिकी परिसंपत्तियां

19.1.1 इस समझौते में अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा, रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों, लागू परमिटों और अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुसार वैमानिकी परिसंपत्तियों का प्रचालन और प्रबंधन करेगा।

19.1.2 रियायतग्राही अनुसूची सी में निर्धारित विनिर्देशों और मानकों और डीजीसीए तथा आईसीएओ या उनके किसी उत्तराधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट मानकों के अनुसार वैमानिकी परिसंपत्तियों का प्रचालन करेगा। इस अनुच्छेद 19 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि वैमानिकी परिसंपत्तियां हर समय स्थल पर उपयोगकर्ताओं, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा और रक्षा से संबंधित विनियमों का पालन करें।

19.1.3 इस समझौते में अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा, रियायतग्राही तीसरे पक्षों द्वारा वैमानिकी परिसंपत्तियों के उपयोग को विनियमित करेगा और लागू कानूनों, लागू परमिटों और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार सभी उपयोगकर्ताओं को गैर-भेदभावपूर्ण पहुँच प्रदान करेगा। उपयोगकर्ताओं की चिन्हित श्रेणियों के लिए विभिन्न स्तर की सेवाएं प्रदान करना इसके तहत भेदभाव नहीं माना जाएगा।

19.1.4 रियायतग्राही हर समय विमानों के संचालन और उपयोग के लिए निर्धारित सभी क्षेत्रों को बाधा मुक्त रखेगा।

19.1.5 रियायतग्राही, आईसीएओ द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट साइनेज के मानकों की अनुरूपता के अधीन, वैमानिकी परिसंपत्तियों के सुरक्षित और कुशल उपयोग के लिए निर्देश, संकेत और सिग्नल प्रदान करेगा।

19.1.6 आरक्षित सेवाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक स्थान और पहुँच रियायतग्राही द्वारा खंड 20.7 के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की जाएगी।

19.2 ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं

रियायतग्राही लागू कानूनों और अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुसार, अपने स्वयं के खर्च और लागत पर, उपयोगकर्ताओं, जैसे विमानों, यात्रियों और कार्गो के लिए हवाई अड्डे पर आवश्यक ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के प्रचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा या प्रदान करवाएगा, जिसमें रैंप हैंडलिंग, ट्रेफिक हैंडलिंग, एयरक्राफ्ट हैंडलिंग, एयरक्राफ्ट क्लीनिंग, लोडिंग और अनलोडिंग ("ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं") शामिल होंगी। ऐसे बुनियादी ढांचे में इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों और अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुसार लगेज कन्वेयर बेल्ट, कंप्यूटर टर्मिनल, सूचना प्रौद्योगिकी बैकबोन और संबंधित सुविधाएं शामिल होंगी।

19.3 एयरक्राफ्ट फ्यूलिंग सेवाएं

रियायतग्राही हवाई अड्डे पर सभी विमानों के लिए समान पहुँच के आधार पर पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से ईंधन भरने की सेवाओं के प्रचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा, या प्रदान करवाएगा। ऐसे बुनियादी ढांचे में इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों और अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुसार टैंक फार्म और संबंधित सुविधाएं शामिल होंगी।

19.4 कार्गो सुविधाएं

19.4.1 (क) रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों, लागू परमिटों, प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों और अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुसार कार्गो सुविधाओं का उन्नयन, विकास, प्रचालन और रखरखाव करेगा।

(ख) इस खंड 19.4 और खंड 23.5 में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, यह स्पष्ट किया जाता है कि, जहाँ अनुसूची A में कार्गो सुविधाएं एएआईसीएलएएस के लिए निर्धारित की गई हैं (i) रियायतग्राही उसके प्रचालन, विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, और न ही रियायतग्राही इस खंड 19.4 में कहीं और निर्धारित दायित्वों से बाध्य होगा; और (ii) रियायतग्राही द्वारा एएआईसीएलएएस को निःशुल्क एयरसाइड तक पहुँच प्रदान की जाएगी।

(ग) यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि, जहाँ अनुसूची ए में एएआईसीएलएएस के लिए कार्गो सुविधाएं निर्धारित की गई हैं, वहाँ रियायतग्राही द्वारा कार्गो सुविधाओं के उन्नयन और या विकास पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, जिसमें हवाई अड्डे पर कार्गो वॉल्यूम की मात्रा, व्यावसायिक क्षमता या एएआईसीएलएएस के लिए निर्धारित कार्गो सुविधाओं पर ऐसी अतिरिक्त सुविधाओं के प्रभाव के आधार पर भी शामिल है।

19.4.2 रियायतग्राही:

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रयास करेगा कि कार्गो सुविधाओं में इस समझौते के प्रावधानों और अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुसार पर्याप्त कार्गो और पार्सल स्थान, हैंडलिंग उपकरण, खराब होने वाले कार्गो और खतरनाक सामानों का भंडारण और हैंडलिंग, कार्गो एजेंटों और ग्राहकों के लिए स्थान, निरीक्षण क्षेत्र, कार्यालय स्थान, ऑटोमेशन सिस्टम, स्क्रीनिंग उपकरण, भंडारण सुविधाएं, और डाक हैंडलिंग और कूरियर शिपमेंट के लिए सुविधाएं शामिल हों;

(ख) कार्गो सुविधाओं का प्रचालन और रखरखाव करेगा तथा इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों और अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुसार एयरलाइंस और प्रेषकों को संबंधित सेवाएं प्रदान करेगा;

(ग) सीमा शुल्क, सुरक्षा, संगरोध और अन्य नामित भारत सरकार की एजेंसियों को, जैसा भी मामला हो, उनके वैधानिक कार्यों के निर्वहन के लिए अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुसार निःशुल्क परिचालन स्थान और अन्य सुविधाएं प्रदान करेगा;

(घ) सभी रणनीतिक स्थानों पर, जहाँ कहीं भी कार्गो सुविधाओं को किसी भी तरह से संभाला जाता है या निपटाया जाता है, वेब-कैम स्थापित करेगा और उन्हें अच्छी कामकाजी स्थिति में संचालित रखेगा।

19.5 कार्गो सुविधाओं के उपयोग पर प्रतिबंध

19.5.1 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि मास्टर प्लान में कार्गो सुविधाओं के लिए एक क्षेत्र निर्धारित किया जाए, और ऐसे क्षेत्र का उपयोग केवल कार्गो की हैंडलिंग और संबंधित गतिविधियों के लिए किया जाएगा।

19.5.2 रियायतग्राही खंड 5.2 और खंड 38.2 के प्रावधानों के अनुसार के अलावा, कार्गो सुविधाओं के किसी भी हिस्से को न तो सौंपेगा और न ही किसी प्रकार का भार उत्पन्न करेगा।

19.6 टर्मिनल भवन

19.6.1 रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों, लागू परमिटों और अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुसार टर्मिनल भवन का प्रचालन और प्रबंधन करेगा। इस अनुच्छेद 19 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि टर्मिनल भवन के भीतर के स्थानों का उपयोग अनुसूची बी में निर्दिष्ट संबंधित उद्देश्यों के लिए किया जाए।

19.6.2 रियायतग्राही अनुसूची सी में निर्धारित विनिर्देशों और मानकों तथा आईएटीए या उसके किसी उत्तराधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट मानकों के अनुसार टर्मिनल भवन का प्रचालन करेगा।

19.6.3 रियायतग्राही टर्मिनल भवन के उपयोग को विनियमित करेगा और लागू कानूनों तथा इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार सभी उपयोगकर्ताओं को गैर-भेदभावपूर्ण पहुँच प्रदान करेगा। उपयोगकर्ताओं की चिन्हित श्रेणियों के लिए विभिन्न स्तर की सेवाएं प्रदान करना इसके तहत भेदभाव नहीं माना जाएगा।

19.6.4 रियायतग्राही उपयोगकर्ताओं के संचलन और उपयोग के लिए निर्धारित सभी क्षेत्रों को हर समय बाधाओं से मुक्त रखेगा।

19.6.5 रियायतग्राही बैगेज क्लेम क्षेत्रों की आसान पहुँच के भीतर और टर्मिनल भवन के प्रवेश बिंदुओं पर कुशल बैगेज ट्रॉलियों की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान करेगा और बनाए रखेगा। पक्ष सहमत हैं कि ट्रॉलियों पर विज्ञापन प्रदर्शित किए जा सकते हैं।

19.6.6 रियायतग्राही, मांग के आधार पर, भुगतान पर उपयोगकर्ताओं के लिए पोर्टर (कुली) सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

19.6.7 रियायतग्राही मास्टर प्लान के अनुसार टर्मिनल भवन के भीतर निःशुल्क पीने के पानी, बैठने की जगह, प्रतीक्षा क्षेत्र, अधिकतम खुदरा मूल्य पर बोतलबंद पानी और लोकप्रिय पेय पदार्थों के वितरण के लिए वेंडिंग मशीन आदि से संबंधित सुविधाएं हर समय प्रदान करेगा, या प्रदान करवाएगा।

19.6.8 रियायतग्राही, आईसीएओ द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट साइनेज के मानकों की अनुरूपता के अधीन, उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए और उन्हें एयरलाइंस काउंटरों, यात्रा सुविधाओं, सुख-सुविधाओं और कार्गो सुविधाओं तक पहुँचने में सहायता करने के लिए निर्देश, संकेत, सिग्नल, सार्वजनिक घोषणा प्रणाली और पूछताछ काउंटर प्रदान करेगा।

19.6.9 सीओडी से 1 (एक) वर्ष की तिथि से प्रारंभ करते हुए, रियायतग्राही हवाई अड्डे पर 'आईएटीए सेवा स्तर इष्टतम' प्राप्त करने के लिए सहमत होता है और वचन देता है। यदि यह देखा जाता है कि किसी भी तिमाही में पीक आवर्स के दौरान सेवा का स्तर से कम है और रियायतग्राही किसी भी रियायत वर्ष में सेवा स्तर में ऐसी गिरावट के होने से 90 (नब्बे) दिनों के भीतर इसे ठीक नहीं करता है, तो रियायतग्राही प्राधिकरण को हर्जाना देगा जो तत्काल पूर्ववर्ती तिमाही के लिए शुल्क से कुल राजस्व के 0.5% (शून्य दशमलव पांच प्रतिशत) की दर से निर्धारित किया जाएगा।

19.6.10 रियायतग्राही खंड 23.10 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता चार्टर प्रकाशित और कार्यान्वित करेगा।

19.7 विशेष सहायता की आवश्यकता वाले उपयोगकर्ता

19.7.1 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि टर्मिनल भवन बुजुर्ग व्यक्तियों, और शारीरिक या दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं और आगंतुकों की यात्रा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, जिसमें अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुरूप और ऐसे उपयोगकर्ताओं तथा आगंतुकों पर बिना किसी लागत के रैंप मार्ग, संशोधित शौचालय, व्हीलचेयर और विशेष सहायता की आवश्यकता वाले उपयोगकर्ताओं के लिए निर्धारित पार्किंग स्लॉट का प्रावधान शामिल है।

19.7.2 रियायतग्राही उपयोगकर्ताओं के लिए बिना किसी लागत के, टर्मिनल भवन के भीतर बाल देखभाल कक्ष और सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित करेगा।

19.7.3 रियायतग्राही खंड 5.11 में निर्दिष्ट तरीके से टर्मिनल भवन के भीतर प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं स्थापित और संचालित करेगा।

19.8 आरक्षित क्षेत्र

19.8.1 टर्मिनल भवन में निम्नलिखित संस्थाओं या उद्देश्यों के लिए स्थान आरक्षित क्षेत्र का गठन करेगा:

- (क) प्राधिकरण;
- (ख) सुरक्षा;
- (ग) वीआईपी लाउंज;
- (घ) आब्रजन
- (ङ) सीमा शुल्क
- (च) संगरोध और
- (छ) स्वास्थ्य।

19.8.2 आरक्षित क्षेत्र पर नियंत्रण संबंधित प्राधिकरण या उन कार्यों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार नामित भारत सरकार की एजेंसियों में निहित होगा जिनके लिए खंड 19.8.1 के तहत स्थान निर्धारित किया जाएगा या खंड 19.8.1 में निर्दिष्ट उद्देश्यों के अनुरूप किसी अन्य उद्देश्य के लिए। आरक्षित क्षेत्रों और वहाँ तक उसकी पहुँच के संबंध में रियायतग्राही के दायित्व आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा बनने वाले सिविल कार्यों, संरचनाओं और उपकरणों के रखरखाव तक ही सीमित होंगे, बशर्ते कि आपातकाल, आग या अन्य समान घटना के मामले में उसके पास वहाँ तक अप्रतिबंधित पहुँच होगी।

19.8.3 रियायतग्राही अपने स्वयं के खर्च और लागत पर, टर्मिनल भवन के भीतर आरक्षित क्षेत्र में बिजली और पानी की आपूर्ति करेगा।

19.8.4 जिस सीमा तक टर्मिनल भवन में केंद्रीय वातानुकूलन स्थापित और संचालित किया जाता है, रियायतग्राही आरक्षित क्षेत्र को इसके लाभ से वंचित नहीं करेगा, बशर्ते कि यह दायित्व उन घंटों तक विस्तारित नहीं होगा जब टर्मिनल भवन के भीतर लाउंज और अन्य सामान्य क्षेत्रों के लिए सामान्य वातानुकूलन बंद कर दिया जाता है।

19.8.5 इस खंड 19.8 में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, यथास्थिति प्राधिकरण और या नामित भारत सरकार की एजेंसियां, रियायतग्राही की सहमति से, ऐसी सहमत शर्तों और निबंधनों पर रियायतग्राही को आरक्षित क्षेत्र या उसका कोई हिस्सा हस्तांतरित कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में, रियायतग्राही आरक्षित क्षेत्र में एक सुरक्षित और कुशल वातावरण प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण और/या नामित भारत सरकार की एजेंसियों के साथ, जिसमें उसके द्वारा नामित एजेंसियां भी शामिल हैं, सहयोग करने के सर्वोत्तम प्रयास करेगा।

19.8.6 यदि और जब खंड 19.8.1 में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता होती है, तो रियायतग्राही प्रासंगिक नामित भारत सरकार की एजेंसी के परामर्श से, ऐसी सहमत शर्तों और निबंधनों पर आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा बनने के लिए अतिरिक्त स्थान प्रदान करेगा।

19.9 वीआईपी लाउंज

रियायतग्राही भारत सरकार, नामित भारत सरकार की एजेंसियों, राज्य सरकार और/या प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को समय-समय पर अधिसूचित किए जाने वाले अतिथियों और कर्मियों के उपयोग और आराम के लिए टर्मिनल भवन में हर समय वीआईपी लाउंज प्रदान करेगा और उनका रखरखाव करेगा।

19.10 चेक-इन सेवाएं

19.10.1 रियायतग्राही प्रस्थान करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए और उनके संबंध में हवाई अड्डे पर चेक-इन सेवाओं के प्रचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा ("चेक-इन सेवाएं") अपने स्वयं के खर्च और लागत पर प्रदान करेगा या प्रदान करवाएगा। ऐसे बुनियादी ढांचे में इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों जिसमें ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए लागू डीजीसीए विनियम शामिल हैं, प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों और अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुसार काउंटर, सेल्फ-सर्विस चेक-इन कियोस्क, लगेज कन्वेयर बेल्ट, कंप्यूटर टर्मिनल, आईटी बैकबोन और संबंधित सुविधाएं शामिल होंगी।

19.10.2 रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों और अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुसार एयरलाइनों की ओर से और उनके निमित्त उपयोगकर्ताओं को चेक-इन सेवाएं प्रदान करेगा या करवाएगा।

19.10.3 इस खंड 19.10 में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, रियायतग्राही प्रत्येक एयरलाइन को उस एयरलाइन के विकल्प पर, पारस्परिक रूप से सहमत राशि पर रियायतग्राही को सेवा शुल्क के भुगतान पर उस एयरलाइन के उपयोगकर्ताओं को चेक-इन सेवाएं प्रदान करने में सक्षम करेगा।

19.11 निर्दिष्ट क्षेत्रों का व्यावसायिक उपयोग

19.11.1 इस समझौते और लागू कानूनों के प्रावधानों के अधीन, रियायतग्राही टर्मिनल भवन का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए कर सकता है, जैसे यात्रा सुविधाएं, उपयोगकर्ताओं के लिए सुख-सुविधाएं, रेस्तरां, आवास और खुदरा।

19.11.2 रियायतग्राही खंड 5.2 और खंड 38.2 के प्रावधानों के अनुसार के अलावा, हवाई अड्डे के किसी भी हिस्से को न तो सौंपेगा और न ही किसी प्रकार का भार उत्पन्न करेगा।

19.11.3 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि उसके लाइसेंसधारी और/या उप-पट्टेदार अत्यधिक शोर या खाना पकाने की गंध सहित सार्वजनिक उपद्रव पैदा न करें; व्यापार के लिए दलाली न करें, और बिक्री के लिए नकली सामान पेश न करें, और वे लागू कानूनों, लागू परमिटों और अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुसार अपनी संबंधित गतिविधियों का निष्पादन करें।

19.12 पार्किंग

19.12.1 रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों, मास्टर प्लान, लागू कानूनों, लागू परमिटों और अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुसार पार्किंग का विकास, प्रचालन और रखरखाव करेगा या करवाएगा।

19.12.2 रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे के उपयोगकर्ताओं या आगंतुकों द्वारा पार्किंग के उपयोग को विनियमित करेगा और सभी यात्रियों और आगंतुकों को इसके गैर-भेदभावपूर्ण उपयोग की अनुमति देगा, बशर्ते कि रियायतग्राही खंड 19.12.3(एच) के अनुसार पार्किंग के उपयोग के लिए शुल्क लगा सकता है।

19.12.3 रियायतग्राही:

- (क) यात्रियों की आसानी और सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाहनों के पार्किंग स्थल की योजना बनाएगा और वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश और निकास द्वार डिजाइन किए जाएंगे;
- (ख) यह सुनिश्चित करेगा कि दोपहिया वाहनों, कारों, निजी टैक्सियों, नियमित टैक्सियों, बसों, ऑटो-रिक्शा आदि के लिए पर्याप्त पार्किंग स्थान उपलब्ध कराया जाए;

- (ग) विभिन्न उपयोगों जैसे अल्पकालिक, दीर्घकालिक और रात भर की पार्किंग के लिए पार्किंग प्रदान करेगा;
- (घ) आरक्षित पार्किंग और प्राधिकरण तथा नामित भारत सरकार की एजेंसी और राज्य सरकार के कर्मचारियों की पार्किंग के लिए अलग से निःशुल्क पार्किंग स्थान प्रदान करेगा;
- (ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि पार्किंग का उपयोग केवल मोटर वाहनों की पार्किंग के लिए किया जाए और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं, सिवाय विज्ञापन और उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाओं और सुख-सुविधाओं के प्रावधान के;
- (च) खंड 5.2 और खंड 38.2 के प्रावधानों के अनुसार के अलावा, पार्किंग के किसी भी हिस्से पर भार नहीं बनाएगा;
- (छ) पार्किंग क्षेत्रों सहित हवाई अड्डे पर लागू अग्नि और सुरक्षा मानदंडों के तहत सभी प्रावधान प्रदान करेगा और उनका पालन करेगा; और
- (ज) पार्किंग के उपयोग के लिए ऐसी दरों पर शुल्क लगाएगा जो वह अपने विवेक से निर्धारित कर सकता है।

19.12.4 रियायतग्राही एक आरक्षित पार्किंग ("आरक्षित पार्किंग") का विकास, प्रचालन और रखरखाव करेगा, और छूट प्राप्त व्यक्तियों और वीआईपी लाउंज का उपयोग करने के हकदार व्यक्तियों द्वारा इसके निःशुल्क उपयोग की सुविधा प्रदान करेगा। छूट प्राप्त व्यक्तियों के साथ-साथ, निम्नलिखित व्यक्ति भी निःशुल्क पार्किंग के हकदार होंगे:

- (क) कानून और व्यवस्था बनाए रखने में लगे व्यक्ति जो इयूटी पर अपनी आधिकारिक क्षमता में हवाई अड्डे या उसके किसी भाग का दौरा कर रहे हैं;
- (ख) अग्निशमन कर्मी और आपातकालीन चिकित्सा सेवा में लगे व्यक्ति, इयूटी पर अपनी आधिकारिक क्षमता में; और
- (ग) टर्मिनल भवन के निरीक्षण, सर्वेक्षण, निर्माण, प्रचालन और रखरखाव के लिए इयूटी पर अपनी आधिकारिक क्षमता में प्रवेश करने वाले व्यक्ति।

19.12.5 रियायतग्राही कार पार्क में हर समय निम्नलिखित में से न्यूनतम सभी सुविधाएं प्रदान करेगा या करवाएगा:

- (क) सुविधाजनक स्थानों पर निःशुल्क पीने के पानी के आउटलेट;
- (ख) सुविधाजनक स्थानों पर स्थापित भोजन स्टॉल/वेंडिंग मशीनें जो बोतलबंद पानी और गर्म तथा ठंडे लोकप्रिय पेय पदार्थों के लिए हों, ऐसी कीमत पर जो हवाई अड्डे के बाहर बाजार में प्रचलित ऐसे प्रत्येक उत्पाद के अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक नहीं होगी।

19.12.6 रियायतग्राही पार्किंग के प्रवेश या निकास बिंदु के निकट, पार्किंग में पर्याप्त बैठने की सुविधाओं और शौचालयों के साथ ड्राइवरो के लिए एक प्रतीक्षालय प्रदान करेगा और यात्रियों तथा आगंतुकों के लिए टर्मिनल भवन के निर्दिष्ट बिंदुओं पर अपने संबंधित ड्राइवरो को बुलाने के लिए एक सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली भी प्रदान करेगा। ऐसे प्रतीक्षालय और शौचालय सुविधाजनक स्थानों पर स्थित होंगे और ऐसे प्रतीक्षालय, शौचालय और अन्य सुख-सुविधाओं का उपयोग करने वाले आगंतुकों/ड्राइवरो से ऐसे उपयोग के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा।

19.12.7 रियायतग्राही किसी भी ऐसे वाहन को हटा सकता है जो पार्किंग के लिए निर्धारित या अधिकृत नहीं किए गए स्थान पर पार्क किया गया है, और ऐसे वाहन को पार्किंग में पार्क कर सकता है। यदि रियायतग्राही किसी कारण से वाहन को पार्किंग में स्थानांतरित करने में असमर्थ है, तो वह वाहन को उस स्थान पर या उसके पास अचल कर सकता है जहाँ वह पार्क किया गया है। रियायतग्राही ऐसे वाहन के लिए शुल्क वसूलने का हकदार होगा और वाहन को अचल करने या पार्किंग में ले जाने की पूर्व-निर्धारित और सहमत लागत के रूप में शुल्क के 5 (पांच) गुना के बराबर राशि भी वसूलने का हकदार होगा, जैसा भी मामला हो। रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि इस खंड 19.12.7 के प्रावधानों के तहत वाहनों का कोई भी स्थानांतरण या अचल करना इस तरह से किया जाए जिससे ऐसे वाहनों को कोई नुकसान न पहुंचे।

19.12.8 रियायतग्राही उन वाहनों (निजी या वाणिज्यिक) के संबंध में लागू कानूनों का पालन करेगा जो टर्मिनल भवन या कार्गो सुविधाओं के किसी भी हिस्से से गुजरने के लिए एप्रोच सड़क का उपयोग करते हैं।

अनुच्छेद 20. आरक्षित सेवाएं

20.1 आरक्षित सेवाएं

20.1.1 रियायतग्राही स्वीकार करता है और सहमत होता है कि केवल नामित भारत सरकार की एजेंसियां ही हवाई अड्डे पर निम्नलिखित सेवाएं ("आरक्षित सेवाएं") करने के लिए अधिकृत हैं:

(क) सीएनएस/एटीएम सेवाएं

(ख) सुरक्षा सेवाएं;

(ग) मौसम विज्ञान सेवाएं;

(घ) अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाएं;

(ङ) सीमा शुल्क नियंत्रण;

(च) आव्रजन सेवाएं;

(छ) संगरोध सेवाएं;

(ज) कोई अन्य सेवाएं, जैसा कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है:

(झ) बशर्ते कि, लागू कानूनों और लागू परमिटों के अधीन, इस समझौते में कुछ भी प्राधिकरण को पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर रियायतग्राही से किसी या सभी आरक्षित सेवाओं को शुरू करने की अपेक्षा करने से प्रतिबंधित नहीं करेगा।

20.1.2 प्राधिकरण समय-समय पर रियायतग्राही को लागू कानूनों और अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुसार आरक्षित सेवाओं के निष्पादन के लिए किसी या सभी नामित भारत सरकार की एजेंसियों के साथ द्विपक्षीय समझौते करने की अपेक्षा कर सकता है। पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि आरक्षित सेवाओं के प्रावधानों के लिए और उनके संबंध में रियायतग्राही द्वारा किए जाने वाले खर्च में किसी भी पर्याप्त वृद्धि की स्थिति में, संबंधित अवधि के दौरान डब्ल्यूपीआई में वृद्धि के कारण होने वाली किसी भी वृद्धि को छोड़कर, विनियामक के पूर्व अनुमोदन से शुल्क में वृद्धि के माध्यम से रियायतग्राही द्वारा वसूली योग्य होगी।

20.1.3 जहाँ रियायतग्राही द्वारा आरक्षित सेवाओं के संबंध में उपयोगकर्ताओं से कोई शुल्क एकत्र किया जाना आवश्यक है, रियायतग्राही लागू कानूनों के अनुसार ऐसा करेगा।

20.2 सीएनएस/एटीएम सेवाएं

20.2.1 प्राधिकरण, रियायतग्राही द्वारा लागू नियमों और शर्तों को पूरा करने पर, रियायतग्राही के अनुरोध पर, प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच एक समझौते के निष्पादन की व्यवस्था करेगा, जो काफी हद तक अनुसूची Q में निर्धारित प्रारूप में होगा ("सीएनएस/एटीएम समझौता"), जो शिकागो कन्वेंशन के अनुसरण में समय-समय पर स्थापित या अनुशंसित प्रथाओं के अनुसार और भारत के अन्य हवाई अड्डों पर समान सेवाओं पर लागू समान शर्तों पर, और डीजीसीए के निर्देशों के अनुपालन में, रियायत अवधि के दौरान हर समय हवाई अड्डे पर सीएनएस/एटीएम सेवाओं का प्रावधान सुनिश्चित करेगा। यदि इस समझौते की तारीख के बाद लेकिन रियायतग्राही द्वारा इसके निष्पादन से पहले प्राधिकरण द्वारा अपने विवेकाधिकार से सीएनएस/एटीएम समझौते के प्रारूप को बदला या संशोधित किया जाता है, तो रियायतग्राही ऐसे बदले हुए या संशोधित प्रारूप में सीएनएस/एटीएम समझौते को निष्पादित करेगा।

20.2.2 नामित भारत सरकार की एजेंसी, अपने खर्च पर, हवाई अड्डे पर मार्गस्थ और टर्मिनल हवाई नेविगेशन सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक किसी भी रडार, उपकरण या सुविधाओं को स्थापित कर सकती है और रियायतग्राही इसके द्वारा सभी आवश्यक सिविल बुनियादी ढांचा और उसके संबंध में आवश्यक समर्थन और सहायता प्रदान करने का वचन देता है।

20.3 हवाई अड्डा सुरक्षा

20.3.1 रियायतग्राही लागू कानूनों के अनुसार, नामित भारत सरकार की एजेंसी के माध्यम से, आतंकवाद, अपहरण, तोड़फोड़ और/या समान कृत्यों या घटनाओं की रोकथाम सहित हवाई अड्डे पर सुरक्षा का प्रावधान प्राप्त करेगा।

20.3.2 रियायतग्राही सहमत होता है और वचन देता है कि हवाई अड्डे, उपयोगकर्ताओं और हवाई अड्डे पर काम करने वाले व्यक्तियों तथा हवाई अड्डे पर अन्य व्यक्तियों या संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपनाई जाने वाली प्रथाएं और प्रक्रियाएं बीसीएस या नामित भारत सरकार की एजेंसी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार होंगी।

20.3.3 नामित भारत सरकार की एजेंसी हवाई अड्डे के प्रचालन को अनुचित या अकारण बाधित किए बिना, हवाई अड्डे का निरीक्षण और तलाशी लेने तथा स्थल में प्रवेश करने या वहाँ से प्रस्थान करने वाले किसी भी व्यक्ति या वाहन की तलाशी लेने की हकदार होगी।

20.3.4 रियायतग्राही अपने प्रचालन में व्यवधान या किसी नामित भारत सरकार की एजेंसी की कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान या क्षति के लिए किसी मुआवजे का हकदार नहीं होगा, सिवाय उनके जो यथास्थिति नामित भारत सरकार की एजेंसी के जानबूझकर या घोर लापरवाही वाले कृत्यों या चूकों के परिणामस्वरूप हुए हों।

20.4 पुलिस सहायता

लागू कानूनों और इस समझौते के अनुसार हवाई अड्डे के उपयोग को विनियमित करने के लिए, प्राधिकरण रियायतग्राही द्वारा हवाई अड्डे पर एक पुलिस सहायता चौकी ("पुलिस सहायता चौकी") स्थापित करने सहित पुलिस से सहायता प्राप्त करने में रियायतग्राही की सहायता करेगा।

20.5 मौसम विज्ञान सेवाएं

प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि हवाई अड्डे पर सीएनएस/एटीएम सेवाओं के प्रावधान के लिए मौसम संबंधी सुविधाएं और सेवाएं शिकागो कन्वेंशन के अनुसरण में समय-समय पर स्थापित या अनुशंसित प्रथाओं के अनुसार और उन्हीं शर्तों पर प्रदान की जाती हैं जैसी कि भारत के अन्य समान हवाई अड्डों पर प्रदान की जा रही हैं। रियायतग्राही, अपने खर्च और लागत पर, और प्राधिकरण पर बिना किसी लागत के, उपकरण/यंत्रों की स्थापना और आवश्यक मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक परिचालन क्षेत्र में बुनियादी ढांचा, स्थान या कार्यालय स्थापित करने के लिए स्थान प्रदान करेगा।

20.6 आरक्षित सेवाओं के संबंध में दायित्व

रियायतग्राही सहमत होता है और वचन देता है कि वह रियायत अवधि के दौरान हर समय:

- (क) सीएनएस/एटीएम सेवाओं के प्रावधान के लिए नामित भारत सरकार की एजेंसी को एटीसी सुविधा उपलब्ध कराएगा;
- (ख) इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित सेवाओं के प्रावधान के लिए आरक्षित क्षेत्र उपलब्ध कराएगा;
- (ग) हवाई अड्डे की सुरक्षा के संबंध में बीसीएस या नामित भारत सरकार की एजेंसी द्वारा निर्धारित सभी नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का पालन करेगा और हवाई अड्डे के चारों ओर परिधि बाड़ या अन्य उपयुक्त सुरक्षा प्रदान करेगा और बनाए रखेगा;
- (घ) समय-समय पर बीसीएस या नामित भारत सरकार की एजेंसी द्वारा उचित रूप से आवश्यक सभी सुरक्षा उपकरण प्रदान करेगा और बनाए रखेगा;
- (ङ) हवाई अड्डे के भीतर और आसपास सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्राधिकरण और/या नामित भारत सरकार की एजेंसी के किसी भी निर्देश का पालन करेगा और उसे लागू करेगा और प्राधिकरण और/या नामित भारत सरकार की

एजेंसी को हवाई अड्डे के प्रचालन को अनुचित या अनावश्यक रूप से बाधित किए बिना, उनके द्वारा उचित रूप से आवश्यक समझी जाने वाली ऐसी कार्रवाई करने की अनुमति देगा;

(च) यह सुनिश्चित और प्रबंधित करेगा कि निम्नलिखित घटनाओं के लिए प्रभावी और कुशल प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक उपकरण और जनशक्ति लागू कानूनों और अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुसार उपलब्ध होगी:

- (i) रनवे से अक्षम विमान को हटाना;
- (ii) किसी भी विमान या हवाई अड्डे को बम की धमकी;
- (iii) हवाई अड्डे के आसपास और उसके निकट विमान दुर्घटनाएं;
- (iv) गैर-अनुसूचित विमान का हवाई अड्डे पर आपातकालीन/जबरन उतरना;
- (v) हवाई अड्डे पर आग लगना;
- (vi) प्राकृतिक आपदाएं और विपत्तियां;
- (vii) हवाई अड्डे पर हड़ताल;
- (viii) नागरिक उड्डयन में गैर-कानूनी हस्तक्षेप; और
- (ix) हवाई अड्डे पर कोई अन्य आपात स्थिति;

(छ) इस अनुच्छेद 20 के तहत नामित भारत सरकार की एजेंसियों को उनके दायित्वों के निर्वहन में सहायता और सहयोग प्रदान करेगा;

(ज) ऐसी जानकारी प्रदान करेगा जो प्राधिकरण और नामित भारत सरकार की एजेंसी द्वारा आरक्षित सेवाओं के प्रावधान के लिए उचित रूप से आवश्यक हो सकती है;

(झ) अपने स्वयं के खर्च और लागत पर, बिजली, दूरसंचार सेवाओं, पानी और ऐसी अन्य उपयोगिताओं की निरंतर आपूर्ति प्रदान करेगा जो आरक्षित सेवाओं के प्रावधान के लिए या अन्यथा, जैसा भी उनके द्वारा आवश्यक हो, नामित भारत सरकार की एजेंसियों द्वारा मांगी जा सकती हैं; और

(ञ) पार्टियों के बीच समय-समय पर पारस्परिक रूप से सहमत होने वाली मानक प्रचालन प्रक्रियाओं के अनुसार, आपातकाल के मामले को छोड़कर, हवाई अड्डे पर किसी भी बुनियादी ढांचे या सुविधाओं के किसी भी प्रस्तावित बंद होने या वापस लेने के बारे में 7 (सात) दिन पहले प्राधिकरण और नामित भारत सरकार की एजेंसी को अग्रिम रूप से सूचित करेगा।

20.7 आरक्षित क्षेत्र

20.7.1 खंड 19.8 के प्रावधानों के अधीन, रियायतग्राही यह वचन देता है कि वह रियायत अवधि के दौरान हर समय प्राधिकरण या उसके नामित व्यक्तियों को हवाई अड्डे पर ऐसा आरक्षित क्षेत्र, पहुँच और सुविधाएं प्रदान करेगा जो इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित सेवाओं को निष्पादित करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकती हैं। उपरोक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही अलग से प्राधिकरण के लिए टर्मिनल भवन के कॉनकोर्स में अधिकतम 500 (पांच सौ) वर्ग फुट का सन्निहित वातानुकूलित स्थान निर्धारित करेगा और प्रदान करेगा।

20.7.2 आरक्षित क्षेत्र का उपयोग प्राधिकरण या उसके नामित व्यक्तियों द्वारा उस रूप और तरीके से किया जाएगा जैसा वह उचित समझे, और रियायत अवधि के दौरान किसी भी समय रियायतग्राही (कन्सेशनर) के लिए किसी अन्य उद्देश्य के लिए न तो यह उपलब्ध होगा और न ही उसके द्वारा उपयोग किया जाएगा। आरक्षित क्षेत्र पर नियंत्रण और प्रबंधन प्राधिकरण या उसके नामित व्यक्तियों में निहित होगा, जो उन कार्यों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होंगे जिनके लिए ऐसे क्षेत्र को निर्धारित किया गया है या ऐसे कार्यों के अनुरूप किसी अन्य उद्देश्य के लिए। आरक्षित क्षेत्रों और वहाँ तक पहुँच के संबंध में रियायतग्राही के दायित्व आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा बनने वाले सिविल कार्यों, संरचनाओं और उपकरणों के रखरखाव तक ही सीमित होंगे, बशर्ते कि आपातकाल, आग या अन्य समान घटना के मामले में उसके पास वहाँ तक अप्रतिबंधित पहुँच होगी।

20.7.3 रियायतग्राही, यथास्थिति प्राधिकरण या उसके नामित व्यक्तियों की पूर्व सहमति के बिना, आरक्षित सेवाओं के प्रावधान के लिए प्राधिकरण या उसके नामित व्यक्तियों को प्रदान की गई पहुँच, स्थान और सुविधाओं को कम या प्रतिबंधित नहीं करेगा।

20.7.4 इस खंड 20.7 में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, प्राधिकरण, रियायतग्राही की सहमति से, ऐसी सहमत शर्तों और निबंधनों पर रियायतग्राही को आरक्षित क्षेत्र या उसका कोई हिस्सा हस्तांतरित कर सकता है। ऐसी स्थिति में, रियायतग्राही आरक्षित क्षेत्र में एक सुरक्षित और कुशल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण के साथ, जिसमें उसके द्वारा नामित एजेंसियां भी शामिल हैं, सहयोग करने के सर्वोत्तम प्रयास करेगा।

20.7.5 हवाई अड्डे के किसी ऐसे विस्तार की स्थिति में जिसमें आरक्षित सेवाओं के प्रावधान के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी स्थान या सुविधाओं के स्थानांतरण या पुनर्गठन की आवश्यकता होती है, रियायतग्राही यथास्थिति प्राधिकरण या उसके नामित व्यक्तियों को सूचित करेगा और उसके संबंध में आवश्यक किसी भी संशोधन का पारस्परिक रूप से निर्धारण करेगा।

20.7.6 यदि आरक्षित क्षेत्र में निर्दिष्ट कार्यों के निर्वहन के लिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता होती है, तो प्राधिकरण या उसके नामित व्यक्ति, रियायतग्राही की सहमति से, आरक्षित क्षेत्र में शामिल स्थान को बढ़ा सकते हैं।

अनुच्छेद 21. प्रचालन और रखरखाव की निगरानी

21.1 हवाई अड्डा प्रचालक का डेटा बेस

रियायतग्राही एक हवाई अड्डा प्रचालन डेटा बेस ("एओडीबी") स्थापित करेगा जिसमें हवाई अड्डा प्रचालन डेटाबेस, संचार परत और दृश्य प्रणाली शामिल होगी जो हवाई अड्डे की विभिन्न प्रणालियों को एक साथ जोड़ती है। एओडीबी को हवाई अड्डे पर सभी प्रचालन डेटा प्रदान करना होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ सेवा गुणवत्ता आवश्यकता और टर्मिनल भवन के सेवा स्तर को परिभाषित करने वाले मापदंडों से संबंधित डेटा और इस समझौते के अनुसरण में प्राधिकरण और/या किसी नामित भारत सरकार की एजेंसी द्वारा आवश्यक ऐसी कोई अन्य जानकारी शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। एओडीबी इस समझौते की आवश्यकताओं के अनुसार दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा। एओडीबी प्रणाली रणनीतिक निर्णय लेने में सहायता करने के साथ-साथ विभिन्न अनुपालन आवश्यकताओं के लिए रियायतग्राही की मदद करने हेतु ऐतिहासिक, वास्तविक समय डेटा प्रदान करने में सक्षम होनी चाहिए। रियायतग्राही आवधिक समीक्षा और रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्राधिकरण को एओडीबी पहुँच प्रदान करेगा।

21.2 स्थिति रिपोर्ट

21.2.1 रियायत अवधि के दौरान हर समय, रियायतग्राही प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 7 (सात) दिनों के भीतर प्राधिकरण को स्वीकार्य प्रारूप में एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ उसके अनुपालन या अन्यथा और किसी भी घटना के घटने के विवरण सहित हवाई अड्डे की स्थिति का उचित विवरण दिया जाएगा, और प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित ऐसी अन्य प्रासंगिक जानकारी तुरंत प्रदान करेगा। विशेष रूप से, ऐसी रिपोर्ट में उन दोषों और कमियों को अलग से पहचाना जाएगा और उचित विवरण में बताया जाएगा जिनमें सुधार की आवश्यकता है।

21.2.2 रियायत अवधि के दौरान हर समय, रियायतग्राही प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 10 (दस) दिनों के भीतर प्राधिकरण को एक त्रैमासिक प्रबंधन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो निम्नलिखित का सारांश होगी:

- (क) तिमाही में प्राप्त प्रमुख प्रदर्शन संकेतक विफलताओं के कारणों के विश्लेषण के साथ, यदि कोई हो, और उन्हें सुधारने के प्रस्ताव;
- (ख) अगली तिमाही में अपेक्षित प्रमुख परिचालन बाधाएं और डिलिवरेबल्स, साथ ही उनसे निपटने और हवाई अड्डे के परिचालन प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए रणनीतियां;
- (ग) तिमाही के लिए प्रमुख वित्तीय पैरामीटर, जैसा कि त्रैमासिक बजट के मुकाबले बेंचमार्क किया गया है, कमी के कारण, यदि कोई हो, और उन्हें सुधारने के प्रस्ताव; और
- (घ) अगली तिमाही के लिए त्रैमासिक बजट, साथ ही हवाई अड्डे के वित्तीय प्रदर्शन को बेहतर बनाने की रणनीतियां।

21.2.3 रियायतग्राही नियमित आधार पर प्राधिकरण को निम्नलिखित रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा:

- (क) त्रैमासिक गतिविधि रिपोर्ट (यात्री यातायात, विमान आवागमन, कार्गो, आदि);
- (ख) त्रैमासिक वित्तीय खाते;
- (ग) वार्षिक बजट;
- (घ) व्यापार योजना (बिजनेस प्लान) का नवीनतम अपडेट;
- (ङ) वार्षिक रखरखाव कार्यक्रम;
- (च) भारत सरकार, राज्य सरकार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, डीजीसीए, प्राधिकरण, आईसीएओ या आईएटीए सहित किसी भी सरकारी निकाय द्वारा अपेक्षित अन्य परिचालन सांख्यिकी; और
- (छ) हवाई अड्डे के प्रचालन, प्रबंधन और विकास के संबंध में ऐसी अन्य रिपोर्टें/जानकारी (या उसका विश्लेषण) जो प्राधिकरण समय-समय पर मांग सकता है।

21.3 सेवा स्तर की निगरानी

रियायतग्राही:

- (क) पूरी रियायत अवधि के दौरान, नियमित रूप से हवाई अड्डे पर यातायात प्रवाह की निगरानी करेगा और नियमित रूप से हवाई अड्डे पर सेवा के स्तरों की जांच करेगा;
- (ख) सीओडी प्राप्त करने के बाद, नियमित रूप से हवाई अड्डे पर विमान में चढ़ने और विमान से उतरने वाले पीक आवर यात्रियों की निगरानी और गिनती करेगा;
- (ग) प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद 7वें (सातवें) दिन तक, प्राधिकरण को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करेगा: (i) यह पुष्टि करते हुए कि पूर्ववर्ती तिमाही (या उसके हिस्से) में हवाई अड्डे पर सेवा का स्तर कभी भी 'आईएटीए सेवा स्तर इष्टतम' से नीचे नहीं गिरा या उन तिथियों या अवधियों का विवरण देते हुए जिनके दौरान हवाई अड्डे पर सेवा का स्तर 'आईएटीए सेवा स्तर इष्टतम' से नीचे गिर गया था, और (ii) रिपोर्टिंग तिमाही के दौरान हवाई अड्डे पर प्रत्याशित सेवा स्तर का अपना विश्लेषण (किसी भी और सभी सहायक डेटा के साथ) प्रस्तुत करते हुए, जिसमें वह समय अवधि भी शामिल है जब हवाई अड्डे पर सेवा का स्तर 'आईएटीए सेवा स्तर इष्टतम' से नीचे गिरने का अनुमान है; और
- (घ) यदि वह अन्यथा यह निर्धारित करता है कि हवाई अड्डे पर सेवा का स्तर किसी भी समय 'आईएटीए सेवा स्तर इष्टतम' से नीचे गिरने का अनुमान है या गिर गया है, तो तुरंत प्राधिकरण को लिखित में सूचित करेगा और ऐसी कमी के लिए शमन योजना (mitigation plan) के साथ-साथ ऐसे निर्धारण से संबंधित किसी भी और सभी डेटा को प्राधिकरण को प्रदान करेगा।

21.4 असामान्य घटनाओं की रिपोर्ट

रियायतग्राही प्रत्येक दिन की समाप्ति से पहले, उपयोगकर्ताओं और हवाई अड्डे की सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित दुर्घटनाओं और असामान्य घटनाओं का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट फैक्स और ई-मेल द्वारा प्राधिकरण और नामित भारत सरकार की एजेंसी को अधिसूचित करेगा। ऐसी रिपोर्टों का एक साप्ताहिक और मासिक सारांश भी प्रत्येक सप्ताह और महीने की समाप्ति के क्रमशः 3 (तीन) दिनों के भीतर भेजा जाएगा। इस खंड 21.4 के प्रयोजनों के लिए, हवाई अड्डे पर दुर्घटनाओं और असामान्य घटनाओं में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (क) किसी व्यक्ति की मृत्यु या चोट;
- (ख) क्षतिग्रस्त या विस्थापित स्थिर उपकरण;
- (ग) हवाई अड्डे पर कोई क्षति या बाधा, जिसके परिणामस्वरूप उपयोगकर्ताओं को प्रदान की जा रही सेवाओं में मंदी आती है;
- (घ) रनवे, एप्रन या टैक्सीवे पर कोई क्षति या बाधा;
- (ङ) हवाई अड्डे पर हवाई यातायात की भीड़ जिसके कारण अनुसूचित विमान प्रचालन में अनुचित देरी होती है या टर्मिनल भवन में भीड़ होती है;
- (च) एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम में कोई विफलता या दोष;
- (छ) आरक्षित सेवाओं के प्रावधान में कोई बाधा या अनुचित भीड़;
- (ज) हवाई अड्डे पर बिजली आपूर्ति या पानी की आपूर्ति में रुकावट या विफलता;
- (झ) टर्मिनल भवन में वातानुकूलन सुविधाओं में रुकावट या विफलता;
- (ञ) हवाई अड्डे पर किसी भी क्लोज्ड-सर्किट टेलीविजन प्रणाली का निष्क्रिय होना;
- (ट) हवाई अड्डे के प्रचालन को प्रभावित करने वाली संचार विफलता;
- (ठ) परिचालन क्षेत्र, रनवे और टैक्सीवे में और उसके आसपास बर्ड हिट, नियर बर्ड हिट या जानवरों के उपद्रव की कोई भी घटना;
- (ड) हवाई अड्डे पर चोरी या डकैती की कोई भी घटना;
- (ढ) हवाई अड्डे पर सुरक्षा उल्लंघन की कोई भी घटना;
- (ण) धुआं या आग, हवाई अड्डे पर जलभराव (बाढ़);

(त) किसी भी परियोजना सुविधा को पर्याप्त क्षति या विनाश; और

(थ) ऐसी अन्य प्रासंगिक जानकारी जो प्राधिकरण द्वारा उचित रूप से आवश्यक हो सकती है।

21.5 निरीक्षण

प्राधिकरण या उसकी नामित एजेंसी, यदि आवश्यक हो, तो रियायतग्राही को पूर्व सूचना देकर वर्ष में कम से कम एक बार हवाई अड्डे का निरीक्षण कर सकती है। वह ऐसे निरीक्षण की एक रिपोर्ट ("ओएंडएम निरीक्षण रिपोर्ट") तैयार करेगी जिसमें इस समझौते की आवश्यकताओं, लागू कानूनों, लागू परमिटों, प्रासंगिक आईसीएओ और आईएटीए मानकों, विनियामक द्वारा निर्धारित सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं और अच्छे उद्योग अभ्यासों के अनुपालन, किसी भी दोष या कमियों का उचित विवरण दिया जाएगा, और ऐसे निरीक्षण के 7 (सात) दिनों के भीतर रियायतग्राही को उसकी एक प्रति भेजी जाएगी।

21.6 उपचारात्मक उपाय

21.6.1 रियायतग्राही खंड 21.5 में संदर्भित ओएंडएम निरीक्षण रिपोर्ट में निर्धारित दोषों या कमियों, यदि कोई हों, की मरम्मत या सुधार करेगा और ओएंडएम निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकरण को उसके संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, बशर्ते कि जहाँ ऐसे दोषों या कमियों को दूर करने में 15 (पंद्रह) दिनों से अधिक समय लगने की संभावना हो, रियायतग्राही मरम्मत कार्यों की प्रगति रिपोर्ट तब तक सप्ताह में एक बार प्रस्तुत करेगा जब तक कि ऐसे कार्य इस समझौते के अनुरूप पूरे न हो जाएं।

21.6.2 प्राधिकरण रियायतग्राही से यह निर्धारित करने के लिए अपने खर्च पर परीक्षण कराने या करवाने की अपेक्षा करेगा कि क्या ऐसे उपचारात्मक उपायों ने हवाई अड्डे को इस समझौते के अनुपालन में ला दिया है, और इस खंड 21.6 में निर्धारित प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि हवाई अड्डा इस समझौते के अनुरूप न हो जाए।

21.7 प्रबंधन तक पहुँच

प्राधिकरण उचित समय पर और रियायतग्राही को उचित नोटिस देने के बाद हवाई अड्डे के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारियों और अन्य प्रासंगिक अधिकारियों और कर्मचारियों तक समय-समय पर उचित पहुँच का हकदार होगा।

21.8 सिटी साइड डेवलपमेंट

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अनुच्छेद 21 में कुछ भी सिटी साइड डेवलपमेंट (सिटी साइड डेवलपमेंट) पर लागू नहीं होगा।

अनुच्छेद 22. यातायात विनियमन और गणना

22.1 रियायतग्राही द्वारा यातायात विनियमन

22.1.1 रियायतग्राही लागू कानूनों के अनुसार और लागू कानूनों के तहत इस संबंध में सशक्त नामित भारत सरकार की एजेंसियों या उसके किसी विकल्प के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन, हवाई अड्डे के भीतर और हवाई अड्डे की ओर जाने वाली सड़कों पर वाहनों के यातायात को नियंत्रित करेगा।

22.1.2 रियायतग्राही अच्छे उद्योग अभ्यास के आधार पर एक प्रणाली विकसित और प्रचारित करेगा, ताकि हवाई अड्डे के उपयोग में किसी भी उपयोगकर्ता या उपयोगकर्ताओं की श्रेणी के साथ कोई भेदभाव न हो या किसी का अनुचित पक्ष न लिया जाए, जैसा भी मामला हो।

22.1.3 रियायतग्राही के पास सभी व्यक्तियों को गैर-भेदभावपूर्ण सेवाएं प्रदान करते हुए एक सामान्य वाहक के आधार पर हवाई अड्डे का प्रबंधन, प्रचालन और विनियमन करने का अधिकार और दायित्व है।

22.2 जनगणना/यातायात गणना

रियायतग्राही हवाई अड्डे के माध्यम से एयरसाइड और लैंडसाइड यात्रियों और कार्गो यातायात से संबंधित डेटा एकत्र करेगा। ऐसे डेटा का एक मासिक विवरण रियायतग्राही द्वारा तुरंत संकलित किया जाएगा और प्राधिकरण को स्वीकार्य प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रत्येक मासिक यातायात विवरण में अन्य बातों के साथ-साथ दैनिक आधार पर पीक आवर यात्रियों की संख्या, विमान आवागमन और कार्गो टन भार शामिल होगा।

22.3 कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क

रियायतग्राही यातायात के कुशल और पारदर्शी विनियमन और प्रबंधन के लिए उपयोगी या आवश्यक डेटा और सूचना के आदान-प्रदान के लिए, यथास्थिति प्राधिकरण, नामित भारत सरकार की एजेंसियों और अन्य संबंधित संस्थाओं के नेटवर्क के साथ चौबीसों घंटे कनेक्शन वाला एक कंप्यूटर सिस्टम स्थापित, संचालित और रखरखाव करेगा। इस उद्देश्य के लिए, वह इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ("ईडीआई") के लिए ऐसे प्रोटोकॉल का पालन करेगा जैसा कि प्राधिकरण या नामित भारत सरकार की एजेंसी समय-समय पर निर्दिष्ट कर सकती है। यह सहमति हुई है कि खंड 28.9 में निर्दिष्ट प्रारूप को प्राधिकरण द्वारा ईडीआई की आवश्यकताओं और आउटपुट के अनुरूप होने के लिए समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 23. प्रमुख प्रदर्शन संकेतक

23.1 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक

23.1.1 इस समझौते में निर्दिष्ट दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सीओडी से 1 (एक) वर्ष की तारीख से प्रारंभ करते हुए, रियायतग्राही हवाई अड्डे का प्रचालन इस प्रकार करेगा कि वह इस अनुच्छेद 23 में निर्दिष्ट प्रदर्शन संकेतकों और अनुसूची H में निर्दिष्ट सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं ("प्रमुख प्रदर्शन संकेतक") को प्राप्त करे या उससे अधिक प्रदर्शन करे।

23.1.2 रियायतग्राही इसमें अनुसूची H के तहत पहचाने गए मापदंडों पर सेवा की गुणवत्ता की निगरानी और माप करेगा। रियायतग्राही माप तंत्र और माप आवृत्ति/आवधिकता पर विवरण प्रदान करते हुए एक प्रदर्शन माप योजना प्रस्तुत करेगा। प्रदर्शन माप योजना रियायतग्राही द्वारा लागू कानूनों, नियामक ढांचे और अनुसूची एच के तहत प्रदान किए गए मार्गदर्शन के अनुसार तैयार की जाएगी।

23.2 वैमानिकी परिसंपत्तियों का प्रचालन

23.2.1 रियायतग्राही वैमानिकी परिसंपत्तियों का प्रचालन इस प्रकार करेगा कि, सीओडी से 1 (एक) वर्ष की तारीख से प्रारंभ करते हुए, यह इस खंड 23.2 और अनुसूची एच में निर्दिष्ट प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के अनुरूप हो।

23.2.2 रियायतग्राही, रियायत अवधि के दौरान हर समय, प्रासंगिक आईसीएओ मानकों, डीजीसीए के दिशानिर्देशों, लागू कानूनों, लागू परमिटों और अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुसार रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम का रखरखाव करेगा।

23.3 टर्मिनल भवन का प्रचालन

23.3.1 रियायतग्राही टर्मिनल भवन का प्रचालन और रखरखाव इस प्रकार करेगा कि, सीओडी से 1 (एक) वर्ष की तारीख से प्रारंभ करते हुए, यह इस खंड 23.3 और अनुसूची एच में निर्दिष्ट प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के अनुरूप हो।

23.3.2 रियायतग्राही, रियायत अवधि के दौरान हर समय, यह सुनिश्चित करेगा कि:

- (क) टर्मिनल भवन और उसके शौचालय स्वच्छ, स्वच्छ और गंधहीन हों;
- (ख) अनुसूची सी के अनुसार विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप टर्मिनल भवन के भीतर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था हो;
- (ग) अच्छे उद्योग अभ्यासों के अनुसार बाहर के तापमान के संबंध में टर्मिनल भवन के भीतर सामान्य क्षेत्रों में तापमान आरामदायक स्तर पर बनाए रखा जाए;
- (घ) सभी प्रवेश और निकास बिंदु, मार्ग, संचलन क्षेत्र और वाहनों का यातायात इस प्रकार प्रबंधित किया जाए कि 95% समय में उनमें 5 (पांच) मिनट से अधिक प्रतीक्षा समय वाली कतार न हो; और
- (ङ) सभी लिफ्ट, एस्केलेटर, वॉकलेटर, उड़ान सूचना प्रणाली सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली और प्रकाश व्यवस्था कुशलतापूर्वक कार्य करें और उनकी उपलब्धता 98% (अट्ठानवे प्रतिशत) से कम न हो।
- (च) कार्यालय समय और निर्धारित परिचालन समय के दौरान सभी फोन कॉलों में से 75% (पचहतर प्रतिशत) का उत्तर 30 (तीस) सेकंड के भीतर दिया जाए।

23.4 वाहन पार्किंग का प्रचालन

23.4.1 रियायतग्राही पार्किंग का प्रचालन और प्रबंधन इस प्रकार करेगा कि, सीओडी से 1 (एक) वर्ष की तारीख से प्रारंभ करते हुए, यह प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के अनुरूप हो।

23.4.2 रियायतग्राही, सीओडी से 1 (एक) वर्ष की तारीख से प्रारंभ करते हुए, हर समय यह सुनिश्चित करेगा कि:

- (क) वाहन पार्क में प्रवेश करने से लेकर खाली स्लॉट में पार्क करने तक लगने वाला औसत समय, जिसमें शुल्क के भुगतान का समय भी शामिल है, इसके कम से कम 95% (पचानवे प्रतिशत) उपयोगकर्ताओं के लिए 5 (पांच) मिनट से अधिक नहीं होगा;
- (ख) पार्किंग स्लॉट से निकास द्वार तक जाने में लगने वाला औसत समय, जिसमें शुल्क के भुगतान का समय भी शामिल है, इसके कम से कम 95% (पचानवे प्रतिशत) उपयोगकर्ताओं के लिए 5 (पांच) मिनट से अधिक नहीं होगा; और
- (ग) स्थान और उपकरणों का प्रावधान और उनका उपयोग ऐसा हो कि वाहनों की हैंडलिंग अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुरूप सुरक्षित और कुशल हो।

23.4.3 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि पार्किंग को स्वच्छ और पर्याप्त रोशनी के साथ रखा जाए।

23.4.4 रियायतग्राही पार्किंग में सुविधाजनक स्थानों पर पर्याप्त संख्या में शौचालय उपलब्ध कराएगा और उन्हें स्वच्छ एवं स्वच्छ स्थिति में रखेगा।

23.5 कार्गो सुविधाओं का प्रचालन

रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि इस समझौते के खंड 19.4 के अनुसरण में रियायतग्राही द्वारा विकसित, संचालित और अनुरक्षित कार्गो सुविधाएं:

- (क) स्वच्छ और पर्याप्त रोशनी के साथ रखी जाएं;
- (ख) अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सुविधा प्रदान और संचालित करें;
- (ग) ऐसी कार्गो सुविधाओं के उपयोगकर्ताओं को अच्छे उद्योग अभ्यासों के तुलनीय कुशल और किफायती सेवाएं प्रदान करें;
- (घ) कार्गो सुविधाओं में पर्याप्त संख्या में शौचालय प्रदान करें और उन्हें स्वच्छ एवं स्वच्छ स्थिति में रखें।

23.6 आईएसओ प्रमाणन

23.6.1 रियायतग्राही, चरण 1 पूर्णता तिथि से 24 (चौबीस) महीनों के भीतर, हवाई अड्डे पर रियायतग्राही द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित सभी सुविधाओं के लिए क्यूएमएस आईएसओ 9001:2008, ईएमएस आईएसओ 14001:2004 और ओएचएसएस आईएसओ 18001:2007 प्रमाणन और अन्य लागू प्रमाणन या उनका कोई विकल्प प्राप्त करेगा और उसके बाद पूरी रियायत अवधि के दौरान बनाए रखेगा, और तुरंत प्राधिकरण को इसकी एक प्रमाणित प्रति प्रदान करेगा।

23.6.2 खंड 23.6.1 में निर्दिष्ट प्रमाणन प्राप्त करने में चूक की स्थिति में, रियायतग्राही, उसके 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, प्राधिकरण को एक कार्य योजना प्रस्तुत करेगा जिसमें अपनी कमियों को दूर करने और हवाई अड्डे की सभी सुविधाओं के लिए ऐसा प्रमाणन प्राप्त करने के लिए रियायतग्राही द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों को निर्धारित किया जाएगा।

23.6.3 यदि इस खंड 23.6 के तहत आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने में चूक की अवधि लगातार 3 (तीन) महीने से अधिक हो जाती है, तो रियायतग्राही 3 (तीन) महीने की उपर्युक्त अवधि के बाद चूक के प्रत्येक 1 (एक) महीने के लिए शुल्क से कुल मासिक राजस्व के 0.1% (शून्य दशमलव एक प्रतिशत) के बराबर राशि में प्राधिकरण को हर्जाना देगा।

23.7 लक्ष्य रेटिंग और उपयोगकर्ता सर्वेक्षण

23.7.1 रियायतग्राही एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल या उसके किसी विकल्प द्वारा प्रत्येक तिमाही में आयोजित एएसक्यू (हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता) के उपयोगकर्ता सर्वेक्षण में भाग लेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि हवाई अड्डा सीओडी से 5 (पांच) वर्षों के भीतर ऐसे सर्वेक्षण में 5.0 (पांच) में से कम से कम 4.5 (चार दशमलव पांच) की रेटिंग प्राप्त करे और बनाए रखे और/या दुनिया में अपनी श्रेणी के सभी हवाई अड्डों के शीर्ष 20 (बीस) पर्सटाइल के भीतर दिखाई दे और शेष पूरी रियायत अवधि के दौरान इसे बनाए रखे।

23.7.2 रियायतग्राही प्रत्येक कैलेंडर तिमाही की समाप्ति के 21 (इक्कीस) दिनों के भीतर, प्राधिकरण को तत्काल पूर्ववर्ती तिमाही के लिए एएसक्यू के उपयोगकर्ता सर्वेक्षण के परिणामों पर एक लिखित रिपोर्ट प्रदान करेगा, साथ ही परिणामों का अपना विश्लेषण और उपयोगकर्ता संतुष्टि में सुधार के लिए प्रस्तावित कार्रवाई (यदि कोई हो) भी प्रस्तुत करेगा।

23.7.3 खंड 23.7.1 में निर्दिष्ट उपयोगकर्ता सर्वेक्षण के अतिरिक्त, प्राधिकरण रियायतग्राही द्वारा इस अनुच्छेद 23 के प्रावधानों के अनुपालन का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक कैलेंडर तिमाही में एक बार उपयोगकर्ता संतुष्टि का एक नमूना सर्वेक्षण ("उपयोगकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण") आयोजित करने के लिए अपनी लागत और व्यय पर एक स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसी को संलग्न कर सकता है। उपयोगकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण की प्रकृति और सामग्री प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के परामर्श से निर्धारित की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिणाम वस्तुनिष्ठ हो और उपयोगकर्ताओं के एक क्रॉस-सेक्शन का प्रतिनिधित्व करता हो। यह सहमति हुई है कि उपयोगकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण को डिजाइन करने में, प्राधिकरण अच्छे उद्योग अभ्यास पर भरोसा करेगा और समय-समय पर किए जाने वाले समान सर्वेक्षणों जैसे वर्तमान में अन्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आयोजित एएसक्यू के सर्वेक्षणों के अनुरूप होगा।

23.7.4 इस स्थिति में कि उपयोगकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण से पता चलता है कि सर्वेक्षण किए गए 20% (बीस प्रतिशत) से अधिक उपयोगकर्ता रियायतग्राही के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हैं, और सेवाओं को औसत से नीचे का दर्जा देते हैं, प्राधिकरण नियामक ढांचे के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए विनियामक को ऐसे उपयोगकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण के निष्कर्षों की रिपोर्ट करेगा। ऐसी स्थिति में, ऐसे उपयोगकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण की लागत रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

23.8 स्थिति रिपोर्ट

रियायत अवधि के दौरान, रियायतग्राही प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 7 (सात) दिनों के भीतर, इस अनुच्छेद 23 और अनुसूची एच में निर्दिष्ट सभी प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के अनुपालन का उचित विस्तार से विवरण देते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें विफलताओं के कारणों का विश्लेषण (यदि कोई हो) और उनसे निपटने तथा हवाई अड्डे के परिचालन प्रदर्शन को अन्यथा बेहतर बनाने की रणनीतियां शामिल होंगी। रिपोर्ट में खंड 23.9 के अनुसार गणना किए गए हर्जाने का परिमाणीकरण शामिल होगा।

23.9 प्रदर्शन में कमी के लिए हर्जाना

रियायतग्राही इस अनुच्छेद 23 में निर्दिष्ट प्रमुख प्रदर्शन संकेतक का अनुपालन सुनिश्चित और प्रबंधित करेगा और एक तिमाही के दौरान औसत प्रदर्शन में किसी भी कमी के लिए, वह हर्जाने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसा कोई भी हर्जाना विनियामक के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा और निर्दिष्ट अवधि के लिए वैमानिकी शुल्कों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

23.10 उपयोगकर्ता चार्टर

रियायतग्राही उपयोगकर्ताओं के अधिकारों और अपेक्षाओं को स्पष्ट करने वाला एक चार्टर ("उपयोगकर्ता चार्टर") प्रकाशित और कार्यान्वित करेगा जो काफी हद तक अनुसूची जे में निर्दिष्ट प्रारूप में होगा। रियायतग्राही उपयोगकर्ता चार्टर और लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ताओं के प्रति हर समय जवाबदेह और उत्तरदायी होगा।

23.11 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों से छूट

रियायतग्राही को किसी भी प्रमुख प्रदर्शन संकेतक के अनुरूप होने में अपनी चूक के लिए छूट दी जाएगी यदि ऐसी चूक इसके तहत अपने दायित्वों के निर्वहन में प्राधिकरण की विफलता के कारण हुई है।

प्रौद्योगिकी, उपयोगकर्ता आवश्यकताओं आदि में बदलाव के साथ, रियायतग्राही और प्राधिकरण दोनों अनुसूची एच में निर्दिष्ट प्रदर्शन संकेतकों और मानकों में परिवर्तन का प्रस्ताव कर सकते हैं ताकि हवाई अड्डे के प्रदर्शन से संबंधित नए प्रदर्शन संकेतकों की पहचान की जा सके और उचित प्रदर्शन उपाय निर्धारित किए जा सकें; मौजूदा संकेतकों के लिए प्रदर्शन मानकों को संशोधित किया जाए, या नवीनतम विकास/प्रगति के अनुरूप संकेतकों के लिए माप तंत्र को अद्यतन किया जाए।

किसी भी पक्ष द्वारा ऐसे बदलावों का प्रस्ताव करने पर, प्राधिकरण ऐसे प्रस्ताव पर विनियामक और उपयोगकर्ताओं के साथ परामर्श करेगा। प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणियों के साथ-साथ विनियामक और उपयोगकर्ताओं के परामर्श से प्राप्त इनपुट पर चर्चा करने के लिए पक्ष ऐसे परामर्श के 60 (साठ) दिनों के भीतर बैठक करेंगे।

ऐसी बैठक के 30 (तीस) दिनों के भीतर, प्राधिकरण विनियामक और/या उपयोगकर्ताओं के परामर्श इनपुट को शामिल करने के लिए प्रारंभिक प्रस्ताव में किसी भी समायोजन का प्रस्ताव करेगा, साथ ही प्रस्ताव पर दोनों पक्षों के अवलोकन और विनियामक तथा उपयोगकर्ताओं के परामर्श से प्राप्त इनपुट को शामिल करेगा। प्राधिकरण तदनुसार रियायतग्राही को उन परिवर्तनों के बारे में सूचित करेगा जो वह अनुसूची एच में प्रस्तावित करता है। ऐसे परिवर्तनों को समझौते के हिस्से के रूप में शामिल माना जाएगा और उस कैलेंडर तिमाही की शुरुआत से लागू होगा जो प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को अधिसूचना की ऐसी तारीख के कम से कम 60 (साठ) दिन बाद हो।

इस खंड 23.11 के प्रावधानों से उत्पन्न मामलों में पक्षों के बीच किसी भी मतभेद या असहमति की स्थिति में, विवाद समाधान प्रक्रिया लागू होगी।

23.12 विनियामक द्वारा प्रदर्शन मानकों की समीक्षा

इस अनुच्छेद 23 में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, विनियामक प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की पूर्ति के संबंध में रियायतग्राही के प्रदर्शन की समय-समय पर समीक्षा कर सकता है और विनियामक ढांचे के तहत अपनी शक्तियों और कार्यों के प्रयोग में ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जो वह आवश्यक समझे।

23.13 सिटी साइड डेवलपमेंट

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अनुच्छेद 23 में कुछ भी सिटी साइड डेवलपमेंट (सिटी साइड डेवलपमेंट) पर लागू नहीं होगा।

अनुच्छेद 24. स्वतंत्र इंजीनियर

24.1 स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति

24.1.1 प्राधिकरण और रियायतग्राही, अनुसूची के में निर्धारित चयन मानदंडों के अनुसार, इस समझौते के तहत स्वतंत्र सलाहकार ("स्वतंत्र इंजीनियर") के रूप में एक परामर्श इंजीनियरिंग फर्म की नियुक्ति करेंगे। स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति अनुसूची K के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

24.1.2 स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति इस समझौते के निष्पादन की तारीख से 90 (नब्बे) दिनों के भीतर की जाएगी, और ऐसी नियुक्ति 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए वैध होगी। उक्त नियुक्ति की समाप्ति या रद्दीकरण पर, प्राधिकरण अनुसूची K के प्रावधानों के अनुसार अगले 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए एक स्वतंत्र इंजीनियर नियुक्त करेगा, और प्रत्येक नियुक्ति की समाप्ति के बाद यह प्रक्रिया दोहराई जाएगी।

24.2 कर्तव्य और कार्य

24.2.1 स्वतंत्र इंजीनियर अनुसूची एल में निर्धारित संदर्भ की शर्तों के अनुसार काफी हद तक अपने कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन करेगा।

24.2.2 स्वतंत्र इंजीनियर अनुसूची एल में निर्धारित अपने कर्तव्यों और कार्यों के संबंध में प्राधिकरण को नियमित आवधिक रिपोर्ट (कम से कम हर महीने एक बार) प्रस्तुत करेगा..

24.2.3 प्राधिकरण द्वारा स्वतंत्र इंजीनियर को और स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा प्राधिकरण को भेजे गए सभी संचार की एक सत्य प्रतिलिपि स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा तुरंत रियायतग्राही को भेजी जाएगी। 24.2.4 स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा रियायतग्राही को भेजे जाने वाले सभी संचार प्राधिकरण के माध्यम से किए जाएंगे।

24.3 पारिश्रमिक

24.3.1 स्वतंत्र इंजीनियर का पारिश्रमिक, लागत और खर्च प्राधिकरण द्वारा भुगतान किया जाएगा, और ऐसे सभी पारिश्रमिक, लागत और खर्च प्राधिकरण से व्यय का विवरण प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को प्रतिपूर्ति (reimburse) किए जाएंगे। स्वतंत्र इंजीनियर को भुगतान की गई किसी भी राशि को विनियामक द्वारा वैमानिकी प्रभार के निर्धारण के लिए पास-थू माना जाएगा।

24.4 नियुक्ति की समाप्ति

24.4.1 प्राधिकरण, अपने विवेक से, किसी भी समय स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति समाप्त कर सकता है, लेकिन केवल खंड 24.1 के अनुसार किसी अन्य स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति के बाद ही।

24.4.2 यदि रियायतग्राही के पास यह मानने का कारण है कि स्वतंत्र इंजीनियर निष्पक्ष, कुशल और लगन से अपने कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो वह प्राधिकरण को लिखित अभ्यावेदन दे सकता है और स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति को समाप्त करने की मांग कर सकता है। ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, प्राधिकरण विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए रियायतग्राही और स्वतंत्र इंजीनियर के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करेगा, और यदि प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच कोई मतभेद या असहमति अनसुलझी रहती है, तो विवाद का समाधान

विवाद समाधान प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। यदि इसके तहत स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति समाप्त कर दी जाती है, तो प्राधिकरण तुरंत खंड 24.1 के अनुसार एक अन्य स्वतंत्र इंजीनियर नियुक्त करेगा।

24.5 विवाद समाधान

यदि कोई भी पक्ष स्वतंत्र इंजीनियर की किसी सलाह, निर्देश, निर्णय या दिशा-निर्देश का, या, जैसा भी मामला हो, अधिकार क्षेत्र का दावा करने या न करने का विवाद करता है, तो विवाद को विवाद समाधान प्रक्रिया के अनुसार हल किया जाएगा।

24.6 अंतरिम व्यवस्था

ऐसी स्थिति में कि प्राधिकरण ने किसी स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति नहीं की है, या इस प्रकार नियुक्त स्वतंत्र इंजीनियर ने अपने कार्यों को छोड़ दिया है या उनके निर्वहन में चूक की है, प्राधिकरण, अंतरिम रूप से, इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र इंजीनियर के कार्यों का निर्वहन करने के लिए किसी भी व्यक्ति को नामित और अधिकृत कर सकता है, सिवाय इसके कि ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र इंजीनियर के संबंध में और उसके लिए इस समझौते में निर्दिष्ट अनुमोदन से संबंधित किसी भी कार्य का प्रयोग नहीं करेगा, और ऐसे कार्यों का निर्वहन तब किया जाएगा जब इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार एक स्वतंत्र इंजीनियर नियुक्त किया जाता है। बशर्ते, हालांकि, इस खंड 24.6 में निहित कोई भी बात प्राधिकरण के इस समझौते के प्रावधानों का अनुपालन लागू करने के अधिकारों को किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं करेगी।

अनुच्छेद 25. सिटी साइड डेवलपमेंट

25.1 सिटी साइड डेवलपमेंट

25.1.1 रियायतग्राही को अनुसूची ए में निर्दिष्ट भूमि पर अनुसूची बी और अनुसूची सी में निर्धारित शर्तों के अधीन सिटी साइड डेवलपमेंट करने का अधिकार होगा, और अनुबंधों के माध्यम से इसके किसी या सभी हिस्सों को सब-लीज पर देने के अधिकार के साथ वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए ऐसे विकास का उपयोग करने का अधिकार होगा, जिसे परियोजना अनुबंध के रूप में पहचाना जाएगा, चाहे उसका मूल्य कुछ भी हो और इसमें निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद। 25.1.2 रियायतग्राही अपने खर्च पर और इस समझौते, लागू कानूनों, लागू परमिटों और गुड इंडस्ट्री प्रैक्टिस के प्रावधानों के अनुसार सिटी साइड डेवलपमेंट का हिस्सा बनने वाले बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, बिजली आपूर्ति, जल आपूर्ति, सीवरेज और जल निकासी प्रणाली का विकास और रखरखाव करेगा या करवाएगा।

25.2 सिटी साइड डेवलपमेंट का प्रचालन और रखरखाव रियायतग्राही सिटी साइड डेवलपमेंट के प्रचालन, प्रबंधन और विकास में इस समझौते, लागू कानूनों, लागू परमिटों और गुड इंडस्ट्री प्रैक्टिस के प्रावधानों का पालन करेगा और इस समझौते, लागू कानूनों और लागू परमिटों के प्रावधानों के अधीन इसका वाणिज्यिक उपयोग करेगा।

25.3 लागत, कर और राजस्व

25.3.1 सीओडी से और उसके बाद, सिटी साइड डेवलपमेंट से संबंधित सभी लागत, व्यय, कर, शुल्क और प्रभार, जिसमें संपत्ति पर कर शामिल हैं, रियायतग्राही द्वारा वहन किए जाएंगे या प्राधिकरण को प्रतिपूर्ति किए जाएंगे, जैसा भी मामला हो। रियायतग्राही द्वारा किए गए किसी भी विकास से उत्पन्न होने वाले प्राधिकरण द्वारा देय संपत्ति पर कोई भी कर प्राधिकरण द्वारा लागू कानूनों के अनुसार भुगतान किया जाएगा और प्राधिकरण से आवश्यक विवरण के साथ नोटिस प्राप्त होने की 60 (साठ) दिनों की अवधि के भीतर रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

25.3.2 सिटी साइड डेवलपमेंट से प्राप्त सभी राजस्व रियायतग्राही द्वारा इस समझौते और लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार विनियोजित किए जाएंगे।

25.4 सिटी साइड डेवलपमेंट और भूमि उपयोग पर प्रतिबंध

25.4.1 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि सिटी साइड डेवलपमेंट और इसका भूमि उपयोग हर समय लागू कानूनों के अनुरूप हो और इसमें निम्नलिखित का निर्माण शामिल न हो:

(ए) पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्गीकृत प्रदूषणकारी उद्योग;

(बी) आवासीय इकाइयाँ, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़, या किसी भी प्रकार का आवासीय विकास; और

(सी) वायु प्रचालन को प्रभावित करने वाली कोई भी गतिविधि।

25.4.2 रियायतग्राही इस खंड 25.4.1 के तहत निर्दिष्ट गतिविधियों को छोड़कर किसी भी प्रकार का विकास करेगा।

25.4.3 रियायतग्राही स्वीकार करता है और सहमत है कि वह खंड 25.6 के प्रावधानों को छोड़कर सिटी साइड डेवलपमेंट के किसी भी हिस्से पर सब-लीज, असाइन या किसी भी तरीके से कोई भार उत्पन्न नहीं करेगा।

25.5 फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) पर प्रतिबंध

मास्टर प्लान के प्रावधानों के अधीन, सिटी साइड डेवलपमेंट का फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) लागू कानूनों के तहत स्थानीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा। सिटी साइड डेवलपमेंट पर बनाई जाने वाली किसी भी संरचना की ऊंचाई हवाई अड्डे से सटे विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्राधिकरण या नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा सामान्य रूप से निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगी। एफएसआई की गणना मास्टर प्लान में सिटी साइड डेवलपमेंट के रूप में निर्धारित कुल क्षेत्र के संदर्भ में की जाएगी, लेकिन सड़कों, पार्कों और अन्य सामान्य सुविधाओं के लिए आरक्षित क्षेत्रों को छोड़कर।

25.6 सिटी साइड डेवलपमेंट की सब-लीजिंग

25.6.1 खंड 5.2 और इस अनुच्छेद 25 के प्रावधानों के अधीन, रियायतग्राही सिटी साइड डेवलपमेंट वाली परियोजना संपत्तियों (Project Assets) को इस तरह सब-लीज पर दे सकता है कि ऐसे सब-लीज की अवधि और वैधता खंड 25.7 में निर्दिष्ट अवधि से आगे न बढ़े।

25.6.2 इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, रियायतग्राही सिटी साइड डेवलपमेंट का हिस्सा बनने वाली किसी भी परियोजना संपत्ति पर सब-लीज, असाइन या किसी भी तरीके से कोई भार उत्पन्न कर सकता है।

25.6.3 रियायतग्राही सहमत है और वचन देता है कि सिटी साइड डेवलपमेंट का हिस्सा बनने वाली किसी भी परियोजना संपत्ति पर किसी भी सब-लीज, असाइनमेंट या अन्य भार के संबंध में, वह मासिक शुल्क, प्रभार, किराया या राजस्व हिस्सा प्राप्त करने का हकदार है, और वह सुरक्षा, जमा, ऋण, अग्रिम या किसी भी अन्य शीर्षक के तहत कोई अन्य राशि स्वीकार नहीं करेगा, जो इस तरह के सब-लीज, असाइनमेंट या अन्य भार के संबंध में शुल्क, प्रभार, किराया या राजस्व हिस्से के रूप में अगले 3 (तीन) वर्षों के लिए रियायतग्राही को देय भुगतान से अधिक हो। रियायतग्राही यह सुनिश्चित करने के लिए सहमत है कि किसी भी सब-लीज, असाइनमेंट या अन्य भार के लिए देय प्रतिफल रियायत अवधि में समान रूप से अर्जित होगा और हर तिमाही में कम से कम एक बार देय होगा, बशर्ते कि इस अनुच्छेद 25 में कुछ भी रियायतग्राही को रियायत अवधि में अनुदान प्राप्तकर्ता के राजस्व या मुनाफे में उतार-चढ़ाव के अनुपात में प्रतिफल के पूर्ण या किसी हिस्से को समायोजित करने या ऐसे प्रतिफल में वार्षिक वृद्धि निर्दिष्ट करने से नहीं रोकेगा।

25.6.4 इस खंड 25.6 के प्रावधानों से उत्पन्न होने वाले मामलों में पक्षों के बीच किसी भी मतभेद या असहमति की स्थिति में, विवाद समाधान प्रक्रिया लागू होगी।

25.7 समाप्ति पर प्रतिपक्ष के अधिकार

25.7.1 पक्ष स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि रियायतग्राही, अपने विवेक से, सिटी साइड डेवलपमेंट से संबंधित, उससे उत्पन्न होने वाले या उसके प्रासंगिक मामलों के संबंध में किसी भी व्यक्ति के साथ समझौते, अनुबंध, सब-लीज, सब-लाइसेंस और कोई अन्य सामग्री समझौते या अनुबंध कर सकता है (भले ही अनुबंध का प्रतिफल सालाना 25,00,00,050/- रुपये (पच्चीस करोड़ रुपये) से कम हो) खंड 3.1.1 के तहत अनुमत अधिकतम अवधि तक।

25.7.2 पक्ष आगे सहमत हैं कि ऐसी अधिकतम अनुमत अवधि की समाप्ति से पहले समाप्ति की स्थिति में, खंड 25.7.1 में संदर्भित अनुबंधों का कार्यकाल इस तरह जारी रहेगा जैसे अनुबंध प्राधिकरण द्वारा दर्ज किए गए थे, और प्राधिकरण, प्रत्येक अनुबंध की शेष अवधि के लिए, ऐसे अनुबंध में कदम रखकर अनुबंध का अनुदानकर्ता माना जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि रियायत अवधि 50 (पचास) वर्ष है और रियायत अनुबंध इस अवधि से पहले समाप्त हो जाता है, तो ऐसा अनुबंध ऐसे अनुबंध में निर्दिष्ट अवधि या सीओडी की 50 वीं (पचासवीं) वर्षगांठ, जो भी पहले हो, तक विस्तारित होगा।

25.8 लागू कानूनों का अनुपालन

रियायतग्राही सहमत है और वचन देता है कि वह सिटी साइड डेवलपमेंट के संबंध में हर समय इमारतों, संरचनाओं, सड़क कार्यों, खुले स्थानों, बिजली की आपूर्ति, जल आपूर्ति, सीवरेज और ऐसे अन्य मामलों से संबंधित लागू कानूनों और उनके तहत बनाए गए नियमों, विनियमों या उप-नियमों का पालन करेगा।

25.9 वाणिज्यिक विज्ञापन या प्रदर्शन

रियायतग्राही लागू कानूनों और इस समझौते के प्रावधानों के अनुरूप सिटी साइड डेवलपमेंट पर वाणिज्यिक विज्ञापन या प्रदर्शन कर सकता है या करवा सकता है।

भाग IV

वित्तीय अनुबंध

अनुच्छेद 26. वित्तीय समापन

26.1 वित्तीय समापन

26.1.1 रियायतग्राही एतद्वारा सहमत है और वचन देता है कि वह इस समझौते के निष्पादन की तारीख से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के भीतर वित्तीय समापन प्राप्त कर लेगा और देरी की स्थिति में, वह 90 (नब्बे) दिनों से अधिक की अतिरिक्त अवधि का हकदार होगा, बशर्ते कि वह कम से कम 15 (पंद्रह) दिन पहले इस तरह के विस्तार की मांग करने वाले कारणों का वर्णन करते हुए एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत करे और देरी के प्रत्येक दिन के लिए प्रदर्शन सुरक्षा के 0.05% (शून्य दशमलव शून्य पांच प्रतिशत) की दर से गणना की गई राशि हर्जाने के रूप में प्राधिकरण को भुगतान करे, बशर्ते कि यहां निर्दिष्ट हर्जाना हर सप्ताह अग्रिम रूप से देय होगा और उक्त 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के बाद की अवधि केवल इस तरह भुगतान किए गए हर्जाने की सीमा तक दी जाएगी, यह भी बशर्ते कि कोई हर्जाना देय नहीं होगा यदि वित्तीय समापन में इस तरह की देरी खंड 4.1.2 में निर्दिष्ट पूर्व शर्तों की संतुष्टि प्राप्त करने में प्राधिकरण द्वारा किसी भी चूक या देरी के परिणामस्वरूप या फोर्स मैज्योर के कारण हुई है। रियायतग्राही द्वारा यहां देय हर्जाना खंड 4.2 के प्रावधानों के तहत देय हर्जाने, यदि कोई हो, के अतिरिक्त होगा।

26.1.2 रियायतग्राही, वित्तीय समापन होने पर, तुरंत प्राधिकरण को सूचित करेगा, और प्राधिकरण को रियायतग्राही के एक निदेशक द्वारा विधिवत सत्यापित निष्पादित वित्तीय समझौतों की 3 (तीन) सत्य प्रतियां प्रदान करेगा।

26.2 वित्तीय समापन प्राप्त करने में विफलता के कारण समाप्ति

26.2.1 इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, लेकिन खंड 32.6.1 के अधीन, ऐसी स्थिति में कि खंड 26.1.1 में निर्धारित अवधि या उसके तहत प्रदान की गई विस्तारित अवधि के भीतर या जब तक कि पक्षों के बीच अन्यथा सहमति न हो, किसी भी कारण से वित्तीय समापन नहीं होता है, तो इस समझौते के तहत या उससे उत्पन्न होने वाले रियायतग्राही के सभी अधिकार, विशेषाधिकार, दावे और हकदारी रियायतग्राही की सहमति से माफ कर दिए गए और समाप्त हो गए माने जाएंगे और इस समझौते को पक्षों के आपसी समझौते द्वारा समाप्त माना जाएगा। बशर्ते, हालांकि, यदि पक्षों ने आपसी सहमति से सीओडी को वित्तीय समापन से पहले निर्धारित किया है, तो इस खंड 26.2.1 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

26.2.2 खंड 26.2.1 के तहत समाप्ति पर, प्राधिकरण उपलब्ध बोली सुरक्षा या प्रदर्शन सुरक्षा को एनकैश और उसके बाद हर्जाने के रूप में उस राशि को विनियोजित करने का हकदार होगा, बशर्ते, हालांकि, यदि फोर्स मैज्योर के कारण या खंड 4.2 के तहत प्राधिकरण द्वारा अपने किसी भी दायित्व में चूक के परिणामस्वरूप वित्तीय समापन नहीं हुआ है, तो यह समाप्ति पर, बोली सुरक्षा या प्रदर्शन सुरक्षा, जैसा भी मामला हो, को खंड 4.2 के तहत देय हर्जाने के साथ तुरंत जारी (release) करेगा। यह स्पष्ट रूप से सहमत है कि यदि बोली सुरक्षा को प्रदर्शन सुरक्षा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, तो प्राधिकरण उसमें से बोली सुरक्षा के बराबर राशि भुनाने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 27. रियायत शुल्क

27.1 मासिक रियायत शुल्क

27.1.1 खंड 27.3 के अधीन, रियायतग्राही रियायत अवधि के दौरान प्राधिकरण को निम्नलिखित प्रकार से गणना किए गए मासिक रियायत शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत है:

[अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क * उस महीने के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्री थ्रूपुट] + [घरेलू यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क * उस महीने के लिए घरेलू यात्री थ्रूपुट]

जहाँ: "घरेलू यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क" का अर्थ है 168 रुपये (एक सौ अड़सठ रुपये), जिसे खंड 27.3 के अनुसार संशोधित किया जा सकता है;

"अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क" का अर्थ है घरेलू यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क का 2 (दो) गुना; किसी भी महीने के लिए

"घरेलू यात्री थ्रूपुट" का अर्थ होगा कुल घरेलू यात्री यातायात (चढ़ने और उतरने वाले यात्री) जो प्राधिकरण द्वारा अगले महीने के 7वें (सातवें) दिन तक उस रूप और तरीके से प्रदान किया जाएगा जैसा कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है; किसी भी महीने के लिए

"अंतरराष्ट्रीय यात्री थ्रूपुट" का अर्थ होगा कुल अंतरराष्ट्रीय यात्री यातायात (चढ़ने और उतरने वाले यात्री) जो प्राधिकरण द्वारा अगले महीने के 7वें (सातवें) दिन तक उस रूप और तरीके से प्रदान किया जाएगा जैसा कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है;

बशर्ते आगे कि, रियायत अवधि के पहले और अंतिम महीनों में, अंतरराष्ट्रीय यात्री थ्रूपुट और घरेलू यात्री थ्रूपुट को उन महीनों में दिनों की संख्या के अनुसार सीओडी या स्थानांतरण तिथि जो भी प्रासंगिक हो, के संबंध में आनुपातिक (pro-rated) किया जाएगा।

27.1.2 इस समझौते की शर्तों के तहत और इसके अनुसरण में रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को भुगतान की गई/देय मासिक रियायत शुल्क को वैमानिकी सेवाएं (Aeronautical Services) प्रदान करने के लिए लागत के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा और इसके संबंध में कोई पास-थ्रू उपलब्ध नहीं होगा।

27.2 यात्री थ्रूपुट का सत्यापन

प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय यात्री थ्रूपुट और/या घरेलू यात्री थ्रूपुट को सत्यापित करने और/या हवाई अड्डे पर वास्तविक अंतरराष्ट्रीय यात्री थ्रूपुट और घरेलू यात्री थ्रूपुट का पता लगाने के लिए, हवाई अड्डे और रियायतग्राही के कार्यालयों में अपने प्रतिनिधियों को प्रतिनियुक्त कर सकता है, और ऐसे अन्य उपाय और कार्यवाहियां कर सकता है जो उसे आवश्यक लगें। प्राधिकरण रियायतग्राही को कोई भी और सभी डेटा, जानकारी, लॉग, शीट, दस्तावेज़ या विवरण प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है, जिसे प्राधिकरण इन उद्देश्यों के लिए उचित और आवश्यक समझे।

27.3 प्रति यात्री शुल्क में संशोधन

27.3.1 इसके पक्षकार स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि घरेलू यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क सीओडी से लागू होगा और सीपीआई (आईडब्ल्यू) में भिन्नता को ध्यान में रखने के लिए सीओडी की प्रत्येक वर्षगांठ पर प्रतिवर्ष संशोधित किया जाएगा।

(क) पहले 15 (पंद्रह) रियायत वर्षों में घरेलू यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संशोधित किया जाएगा: घरेलू यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क = घरेलू यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क] * (1 + डेल्टा और सीपीआई (आईडब्ल्यू) का 85%)

(ख) शेष रियायत वर्षों में घरेलू यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संशोधित किया जाएगा: घरेलू यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क (सीवाई) = घरेलू यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क (सीवी) * (1 + डेल्टा सीपीआई (आईडब्ल्यू) का 50%)

जहाँ:

"प्रति यात्री शुल्क (सीवाई)" का अर्थ है नए रियायत वर्ष में रियायतग्राही द्वारा भुगतान किया जाने वाला संशोधित घरेलू प्रति यात्री शुल्क;

"प्रति यात्री शुल्क (सीवी)" का अर्थ है पिछले रियायत वर्ष में रियायतग्राही द्वारा भुगतान किया जा रहा प्रति यात्री शुल्क;

"डेल्टा सीपीआई (आईडब्ल्यू)" की गणना इस प्रकार की जाएगी:

$$[(\text{गणना की तारीख तक नवीनतम उपलब्ध मासिक सीपीआई (आईडब्ल्यू)}) - (\text{ऐसे नवीनतम उपलब्ध मासिक सीपीआई (आईडब्ल्यू) से 12 (बारह) महीने पहले का सीपीआई (आईडब्ल्यू)})] / [\text{ऐसे नवीनतम उपलब्ध मासिक सीपीआई (आईडब्ल्यू) से 12 (बारह) महीने पहले का सीपीआई (आईडब्ल्यू)}]$$

बशर्ते कि, पहले रियायत वर्ष के पूरा होने के बाद किसी भी रियायत वर्ष में यदि डेल्टा सीपीआई नकारात्मक है, तो ऐसे वर्ष के लिए डेल्टा सीपीआई 0 (शून्य) माना जाएगा।

27.3.2 अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क खंड 27.1.1 में निर्धारित तरीके से संशोधित किया जाएगा।

27.4 मासिक रियायत शुल्क का भुगतान

27.4.1 खंड 27.2 के अनुसरण में, प्राधिकरण रियायतग्राही को मासिक रियायत शुल्क के भुगतान के लिए एक चालान) प्रस्तुत करेगा, जिस चालान में जीएसटी की राशि भी शामिल होगी जो लागू कानून के तहत मासिक रियायत शुल्क के भुगतान पर देय है, जो अगले महीने के 15वें (पंद्रहवें) दिन के बाद का नहीं होगा।

27.4.2 रियायतग्राही लागू कानूनों के तहत प्राधिकरण को मासिक रियायत शुल्क के भुगतान पर लगने वाले किसी भी जीएसटी का वहन करेगा और प्राधिकरण को खंड 27.4.1 के अनुसार प्राधिकरण द्वारा उठाए गए चालान में निर्दिष्ट जीएसटी की राशि का भुगतान करेगा।

27.4.3 रियायतग्राही प्राधिकरण को मासिक रियायत शुल्क का भुगतान करते समय लागू कानूनों के तहत स्रोत पर काटे जाने वाले किसी भी कर) की कटौती करने का हकदार होगा।

27.4.4 आगे, खंड 35.1.1 के अधीन और उसके अनुसार, इस खंड 27.4 के अनुसार मासिक रियायत शुल्क के भुगतान में किसी भी देरी की स्थिति में, रियायतग्राही देरी के प्रत्येक दिन के लिए प्रदर्शन सुरक्षा के 0.05% (शून्य दशमलव शून्य पांच प्रतिशत) की दर से गणना की गई राशि का भुगतान प्राधिकरण को करेगा।

27.5 मासिक रियायत शुल्क का वार्षिक मिलान

27.5.1 किसी भी रियायत वर्ष के लिए रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को देय संचयी मासिक रियायत शुल्क किसी भी रियायत वर्ष में 1 से 12 तक के i के लिए महीने i के लिए भुगतान किए गए मासिक रियायत शुल्क का योग होगा।

27.5.2 किसी भी रियायत वर्ष के लिए रियायतग्राही द्वारा भुगतान किए गए संचयी मासिक रियायत शुल्क की तुलना उस रियायत वर्ष के लिए देय वार्षिक रियायत शुल्क से की जाएगी। इस खंड के उद्देश्य के लिए, "वार्षिक रियायत शुल्क" की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी:

(रियायत वर्ष के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क * रियायत वर्ष के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्री थ्रूपुट) + (रियायत वर्ष के लिए घरेलू यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क * रियायत वर्ष के लिए घरेलू यात्री थ्रूपुट)

एक रियायत वर्ष के लिए रियायतग्राही द्वारा भुगतान किए गए संचयी मासिक रियायत शुल्क और उस रियायत वर्ष के लिए वार्षिक रियायत शुल्क में किसी भी अंतर का समायोजन बैलेंसिंग भुगतान के हिस्से के रूप में किया जाएगा जो मिलान पूरा होने के तुरंत बाद खंड 31.4 के अनुसार देय हो जाता है।

27.6 यात्री यातायात में गिरावट के लिए समाप्ति

27.6.1 उपरोक्त के बावजूद, ऐसी स्थिति में कि यात्री यातायात परिवर्तन लगातार 2 (दो) रियायत वर्षों की अवधि के लिए 20% (बीस प्रतिशत) या उससे अधिक नकारात्मक है, समझौते को दूसरे ऐसे रियायत वर्ष की समाप्ति के 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के भीतर 30 (तीस) दिनों का नोटिस देकर रियायतग्राही द्वारा समाप्त किया जा सकता है। जहाँ:

"कुल यात्री थ्रूपुट का अर्थ है अंतरराष्ट्रीय यात्री थ्रूपुट और घरेलू यात्री थ्रूपुट का कुल योग;

"यात्री यातायात परिवर्तन,, जिसे प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है, की गणना इस प्रकार की जाती है:

$$100 * [(वर्तमान रियायत वर्ष के लिए कुल यात्री थ्रूपुट - पिछले रियायत वर्ष के लिए कुल यात्री थ्रूपुट) / पिछले रियायत वर्ष के लिए कुल यात्री थ्रूपुट]$$

27.6.2 ऐसी समाप्ति पर, प्राधिकरण रियायतग्राही को समाप्ति भुगतान के 70% (सत्तर प्रतिशत) के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

27.6.3 एतद्वारा यह सहमति और स्वीकार किया जाता है कि प्राधिकरण या उसके सहयोगी सीओडी से 10 (दस) वर्ष की समाप्ति से पहले हवाई अड्डे के 50 किमी के दायरे में कोई नया हवाई अड्डा चालू नहीं करेंगे।

अनुभाग 28: शुल्क

28.1 रियायतग्राही द्वारा शुल्कों की वसूली

28.1.1 सीओडी से और अंतरण तिथि तक, रियायतग्राही के पास विधिक ढांचे और इस अनुबंध के प्रावधानों (अनुसूची आर - समझौता ज्ञापन में निर्धारित नियमों सहित) के अनुसार वैमानिकी सेवाओं और गैर-वैमानिकी सेवाओं के प्रावधान के लिए उपयोगकर्ताओं, जिनमें एयरलाइंस और यात्री शामिल हैं, से शुल्क की मांग करने, उसे एकत्र करने और उसका उपयोग करने का एकमात्र और अनन्य अधिकार है; बशर्ते कि रियायतग्राही लागू कानूनों और लागू परमिटों के अनुसार उपयोगकर्ताओं या उपयोगकर्ताओं के किसी भी वर्ग के साथ सहमति के अनुसार ऐसे कम दरों पर शुल्क निर्धारित और एकत्र कर सकता है।

28.1.2 रियायतग्राही स्वीकार करता है और सहमत होता है कि शुल्क के भुगतान पर, कोई भी उपयोगकर्ता हवाई अड्डे पर संबंधित निर्दिष्ट सुविधा का उपयोग करने का हकदार होगा, और रियायतग्राही किसी भी लागू कानून, लागू परमिट या इस अनुबंध के प्रावधानों में विनिर्दिष्ट सीमा को छोड़कर, ऐसे उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा या लगवाने का कारण नहीं बनेगा।

28.1.3 रियायतग्राही स्वीकार करता है और सहमत होता है कि कोई भी उपयोगकर्ता, जो शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है, किसी भी लागू कानून, लागू परमिट या इस अनुबंध के प्रावधानों में विनिर्दिष्ट सीमा को छोड़कर किसी भी प्रतिबंध के बिना हवाई अड्डे का उपयोग करने का हकदार होगा। इसके अतिरिक्त, रियायतग्राही लागू कानूनों, लागू परमिटों और इस अनुबंध के प्रावधानों के अधीन, हवाई अड्डे में मुफ्त प्रवेश के लिए अपने स्वयं के कर्मचारियों तथा ठेकेदारों, उप-ठेकेदारों, एजेंटों और अन्य व्यक्तियों के कर्मचारियों को पास जारी कर सकता है।

28.1.4 पक्षकार इस बात से सहमत हैं कि लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण या किसी निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी द्वारा हवाई अड्डा सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए लगाए जाने वाले शुल्क, रियायतग्राही द्वारा यात्रियों से वसूले जाएंगे और प्राधिकरण या निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी को भुगतान किए जाएंगे।

28.2 आरक्षित शुल्कों की वसूली

28.2.1 निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी लागू कानूनों के अनुसार एयरलाइंस से मार्ग नेविगेशन सुविधा शुल्क और टर्मिनल नेविगेशनल लैंडिंग शुल्क सहित उनके द्वारा प्रदान की गई या निष्पादित सुविधाओं और सेवाओं के लिए शुल्क लगाने, एकत्र करने और उनका उपयोग करने की हकदार होगी। किसी भी एयरलाइन द्वारा ऐसे शुल्कों का भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में, निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी एयरलाइन को ऐसी सेवा प्रदान करने को निलंबित करने और ऐसी एयरलाइन से शुल्क वसूलने के लिए उचित समझे जाने वाले कदम उठाने की हकदार होगी।

28.2.2 रियायतग्राही इसके द्वारा स्वीकार करता है और सहमत होता है कि वह खंड 28.2.1 के प्रावधानों के अनुपालन को लागू करने के लिए निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी द्वारा दिए जाने वाले ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा, जिसमें किसी भी अनुसूचित या गैर-अनुसूचित वायु परिवहन ऑपरेटर को ऐसी सेवा प्रदान करने का निलंबन भी शामिल है।

28.3 वैमानिकी प्रभारों के निर्धारण और संशोधन के सिद्धांत

28.3.1 यहाँ मौजूद पक्षकार स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि कोई भी और सभी वैमानिकी प्रभार जिन्हें रियायतग्राही किसी उपयोगकर्ता से एकत्र और उपयोग कर सकता है, नियामक फ्रेमवर्क और इस अनुबंध (अनुसूची आर - समझौता ज्ञापन में निर्धारित नियमों सहित) के अनुसार लागू कानूनों के तहत पक्षकारों द्वारा दायर किए जाने वाले आवेदन/याचिका के आधार पर विनियामक द्वारा एक आदेश के माध्यम से निर्धारित और संशोधित किए जाएंगे।

28.3.2 भारत सरकार ने 15 जून, 2016 की राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति के माध्यम से, भारत के सभी हवाई अड्डों के लिए वैमानिकी प्रभारों के निर्धारण और विनियमन के वास्ते 30% (तीस प्रतिशत) शेयर्ड-टिल फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है ("शेयर्ड-टिल अनुमोदन"), और इस अनुबंध के प्रावधानों के तहत वैमानिकी प्रभारों के निर्धारण के उद्देश्यों के लिए नियामक द्वारा तदनुसार इस पर विचार किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि, इस अनुबंध के प्रयोजनों के लिए, शेयर्ड-टिल अनुमोदन ऐसे शेयर्ड-टिल अनुमोदन के किसी भी बाद के संशोधन या बदलाव के बावजूद इस अनुबंध की तिथि पर लागू होगा।

28.3.3 वैमानिकी प्रभार को शेयर्ड-टिल अनुमोदन, इस अनुबंध की शर्तों (अनुसूची R - समझौता ज्ञापन में निर्धारित शर्तों सहित) और लागू कानूनों के अनुसार विनियमित और निर्धारित/पुनः निर्धारित किया जाएगा।

28.3.4 हवाई अड्डे के भीतर सीमा शुल्क, आव्रजन, पादप संगरोध, पशु संगरोध सेवाओं, मौसम संबंधी और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी आरक्षित सेवाएं प्रदान करने के लिए सुरक्षा सेवाओं को छोड़कर, रियायतग्राही द्वारा किसी भी निर्दिष्ट सरकारी एजेंसी को किया गया कोई भी भुगतान, वैमानिकी प्रभारों के निर्धारण के उद्देश्य से पास-थ्रू माना जाएगा।

28.3.5 अन्यत्र किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, रियायतग्राही विनियामक द्वारा अनुमोदित टैरिफ की दरों पर हवाई अड्डे के उपयोगकर्ताओं से खंड 15.1.1 के अनुसार सीओडी (COD) से प्रभावी होने वाले वैमानिकी प्रभार लगाने, एकत्र करने और उनका उपयोग करने का हकदार होगा। बशर्ते कि, उस स्थिति में जब सीओडी तक हवाई अड्डे के लिए टैरिफ की दरों का निर्धारण नियामक द्वारा नहीं किया गया हो, रियायतग्राही नियामक द्वारा टैरिफ दरों के निर्धारण तक सीओडी के समय प्राधिकरण द्वारा लगाए जा रहे टैरिफ की दरों पर वैमानिकी प्रभार लगाने, एकत्र करने और उनका उपयोग करने का हकदार होगा।

28.3.6 वैमानिकी प्रभारों के निर्धारण, लेवी, वसूली (कम या अधिक वसूली सहित) या के संबंध में किसी भी पहलू के संबंध में प्राधिकरण के खिलाफ रियायतग्राही का कोई उपाय नहीं होगा।

28.3.7 इस अनुबंध में अन्यत्र किसी भी विपरीत बात के बावजूद, यह स्पष्ट रूप से नोट किया गया है और सहमति व्यक्त की गई है कि सिटी साइड डेवलपमेंट के संबंध में किसी भी उप-पट्टे, असाइनमेंट या अन्य के संबंध में रियायतग्राही प्राप्त करने का हकदार है, चाहे वह मासिक शुल्क, प्रभार, किराए या राजस्व हिस्से के रूप में हो, उपरोक्त खंड 28.3.2 के अनुसार वैमानिकी प्रभारों के निर्धारण के उद्देश्यों के लिए गैर-वैमानिकी सेवाओं से राजस्व के रूप में माना जाएगा।

28.3.8 यह स्पष्ट किया जाता है कि कानूनी सेवाओं के संबंध में रियायतग्राही द्वारा किए गए खर्चों पर वैमानिकी प्रभार निर्धारित करने के उद्देश्य से नियामक द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

28.4 वैमानिकी प्रभारों में संशोधन पर प्रतिबंध

28.4.1 रियायतग्राही इसके द्वारा स्वीकार करता है और सहमत होता है कि वह विनियामक फ्रेमवर्क और इस अनुबंध के अनुसार ही, इसके अलावा किसी भी रूप या तरीके से प्राधिकरण, विनियामक या किसी सरकारी साधन से वैमानिकी प्रभारों के किसी भी संशोधन या किसी अन्य राहत का हकदार नहीं है। इसके अनुसरण में, रियायतग्राही स्वीकार करता है, सहमत होता है और यह उपक्रम करता है कि वह विनियामक से या अन्यथा वैमानिकी प्रभारों के किसी भी संशोधन की मांग नहीं करेगा, और ऐसी कोई भी संशोधन लागू कानूनों और/या इस अनुबंध के किसी प्रावधान के अनुसार मांगे जाने की स्थिति में, यह हर समय उसमें विनिर्दिष्ट सीमा तक ही सीमित रहेगा।

28.4.2 यह स्पष्ट किया जाता है कि रियायतग्राही भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 22ए और उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम, जिसमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (प्रमुख हवाई अड्डे) विकास शुल्क

नियम, 2011 शामिल हैं, के तहत उपयोगकर्ताओं पर कोई भी विकास शुल्क लगाने या लगाने का अधिकार मांगने का हकदार नहीं होगा।

28.4.3 पक्षकार इस बात से सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि रियायतग्राही वैमानिकी प्रभारों में उन लागतों और/या खर्चों को पास-थ्रू के रूप में मांगने के अपने अधिकार को स्पष्ट रूप से छोड़ता है जिन्हें रियायतग्राही इस अनुबंध के तहत पास-थ्रू के रूप में मांगने से प्रतिबंधित है।

28.5 वैमानिकी प्रभारों की समीक्षा

28.5.1 अनुच्छेद 28 के प्रावधानों के अनुसार लगाए जाने वाले, एकत्र किए जाने वाले और उपयोग किए जाने वाले वैमानिकी प्रभारों की समीक्षा विनियामक फ्रेमवर्क और इस अनुबंध के अनुसार हर 5 (पाँच) वर्ष में एक बार विनियामक द्वारा की जाएगी, बशर्ते, तथापि, कि ऐसी समीक्षा किसी भी ऐसी घटना, घटित होने, परिस्थितियों या आधारों पर निर्भर, उनकी जांच या विचार नहीं करेगी जिसके संबंध में इस अनुबंध में वैमानिकी प्रभारों, रियायत अवधि या राहत या उपाय के किसी अन्य रूप में संशोधन प्रदान किया गया है।

28.5.2 कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, विशिष्टताओं और मानकों में परिवर्तन, सुरक्षा आवश्यकताओं या लागू कानून के बल रखने वाले नए अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुपालन से उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त लागत, यदि कोई हो, या उसमें कमी, वैमानिकी प्रभारों के संशोधन के प्रयोजनों के लिए विनियामक द्वारा समीक्षा की जा सकती है। विनियामक द्वारा ऐसी किसी भी समीक्षा में परियोजना के लिए जारी किए गए लागू परमिटों के अनुसार, वैमानिकी सेवाओं के लिए और उनके संबंध में राजस्व पर विचार करना शामिल होगा।

28.5.3 खंड 28.5.1 के प्रावधानों के तहत वैमानिकी प्रभारों की किसी भी समीक्षा में, उस राजस्व, समायोजन, वसूलियों या भुगतानों पर विचार किया जाएगा, जिन्हें पक्षकारों ने इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार वसूला या भुगतान किया हो, और विनियामक यह निर्धारित कर सकता है कि क्या कोई और वसूलियां या भुगतान, जैसा भी मामला हो, रियायतग्राही को देय हैं, या उससे प्राप्त हैं। विनियामक, जहां तक संभव हो, नियामक फ्रेमवर्क और इस अनुबंध के अनुसार, वैमानिकी प्रभारों की दर में उचित वृद्धि या कमी, जैसा भी मामला हो, और ऐसी अवधि के लिए जिसके वह विनिर्दिष्ट करे, इसके तहत अपने निर्धारण को प्रभाव दे सकता है।

28.5.4 पक्षकार स्वीकार करते हैं कि इस खंड 28.5 के प्रावधानों के तहत वैमानिकी प्रभारों की कोई भी समीक्षा लागू कानूनों के अनुसार की जाएगी और तदनुसार विनियमित और आगे बढ़ाई जाएगी।

28.6 वैमानिकी प्रभारों में वृद्धि पर कुछ सीमाएं

28.6.1 खंड 28.5.2 के प्रावधानों के अनुसरण में किसी भी पूंजीगत लागत को सहन करने की आवश्यकता होने पर, रियायतग्राही प्रभावित उपयोगकर्ताओं या उनके प्रतिनिधि निकायों के परामर्श से इसकी जांच के लिए विनियामक को विशिष्टताओं और लागतों को प्रस्तुत करेगा। ऐसी जांच और परामर्श के पूरा होने पर, विनियामक वैमानिकी प्रभारों निर्धारित करने के लिए ऐसे प्रस्तुतिकरणों पर विचार करेगा।

28.6.2 रियायतग्राही विनियामक और अन्य सरकारी साधन द्वारा दी गई मंजूरी और निर्माणकार्यों के संबंध में इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार बाद के चरणों के लिए निर्माण कार्य करेगा और पूरा करेगा, जो इस खंड 28.6 के अनुसरण में किए गए निर्माण कार्यों पर लागू होंगे।

28.6.3 इस खंड 28.6 के अनुसार रियायतग्राही द्वारा की गई पूंजीगत लागत, संबंधित निर्माण कार्यों के पूरा होने पर, लागू कानूनों और इस अनुबंध की शर्तों के अनुसार, जिसमें विनियामक के लागू टैरिफ दिशानिर्देश शामिल हैं, रियायतग्राही द्वारा वसूल की जाएगी।

28.7 शुल्क चोरी के लिए जुर्माना

ऐसी स्थिति में जहाँ कोई भी उपयोगकर्ता देय शुल्क का भुगतान किए बिना हवाई अड्डे का उपयोग करता है, रियायतग्राही लागू कानूनों और लागू परमिटों के अधीन, ऐसे व्यक्ति से देय शुल्क और हवाई अड्डे का अनधिकृत उपयोग करने के प्रयास के लिए Damages के रूप में उससे दोगुनी राशि तक निर्धारित करने और एकत्र करने का हकदार होगा, बशर्ते कि ऐसे शुल्क और Damages का निर्धारण और संग्रह रियायतग्राही के जोखिम और लागत पर होगा और प्राधिकरण किसी भी तरह से इस पर उत्तरदायी नहीं होगा।

28.8 वैमानिकी प्रभारों का प्रदर्शन

28.8.1 रियायतग्राही अपनी वेबसाइट और अपने कार्यालय पर, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए वैमानिकी प्रभारों की लागू दरों को बनाए रखेगा और प्रदान करेगा।

28.8.2 रियायतग्राही समय-समय पर प्राधिकरण को लागू वैमानिकी प्रभारों की सूचना देगा।

28.8.3 रियायतग्राही विनियामक द्वारा अनुमोदित वैमानिकी प्रभारों की दरों से अधिक किसी भी राशि को संशोधित, प्रदर्शित या एकत्र नहीं करेगा।

28.9 मासिक विवरण

रियायतग्राही सीओडी से प्रभावी रूप से, प्रत्येक माह के पूरा होने के 7 (सात) दिनों के भीतर प्राधिकरण को निम्नलिखित सूचना डेटा का एक विवरण ("मासिक विवरण") प्रस्तुत करेगा:

(i) अनुसूचित विमान आवाजाही, गैर-अनुसूचित विमान आवाजाही, अंतरराष्ट्रीय और घरेलू यात्रियों की संख्या (चढ़ने, उतरने, पारगमन), अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कार्गो की मात्रा (आगामी, बाहर जाने वाले और ट्रांसशिपमेंट) सहित यातायात डेटा;

(ii) राजस्व (उचित शीर्षों में पृथक्कृत), परिचालन व्यय, शुल्क आदि सहित वित्तीय डेटा; और

(iii) सेवा की गुणवत्ता पर डेटा।

ऐसी सूचना/डेटा को रियायतग्राही द्वारा लागू कानूनों के तहत आवश्यक प्रारूप में, या प्राधिकरण को स्वीकार्य होने के रूप में, प्राधिकरण द्वारा उचित रूप से अनुरोध किए जा सकने वाले सभी अन्य विवरणों के साथ तुरंत संकलित और प्रस्तुत किया जाएगा।

28.10 शुल्क ठेकेदार

रियायतग्राही रियायतग्राही की ओर से और उसके लिए शुल्क एकत्र करने के लिए किसी शुल्क ठेकेदार या किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है बशर्ते कि ऐसे नियुक्ति के बावजूद, रियायतग्राही इस अनुबंध के अनुसार शुल्क के संग्रह के लिए और एस्क्रो खाते में इसकी जमा राशि के लिए और इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुपालन के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी और जिम्मेदार रहेगा और बना रहेगा।

28.11 मानित प्रारंभिक आरएबी

28.11.1 रियायतग्राही अगले लागू नियंत्रण अवधि के लिए लागू नियामक फ्रेमवर्क के अनुसार विनियामक से वैमानिकी प्रभारों के संशोधन की मांग करेगा: उपर्युक्त के बावजूद, रियायतग्राही के पास वैमानिकी प्रभारों के ऐसे संशोधन की मांग करने के लिए सीओडी से कम से कम 365 (तीन सौ पैंसठ) दिन होंगे।

28.11.2 प्राधिकरण करेगा:

(क) ऐसे डेटा और जानकारी को तुरंत उपलब्ध कराएगा जो रियायतग्राही को ऐसे संशोधन की मांग करने के लिए आवश्यक हो सकती है; (

(ख) इस संबंध में रियायतग्राही से नोटिस प्राप्त होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर, रियायतग्राही को ऐसी सभी जानकारी प्रस्तुत करेगा जो ऐसे संशोधन के उद्देश्य से विनियामक द्वारा उचित रूप से आवश्यक हो सकती है; और

(ग) विनियामक के पास ऐसे संशोधन के उद्देश्य से होने वाले किसी भी प्रश्न का तुरंत जवाब देगा (और रियायतग्राही को ऐसे उत्तरों की प्रतियां प्रदान करेगा)।

28.11.3 (क) पक्षकारों द्वारा यह सहमति व्यक्त की जाती है कि रियायतग्राही सीओडी के रूप में वैमानिकी संपत्तियों में प्राधिकरण द्वारा किए गए निवेश के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और विनियामक द्वारा विनियामक संपत्ति आधार के हिस्से के रूप में माना जाएगा, आवश्यक मिलान, डू-अप और निवेश की मात्रा के विनियामक द्वारा अंतिम निर्धारण के अधीन ("मानित प्रारंभिक आरएबी ")।

(ख) 31 मार्च, 2018 तक हवाई अड्डे पर वैमानिकी संपत्तियों में प्राधिकरण द्वारा किए गए निवेश का अनुमानित मूल्यहास मूल्य रु. 424,00,00,000 (चार सौ चौबीस करोड़ रुपये) है ("अनुमानित मानित प्रारंभिक आरएबी")। पक्षकारों द्वारा इस बात पर सहमति व्यक्त की जाती है कि अनुमानित मानित प्रारंभिक आरएबी सीओडी के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को देय और भुगतान योग्य होगा।

28.11.4 अनुमानित मानित प्रारंभिक आरएबी के भुगतान के पश्चात, और खंड 28.11.3 (ए) के तहत निवेश की मात्रा के विनियामक द्वारा मिलान, डू-अप और अंतिम निर्धारण के बाद, अनुमानित मानित प्रारंभिक आरएबी में कोई भी अधिशेष या घाटा, नियामक द्वारा अंतिम निर्धारण के 15 (पंद्रह) दिनों की समाप्ति के बाद खंड 31.4 के अनुसार देय और भुगतान योग्य बनने वाले संतुलन भुगतान के हिस्से के रूप में समायोजित किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित के लिए उचित समायोजन होगा ("समायोजित मानित प्रारंभिक आरएबी "):

(क) सीओडी तक प्राधिकरण द्वारा वैमानिकी राजस्व की अधिक-वसूलियों , यदि कोई हो, की सीमा तक कम किया जाता है, जिसे नियामक अगले नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिकी प्रभार निर्धारित करते समय नीचे की ओर समायोजन के रूप में प्रदान करेगा; या

(ख) सीओडी तक प्राधिकरण द्वारा वैमानिकी राजस्व की कम-वसूलियों , यदि कोई हो, की सीमा तक बढ़ाया जाता है, जिसे नियामक अगले नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिकी प्रभार निर्धारित करते समय ऊपर की ओर समायोजन के रूप में प्रदान करेगा।

प्राधिकरण या रियायतग्राही द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि समायोजित मानित प्रारंभिक आरएबी का वर्तमान मूल्य होगी, जिसकी गणना सीओडी से समायोजित मानित प्रारंभिक आरएबी के वास्तविक भुगतान की तारीख तक की समयावधि के लिए नियामक द्वारा निर्धारित वापसी की उचित दर (का उपयोग करके की जाएगी)।

28.11.5 प्राधिकरण को रियायतग्राही द्वारा ऐसी राशि की प्रतिपूर्ति पर, मानित प्रारंभिक आरएबी को, रियायतग्राही द्वारा किए गए निवेश के अलावा, विनियामक द्वारा वैमानिकी प्रभारों के निर्धारण के उद्देश्य से माना जाएगा।

(क) प्राधिकरण विनियामक द्वारा ऐसे विचार और निर्धारण की दिशा में विनियामक को कोई आवश्यक समर्थन प्रस्तुत करने का उपक्रम करता है।

(ख) पक्षकार मूल्यहास, आवश्यक रिटर्न आदि के विचार के संबंध में वैमानिकी प्रभारों के भविष्य के निर्धारण में मानित प्रारंभिक आरएबी को अलग से पहचानने के लिए विनियामक को प्रस्तुत करेंगे और अनुरोध करेंगे।

28.11.6 इस खंड 28.11 के प्रयोजन के लिए, "नियंत्रण अवधि" और "नियामक संपत्ति आधार" का अर्थ भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (हवाई अड्डा ऑपरेटरों के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) दिशानिर्देश, 2011 में निर्धारित अर्थ होगा।

28.12 प्रारंभिक गैर-वैमानिकी निवेश

28.12.1 पक्षकारों द्वारा इस बात पर सहमति व्यक्त की जाती है कि रियायतग्राही गैर-वैमानिकी संपत्तियों के विकास की दिशा में सीओडी के रूप में हवाई अड्डे में प्राधिकरण द्वारा किए गए निवेश के अनुमानित मूल्यहास मूल्य के बराबर राशि प्राधिकरण को भुगतान करेगा ("प्रारंभिक गैर-वैमानिकी निवेश")।

28.12.2 31 मार्च, 2018 तक हवाई अड्डे पर गैर-वैमानिकी संपत्तियों के विकास की दिशा में प्राधिकरण द्वारा किए गए निवेश का अनुमानित मूल्यहास मूल्य रु. 7,15,00,000 (सात करोड़ पंद्रह लाख रुपये) है ("**अनुमानित प्रारंभिक गैर-वैमानिकी निवेश**")। पक्षकारों द्वारा इस बात पर सहमति व्यक्त की जाती है कि अनुमानित प्रारंभिक गैर-वैमानिकी निवेश सीओडी के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को देय और भुगतान योग्य होगा।

28.12.3 अनुमानित प्रारंभिक गैर-वैमानिकी निवेश के भुगतान के पश्चात, और स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा प्रारंभिक गैर-वैमानिकी निवेश की मात्रा के अंतिम निर्धारण के बाद, प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को या रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को भुगतान की जाने वाली कोई भी अधिशेष या घाटे की राशि, जैसा भी मामला हो, ऐसे अंतिम निर्धारण के 15 (पंद्रह) दिनों की समाप्ति के बाद खंड 31.4 के अनुसार देय और भुगतान योग्य बनने वाले संतुलन भुगतान के हिस्से के रूप में समायोजित की जाएगी।

28.12.4 खंड 28.12.3 के अनुसरण में प्राधिकरण या रियायतग्राही द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि उसी का वर्तमान मूल्य होगी, जिसकी गणना सीओडी से ऐसी राशि (राज्यों) के वास्तविक भुगतान की तारीख तक की समयावधि के लिए नियामक द्वारा निर्धारित वापसी की उचित दर का उपयोग करके की जाएगी।

अनुभाग 29: एस्क्रो खाता

29.1 एस्क्रो खाता

29.1.1 रियायतग्राही, सीओडी से पहले, इस अनुबंध के अनुसार एस्क्रो अनुबंध के साथ पढ़े गए एक बैंक ("एस्क्रो बैंक") के साथ एक एस्क्रो खाता खोलेगा और स्थापित करेगा।

29.1.2 एस्क्रो खाते की प्रकृति और दायरा अनुसूची M में निर्धारित रूप में पर्याप्त रूप से उस अनुबंध ("एस्क्रो समझौता") में वर्णित है जो रियायतग्राही, प्राधिकरण, एस्क्रो बैंक और ऋणदाता प्रतिनिधि के माध्यम से वरिष्ठ ऋणदाताओं के बीच दर्ज किया जाना है।

29.2 एस्क्रो खाते में जमा

रियायतग्राही एस्क्रो खाते में निम्नलिखित अंतःप्रवाहों और प्राप्तियों को जमा करेगा या जमा कराएगा:

(क) बैंकों, वरिष्ठ ऋणदाताओं, अन्य ऋणदाताओं, शेयरधारकों, बीमा कंपनियों या किसी अन्य व्यक्ति से या अन्यथा परियोजना के संबंध में प्राप्त सभी धन;

(ख) हवाई अड्डे, परियोजना, परियोजना सुविधाओं और/या परियोजना संपत्तियों से या उनके संबंध में सभी शुल्क और अन्य राजस्व, जिसमें किसी भी किराए, जमा, पूंजी प्राप्तियों, बीमा दावों आदि की आय शामिल है;

(ग) किसी भी बकाया मासिक रियायत शुल्क की कटौती के बाद, प्राधिकरण द्वारा सभी भुगतान; और

(घ) समाप्ति भुगतान:

बशर्ते कि वरिष्ठ ऋणदाता वित्तपोषण समझौतों में इस संबंध में व्यक्त प्रावधानों के अनुसार ईपीसी (EPC) ठेकेदार को प्रत्यक्ष संवितरण कर सकते हैं।

29.3 निकासी

29.3.1 रियायतग्राही, एस्क्रो खाता खोलते समय, एस्क्रो अनुबंध के माध्यम से, एस्क्रो बैंक को अपरिवर्तनीय निर्देश देगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्देश होगा कि एस्क्रो खाते में जमा राशि को हर महीने, या आवश्यकतानुसार कम अंतराल पर निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाएगा, और यदि किसी महीने में देय नहीं है तो ऐसे महीने में आनुपातिक रूप से विनियोजित किया जाएगा और एस्क्रो खाते में रखा जाएगा और जब देय हो तब महीने में भुगतान किया जाएगा:

(क) सांविधिक भुगतान, हवाई अड्डे के लिए और उसके संबंध में रियायतग्राही द्वारा देय और भुगतान योग्य सभी कर;

(ख) प्राधिकरण को देय और भुगतान योग्य मासिक रियायत शुल्क;

(ग) इस अनुबंध के अनुसार प्राधिकरण को देय और भुगतान योग्य सभी भुगतान और/या इस अनुबंध के तहत रियायतग्राही द्वारा इसे देय और भुगतान योग्य के रूप में प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित;

(घ) एक लेखा वर्ष में देय ऋण सेवा का मासिक आनुपातिक प्रावधान;

(ड) शेष, यदि कोई हो, रियायतग्राही के निर्देशों के अनुसार। 29.3.2 रियायतग्राही प्राधिकरण की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना किसी भी तरह से खंड 29.3.1 में निर्दिष्ट भुगतान के क्रम को संशोधित नहीं करेगा।

29.4 समाप्ति पर निकासी

29.4.1 इस अनुबंध में किसी भी विपरीत बात के बावजूद, एस्करो खाते के क्रेडिट में मौजूद सभी राशि, समाप्ति पर, निम्नलिखित क्रम में विनियोजित की जाएगी:

- (क) पेट्रोल देय राशि और उसके संबंधित सांविधिक भुगतान, हवाई अड्डे के लिए और उसके संबंध में रियायतग्राही द्वारा देय और भुगतान योग्य सभी कर;
- (ख) बकाया मासिक रियायत शुल्क;
- (ग) समाप्ति की तारीख के अनुसार रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को भुगतान की जाने वाली अन्य सभी राशियाँ जो बकाया हैं;
- (घ) इस अनुबंध के अनुसार प्राधिकरण को देय और भुगतान योग्य सभी भुगतान और/या रियायतग्राही द्वारा इसे देय और भुगतान योग्य के रूप में प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित Damages;
- (ड) बकाया ऋण सेवा जिसमें बकाया ऋण का शेष शामिल है;
- (च) शेष, यदि कोई हो, रियायतग्राही के निर्देशों के अनुसार।

29.4.2 इस अनुभाग 29 के प्रावधान और एस्करो अनुबंध में निहित निर्देश तब तक पूर्ण बल और प्रभाव में रहेंगे जब तक कि खंड 29.4.1 में निर्धारित दायित्वों का पूरी तरह से निर्वाह नहीं हो जाता है।

अनुभाग 30: बीमा

30.1 बीमा दायित्व

रियायतग्राही रियायत अवधि के दौरान, वित्तपोषण समझौतों और लागू कानूनों के तहत आवश्यक अधिकतम राशियों के लिए अपनी स्वयं की लागत पर ऐसे बीमा प्रभावित करेगा और बनाए रखेगा, और अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुसार आवश्यक या विवेकपूर्ण ऐसे बीमा भी। रियायतग्राही ऐसे बीमा भी प्रभावी करेगा और बनाए रखेगा जो रियायतग्राही के किसी भी कार्य या चूक के परिणाम के रूप में प्राधिकरण पर विकसित होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक बीमा पॉलिसी में, प्राधिकरण एक सह-आश्वस्त हो और यह कि बीमाकर्ता बीमा की आय को एस्क्रो खाते में भुगतान करे। पक्षकार इस बात से सहमत हैं कि वरिष्ठ ऋणदाताओं के dues के पूर्ण पुनर्भुगतान के बाद रियायतग्राही द्वारा बनाए रखे जाने वाले बीमा के स्तर को वरिष्ठ ऋणदाताओं के ऐसे पुनर्भुगतान से पहले बीमा के स्तर को निर्धारित करने के लिए लागू उन्हीं सिद्धांतों पर निर्धारित किया जाएगा।

30.2 बीमा कवर

खंड 30.1 में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही, रियायत अवधि के दौरान, निम्नलिखित सहित बीमा कवर प्राप्त करेगा और बनाए रखेगा:

- (क) प्रतिस्थापन मूल्य पर, प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को सौंपे गए संपत्तियों सहित परियोजना संपत्तियों का नुकसान, क्षति या विनाश;
- (ख) व्यापक तीसरे पक्ष की देयता बीमा, जिसमें प्राधिकरण के कर्मियों या अन्य लोगों को चोट या मृत्यु शामिल है जो हवाई अड्डे में प्रवेश कर सकते हैं;
- (ग) रियायत से उत्पन्न होने वाली रियायतग्राही की सामान्य देयता;
- (घ) माल या संपत्ति की क्षति के लिए तीसरे पक्ष के प्रति देयता;
- (ङ) कामगार प्रतिकर बीमा और
- (च) कोई अन्य बीमा जो रियायतग्राही और उसके कर्मचारियों की रक्षा के लिए आवश्यक हो सकता है, जिसमें सभी अप्रत्याशित घटनाएं शामिल हैं और ऊपर (ए) से (ई) आइटमों में अन्यथा कवर नहीं किया गया है।

30.3 प्राधिकरण को नोटिस

रियायत अवधि की शुरुआत से कम से कम 30 (तीस) दिन पहले, रियायतग्राही नोटिस द्वारा प्राधिकरण को, उचित विवरण में, उन बीमाओं के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करेगा जिन्हें वह इस अनुभाग 30 के अनुसार प्रभावित करने और बनाए रखने का प्रस्ताव करता है। ऐसे नोटिस प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर, प्राधिकरण रियायतग्राही को इसके अनुसार आवश्यक अन्य बीमाओं को प्रभावित करने और बनाए रखने की आवश्यकता कर सकता है, और ऐसे किसी भी बीमा से संबंधित किसी भी अंतर या असहमति की स्थिति में, विवाद समाधान प्रक्रिया लागू होगी।

30.4 बीमा कवर का प्रमाण

इस अनुभाग 30 के अनुसार रियायतग्राही द्वारा प्राप्त सभी बीमा अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुरूप शर्तों पर बीमाकर्ताओं के साथ बनाए रखे जाएंगे। किसी भी बीमा कवर को प्राप्त करने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, रियायतग्राही प्राधिकरण को बीमा प्रमाण पत्र (ओं) की नोटरीकृत सत्य प्रतियां, बीमा पॉलिसियों की प्रतियां और ऐसे बीमा के संबंध में प्रीमियम भुगतान रसीदें प्रस्तुत करेगा, और ऐसा कोई भी बीमा तब तक रद्द, संशोधित या समाप्त

या व्यपगत (expire) होने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसे प्रस्तावित रद्दीकरण, संशोधन या गैर-नवीनीकरण का नोटिस रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को कम से कम 45 (पैंतालीस) दिन पहले न दे दिया गया हो।

30.5 बीमा करने में विफलता के लिए उपाय

यदि रियायतग्राही उन सभी बीमाओं को प्रभावी और चालू रखने में विफल रहता है जिसके लिए वह इसके तहत जिम्मेदार है, तो प्राधिकरण के पास या तो ऐसे किसी भी बीमा को चालू रखने और ऐसे प्रीमियम का भुगतान करने और रियायतग्राही से उसकी लागत वसूलने का विकल्प है, या समाप्ति भुगतान की गणना के मामले में, बीमा कवर के बराबर राशि को रियायतग्राही द्वारा प्राप्त किया गया माना जाने का विकल्प है।

30.6 उपसमर्पण की छूट

इस अनुभाग 30 के अनुसार रियायतग्राही द्वारा प्राप्त बीमा के संबंध में सभी बीमा पॉलिसियों में अन्य बातों के साथ-साथ प्राधिकरण, और उसके समनुदेशियों, उत्तराधिकारियों, उपक्रमों और उनकी सहायक कंपनियों, सहयोगियों, कर्मचारियों, बीमाकर्ताओं और हामीदारों के खिलाफ बीमाकर्ताओं के उपसमर्पण या वसूली के किसी भी और सभी अधिकारों की छूट शामिल होगी, और किसी भी ऐसे व्यक्ति के संबंध में किसी भी देयता के संबंध में बीमाकर्ताओं के किसी भी सेट-ऑफ या काउंटरक्लेम या किसी अन्य कटौती, चाहे अनुलग्नक द्वारा या अन्यथा, के अधिकार की छूट शामिल होगी जो ऐसे किसी भी पॉलिसी के तहत बीमित है या किसी भी तरह से ऐसे बीमा पॉलिसियों द्वारा कवर किए गए किसी भी नुकसान, देयता या दायित्व से जुड़ा हुआ है।

30.7 रियायतग्राही की छूट

रियायतग्राही इसके द्वारा प्राधिकरण और उसके समनुदेशियों, उपक्रमों और उनकी सहायक कंपनियों, सहयोगियों, कर्मचारियों, उत्तराधिकारियों, बीमाकर्ताओं और हामीदारों के खिलाफ उपसमर्पण या वसूली के किसी भी और सभी अधिकारों को आगे छोड़ता है, समनुदेशित करता है और त्याग करता है, जो रियायतग्राही के पास इस अनुबंध के अनुसार बनाए रखने के लिए बनाए गए या आवश्यक बीमा पॉलिसियों द्वारा कवर किए गए किसी भी नुकसान, देयता या दायित्व से जुड़े किसी भी तरीके से प्राप्त हो सकते हैं या अधिग्रहित कर सकते हैं (तृतीय पक्ष देयता बीमा पॉलिसियों के अलावा) या बीमा पॉलिसियों के ऐसे किसी भी कटौती योग्य खंडों या सीमा की अपर्याप्तता के कारण।

30.8 बीमा आय का अनुप्रयोग

जीवन और चोट को छोड़कर, सभी बीमा दावों से प्राप्त आय एस्क्रो खाते में क्रेडिट द्वारा रियायतग्राही को भुगतान की जाएगी और यह, खंड 29.3 में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, हवाई अड्डे के किसी भी आवश्यक मरम्मत, पुनर्निर्माण, पुनरुत्थान, प्रतिस्थापन या सुधार के लिए ऐसी आय लागू करेगी, और शेष राशि, यदि कोई हो, वित्तपोषण समझौतों में इस संबंध में निहित प्रावधानों के अनुसार लागू की जाएगी।

30.9 बीमा पॉलिसियों की शर्तों का अनुपालन

रियायतग्राही इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार प्रभावित बीमा पॉलिसियों के तहत लगाए गए शर्तों का पालन करने में रियायतग्राही की विफलता से उत्पन्न होने वाले सभी नुकसान और दावों से प्राधिकरण को पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करने के लिए स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है और उपक्रम करता है।

अनुच्छेद 31: खाते और लेखा परीक्षा

31.1 लेखापरीक्षित खाते

31.1.1 रियायतग्राही, इस समझौते, अच्छे उद्योग अभ्यास लागू कानूनों और लागू परमिटों के अनुसार, अपनी सभी प्राप्तियों (इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के अनुसार एकत्र किए गए सभी राजस्व और हवाई अड्डे तथा/या इसके उपयोग से या इसके खाते से इसके द्वारा प्राप्त/एकत्रित अन्य राजस्व सहित), आय, व्यय, भुगतानों (एस्क्रो खाते से भुगतान सहित), परिसंपत्तियों और देनदारियों को दर्ज करने वाली लेखा पुस्तकें बनाए रखेगा। रियायतग्राही लागू कानूनों के अनुसार प्रचलित लेखा मानकों के अनुसार तैयार की गई अपनी बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह विवरण और लाभ-हानि खाते की 2 (दो) प्रतियां, उस लेखा वर्ष की समाप्ति के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों की उस पर रिपोर्ट के साथ प्रदान करेगा, और ऐसे लेखापरीक्षित खाते, सिवाय इसके जहाँ विपरीत रूप से स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया हो, इस समझौते के तहत किसी भी पक्ष द्वारा भुगतान का आधार बनेंगे। प्राधिकरण को या तो स्वयं के माध्यम से या अपने किसी भी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, कार्यालय समय के दौरान रियायतग्राही के रिकॉर्ड का निरीक्षण करने और भुगतान के आधार के सत्यापन के लिए प्राधिकरण को प्रदान किए जाने वाले सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित लेखा पुस्तकों के प्रासंगिक उद्धरणों की प्रतियां मांगने का अधिकार है, और किसी भी विसंगति या त्रुटि के पाए जाने की स्थिति में, उसे सुधारा जाएगा और ऐसा सुधारा गया खाता इस समझौते के तहत किसी भी पक्ष द्वारा भुगतान का आधार बनेगा।

31.1.2 रियायतग्राही, एक लेखा वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 30 (तीस) दिनों के भीतर, स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा त्रैमासिक परिणामों के प्रकाशन के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा निर्धारित तरीके और रूप में, पिछली तिमाही के संबंध में अपने अनौपचारिक वित्तीय परिणाम प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

31.1.3 प्रत्येक लेखा वर्ष की 31वीं (इकतीसवीं) जुलाई को या उससे पहले, रियायतग्राही पिछले लेखा वर्ष के लिए प्राधिकरण को, अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित एक विवरण प्रदान करेगा जिसमें (ए) हवाई अड्डे का उपयोग करने वाले और उसके लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी उपयोगकर्ताओं की प्रत्येक श्रेणी के लिए यातायात गणना, (बी) प्रभारित और प्राप्त शुल्क, इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के अनुसार एकत्र किया गया राजस्व, और हवाई अड्डे से प्राप्त अन्य राजस्व, और (सी) ऐसी अन्य जानकारी जो प्राधिकरण उचित रूप से अपेक्षा कर सकता है, पर संक्षेपित जानकारी दी गई हो।

31.2 लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

31.2.1 प्राधिकरण रियायतग्राही को छह (6) चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्मों के एक पैनल ("चार्टर्ड अकाउंटेंट का पैनल") को नामित करेगा, ऐसी सूची काफी हद तक अनुसूची एन में निर्धारित मानदंडों के अनुसार तैयार की जाएगी। रियायतग्राही को ऐसे एक या अधिक नामित व्यक्तियों पर आपत्ति करने का अधिकार होगा, लेकिन किसी भी परिस्थिति में 3 (तीन) नामित व्यक्तियों से अधिक नहीं। रियायतग्राही चार्टर्ड अकाउंटेंट के पैनल से अपने सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा। सांविधिक लेखा परीक्षकों की सभी फीस और खर्चों का वहन रियायतग्राही द्वारा किया जाएगा।

31.2.2 रियायतग्राही, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार और प्राधिकरण की सहमति से, अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति को समाप्त कर सकता है, बशर्ते कि प्रतिस्थापन सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट के पैनल से की जाए।

31.2.3 इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, प्राधिकरण को समय-समय पर और किसी भी समय अपने खर्च पर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पैनल से किसी अन्य फर्म ("प्राधिकरण नामित लेखा परीक्षक") को उन सभी

मामलों, खर्चों, लागतों, वसूलियों और उन चीजों को लेखापरीक्षित और सत्यापित करने के लिए नियुक्त करने का अधिकार है, लेकिन दायित्व नहीं, जिन्हें सांविधिक लेखा परीक्षकों को इस समझौते के अनुसरण में करना, undertake करना या प्रमाणित करना आवश्यक है।

31.2.4 (उपयोग में नहीं)।

31.3 सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा दावों का प्रमाणन

रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को प्राप्तियों, आय, भुगतानों, लागतों, व्ययों, खातों या लेखा परीक्षा और उससे जुड़े किसी भी मामले के संबंध में प्रदान किया गया कोई भी दावा या दस्तावेज तभी वैध और प्रभावी होगा जब उसके सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया गया हो। सामान्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम में सूचना के आदान-प्रदान के लिए ऐसा प्रमाणन आवश्यक नहीं होगा, जिसमें खंड 28.9 के तहत मासिक विवरणों को प्रस्तुत करना भी शामिल है।

31.4 मिलान

31.4.1 प्रत्येक तिमाही में, संतुलन भुगतान की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। (इस समझौते के तहत प्रतिपूर्ति, समायोजन या अन्यथा के रूप में देय और देय राशियों का मिलान दर्शाते हुए, या हर्जाने (Damages) के रूप में जो निष्पादन सुरक्षा या बोली सुरक्षा से भुगतान या वसूल नहीं किए गए हैं, जैसा भी मामला हो) ("संतुलन भुगतान")। प्राधिकरण प्रत्येक लेखा वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर रियायतग्राही को गणना और विवरण वितरित करेगा। ऐसे प्रत्येक विवरण में सभी दायर की गई राशियों के उचित समर्थन में साक्ष्य के संलग्नक होंगे। किसी भी संदेह से बचने के लिए, इस खंड 31.4.1 के तहत गणना किए गए संतुलन भुगतान में ऐसी गणना के लिए मासिक रियायत शुल्क को शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन इसमें खंड 27.5 के अनुसार कोई भी समायोजन शामिल होगा।

31.4.2 खंड 31.4.1 के तहत प्राधिकरण का विवरण प्राप्त होने पर, रियायतग्राही के पास 20 (बीस) दिन होंगे जिनमें वह (ए) अनुमोदन कर सकता है या (बी) पुनर्गणना और संशोधनों की आवश्यकता हो सकती है। दोनों पक्ष खंड 31.4.1 के तहत किए गए सभी प्राधिकरण विवरणों के सत्यापन को सक्षम करने के लिए ऐसे सटीक रिकॉर्ड बनाए रखेंगे। उपरोक्त 20 (बीस) दिनों की अवधि के भीतर किसी भी प्राधिकरण के विवरण पर टिप्पणी करने में रियायतग्राही की विफलता को अनुमोदन माना जाएगा।

31.4.3 यदि प्राधिकरण किसी लेखा वर्ष की किसी भी तिमाही की समाप्ति के 10 (दस) दिनों के भीतर संतुलन भुगतान की अपनी गणना प्रस्तुत नहीं करता है, तो रियायतग्राही अपनी गणना प्रस्तुत करने का हकदार होगा, साथ ही सभी दावों की राशियों के उचित समर्थन में साक्ष्य के संलग्नक भी प्रस्तुत करेगा, और ऐसे मामले में उपर्युक्त खंड 31.4.2 के प्रावधान पक्षों पर लागू होंगे।

31.5 विवाद समाधान

प्राधिकरण नामित लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों और सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान किए गए प्रमाणन के बीच कोई भी अंतर होने की स्थिति में, पक्षकार मतभेदों को हल करने के लिए मिलेंगे और यदि वे इसे हल करने में असमर्थ हैं, तो ऐसे विवाद को पक्षकारों द्वारा विवाद समाधान प्रक्रिया का सहारा लेकर हल किया जाएगा।

भाग V:

अप्रत्याशित घटना और समाप्ति

अनुच्छेद 32: अप्रत्याशित घटना

32.1 अप्रत्याशित घटना

इस समझौते में प्रयुक्त, " अप्रत्याशित घटना " या अप्रत्याशित घटना कारक " अभिव्यक्ति का अर्थ, सिवाय इसके कि अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया हो, भारत में गैर-राजनीतिक घटना, अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना और राजनीतिक घटना में से किसी एक या सभी का घटित होना होगा, जैसा कि क्रमशः खंड 32.2, खंड 32.3 और खंड 32.4 में परिभाषित किया गया है, यदि यह अप्रत्याशित घटना के लाभ का दावा करने वाले पक्ष ("प्रभावित पक्ष") द्वारा इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के प्रदर्शन को प्रभावित करता है और कौन सा कृत्य या घटना (ए) प्रभावित पक्ष के उचित नियंत्रण से परे है, और (बी) जिसे प्रभावित पक्ष उचित परिश्रम और अच्छे उद्योग अभ्यास का पालन करके रोक या दूर नहीं कर सका, और (सी) जिसका प्रभावित पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

32.2 गैर-राजनीतिक घटना

एक गैर-राजनीतिक घटना का अर्थ निम्नलिखित कृत्यों या घटनाओं में से एक या अधिक होगा:

- (क) ईश्वर का कृत्य, महामारी, अत्यधिक प्रतिकूल मौसम की स्थिति, बिजली गिरना, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट, रासायनिक या रेडियोधर्मी संदूषण या आयनकारी विकिरण, आग या विस्फोट (साइट के बाहरी स्रोत से उत्पन्न होने वाले संदूषण या विकिरण या आग या विस्फोट की सीमा तक);
- (ख) हड़ताल या बहिष्कार (रियायतग्राही, ठेकेदारों या उनके respective कर्मचारियों/प्रतिनिधियों से जुड़े लोगों के अलावा, या उनमें से किसी के किसी भी कार्य या चूक के लिए जिम्मेदार लोगों को छोड़कर) जो 24 (चौबीस) घंटे की निरंतर अवधि और एक लेखा वर्ष में 7 (सात) दिनों से अधिक की कुल अवधि के लिए हवाई अड्डे को आपूर्ति और सेवाओं को बाधित करता है, और जो खंड 32.3 में निर्धारित अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना नहीं है;
- (ग) (1) रियायतग्राही द्वारा किसी भी लागू कानून या लागू परमिट का पालन करने में विफलता, या (ii) किसी भी लागू कानून या लागू परमिट या किसी अनुबंध के उल्लंघन के कारण, या (iii) इस समझौते के प्रवर्तन, या (iv) प्राधिकरण द्वारा इस समझौते के तहत अपने किसी भी अधिकार के प्रयोग के अलावा अन्य कारणों से किसी भी कार्यवाही में रियायतग्राही के खिलाफ किए गए किसी भी सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत या सांविधिक प्राधिकरण का कोई निर्णय या आदेश;
- (घ) साइट पर भूवैज्ञानिक स्थितियों, विषैले संदूषण या पुरातात्विक अवशेषों की खोज जिसे साइट निरीक्षण के माध्यम से खोजे जाने की उचित उम्मीद नहीं की जा सकती थी; या (ई) पूर्ववर्ती में से किसी के समान प्रकृति की कोई भी घटना या परिस्थितियाँ।

32.3 अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना

एक अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना का अर्थ निम्नलिखित कृत्यों या घटनाओं में से एक या अधिक होगा:

- (क) युद्ध का कृत्य (चाहे घोषित हो या अघोषित), आक्रमण, सशस्त्र संघर्ष या विदेशी दुश्मन का कृत्य, नाकाबंदी, दंगा, विद्रोह, आतंकवादी या सैन्य कार्रवाई, नागरिक उपद्रव या राजनीतिक रूप से प्रेरित तोड़फोड़;
- (ख) कोई भी राजनीतिक या आर्थिक उथल-पुथल, अशांति, आंदोलन, संघर्ष या इसी तरह की घटना जिसकी एक विवेकपूर्ण व्यक्ति द्वारा आशंका या पूर्वाभास नहीं किया जा सकता था और जिसके कारण परियोजना का संचालन, प्रबंधन या विकास आर्थिक रूप से अव्यवहार्य हो जाता है या अन्यथा संभव नहीं रहता है;

- (ग) 24 (चौबीस) घंटे की निरंतर अवधि के लिए उद्योग-व्यापी या राज्य-व्यापी हड़ताल या औद्योगिक कार्रवाई और एक लेखा वर्ष में 7 (सात) दिनों की कुल अवधि से अधिक;
- (घ) कोई भी नागरिक उपद्रव, बहिष्कार या राजनीतिक आंदोलन जो एक लेखा वर्ष में 7 (सात) दिनों से अधिक की कुल अवधि के लिए रियायतग्राही द्वारा एयरोनॉटिकल शुल्कों के संग्रह को रोकता है;
- (ङ) भूवैज्ञानिक या पुरातात्विक खोजों के बाद ऐसे कार्यों को रोकने की स्थिति में, संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के निर्माण कार्यों को जारी रखने के लिए रियायतग्राही को अनुमति देने में प्राधिकरण की विफलता;
- (च) किसी ठेकेदार की कोई भी विफलता या देरी जो किसी अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना के कारण हुई हो और जिसके परिणामस्वरूप रियायतग्राही को ऐसे ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से कोई ऑफसेट क्षतिपूर्ति देय न हो;
- (छ) कोई भी अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना जो गैर-राजनीतिक घटना का कारण बनती है; या (एच) पूर्ववर्ती में से किसी के समान प्रकृति की कोई भी घटना या परिस्थितियाँ।

32.4 राजनीतिक घटना

एक राजनीतिक घटना का अर्थ किसी सरकारी उपकरण द्वारा या उसके कारण निम्नलिखित कृत्यों या घटनाओं में से एक या अधिक होगा:

- (क) राष्ट्रीय हित में अनिवार्य अधिग्रहण या किसी भी परियोजना परिसंपत्तियों या रियायतग्राही के अधिकारों या ठेकेदारों का अधिग्रहण
- (ख) किसी भी निकासी, पट्टे, लाइसेंस, परमिट, प्राधिकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, सहमति, अनुमोदन या छूट को अवैध रूप से या अनधिकृत रूप से या बिना अधिकार क्षेत्र के रद्द करना, या बिना वैध कारण के नवीनीकृत करने या प्रदान करने से इनकार करना, जो रियायतग्राही या किसी भी ठेकेदार को इस समझौते और परियोजना समझौतों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, बशर्ते कि ऐसी देरी, संशोधन, इनकार, अस्वीकृति या रद्दीकरण रियायतग्राही या किसी ठेकेदार की ऐसे निकासी, पट्टे, लाइसेंस, प्राधिकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, छूट, सहमति, अनुमोदन या परमिट के अनुदान, रखरखाव या नवीनीकृत करने से संबंधित किसी भी शर्त का पालन करने में असमर्थता या विफलता के परिणामस्वरूप न हुआ हो;
- (ग) किसी ठेकेदार की कोई भी विफलता या देरी, लेकिन केवल किसी अन्य राजनीतिक घटना के कारण और जिसके परिणामस्वरूप रियायतग्राही को ऐसे ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से कोई ऑफसेट क्षतिपूर्ति देय न हो, या
- (घ) पूर्ववर्ती में से किसी के समान प्रकृति की कोई भी घटना या परिस्थिति।

32.5 अप्रत्याक्षित घटना कारक की रिपोर्ट करने का कर्तव्य

32.5.1 अप्रत्याक्षित घटना के घटित होने पर, प्रभावित पक्ष तुरंत दूसरे पक्ष को नोटिस द्वारा ऐसी घटना की रिपोर्ट करेगा। इसके तहत किसी भी नोटिस में निम्नलिखित के पूर्ण विवरण शामिल होंगे:

- (क) प्रत्येक अप्रत्याक्षित घटना की प्रकृति और सीमा जो इस अनुच्छेद 32 के तहत राहत के किसी भी दावे का विषय है, उसके समर्थन में साक्ष्य के साथ;
- (ख) अनुमानित अवधि और प्रभाव या संभावित प्रभाव जो ऐसी अप्रत्याक्षित घटना का इस समझौते के तहत प्रभावित पक्ष के दायित्वों के प्रदर्शन पर पड़ रहा है या पड़ेगा;
- (ग) वे उपाय जो प्रभावित पक्ष ऐसे अप्रत्याक्षित घटना के प्रभाव को कम करने के लिए ले रहा है या लेने का प्रस्ताव करता है; और

(घ) प्रभावित पक्ष के दावे से प्रासंगिक कोई अन्य जानकारी।

32.5.2 प्रभावित पक्ष अप्रत्याशित घटना के लिए या उसके संबंध में किसी भी राहत का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसने उचित रूप से व्यावहारिक होते ही, और किसी भी स्थिति में प्रभावित पक्ष को इसके घटित होने का पता चलने या पता होना चाहिए था, उसके 7 (सात) दिनों के भीतर दूसरे पक्ष को अप्रत्याशित घटना के घटित होने की सूचना नहीं दी हो, और इस बात के संभावित भौतिक प्रभाव का विवरण नहीं दिया हो कि अप्रत्याशित घटना का इस समझौते के तहत उसके दायित्वों के प्रदर्शन पर पड़ने की संभावना है।

32.5.3 जब तक प्रभावित पक्ष यह दावा करना जारी रखता है कि वह ऐसी अप्रत्याशित घटना से भौतिक रूप से प्रभावित है, वह दूसरे पक्ष को नियमित (और साप्ताहिक से कम नहीं) रिपोर्ट प्रदान करेगा जिसमें खंड 32.5.1 के अनुसार आवश्यक जानकारी और ऐसी अन्य जानकारी होगी जो दूसरा पक्ष उचित रूप से प्रभावित पक्ष को प्रदान करने का अनुरोध कर सकता है।

32.6 रियायत पर अप्रत्याशित घटना का प्रभाव

32.6.1 सीओडी से पहले किसी भी अप्रत्याशित घटना के घटित होने पर, वित्तीय समापन (Financial Close) प्राप्त करने या पूर्ववर्ती शर्तों की संतुष्टि की अवधि को अप्रत्याशित घटना की अवधि के बराबर समय से बढ़ा दिया जाएगा।

32.6.2 सीओडी के बाद किसी भी समय, यदि कोई अप्रत्याशित घटना होती है:

- (क) ऐसे चरण की चरण पूर्णता तिथि से पहले, ऐसे चरण की विकास अवधि, उस अवधि के बराबर समय से बढ़ाई जाएगी जितने समय तक ऐसी अप्रत्याशित घटना बनी रहती है; या
- (ख) ऐसे चरण की चरण पूर्णता तिथि के बाद, जिस पर रियायतग्राही सर्वोत्तम प्रयास करने के बावजूद एयरोनॉटिकल शुल्क एकत्र करने में असमर्थ है या उसे ऐसी अप्रत्याशित घटना के बने रहने के दौरान इसके संग्रह को निलंबित करने के लिए प्राधिकरण या किसी सरकारी उपकरण द्वारा निर्देशित किया जाता है, विनियामक ऐसे किसी भी अप्रत्याशित घटना के प्रभाव पर विचार करेगा और लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार उचित उपाय प्रदान करेगा।

32.7 अप्रत्याशित घटना से उत्पन्न होने वाली लागतों का आवंटन

32.7.1 सीओडी से पहले किसी भी अप्रत्याशित घटना के घटित होने पर, पक्षकार अपनी respective लागतों का वहन करेंगे और किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष को इसकी कोई लागत का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

32.7.2 सीओडी के बाद अप्रत्याशित घटना के घटित होने पर, ऐसी घटना से उत्पन्न होने वाली और उसके लिए जिम्मेदार तथा सीधे तौर पर एयरोनॉटिकल सेवाओं से संबंधित लागतों (अप्रत्याशित घटना लागत) को निम्नानुसार आवंटित और भुगतान किया जाएगा:

- (क) गैर-राजनीतिक घटना के घटित होने पर, पक्षकार अपनी अप्रत्याशित घटना लागतों का वहन करेंगे और किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष को इसकी कोई लागत का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी;
- (ख) अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना के घटित होने पर, ऐसी अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना के लिए जिम्मेदार सभी अप्रत्याशित घटना लागतें, और ऐसी अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना के लिए स्वीकृत और भुगतान किए गए बीमा कवर से अधिक नहीं, रियायतग्राही द्वारा उठाई जाएंगी, और जिस सीमा तक अप्रत्याशित घटना लागत

ऐसे बीमा कवर से अधिक हो जाती है, स्वीकृत और भुगतान की जाती है, ऐसी अतिरिक्त राशि का आधा हिस्सा प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को वापस किया जाएगा, बशर्ते कि...

(ग) राजनीतिक घटना के घटित होने पर, ऐसी राजनीतिक घटना के लिए जिम्मेदार सभी अप्रत्याशित घटना लागतें प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को वापस की जाएंगी।

अप्रत्याशित घटना लागतों में ऋण पर ब्याज भुगतान, ओ एवं एम व्यय, मुद्रास्फीति के कारण निर्माण कार्य की लागत में कोई भी वृद्धि और अप्रत्याशित घटना के लिए सीधे जिम्मेदार अन्य सभी लागतें शामिल हो सकती हैं, लेकिन एयरोनॉटिकल शुल्क से राजस्व का नुकसान या ऋण पुनर्भुगतान दायित्व शामिल नहीं होंगे।

32.7.3 इस अनुच्छेद 32 में स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए को छोड़कर, कोई भी पक्ष किसी भी अप्रत्याशित घटना के घटित होने या अस्तित्व या इसके अनुसरण में किसी भी अधिकार के प्रयोग से संबंधित या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति, लागत, व्यय, दावों, मांगों और कार्यवाही के संबंध में किसी भी तरह से दूसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

32.8 अप्रत्याशित घटना के लिए समाप्ति नोटिस

यदि कोई अप्रत्याशित घटना 365 (तीन सौ पैंसठ) दिनों की निरंतर अवधि के भीतर 180 (एक सौ अस्सी) दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए बनी रहती है, तो कोई भी पक्ष इस अनुच्छेद 32 में प्रदान किए गए को छोड़कर किसी भी तरह से उत्तरदायी हुए बिना दूसरे पक्ष को समाप्ति नोटिस जारी करके इस समझौते को अपने विवेक से समाप्त कर सकता है, और ऐसे समाप्ति नोटिस जारी होने पर, यह समझौता, इसमें निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, तुरंत समाप्त हो जाएगा, बशर्ते कि ऐसा समाप्ति नोटिस जारी करने से पहले, समाप्ति नोटिस जारी करने का इरादा रखने वाला पक्ष दूसरे पक्ष को ऐसे इरादे की सूचना देगा और प्रतिनिधित्व करने के लिए 15 (पंद्रह) दिनों का समय देगा, और ऐसे 15 (पंद्रह) दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद, प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ हो या नहीं, अपने विवेक से समाप्ति नोटिस जारी कर सकता है।

32.9 अप्रत्याशित घटना के लिए समाप्ति भुगतान

32.9.1 यदि समाप्ति गैर-राजनीतिक घटना के कारण होती है, तो प्राधिकरण रियायतग्राही को समाप्ति भुगतान के 70% (सत्तर प्रतिशत) के बराबर राशि का भुगतान करेगा, जिसमें से स्वीकृत और भुगतान किया गया बीमा कवर घटा दिया जाएगा।

32.9.2 यदि समाप्ति अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना के कारण होती है, तो प्राधिकरण रियायतग्राही को समाप्ति भुगतान के 100% (एक सौ प्रतिशत) के बराबर राशि का भुगतान करेगा, जिसमें से स्वीकृत और भुगतान किया गया बीमा कवर घटा दिया जाएगा।

32.9.3 यदि समाप्ति राजनीतिक घटना के कारण होती है, तो प्राधिकरण रियायतग्राही को उतनी ही राशि का भुगतान करेगा जितनी प्राधिकरण की चूक के कारण समाप्ति पर देय होगी।

32.10 विवाद समाधान

इस बात पर कि क्या कोई अप्रत्याशित घटना घटी है या मौजूद है, यदि पक्षकार अच्छे विश्वास में सहमत होने में असमर्थ हैं, तो ऐसे विवाद को विवाद समाधान प्रक्रिया के अनुसार अंतिम रूप से निपटाया जाएगा, बशर्ते कि ऐसे

अप्रत्याशित घटना के घटित होने या अस्तित्व के बारे में सबूत का बोझ उस पक्ष पर होगा जो ऐसी अप्रत्याशित घटना के कारण राहत और/या छूट का दावा कर रहा है।

32.11 दायित्वों के प्रदर्शन से छूट

यदि प्रभावित पक्ष अप्रत्याशित घटना के कारण इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरी तरह से या आंशिक रूप से निष्पादित करने में असमर्थ हो जाता है, तो उसे अपने उन दायित्वों के प्रदर्शन से छूट दी जाएगी जिन्हें वह ऐसे अप्रत्याशित घटना के कारण निष्पादित करने में असमर्थ है, बशर्ते कि:

- (क) प्रदर्शन का निलंबन उस दायरे से अधिक नहीं होगा और उतनी लंबी अवधि के लिए नहीं होगा जितना अप्रत्याशित घटना द्वारा उचित रूप से आवश्यक है;
- (ख) प्रभावित पक्ष ऐसे अप्रत्याशित घटना के अस्तित्व या घटित होने से उत्पन्न होने वाले या उसके परिणामस्वरूप दूसरे पक्ष को होने वाली क्षति को कम करने या सीमित करने के लिए सभी उचित प्रयास करेगा और उचित मुस्तैदी के साथ इसे ठीक करेगा; और
- (ग) जब प्रभावित पक्ष इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के प्रदर्शन को फिर से शुरू करने में सक्षम हो जाता है, तो वह दूसरे पक्ष को इस आशय का नोटिस देगा और तुरंत इसके तहत अपने दायित्वों का प्रदर्शन फिर से शुरू करेगा।

32.12 अप्रत्याशित घटनाओं के लिए राहत

32.12.1 इस समझौते में परिकल्पित या संदर्भित नहीं की गई किसी अप्रत्याशित घटना, स्थिति या समान परिस्थितियों के घटित होने और बने रहने पर, और जिसे एक विवेकपूर्ण और मेहनती व्यक्ति द्वारा अनुमानित नहीं किया जा सकता था ("अप्रत्याशित घटना"), कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को नोटिस द्वारा ऐसे विवरणों के साथ ऐसी अप्रत्याशित घटना के घटित होने की सूचना दे सकता है और परियोजना की लागत, व्यय और राजस्व पर इसके प्रभावों के बारे में बता सकता है। ऐसे नोटिस के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, पक्षकार यह निर्धारित करने के लिए अच्छे विश्वास में मिलेंगे और प्रयास करेंगे कि क्या ऐसी अप्रत्याशित घटना घटी है और जारी है, और इसके घटित होने पर सहमति तक पहुँचने पर इस खंड 32.12 के प्रावधानों के अनुसार इससे निपटेंगे।

32.12.2 अप्रत्याशित घटना के घटित होने और जारी रहने के निर्धारण पर, पक्षकार एक सुलह न्यायाधिकरण (conciliation tribunal) को संदर्भ देंगे जिसमें दोनों पक्षों द्वारा उन व्यक्तियों में से एक-एक सदस्य को नामित किया जाएगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हों और इस प्रकार नामित सुलहकार एक अध्यक्ष का चुनाव करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हों।

32.12.3 खंड 32.12.2 में संदर्भित सुलह न्यायाधिकरण अनुच्छेद 41 के प्रावधानों के अनुसार अपनी कार्यवाही का संचालन करेगा, जैसे कि यह उस अनुच्छेद के तहत मध्यस्थता की कार्यवाही हो, सिवाय इस खंड 32.12 में प्रदान किए गए को छोड़कर।

32.12.4 इस खंड 32.12 में संदर्भित सुलह न्यायाधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक कार्यवाही का संचालन करेगा कि:

- (क) एक अप्रत्यक्ष घटना घटी है;

(ख) ऐसी अप्रत्याशित घटना के प्रभावों को ऐसे उपाय या राहत के बिना कम नहीं किया जा सकता है जो समझौते में परिकल्पित नहीं हैं; और

(ग) अप्रत्याशित घटना या उसके प्रभाव किसी भी पक्ष द्वारा उसके किसी कार्य या चूक के कारण उत्पन्न नहीं हुए हैं,

और यदि सुलह न्यायाधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि ऊपर निर्दिष्ट प्रत्येक शर्त पूरी होती है, तो वह इस आशय का आदेश जारी करेगा और इस खंड 32.12 के तहत आगे की कार्यवाही का संचालन करेगा।

32.12.5 इस खंड 32.12 में संदर्भित सुलह कार्यवाही के पूरा होने पर, सुलह न्यायाधिकरण एक तर्कसंगत आदेश द्वारा सिफारिशें कर सकता है और संदर्भ की शर्तें निर्धारित कर सकता है, जो होंगी:

(क) एक निष्पक्ष और पारदर्शी औचित्य पर आधारित;

(ख) अप्रत्याशित घटना के प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक से अधिक दायरे में नहीं;

(ग) अप्रत्याशित घटना के प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक अवधि से अधिक लंबी अवधि के लिए नहीं; और

(घ) राहत या उपाय के संदर्भ में मात्रा निर्धारित और प्रतिबंधित।

32.12.6 खंड 32.12.5 में संदर्भित आदेश और संदर्भ की शर्तें प्राप्त करने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, पक्षकार अप्रत्याशित घटना के प्रभावों को कम करने के लिए सुलह न्यायाधिकरण द्वारा अनुशंसित राहत या उपाय को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार परियोजना के कार्यान्वयन को सुरक्षित करने के लिए अच्छे विश्वास में मिलेंगे और प्रयास करेंगे, जिसके लिए यहाँ पहुँच गए समझौते को निर्धारित करने वाला एक समझौता ज्ञापन किया जाएगा। ऐसे समझौता ज्ञापन की शर्तें उसी प्रकार बल और प्रभाव में होंगी जैसे कि वे इस समझौते का हिस्सा बनती हैं, और मान लेंगी कि उन्होंने इस समझौते की संबंधित शर्तों को संशोधित कर दिया है, यदि कोई हो।

अनुच्छेद 33: समझौते के उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति

33.1 रियायतग्राही द्वारा चूक के लिए क्षतिपूर्ति

खंड 33.4 के प्रावधानों के अधीन, रियायतग्राही द्वारा इस समझौते के महत्वपूर्ण उल्लंघन या चूक की स्थिति में, वह इसके आवश्यक विवरणों के साथ मांग प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर, ऐसे महत्वपूर्ण उल्लंघन या चूक के परिणाम के रूप में प्राधिकरण द्वारा सहे गए या उठाए गए सभी प्रत्यक्ष लागतों का भुगतान प्राधिकरण को क्षतिपूर्ति के रूप में करेगा, बशर्ते कि इस अनुच्छेद 33 के तहत किसी भी ऐसे महत्वपूर्ण उल्लंघन या चूक के लिए कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी जिसके संबंध में इस समझौते के तहत Damages स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट हैं और देय हैं या प्राधिकरण द्वारा उठाए गए किसी भी परिणामी नुकसान के लिए।

33.2 प्राधिकरण द्वारा चूक के लिए क्षतिपूर्ति

खंड 33.4 के प्रावधानों के अधीन, सीओडी के बाद किसी भी समय प्राधिकरण द्वारा इस समझौते के महत्वपूर्ण उल्लंघन या चूक की स्थिति में, वह इसके आवश्यक विवरणों के साथ मांग प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर, ऐसे महत्वपूर्ण उल्लंघन या चूक के परिणाम के रूप में रियायतग्राही द्वारा सहे गए या उठाए गए सभी प्रत्यक्ष लागतों का भुगतान रियायतग्राही को क्षतिपूर्ति के रूप में करेगा, बशर्ते कि ऐसे किसी भी महत्वपूर्ण उल्लंघन या चूक के लिए कोई ऐसी क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी जिसके संबंध में इस समझौते में Damages स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किए गए हैं। स्पष्टता के लिए, देय क्षतिपूर्ति में ऋण पर ब्याज भुगतान, O&M व्यय, मुद्रास्फीति के कारण पूंजीगत लागत में कोई भी वृद्धि और ऐसे महत्वपूर्ण उल्लंघन या चूक के लिए सीधे जिम्मेदार अन्य सभी लागतें शामिल हो सकती हैं, लेकिन राजस्व का नुकसान या ऋण पुनर्भुगतान दायित्व या अन्य परिणामी नुकसान शामिल नहीं होंगे।

33.3 रियायत अवधि का विस्तार

खंड 33.4 के प्रावधानों के अधीन, यदि खंड 33.2 में निर्धारित इस समझौते का कोई महत्वपूर्ण उल्लंघन या चूक किसी चरण के सीओडी को प्राप्त करने में देरी का कारण बनती है या निलंबन की ओर ले जाती है, तो प्राधिकरण खंड 33.2 के तहत क्षतिपूर्ति के भुगतान के बदले में रियायत अवधि बढ़ाने पर विचार कर सकता है। रियायत अवधि में ऐसे विस्तार की अवधि पर प्राधिकरण द्वारा ऐसे समय में विचार किया जाएगा और निर्धारित किया जाएगा।

33.4 लागत और क्षति का शमन

प्रभावित पक्ष दूसरे पक्ष द्वारा समझौते के उल्लंघन से उत्पन्न होने वाली या उसके परिणामस्वरूप होने वाली लागतों और क्षति को कम करने या सीमित करने के लिए सभी उचित प्रयास करेगा।

33.5 अतिरिक्त क्षतिपूर्ति

जैसा कि ऊपर अन्यथा बताया गया है, इस अनुच्छेद 33 के तहत देय क्षतिपूर्ति इस समझौते के तहत पक्षों के अन्य अधिकारों और उपायों के अतिरिक्त होगी, और बिना किसी पूर्वग्रह के होगी, जिसमें इसकी समाप्ति भी शामिल है।

अनुच्छेद 34. रियायतग्राही के अधिकारों का निलंबन

34.1 रियायतग्राही के व्यतिक्रम पर निलंबन

रियायतग्राही के व्यतिक्रम के घटित होने पर, प्राधिकरण इस समझौते के तहत अपने अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना (जिसमें इसके समाप्ति के अधिकार शामिल हैं), (क) इस समझौते के तहत रियायतग्राही के सभी अधिकारों को निलंबित करने का हकदार होगा, जिसमें किसी भी शुल्क को एकत्र करने का रियायतग्राही का अधिकार और इसके तहत अन्य राजस्व शामिल हैं, और (ख) ऐसे निलंबन ("निलंबन") के दौरान स्वयं ऐसे अधिकारों का प्रयोग करना और इसके तहत दायित्वों का पालन करना या किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से ऐसा करने या निभाने के लिए अधिकृत करना। इसके तहत निलंबन प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को नोटिस जारी करने पर तुरंत प्रभावी होगा और ऐसे नोटिस के जारी होने की तारीख से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों से अधिक की अवधि तक नहीं बढ़ सकता है, बशर्ते कि रियायतग्राही और ऋणदाता प्रतिनिधि के लिखित अनुरोध पर, प्राधिकरण 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की उपर्युक्त अवधि को 90 (नब्बे) दिनों से अधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा देगा।

34.2 रियायतग्राही की ओर से कार्य करने का प्राधिकरण का अधिकार

34.2.1 निलंबन की अवधि के दौरान, प्राधिकरण, रियायतग्राही की ओर से, इस समझौते के तहत और इसके अनुसार सभी शुल्क और राजस्व एकत्र करेगा और उन्हें एस्क्रो खाते में जमा करेगा। प्राधिकरण ओएंडएम व्यय को पूरा करने के लिए और निलंबन के कारण को सुधारने तथा ठीक करने के लिए अपने द्वारा किए गए खर्चों को पूरा करने के लिए, और उसके बाद खंड 29.3 में निर्दिष्ट खर्चों को वहन करने के लिए एस्क्रो खाते से निकासी करने का हकदार होगा।

34.2.2 इसके तहत निलंबन की अवधि के दौरान, इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही में निहित सभी अधिकार और देनदारियां रियायतग्राही में निहित रहेंगी और इस समझौते तथा परियोजना समझौतों के तहत और उनके अनुसार रियायतग्राही के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकरण द्वारा किए गए सभी कार्य या उठाए गए कदम, जिसमें किया गया खर्च भी शामिल है, रियायतग्राही के लिए और उसकी ओर से किए गए या उठाए गए माने जाएंगे और रियायतग्राही इस अवधि के दौरान हुए सभी खर्चों के लिए प्राधिकरण को क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है। रियायतग्राही एतद्वारा क्रमशः प्राधिकरण या इस अनुच्छेद 34 के तहत इसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को निलंबन के दौरान, हवाई अड्डे और उसके संचालन, प्रबंधन, डिजाइन, इंजीनियरिंग और विकास से संबंधित रियायतग्राही के स्वामित्व वाले या उसे लाइसेंस प्राप्त सभी बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) का उपयोग करने का लाइसेंस और उप-लाइसेंस देता है, जिसका उपयोग या निर्माण रियायतग्राही द्वारा समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में किया जाता है।

34.3 निलंबन का निरसन

ऐसी स्थिति में जब प्राधिकरण ने खंड 34.1 में निर्धारित अवधि से अधिक न होने वाली अवधि के भीतर निलंबन के कारण को सुधार लिया है या हटा दिया है, तो वह तुरंत निलंबन को निरस्त कर देगा और इस समझौते के तहत रियायतग्राही के सभी अधिकारों को बहाल कर देगा। पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि प्राधिकरण अपने विवेक से किसी भी समय निलंबन को निरस्त कर सकता है, चाहे निलंबन का कारण सुधारा गया हो या नहीं।

34.4 रियायतग्राही का प्रतिस्थापन

खंड 38.5 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा अपने स्टेप-इन अधिकारों के प्रयोग के अधीन, निलंबन की अवधि के दौरान किसी भी समय, वरिष्ठ ऋणदाताओं (Senior Lenders) की ओर से ऋणदाता प्रतिनिधि,

प्रतिस्थापन समझौते (Substitution Agreement) के तहत और उसके अनुसार रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने का हकदार होगा, और ऋणदाता प्रतिनिधि से उसके तहत नोटिस प्राप्त होने पर, प्राधिकरण वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से प्रतिस्थापन के अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए ऋणदाता प्रतिनिधि को सक्षम बनाने हेतु, निलंबन की तारीख से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों से अधिक न होने वाली अवधि के लिए, और इस अनुच्छेद 34 के तहत इसके किसी भी विस्तार के लिए, समाप्ति (Termination) को रोक कर रखेगा।

34.5 समाप्ति

34.5.1 इस अनुच्छेद 34 के तहत निलंबन की अवधि के दौरान किसी भी समय, रियायतग्राही नोटिस द्वारा प्राधिकरण से निलंबन को निरस्त करने और समाप्ति नोटिस जारी करने की मांग कर सकता है। इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार और खंड 34.4 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रतिस्थापन करने के ऋणदाता प्रतिनिधि के अधिकारों के अधीन, प्राधिकरण, ऐसे नोटिस की प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, अनुच्छेद 33 के तहत रियायतग्राही के व्यतिक्रम की तरह, इस समझौते को अनुच्छेद 34 के तहत और उसके अनुसार समाप्त कर देगा।

34.5.2 इस समझौते में इसके विपरीत किसी भी बात के होने के बावजूद, ऐसी स्थिति में जब इसके तहत निलंबन की तारीख से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के भीतर या अनुच्छेद 34 में निर्धारित विस्तारित अवधि (यदि कोई हो) के भीतर निलंबन को निरस्त नहीं किया जाता है, तो यह समझौता, उपर्युक्त अवधि की समाप्ति पर, पक्षकारों की आपसी सहमति से समाप्त हुआ माना जाएगा और इस समझौते के सभी प्रावधान ऐसी समाप्ति पर, यथासंभव परिवर्तन के साथ लागू होंगे, मानो रियायतग्राही के व्यतिक्रम होने पर प्राधिकरण द्वारा समाप्ति नोटिस जारी किया गया हो।

अनुच्छेद 35. समाप्ति

35.1 रियायतग्राही के व्यतिक्रम पर समाप्ति

35.1.1 इस समझौते में अन्यथा प्रदान किए जाने को छोड़कर, ऐसी स्थिति में जब नीचे निर्दिष्ट व्यतिक्रमों में से कोई भी घटित होता है, और रियायतग्राही नीचे निर्धारित सुधार अवधि (के भीतर व्यतिक्रम को सुधारने में विफल रहता है, या जहां कोई सुधार अवधि निर्दिष्ट नहीं है, तो 60 (साठ) दिनों की सुधार अवधि के भीतर, रियायतग्राही को इस समझौते का व्यतिक्रम करने वाला माना जाएगा ("रियायतग्राही का व्यतिक्रम"), जब तक कि व्यतिक्रम प्राधिकरण द्वारा इस समझौते के किसी उल्लंघन के परिणामस्वरूप या अप्रत्याशित घटना के कारण न हुआ हो। यहाँ संदर्भित व्यतिक्रमों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (क) निष्पादन सुरक्षा को खंड 9.2 के अनुसार भुना लिया गया है और विनियोजित कर लिया गया है और रियायतग्राही 15 (पंद्रह) दिनों की सुधार अवधि के भीतर नई निष्पादन सुरक्षा की भरपाई करने या प्रदान करने में विफल रहता है;
- (ख) खंड 9.2 के अनुसार नई निष्पादन सुरक्षा की भरपाई करने या प्रस्तुत करने के बाद, रियायतग्राही किसी भी पूर्ववर्ती शर्त को पूरा करने में विफल रहता है या रियायतग्राही के व्यतिक्रम को सुधारने में विफल रहता है, जैसा भी मामला हो, जिसके लिए निष्पादन सुरक्षा के पूरे या कुछ हिस्से को 120 (एक सौ बीस) दिनों की सुधार अवधि के भीतर विनियोजित किया गया था;
- (ग) रियायतग्राही खंड 12.5.2 और अनुसूची एफ के प्रावधानों के अनुसार देय नवीनतम उत्कृष्ट चरण मील का पत्थर प्राप्त नहीं करता है और 120 (एक सौ बीस) दिनों की सुधार अवधि के दौरान व्यतिक्रम में बना रहता है;
- (घ) रियायतग्राही प्राधिकरण की पूर्व लिखित सहमति के बिना हवाई अड्डे के निर्माण या संचालन को त्याग देता है या त्यागने की मंशा प्रकट करता है;
- (ङ) खंड 12.5.4 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी चरण का पूरा होना नहीं होता है;
- (च) खंड 14.4.1 में निर्धारित अवधि के भीतर पंच सूची की वस्तुएं पूरी नहीं की गई हैं;
- (छ) खंड 19.6.9 के अनुसार IATA सेवा स्तर अनुकूल के उल्लंघन के कारण रियायत वर्ष के लिए रियायतग्राही द्वारा भुगतान किए जाने वाले हर्जाने की राशि पूर्ववर्ती लेखा वर्ष के लिए वार्षिक रियायत शुल्क के 2% (दो प्रतिशत) के बराबर या उससे अधिक है;
- (ज) रियायतग्राही रियायत अवधि के दौरान किसी भी निरंतर 6 (छ) महीने की अवधि में अनुसूची एच में निर्दिष्ट मुख्य निष्पादन संकेतक की महत्वपूर्ण उद्देश्य सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं के 2/3 (दो-तिहाई) से अधिक के उल्लंघन में है;
- (झ) रियायतग्राही चरण 1 पूर्णता तिथि से 3 (तीन) वर्ष की अवधि के भीतर खंड 23.6 के अनुसार आईएसओ और अन्य प्रमाणपत्र प्राप्त करने में विफल रहता है;
- (ञ) रियायतग्राही इस समझौते में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राधिकरण को कोई भी भुगतान करने में विफल रहा है;
- (ट) एक एस्करो व्यतिक्रम हो गया है और रियायतग्राही 15 (पंद्रह) दिनों की सुधार अवधि के भीतर व्यतिक्रम को सुधारने में विफल रहता है;
- (ठ) वित्तीय व्यतिक्रम होने पर, ऋणदाता प्रतिनिधि ने नोटिस द्वारा प्रतिस्थापन समझौते के अनुसार, यथास्थिति, निलंबन या समाप्ति करने के लिए प्राधिकरण से अनुरोध किया है और रियायतग्राही परोपर्युक्त निर्दिष्ट सुधार अवधि के भीतर व्यतिक्रम को सुधारने में विफल रहता है;
- (ड) रियायतग्राही द्वारा किसी भी परियोजना समझौते का उल्लंघन एक महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का कारण बना है;
- (ढ) रियायतग्राही इस समझौते के उल्लंघन में कोई भार उत्पन्न करता है;

- (ण) रियायतग्राही इस समझौते को अस्वीकार करता है या अन्यथा कोई कार्रवाई करता है या ऐसा इरादा प्रदर्शित या व्यक्त करता है कि वह समझौते से बंधा नहीं है;
- (त) खंड 5.3 के प्रावधानों के उल्लंघन में स्वामित्व में परिवर्तन या कोई अन्य परिवर्तन हुआ है;
- (थ) कानून के अनुसार (i) किसी भी परियोजना समझौते के तहत रियायतग्राही के अधिकारों और/या दायित्वों का, या (ii) रियायतग्राही की सभी या संपत्ति के एक हिस्से का कोई हस्तांतरण हुआ है, और ऐसा हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डालता है;
- (द) रियायतग्राही की किसी भी संपत्ति पर किया गया निष्पादन एक महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का कारण बना है;
- (ध) रियायतग्राही को दिवालिया या शोधनक्षमता विहीन घोषित किया जाता है, या यदि रियायतग्राही के लिए या उसकी संपत्ति के पूरे या महत्वपूर्ण हिस्से के लिए कोई ट्रस्टी या रिसीवर नियुक्त किया जाता है जिसका परियोजना पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है;
- (न) रियायतग्राही को तरल, विघटित, समाप्त, समामेलित या पुनर्गठित किया गया है या किया जा रहा है, जिससे प्राधिकरण की उचित राय में, एक महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;
- (न) रियायतग्राही को बंद करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है, या रियायतग्राही को बंद करने के किसी भी आवेदन को सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाता है और एक अनंतिम परिसमापक या रिसीवर नियुक्त किया जाता है और ऐसे आदेश को उसकी तारीख से 90 (नब्बे) दिनों के भीतर रद्द नहीं किया गया है या अदालत द्वारा रियायतग्राही को बंद करने का आदेश दिया जाता है, सिवाय समामेलकरण या पुनर्निर्माण के उद्देश्य के, बशर्ते कि, ऐसे समामेलकरण या पुनर्निर्माण के हिस्से के रूप में, रियायतग्राही की पूरी संपत्ति और उपक्रम को समामेलित या पुनर्गठित इकाई में स्थानांतरित कर दिया जाए और समामेलित या पुनर्गठित इकाई ने इस समझौते और परियोजना समझौतों के तहत रियायतग्राही के दायित्वों को बिना किसी शर्त के मान लिया हो; और बशर्ते कि:

(i) समामेलित या पुनर्गठित इकाई के पास इस समझौते और परियोजना समझौतों के तहत अपने दायित्वों के प्रदर्शन के लिए आवश्यक क्षमता और परिचालन अनुभव हो;

(ii) समामेलित या पुनर्गठित इकाई के पास इस समझौते और परियोजना समझौतों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की वित्तीय स्थिति है और उसकी साख सीओडी (COD) के समय रियायतग्राही जितनी अच्छी है; और

(iii) प्रत्येक परियोजना समझौता पूरी तरह से बल और प्रभाव में रहता है;

- (प) इसमें निहित रियायतग्राही का कोई भी प्रतिनिधित्व या वारंटी जो इस तारीख को सामग्रीगत रूप से झूठी, गलत या भ्रामक पाई जाती है या रियायतग्राही इसके बाद किसी भी समय इसके उल्लंघन में पाया जाता है;
- (फ) रियायतग्राही प्राधिकरण को लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई भी बयान, नोटिस या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करता है, जिसका प्राधिकरण के अधिकारों, दायित्वों या हितों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और जो सामग्री विवरण में झूठा है;
- (ब) रियायतग्राही किसी भी ऐसे दायित्व को पूरा करने में विफल रहा है, जिसके लिए इस समझौते में समाप्ति निर्दिष्ट की गई है;
- (भ) रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों के उल्लंघन में समाप्ति नोटिस जारी करता है; या
- (म) रियायतग्राही इस समझौते के किसी अन्य प्रावधान का पालन करने में व्यतिक्रम करता है यदि ऐसा व्यतिक्रम प्राधिकरण पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

35.1.2 इस समझौते के तहत प्राधिकरण के पास मौजूद किसी भी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही के व्यतिक्रम होने पर, प्राधिकरण रियायतग्राही को समाप्ति नोटिस जारी करके इस समझौते को समाप्त करने का हकदार होगा, बशर्ते कि समाप्ति नोटिस जारी करने से पहले, प्राधिकरण एक नोटिस द्वारा रियायतग्राही को ऐसे समाप्ति नोटिस को जारी करने के अपने इरादे की सूचना देगा और रियायतग्राही को प्रतिवेदन

(representation) देने के लिए 15 (पंद्रह) दिन का समय देगा, और ऐसे 15 (पंद्रह) दिनों की समाप्ति के बाद, उसे ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त हुआ हो या नहीं, खंड 35.1.3 के प्रावधानों के अधीन, समाप्ति नोटिस जारी कर सकता है।

35.1.3 यदि वरिष्ठ ऋणदाता हैं, तो प्राधिकरण ऋणदाता प्रतिनिधि को सूचित करने के लिए खंड 35.1.2 में संदर्भित समाप्ति नोटिस जारी करने के अपने इरादे के नोटिस की एक प्रति भेजेगा और ऋणदाता प्रतिनिधि को प्रतिस्थापन समझौते के अनुसार रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने के इरादे से वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से प्रतिवेदन देने के लिए 15 (पंद्रह) दिन का समय देगा। ऐसी स्थिति में, प्राधिकरण को वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तो वह अपने विवेक से, ऐसे प्रतिवेदन की तारीख से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों से अधिक न होने वाली अवधि के लिए समाप्ति को रोक कर रखेगा या, यथास्थिति, अपने निलंबन के अधिकार का प्रयोग करेगा, ताकि ऋणदाता प्रतिनिधि को प्रतिस्थापन समझौते के अनुसार वरिष्ठ ऋणदाताओं के प्रतिस्थापन के अधिकार का उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके:

बशर्ते कि ऋणदाता प्रतिनिधि, वरिष्ठ ऋणदाताओं के प्रतिस्थापन के अधिकार का उपयोग करने के बजाय, यह सुनिश्चित कर सकता है कि नोटिस में निर्दिष्ट व्यतिक्रम को उपर्युक्त 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की अवधि के भीतर सुधार लिया जाए, और ऐसे सुधार पर, प्राधिकरण ऊपर संदर्भित अपने नोटिस को वापस ले लेगा और रियायतग्राही के सभी अधिकारों को पुनर्स्थापित कर देगा।

बशर्ते कि ऋणदाता प्रतिनिधि और रियायतग्राही के लिखित अनुरोध पर, प्राधिकरण 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की उपर्युक्त अवधि को 90 (नब्बे) दिनों से अधिक की ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा देगा, जैसा प्राधिकरण उचित समझे।

35.2 प्राधिकरण के व्यतिक्रम पर समाप्ति

35.2.1 ऐसी स्थिति में जब नीचे निर्दिष्ट व्यतिक्रमों में से कोई भी घटित होता है, और प्राधिकरण 90 (नब्बे) दिनों की सुधार अवधि के भीतर या इस समझौते में स्पष्ट रूप से प्रदान की गई ऐसी लंबी अवधि के भीतर ऐसे व्यतिक्रम को सुधारने में विफल रहता है, तो प्राधिकरण को इस समझौते का व्यतिक्रम करने वाला माना जाएगा ("प्राधिकरण का व्यतिक्रम"), जब तक कि व्यतिक्रम रियायतग्राही द्वारा इस समझौते के किसी उल्लंघन के परिणामस्वरूप या फोर्स माजेर के कारण न हुआ हो। यहाँ संदर्भित व्यतिक्रमों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) प्राधिकरण इस समझौते के किसी भी प्रावधान का पालन करने में एक महत्वपूर्ण व्यतिक्रम करता है और ऐसे व्यतिक्रम का रियायतग्राही पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ख) प्राधिकरण इस समझौते को अस्वीकार करता है या अन्यथा कोई ऐसी कार्रवाई करता है जो इस समझौते से बंधे न रहने के अपरिवर्तनीय इरादे को दर्शाती है या प्रकट करती है।

35.2.2 इस समझौते के तहत रियायतग्राही के पास मौजूद किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण के व्यतिक्रम होने पर, रियायतग्राही, प्रतिस्थापन समझौते के प्रावधानों के अधीन, प्राधिकरण को समाप्ति नोटिस जारी करके इस समझौते को समाप्त करने का हकदार होगा, बशर्ते कि समाप्ति नोटिस जारी करने से पहले, रियायतग्राही एक नोटिस द्वारा प्राधिकरण को समाप्ति नोटिस जारी करने के अपने इरादे की सूचना देगा और प्राधिकरण को प्रतिवेदन देने के लिए 15 (पंद्रह) दिन का समय देगा, और ऐसे 15 (पंद्रह) दिनों की समाप्ति के बाद, उसे ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त हुआ हो या नहीं, समाप्ति नोटिस जारी कर सकता है।

35.3 समाप्ति भुगतान

35.3.1 प्राधिकरण के व्यतिक्रम के कारण समाप्ति पर, प्राधिकरण रियायतग्राही को समाप्ति भुगतान के 120% (एक सौ बीस प्रतिशत) के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

35.3.2 रियायतग्राही के व्यतिक्रम के कारण समाप्ति पर, प्राधिकरण रियायतग्राही को स्वीकृत और भुगतान किए गए बीमा कवर को घटाकर समाप्ति भुगतान के 70% (सत्तर प्रतिशत) के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

35.3.3 समय बीतने के कारण रियायत अवधि की समाप्ति पर समाप्ति होने पर:

(क) प्राधिकरण रियायतग्राही को निम्नलिखित में से कम राशि के 50% (पचास प्रतिशत) के बराबर राशि का भुगतान करेगा:

(i) सिटी साइड विकास का हिस्सा बनने वाली ऐसी परियोजना संपत्तियों का मूल्यहासित बही मूल्य, यदि कोई हो, जिसे सीओडी की 30वीं वर्षगांठ तक रियायतग्राही की बही में पूंजीकृत किया गया है; और

(ii) सिटी साइड विकास का हिस्सा बनने वाली ऐसी परियोजना संपत्तियों का मूल्य, जिन्हें सीओडी की 30वीं वर्षगांठ तक रियायतग्राही की बही में पूंजीकृत किया गया है, जैसा कि एक अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता (Approved Valuer) द्वारा निर्धारित किया जाता है जिसे स्थानांतरण तिथि के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकरण द्वारा चुना और नियुक्त किया जाएगा, और जो अपनी नियुक्ति के 30 (तीस) दिनों के भीतर अपना निर्धारण प्रस्तुत करेगा।

(ख) स्थानांतरण तिथि के अनुसार एयरोनॉटिकल संपत्तियों, गैर-एयरोनॉटिकल संपत्तियों (सिटी साइड विकास का हिस्सा बनने वाली संपत्तियों को छोड़कर) और रियायतग्राही द्वारा किसी भी प्रगति पर चल रहे कार्य (works-in-progress) के लिए प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को कोई समाप्ति भुगतान नहीं किया जाएगा। संदेह से बचने के लिए, स्थानांतरण तिथि के अनुसार सभी एयरोनॉटिकल संपत्तियां, गैर-एयरोनॉटिकल संपत्तियां (सिटी साइड विकास का हिस्सा बनने वाली संपत्तियों को छोड़कर) और रियायतग्राही द्वारा कोई भी प्रगति पर चल रहा कार्य रियायतग्राही द्वारा बिना किसी लागत के प्राधिकरण को सौंप दिया जाएगा।

35.3.4 पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि खंड 27.6, 32.9, 35.3 और 39.3 के अनुसार किए गए समाप्ति भुगतान:

(क) आवश्यक विवरणों के साथ रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को मांग किए जाने के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर देय और भुगतान योग्य हो जाएंगे, और किसी भी देरी की स्थिति में, प्राधिकरण अवैतनिक शेष समाप्ति भुगतान की राशि पर बैंक दर से 3% (तीन प्रतिशत) अधिक की दर से ब्याज का भुगतान करेगा;

(ख) इस समझौते की समाप्ति के कारण रियायतग्राही के सभी दावों के पूर्ण और अंतिम निपटान का गठन करेगा, और इसके तहत भुगतान दायित्वों का प्राधिकरण द्वारा निर्वहन होगा, और रियायतग्राही या उसके किसी भी शेयरधारक का किसी भी कानून, संधि, सम्मेलन, अनुबंध या अन्यथा के तहत कोई अन्य अधिकार या दावा नहीं होगा।

35.4 प्राधिकरण के अन्य अधिकार और

किसी भी कारण से समाप्ति होने पर, प्राधिकरण:

(क) तुरंत हवाई अड्डे का कब्जा और नियंत्रण ले लेगा;

(ख) साइट पर या उसके आसपास सभी सामग्रियों, स्टोर्स, उपकरणों, निर्माण संयंत्रों और उपकरणों का कब्जा और नियंत्रण ले लेगा;

- (ग) रियायतग्राही और रियायतग्राही के माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को साइट या परियोजना के किसी भी हिस्से में प्रवेश करने से रोकने का हकदार होगा;
- (घ) रियायतग्राही से अनुच्छेद 36 में निर्धारित विनिवेश आवश्यकताओं का पालन करने की अपेक्षा करेगा; और
- (ङ) प्राधिकरण द्वारा चुनाव करने पर, रियायतग्राही द्वारा किसी अन्य कार्रवाई की आवश्यकता के बिना, ऐसे परियोजना समझौतों के तहत रियायतग्राही के हितों में उत्तराधिकारी बनेगा, जिन्हें प्राधिकरण अपने विवेक से उचित समझे, और ऐसे चुनाव पर ठेकेदारों को केवल उनके संबंधित परियोजना समझौतों की शर्तों के तहत उस तारीख से और उसके बाद उनके लिए देय और भुगतान योग्य मुआवजे के लिए उत्तरदायी होगा जिस तारीख को प्राधिकरण रियायतग्राही के हितों का उत्तराधिकारी बनने का चुनाव करता है। रियायतग्राही स्वीकार करता है और सहमत है कि ऐसे ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों और सेवाओं के लिए देय और बकाया के रूप में दावा की जाने वाली सभी राशियाँ ऐसी तारीख से पहले किसी भी अधिनियम, चूक या घटना के कारण होने वाली राशि रियायतग्राही और ऐसे ठेकेदारों के बीच ऋण का गठन करेंगी, और प्राधिकरण किसी भी तरह से ऐसी राशियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। आगे यह सहमति व्यक्त की जाती है कि ऐसे परियोजना समझौतों के तहत किसी भी उत्कृष्ट व्यतिक्रम को सुधारने के लिए प्राधिकरण द्वारा चुनाव करने की स्थिति में, इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा खर्च की गई राशि को समाप्ति भुगतान से काट लिया जाएगा।

35.5 अधिकारों का अस्तित्व

इस समझौते में निहित इसके विपरीत किसी भी बात के बावजूद, लेकिन खंड 35.3 के प्रावधानों के अधीन, इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार कोई भी समाप्ति किसी भी पक्ष के अर्जित अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी, जिसमें धन हर्जाना, बीमा आय, सुरक्षा जमा, और अन्य अधिकारों और उपायों का दावा करने और वसूल करने का उसका अधिकार शामिल है, जो उसके पास कानून या अनुबंध में हो सकता है। इस समझौते के तहत किसी भी पक्ष के सभी अधिकार और दायित्व, जिसमें समाप्ति भुगतान और विनिवेश आवश्यकताएं शामिल हैं, इस सीमा तक समाप्ति के बाद भी जीवित रहेंगे कि ऐसा अस्तित्व ऐसे अधिकारों और दायित्वों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है।

अनुच्छेद 36. अधिकारों और हितों का विनिवेश

36.1 विनिवेश आवश्यकताएं

36.1.1 समाप्ति पर, रियायतग्राही निम्नलिखित विनिवेश आवश्यकताओं का पालन करेगा और उनके अनुरूप होगा:

- (क) सभी परियोजना संपत्तियों के स्थान और विवरण की तुरंत प्राधिकरण को सूचना देना;
- (ख) प्रतिस्थापन समझौते में निर्धारित सीमा को छोड़कर, सभी भारों से मुक्त और स्पष्ट हवाई अड्डे का वास्तविक या रचनात्मक कब्जा तुरंत वितरित करना;
- (ग) सभी कमियों और दोषों से सभी परियोजना संपत्तियों को ठीक करना ताकि हवाई अड्डा इस समझौते के अनुरूप हो, बशर्ते कि विकास अवधि के दौरान समाप्ति की स्थिति में, सभी परियोजना संपत्तियों को सुरक्षित स्थिति में लाने के बाद 'जैसी है जहाँ है के आधार पर' ('as is where is basis') सौंप दिया जाएगा;
- (घ) मास्टर प्लान और उससे संबंधित सभी कार्यक्रमों और मैनुअल सहित, और स्थानांतरण तिथि के अनुसार पूर्ण 'एज-बिल्ट ड्राइंग') सहित, हवाई अड्डे और उसके संचालन, प्रबंधन, डिजाइन, इंजीनियरिंग और विकास से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड, रिपोर्ट, बौद्धिक संपदा और अन्य लाइसेंसों को वितरित और स्थानांतरित करना। रियायतग्राही प्रतिनिधित्व करता है और वारंटी देता है कि इसके तहत वितरित की जाने वाली बौद्धिक संपदा हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन, डिजाइन, इंजीनियरिंग और विकास के लिए पर्याप्त और पूर्ण होगी और किसी भी भार से मुक्त होकर प्राधिकरण को सौंपी जाएगी;
- (ङ) लागू कानूनों के तहत अनुमति की सीमा तक सभी लागू परमिट को स्थानांतरित और वितरित करना;
- (च) परियोजना संपत्तियों में रियायतग्राही के सभी अधिकारों, शीर्षक और हित को संप्रेषित करना, विनिवेश करना और सौंपना के लिए प्राधिकरण को आवश्यकतानुसार ऐसे विलेख, दस्तावेज और अन्य लेखन निष्पादित करना, जिसमें किसी भी संयंत्र या उपकरण के संबंध में निर्माताओं की वारंटी और प्राधिकरण को देय और भुगतान योग्य सीमा तक बकाया बीमा दावों को प्राप्त करने का अधिकार शामिल है, जो पूर्ण रूप से प्राधिकरण या उसके नामित व्यक्ति के पास हो; और
- (छ) सभी भारों से मुक्त, हवाई अड्डे में रियायतग्राही के सभी अधिकारों, शीर्षक और हित के विनिवेश और समनुदेशन को पूरा करने के लिए लागू कानूनों के तहत निर्धारित या आवश्यक सभी अन्य आवश्यकताओं का अनुपालन करना, जो पूरी तरह से प्राधिकरण या उसके नामित व्यक्ति के पास हो।

36.1.2 इस समझौते के किसी भी समाप्ति नोटिस के जारी होने के बावजूद, जब तक कि इस समझौते की समाप्ति इसके नियमों के अनुसार प्रभावी नहीं हो जाती, पक्षकार इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का पालन करना जारी रखेंगे, सिवाय इसके कि प्राधिकरण इस समझौते के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करे या किसी तीसरे पक्ष द्वारा रियायतग्राही के किसी भी दायित्व के निष्पादन को निष्पादित या प्राप्त करे।

36.2 निरीक्षण और सुधार समाप्ति से 90 (नब्बे) दिनों से पहले नहीं बल्कि ऐसी समाप्ति की प्रभावी तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों से बाद में नहीं, प्राधिकरण या उसका कोई भी नामित व्यक्ति, रियायतग्राही को ऐसे सत्यापन और/या निरीक्षण के समय, तिथि और स्थान को निर्दिष्ट करने वाला उचित नोटिस देने के बाद, इस समझौते की शर्तों के साथ रियायतग्राही के अनुपालन को सत्यापित करेगा, और यदि आवश्यक हो, तो इस उद्देश्य के लिए रियायतग्राही की लागत पर उचित परीक्षण करवाएगा। दोषों (यदि कोई हों) को रियायतग्राही द्वारा अपनी लागत पर सुधारा जाएगा और अनुच्छेद 37 के प्रावधान इस अनुच्छेद 36 के तहत दोषों या कमियों को सुधारने के संबंध में, यथासंभव परिवर्तन के साथ लागू होंगे।

36.3 परियोजना के हस्तांतरण पर सहयोग और सहायता

36.3.1 पक्षकार सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर सहयोग करेंगे और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार परियोजना के सुचारु हस्तांतरण को प्राप्त करने के लिए, अच्छे विश्वास में, सभी आवश्यक उपाय करेंगे ताकि उपयोगकर्ताओं, जनता के अन्य सदस्यों या साइट के किसी भी हिस्से के वैध कब्जाधारियों की सुरक्षा की जा सके और अनुचित देरी या असुविधा से बचा जा सके।

36.3.2 समय बीतने के कारण समाप्ति की स्थिति में स्थानांतरण तिथि से 9 (नौ) महीने पहले और किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को समाप्ति नोटिस जारी करने के अपने इरादे को संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए प्रस्तावित व्यवस्थाओं के बारे में जितनी जल्दी हो सके उचित रूप से व्यावहारिक जानकारी और सलाह प्रदान करेंगे। रियायतग्राही इसके अलावा ऐसी उचित सलाह और सहायता प्रदान करेगा जैसी प्राधिकरण, उसका रियायतग्राही या एजेंट स्थानांतरण तिथि के बाद 6 (छह) महीने की समाप्ति तक परियोजना के संचालन के लिए उचित रूप से अपेक्षा कर सकता है।

36.3.3 प्राधिकरण के पास परियोजना के संबंध में उपयोग किए जाने वाले संयंत्र और मशीनरी के सभी या किसी भी हिस्से को उचित बाजार मूल्य पर और किसी भी भार से मुक्त रियायतग्राही से खरीदने या किराए पर लेने का विकल्प होगा, जो खंड 36.1.1 में निर्दिष्ट परियोजना संपत्तियों का हिस्सा नहीं है और परियोजना के संचालन के संबंध में उचित रूप से आवश्यक है।

36.4 स्वामित्व प्रमाणपत्र ("वेस्टिंग सर्टिफिकेट")

हवाई अड्डे में सभी अधिकारों, शीर्षक और हित का विनिवेश उस तारीख को पूरा हुआ माना जाएगा जब सभी विनिवेश आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया हो, और प्राधिकरण, बिना किसी अनुचित देरी के, अनुसूची ओ ("वेस्टिंग सर्टिफिकेट") में निर्धारित फॉर्म में काफी हद तक एक प्रमाण पत्र जारी करेगा, जिसका प्रभाव हवाई अड्डे में इसके सभी अधिकारों, शीर्षक और हित के रियायतग्राही द्वारा विनिवेश के साक्ष्य का गठन करना होगा, और इसके परिणामस्वरूप प्राधिकरण में उनका निहित होना होगा। यह स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि विनिवेश आवश्यकताओं में कोई भी दोष या कमी किसी भी तरह से इस आधार पर हवाई अड्डे पर या उसके संबंध में प्राधिकरण या उसके नामित व्यक्ति के किसी भी अधिकार के प्रयोग को प्रतिबंधित या व्याख्यायित नहीं करेगी कि रियायतग्राही द्वारा सभी विनिवेश आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है।

36.5 विनिवेश लागत, आदि

36.5.1 समाप्ति पर प्राधिकरण के पक्ष में परियोजना संपत्तियों में रियायतग्राही के सभी अधिकारों, शीर्षक और हित के विनिवेश से जुड़े सभी खर्चों को रियायतग्राही वहन करेगा और भुगतान करेगा, जिसमें ऐसे विनिवेश के संबंध में रियायतग्राही द्वारा निष्पादित किसी भी विलेख या दस्तावेजों पर देय सभी स्टॉप शुल्क शामिल हैं।

36.5.2 इस अनुच्छेद 36 के तहत और उसके अंतर्गत आने वाले मामलों से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में, विवाद समाधान प्रक्रिया लागू होगी।

अनुच्छेद 37. समाप्ति के बाद दोष दायित्व

37.1 समाप्ति के बाद दोषों के लिए दायित्व

रियायतग्राही समाप्ति के बाद 120 (एक सौ बीस) दिनों की अवधि के लिए हवाई अड्डे में सभी दोषों और कमियों के लिए जिम्मेदार होगा, और इसकी यह बाध्यता होगी कि वह उपर्युक्त अवधि के दौरान हवाई अड्डे में प्राधिकरण द्वारा देखे गए सभी दोषों और कमियों को अपनी लागत पर मरम्मत करे या सुधारे। यदि रियायतग्राही इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों की अवधि के भीतर ऐसे दोष या कमी की मरम्मत करने या सुधारने में विफल रहता है, तो प्राधिकरण हवाई अड्डे को मुख्य निष्पादन संकेतकों और इस समझौते की शर्तों के अनुरूप बनाने के लिए रियायतग्राही के जोखिम और लागत पर उसकी मरम्मत कराने या सुधारने का हकदार होगा। इसके तहत प्राधिकरण द्वारा किए गए सभी खर्चों की प्रतिपूर्ति रियायतग्राही द्वारा उसकी मांग की प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकरण को की जाएगी, और ऐसे खर्चों की प्रतिपूर्ति करने में व्यतिक्रम की स्थिति में, प्राधिकरण खंड 37.2 के प्रावधानों के तहत एस्क्रो खाते में रखी गई धनराशि से या इसके तहत प्रदान की गई निष्पादन गारंटी (Performance Guarantee) से इसकी वसूली करने का हकदार होगा।

37.2 एस्क्रो खाते में प्रतिधारण

- 37.2.1 इस समझौते में इसके विपरीत किसी भी बात के होने के बावजूद, लेकिन खंड 37.2.3 के प्रावधानों के अधीन, स्थानांतरण तिथि से ठीक पहले के लेखा वर्ष के लिए अपने लेखापरीक्षित खातों के अनुसार रियायतग्राही के कुल पूर्व-कर सकल राजस्व का 5% (पांच प्रतिशत) के बराबर राशि खंड 35 के प्रावधानों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों (यदि कोई हों) को पूरा करने के लिए समाप्ति के बाद 120 (एक सौ बीस) दिनों की अवधि के लिए एस्क्रो खाते में रखी जाएगी।
- 37.2.2 खंड 37.2.1 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण अपने दम पर, या अपने नामित व्यक्ति के माध्यम से, समाप्ति से पहले 210 (दो सौ दस) और 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के बीच किसी भी समय हवाई अड्डे का निरीक्षण करेगा, और यदि यह अनुशंसा करता है कि हवाई अड्डे की स्थिति ऐसी है कि खंड 37.2.1 में stipulated राशि से बड़ी राशि एस्क्रो खाते में रखी जानी चाहिए और उपर्युक्त 120 (एक सौ बीस) दिनों से अधिक की अवधि के लिए, तो प्राधिकरण या स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा अनुशंसित राशि इसके द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए एस्क्रो खाते में रखी जाएगी।
- 37.2.3 रियायतग्राही, इस अनुच्छेद 37 के तहत अपने दायित्वों के प्रदर्शन के लिए, खंड 37.2.1 या खंड 37.2.2 के तहत निर्धारित राशि के बराबर राशि के लिए और उसमें निर्दिष्ट अवधि के लिए, अनुसूची ई ("परफॉर्मंस गारंटी") में निर्धारित रूप में, एक बैंक से गारंटी प्रदान कर सकता है, जिसे इस उद्देश्य के लिए, यथासंभव परिवर्तन के साथ संशोधित किया जाएगा, और प्राधिकरण, इसके तहत या कानून में अपने अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अनुच्छेद 37 के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही के जोखिम और लागत पर मरम्मत या सुधार करने के लिए परफॉर्मंस गारंटी से आवश्यक राशियों को एनकैश और विनियोजित करने का हकदार होगा। इस खंड 37.2.3 के तहत परफॉर्मंस गारंटी प्रस्तुत करने पर,

यथास्थिति, खंड 37.2.1 या खंड 37.2.2 के नियमों के अनुसार एस्क्रो खाते में धन का प्रतिधारण समाप्त कर दिया जाएगा।

भाग VI

अन्य प्रावधान

अनुच्छेद 38. कार्यभार और प्रभार

38.1 कार्यभार और प्रभार पर प्रतिबंध

38.1.1 खंड 38.2 और खंड 38.3 के अध्यक्षीन, यह समझौता रियायतग्राही द्वारा किसी भी व्यक्ति को समनुदेशित (assign) नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके और प्राधिकरण की पूर्व लिखित सहमति के बिना नहीं, जिस सहमति को देने से प्राधिकरण बिना कोई कारण बताए मना करने का हकदार होगा।

38.1.2 खंड 38.2 और खंड 25.6 के प्रावधानों के अध्यक्षीन, रियायतग्राही इस समझौते के तहत या किसी भी परियोजना समझौते के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार और लाभों पर न तो कोई भार (Encumbrance) उत्पन्न करेगा और न ही उसे बनाए रखने की अनुमति देगा, और न ही उनका किसी अन्य तरीके से हस्तांतरण या निपटान करेगा, जिसमें रियायतग्राही एक पक्ष है।

38.2 अनुमत असाइनमेंट और प्रभार

खंड 38.1 में निर्धारित प्रतिबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:

- (क) हवाई अड्डे के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में लागू कानूनों द्वारा (या उसका साक्ष्य देने वाले समझौते द्वारा) उत्पन्न होने वाली ग्रहणाधिकार;
- (ख) परियोजना परिसंपत्तियों (प्राप्य को छोड़कर) के अलावा अन्य वस्तुओं और परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधक/गिरवी (और उनके संबंधित स्वामित्वाधिकार के दस्तावेज, जो हवाई अड्डे के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में उत्पन्न या बनाए गए हैं, और वित्तपोषण समझौतों के तहत वरिष्ठ ऋणदाताओं के प्रति ऋण के लिए और/या हवाई अड्डे की कार्यशील पूंजी व्यवस्थाओं के लिए केवल सुरक्षा के रूप में। वरिष्ठ ऋणदाता, इस समझौते के तहत प्राधिकरण के अधिकारों के पूर्वाग्रह के बिना और उसके अध्यक्षीन, एस्करो खाते पर ग्रहणाधिकार बनाने के हकदार होंगे; और
- (ग) वित्तपोषण समझौतों के तहत वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा प्रदान किए गए वित्तपोषण के लिए सुरक्षा के रूप में प्रतिस्थापन समझौते के अनुसार और उसके दायरे में, वरिष्ठ ऋणदाताओं के नामिती के रूप में और उनके लाभ के लिए ऋणदाता प्रतिनिधि को रियायतग्राही के अधिकारों, हितों और दायित्वों का असाइनमेंट ।

38.3 प्रतिस्थापन समझौता

38.3.1 ऋणदाता प्रतिनिधि, वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से, रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने के समझौते ("प्रतिस्थापन समझौता") के अनुसार रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिस्थापन समझौता ऐसे समय में किया जाना है जैसा कि रियायतग्राही द्वारा अनुरोध किया जा सकता है, और यह वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से रियायतग्राही, प्राधिकरण और ऋणदाता प्रतिनिधि के बीच, अनुसूची पी में निर्धारित फॉर्म के काफी हद तक रूप में दर्ज किया जाएगा। बशर्ते हालांकि यदि वरिष्ठ ऋणदाता, ऋणदाता प्रतिनिधि के माध्यम से कार्य करते हुए, प्रतिस्थापन समझौते की शर्तों के अनुसार किसी भी नामित कंपनी के साथ रियायतग्राही की पहचान करने या उसे प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं हैं, तो प्राधिकरण को रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने का अधिकार होगा, इस प्रकार कि प्राधिकरण प्रतिस्थापन समझौते के प्रयोजनों के लिए एक नामित कंपनी है, और नामित कंपनी के किसी भी संदर्भ का अर्थ प्राधिकरण होगा और प्रतिस्थापन समझौते के अन्य सभी नियम और शर्तें तदनुसार समझी जाएंगी।

38.3.2 प्रतिस्थापन समझौते के तहत और उसके अनुसार रियायतग्राही के प्रतिस्थापन पर, रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने वाली नामित कंपनी को इस समझौते के तहत रियायतग्राही माना जाएगा और वह इस समझौते के तहत रियायतग्राही के सभी अधिकारों का आनंद लेगी और सभी दायित्वों के लिए जिम्मेदार होगी मानो वह रियायतग्राही हो, बशर्ते कि जहां इस तरह के प्रतिस्थापन की तारीख को रियायतग्राही इस समझौते के उल्लंघन में है, प्राधिकरण नोटिस द्वारा रियायतग्राही को ऐसे उल्लंघन को सुधारने के लिए 120 (एक सौ बीस) दिनों की सुधार अवधि प्रदान करेगा।

38.4 प्राधिकरण द्वारा असाइनमेंट

इस समझौते में इसके विपरीत किसी भी बात के होने के बावजूद, प्राधिकरण, रियायतग्राही को 60 (साठ) दिनों का नोटिस देने के बाद, इस समझौते के तहत अपने किसी भी अधिकार और लाभ और/या दायित्वों को ऐसे समनुदेशिती (assignee) को समनुदेशित और/या हस्तांतरित कर सकता है जो प्राधिकरण की उचित राय में, इस समझौते के तहत प्राधिकरण के सभी तत्कालीन बकाया दायित्वों को पूरा करने में सक्षम है।

38.5 प्रवेशाधिकार

38.5.1 किसी आपात स्थिति की स्थिति में (जैसा कि प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप में, अपने विवेक से संचार किया गया है), प्राधिकरण के पास रियायतग्राही के स्थान पर या तो स्वयं या किसी नामित सरकारी उपकरण के माध्यम से अस्थायी रूप से हवाई अड्डे का नियंत्रण संभालने का अधिकार है। उस अवधि के दौरान जिसमें हवाई अड्डे पर नियंत्रण प्राधिकरण या नामित सरकारी उपकरण द्वारा संभाला जाता है, प्राधिकरण को उस सीमित अवधि के लिए इस समझौते के तहत रियायतग्राही के दायित्वों का निर्वहन करने के उद्देश्य से रियायतग्राही माना जाएगा। उस अवधि के दौरान रियायतग्राही के कर्तव्य और दायित्व निलंबित रहेंगे और प्राधिकरण या उसका नामित सरकारी उपकरण इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे का संचालन और रखरखाव करेगा। बशर्ते हालांकि, उपर्युक्त आपात स्थिति की समाप्ति के 7 (सात) दिनों के भीतर और उसके किसी भी प्रभाव, या आपात स्थिति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित लंबी समयावधि के भीतर, प्राधिकरण या उसका नामित सरकारी उपकरण, जैसा भी मामला हो, हवाई अड्डे (जैसा कि उस तारीख को खड़ा है) को रियायतग्राही को वापस सौंप देगा, ताकि वह यहां निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार इसका संचालन और प्रबंधन कर सके।

38.5.2 ऐसी अवधि के दौरान प्राधिकरण या उसके नामित सरकारी उपकरण द्वारा लगाए गए और एकत्र किए गए विमानन सेवाओं (Aeronautical Services) या गैर-विमानन सेवाओं (Non-Aeronautical Services) के प्रावधान के संबंध में कोई भी शुल्क, उसके द्वारा रियायतग्राही के लिए और उसकी ओर से रखा जाएगा और रियायतग्राही को दिया जाएगा, जो नीचे दिए गए खंड 38.5.3 के अध्याधीन होगा।

38.5.3 रियायतग्राही, स्टेप-इन की अवधि के दौरान, हवाई अड्डे के संचालन और रखरखाव से संबंधित किसी भी और सभी लागतों और खर्चों के लिए प्राधिकरण या उसके नामित सरकारी उपकरण, जैसा भी मामला हो, की प्रतिपूर्ति करेगा और उन्हें क्षतिपूर्ति देगा, जिसे उपरोक्त खंड 38.5.2 के तहत प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को देय राशियों से प्राधिकरण या उसके नामित सरकारी उपकरण द्वारा सेट ऑफ किया जा सकता है।

38.5.4 यदि स्टेप-इन की अवधि 3 (तीन) महीने से अधिक हो जाती है, तो इसे खंड 32.4 के तहत अप्रत्याशित घटना की एक राजनीतिक घटना माना जाएगा और तदनुसार इससे निपटा जाएगा।

अनुच्छेद 39. नियामक दर्शन में परिवर्तन

39.1 यह स्पष्ट किया जाता है, कि इस समझौते में निहित इसके विपरीत किसी भी बात के होने के बावजूद, सीओडी से 7 (सात) वर्ष बीत जाने के बाद नियामक दर्शन में परिवर्तन होने पर, पक्षकार संयुक्त रूप से यह निर्धारित करने के लिए एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष की नियुक्ति करेंगे कि क्या इस तरह के परिवर्तन से रियायतग्राही पर एक महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिससे उसके कारण होने वाला भौतिक वित्तीय बोझ या नुकसान तुरंत पूर्ववर्ती लेखा वर्ष के अनुसार रियायतग्राही के पूर्व-कर सकल राजस्व का 5,00,00,000/- रुपये (रुपये पांच करोड़) और 0.5% (शून्य दशमलव पांच प्रतिशत) में से जो भी अधिक हो, होगा।

39.2 यदि ऐसा तीसरा पक्ष यह निर्धारित करता है कि परिवर्तन से उपर्युक्त अनुसार रियायतग्राही पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो पक्षकार इस समझौते में संशोधन पर चर्चा करने और सहमत होने के लिए मिलेंगे ताकि रियायतग्राही को उसी वित्तीय स्थिति में रखा जा सके जिसका वह आनंद लेता यदि ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ होता। इस स्थिति में कि पक्षकारों की बैठक के 30 (तीस) दिनों के भीतर ऐसा कोई समझौता नहीं होता है, रियायतग्राही, अपने विवेक से, 30 (तीस) दिनों का नोटिस देकर इस समझौते को समाप्त करने के लिए अनुमति प्राप्त होगा।

39.3 ऐसी समाप्ति पर, प्राधिकरण रियायतग्राही को समाप्ति भुगतान के 70% (सत्तर प्रतिशत) के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

अनुच्छेद 40. दायित्व और क्षतिपूर्ति

40.1 सामान्य क्षतिपूर्ति

40.1.1 रियायतग्राही प्राधिकरण और उसके अधिकारियों, सेवकों, एजेंटों, सरकारी उपकरणों, नामित भारत सरकार की एजेंसियों और प्राधिकरण के स्वामित्व वाली और/या नियंत्रित संस्थाओं/उद्यमों ("सरकारी क्षतिपूर्ति प्राप्त व्यक्ति") को किसी भी और सभी मुकदमों, कार्यवाही, कार्यों, मांगों और दावों से किसी भी प्रकार और प्रकृति के किसी भी नुकसान, क्षति, लागत और खर्च के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा, उनका बचाव करेगा, उन्हें सुरक्षित रखेगा और उन्हें हानिरहित रखेगा, चाहे वह इस समझौते के तहत या किसी भी संबंधित समझौते के तहत अपने किसी भी दायित्व के रियायतग्राही द्वारा किसी भी उल्लंघन से उत्पन्न हो रहा हो या रियायतग्राही द्वारा दायित्वों के प्रदर्शन में किसी भी दोष या कमी के कारण या अनुबंध या अपकृत्य के तहत रियायतग्राही की किसी भी लापरवाही से, या धोखाधड़ी या लापरवाही के आधार पर, या किसी अन्य आधार पर हो, सिवाय उस सीमा के जहां ऐसे कोई भी मुकदमे, कार्यवाही, कार्य, मांग और दावे सरकारी क्षतिपूर्ति प्राप्त व्यक्तियों की ओर से किसी भी जानबूझकर लापरवाह कृत्यों या चूक, या उल्लंघन या इस समझौते के व्यतिक्रम के कारण उत्पन्न हुए हों।

40.1.2 खंड 10.3.6 के अध्यक्षीन, प्राधिकरण रियायतग्राही को किसी भी और सभी मुकदमों, कार्यवाही, कार्यों, मांगों और दावों से किसी भी प्रकार और प्रकृति के किसी भी नुकसान, क्षति, लागत और खर्च के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा, उनका बचाव करेगा, उन्हें सुरक्षित रखेगा और हानिरहित रखेगा जो (क) साइट में शामिल भूमि में प्राधिकरण के अधिकारों और/या शीर्षक में दोष, और/या (ख) इस समझौते के तहत या किसी भी संबंधित समझौते के तहत प्राधिकरण के किसी भी दायित्व के उल्लंघन से उत्पन्न होते हैं, जो इस समझौते के तहत रियायतग्राही द्वारा अपने दायित्वों के प्रदर्शन को भौतिक रूप से और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं, सिवाय इसके कि जहां ऐसा कोई भी दावा, मुकदमा, कार्यवाही, कार्य, और/या मांग रियायतग्राही, उसकी सहायक कंपनियों, सहयोगियों, ठेकेदारों, सेवकों या एजेंटों की ओर से किसी भी लापरवाह कृत्य या चूक, या इस समझौते के किसी भी प्रावधान के तहत अपने किसी भी दायित्व के उल्लंघन और/या वैधानिक कर्तव्य के उल्लंघन के कारण उत्पन्न हुई है, वह रियायतग्राही का दायित्व होगी।

40.2 रियायतग्राही द्वारा क्षतिपूर्ति

40.2.1 अनुच्छेद 37 की व्यापकता को सीमित किए बिना, रियायतग्राही प्राधिकरण और सरकारी क्षतिपूर्ति प्राप्त व्यक्तियों को निम्नलिखित से उत्पन्न होने वाले या उसके संबंध में किसी भी और सभी नुकसान और/या क्षति से पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करेगा, हानिरहित रखेगा और उनका बचाव करेगा:

- (क) लागू कानूनों और लागू परमिटों का पालन करने में रियायतग्राही की विफलता;
- (ख) रियायतग्राही के ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और प्रतिनिधियों की आय या अन्य करों के संबंध में रियायतग्राही द्वारा किए जाने वाले करों का भुगतान; या
- (ग) रियायतग्राही या उसके किसी भी ठेकेदार को प्रदान की गई सामग्री या सेवाओं के परिणामस्वरूप देय राशियों का भुगतान न करना जो रियायतग्राही या उसके किसी भी ठेकेदार द्वारा देय हैं।

40.2.2 इस अनुच्छेद 40 के प्रावधानों की व्यापकता को सीमित किए बिना, रियायतग्राही सरकारी क्षतिपूर्ति प्राप्त व्यक्तियों को किसी भी और सभी मुकदमों, कार्यवाही, कार्यों, दावों, मांगों, देयताओं और क्षतियों से पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करेगा, हानिरहित रखेगा और उनका बचाव करेगा जो सरकारी क्षतिपूर्ति प्राप्त व्यक्ति किसी भी सामग्री, सूचना, डिजाइन या प्रक्रिया के संबंध में किसी भी घरेलू या विदेशी पेटेंट अधिकारों, कॉपीराइट या अन्य बौद्धिक संपदा, मालिकाना या गोपनीयता अधिकारों के उल्लंघन के दावों से उत्पन्न होने वाली किसी भी मांग, दावे, मुकदमे या कार्यवाही के कारण इसके बाद भुगतान सकते हैं या भुगतान कर सकते हैं, जिनका उपयोग रियायतग्राही द्वारा या ठेकेदारों द्वारा रियायतग्राही के दायित्वों को पूरा करने में किया जाता है या परियोजना में किसी भी तरह से शामिल

या संबंधित है। यदि ऐसे किसी भी मुकदमे, कार्रवाई, दावे या कार्यवाही में, कोई अस्थायी संयम आदेश या प्रारंभिक निषेधाज्ञा दी जाती है, तो रियायतग्राही एक संतोषजनक बांड या अन्यथा देकर, उपर्युक्त के निरसन या निलंबन को सुरक्षित करने के लिए हर संभव उचित प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 41. विवाद समाधान

41.1 विवाद समाधान

41.1.1 इस समझौते के तहत या इसके बाहर या इससे संबंधित (इसकी व्याख्या सहित) पक्षकारों के बीच उत्पन्न होने वाला किसी भी प्रकृति का कोई भी विवाद, मतभेद या विवाद, और जिसे किसी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को लिखित रूप में सूचित किया गया हो ("विवाद"), पहले उदाहरण में, खंड 41.2 में निर्धारित सुलह प्रक्रिया के अनुसार सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास किया जाएगा।

41.1.2 पक्षकार इस समझौते के तहत या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को तुरंत, समान रूप से और अच्छे विश्वास में हल करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करने के लिए सहमत हैं, और इसके अलावा सामान्य व्यावसायिक घंटों के दौरान एक-दूसरे को किसी भी विवाद से संबंधित सभी गैर-विशेषाधिकार प्राप्त रिकॉर्ड, सूचना और डेटा तक उचित पहुंच प्रदान करने के लिए सहमत हैं।

41.2 समाधान

पक्षकारों के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में, कोई भी पक्ष विकास अवधि के दौरान स्वतंत्र इंजीनियर (Independent Engineer) और रियायत अवधि के दौरान एक उद्योग विशेषज्ञ (industry expert) को मध्यस्थता करने और उसके सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचने में पक्षकारों की सहायता करने के लिए बुला सकता है। स्वतंत्र इंजीनियर या उद्योग विशेषज्ञ, जैसा भी मामला हो, द्वारा मध्यस्थता में विफलता पर, या स्वतंत्र इंजीनियर या ऐसे उद्योग विशेषज्ञ के हस्तक्षेप के बिना, कोई भी पक्ष सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक और रियायतग्राही के निदेशक मंडल के अध्यक्ष को ऐसे विवाद को संदर्भित करने की आवश्यकता कर सकता है, और ऐसे संदर्भ पर, उक्त व्यक्ति विवाद पर चर्चा करने और सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करने के संदर्भ की तारीख से 7 (सात) दिनों से बाद में नहीं मिलेंगे। यदि ऐसी बैठक 7 (सात) दिनों की अवधि के भीतर नहीं होती है या खंड 41.1.1 में संदर्भित लिखित नोटिस के 30 (तीस) दिनों के भीतर लिखित समझौता शर्तों पर हस्ताक्षर करने से स्पष्ट रूप से विवाद सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं होता है या विवाद हल नहीं होता है या ऐसी लंबी अवधि जिसके लिए पक्षकारों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की जा सकती है, कोई भी पक्ष खंड 41.3 के प्रावधानों के अनुसार विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित कर सकता है।

41.3 मध्यस्थता

41.3.1 नियामक ढांचे के प्रावधानों के अनुसार विवादों का न्याय adjudication करने के लिए नियामक की शक्ति और अधिकार के संबंध में विनियामक फ्रेमवर्क के प्रावधानों के अधीन, कोई अन्य विवाद जिसे खंड 41.2 में प्रदान किए गए अनुसार सुलह द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं किया जाता है, खंड 41.3.2 के अनुसार एक मध्यस्थता के संदर्भ द्वारा अंतिम रूप से तय किया जाएगा। ऐसी मध्यस्थता नियमों के अनुसार आयोजित की जाएगी, और यह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (समय-समय पर संशोधित) के प्रावधानों के अधीन होगी। ऐसी मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा और मध्यस्थता की कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी होगी।

41.3.2 एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण होगा जिसमें 3 (तीन) मध्यस्थ होंगे, जिनमें से प्रत्येक पक्ष 1 (एक) का चयन करेगा, और तीसरा मध्यस्थ इस प्रकार चुने गए 2 (दो) मध्यस्थों द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और दो मध्यस्थों के बीच असहमति की स्थिति में, नियुक्ति नियमों के अनुसार की जाएगी।

41.3.3 मध्यस्थ न्यायाधिकरण एक तर्कसंगत पुरस्कार ("पुरस्कार") देगा। इस अनुच्छेद 41 के तहत आयोजित किसी भी मध्यस्थता में किया गया कोई भी पुरस्कार उस तारीख से पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा जब यह किया

जाता है, और रियायतग्राही और प्राधिकरण बिना किसी देरी के ऐसे पुरस्कार को पूरा करने के लिए सहमत और वचनबद्ध हैं।

41.3.4 रियायतग्राही और प्राधिकरण सहमत हैं कि एक पुरस्कार रियायतग्राही और/या प्राधिकरण के खिलाफ, जैसा भी मामला हो, और उनकी संबंधित परिसंपत्तियों के खिलाफ जहां कहीं भी स्थित हैं, लागू किया जा सकता है।

41.3.5 यह समझौता और पक्षकारों के अधिकार और दायित्व यहां किसी भी मध्यस्थता कार्यवाही में पुरस्कार के लंबित रहने पर, पूर्ण बल और प्रभाव में बने रहेंगे।

41.4 अधिकरण द्वारा न्यायनिर्णयन

इस अनुच्छेद 41 में कहीं और इसके विपरीत निहित किसी भी बात के बावजूद, रियायतग्राही और प्राधिकरण के बीच विशिष्ट रूप से विवादों का न्यायनिर्णयन करने की शक्तियों के साथ एक वैधानिक न्यायाधिकरण (statutory tribunal) या अन्य मंच के गठन की स्थिति में या सार्वजनिक निजी भागीदारी फ्रेमवर्क या अन्यथा से उत्पन्न होने वाले विवादों से निपटने के लिए, ऐसे गठन के बाद उत्पन्न होने वाले सभी विवाद, खंड 41.3 के तहत मध्यस्थता के संदर्भ के बजाय, लागू कानूनों के अनुसार ऐसे ट्रिब्यूनल या अन्य मंच द्वारा न्यायनिर्णयन किए जाएंगे और विवाद समाधान प्रक्रिया के सभी संदर्भों को तदनुसार समझा जाएगा।

अनुच्छेद 42. खुलासा

42.1 खुलासा

रियायतग्राही रियायतग्राही के पंजीकृत कार्यालय में और हवाई अड्डे पर सभी कार्यदिवसों में सामान्य व्यावसायिक घंटों के दौरान, बिना किसी शुल्क के, इस समझौते की प्रतियां और सुरक्षा आवश्यकताएं किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराएगा। रियायतग्राही टर्मिनल बिल्डिंग में प्रमुखता से सार्वजनिक नोटिस प्रदर्शित करेगा जिसमें इस तरह के निरीक्षण के लिए इस समझौते की उपलब्धता बताई जाएगी, और 'लाभ नहीं हानि नहीं' के आधार पर प्रतिलिपि शुल्क के भुगतान पर किसी भी व्यक्ति को इसकी प्रतियां प्रदान करेगा।

42.2 सुरक्षा से संबंधित दस्तावेजों का खुलासा

रियायतग्राही रियायतग्राही के पंजीकृत कार्यालय में और हवाई अड्डे पर, सभी कार्यदिवसों में सामान्य व्यावसायिक घंटों के दौरान, बिना किसी शुल्क के, हवाई अड्डे की सुरक्षा से संबंधित सभी दस्तावेजों और डेटा की प्रतियां किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराएगा। रियायतग्राही 'लाभ नहीं हानि नहीं' के आधार पर प्रतिलिपि शुल्क के भुगतान पर किसी भी व्यक्ति को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराएगा।

42.3 संरक्षित दस्तावेजों के खुलासे को रोकना (

अनुच्छेद 39 और खंड 42.2 के प्रावधानों के बावजूद, प्राधिकरण रियायतग्राही को समय-समय पर, उपर्युक्त खंडों के अनुसरण में किसी भी व्यक्ति को संरक्षित दस्तावेजों (Protected Documents) के खुलासे को रोकने का निर्देश देने का हकदार होगा, और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत खुलासा करने और रोकने की आवश्यकता नहीं है।

अनुच्छेद 43. जन शिकायतों का निवारण

43.1 शिकायत रजिस्टर

43.1.1 रियायतग्राही हवाई अड्डे पर एक जनसंपर्क कार्यालय बनाए रखेगा जहां वह किसी भी व्यक्ति ("शिकायतकर्ता") द्वारा शिकायतों को दर्ज करने के लिए हर समय सार्वजनिक पहुंच के लिए खुला एक रजिस्टर ("शिकायत रजिस्टर") रखेगा। शिकायत रजिस्टर की उपलब्धता और पहुंच से संबंधित जानकारी रियायतग्राही द्वारा टर्मिनल बिल्डिंग में प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी ताकि यह सभी उपयोगकर्ताओं के ध्यान में आ सके।

43.1.2 शिकायत रजिस्टर सुरक्षित रूप से बंधा होगा और इसका प्रत्येक पृष्ठ विधिवत क्रमांकित होगा। इसमें शिकायत संख्या, दिनांक, शिकायतकर्ता का नाम और पता, शिकायत का सार और रियायतग्राही द्वारा की गई कार्रवाई सहित उचित कॉलम होंगे। जैसे ही कोई शिकायत दर्ज की जाती है, रियायतग्राही शिकायतकर्ता को तारीख और शिकायत संख्या बताते हुए एक रसीद देगा।

43.1.3 खंड 43.1.1 और खंड 43.1.2 के प्रावधानों के पूर्वाग्रह के बिना, प्राधिकरण, रियायतग्राही के परामर्श से, इलेक्ट्रॉनिक रूप में शिकायत करने और उसके लिए प्रतिक्रियाओं के लिए प्रक्रिया निर्दिष्ट कर सकता है।

43.2 शिकायतों का निवारण

43.2.1 रियायतग्राही हर दिन शिकायत रजिस्टर का निरीक्षण करेगा और प्रत्येक शिकायत के निवारण के लिए तुरंत और उचित कार्रवाई करेगा। की गई कार्रवाई को शिकायत रजिस्टर में संक्षेप में नोट किया जाएगा और इसके विवरण बताने वाला एक उत्तर रियायतग्राही द्वारा पोस्टिंग के प्रमाण के तहत शिकायतकर्ता को भेजा जाएगा।

43.2.2 प्रत्येक महीने की समाप्ति के 7 (सात) दिनों के भीतर, रियायतग्राही प्राधिकरण को शिकायत रजिस्टर के उन सभी पृष्ठों की एक सच्ची फोटोकॉपी भेजेगा जिन पर ऐसे महीने के दौरान कोई प्रविष्टि दर्ज की गई है, और इसके अवलोकन पर, प्राधिकरण, अपने विवेक से, रियायतग्राही को ऐसी और कार्रवाई करने की सलाह दे सकता है जिसे प्राधिकरण किसी भी शिकायत के निष्पक्ष और न्यायसंगत निवारण के लिए उचित समझे। रियायतग्राही ऐसी सलाह पर विचार करेगा और उस पर अपने निर्णय से प्राधिकरण को अवगत कराएगा, और यदि प्राधिकरण की यह राय है कि शिकायतकर्ता आगे की राहत का हकदार है, तो वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत इसके निपटान के लिए मामले को सक्षम मंच को संदर्भित कर सकता है, और शिकायतकर्ता को अपने जोखिम और लागत पर शिकायत का पीछा करने की सलाह दे सकता है।

अनुच्छेद 44. विविध

44.1 शासक कानून और क्षेत्राधिकार

यह समझौता भारत के कानूनों के अनुसार समझा और interpreted किया जाएगा और उनके द्वारा शासित होगा, और नई दिल्ली में अदालतें इस समझौते से उत्पन्न होने वाले या इससे संबंधित मामलों पर अनन्य क्षेत्राधिकार रखेंगी।

44.2 उन्मुक्ति का अधित्यजन

प्रत्येक पक्ष बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से:

1. सहमत है कि इसके द्वारा इस समझौते का निष्पादन, वितरण और प्रदर्शन वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किए गए और निष्पादित वाणिज्यिक कार्य हैं;
2. सहमत है कि, इस समझौते या इस समझौते द्वारा परिकल्पित किसी भी लेनदेन के संबंध में किसी भी क्षेत्राधिकार में इसके या इसकी संपत्ति, संपत्ति या राजस्व के खिलाफ कोई भी कार्यवाही लाई जानी चाहिए, ऐसी कार्यवाही से कोई भी उन्मुक्ति (संप्रभुता या अन्यथा के कारण) पार्टी द्वारा या उसकी संपत्ति के संबंध में दावा नहीं की जाएगी;
3. उन्मुक्ति के किसी भी अधिकार को छोड़ता है जो इसके पास या इसकी संपत्ति, संपत्ति या राजस्व के पास अब है, भविष्य में प्राप्त हो सकता है या जिसे किसी भी क्षेत्राधिकार
4. ऐसी किसी भी कार्यवाही में इसके खिलाफ किसी भी निर्णय या पुरस्कार के प्रवर्तन के संबंध में किसी भी क्षेत्राधिकार में किसी भी राहत के देने या किसी भी प्रक्रिया के जारी करने के संबंध में सामान्य रूप से सहमति देता है, ऐसी कार्यवाही के संबंध में (इसके खिलाफ या किसी भी संपत्ति, संपत्ति या राजस्व के संबंध में बनाने, प्रवर्तन या निष्पादन सहित, उनके उपयोग या किसी भी आदेश या निर्णय के इच्छित उपयोग की परवाह किए बिना जो इसके संबंध में बनाया या दिया जा सकता है)।

44.3 मूल्यहास

लागू कानूनों के तहत मूल्यहास के प्रयोजनों के लिए, परियोजना परिसंपत्तियों में रियायतग्राही द्वारा किए गए पूंजीगत निवेश का प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्ति को रियायतग्राही द्वारा अधिग्रहित और स्वामित्व माना जाएगा। प्राधिकरण लागू कानूनों के तहत रियायतग्राही द्वारा किए जाने वाले मूल्यहास के किसी भी दावे के संबंध में किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।

44.4 विलंबित भुगतान

44.4.1 इसके पक्षकार सहमत हैं कि इस समझौते के प्रावधानों के तहत एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को देय भुगतान उसमें निर्धारित अवधि के भीतर किए जाएंगे, और यदि ऐसी कोई अवधि निर्दिष्ट नहीं है, तो आवश्यक विवरणों के साथ मांग प्राप्त करने के 30 (तीस) दिनों के भीतर। इस समझौते में अन्यथा विशेष रूप से प्रदान किए जाने को छोड़कर, ऐसी अवधि से परे देरी की स्थिति में, व्यतिक्रम करने वाली पार्टी बैंक दर से 2% (दो प्रतिशत) अधिक की दर से गणना की गई देरी की अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करेगी, और इसकी वसूली इस समझौते के तहत पक्षकारों के अधिकारों के पूर्वाग्रह के बिना होगी जिसमें इसकी समाप्ति भी शामिल है।

44.4.2 जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, इस समझौते के तहत देय कोई भी ब्याज दैनिक बकाया आधार पर अर्जित होगा और त्रैमासिक विश्राम के आधार पर संयोजित किया जाएगा।

44.4.3 खंड 27.6, 34.1 या 35.3 के अनुसार समाप्ति के कारण प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को देय सभी भुगतान, स्थानांतरण तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों से बाद में नहीं किए जाएंगे।

44.5 छूट

44.5.1 किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की इस समझौते के किसी प्रावधान या दायित्व के पालन और निष्पादन में किसी भी चूक पर छूट (आंशिक या सशर्त छूट सहित):

ए. इसे किसी अन्य या बाद की चूक के लिए या इस समझौते के अन्य प्रावधानों या दायित्वों के लिए छूट के रूप में संचालित या समझा नहीं जाएगा।

बी. यह तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि यह लिखित रूप में न हो और पक्ष के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित न की गई हो। और

सी. यह किसी भी तरह से इस समझौते की वैधता या प्रवर्तनीयता को प्रभावित नहीं करेगी।

44.5.2 न तो किसी पक्ष द्वारा इस समझौते के नियमों, शर्तों और प्रावधानों या उसके तहत किसी भी दायित्व के निष्पादन पर किसी भी अवसर पर जोर देने में विफलता और न ही किसी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया गया समय या अन्य रियायत, ऐसे उल्लंघन की छूट या किसी भी बदलाव की स्वीकृति या इसके तहत ऐसे किसी भी अधिकार को छोड़ना माना जाएगा।

44.6 दस्तावेजों और ड्राइंग की समीक्षा के लिए दायित्व

इस समझौते में स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए सीमा को छोड़कर:

- (क) रियायतग्राही द्वारा प्रस्तुत किसी भी परियोजना समझौते, दस्तावेज या ड्राइंग की प्राधिकरण द्वारा कोई भी समीक्षा, टिप्पणी या अनुमोदन और न ही हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन या विकास का कोई निरीक्षण या समीक्षा करने, अनुमोदन देने, टिप्पणी करने, निरीक्षण करने में विफलता, रियायतग्राही को इस समझौते, लागू कानूनों और लागू परमिटों के तहत उसके दायित्वों, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों से मुक्त या बरी नहीं करेगी; और
- (ख) प्राधिकरण उपर्युक्त उप-खंड (क) में संदर्भित किसी भी समीक्षा, टिप्पणी, अनुमोदन, अवलोकन या निरीक्षण के कारण रियायतग्राही के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

44.7 निहित वारंटी आदि का बहिष्करण

यह समझौता कानून द्वारा या प्रथा द्वारा निहित या किसी अन्य समझौते से उत्पन्न होने वाली किसी भी वारंटी, शर्त या अन्य उपक्रम को स्पष्ट रूप से बाहर करता है।

44.8 उत्तरजीविता

44.8.1 समाप्ति

- (क) रियायतग्राही या प्राधिकरण को, जैसा भी मामला हो, किसी भी ऐसे दायित्व से मुक्त नहीं करेगी जो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से इसकी समाप्ति से बचा रहता है, और

(ख) इस समझौते के किसी भी प्रावधान में अन्यथा प्रदान किए जाने को छोड़कर, जो किसी भी पक्ष के दायित्व को स्पष्ट रूप से सीमित करता है, किसी भी पक्ष को ऐसे पक्ष के कृत्यों या चूकों से उत्पन्न होने वाली या उनके कारण होने वाली हानि या क्षति के लिए किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं करेगा।

44.8.2 समाप्ति से बचने वाले सभी दायित्व ऐसी समाप्ति की तारीख से केवल 3 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए जीवित रहेंगे।

44.9 संपूर्ण समझौता

यह समझौता और अनुसूचियां मिलकर इस विषय पर पक्षों के बीच समझौते की शर्तों का एक पूर्ण और अनन्य विवरण बनाते हैं, और इसमें कोई भी संशोधन या फेरबदल तब तक वैध और प्रभावी नहीं होगा जब तक कि ऐसे संशोधन पर पक्षों द्वारा लिखित रूप में सहमति व्यक्त न की जाए। इस समझौते से संबंधित हर प्रकार की सभी पूर्व लिखित या मौखिक समझ, प्रस्ताव या अन्य संचार को रद्द और वापस ले लिया जाता है।

44.10 विभाज्यता

किसी भी सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय या किसी अन्य साधन द्वारा अमान्य घोषित किया गया, अवैध या अप्रवर्तनीय हो। ऐसे अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय प्रावधानों के लिए यथासंभव ऐसे अमान्य अवैध या अप्रवर्तनीय प्रावधान के लिए प्रतिस्थापित किए जा सकने वाले एक या अधिक प्रावधानों पर सहमति के लिए पेरिस सद्भावनापूर्वक बातचीत करेगा। इस समझौते के तहत निर्धारित विवाद समाधान प्रक्रिया पर या अन्यथा ऐसे किसी भी प्रावधान पर सहमति बनाने में विफलता के अधीन नहीं होगा।

44.11 कोई साझेदारी नहीं

इस समझौते की व्याख्या या व्याख्या किसी भी पार्टी पर साझेदारी दायित्व या क्षमता लगाने के लिए पार्टियों के बीच एक संघ, संयुक्त उद्यम या साझेदारी बनाने के लिए नहीं की जाएगी, और किसी भी पार्टी को किसी भी समझौते में प्रवेश करने या करने के लिए कोई अधिकार, शक्ति या अधिकार नहीं होगा। 10cherie बिंग, दूसरे पक्ष के एजेंट या प्रतिनिधि के रूप में।

44.12 तीसरा पक्ष

यह समझौता केवल पार्टियों, उनके संबंधित उत्तराधिकारियों और अनुमत असाइंसों के लाभ के लिए है, और इस समझौते में किसी भी बात को इस समझौते के किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार की क्षमता, संदर्भ के संदर्भ में, या किसी भी प्रकार की क्षमता के लिए किसी भी प्रकार की क्षमता बनाने के लिए नहीं माना जाएगा।

44.13 उत्तराधिकारी और समनुदेशिती

यह समझौता पक्षों और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों पर बाध्यकारी होगा।

44.14 सूचनाएं

इस समझौते के तहत किसी भी पक्ष द्वारा दी जाने वाली कोई भी सूचना लिखित रूप में होगी।

(क) रियायतग्राही के मामले में, नोटिस फैक्स या ई-मेल द्वारा तथा नीचे दिए गए पते पर हाथों-हाथ पत्र के माध्यम से, नीचे उल्लिखित व्यक्ति के ध्यानार्थ भेजा जाएगा अथवा ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, जिसे

रियायतग्राही समय-समय पर प्राधिकरण को नोटिस देकर नामित कर सकता है। बशर्ते कि नीचे उप-खंड (बी) में निर्दिष्ट शहर के बाहर के पते पर दिए जाने वाले नोटिस या अन्य संचार को, यदि बाद में उसकी एक प्रति पंजीकृत पावती सहित डाक, हवाई डाक या कूरियर द्वारा भेजकर पुष्टि की जाती है, तो फैक्स या ई-मेल द्वारा उस नंबर/ई-मेल पते पर भेजा जा सकता है, जिसे रियायतग्राही समय-समय पर प्राधिकरण को नोटिस देकर नामित कर सकता है।

ध्यानार्थ: मुख्य हवाई अड्डा कार्यालय

पदनाम: सीएओ

पता: अदाणी निगमित हाउस, शांतिग्राम, नियर वैष्णो देवी सर्कल, एस. जी. हाईवे, खोदियार, अहमदाबाद - 382421, गुजरात, भारत

ई-मेल: cao.thiruvananthapuram@adani...

(ख) प्राधिकरण के मामले में, नोटिस फैक्स या ई-मेल द्वारा तथा नीचे दिए गए पते पर हाथों-हाथ पत्र के माध्यम से, नीचे उल्लिखित व्यक्ति को संबोधित करते हुए दिया जाएगा और उसकी एक प्रति प्राधिकरण को या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को दी जाएगी, जिसे प्राधिकरण समय-समय पर रियायतग्राही को नोटिस देकर नामित कर सकता है। बशर्ते कि यदि रियायतग्राही का कार्यालय प्राधिकरण के कार्यालय वाले उसी शहर में नहीं है, तो वह ऐसा नोटिस फैक्स या ई-मेल द्वारा तथा पंजीकृत पावती सहित डाक, हवाई डाक या कूरियर द्वारा भेज सकता है।

ध्यानार्थ: अध्यक्ष

पता: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली - 110003

फैक्स नं.: +91-11-24641088

(ग) इस प्रकार दिए गए किसी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को भेजे गए किसी भी नोटिस या संचार को सामान्य डाक-प्रेषण की स्थिति में उस समय वितरित हुआ माना जाएगा, जब सामान्य डाक प्रक्रिया के अनुसार उसके वितरित हो जाने की अपेक्षा की जाती है। अन्य सभी मामलों में, उसे वास्तविक रूप से वितरित किए जाने की तारीख और समय पर वितरित हुआ माना जाएगा। बशर्ते कि फैक्स या ई-मेल के मामले में, उसे उसके भेजे जाने की तारीख के बाद आने वाले कार्य दिवस को वितरित हुआ माना जाएगा।

44.15 कानून में परिवर्तन

कानून में कोई भी परिवर्तन रियायतग्राही के पक्ष में इस समझौते की किसी भी शर्त या अधिकारों में किसी भी फेरबदल या संशोधन का आधार नहीं होगा।

44.16 भाषा

एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी जाने वाली सभी सूचनाएं, दस्तावेजीकरण संबंधित और कार्यवाही लिखित रूप में और अंग्रेजी भाषा में होगी।

44.17 स्टाम्प शुल्क

इस समझौते के निष्पादन पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क रियायतग्राही द्वारा देय होगा।

44.18 काउंटरपार्ट्स

यह करार दो प्रतिरूपों में निष्पादित किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक, निष्पादित और सुपुर्द किए जाने पर, इस करार की एक मूल प्रति माना जाएगा।

जिसके साक्ष्यस्वरूप, पक्षकारों ने, ऊपर उल्लिखित अनुसार, अपने अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से, इस करार पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को हस्ताक्षर किए हैं:

की ओर से और उनके लिए हस्ताक्षरित की ओर से और उनके लिए हस्ताक्षरित

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

अदानी तिरुवानात्पुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा

विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा

विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा

नाम: एन . वी. सुब्बारायडू

नाम: बेहनद जांडी

पदनाम: कार्यपालक निदेशक,

पदनाम कार्यपालक निदेशक,हवाईअड्डे

रणनीतिक पहली इकाई/टैरिफ

गवाह 1

गवाह 2

रामास्वामी श्रीराम

जे अमीन

पदनाम : वरि. प्रबंधक (सीपी एंड एमएस-एसआईयू)

पदनाम : प्रमुख विधि

અનુસૂચિયાં

अनुसूची क

हवाई अड्डे का स्थल

(खंड 10.1 देखें)

1. स्थल

1.1 हवाई अड्डे का स्थल इस अनुसूची क के अनुबंध I में वर्णित है।

1.2 साइट पर या उससे जुड़ी भूमि, भवनों, संरचनाओं, सड़क कार्यों, पेड़ों और किसी अन्य अचल संपत्ति सहित साइट की एक सूची प्राधिकरण और रियायतग्राही द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जाएगी, और ऐसी सूची समझौते के खंड 10.3.1 में संदर्भित ज़ापन का हिस्सा बनेगी।

1.3 साइट के लिए परिप्रेक्ष्य योजना जैसा कि वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया है, इस अनुसूची ए के अनुबंध II में प्रदान की गई है।

1.4 हवाई अड्डे के लिए निर्धारित साइट, विमानन के साथ-साथ गैर-विमानन संपत्तियों के संबंध में सभी भूमि उपयोग को समायोजित करती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि रियायतग्राही, प्राधिकरण की पूर्व लिखित स्वीकृति के साथ, विमानन सेवाओं और/या गैर-विमानन सेवाओं को शुरू करने के उद्देश्य से सिटी साइट डेवलपमेंट के लिए निर्धारित भूमि का उपयोग कर सकता है, और इसके विपरीत, इस शर्त के अधीन कि रियायतग्राही द्वारा सिटी साइट डेवलपमेंट के उद्देश्य से उपयोग किया जाने वाला कुल क्षेत्रफल इसके तहत इसके लिए निर्धारित कुल क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा (जैसा कि इसके अनुबंध III में विशेष रूप से निर्धारित किया गया है)।

2. हवाई अड्डे के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि

2.1 रियायतग्राही इसके द्वारा स्वीकार करता है, पुष्टि करता है और स्वीकार करता है कि साइट का हिस्सा बनने वाली भूमि परियोजना के विकास और कार्यान्वयन को शुरू करने के लिए सभी मापदंडों से अच्छी और पर्याप्त है।

2.2 प्राधिकरण न तो किसी भी दायित्व के तहत है और न ही रियायतग्राही परियोजना के विकास या कार्यान्वयन के किसी भी हिस्से को शुरू करने के लिए रियायत अवधि के दौरान किसी भी समय किसी भी अतिरिक्त भूमि की मांग करने का हकदार होगा। सीओडी के बाद किसी भी विमानन सेवा और/या किसी भी एयरसाइट गतिविधियों को शुरू करने के लिए प्राधिकरण के पक्ष में अधिग्रहित हवाई अड्डे के संबंध में कोई भी भूमि अनिवार्य रूप से प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को उन्हीं नियमों और शर्तों पर पेश की जाएगी जिन पर ऐसी भूमि प्राधिकरण के पक्ष में अधिग्रहित की गई है।

अनुबंध ।

(अनुसूची क)

हवाई अड्डे के लिए साइट

पृष्ठभूमि

मौजूदा हवाई अड्डे का स्थान: त्रिवेन्द्रम रेलवे स्टेशन से बीआरजी 261°/06 KM।

कृपया नीचे दी गई छवि देखें जो साइट के स्थान और साइट के लिए पहुंच सड़क को दर्शाती है।

(चित्र)

हवाई अड्डा कनेक्टिविटी:

हवाई अड्डा सड़क, रेल द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है।

मौसम की स्थिति:

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डा एक सभी मौसम वाला हवाई अड्डा है।

मौजूदा सुविधाएं/हवाई अड्डे की सम्पत्ति

आरडब्ल्यूवाई	टीओआरए(एम)	टीओडी ए(एम)	एसडीए(एम)	एलडी ए(एम)	स्लोप
पदनाम					
14	3374	3374	3374	2967	0.01%
32	3374	3374	3374	3239	

हवाई अड्डे पर वर्तमान में उपलब्ध वायु यातायात सेवाएं, निगरानी और नेविगेशन एड्स सुविधाएं नीचे दी गई हैं:

वायु यातायात सेवाएं	एरिया कंट्रोल सेंटर
	एप्रोच कंट्रोल
	टॉवर कंट्रोल
	सरफेस मूवमेंट कंट्रोल
	एआईएस और ब्रीफिंग
	वीएचएफ एयर टू ग्राउंड कम्युनिकेशन
	एएफटीएन और इंटर एटीसी कम्युनिकेशन
	एटीएस ऑटोमेशन।
निगरानी	प्राइमरी रडार,
	सेकेंडरी रडार,
	एडीएस -बी रिसीवर्स।
नेविगेशन एड्स	डीवीओआर
	डीएमई
	आईएलएस
	एसएटीएनएवी (गगन) के लिए आईएनईआरएस
विजुअल लैंडिंग एड्स	पीएपीई (आर/डब्ल्यू 32 और आर/डब्ल्यू 14),
	एप्रोच लाइट सिस्टम।

मौजूदा हवाई अड्डे में निम्नलिखित माप के टैक्सीवे और एप्रन हैं:

पदनाम	चौड़ाई	सतह	पीसीएन	एज लाइट्स उपलब्ध हैं या नहीं
ए (रनवे टू एप्रन	23 एम	एस्फाल्ट कंक्रीट	71 एफ/बी/डब्ल्यू/टी	प्रदान किया
ए (एप्रन टू स्टैंड नं 4)	23 एम	कंक्रीट	71 आर/बी/डब्ल्यू/टी	प्रदान किया

बी	23 एम	एस्फाल्ट कंक्रीट	71 एफ/बी/डब्ल्यू/टी	प्रदान किया
सी	23 एम	एस्फाल्ट कंक्रीट	71 एफ/बी/डब्ल्यू/टी	प्रदान किया
डी	23 एम	कंक्रीट	109 आर/सी/डब्ल्यू/टी	प्रदान किया
ई	23 एम	एस्फाल्ट कंक्रीट	108आर/सी/एक्स /टी	प्रदान किया
एफ	23 एम	कंक्रीट	109 आर/सी/डब्ल्यू/टी	प्रदान किया
पी 1	23 एम	कंक्रीट	108आर/सी/डब्ल्यू /टी	प्रदान किया
पी 2	23 एम	कंक्रीट	108आर/सी/डब्ल्यू /टी	प्रदान किया
पी 3	23 एम	कंक्रीट	109आर/सी/डब्ल्यू /टी	प्रदान किया
पी 4 (रनवे होल्डिंग पॉइंट तक)	23 एम	एस्फाल्ट कंक्रीट	89 एफ /सी/डब्ल्यू /टी	प्रदान किया
पी 4 (टैक्सीवे पी तक)	23 एम	कंक्रीट	108आर/सी/डब्ल्यू /टी	प्रदान किया
पी 5	23 एम	कंक्रीट	108 आर/सी/डब्ल्यू/टी	प्रदान किया

ए) एप्रन सतह का प्रकार और विमान पार्किंग स्टैंड

क्रम संख्या	सतह का प्रकार	क्षमता पीसीएन	निर्देशांक	विंग स्पैन, लंबाई,
1	कंक्रीट (Concrete)	70/आर/सी/एक्स/टी	08°28'41.35"N, 076°55'16.39"E	लंबाई: 55मी, विंग स्पैन: 35.79मी, पावर-इन/पावर-आउट
2	कंक्रीट	70/आर/सी/एक्स/टी	08°28'41.49"N, 076°55'15.04"E	लंबाई: 55मी, विंग स्पैन: 35.79मी, पावर-इन/पावर-आउट
3	कंक्रीट	70/आर/सी/एक्स/टी	08°28'41.63"N, 076°55'13.70"E	लंबाई: 55मी, विंग स्पैन: 35.79मी, पावर-इन/पावर-आउट
4	कंक्रीट	70/आर/सी/एक्स/टी	08°28'41.80"N, 076°55'12.17"E	लंबाई: 55मी, विंग स्पैन: 45.00मी, पावर-इन/पावर-आउट

5	कंक्रीट	70/आर/सी/एक्स/टी	08°28'39.50"N, 076°55'07.70"E	लंबाई: 76.20मी, विंग स्पैन: 65.00मी, पावर-इन/पुश-बैक, VDGS/एयरोब्रिज
6	कंक्रीट	70/आर/सी/एक्स/टी	08°28'39.70"N, 076°55'06.00"E	लंबाई: 76.20मी, विंग स्पैन: 51.50मी, पावर-इन/पुश-बैक- VDGS/एयरोब्रिज
7	कंक्रीट	70/आर/सी/एक्स/टी	08°28'42.70"N, 076°55'04.20"E	लंबाई: 55मी, विंग स्पैन: 34.00मी, पावर-इन/पुश-बैक, रिमोट पार्किंग स्टैंड
8	कंक्रीट	74/ आर/सी/डब्ल्यू/टी	08°28'42.80"N, 076°55'02.40"E	लंबाई: 55मी, विंग स्पैन: 55मी, पावर- इन/पुश-बैक - रिमोट पार्किंग स्टैंड
9	कंक्रीट	74/ आर/सी/डब्ल्यू/टी	08°28'43.20"N, 076°55'00.40"E	लंबाई: 55मी, विंग स्पैन: 55मी, पावर- इन/पुश-बैक - रिमोट पार्किंग स्टैंड
11	कंक्रीट	48/ आर/सी/डब्ल्यू/टी	08°28'43.20"N, 076°55'15"E	लंबाई: 45मी, विंग स्पैन: 35.79मी, पावर-इन/पुश-बैक, नॉन कांटेक्ट फ्रंट बे
12	कंक्रीट	48/ आर/सी/डब्ल्यू/टी	08°28'37.00"N, 076°55'11.70"E	लंबाई: 55मी, विंग स्पैन: 35.79मी, पावर-इन/पुश-बैक, नॉन कांटेक्ट फ्रंट बे
23	कंक्रीट	109/ आर/सी/डब्ल्यू/टी	08°29'14.80"N, 076°55'14.30"E	लंबाई: 62मी, विंग स्पैन: 52मी, पावर- इन/पुश-बैक, नॉन कांटेक्ट फ्रंट बे
24	कंक्रीट	109/ आर/सी/डब्ल्यू/टी	08°29'13.76"N, 076°55'16.31"E	लंबाई: 76.20मी, विंग स्पैन: 65मी, पावर-इन/पुश-बैक, VDGS/एयरोब्रिज
25	कंक्रीट	109/ आर/सी/डब्ल्यू/टी	08°29'12.07"N, 076°55'18.10"E	लंबाई: 76.20मी, विंग स्पैन: 65मी, पावर-इन/पुश-बैक, VDGS/एयरोब्रिज
26	कंक्रीट	109/ आर/सी/डब्ल्यू/टी	08°29'10.37"N, 076°55'19.89"E	लंबाई: 76.20मी, विंग स्पैन: 65मी, पावर-इन/पुश-बैक,

				VDGS/एयरोब्रिज
27	कंक्रीट	109/ आर/सी/डब्ल्यू/टी	08°29'08.67"N, 076°55'21.38"E	लंबाई: 62मी, विंग स्पैन: 52मी, पावर- इन/पुश-बैक, नॉन कांटेक्ट फ्रंट बे
27A	कंक्रीट	109 आर/सी/डब्ल्यू/टी	08°29'07.86"N, 076°55'21.43"E	लंबाई: 76.20मी, विंग स्पैन: 65मी, पावर-इन/पुश-बैक, नॉन कांटेक्ट फ्रंट बे
28	कंक्रीट	109/ आर/सी/डब्ल्यू/टी	08°29'07.28"N, 076°55'22.86"E	लंबाई: 62मी, विंग स्पैन: 52मी, पावर- इन/पुश-बैक, नॉन कांटेक्ट फ्रंट बे
43	कंक्रीट	109/ आर/सी/डब्ल्यू/टी	08°29'05.16"N, 076°55'14.39"E	लंबाई: 62मी, विंग स्पैन: 52मी, पावर- इन/पुश- बैक, रिमोट बे
44	कंक्रीट	109/आर/सी/डब्ल्यू/टी	08°29'03.77"N, 076°55'15.86"E	लंबाई: 44.50मी, विंग स्पैन: 35.79मी, पावर- इन/पुश-बैक, रिमोट बे
44A	कंक्रीट	109/आर/सी/डब्ल्यू/टी	08°29'01.00"N, 076°55'03.00"E	लंबाई: 44.50मी, विंग स्पैन: 35.79मी, पावर- इन/पुश-बैक, रिमोट बे
45	कंक्रीट	109/आर/सी/डब्ल्यू/टी	08°29'02.38"N, 076°55'17.33"E	लंबाई: 62मी, विंग स्पैन: 52मी, पावर- इन/पुश-बैक, रिमोट बे
45A	कंक्रीट	109/आर/सी/डब्ल्यू/टी	08°29'01.00"N, 076°55'04.00"E	लंबाई: 44.50मी,

				विंग स्पैन: 35.79मी, पावर- इन/पुश-बैक, रिमोट बे। 30.0 मीटर तक के कोड C विमानों के लिए पावर- इन/पावर- आउट
--	--	--	--	---

टर्मिनल क्षेत्र और काउंटरों की संख्या

टर्मिनल	क्षेत्रफल वर्ग		काउंटर संख्या		सुरक्षा
	मीटर में	चेक-इन	आव्रजन	सीमा शुल्क	
अंतरराष्ट्रीय	19,500	39	18 (प्रस्थान) - 16 (आगमन)	1 (घरेलू) 8 (आगमन)	-
घरेलू	13,335	12			

टर्मिनल बिल्डिंग में अन्य यात्री सुविधाओं का विवरण
अन्य यात्री सुविधाएं

प्रवेश द्वार	प्रस्थान	आगमन
घरेलू	01	01
अंतरराष्ट्रीय	02	01
एक्स-रे बैगेज सुविधा):		
घरेलू	03	
अंतरराष्ट्रीय	05	
शॉपिंग सुविधा		
घरेलू (एनटीबी)		
कार पार्किंग		
अंतरराष्ट्रीय		

घरेलू		
यात्री सुविधा		
1	चिकित्सा निरीक्षण कक्ष	
2	चाइल्ड केयर कक्ष	
3	बैगेज ट्राली	
4	एटीएम	
5	प्रार्थना कक्ष	
6	बेबी स्ट्रोलर	
7	मनी एक्सचेंज काउंटर	

8	पूर्व-भुगतान टैक्सी काउंटर
9	होटल आरक्षण काउंटर
10	सामान लपेटने की मशीन
11	सीआईपी आरक्षित लाउंज
12	सूचना/“क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ” काउंटर
13	कॉफी वेंडिंग मशीन
14	एग्जीक्यूटिव लाउंज
15	पत्रिका वेंडिंग मशीन
16	मीट एंड ग्रीट काउंटर
17	ई टॉयलेट
18	धूम्रपान कक्ष
19	दिव्यांगजनों के लिए शौचालय
20	PRM काउंटर
21	व्हीलचेयर काउंटर
22	डाकघर
23	कार किराए पर लेने की सुविधा
24	पीए सिस्टम
25	निशुल्क टेलीफोन सेवा
26	मनोरंजन टीवी
27	एफआईडीएस/सीसीटीवी
28	सामान तौलने की मशीन
29	

हवाई अड्डा-भूमि विवरण

वर्तमान हवाई अड्डा 1985 से प्रचालन में है।

परियोजना के लिए भूमि के कब्जे की स्थिति निम्नानुसार है:

विवरण	यूनिट
हवाई अड्डा क्षेत्र	636.57 एकड़
प्राधिकरण के स्वामित्व के अंतर्गत	0.5756 हेक्टेयर

अनुलग्नक II

(अनुसूची क)

(खंड 12.2.1 देखें)

साइट के लिए मास्टर प्लान

1. तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को एक अत्याधुनिक हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है, जो पर्यटन और व्यापारिक बाजारों की सेवा करेगा तथा हवाई यात्रा की मांग में वृद्धि के अनुरूप विकसित होगा।

2. चरण I का विकास

रियायत अवधि के दौरान हवाई अड्डे को चरणबद्ध तरीके से विकसित करने का प्रस्ताव है। रियायतग्राही इस समझौते में दिए गए प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे के सभी चरणों के लिए मास्टर प्लान तैयार करेगा और समय-समय पर उसे अद्यतन करेगा।

रियायतग्राही समझौते में निर्धारित तरीके से हवाई अड्डे के चरण I की योजना बनाएगा और उसका विकास करेगा तथा मांग के अनुमानों के अनुसार वार्षिक यात्री क्षमता (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय) और वार्षिक कार्गो हैंडलिंग क्षमता के साथ सहायक सुविधाओं की व्यवस्था करेगा।

3. आगामी चरणों के दौरान विकास

(क) आगामी चरणों के लिए विकास योजनाओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की निरंतर उपलब्धि से संबद्ध विशिष्ट पूंजीगत व्यय परियोजनाओं को शामिल किया जाएगा।

(ख) रियायतग्राही, मास्टर प्लान में परिभाषित प्रत्येक ऐसे चरण के निर्माण कार्य शुरू होने की नियोजित तिथि से कम से कम 3 (तीन) महीने पहले, चरण I के बाद के आगामी चरणों के लिए विकास योजना प्रस्तुत करेगा।

(ग) रियायतग्राही, चरण I के बाद के आगामी चरणों के लिए निर्माण कार्य समयबद्ध तरीके से शुरू करेगा, जिसमें किसी लेखा वर्ष में हवाई अड्डे के वास्तविक पीक-आवर यात्री यातायात और विमान यातायात को ध्यान में रखते हुए तथा हवाई अड्डे की डिजाइन थ्रूपुट क्षमता के सापेक्ष पिछले 6 (छह) महीनों में देखी गई यातायात वृद्धि दर को ध्यान में रखा जाएगा।

(घ) उपर्युक्त आवश्यकताओं का पालन करते हुए, रियायतग्राही किसी भी चरण के लिए अपनी विकास गतिविधियों और निर्माण कार्यों की इस प्रकार योजना बनाएगा कि प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों, IATA लेवल ऑफ सर्विस - C (इष्टतम मानक), सुरक्षा आवश्यकताओं तथा लागू कानूनों के अंतर्गत अन्य सभी वैधानिक और विनियामक आवश्यकताओं का उल्लंघन न हो, जो हवाई अड्डे के परिचालन के लिए आवश्यक हैं।

4. रियायतग्राही, इसके साथ उपलब्ध कराई गई परिप्रेक्ष्य योजना का उपयोग करते हुए निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार मास्टर प्लान तैयार करेगा:

- रियायतग्राही को समझौते के प्रावधानों के अधीन सुविधाओं की योजना और डिजाइन करने की स्वतंत्रता होगी।
- मास्टर प्लान डीजीसीए द्वारा निर्धारित सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स (सीएआर), इकाओ दस्तावेजों एवं अनुबंधों तथा उत्तम उद्योग प्रथा के अनुरूप होगा।

- टर्मिनल भवन का सेवा स्तर आईएटीए - सी (इष्टतम मानक) के अनुरूप होगा। टर्मिनल भवन का डिजाइन वर्तमान परिचालन और मौजूदा अवसंरचना पर न्यूनतम प्रभाव के साथ क्रमिक विस्तार में सक्षम होना चाहिए।

- सिटी साइड विकास समझौते और लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार होगा।
- रियायतग्राही, उपर्युक्त दिशानिर्देशों तथा इस अनुसूची A, अनुसूची B और C में उल्लिखित प्रावधानों के आधार पर मास्टर प्लान तैयार करेगा। मास्टर प्लान में निम्नलिखित शामिल होंगे:

1. समग्र विकास रणनीति और दर्शन का विवरण;
2. यातायात पूर्वानुमानों का विवरण तथा प्रत्येक परियोजना सुविधा के विकास के लिए यातायात ट्रिगर, जो यातायात वृद्धि से जुड़े हों;
3. प्रत्येक चरण में हवाई अड्डे और उसके प्रत्येक परिसर के स्वरूप की परिकल्पना तथा उस समय की अंतिम परिकल्पना जब हवाई अड्डा अपनी क्षमता तक पहुँच जाएगा;
4. हवाई अड्डे तथा अप्रोच एवं टेक-ऑफ क्षेत्रों के लिए बाधा सीमा सतहें;
5. हवाई अड्डे के विकास का चरणबद्ध ग्राफिक प्रस्तुतीकरण;
6. अवधारणाओं और विकल्पों की तकनीकी, आर्थिक तथा पर्यावरणीय जाँच के माध्यम से प्रस्तावित विकास;
7. प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले ऐसे अन्य विषय।

5. परिप्रेक्ष्य योजना

(चित्र)

6. प्रत्येक चरण के लिए विकास योजना ("विकास योजना") निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी:

क). विकास योजना निम्नलिखित के अनुपालन में होगी:

i. मास्टर प्लान;

ii. इस अनुसूची क, अनुसूची ख और अनुसूची ग में निर्धारित आवश्यकताएँ;

iii. अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के अनुसार;

iv. भारत सरकार के नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों, इस समझौते तथा उत्तम उद्योग प्रथा के अनुरूप।

ख) विकास योजना में शामिल होंगे:

i. प्रत्येक चिन्हित परियोजना सुविधा के लिए इंजीनियरिंग डिजाइन और ड्राइंग;

ii. मात्रा और लागत अनुमान;

iii. विनिर्देश और मानक;

iv. पूर्णता कार्यक्रम;

v. वित्तपोषण योजना; और

vi. प्राधिकरण या किसी संबंधित सरकारी निकाय द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए जाने वाले अन्य मानदंड।

6. रियायतग्राही सीओडी से प्रत्येक 5 (पाँच) वर्ष में मास्टर प्लान को अद्यतन करेगा।

7. रियायतग्राही वैमानिक सेवाओं में सुधार या वृद्धि करने अथवा भीड़भाड़ को न्यूनतम या समाप्त करने के लिए हवाई अड्डे के किसी भाग का विस्तार करने हेतु मास्टर प्लान में संशोधन कर सकता है।

8. चरण I के बाद के चरणों का निर्माण समझौते के खंड 12.7 में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुरूप होगा।

अनुलग्नक III

(अनुसूची क)

(खंड 25 देखें)

सिटी साइड विकास

वाणिज्यिक विकास के लिए उपलब्ध भूमि 2 एकड़ है, जिसका उपयोग आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए किया जा सकता है। सिटी साइड विकास के लिए भूमि उपयोग योजना अनुलग्नक II (अनुसूची क) में दी गई परिप्रेक्ष्य योजना में दर्शाई गई है।

अनुलग्नक IV

(अनुसूची क)

(खंड 10.1 देखें)

हटाई गई परिसंपत्तियाँ और क्षेत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि यह स्थल और परियोजना निम्नलिखित को शामिल नहीं करेगी:

क्र. सं.	परिसंपत्ति	भूमि का क्षेत्रफल (लगभग)
	एटीसी टावर	12311 वर्ग मीटर (3.042 एकड़)
	कार्गो टर्मिनल ए) सीयूडीसीटी बी) आइक्लास कार्गो (चेक-इन साइड सहित, क्रियर कार्गो)	520 वर्ग मीटर (0.128 एकड़) 7781 वर्ग मीटर (1.92 एकड़)
	भविष्य में CNS/ATM/स्टाफ क्वार्टर के लिए भूमि आवश्यकता ए) गगन बी) न्यू डीवीओआर सी) रेसिप्रोकल आईएलएस डी) रडार ई) एएसएमजीसीएस एसएमआर	22,257 वर्ग मीटर (5.5 एकड़) 53,2374 वर्ग मीटर (80 एकड़) 14,164 वर्ग मीटर (3.5 एकड़) 8,093 वर्ग मीटर (2 एकड़) 2,500 वर्ग मीटर (0.62 एकड़)
	मौजूदा आवासीय कॉलोनी	20,350 वर्ग मीटर (5.02 एकड़)
	कुल	120,350 वर्ग मीटर (29.75 एकड़), लगभग।

अनुसूची ख
हवाईअड्डे का विकास
(खंड 2.1 देखें)

1. हवाईअड्डे का विकास

एक सुविकसित हवाई अड्डे की उपलब्धि को सुगम बनाने के लिए अपनाई जाने वाली योजना-पद्धति यह होनी चाहिए कि विभिन्न चरणों के लिए अनुमानित भविष्य के यातायात के आधार पर एयरसाइड, टर्मिनल विकास और अन्य सुविधा आवश्यकताओं को निर्धारित किया जाए। सुविधा आवश्यकताएँ योजना अवधि के दौरान प्रासंगिक पूर्वानुमानित आँकड़ों पर तकनीकी और सेवा-स्तर मानकों के अनुप्रयोग का परिणाम होनी चाहिए, ताकि हवाई अड्डे के सीओडी से लेकर रियायत अवधि के अंत तक अनुमानित हवाई यातायात मात्रा को समायोजित करने के लिए पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध रहें।

समग्र हवाई अड्डा क्षमता और उपयोगकर्ताओं के लिए सेवा स्तर को प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण प्रणालियाँ रनवे/टैक्सीवे प्रणाली और यात्री टर्मिनल भवन (तथा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विभाजन), साथ ही एप्रन स्टैंड और संपर्क गेटों की संख्या हैं। हवाई अड्डे का चरणबद्ध विकास अनुसूची क में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार होगा।

इसके अतिरिक्त, सुविधाओं के नियमित रखरखाव और उन्नयन, उपकरणों के प्रतिस्थापन तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समय-समय पर नियमित निवेश आवश्यक होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हवाई अड्डे का बुनियादी ढाँचा इस समझौते में निर्धारित सेवा-स्तर मानकों को पूरा करते हुए अनुमानित यातायात को संभाल सके।

2. विकास दर्शन

किसी भी योजना प्रयास का उद्देश्य पूर्वानुमानित मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्धारण करना है, जिसमें निकट-अवधि की योजना को प्रारंभिक विकास की पहचान के साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तथापि, यह भी आवश्यक है कि योजना प्रयास ऐसे विकास की शुरुआत न करें जो हवाई अड्डे के बाद के चरणों के विकास की क्षमता को बाधित या अत्यधिक जटिल बना दे। इसके अतिरिक्त, योजना प्रयास से ऐसी योजना तैयार होनी चाहिए जो लचीली हो तथा साथ ही हवाई अड्डे के विशिष्ट घटकों की क्रमिक वृद्धि के लिए समन्वित योजना को स्पष्ट रूप से स्थापित करे।

संधारणीयता

साइट पर प्रस्तावित सभी कार्यों के लिए पर्यावरण संरक्षण एक महत्वपूर्ण विचार है। मास्टर प्लान में विभिन्न दृष्टिकोणों से इस पर विचार किया जाएगा, जिसमें समग्र साइट संधारणीयता, परियोजना का साइट पर स्थान निर्धारण तथा साइट की सीमाओं के भीतर और आसपास के क्षेत्र पर उसके प्रभाव, जैसे साइट तक परिवहन और साइट की प्रकाश व्यवस्था, शामिल हैं।

- **जल:** जल की मांग का प्रबंधन कैसे किया जाता है और साइट पर जल का उपचार कैसे किया जाता है?

साइट-व्यापी संधारणीय जल रणनीतियों में सबसे पहले जल की मांग में कमी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, चाहे वह जल की मांग के प्रबंधन, भवन उपयोग, सिंचाई या अग्नि सुरक्षा के माध्यम से हो। भवनों की जल आवश्यकताओं का प्रबंधन जल-कुशल फिटिंग, जैसे सिंक और टॉयलेट, उपलब्ध कराकर किया जाना चाहिए। सूखा-सहिष्णु देशी प्रजातियों के उपयोग से सिंचाई की आवश्यकताओं को न्यूनतम किया जाना चाहिए। सिंचाई और क्षेत्र धुलाई सहित गैर-पेय उपयोगों के लिए ग्रे-वॉटर और वर्षा जल के संग्रह को बढ़ावा देने वाली रणनीतियाँ अपनाई जानी चाहिए।

- **ऊर्जा:** साइट पर ऊर्जा किस प्रकार उपलब्ध कराई या पहुँचाई जाती है और ऊर्जा की आवश्यकता वाले भवन तंत्र कितनी दक्षता से संचालित होते हैं?

हवाई अड्डे का अंतिम ईपीआई (Energy Performance Index) उद्योग के औसत से कम होना चाहिए, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

कन्वेयंस प्रणालियाँ, उपकरण, विशेष प्रणालियाँ (जैसे सामान प्रबंधन), तथा HVAC और प्रकाश व्यवस्था। विशेष रूप से एचवीएसी और प्रकाश भार को सौर छायांकन (उदाहरण के लिए सनशेड के उपयोग) तथा प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था द्वारा कम किया जा सकता है। इन रणनीतियों को सहायक भवनों के साथ-साथ यात्री टर्मिनल में भी लागू किया जाना चाहिए। यह अपेक्षित है कि आधुनिक नियंत्रण तकनीकों से संबद्ध सर्वोत्तम Coefficient of Performance वाली सबसे अधिक ऊर्जा-कुशल एयर-कंडीशनिंग प्रणाली तथा ऊर्जा-कुशल प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाएगा।

- **सामग्री/संसाधन:** साइट पर निर्माण के दौरान और दैनिक संचालन के दौरान अपशिष्ट का प्रबंधन कैसे किया जाता है, और क्या नई सामग्रियों का चयन एवं स्थापना संधारणीय तरीके से की जाती है?

साइट के कार्यों, यात्री टर्मिनल भवन और सहायक संरचनाओं के निर्माण में उपयोग के लिए निर्दिष्ट सामग्री निम्नलिखित होनी चाहिए: कम विषाक्तता वाली, टिकाऊ, कम रखरखाव वाली तथा यथासंभव अधिकतम मात्रा में पुनर्चक्रित सामग्री वाली। जहाँ प्रदर्शन मानदंडों को पूरा करने वाले क्षेत्रीय उत्पाद और सामग्री उपलब्ध हों, वहाँ इन उत्पादों के उपयोग पर विचार किया जाना चाहिए।

- **अपशिष्ट प्रबंधन:** साइट पर अपशिष्ट का प्रबंधन कैसे किया जाता है?

ऐसी अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति विकसित की जानी चाहिए जो निर्माण अपशिष्ट को न्यूनतम करे, जिससे साइट तक सामग्री पहुँचाने और साइट से अपशिष्ट हटाने में खर्च होने वाली परिवहन ऊर्जा में कमी आए। सुविधाएँ पूरी होने के बाद, दैनिक संचालन के दौरान कर्मचारियों और यात्रियों द्वारा उत्पन्न लैंडफिल अपशिष्ट को सीमित करने के लिए, जहाँ संभव हो, पुनर्चक्रण और जैविक अपशिष्ट की कम्पोस्टिंग को बढ़ावा देने की रणनीति विकसित की जानी चाहिए।

- **आंतरिक पर्यावरण गुणवत्ता:** क्या भवन प्रणालियों का उपयोग स्वच्छ वायु और प्राकृतिक प्रकाश तक उपयोगकर्ताओं की पहुँच को अधिकतम करने के लिए किया जा रहा है; क्या ध्वनिक संबंधी चिंताओं का शमन किया गया है?

सभी भवनों में यांत्रिक वेंटिलेशन होगा और कम-VOC सामग्रियों का चयन उच्च गुणवत्ता वाली आंतरिक वायु सुनिश्चित करेगा। बाहरी विमान और वाहनों के शोर के भवन के अंदर प्रभाव को कम करने के लिए विशेष ग्लेजिंग और अन्य ध्वनिक सामग्रियों का उपयोग किया जाना चाहिए। भवन के अंदर यात्रियों और कार्य गतिविधियों से उत्पन्न शोर को नियंत्रित करने के लिए भी इसी प्रकार के उपाय किए जाने चाहिए।

निम्नलिखित न्यूनतम साइट संधारणीयता लक्ष्यों और लक्ष्यों का सारांश है:

- कम से कम 25% (पच्चीस प्रतिशत) स्ट्रीट और पार्किंग लॉट लाइटों के लिए सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराना।

- साइट पर उत्पन्न कुल वर्षा जल बहाव के कम से कम 30% (तीस प्रतिशत) का वर्षा जल संचयन करना। ऐसे जल का उपयोग जलभृत (aquifer) को रिचार्ज करने या सिंचाई के लिए किया जा सकता है।

- उपयोगिता सहायता भवनों के लिए सौर ऊर्जा या अन्य प्रकार की पुनर्चक्रणीय ऊर्जा का उपयोग करना, जैसे विद्युत उत्पादन के लिए मीथेन गैस।

- सभी उपचारित सीवेज जल का पुनः उपयोग या तो चिलर मेकअप जल के रूप में या सिंचाई जल के रूप में करना; और

- साइट पर मौजूद अधिक से अधिक मौजूदा पेड़ों को बचाना और/या उन्हें वाणिज्यिक विकास क्षेत्रों में उपयोग के लिए स्थानांतरित करना।

3. हवाई अड्डा

3.1 हवाई अड्डे के विकास में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) इस अनुसूची ख में वर्णित और इस अनुसूची ख के अनुलग्नक में सूचीबद्ध विभिन्न परिसंपत्तियों का निर्माण और खरीद, जिसमें आवश्यकता के अनुसार रनवे, टैक्सीवे,

विमान पार्किंग बे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, कार्गो सुविधाएँ, पार्किंग, फ्लाइट किचन, एमआरओ सुविधाएँ, वेयरहाउसिंग सुविधाएँ, एयरलाइन कार्यालय, प्रशासनिक कार्यालय और सामाजिक सुविधाएँ शामिल हैं;

(ii) टर्मिनल भवन और सुविधाओं का निर्माण एवं खरीद; और

(iii) आवश्यक अप्रोच रोड का निर्माण।

3.2 हवाई अड्डे का निर्माण रियायतग्राही द्वारा मास्टर प्लान तथा अनुसूची ग में निर्धारित विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप किया जाएगा।

4. आरक्षित क्षेत्र

रियायतग्राही आरक्षित क्षेत्र को चिह्नित करेगा और आवंटित करेगा।

5. सिटी साइड विकास

5.1 सिटी साइड विकास अनुसूची क के अनुलग्नक II में निर्दिष्ट शर्तों और प्रावधानों के अनुसार तथा उनके अधीन किया जाएगा।

5.2 सिटी साइड विकास अनुसूची ग में निर्धारित विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप किया जाएगा।

अनुलग्नक I

(अनुसूची ख)

परिसंपत्तियों/परियोजना सुविधाओं का विवरण

इस अनुसूची का उद्देश्य हवाई अड्डे पर प्रदान की जाने वाली विभिन्न परियोजना सुविधाओं का व्यापक विवरण और आवश्यकताएं प्रदान करना है। रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार परियोजना सुविधाओं का प्रचालन, प्रबंधन और विकास करेगा।

1. परिसंपत्तियां :

- क. हवाई क्षेत्र नियंत्रण सेवाएं
- ख. एयरफील्ड
- ग. एयरफील्ड ग्राउंड लाइटिंग
- घ. रनवे (धावन मार्ग)
- ङ. एप्रन और सड़क प्रकाश व्यवस्था
- च. रैपिड एग्जिट टैक्सीवे सहित टैक्सीवे
- छ. विमान बचाव एवं अग्निशमन
- ज. एयरसाइड और लैंडसाइड पहुंच सड़कें एवं अग्रप्रांगण, जिनमें यातायात संकेत, साइनेज और निगरानी शामिल हैं
- झ. सुरक्षा जांच चौकियां
- ञ. अधिकृत प्रदाताओं द्वारा विमान ईंधन भरने की सेवाओं के लिए सामान्य हाइड्रेंट अवसंरचना
- ट. एप्रन क्षेत्र
- ठ. एप्रन नियंत्रण और विमान स्टैंडों का आवंटन
- ड. युद्धाभ्यास क्षेत्र
- ढ. एयरफील्ड साइनेज और एयरफील्ड मार्किंग्स
- ण. पक्षी भगाना
- त. कार्गो टर्मिनल
- थ. विमान ईंधन भरने हेतु 'इनटू द प्लेन' सेवाएं
- द. हवाई अड्डा प्रचालन नियंत्रण केंद्र
- ध. स्थल पर निर्मित और संचालित की जाने वाली संबद्ध सुविधाएं, जैसे कि सीवेज संग्रह और पुनर्चक्रण/जल उपचार/वर्षा जल योजना
- न. ग्राउंड सर्विस इक्विपमेंट रखरखाव भवन और पार्किंग क्षेत्र
- न. सामान्य विमानन सेवाएं (यात्रियों या कार्गो अथवा दोनों के संयोजन को ले जाने वाली वाणिज्यिक हवाई परिवहन सेवाओं के लिए उपयोग की जाने वाली सेवाओं के अलावा)
- प. हैंगर
- फ. उड़ान खानपान सेवाएं
- ब. वाहन पार्किंग
- भ. हवाई अड्डा रखरखाव भवन
- म. हवाई अड्डा रखरखाव भवन हैंगर
- य. पुलिस स्टेशन और सीमा शुल्क भवन

परिसंपत्तियों की क्षमता परिप्रेक्ष्य योजना के अनुसार होगी, जिसे इकाओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों, डीजीसीए, नागर विमानन आवश्यकताओं और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुपालन में मास्टर प्लान के हिस्से के रूप में रियायतग्राही द्वारा अद्यतन किया जाएगा।

2. टर्मिनल भवन का विवरण

टर्मिनल भवन के नियोजन और डिजाइन के मार्गदर्शक सिद्धांत नीचे दिए गए हैं। रियायतग्राही एक एकीकृत टर्मिनल भवन का विकास करेगा, जो कुशलतापूर्वक नियोजित, चरणबद्ध विकास के लिए लचीला, संधारणीय (टिकाऊ) और किफायती हो।

- **दक्षता :**

टर्मिनल का संगठन स्पष्ट मार्ग-दर्शन के साथ सीधा और कुशल होना चाहिए। यात्री और सामान (बैगेज) परिसंचरण को इस तरह व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि प्रस्थान करने वाले और आने वाले यात्रियों के साथ-साथ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री भवन के एयरसाइड पर किसी भी बिंदु पर आपस में न मिलें। टर्मिनल भवन हवाई अड्डे पर आने और जाने वाले सभी यात्रियों के लिए यात्री और सामान के आवागमन के प्रत्यक्ष और कुशल साधनों की अनुमति प्रदान करेगा।

घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फाटकों का वितरण आदर्श रूप से 'स्विंग क्षमताओं' की अनुमति देने और टर्मिनल प्रोसेसिंग क्षेत्र से समान दूरी का यात्रा मार्ग बनाए रखने के लिए व्यवस्थित होना चाहिए। टर्मिनल भवन में एकीकृत लैंडस्केपिंग होनी चाहिए।

- **लचीलापन :**

स्थानों का संगठन और टर्मिनल का संरचनात्मक डिज़ाइन मॉड्यूलर होना चाहिए, जिससे लचीलेपन और विस्तार में आसानी हो। टर्मिनल प्रोसेसर को बैगेज क्लेम हॉल और प्रोसेसिंग क्षेत्रों जैसे प्रमुख कार्यों के चरणबद्ध विकास की अनुमति देनी चाहिए।

- **संधारणीयता :**

टर्मिनल के नियोजन और वास्तुकला में संधारणीय रणनीतियों को एकीकृत किया जाना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, जैसे कि सौर पैनल, की संभावना तलाशी जानी चाहिए। वर्षा जल संचयन जैसी हरित रणनीतियों के साथ-साथ भूनिर्माण का उपयोग किया जाना चाहिए। इसमें न्यूनतम गृह-4 रेटिंग होनी चाहिए।

- **मितव्ययिता :**

नया एकीकृत टर्मिनल लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल तकनीक का उपयोग करके बनाया जाना चाहिए। इसमें स्थानीय सामग्रियों और संसाधनों के उपयोग को नियोजित किया जाना चाहिए।

सुविधाएं (Facilities):

यात्री टर्मिनल भवन में निम्नलिखित सुविधाएं अनिवार्य रूप से शामिल होनी चाहिए:

- क. आगमन कॉन्कोर्स और मिलन क्षेत्र
- ख. इन-लाइन न्यूनतम सीटी एक्स-रे आधारित बैगेज सिस्टम, जिसमें आउटबाउंड और रिक्लेम शामिल हैं
- ग. कॉमन यूजर पैसेंजर प्रोसेसिंग सिस्टम संगत प्रणालियों और कॉमन यूजर सेल्फ सर्विस के साथ पारंपरिक और सेल्फ-सर्विस चेक-इन डेस्क युक्त प्रस्थान कॉन्कोर्स
- घ. चेक-इन कॉन्कोर्स और सेल्फ बैगेज ड्रॉप सिस्टम
- ङ. सार्वजनिक क्षेत्रों की सफाई, हीटिंग, प्रकाश व्यवस्था और वातानुकूलन (एयर कंडीशनिंग)
- च. सीमा शुल्क और आव्रजन हॉल
- छ. एक्सक्लूजन रूम
- ज. आपातकालीन सेवाएं
- झ. दिव्यांगों और अन्य विशेष आवश्यकता वाले लोगों के लिए सुविधाएं
- ञ. अग्निशमन सेवा
- ट. उड़ान सूचना और सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली
- ठ. गंदे जल और सतही जल की निकासी व्यवस्था
- ड. मार्गदर्शन प्रणाली और मार्शलिंग
- ढ. सूचना डेस्क

- ण. अंतर-टर्मिनल पारगमन प्रणाली
- त. लिफ्ट, एस्केलेटर और यात्री कन्वेयर
- थ. लोडिंग ब्रिज (एयरोब्रिज)
- द. खोया-पाया
- ध. यात्री और हैंड-बैगेज की तलाशी
- न. पुलिसिंग और सामान्य सुरक्षा, जिसमें सीसीटीवी सिस्टम और संबंधित सुरक्षा उपकरण शामिल हैं।
- न. प्रार्थना कक्ष
- प. साइनेज
- फ. शौचालय और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए कक्ष
- ब. अपशिष्ट एवं कचरा उपचार और निपटान
- भ. केबिन बैगेज और चेक-इन सामान के लिए एक्स-रे सेवा
- म. वीआईपी विशेष लाउंज/समारोह लाउंज/शहीद मंच
- य. एयरलाइन लाउंज
- र. टर्मिनल भवन में जलपान की सुविधाएं
- र. दूर ऑपरेटरों और ट्रेवल एजेंटों के लिए सुविधाएं
- ल. टैक्सियों और परिवहन किराए पर लेने की सुविधाएं
- ळ. बैंक और विदेशी मुद्रा विनिमय (फॉरेक्स) सुविधाएं
- ळ. सार्वजनिक उपयोग हेतु टेलीफोन
- व. वृक्षारोपण और भूनिर्माण
- श. पोर्टर (कुली) सेवा
- ष. डाक सेवाएं
- स. हवाई अड्डा कार्यालय

टर्मिनल भवन की फिनिशिंग और अन्य लेआउट तत्वों में न्यूनतम रूप से निम्नलिखित शामिल होंगे:

- ह. टर्मिनल भवन के उपयुक्त क्षेत्रों में पूर्ण वातानुकूलन (एयर कंडीशनिंग)
- कक. पूरे टर्मिनल में इष्टतम लेआउट वाले प्रसाधन कक्ष और ऐसी फिनिशिंग जो जल-बचत उपकरणों आदि के उपयोग पर जोर देती हो
- खख. टर्मिनल भवन में इष्टतम लेआउट वाले एस्केलेटर
- गग. टर्मिनल भवन में इष्टतम लेआउट वाली लिफ्ट
- घघ. उचित क्षमता वाले सार्वजनिक बैठने के क्षेत्र

डड. यात्री टर्मिनलों में पर्याप्त संख्या में स्क्रीन और फ्लैट पैनल बोर्ड युक्त सार्वजनिक उड़ान सूचना प्रदर्शन प्रणाली; और
चच. सूचनात्मक, दिशात्मक और आपातकाल से संबंधित साइनेज।

हवाई अड्डे की आईसीटी प्रणाली में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:

- i. वायरलेस सहित डेटा संचार नेटवर्क
- ii. हवाई अड्डा प्रचालन डेटाबेस सहित हवाई अड्डा सूचना प्रबंधन प्रणाली
- iii. बैगेज समाधान/मिलान प्रणाली
- iv. नई सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने की क्षमता वाली हवाई अड्डा और एयरलाइन प्रणालियां
- v. सूचना कियोस्क
- vi. सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली; और
- vii. हवाई अड्डे की निगरानी के लिए क्लोज सर्किट टेलीविजन सुरक्षा प्रणाली
- viii. स्वचालित ट्रे पुनर्प्राप्ति प्रणाली

रियायतग्राही एक सुरक्षित और कुशल हवाई अड्डा बैगेज हैंडलिंग सिस्टम प्रदान करेगा और उसका रखरखाव करेगा, जिसमें शामिल हैं:

- i. इन-लाइन बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम, जो सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों के लिए सभी होल्ड बैगेज की 100% (एक सौ प्रतिशत) सुरक्षा स्क्रीनिंग प्रदान करता हो, इकाओ अनुलग्नक 17 एसएआरपीएस की न्यूनतम आवश्यकताओं और हवाई अड्डे पर सुरक्षा प्रदान करने या उसकी देखरेख के लिए जिम्मेदार संबंधित सरकारी तंत्र की आवश्यकताओं को पूरा करता हो, बशर्ते टर्मिनल में स्थान की कोई कमी न हो;
- ii. चेक-इन और आगमन, स्थानांतरण (ट्रांसफर) और बड़े आकार (आउटसाइज्ड) के सामान की हैंडलिंग;
- iii. बैगेज क्लेम सुविधाएं; और
- iv. खोए हुए सामान की हैंडलिंग और भंडारण।

यह स्पष्ट किया जाता है कि, जहां हवाई अड्डे पर वर्तमान में इन-लाइन बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम मौजूद नहीं है, वहां रियायतग्राही मौजूदा टर्मिनल भवन में ऐसी प्रणाली प्रदान करने का हकदार होगा, लेकिन बाध्य नहीं होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि, एक नए टर्मिनल भवन के निर्माण की स्थिति में, उसके संबंध में एक इन-लाइन बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाएगा।

टर्मिनल भवन की क्षमता परिप्रेक्ष्य योजना के अनुसार होगी, जिसे इकाओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों, डीजीसीए, नागर विमानन आवश्यकताओं और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुपालन में मास्टर प्लान के हिस्से के रूप में रियायतग्राही द्वारा अद्यतन किया जाएगा।

3. विनिर्देश और मानक

सभी परिसंपत्तियां (टर्मिनल भवन सहित) अनुसूची सी में निर्दिष्ट विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप होंगी।

अनुसूची ग
विनिर्देश और मानक
(देखें खंड 2.1)

हवाई अड्डा

रियायतग्राही हवाई अड्डे पर रियायतग्राही द्वारा या उसकी ओर से किए गए निर्माण (लेकिन समझौते के खंड 6.4.5 में संदर्भित प्रगतिरत कार्यों को छोड़कर) के लिए इस अनुसूची सी में निर्धारित विनिर्देशों और मानकों का पालन करेगा।

अनिवार्य मानक और आवश्यकताएं:

रियायतग्राही निम्नलिखित (समय-समय पर यथा अद्यतन) में निर्दिष्ट निर्माण मानकों और अन्य आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करेगा:

- (क) धारा 4, श्रृंखला B (भाग 1), नागर विमानन आवश्यकताएं, हवाई क्षेत्र मानक और वायु यातायात सेवाएं (नवंबर 2009);
- (ख) हवाई अड्डा लाइसेंस प्रदान करने के संबंध में डीजीसीए सीएआर धारा 4 हवाई क्षेत्र मानक और वायु यातायात सेवाएं; श्रृंखला 'एफ' भाग I;
- (ग) इकाओ अंतरराष्ट्रीय मानक और अनुशंसित प्रथाएं, हवाई क्षेत्र, जिनके संदर्भों में निम्नलिखित शामिल होंगे, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:
 - i. इकाओ अनुलग्नक 9 - सुविधा ;
 - ii. इकाओ अनुलग्नक 12 - खोज और बचाव ;
 - iii. इकाओ अनुलग्नक 14 - हवाई क्षेत्र डिजाइन और प्रचालन ;
 - iv. इकाओ अनुलग्नक 15 - वैमानिक सूचना सेवाएं
 - v. इकाओ अनुलग्नक 16 - पर्यावरण संरक्षण;
 - vi. इकाओ अनुलग्नक 17 - सुरक्षा;
 - vii. इकाओ अनुलग्नक 18 - वायु द्वारा खतरनाक सामानों का सुरक्षित परिवहन
- (घ) इकाओ एरोड्रोम डिजाइन मैनुअल (डीओसी 9157);
- (ङ) इकाओ एयरपोर्ट सर्विसेज मैनुअल (डीओसी 9137);
- (च) इकाओ एयरपोर्ट प्लानिंग मैनुअल (डीओसी 9184-एएन/902);
- (छ) कोई अन्य लागू इकाओ मैनुअल और मानक;
- (ज) हवाई अड्डा टर्मिनल भवनों, ईंधन भरने वाले रैंप की जल निकासी और लीडिंग वॉकवे पर अमेरिकी राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा संघ (एनएफपीए) के मानक;
- (झ) अंतराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (आईएटीए) एयरपोर्ट डेवलपमेंट रेफरेंस मैनुअल, 10वां संस्करण, मार्च 2014;
- (ञ) एप्रन मार्किंग्स एंड साइन्स हैंडबुक पर एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआई) की सिफारिशें;
- (ट) भारत का राष्ट्रीय भवन कोड (एनबीसी), 2016;
- (ठ) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी ऊर्जा संरक्षण भवन कोड, 2007;
- (ड) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित प्रासंगिक भारतीय मानक कोड;

जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया हो:

(ढ) वैधानिक एजेंसी की आवश्यकताएं, जिनमें डीजीसीए, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस), रक्षा मंत्रालय, सीमा शुल्क और आव्रजन प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शामिल हैं;

(ण) ईएन मानक;

(त) लागू कानून;

(थ) ऊपर सूचीबद्ध न किए गए कोई अन्य लागू मैनुअल, मानक, विनिर्देश, दिशा-निर्देश।

यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी प्रकार के टकराव/विरोध की स्थिति में, डीजीसीए की आवश्यकताएं और मानक, (आईएटीए) या इकाओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के किन्हीं भी मानकों और आवश्यकताओं पर प्रभावी होंगे।

अनुसूची घ
संकेतक लागू अनुमतियां
(देखें खंड 4.1.3)

रियायतग्राही प्रासंगिक गतिविधि शुरू करने से पहले, आवश्यकताओं के अधीन, निम्नलिखित लागू अनुमतियां प्राप्त करेगा:

- (क) खदान से बोल्डर निकालने के लिए राज्य सरकार की अनुमति;
- (ख) क्रशर लगाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति;
- (ग) विस्फोटकों के उपयोग के लिए लाइसेंस;
- (घ) पेट्रोलियम की विभिन्न श्रेणियों के भंडारण, उपयोग, परिवहन के लिए लाइसेंस;
- (ङ) नदी/जलाशय से पानी खींचने के लिए राज्य सरकार की अनुमति;
- (च) बैचिंग प्लांट स्थापित करने के लिए कारखाना निरीक्षक या अन्य सक्षम प्राधिकारी से लाइसेंस;
- (छ) बैचिंग प्लांट स्थापित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मंजूरी;
- (ज) डामर संयंत्र के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मंजूरी;
- (झ) डीजल जनरेटर सेट की स्थापना के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मंजूरी;
- (ञ) टर्मिनल भवन, कार्गो परिसर, विमान ईंधन भरने और अन्य संरचनाओं जैसे अग्नि, बीसीएस, पेट्रोलियम आदि के निर्माण, प्रचालन और रखरखाव के लिए आवश्यक स्वीकृतियां;
- (ट) पेड़ काटने के लिए राज्य सरकार की अनुमति;
- (ठ) लागू कानूनों के तहत आवश्यक कोई अन्य परमिट या मंजूरी;
- (ड) हवाई अड्डे के लिए सीएनएस/एटीएम प्रचालन के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता;
- (ढ) कार्गो प्रचालन के लिए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईएस) से मंजूरी; और
- (ण) किसी विदेशी प्रोप्राइटर/साझेदार के शामिल होने की स्थिति में गृह मंत्रालय, भारत सरकार से मंजूरी।

अनुसूची ई
निष्पादन प्रतिभूति
(देखें खंड 9.1)

(उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाना है)

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

राजीव गांधी भवन,
तीसरी मंजिल, सी-ब्लॉक,
सफदरजंग हवाई अड्डा,
नई दिल्ली - 110003,
भारत

जबकि :

- क. [] ("रियायतग्राही") और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ("प्राधिकरण") ने दिनांकित [] को एक रियायत समझौता ("समझौता") किया है, जिसके तहत प्राधिकरण ने रियायतग्राही को [जिस राज्य में हवाई अड्डा स्थित है उस राज्य का नाम दर्ज करें] राज्य में स्थित [हवाई अड्डे का नाम दर्ज करें] के प्रचालन, प्रबंधन और विकास का कार्य करने के लिए इसके प्रावधानों के अधीन और उसके अनुसार अधिकृत किया है।
- ख. समझौते के अनुसार रियायतग्राही को समझौते के तहत और उसके प्रावधानों के अनुसार अपने दायित्वों के उचित और निष्ठावान निर्वहन के लिए प्रतिभूति के रूप में प्राधिकरण को [] करोड़ रुपये (रुपये [] करोड़) ("गारंटी राशि") की राशि के लिए एक निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।
- ग. हम, [] अपनी शाखा [] के माध्यम से ("बैंक"), निष्पादन प्रतिभूति की शर्तों के अनुसार निष्पादन प्रतिभूति के रूप में इस बैंक गारंटी ("गारंटी") को प्रस्तुत करने के लिए सहमत हुए हैं।

अतः, अब, बैंक एतद्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से निम्नानुसार गारंटी देता है और पुष्टि करता है:

1. बैंक एतद्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से समझौते के प्रावधानों के तहत और उसके अनुसार रियायतग्राही के सभी या किसी भी दायित्व के उचित और निष्ठावान निर्वहन में किसी भी विफलता या चूक की स्थिति में, अथवा अन्यथा, प्राधिकरण की पहली लिखित मांग पर, बिना किसी आपत्ति, आरक्षण, सहारे, विवाद या विरोध के, और रियायतग्राही के किसी संदर्भ के बिना, गारंटी राशि की कुल सीमा तक की ऐसी राशि या राशियों का भुगतान करने का दायित्व और गारंटी लेता है, जिसकी प्राधिकरण मांग करेगा, जिसके लिए प्राधिकरण को अपनी मांग और/या उसमें निर्दिष्ट राशि के लिए आधार या कारण सिद्ध करने या दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी।
2. प्राधिकरण के [] के पद से अनिम्न बैंक के अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त एक पत्र कि रियायतग्राही से देय और बकाया राशि है, या रियायतग्राही ने समझौते के तहत और उसके अनुसार अपने सभी या किसी दायित्व के उचित और निष्ठावान निर्वहन में चूक की है, बैंक पर निर्णायक, अंतिम और बाध्यकारी होगा। बैंक आगे इस बात से सहमत है कि समझौते के तहत अपने दायित्वों के उचित और निष्ठावान निर्वहन में रियायतग्राही चूककर्ता है या नहीं, इसका एकमात्र निर्णायक प्राधिकरण होगा और इस संबंध में उसका निर्णय बैंक पर अंतिम और बाध्यकारी होगा, भले ही प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच कोई भी मतभेद हो, या उनके बीच किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण, मध्यस्थों या किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के समक्ष कोई विवाद लंबित हो, अथवा किसी भी कारण से रियायतग्राही के दायित्वमुक्त होने के बावजूद।
3. इस गारंटी को प्रभावी करने के लिए, प्राधिकरण इस प्रकार कार्य करने का हकदार होगा मानो बैंक ही मुख्य देनदार हो और रियायतग्राही और/या बैंक के गठन में कोई भी परिवर्तन, चाहे किसी अन्य निकाय या निगम के साथ उनके

विलय द्वारा या अन्यथा हो, इस गारंटी के तहत बैंक के दायित्व या उत्तरदायित्व को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा।

4. प्राधिकरण के लिए इस गारंटी के तहत बैंक को अपनी मांग प्रस्तुत करने से पहले रियायतग्राही के विरुद्ध कार्रवाई करना आवश्यक नहीं होगा, और बैंक एतद्वारा ऐसी किसी भी आवश्यकता का परित्याग करता है।
5. प्राधिकरण को यह स्वतंत्रता प्राप्त है कि वह इस गारंटी के तहत बैंक के दायित्व को किसी भी तरह से प्रभावित किए बिना, किसी भी समय समझौते के नियमों और शर्तों में बदलाव कर सकता है अथवा समझौते में निहित रियायतग्राही के सभी या किन्हीं दायित्वों के अनुपालन, पूर्ति और/या निष्पादन के लिए समय या अवधि बढ़ा सकता है अथवा रियायतग्राही के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं अधिकारों और शक्तियों को किसी भी समय और समय-समय पर स्थगित कर सकता है, और समझौते में निहित किन्हीं नियमों और शर्तों और/या प्राधिकरण को उपलब्ध प्रतिभूतियों को लागू कर सकता है या लागू करने से परहेज कर सकता है; और उपर्युक्त मामलों के संदर्भ में प्राधिकरण द्वारा स्वतंत्रता का प्रयोग किए जाने के कारण, या रियायतग्राही को समय दिए जाने के कारण या प्राधिकरण की ओर से किसी अन्य सहनशीलता, ढिलाई, कृत्य या चूक के कारण अथवा किसी अन्य मामले या बात के कारण जो प्रतिभूतियों और गारंटियों से संबंधित किसी भी कानून के तहत, इस प्रावधान के अभाव में, बैंक को इस गारंटी के तहत उसके दायित्वों से मुक्त करने का प्रभाव रखती, बैंक को इस विलेख के तहत अपने दायित्व और उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं किया जाएगा, और बैंक एतद्वारा ऐसे किसी भी कानून के तहत अपने सभी अधिकारों का परित्याग करता है।
6. यह गारंटी समझौते के संबंध में या उससे संबंधित किसी अन्य गारंटी या प्रतिभूति के अतिरिक्त है, न कि उसके स्थान पर, जो अब या इसके बाद प्राधिकरण द्वारा समझौते के तहत रियायतग्राही के सभी या किन्हीं दायित्वों की पूर्ति, अनुपालन और/या निष्पादन के लिए रखी जा सकती है।
7. इसमें पहले उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए भी, इस गारंटी के तहत बैंक का दायित्व गारंटी राशि तक सीमित है और यह गारंटी समझौते में निर्धारित अवधि तक लागू रहेगी, और जब तक प्राधिकरण द्वारा इस गारंटी के तहत बैंक पर इस गारंटी की समाप्ति की तारीख से 3 (तीन) महीने के भीतर लिखित रूप में मांग या दावा नहीं किया जाता है, तब तक इस गारंटी के तहत प्राधिकरण के सभी अधिकार जब्त हो जाएंगे और बैंक इसके तहत अपने दायित्वों से मुक्त हो जाएगा।
8. निष्पादन प्रतिभूति समझौते में निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद 3 (तीन) महीने की दावा अवधि होगी। रियायतग्राही द्वारा निष्पादन प्रतिभूति को जारी करने के लिए इसके तहत अपेक्षित विवरणों के साथ किए गए अनुरोध पर, जो रियायतग्राही के वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित हो, प्राधिकरण इस गारंटी की समाप्ति की तारीख से 3 (तीन) महीने की अवधि के बाद निष्पादन प्रतिभूति को तत्काल जारी कर देगा।
9. बैंक अपनी वैधता के दौरान इस गारंटी को रद्द न करने का वचन देता है, सिवाय इसके कि प्राधिकरण की पूर्व स्पष्ट लिखित सहमति प्राप्त हो, और घोषणा व वारंट करता है कि उसके पास इस गारंटी को जारी करने की शक्ति है और अधोहस्ताक्षरी के पास बैंक की ओर से ऐसा करने के पूर्ण अधिकार हैं।
10. इसके तहत अनुरोध, मांग या अन्यथा कोई भी नोटिस बैंक को उसकी उपर्युक्त शाखा के पते पर डाक द्वारा भेजा जा सकता है, जिसे ऐसा नोटिस प्राप्त करने और उसका तुरंत भुगतान करने के लिए विधिवत अधिकृत माना जाएगा, और यदि डाक द्वारा भेजा जाता है तो इसे उस समय दिया गया माना जाएगा जब इसे डाक के सामान्य क्रम में वितरित किया जाना चाहिए था और डाक द्वारा दिए जाने पर ऐसे नोटिस को साबित करने के लिए यह

साबित करना पर्याप्त होगा कि नोटिस वाला लिफाफा डाक में डाला गया था, तथा प्राधिकरण के एक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र कि लिफाफा इस तरह डाक में डाला गया था, निर्णायक होगा।

आज दिनांक [], माह [], 20[] को [] पर हस्ताक्षरित एवं मुहरबंद।

हस्ताक्षरित, मुहरबंद एवं सुपुर्द

कृते एवं की ओर से []

बैंक की ओर से हस्ताक्षरकर्ता:

(हस्ताक्षर)

(नाम)

(पदनाम)

(कोड संख्या)

(पता)

नोट्स :

(a) बैंक गारंटी में गारंटी पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी/अधिकारियों का नाम, पदनाम और कोड संख्या शामिल होनी चाहिए।

(b) बैंक के प्रधान कार्यालय के साथ-साथ जारीकर्ता शाखा का पता, टेलीफोन नंबर और अन्य विवरण जारीकर्ता शाखा के कवरिंग लेटर (अग्रेषण पत्र) पर उल्लिखित होने चाहिए।

अनुसूची च
चरण पूर्णता अनुसूची
(देखें खंड 12.5.2)

1. चरण पूर्णता अनुसूची

- 1.1 विकास अवधि के दौरान, रियायतग्राही प्रत्येक चरण मील के पत्थर के लिए इस अनुसूची एफ में निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करेगा।
- 1.2 प्रत्येक चरण के संबंध में 'चरण मील के पत्थर' और 'निर्धारित पूर्णता तिथि' का निर्धारण, ऐसे प्रत्येक चरण के निर्माण कार्यों के प्रारंभ होने से कम से कम 30 (तीस) दिन पहले, स्वतंत्र अभियंता के परामर्श से रियायतग्राही द्वारा किया जाएगा।
- 1.3 रियायतग्राही विकास अवधि के दौरान किए जाने वाले संपूर्ण निर्माण कार्यों को मापने योग्य समय इकाइयों (दिनों/सप्ताहों/महीनों/वर्ष) में विभाजित करेगा ("चरण पूर्णता अनुसूची"), और इसे विकास अवधि के दौरान पूरी की जाने वाली प्रमुख गतिविधियों से जोड़ेगा। इन प्रमुख गतिविधियों को विभिन्न कार्यों में उप-विभाजित किया जा सकता है और प्रत्येक कार्य को पूरा करने के लिए समय अवधि परिभाषित की जाएगी।
- 1.4 समय अवधि के साथ निर्माण कार्यों के इस विभाजन (ब्रेकडाउन) को एक बार चार्ट या किसी उपयुक्त आरेख के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जो कार्यों और गतिविधियों के बीच संबंधों और अंतर-निर्भरता को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता हो।
- 1.5 रियायतग्राही, विकास योजना के एक भाग के रूप में, प्रत्येक चरण के संबंध में चरण पूर्णता अनुसूची प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

2. चरण मील का पत्थर

रियायतग्राही प्रत्येक चरण के लिए निर्धारित पूर्णता तिथि पर या उससे पहले पूरे किए जाने वाले निर्माण कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति के संदर्भ में, पालन किए जाने वाले परियोजना के प्रत्येक चरण के लिए प्रमुख मील के पत्थरों ("चरण मील के पत्थर") की पहचान करेगा। रियायतग्राही प्रत्येक चरण के संबंध में चरण पूर्णता अनुसूची प्राधिकरण को प्रदान करेगा।

3. निर्धारित पूर्णता तिथि से पूर्व पूर्णता

चरण 1 की निर्धारित पूर्णता तिथि पर या उससे पहले, रियायतग्राही इस समझौते के अनुसार हवाई अड्डे के चरण 1 को पूरा कर लेगा।

4. अवधि का विस्तार

इस समझौते के प्रावधानों के तहत और उनके अनुसार, यथास्थिति, किसी भी या सभी चरण मील के पत्थरों अथवा निर्धारित पूर्णता तिथि के विस्तार पर, चरण पूर्णता अनुसूची को तदनुसार संशोधित माना जाएगा।

अनुसूची छ
परीक्षण
(देखें खंड 14.1.2)

1. परीक्षणों के लिए अनुसूची

- 1.1.** रियायतग्राही, हवाई अड्डे के संबंधित चरण के संभावित समापन से कम से कम 90 (नब्बे) दिन पहले, संबंधित चरण को परीक्षणों के अधीन करने के अपने इरादे के बारे में स्वतंत्र अभियंता और प्राधिकरण को सूचित करेगा, और परीक्षणों की वास्तविक तिथि से कम से कम 15 (पंद्रह) दिन पहले, स्वतंत्र अभियंता और प्राधिकरण को हवाई अड्डे का हिस्सा बनने वाले सभी कार्यों और उपकरणों की विस्तृत सूची और विवरण प्रस्तुत करेगा।
- 1.2.** रियायतग्राही ऐसे नोटिस की तारीख से 7 (सात) दिनों के बाद किसी भी समय हवाई अड्डे के संबंधित चरण को परीक्षणों के अधीन करने की अपनी तत्परता के बारे में स्वतंत्र अभियंता को सूचित करेगा, और ऐसा नोटिस प्राप्त होने पर, स्वतंत्र अभियंता, रियायतग्राही के परामर्श से, प्रत्येक परीक्षण के लिए तिथि और समय निर्धारित करेगा और इसकी सूचना प्राधिकरण को देगा, जो परीक्षणों को देखने के लिए अपने प्रतिनिधि को नामित कर सकता है। तत्पश्चात रियायतग्राही अनुच्छेद 14 और इस अनुसूची जी के अनुसार स्वतंत्र अभियंता की उपस्थिति में परीक्षण आयोजित करेगा।

2. परीक्षण

इस समझौते के खंड 14.1.2 के प्रावधानों के अनुसरण में, रियायतग्राही, स्वतंत्र अभियंता की उपस्थिति में, निम्नलिखित परीक्षण आयोजित करेगा:

2.1 दृश्य एवं भौतिक परीक्षण :

2.1.1 रियायतग्राही यह निर्धारित करने के लिए हवाई अड्डे की दृश्य और भौतिक जांच करेगा कि उसके सभी कार्य और उपकरण, जो उसका हिस्सा हैं, इस समझौते के प्रावधानों के अनुरूप हैं।

2.1.2 रनवे, टैक्सीवे, एप्रन, एटीसी सुविधा और टर्मिनल भवन को पूर्ण संरचनाओं या उसके हिस्से के गैर-विनाशकारी परीक्षण के अधीन किया जाएगा, जिसे (आईएस-13311) में वर्णित प्रक्रिया, प्रासंगिक आईसीएओ (इकाओ) दस्तावेजों और अनुलग्नकों तथा डीजीसीए के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित किया जाएगा।

2.2 उपकरणों के लिए परीक्षण :

रियायतग्राही विनिर्देशों और मानकों तथा सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ सभी उपकरणों के अनुपालन को निर्धारित करने के लिए, प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों, डीजीसीए के लागू दिशानिर्देशों और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार परीक्षण आयोजित करेगा।

2.3 परिचालन तत्परता के लिए परीक्षण:

रियायतग्राही वैमानिकी परिसंपत्तियों, टर्मिनल भवन और गैर-वैमानिकी परिसंपत्तियों सहित हवाई अड्डे के विनिर्देशों और मानकों, रखरखाव आवश्यकताओं, प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों, डीजीसीए के लागू दिशानिर्देशों और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुपालन को निर्धारित करने के लिए हवाई अड्डे का ट्रायल रन आयोजित करेगा।

2.4 पर्यावरणीय लेखापरीक्षण :

रियायतग्राही लागू कानूनों और लागू परमिटों में निर्धारित पर्यावरणीय आवश्यकताओं के साथ हवाई अड्डे की अनुरूपता निर्धारित करने के लिए जांच करेगा।

2.5 अन्य अनिवार्य परीक्षण:

रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा और व्यवस्था करेगा कि डीजीसीए द्वारा हवाई अड्डा लाइसेंस जारी करने के लिए लागू कानूनों के अनुसार किए जाने वाले सभी वैधानिक परीक्षण पूरे किए जाएं और वाणिज्यिक संचालन तिथि से कम से कम 15 (पंद्रह) दिन पहले पूरे कर लिए जाएं।

3. परीक्षण आयोजित करने वाली एजेंसी

इस अनुसूची जी में निर्धारित सभी परीक्षण रियायतग्राही द्वारा या ऐसी अन्य एजेंसी या व्यक्ति द्वारा आयोजित किए जाएंगे जिसे वह प्राधिकरण के परामर्श से निर्दिष्ट करे, जो स्वतंत्र अभियंता और/या प्राधिकरण की उपस्थिति में होंगे।

4. सुरक्षा प्रमाणीकरण के लिए परीक्षण

सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ हवाई अड्डे की अनुरूपता निर्धारित करने के परीक्षण उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार और लागू कानूनों तथा लागू परमिटों के अनुरूप आयोजित किए जाएंगे।

5. पूर्णता/अनंतिम रिपोर्ट

परीक्षणों के सफल समापन पर, स्वतंत्र अभियंता अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के अनुसार, यथास्थिति, पूर्णता या अनंतिम पूर्णता के संबंध में प्राधिकरण को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

6. निर्माण के दौरान परीक्षण

इस अनुसूची जी के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निर्माण कार्यों के निष्पादन के दौरान परीक्षण खंड 13.3.1 के प्रावधानों के अनुसार आयोजित किए जाएंगे।

अनुसूची ज
सेवा गुणवत्ता आवश्यकताएं
(देखें खंड 23.1)

1. सेवा गुणवत्ता आवश्यकताएं

रियायतग्राही, वाणिज्यिक संचालन तिथि से 1 (एक) वर्ष की तिथि से शुरू करते हुए, हर समय यह सुनिश्चित और व्यवस्थित करेगा कि वह इस अनुसूची एच के अनुलग्नक I में निर्धारित सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं को प्राप्त करे।

2. मासिक अनुपालन रिपोर्ट

रियायतग्राही प्रत्येक कैलेंडर माह की समाप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं के अनुपालन पर एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

3. अनुसूची एच का प्रदर्शन

रियायतग्राही अनुच्छेद 43 में निर्धारित शिकायत रजिस्टर के साथ इस अनुसूची एच की एक प्रति टर्मिनल भवन में प्रदर्शित करेगा।

अनुलग्नक 1

(अनुसूची एच)

सेवा गुणवत्ता आवश्यकताएं

रियायतग्राही, वाणिज्यिक संचालन तिथि से 1 (एक) वर्ष की तिथि से शुरू करते हुए, हर समय यह सुनिश्चित और प्रबंधित करेगा कि हवाई अड्डे पर प्रदान की जाने वाली सेवाएं अनुसूची एच के इस अनुलग्नक 1 में निर्दिष्ट प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों ("सेवा गुणवत्ता आवश्यकताएं") के अनुरूप हों।

1.1 वस्तुनिष्ठ सेवा गुणवत्ता पैरामीटर और बेंचमार्क

क्र. सं.	प्रदर्शन संकेतक	प्रदर्शन माप	न्यूनतम प्रदर्शन मानक	मापन तंत्र	मापन आवृत्ति	महत्वपूर्ण (हाँ/नहीं)
1	कार पार्किंग	ए) पार्किंग शुल्क के भुगतान या टिकट लेने के समय सहित पार्किंग स्थान खोजने में लगने वाला औसत समय	ए) 95% वाहन चालक 5 मिनट से कम समय लेते हैं	कतार में कुल ग्राहकों के प्रतिशत के रूप में ऐसे ग्राहकों की संख्या जिनका औसत कतार समय निर्धारित मानक के भीतर है। कार पार्किंग कतार में यात्रियों के लिए औसत कतार समय उस समय से मापा जाएगा जब यात्री कतार में शामिल होता है, उस समय तक जब उसे कार पार्क में पार्किंग की जगह मिल जाती है, और इसकी गणना इस अनुलग्नक के पैरा 1.2.बी के तहत निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार की जाएगी।	प्रदर्शन मापन योजना पर आधारित	ए) नहीं

क्र. सं.	प्रदर्शन संकेतक	प्रदर्शन माप	न्यूनतम प्रदर्शन मानक	मापन तंत्र	मापन आवृत्ति	महत्वपूर्ण (हाँ/नहीं)
		b) पार्किंग शुल्क भुगतान के समय सहित पार्किंग स्लॉट से निकास द्वार (एग्जिट गेट) तक का औसत समय	बी) 95% वाहन चालक 5 मिनट से कम समय लेते हैं	कार पार्क से बाहर निकलने वाले यात्रियों के लिए औसत कतार समय उस समय से मापा जाएगा जब यात्री पार्किंग स्थान छोड़ता है, निकास द्वार से बाहर निकलने के समय तक, और इसकी गणना इस अनुलग्नक के पैरा 1.2.बी के तहत निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार की जाएगी।		बी) नहीं

क्र. सं.	प्रदर्शन संकेतक	प्रदर्शन माप	न्यूनतम प्रदर्शन मानक	मापन तंत्र	मापन आवृत्ति	महत्वपूर्ण (हाँ/नहीं)
2	सुरक्षा जांच	कतार में प्रतीक्षा समय	पीक ऑवर (व्यस्त समय) के 95% यात्री 5 मिनट से कम प्रतीक्षा करते हैं	कतार में कुल ग्राहकों के प्रतिशत के रूप में ऐसे ग्राहकों की संख्या जिनका औसत कतार समय निर्धारित मानक के भीतर है। सुरक्षा कतार में यात्रियों के लिए औसत कतार समय उस समय से मापा जाएगा	अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों यात्रियों के लिए, प्रदर्शन मापन योजना के आधार पर	हाँ

क्र. सं.	प्रदर्शन संकेतक	प्रदर्शन माप	न्यूनतम प्रदर्शन मानक	मापन तंत्र	मापन आवृत्ति	महत्वपूर्ण (हाँ/नहीं)
				जब यात्री कतार में शामिल होता है, उस समय तक जब वह प्रोसेसिंग काउंटर तक पहुँचता है, और इसकी गणना इस अनुलग्नक के पैरा 1.2.बी के तहत निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार की जाएगी।		
3	चेक-इन	कतार में प्रतीक्षा समय	ए) बिजनेस क्लास के 95% यात्री 5 मिनट से कम प्रतीक्षा करते हैं बी) इकोनॉमी क्लास के 95% यात्री 20 मिनट से कम प्रतीक्षा करते हैं	कतार में कुल यात्रियों के प्रतिशत के रूप में ऐसे यात्रियों की संख्या जिनका औसत कतार समय निर्धारित मानक के भीतर है। चेक-इन कतार में यात्रियों के लिए औसत कतार समय उस समय से मापा जाएगा जब यात्री कतार में शामिल होता है, प्रोसेसिंग काउंटर/डेस्क तक पहुंचने के समय तक, और इसकी गणना इस अनुलग्नक के	अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों यात्रियों के लिए, प्रदर्शन मापन योजना के आधार पर	हाँ

क्र. सं.	प्रदर्शन संकेतक	प्रदर्शन माप	न्यूनतम प्रदर्शन मानक	मापन तंत्र	मापन आवृत्ति	महत्वपूर्ण (हाँ/नहीं)
				पैरा 1.2.बी के तहत निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार की जाएगी।		
4	आव्रजन (इमिग्रेशन)	कतार में प्रतीक्षा समय	ए) 95% यात्री 10 मिनट से कम प्रतीक्षा करते हैं	कतार में कुल यात्रियों के प्रतिशत के रूप में ऐसे यात्रियों की संख्या जिनका औसत कतार समय निर्धारित मानक के भीतर है। इमिग्रेशन कतार में यात्रियों के लिए औसत कतार समय उस समय से मापा जाएगा जब यात्री कतार में शामिल होता है, प्रोसेसिंग काउंटर तक पहुंचने के समय तक, और इसकी गणना इस अनुलग्नक के पैरा 1.2.बी के अनुसार की जाएगी।	प्रदर्शन मापन योजना पर आधारित	हाँ
5	सामान वितरण (घरेलू)	विमान के आगमन से सामान वितरण में लगने वाला	ए) विमान के ऑन-ब्लॉक्स समय के 10 मिनट के भीतर पहला	विमान के ऑन-ब्लॉक्स समय से बैगेज बेल्ट पर पहले बैग तक सामान वितरण	सभी घरेलू उड़ानों के लिए, प्रदर्शन मापन	हाँ

क्र. सं.	प्रदर्शन संकेतक	प्रदर्शन माप	न्यूनतम प्रदर्शन मानक	मापन तंत्र	मापन आवृत्ति	महत्वपूर्ण (हाँ/नहीं)
		समय	सामान बैगेज बेल्ट पर आएगा, और b) कोड सी विमान के लिए 30 मिनट के भीतर और कोड ई विमान के लिए 45 मिनट के भीतर अंतिम सामान बैगेज बेल्ट पर आएगा।	में लगने वाला अधिकतम समय। विमान के ऑन-ब्लॉक्स समय से बैगेज बेल्ट पर अंतिम बैग तक सामान वितरण में लगने वाला अधिकतम समय। पहले बैग और आखिरी बैग दोनों के लिए लिया गया अधिकतम समय निर्धारित मानक के भीतर होगा।	योजना के आधार पर	
6	सामान वितरण (घरेलू)	उपलब्ध समय का प्रतिशत	प्रत्येक बैगेज बेल्ट कम से कम 95% समय उपलब्ध होनी चाहिए	एक महीने में कुल नियोजित परिचालन घंटों के प्रतिशत (नियोजित रखरखाव समय को छोड़कर) के रूप में एक महीने में वास्तविक परिचालन घंटों का उपयोग करके प्रत्येक बैगेज बेल्ट के लिए उपलब्ध समय को मापा जाना है। उपलब्धता को	महीने के प्रत्येक दिन हवाई अड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए। डेटा स्रोत प्रदर्शन मापन योजना पर आधारित होगा।	हाँ

क्र. सं.	प्रदर्शन संकेतक	प्रदर्शन माप	न्यूनतम प्रदर्शन मानक	मापन तंत्र	मापन आवृत्ति	महत्वपूर्ण (हाँ/नहीं)
				इस अनुलग्नक के पैरा 1.2.ए में दिए गए सूत्र के संदर्भ में मापा जाएगा।		

क्र. सं.	प्रदर्शन संकेतक	प्रदर्शन माप	न्यूनतम प्रदर्शन मानक	मापन तंत्र	मापन आवृत्ति	महत्वपूर्ण (हाँ/नहीं)
7	सामान वितरण (अंतर्राष्ट्रीय)	विमान के आगमन से सामान वितरण में लगने वाला समय	ए) विमान के ऑन-ब्लॉक्स समय के 15 मिनट के भीतर पहला सामान बैगेज बेल्ट पर आएगा, और बी) कोड सी विमान के लिए ऑन-ब्लॉक्स समय के 40 मिनट के भीतर और कोड ई विमान के लिए 45 मिनट के भीतर अंतिम सामान बैगेज बेल्ट पर आएगा।	विमान के ऑन-ब्लॉक्स समय से बैगेज बेल्ट पर पहले बैग तक सामान वितरण में लगने वाला अधिकतम समय। विमान के ऑन-ब्लॉक्स समय से बैगेज बेल्ट पर अंतिम बैग तक सामान वितरण में लगने वाला अधिकतम समय। पहले बैग	सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए, प्रदर्शन मापन योजना के आधार पर	हाँ

क्र. सं.	प्रदर्शन संकेतक	प्रदर्शन माप	न्यूनतम प्रदर्शन मानक	मापन तंत्र	मापन आवृत्ति	महत्वपूर्ण (हाँ/नहीं)
				और आखिरी बैग दोनों के लिए लिया गया अधिकतम समय निर्धारित मानक के भीतर होगा।		
8	सामान वितरण (अंतर्राष्ट्रीय)	उपलब्ध समय का प्रतिशत	प्रत्येक बैगेज बेल्ट कम से कम 95% समय उपलब्ध होनी चाहिए	एक महीने में कुल नियोजित परिचालन घंटों (नियोजित रखरखाव समय को छोड़कर) के प्रतिशत के रूप में वास्तविक परिचालन घंटों का उपयोग करके प्रत्येक बैगेज बेल्ट के लिए उपलब्ध समय मापा जाएगा। उपलब्धता को इस अनुलग्नक	महीने के प्रत्येक दिन हवाई अड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए। डेटा स्रोत प्रदर्शन मापन योजना पर आधारित होगा।	हाँ

क्र. सं.	प्रदर्शन संकेतक	प्रदर्शन माप	न्यूनतम प्रदर्शन मानक	मापन तंत्र	मापन आवृत्ति	महत्वपूर्ण (हाँ/नहीं)
				के पैरा 1.2.ए में दिए गए सूत्र के संदर्भ में मापा जाएगा।		
9	यात्री आगमन प्रक्रिया	विमान आगमन से कर्बसाइड (फुटपाथ/निकास) तक लगने वाला समय	ए) अंतर्राष्ट्रीय - 95% यात्री 45 मिनट से कम समय लेते हैं बी) घरेलू - 95% यात्री 35 मिनट से कम समय लेते हैं	कुल यात्रियों के प्रतिशत के रूप में ऐसे यात्रियों की संख्या जिनका लिया गया औसत समय निर्धारित मानक के भीतर है। यात्रियों के लिए औसत समय यात्री विमान के आगमन से कर्बसाइड तक पहुँचने के समय तक मापा जाएगा और इसकी गणना इस अनुलग्नक के पैरा 1.2.बी के	अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों यात्रियों के लिए, प्रदर्शन मापन योजना के आधार पर	हाँ

क्र. सं.	प्रदर्शन संकेतक	प्रदर्शन माप	न्यूनतम प्रदर्शन मानक	मापन तंत्र	मापन आवृत्ति	महत्वपूर्ण (हाँ/नहीं)
				तहत निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार की जाएगी।		
10 ए)	यात्री बोर्डिंग ब्रिज	उपलब्ध समय का प्रतिशत	ए) प्रत्येक यात्री बोर्डिंग ब्रिज कम से कम 95% समय उपलब्ध होना चाहिए	प्रत्येक यात्री बोर्डिंग ब्रिज के लिए उपलब्ध समय को एक महीने में कुल नियोजित परिचालन घंटों (नियोजित रखरखाव समय को छोड़कर) के प्रतिशत के रूप में वास्तविक परिचालन घंटों का उपयोग करके मापा जाएगा। उपलब्धता को नीचे पैरा 1.2.ए में दिए गए सूत्र के संदर्भ में मापा	महीने के प्रत्येक दिन हवाई अड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए। डेटा स्रोत प्रदर्शन मापन योजना पर आधारित होगा।	हाँ

क्र. सं.	प्रदर्शन संकेतक	प्रदर्शन माप	न्यूनतम प्रदर्शन मानक	मापन तंत्र	मापन आवृत्ति	महत्वपूर्ण (हाँ/नहीं)
				जाएगा।		

क्र. सं.	प्रदर्शन संकेतक	प्रदर्शन माप	न्यूनतम प्रदर्शन मानक	मापन तंत्र	मापन आवृत्ति	महत्वपूर्ण (हाँ/नहीं)
10 बी)	यात्री ब्रिज बोर्डिंग	एयरलाइन के अनुरोध को पूरा करने के लिए विमान की आवाजाही हेतु उपलब्धता	बी) यात्री बोर्डिंग ब्रिज 90% अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए और बी737/ए320 या बड़े विमानों से यात्रा करने वाले 90% घरेलू यात्रियों के लिए उपलब्ध होने चाहिए, जब तक कि एयरलाइंस द्वारा इसकी आवश्यकता न हो।	उपलब्धता को ऐसे विमान संचालनों की संख्या के संबंध में मापा जाएगा जिनके लिए यात्री बोर्डिंग ब्रिज (एयरोब्रिज) की आवश्यकता पूरी की गई थी, उन कुल विमान संचालनों के प्रतिशत के रूप में जिनके लिए एयरलाइंस द्वारा एयरोब्रिज की आवश्यकता थी।	मौजूदा टर्मिनलों के किसी भी विस्तार के पूरा होने या नए टर्मिनल भवनों के निर्माण से शुरू होकर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों यात्री टर्मिनलों के लिए मापन किया जाएगा। डेटा स्रोत प्रदर्शन मापन योजना पर आधारित होगा।	हाँ
11	पार्किंग बे	उपलब्ध समय का प्रतिशत	a) प्रत्येक पार्किंग बे/स्टैंड कम से कम 99% समय उपलब्ध होना चाहिए।	प्रत्येक पार्किंग बे के लिए उपलब्ध समय को एक महीने में कुल नियोजित परिचालन घंटों (नियोजित रखरखाव समय को छोड़कर) के प्रतिशत के रूप में	महीने के प्रत्येक दिन हवाई अड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए। डेटा स्रोत प्रदर्शन मापन योजना पर आधारित	हाँ

क्र. सं.	प्रदर्शन संकेतक	प्रदर्शन माप	न्यूनतम प्रदर्शन मानक	मापन तंत्र	मापन आवृत्ति	महत्वपूर्ण (हाँ/नहीं)
				वास्तविक परिचालन घंटों का उपयोग करके मापा जाना है। उपलब्धता को इस अनुलग्नक के पैरा 1.2.ए में दिए गए सूत्र के संदर्भ में मापा जाएगा।	होगा।	
12	फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम (एफआईडीएस) की उपलब्धता	उपलब्ध समय का प्रतिशत	a) प्रत्येक एफआईडीएस कम से कम 98% समय उपलब्ध होना चाहिए।	प्रत्येक एफआईडीएस के लिए उपलब्ध समय को एक महीने में कुल नियोजित परिचालन घंटों (नियोजित रखरखाव समय को छोड़कर) के प्रतिशत के रूप में वास्तविक परिचालन घंटों का उपयोग करके मापा जाना है। उपलब्धता को इस अनुलग्नक के पैरा 1.2.ए में दिए गए सूत्र के संदर्भ में मापा जाएगा।	महीने के प्रत्येक दिन हवाई अड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए। डेटा स्रोत प्रदर्शन मापन योजना पर आधारित होगा।	नहीं
13	सामान ट्रॉलियों की उपलब्धता	उपलब्ध समय का प्रतिशत	ए) बैगेज ट्रॉलियां 100% समय उपलब्ध होनी चाहिए।	निर्दिष्ट स्थानों पर न्यूनतम उपलब्ध खाली सामान ट्रॉलियां 25 से कम नहीं होनी चाहिए।	प्रदर्शन मापन योजना पर आधारित	नहीं

क्र. सं.	प्रदर्शन संकेतक	प्रदर्शन माप	न्यूनतम प्रदर्शन मानक	मापन तंत्र	मापन आवृत्ति	महत्वपूर्ण (हाँ/नहीं)
				रियायतग्राही द्वारा उद्योग प्रथा के अनुरूप निर्दिष्ट स्थानों की पहचान की जाएगी।		
14	व्हीलचेयर की आवश्यकता वाले यात्री	सहायता प्रदान करने के लिए प्रतीक्षा समय	ए) व्हीलचेयर की आवश्यकता वाले 100% प्रस्थान करने वाले यात्रियों को 5 मिनट से अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए	सहायता के लिए किए गए अनुरोधों की संख्या, जहां सहायता के अनुरोध के समय से सहायता प्रदान किए जाने के समय तक किया गया मापन, सहायता के कुल अनुरोधों के प्रतिशत के रूप में निर्धारित मानक के भीतर है।	महीने के प्रत्येक दिन हवाई अड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए। डेटा स्रोत प्रदर्शन मापन योजना पर आधारित होगा।	नहीं

क्र. सं.	प्रदर्शन संकेतक	प्रदर्शन माप	न्यूनतम प्रदर्शन मानक	मापन तंत्र	मापन आवृत्ति	महत्वपूर्ण (हाँ/नहीं)
15	पारगमन/स्थानांतरण (ट्रांजिट/ट्रांसफर) यात्री	पारगमन/स्थानांतरण यात्रियों के लिए न्यूनतम कनेक्ट समय: (i) घरेलू से घरेलू या (ii) घरेलू से	ए) 80% घरेलू/घरेलू यात्रियों के लिए न्यूनतम कनेक्ट समय 60 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए।	न्यूनतम कनेक्टिंग समय को आईएटीए (आएटा) संकल्प 765 के अनुसार परिभाषित	अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों ट्रांजिट यात्रियों के लिए,	नहीं

क्र. सं.	प्रदर्शन संकेतक	प्रदर्शन माप	न्यूनतम प्रदर्शन मानक	मापन तंत्र	मापन आवृत्ति	महत्वपूर्ण (हाँ/नहीं)
		अंतर्राष्ट्रीय या (iii) अंतर्राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय	बी) 80% घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए न्यूनतम कनेक्ट समय 75 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। सी) 80% अंतर्राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए न्यूनतम कनेक्ट समय 60 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए।	और मापा जाएगा, जहां इसे "एक विशिष्ट स्थान पर एक यात्री और उसके सामान को एक उड़ान से कनेक्टिंग उड़ान में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक सबसे कम समय अंतराल" के रूप में परिभाषित किया गया है।	प्रदर्शन मापन योजना के आधार पर	
16	एस्केलेटर, लिफ्ट और ट्रेवलेटर	उपलब्ध समय का प्रतिशत	ए) एस्केलेटर, लिफ्ट और ट्रेवलेटर 98% समय उपलब्ध होने चाहिए।	प्रत्येक एस्केलेटर, लिफ्ट और ट्रेवलेटर के लिए उपलब्ध समय को कुल नियोजित परिचालन घंटों (नियोजित	महीने के प्रत्येक दिन हवाई अड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए। डेटा	नहीं

क्र. सं.	प्रदर्शन संकेतक	प्रदर्शन माप	न्यूनतम प्रदर्शन मानक	मापन तंत्र	मापन आवृत्ति	महत्वपूर्ण (हाँ/नहीं)
				रखरखाव समय को छोड़कर) के प्रतिशत के रूप में वास्तविक परिचालन घंटों का उपयोग करके मापा जाना है। उपलब्धता को इस अनुलग्नक के पैरा 1.2.ए में दिए गए सूत्र के संदर्भ में मापा जाएगा।	स्रोत प्रदर्शन मापन योजना पर आधारित होगा।	
17	स्वचालित सेवाएं	उपलब्ध समय का प्रतिशत	ए) स्वचालित सेवाएं 98% समय उपलब्ध होनी चाहिए। "स्वचालित सेवाओं" में इनबाउंड बैगेज सिस्टम, आउटबाउंड बैगेज सिस्टम, एक्स-रे मशीनें और सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली शामिल होंगी,	प्रत्येक स्वचालित सेवा के लिए उपलब्ध समय को कुल नियोजित परिचालन घंटों (रियायतग्राही द्वारा नियोजित रखरखाव	महीने के प्रत्येक दिन हवाई अड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए। डेटा स्रोत प्रदर्शन	नहीं

क्र. सं.	प्रदर्शन संकेतक	प्रदर्शन माप	न्यूनतम प्रदर्शन मानक	मापन तंत्र	मापन आवृत्ति	महत्वपूर्ण (हाँ/नहीं)
			लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।	समय को छोड़कर) के प्रतिशत के रूप में वास्तविक परिचालन घंटों का उपयोग करके मापा जाना है। उपलब्धता को इस अनुलग्नक के पैरा 1.2.ए) में दिए गए सूत्र के संदर्भ में मापा जाएगा।	मापन योजना पर आधारित होगा।	
18	सूचना/शिकायत डेस्क	सूचना/शिकायत डेस्क पर कर्मियों की उपलब्धता	ए) सूचना/शिकायत डेस्क पर 100% समय कर्मचारी तैनात होने चाहिए।	परिचालन घंटों के दौरान सूचना/शिकायत डेस्क पर कर्मियों की उपलब्धता	महीने के प्रत्येक दिन हवाई अड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए। डेटा स्रोत प्रदर्शन मापन	नहीं

क्र. सं.	प्रदर्शन संकेतक	प्रदर्शन माप	न्यूनतम प्रदर्शन मानक	मापन तंत्र	मापन आवृत्ति	महत्वपूर्ण (हाँ/नहीं)
					योजना पर आधारित होगा।	

क्र. सं.	निष्पादन संकेतक	निष्पादन माप	न्यूनतम निष्पादन मानक	मापन तंत्र	मापन आवृत्ति	महत्वपूर्ण (हाँ/नहीं)
19	यात्री टर्मिनलों में परिवेशी स्थितियाँ	यात्री टर्मिनलों में परिवेशी स्थितियों का रखरखाव	क) यात्री क्षेत्रों में संचालन घंटों के दौरान यात्री टर्मिनल में तापमान 21-25 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। और ख) सापेक्षिक आर्द्रता स्तर - निर्दिष्ट तापमान सीमा से सह-संबंधित सापेक्षिक आर्द्रता।	मापन वास्तविक संचालन घंटों के दौरान यात्री टर्मिनल में औसत तापमान और आर्द्रता स्तर के संदर्भ में किया जाएगा।	मापन सप्ताह के सभी दिनों को कवर करते हुए महीने में यादृच्छिक रूप से चुने गए दिनों के दौरान, हवाई अड्डे के संचालन घंटों की अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों यात्री टर्मिनलों के लिए किया जाएगा। डेटा स्रोत निष्पादन मापन योजना पर आधारित होगा।	नहीं
20	रनवे परिचालन सुरक्षा	रनवे अतिक्रमणों की संख्या	क) रनवे अतिक्रमणों को रिकॉर्ड करना, उनकी जांच करना और उन्हें न्यूनतम करना।	एक वर्ष की अवधि के दौरान मापे गए, विमान के उतरने और उड़ान भरने के लिए निर्धारित सतह के संरक्षित क्षेत्र में किसी विमान, वाहन	निष्पादन मापन योजना पर आधारित।	हाँ

क्र. सं.	निष्पादन संकेतक	निष्पादन माप	न्यूनतम निष्पादन मानक	मापन तंत्र	मापन आवृत्ति	महत्वपूर्ण (हाँ/नहीं)
				या व्यक्ति की गलत उपस्थिति से जुड़ी प्रति हजार गतिविधियों में होने वाली घटनाओं की संख्या। गंभीरता तथा विशिष्ट कारण एवं योगदान देने वाले कारकों की पहचान करने के लिए पर्याप्त विस्तार से सभी रनवे अतिक्रमणों की सूचना दी जानी चाहिए और उनकी जांच की जानी चाहिए।		

क्र. सं.	निष्पादन संकेतक	निष्पादन माप	न्यूनतम निष्पादन मानक	मापन तंत्र	मापन आवृत्ति	महत्वपूर्ण (हाँ/नहीं)
21	एआरएफएफ	घटना के प्रति प्रतिक्रिया समय	क) इकाओ द्वारा निर्दिष्ट अनुसार, परिचालन रनवे के किसी भी बिंदु पर 3 मिनट से अनधिक का प्रतिक्रिया समय प्राप्त करना, और अनुकूल	प्रतिक्रिया समय को एआरएफएफ सेवा को मिली पहली कॉल और उस समय के बीच का समय माना जाएगा जब पहला प्रतिक्रिया वाहन/वाहन हवाई अड्डे की श्रेणी के लिए निर्दिष्ट निर्वहन	निष्पादन मापन योजना पर आधारित ।	हाँ

क्र. सं.	निष्पादन संकेतक	निष्पादन माप	न्यूनतम निष्पादन मानक	मापन तंत्र	मापन आवृत्ति	महत्वपूर्ण (हाँ/नहीं)
			दृश्यता एवं सतह स्थितियों में हवाई अड्डे के गतिशीलता क्षेत्र के किसी अन्य भाग पर 3 मिनट से अनधिक समय प्राप्त करना। ख) अग्निशामक एजेंटों की निर्दिष्ट मात्रा वितरित करने के लिए आवश्यक अन्य वाहनों को पहले प्रतिक्रिया वाहन के आने के 1 मिनट से अनधिक समय में पहुँचना चाहिए (यानी पहली कॉल के बाद 4 मिनट से	दर के कम से कम 50% की दर से फोम लगाने की स्थिति में हों। इष्टतम दृश्यता और सतह स्थितियों को दिन के समय, अच्छी दृश्यता, बिना किसी वर्षा के, सामान्य प्रतिक्रिया मार्ग पर सतह संदूषण (जैसे पानी) से मुक्त के रूप में परिभाषित किया गया है।		

क्र. सं.	निष्पादन संकेतक	निष्पादन माप	न्यूनतम निष्पादन मानक	मापन तंत्र	मापन आवृत्ति	महत्वपूर्ण (हाँ/नहीं)
			अधिक नहीं) ताकि निरंतर एजेंट अनुप्रयोग प्रदान किया जा सके।			
22	टैक्सी की उपलब्धता	कतार में प्रतीक्षा समय	क) 95% यात्रियों के लिए टैक्सियों हेतु कतार में प्रतीक्षा समय 5 मिनट से अधिक नहीं होगा।	टैक्सी कतार में यात्रियों का औसत कतार समय यात्री द्वारा कतार में शामिल होने के समय से लेकर टैक्सी प्राप्त करने के समय तक मापा जाएगा और इसकी गणना नीचे दिए गए पैराग्राफ 1.2.बी में निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार की जाएगी। कतार में कुल यात्रियों के प्रतिशत के रूप में ऐसे यात्रियों की संख्या जिनका औसत कतार समय निर्धारित मानक के भीतर है।	निष्पादन मापन योजना के आधार पर, अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों आने वाले यात्रियों के लिए।	नहीं

क्र. सं.	निष्पादन संकेतक	निष्पादन माप	न्यूनतम निष्पादन मानक	मापन तंत्र	मापन आवृत्ति	महत्वपूर्ण (हाँ/नहीं)
23	शिकायतों का निवारण	निर्दिष्ट समय के भीतर उत्तर दी गई शिकायतों का प्रतिशत	क) 100% शिकायतों का उत्तर 2 कार्य दिवसों के भीतर दिया गया।	प्राप्त कुल शिकायतों के प्रतिशत के रूप में ऐसी शिकायतों की कुल संख्या, जिनमें शिकायत प्राप्त होने के समय से लेकर पहली प्रतिक्रिया तक का अंतर निर्धारित मानक के भीतर है। शामिल शिकायतों में डाक/ईमेल या शिकायत/सुझाव रजिस्टर के माध्यम से प्राप्त शिकायतें शामिल होंगी।	महीने के प्रत्येक दिन हवाई अड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए। डेटा स्रोत निष्पादन मापन योजना पर आधारित होगा।	नहीं

क्र. सं.	निष्पादन संकेतक	निष्पादन माप	न्यूनतम निष्पादन मानक	मापन तंत्र	मापन आवृत्ति	महत्वपूर्ण (हाँ/नहीं)
24	मरम्मत पूरा होने का समय	निर्दिष्ट समय के भीतर की गई मरम्मत का प्रतिशत	क) 95% उच्च प्राथमिकता वाले मरम्मत कार्यों का 4 घंटे के भीतर समाधान	दर्ज की गई मरम्मत की कुल आवश्यकताओं के प्रतिशत के रूप में ऐसे मरम्मत कार्यों की कुल संख्या, जिनमें मरम्मत की आवश्यकता दर्ज करने के समय	महीने के प्रत्येक दिन हवाई अड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए। डेटा स्रोत	नहीं

क्र. सं.	निष्पादन संकेतक	निष्पादन माप	न्यूनतम निष्पादन मानक	मापन तंत्र	मापन आवृत्ति	महत्वपूर्ण (हाँ/नहीं)
			किया जाना चाहिए। ख) 95% अन्य कार्यों का 24 घंटे के भीतर समाधान किया जाना चाहिए।	(शिकायतों या आवधिक निरीक्षण के माध्यम से) और पहली प्रतिक्रिया के बीच का अंतर निर्धारित मानक के भीतर है।	निष्पादन मापन योजना पर आधारित होगा।	
25	स्वच्छता	स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान रेटिंग	क) सभी निरीक्षणों के 95% के लिए एक संतोषजनक स्वच्छता रेटिंग प्राप्त करना।	स्थापित उद्योग पद्धतियों के अनुसार आवधिक स्वच्छता सर्वेक्षणों के दौरान प्राप्त संतोषजनक स्वच्छता रेटिंग।	महीने के प्रत्येक दिन हवाई अड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए। डेटा स्रोत निष्पादन मापन योजना पर आधारित होगा।	नहीं
26	गेट लाउंज	बैठने की उपलब्धता	क) आईएटीए ऑप्टिमम लेवल ऑफ सर्विस के अनुसार।	गेट के पास उपलब्ध सीटों की कुल संख्या, जहाँ से संबंधित विमान में सवार होना है।	मापन अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों यात्री टर्मिनलों के लिए किया जाएगा, जो चरण 1 के पूरा होने	नहीं

क्र. सं.	निष्पादन संकेतक	निष्पादन माप	न्यूनतम निष्पादन मानक	मापन तंत्र	मापन आवृत्ति	महत्वपूर्ण (हाँ/नहीं)
					की तिथि से अथवा नए टर्मिनलों के निर्माण या मौजूदा टर्मिनल भवनों के विस्तार के पूरा होने से शुरू होगा। डेटा स्रोत निष्पादन मापन योजना पर आधारित होगा।	
27	बग्गी सेवाएँ	बगियों की उपलब्धता	क) बग्गी सेवाएँ 98% समय उपलब्ध होनी चाहिए।	उद्योग पद्धति के अनुरूप न्यूनतम उपलब्धता। उद्योग पद्धति के अनुरूप रियायतग्राही द्वारा निर्दिष्ट स्थानों की पहचान की जाएगी।	महीने के प्रत्येक दिन हवाई अड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए। डेटा स्रोत निष्पादन मापन योजना पर आधारित होगा।	नहीं

1.2 वस्तुनिष्ठ निष्पादन मापदंडों का मापन तंत्र

"पार्किंग बे", "यात्री बोर्डिंग ब्रिज", "सामान वितरण", "उड़ान सूचना प्रदर्शन प्रणाली की उपलब्धता", "एस्केलेटर, लिफ्ट और ट्रेवलरेटर", और "स्वचालित सेवाएँ" मापदंडों पर निष्पादन का मापन तंत्र।

प्रत्येक मापदंड की उपलब्धता का माप प्रत्येक मापदंड के तहत शामिल संपत्तियों की संख्या और प्रकार के संबंध में मापा जाएगा और निम्नलिखित के अनुसार मापा जाएगा:

(i) प्रत्येक मापदंड के तहत संपत्तियों की कुल संख्या की गणना करें, जैसे एस्केलेटर्स की संख्या, और प्रत्येक संपत्ति के लिए आवश्यक कुल उपलब्ध समय और कुल अनुपलब्ध समय से गुणा करें। सभी संपत्तियों के लिए आवश्यक कुल उपलब्ध समय और कुल अनुपलब्ध समय के योग की गणना करें, जिसे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है:

$$\text{आवश्यक कुल उपलब्ध समय} = \sum_{k=1}^n T_{k,j}$$

$$\text{कुल अनुपलब्ध समय} = \sum_{k=1}^n U_{k,j}$$

जहाँ:

- n मापदंड i में शामिल संपत्तियों की कुल संख्या है
- k मापदंड i में शामिल एक विशिष्ट संपत्ति को दर्शाता है जैसे कि $k = 1, 2, \dots, n$
- $T_{k,j}$ माह j में संपत्ति k के लिए कुल नियोजित उपलब्ध समय है (अर्थात नियोजित रखरखाव के समय को घटाने के बाद)
- $U_{k,j}$ वह समय है जब संपत्ति k माह j में अनुपलब्ध रहती है;

(ii) माह j में मापदंड i के लिए उपलब्धता की गणना इस प्रकार करें:

$$\text{उपलब्धता}_i = 100 \times \left(1 - \frac{\sum_{k=1}^n U_{k,j}}{\sum_{k=1}^n T_{k,j}} \right)$$

जहाँ:

उपलब्धता_i माह j में मापदंड i की प्रतिशत उपलब्धता है;

ख) "कार पार्किंग", "सुरक्षा जांच", "चेक-इन", "इमिग्रेशन", "यात्री आगमन प्रक्रिया", और "टैक्सी के लिए प्रतीक्षा समय" मापदंडों पर निष्पादन के लिए मापन तंत्र।

मापन कतारों की संख्या के लिए इस प्रकार किया जाना है कि यात्रियों का सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नमूना कवर हो सके। कतार में प्रतीक्षा समय निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा:

(i) किसी महीने के प्रत्येक यादृच्छिक रूप से चुने गए दिन के लिए, दिन के 'सबसे व्यस्ततम घंटे' को, जिसके दौरान निष्पादन मापा जाएगा, संबंधित घंटे में xx:00, xx:10, xx:20, xx:30, xx:40, xx:50, और xx:60 से शुरू होने वाले "10 मिनट के समय अंतरालों" में विभाजित किया जाता है।

प्रत्येक "10 मिनट के समय अंतराल" के लिए, औसत कतार समय की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

$$\text{औसत कतार समय} = \frac{\text{Num}}{A}$$

जहाँ:

- A उस 10 मिनट के समय अंतराल में कतार छोड़ने वाले प्रति मिनट यात्रियों की औसत संख्या है,
- Num उस 10 मिनट के समय अंतराल में प्रति मिनट कतार में मौजूद यात्रियों की औसत संख्या है।

(ii) निर्धारित मानक के लिए निष्पादन प्रतिशत के आंकड़ों की गणना निम्न प्रकार से की जाएगी:

1. यह पहचान करना कि सबसे व्यस्त घंटों में कितने यात्रियों को ऐसे समय अंतराल में संसाधित किया गया, जहाँ मापा गया औसत कतार समय निर्धारित मानक से अधिक नहीं था; और
2. उपरोक्त आंकड़े को उन व्यस्ततम घंटों में संसाधित कुल यात्रियों की संख्या से विभाजित करके प्रतिशत की गणना करना।

एक घंटे को एक क्लॉक घंटा निर्दिष्ट किया जा सकता है, जो घंटे के 00 मिनट से शुरू होकर घंटे के 59 मिनट पर समाप्त होता है या कोई अन्य पूर्वनिर्धारित परंपरा जिसे रियायतग्राही चुनता है (पूर्वनिर्धारित ताकि नमूना घंटे का निर्धारण करते समय घंटे की परिभाषा किसी अन्य कारक से प्रभावित न हो सके)।

1.3 सेवा की व्यक्तिपरक गुणवत्ता मापदंड और बेंचमार्क

क) व्यक्तिपरक निष्पादन मापदंडों का मापन

रियायतग्राही (सीओडी - वाणिज्य प्रचालन तिथि) से पहले एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल का सदस्य बनेगा। सीओडी से छह महीने के भीतर, रियायतग्राही एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण में भाग लेना शुरू करेगा जिसके माध्यम से प्रस्थान करने वाले यात्रियों का हवाई अड्डे पर उसी दिन के उनके अनुभव के बारे में साक्षात्कार लिया जाएगा।

यदि इस अवधि के भीतर रियायतग्राही की सदस्यता एसीआई द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है, तो वह (1) 5-पॉइंट पैमाने पर व्यक्तिपरक निष्पादन मापदंडों को मापने का आधार प्रदान करने वाली एक प्रश्नावली तैयार करने और एक सर्वेक्षण प्रक्रिया संचालित करने तथा ऐसी प्रश्नावली एवं सर्वेक्षण प्रक्रिया पर प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करने, और (2) त्रैमासिक आधार पर यात्रियों की प्रतिक्रियाओं को मापने के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसी की नियुक्ति करेगा। या तो एसीआई-एसक्यू सर्वेक्षण के माध्यम से या स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसी के माध्यम से आयोजित यात्री सर्वेक्षण में प्राप्त रेटिंग व्यक्तिपरक निष्पादन मापदंडों के लिए माप होगी।

ख) उपरोक्त निर्दिष्ट यात्री सर्वेक्षण द्वारा कवर किए जाने वाले मापदंडों में एसीआई एसक्यू के अनुसार सभी मापे गए मापदंड शामिल होंगे जैसे कि नीचे दिए गए हैं:

- (i) हवाई अड्डे से समग्र संतुष्टि
- (ii) हवाई अड्डे तक/से भू-परिवहन
- (iii) पार्किंग सुविधाओं की उपलब्धता
- (iv) पार्किंग सुविधाओं के लिए पैसे का मूल्य
- (v) सामान ले जाने वाली गाड़ियों/ट्रॉलियों की उपलब्धता
- (vi) चेक-इन कतार/लाइन में प्रतीक्षा समय
- (vii) चेक-इन कर्मचारियों की दक्षता
- (viii) चेक-इन कर्मचारियों की विनम्रता और मददगार प्रकृति
- (ix) पासपोर्ट/व्यक्तिगत पहचान पत्र निरीक्षण पर प्रतीक्षा समय
- (x) निरीक्षण कर्मचारियों की विनम्रता और मददगार प्रकृति
- (xi) सुरक्षा कर्मचारियों की विनम्रता और मददगार प्रकृति
- (xii) सुरक्षा निरीक्षण की गहनता
- (xiii) सुरक्षा निरीक्षण पर प्रतीक्षा समय
- (xiv) सुरक्षित और संरक्षित महसूस होने की भावना
- (xv) हवाई अड्डे में अपना रास्ता खोजने में आसानी
- (xvi) उड़ान सूचना प्रदर्शन प्रणाली
- (xvii) टर्मिनल के भीतर पैदल चलने की दूरी
- (xviii) अन्य उड़ानों के साथ कनेक्ट करने में आसानी
- (xix) हवाई अड्डा कर्मचारियों की विनम्रता और मददगार प्रकृति (चेक-इन, पासपोर्ट नियंत्रण और सुरक्षा को छोड़कर)
- (xx) रेस्तरां/खान-पान की सुविधाएं
- (xxi) रेस्तरां/खान-पान सुविधाओं के लिए पैसे का मूल्य
- (xxii) बैंक/एटीएम सुविधाओं/मुद्रा विनिमयकर्ताओं की उपलब्धता
- (xxiii) खरीदारी की सुविधाएं (xxiv) खरीदारी की सुविधाओं के लिए पैसे का मूल्य
- (xxv) इंटरनेट का उपयोग/वाई-फाई
- (xxvi) बिजनेस/एग्जीक्यूटिव लाउंज
- (xxvii) वॉशरूम/शौचालयों की उपलब्धता

- (xxviii) वॉशरूम/शौचालयों की स्वच्छता
- (xxix) प्रतीक्षा/गेट क्षेत्रों का आराम
- (xxx) हवाई अड्डा टर्मिनल की स्वच्छता
- (xxxi) हवाई अड्डे का माहौल
- (xxxii) पासपोर्ट/व्यक्तिगत पहचान पत्र निरीक्षण
- (xxxiii) सामान वितरण सेवा की गति
- (xxxiv) सीमा शुल्क (कस्टम) निरीक्षण

ग) लक्षित रेटिंग रियायत समझौते के खंड 23.7 में निर्दिष्ट अनुसार होगी।

अनुसूची झ
सुरक्षा दिशानिर्देश
(खंड 18.3.1 देखें)

1 सुरक्षित आवागमन

हवाई अड्डे के संचालन, विकास और प्रबंधन में उपयोगकर्ताओं और विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखा जाएगा। विमानों के लिए, नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं के अनुसार सुरक्षा मापदंड प्रदान किए जाने हैं। बचाव और अग्निशमन, एप्रन प्रबंधन, वन्यजीव हमलों के जोखिम में कमी, हवाई क्षेत्र वाहन संचालन, हवाई क्षेत्र फेंसिंग और प्रकाश व्यवस्था जैसी सुरक्षा सेवाओं का प्रावधान सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें आपात स्थिति के मामले में सुरक्षित और कुशल निकासी की सुविधाएं शामिल होंगी।

2 प्रणाली की अखंडता

विद्युत आपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था, सिग्नलिंग, संचार और सुरक्षा उपकरणों के डिजाइन में, विफलता की संभावित घटनाओं को कम करने के लिए विशेष सावधानी बरती जाएगी। सेवाओं को चालू रखने के लिए आवश्यक निवारक रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा।

3 सेवा की बहाली

हवाई अड्डे को इस प्रकार डिजाइन किया जाएगा कि खराबी आने की स्थिति में, जहां तक संभव हो, प्रभावित क्षेत्र या उपकरण को अलग करके कुछ ही मिनटों के भीतर सीमित सेवा प्रदान की जा सके। द्वितीयक विद्युत आपूर्ति की आवश्यकताएं के अनुसार प्रदान की जानी हैं।

4 आकस्मिकता और सुरक्षा प्रबंधन

4.1 संबंधित आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों तथा डीजीसीए के लागू दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित घटनाओं से निपटने के लिए रियायतग्राही हवाई अड्डे पर उचित आकस्मिक व्यवस्था उपलब्ध कराएगा और सुनिश्चित करेगा:

- (क) रनवे और टैक्सीवे से अक्षम (विकलांग) विमान को हटाना;
- (ख) किसी विमान या हवाई अड्डे को बम की धमकी, या आतंकवाद का कोई कार्य;
- (ग) हवाई अड्डे के आसपास और उसके क्षेत्र में विमान दुर्घटनाएं;
- (घ) गैर-अनुसूचित विमान का हवाई अड्डे पर उतरने के लिए मजबूर होना;
- (ङ) हवाई अड्डे पर आग लगना;
- (च) प्राकृतिक आपदाएं और विपदाएं;
- (छ) हवाई अड्डे पर हड़ताल;
- (ज) डायवर्जन (मार्ग परिवर्तन) का प्रबंधन;
- (झ) नागरिक उड्डयन में गैरकानूनी हस्तक्षेप; और
- (ञ) हवाई अड्डे पर कोई अन्य आपात स्थिति।

4.2 विभिन्न संपत्तियों के लिए जांच और रखरखाव सहिष्णुता के प्रबंधन की प्रणाली और उसके अनुपालन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए रियायतग्राही द्वारा प्रत्येक तिमाही में एक बार सुरक्षा विवरण तैयार किया जाएगा। विवरण में ऐसी जांचों और सहिष्णुताओं से निपटने में कर्मचारियों के प्रशिक्षण और जागरूकता की प्रकृति और सीमा का भी उल्लेख किया जाएगा। विकास अवधि के दौरान, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर स्वतंत्र इंजीनियर को विवरण की 2 (दो) प्रतियां भेजी जाएंगी।

5 सुरक्षा उपकरण

हवाई अड्डे पर निम्नलिखित सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएंगे:

- (क) हवाई अड्डे पर उपयुक्त स्थानों पर अग्निशामक यंत्र और फायर अलार्म;
- (ख) पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस, एम्बू-लिफ्ट, स्ट्रेचर और मानक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स;
- (ग) पैरामेडिकल स्टाफ के साथ चिकित्सा सुविधा और
- (घ) ऐसे अन्य उपकरण जो प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों, डीजीसीए के लागू दिशानिर्देशों और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुरूप आवश्यक हो सकते हैं।

6 आपातकालीन स्थिति

- (क) विभिन्न आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए आपातकालीन प्रक्रियाओं का एक सेट तैयार किया जाएगा और परिचालन कर्मचारियों को ऐसी आपात स्थिति के दौरान उचित प्रतिक्रिया देने के लिए समय-समय पर सिम्युलेटेड अभ्यासों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा, जैसा कि एरोड्रम आपातकालीन योजना (जिसमें विमान आपात स्थिति, तोड़फोड़, बम की धमकी, गैरकानूनी हस्तक्षेप, खतरनाक सामान, भवन में आग, प्राकृतिक आपदा और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति शामिल हैं) में निर्धारित है, जिसे सीओडी से पहले रियायतग्राही द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाएगा। रियायतग्राही सीओडी से पहले प्राधिकरण को एरोड्रम आपातकालीन योजना की 5 (पांच) प्रतियां प्रदान करेगा।
- (ख) आपातकालीन संचालन केंद्र की स्थापना और कमांड पोस्ट की उपलब्धता।
- (ग) टर्मिनल भवन में और हवाई क्षेत्र पर चिकित्सा आपात स्थितियों से निपटना।

7 अग्नि सुरक्षा

- 7.1 रियायतग्राही हवाई अड्डा टर्मिनल भवनों, ईंधन भरने वाले रैंप जल निकासी और लोडिंग वॉकवे पर यूएस नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन में निर्दिष्ट मानकों का पालन करेगा।
- 7.2 यात्री क्षेत्रों में आग से बचाव के लिए, रियायतग्राही निर्माण में अग्निरोधी सामग्रियों का उपयोग करेगा और ऐसी सामग्रियों के उपयोग से बचेगा जो कुछ हद तक ज्वलनशील हों या जो जलने पर धुआं और हानिकारक गैसों छोड़ती हों।
- 7.3 आपातकालीन निकास बिना किसी बाधा के सुलभ होना चाहिए और बिना किसी चाबी, उपकरण या विशेष ज्ञान के अंदर से आसानी से खुलने में सक्षम होना चाहिए। ऐसा उपकरण जो केवल बाहर से लॉक होता है, जैसे कि पैनिक बार, अनुमत है। आपात स्थिति के मामले में टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर से निकास द्वार खोलना आसान होना चाहिए।
- 7.4 निकास मार्गों को सही दिशा में तीरों द्वारा स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा और किसी भी अस्पष्ट प्रतीकों का उपयोग नहीं किया जाएगा। इस खंड 7.4 के प्रावधानों का पालन करते समय, धुएं के कारण खराब दृश्यता की संभावना को विधिवत ध्यान में रखा जाएगा। सभी नोटिस और संकेत एकसमान और मानकीकृत होंगे।
- 7.5 संबंधित डीजीसीए कार और आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों के प्रावधानों के अनुसार बचाव और अग्निशमन सेवाओं की उपयुक्त श्रेणियां उपलब्ध कराई जाएंगी और उनका रखरखाव किया जाएगा।

8 उपयोगकर्ता सुरक्षा और सूचना प्रणाली

- 8.1 रियायतग्राही एसएमयू को यात्री क्षेत्रों और टर्मिनल भवन के पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा, और उपयोगकर्ताओं को दृश्य जानकारी प्रदान करेगा। रियायतग्राही सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से टर्मिनल भवन में उपयोगकर्ताओं को एकतरफा संचार भी प्रदान करेगा। आपात स्थिति में उपयोगकर्ताओं को एसएमयू से संपर्क करने की अनुमति देने के लिए उपयोगकर्ता कॉल पॉइंट सुविधाजनक स्थानों पर स्थित होने चाहिए।
- 8.2 उपयोगकर्ता सूचना प्रणाली में गतिशील दृश्य डिस्प्ले और लाउडस्पीकर शामिल होंगे।

सुरक्षा के साथ सेवा

अनुसूची अ

उपयोगकर्ता चार्टर

(खंड 23.10 देखें)

[] अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

1 ग्राहकों की पूर्ण संतुष्टि के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से हवाई अड्डा प्रबंधन में सुरक्षा और गुणवत्ता प्रदान करना हमारा उद्देश्य है। यह चार्टर हमारे हवाई अड्डे के उपयोगकर्ताओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धताओं और वे हमसे क्या उम्मीद कर सकते हैं, इसकी व्याख्या करता है।

2 विषय-सूची

- (क) परिचय
- (ख) यात्री सेवा के लिए हमारे मानक
- (ग) सूचना की उपलब्धता
- (घ) ऐसे यात्री जिन्हें सहायता की आवश्यकता है
- (ङ) टिकट खरीदना
- (च) खोई हुई संपत्ति
- (छ) आपके विचारों को सुनना
- (ज) हमारे द्वारा दिए गए प्रतिक्रिया समय के वादे

2.1 परिचय

ग्राहकों की संतुष्टि हमारा ध्येय है! अपने प्रशिक्षित मानव संसाधन और ठेकेदारों के माध्यम से इस हवाई अड्डे के उपयोगकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करना हवाई अड्डा प्रबंधन का उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य निम्नलिखित प्रदान करना है:

- (क) हवाई अड्डे के उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षा और संरक्षा
- (ख) स्वच्छ और स्वच्छ वातावरण
- (ग) विश्वसनीय और समझने में आसान जानकारी
- (घ) विनम्र, ग्राहक-अनुकूल और मददगार कर्मचारी
- (ङ) खरीदारी और खान-पान का सुखद और उचित अनुभव
- (च) आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता

2.2 यात्री सेवा के लिए हमारे मानक

हम आपको हमारे हवाई अड्डे पर एक विश्वसनीय और आरामदायक सेवा प्रदान करने के लिए अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए लगातार कड़ी मेहनत करेंगे।

2.2.1 हवाई अड्डे तक पहुँच

हवाई अड्डा क्षेत्र के भीतर आपके आगमन को सुगम और आरामदायक बनाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। हमारी यातायात योजनाएं इस प्रकार उन्मुख होंगी जिससे हवाई अड्डा क्षेत्र में आसान प्रवेश और निकास संभव हो सके। आपके आवागमन को आरामदायक बनाने के लिए, हम हवाई अड्डा क्षेत्र के भीतर पहुंच मार्ग पर अनधिकृत रूप से पार्क किए गए वाहनों को टो करके हटा देंगे।

2.2.2 टर्मिनल भवन में प्रवेश

हम यह सुनिश्चित करेंगे कि टर्मिनल भवन में प्रवेश परेशानी मुक्त हो और जब कई प्रवेश द्वार उपलब्ध हों, तो विशिष्ट एयरलाइनों के लिए समर्पित प्रवेश द्वारों पर जानकारी उपयुक्त रूप से प्रदर्शित की जाएगी।

टर्मिनल भवन में प्रवेश गैर-भेदभावपूर्ण होगा। हालांकि, यात्रियों के साथ आने वाले आगंतुकों को निर्धारित प्रवेश शुल्क का भुगतान करना होगा। सुरक्षा की आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर आगंतुकों के प्रवेश को सीमित या निलंबित किया जा सकता है।

2.2.3 सामान

हम उन सभी यात्रियों के लिए सामान ट्रॉलियों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे जिन्हें इसकी आवश्यकता है। आपकी सुविधा के लिए सशुल्क कुली सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

2.2.4 वाहनों की पार्किंग

कार, स्कूटर, बस आदि जैसे विभिन्न वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त पार्किंग स्थान उपलब्ध कराना हमारा प्रयास होगा। पार्किंग सुविधाओं का उपयोग निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध होगा, जो वाहनों और उपयोग की जाने वाली पार्किंग के प्रकार के अनुसार भिन्न हो सकता है। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपको अपने वाहन को पार्क करने/निकालने में 5 (पाँच) मिनट से अधिक समय न लगे।

2.2.5 कतार की लंबाई

पर्याप्त संख्या में चेक-इन काउंटर, एक्स-रे बैगेज मशीनें, कन्वेयर बेल्ट आदि उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि कतारों में लगने वाला समय न्यूनतम रहे।

2.2.6 सुविधाएं

आप शौचालय, स्वच्छ पेयजल, तरल साबुन, पेपर ग्लास और शिशु देखभाल कक्ष जैसी निःशुल्क सुविधाओं के हकदार हैं। अन्य सभी सुविधाएं सशुल्क आधार पर उपलब्ध होंगी। यात्रियों की जरूरतों के लिए खाने-पीने और खरीदारी की सभी आवश्यक सुविधाएं एक सुखद माहौल में उपलब्ध होंगी। उचित मूल्य पर बुनियादी पेय पदार्थों और खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, सुविधाजनक स्थानों पर वेंडिंग मशीनें स्थापित की जाएंगी। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि विक्रेता अपनी वस्तुओं की कीमतें एमआरपी से संबंधित कानूनों के अनुसार तय करें। यात्रियों को प्रतिस्पर्धा और विकल्प उपलब्ध कराने के लिए प्रतिस्पर्धी विक्रेताओं की वेंडिंग मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। हम टर्मिनल भवन की स्वच्छता और स्वच्छता भी सुनिश्चित करेंगे ताकि आप अपना समय तनावमुक्त और सुखद तरीके से बिता सकें।

हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होगा कि आपको अधिकांश सेवाओं के लिए 5 (पाँच) मिनट से अधिक और अपने सामान/बैगेज के लिए 20 (बीस) मिनट से अधिक कतार में न खड़ा होना पड़े।

2.2.7 बैठने की व्यवस्था

उपयोगकर्ताओं के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र की योजना इस प्रकार बनाई जाएगी कि पीक ऑवर (व्यस्ततम समय) क्षमता के कम से कम 40% (चालीस प्रतिशत) लोगों को आरामदायक सीटें प्रदान की जा सकें।

आपके आराम के लिए पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी और टर्मिनल के अंदर का तापमान...

...भवन के अंदर का तापमान 25°C पर बनाए रखा जाएगा, जब बाहरी तापमान 40°C से कम हो। अन्य मामलों में, टर्मिनल भवन के बाहर के तापमान और टर्मिनल भवन के अंदर के तापमान के बीच का अंतर 15°C से कम नहीं होगा। शीत ऋतु (सर्दियों) के दौरान, तापमान 15°C से कम नहीं होगा।

2.2.8 टैक्सियाँ

हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके आगमन पर प्रीपेड टैक्सियाँ उपलब्ध हों। कम से कम 95% (पिचानवे प्रतिशत) समय के लिए अधिकतम प्रतीक्षा समय 5 (पाँच) मिनट से अधिक नहीं होगा।

2.2.9 नियोजित/अनियोजित इंजीनियरिंग कार्य

हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जब भी कोई संशोधन/मरम्मत कार्य किया जाए, तो उस क्षेत्र को पर्याप्त रूप से घेराबंद किया जाए, स्पष्ट संकेत उपलब्ध हों और हवाई अड्डे का सामान्य कामकाज किसी भी तरह से प्रभावित न हो।

2.3 सूचना की उपलब्धता

सूचना ही शक्ति है।

हम उड़ानों के आगमन और प्रस्थान के समय के संबंध में समय पर जानकारी प्रदान करेंगे। आपके टर्मिनल भवन में प्रवेश करने से पहले भी यह जानकारी उपलब्ध होगी ताकि किसी भी देरी की स्थिति में आप अपने रिश्तेदारों/दोस्तों के साथ अधिक समय बिता सकें। हम टर्मिनल भवन के अंदर स्पष्ट और आसानी से समझ में आने वाले सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत संकेत भी प्रदान करेंगे, ताकि आप किसी की मदद लिए बिना सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

हालाँकि, यदि आपको किसी भी मदद की आवश्यकता है, तो हमारे प्रशिक्षित कर्मचारी आपकी सहायता के लिए उपस्थित रहेंगे। उड़ान के समय की सटीकता और असामान्य देरी काफी हद तक एयरलाइनों के सहयोग पर निर्भर करती है। हम एयरलाइनों के साथ समन्वय करने और जानकारी प्राप्त होने पर उसे तुरंत अपडेट करने का हर संभव प्रयास करेंगे।

2.4 सहायता की आवश्यकता वाले यात्री

हम दिव्यांग यात्रियों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील हैं। हम निम्नलिखित प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं:

2.4.1 यात्रियों को सहायता

जैसे ही आप अपनी आवश्यकता को उनके संज्ञान में लाएंगे, हमारे प्रशिक्षित कर्मचारी आपकी सहायता के लिए तैयार रहेंगे।

2.4.2 शौचालय (वॉश रूम)

हम दिव्यांग-अनुकूल शौचालय उपलब्ध कराएंगे जिनका उपयोग करना आसान हो।

2.4.3 रैंप

जहाँ भी संभव होगा, व्हीलचेयर वाले यात्रियों के लिए रैंप उपलब्ध कराए जाएंगे।

2.4.4 प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं

किसी भी अप्रत्याशित चिकित्सीय आपात स्थिति से निपटने के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी और योग्य पेशेवर द्वारा प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की जाएगी।

2.5 टिकट खरीदना

हमारे हवाई अड्डे पर टिकट खरीदना बहुत आसान और सुविधाजनक है। हवाई अड्डे पर सभी प्रमुख एयरलाइनों के पर्याप्त संख्या में टिकटिंग काउंटर उपलब्ध कराए जाएंगे। वे उपयोगकर्ताओं के लिए खुले रहेंगे...

...हवाई मार्ग से आने वाले और किसी अन्य गंतव्य की ओर जाने वाले यात्री भी टर्मिनल भवन से बाहर निकले बिना अपने टिकट खरीद सकते हैं।

2.6 खोई हुई संपत्ति

हवाई अड्डे पर कुछ खो गया है? आप इसे टर्मिनल भवन में स्थित लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफिस (खोया-पाया कार्यालय) से वापस प्राप्त कर सकते हैं।

सभी खोई और पाई गई वस्तुएं लॉस्ट प्रॉपर्टी प्रभारी अधिकारी को भेजी जाएंगी। आप अपनी खोई हुई वस्तुओं को पुनः प्राप्त करने के लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं। उन तक ईमेल पते यानी [] पर संपर्क किया जा सकता है।

2.7 आपके विचारों को सुनना

ग्राहक हमेशा सही होता है। ग्राहक संतुष्टि ही हमारा ध्येय है। निरंतर सुधार हमारा लक्ष्य है।

हमारी सेवा के विभिन्न पहलुओं पर उपयोगकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण का आवधिक विश्लेषण किया जाएगा। आपके सुझावों/शिकायतों को दर्ज करने के लिए विभिन्न स्थानों पर सुझाव पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई गई हैं। आप पत्राचार या हमारी फोन लाइनों अथवा हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं।

2.8 हमारा वचनबद्ध प्रतिक्रिया समय

जब आप हमें लिखते हैं, तो आपको सात कार्य दिवसों के भीतर हमारी ओर से जवाब मिल जाना चाहिए।

(ए) यदि पूर्ण उत्तर देने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है, तो हम आपको 7 (सात) कार्य दिवसों के भीतर एक पावती भेजेंगे और 25 कार्य दिवसों के भीतर उत्तर देंगे।

(बी) यदि 25 (पच्चीस) कार्य दिवसों के भीतर पूर्ण उत्तर नहीं दिया जा सकता है, तो हम आपसे संपर्क करेंगे और आपको अद्यतन जानकारी देंगे।

(सी) हवाई अड्डे पर विभिन्न सेवाएं प्रदान करने में कई एजेंसियां शामिल हैं। ऊपर हमारे द्वारा वादा की गई कुछ सेवाओं में इन एजेंसियों के साथ बातचीत और समन्वय शामिल हो सकता है जो मुख्य रूप से सेवा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। इस मामले में, हम आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेंगे।

यदि आप हमारे उत्तर से असंतुष्ट हैं, तो हम आपको हमारी प्रतिक्रिया से संतुष्ट करने के लिए अपने सभी प्रयास करेंगे। कृपया हमें बताएं। इससे हमें कमियों की पहचान करने और अपने निष्पादन में निरंतर सुधार करने में मदद मिलेगी।

अनुसूची ट
स्वतंत्र इंजीनियर का चयन
(खंड 24.1 देखें)

1 स्वतंत्र इंजीनियर का चयन

1.1 प्राधिकरण के भीतर समान कार्यों के लिए एक इंजीनियर के चयन की प्रक्रिया रियायत समझौते के तहत एक स्वतंत्र इंजीनियर के चयन के लिए लागू होगी।

शर्त यह है कि स्वतंत्र इंजीनियर के रूप में चुनी जाने वाली इकाई एक अनुभवी फर्म होगी और रियायत समझौते के तहत परिकल्पित कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम होगी। आगे यह भी शर्त है कि प्राधिकरण के स्वामित्व या नियंत्रण वाली कोई भी इकाई इसके तहत स्वतंत्र इंजीनियर के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी।

1.2 प्राधिकरण हवाई अड्डा विकास और पर्यवेक्षण में विशेषज्ञता रखने वाले कम से कम 6 (छह) इंजीनियरों के एक पैनल को नामित करेगा, जो सीधे तौर पर सौंपे गए कार्य की आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक हों, और जिनका रियायतग्राही के साथ कोई हित-संघर्ष न हो। रियायतग्राही को ऐसे नामितों में से एक या अधिक पर आपत्ति करने का अधिकार होगा, लेकिन किसी भी परिस्थिति में यह 3 से अधिक नहीं होगा। प्राधिकरण उन नामितों में से किसी एक को, जिस पर रियायतग्राही ने आपत्ति नहीं की है, स्वतंत्र इंजीनियर के रूप में नियुक्त करेगा।

1.3 पैराग्राफ 1.1 के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त एक स्वतंत्र इंजीनियर की समाप्ति की स्थिति में, प्राधिकरण तुरंत तकनीकी सलाहकारों की एक अन्य फर्म नियुक्त करेगा या इस अनुसूची (के) पैराग्राफ 4 के प्रावधानों के अनुसार सरकार के स्वामित्व वाली इकाई को संलग्न कर सकता है।

1.4 रियायतग्राही, अपने विवेक से, इस अनुसूची (के) तहत प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक प्रतिनिधि को नामित कर सकता है।

1.5 स्वतंत्र इंजीनियर के लिए कार्य-विवरण काफी हद तक अनुसूची एल के अनुरूप होगा।

2 शुल्क और व्यय

2.1 सीओडी से पूर्व की अवधि, विकास अवधि और रियायत अवधि के दौरान स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्यों और सेवाओं की प्रकृति और मात्रा का निर्धारण करते समय, प्राधिकरण यह प्रयास करेगा कि शुल्क और खर्चों के मद में स्वतंत्र इंजीनियर को किए जाने वाले भुगतान प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के आधार पर निर्धारित किए जाएं।

2.2 स्वतंत्र इंजीनियर के पारिश्रमिक, लागत और खर्चों का भुगतान प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा, और ऐसे सभी पारिश्रमिक, लागत और खर्च प्राधिकरण से व्यय का विवरण प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को प्रतिपूर्ति किए जाएंगे।

2.3 स्वतंत्र इंजीनियर को भुगतान की गई कोई भी राशि एईआरए द्वारा वैमानिक शुल्कों के निर्धारण के लिए पास-थ्रू मानी जाएगी।

3 प्रत्येक तीन वर्ष में चयन

इस अनुसूची के पैराग्राफ 1 के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति की तारीख से 3 (तीन) वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 3 (तीन) वर्ष में, प्राधिकरण एक अन्य फर्म को नियुक्त करेगा, जो इस अनुसूची के में निर्धारित मानदंडों के अनुसार एक स्वतंत्र इंजीनियर के रूप में कार्य करेगी।

4 स्वतंत्र इंजीनियर के रूप में सरकारी इकाई की नियुक्ति

इस अनुसूची के में निहित इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण अपने विवेक से सरकार के स्वामित्व वाली इकाई को स्वतंत्र इंजीनियर के रूप में नियुक्त कर सकता है, बशर्ते कि ऐसी इकाई एक निगमित निकाय होगी, जिसका प्राथमिक कार्य इंजीनियरिंग परियोजनाओं के लिए परामर्श, सलाह और पर्यवेक्षण सेवाएं प्रदान करना हो, बशर्ते आगे यह भी कि सरकार के स्वामित्व वाली कोई इकाई जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में है, स्वतंत्र इंजीनियर के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी।

अनुसूची ठ
स्वतंत्र इंजीनियर के लिए विचारार्थ विषय
(खंड 24.2 देखें)

1 कार्यक्षेत्र

1.1 स्वतंत्र इंजीनियर के लिए ये विचारार्थ विषय दिनांक [] के रियायत समझौते ("समझौता") के अनुसरण में निर्दिष्ट किए जा रहे हैं, जो प्राधिकरण और [] राज्य में [उस शहर का नाम जहां हवाई अड्डा स्थित है] शहर में हवाई अड्डे के लिए प्राधिकरण और [] ("रियायतग्राही") के बीच किया गया है, और जिसकी एक प्रति इसके साथ संलग्न है और इस टीओआर का हिस्सा बनने के लिए अनुलग्नक ए के रूप में चिह्नित है।

1.2 यह टीओआर हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास पर लागू होगा।

2 परिभाषाएँ और व्याख्या

2.1 इस टीओआर में प्रयुक्त बड़े अक्षरों से शुरू होने वाले या बड़े अक्षरों में लिखे गए शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो यहां परिभाषित नहीं हैं लेकिन समझौते में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो समझौते में क्रमशः उन्हें सौंपे गए हैं, जब तक कि संदर्भ के प्रतिकूल न हो।

2.2 इस टीओआर में अनुच्छेदों, खंडों और अनुसूचियों के संदर्भ, सिवाय जहां संदर्भ में अन्यथा आवश्यक हो, समझौते के अनुच्छेदों, खंडों और अनुसूचियों के संदर्भ माने जाएंगे, और पैराग्राफ के संदर्भ इस टीओआर के पैराग्राफ के संदर्भ माने जाएंगे।

2.3 समझौते के खंड 1.2, 1.3 और 1.4 में बताए गए व्याख्या के नियम, आवश्यक परिवर्तनों सहित इस टीओआर पर लागू होंगे।

3 स्वतंत्र इंजीनियर की भूमिका और कार्य

3.1 स्वतंत्र इंजीनियर की भूमिका और कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (क) पैराग्राफ 4 में निर्धारित डिजाइनों, रेखाचित्रों और दस्तावेजों की समीक्षा करना;
- (ख) पैराग्राफ 4 में निर्धारित निर्माण कार्यों की समीक्षा, निरीक्षण और निगरानी करना;
- (ग) निर्माण पूरा होने पर परीक्षणों की समीक्षा करना और उनके साक्षी बनना तथा पैराग्राफ 4 में निर्धारित समापन प्रमाण पत्र / अनंतिम प्रमाण पत्र जारी करने में प्राधिकरण की सहायता करना;
- (घ) पैराग्राफ 5 में निर्धारित संचालन एवं रखरखाव की समीक्षा, निरीक्षण और निगरानी करना;
- (ङ) पैराग्राफ 6 में निर्धारित विनिवेश आवश्यकताओं की समीक्षा, निरीक्षण और निगरानी करना;
- (च) समझौते के तहत आवश्यकतानुसार, किसी भी कार्य या सेवा की लागत और/या उनकी तर्कसंगतता का निर्धारण करना;

(छ) समझौते के तहत आवश्यकतानुसार, किसी भी कर्तव्य या दायित्व को पूरा करने के लिए अवधि या उसके किसी विस्तार का निर्धारण करना;

(ज) पैराग्राफ 8 में निर्धारित विवादों के समाधान में पक्षों की सहायता करना;

(झ) समझौते के अनुसार अन्य सभी कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन करना; और

(ञ) अनुसूचित पूर्णता तिथियों और चरणबद्ध मील के पथरों को निर्धारित करने में रियायतग्राही की सहायता करना।

3.2 स्वतंत्र इंजीनियर पेशेवर सत्यनिष्ठा और उत्तम उद्योग पद्धति के उच्चतम मानकों के अनुरूप, निष्पक्ष, तटस्थ और कुशल तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

4 विकास अवधि

4.1 विकास अवधि के दौरान, स्वतंत्र इंजीनियर सहायक डेटा सहित रियायतग्राही द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले डिजाइनों और रेखाचित्रों की एक विस्तृत समीक्षा करेगा, जिसमें भू-तकनीकी और जलवैज्ञानिक जांच, खदान क्षेत्रों और खदान स्थलों से सामग्रियों की विशेषताएं, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण और यातायात सर्वेक्षण शामिल हैं। स्वतंत्र इंजीनियर ऐसी समीक्षा पूरी करेगा और ऐसी विकास योजना और रेखाचित्र प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकरण और रियायतग्राही को अपनी टिप्पणियां/टिप्पणियां भेजेगा। विशेष रूप से, ऐसी टिप्पणियां परियोजना के दायरे और विशिष्टताओं एवं मानकों के साथ विकास योजना और ऐसे रेखाचित्रों की अनुरूपता या अन्यथा निर्दिष्ट करेंगी।

4.2 इस चरण में स्वतंत्र इंजीनियर के संक्षिप्त कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है:

4.2.1 सभी डिजाइनों, रेखाचित्रों, विशिष्टताओं और खरीद दस्तावेजों की समीक्षा:

(क) डिजाइन का आधार;

(ख) डिजाइन, रेखाचित्रों, मात्राओं और लागत पर टिप्पणियां प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएंगी;

(ग) सभी डिजाइनों और विशिष्टताओं की समीक्षा विकास मानकों और आवश्यकताओं के अनुसार की जाएगी;

(घ) रियायतग्राही द्वारा प्रस्तुत विभिन्न खरीद दस्तावेजों के बिल ऑफ क्वांटिटीज (मात्रा के बिल) में सभी मदों की सूची और मात्राओं को सत्यापित करना और वित्तीय निहितार्थ के साथ, यदि आवश्यक हो, तो उसमें संशोधन का प्रस्ताव करना।

4.2.2 रियायतग्राही द्वारा कार्यों और वाणिज्यिक अनुबंधों के आवंटन की समीक्षा:

(क) अनुबंध दस्तावेज की तकनीकी (डिजाइन, निर्माण, पूर्णता और कमीशनिंग) और वाणिज्यिक शर्तों के लिए समीक्षा की जाएगी;

(ख) ठेकेदारों की क्षमता की समीक्षा करना और उस पर टिप्पणी करना;

(ग) रियायतग्राही द्वारा अपनाई गई निविदा और अनुबंध आवंटन की प्रक्रिया की समीक्षा करना।

4.3 स्वतंत्र इंजीनियर प्राधिकरण द्वारा भेजे गए किसी भी संशोधित रेखाचित्र या सहायक दस्तावेजों की समीक्षा करेगा और ऐसे रेखाचित्र या दस्तावेज प्राप्त होने के 7 (सात) दिनों के भीतर प्राधिकरण को अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करेगा।

4.4 स्वतंत्र इंजीनियर अनुसूची I के अनुसार रेखाचित्रों की समीक्षा करेगा और ऐसे रेखाचित्र प्राप्त होने के 7 (सात) दिनों के भीतर प्राधिकरण और रियायतग्राही को उस पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करेगा।

4.5 स्वतंत्र इंजीनियर रियायतग्राही द्वारा तैयार किए गए और प्राधिकरण द्वारा भेजे गए विस्तृत डिजाइन, निर्माण पद्धति, गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं और खरीद, इंजीनियरिंग एवं निर्माण समय सारिणी की समीक्षा करेगा और उसकी प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करेगा।

4.6 प्राधिकरण द्वारा संदर्भ दिए जाने पर, स्वतंत्र इंजीनियर ईपीसी अनुबंध या हवाई अड्डे के प्रासंगिक चरण के निर्माण के लिए किसी अन्य अनुबंध की समीक्षा करेगा और उस पर टिप्पणी करेगा, और प्राधिकरण से ऐसा संदर्भ प्राप्त होने के 7 (सात) दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करेगा।

4.7 स्वतंत्र इंजीनियर निम्नलिखित के संबंध में रियायतग्राही द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा करेगा और ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर प्राधिकरण को उस पर अपनी टिप्पणियां भेजेगा:

(क) विकास योजना, रेखाचित्रों, विशिष्टताओं और मानकों का अनुपालन;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि रियायतग्राही द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट विकास योजना और समझौते की सभी आवश्यकताओं के अनुरूप है;

(ग) कार्यों की मात्राओं और उन्हें पूरा करने की समय-सीमा की समीक्षा और मूल्यांकन;

(घ) विशिष्टताओं और मानकों के अनुसार आवश्यकताओं के संबंध में रिपोर्ट में उल्लिखित सभी विकास कार्यों का जमीन पर भौतिक रूप से समीक्षा और सत्यापन करना;

(ङ) कार्यों की गुणवत्ता की समीक्षा करना और उस पर अपनी टिप्पणियां प्रदान करना तथा काम पूरा होने से पहले सुधारे जाने वाले किसी भी कार्य या कार्य के भाग की पहचान करना; और

(च) एक परियोजना नियंत्रण परिप्रेक्ष्य, संसाधनों की पर्याप्तता जो लागत और कार्यक्रम को एकीकृत करती है, की समीक्षा करना और उसे अपनाना, संभावित रुझानों (नकारात्मक और सकारात्मक दोनों) और दावों का अनुमान लगाना जो अनुमोदित निर्माण लागत को प्रभावित कर सकते हैं।

4.8 स्वतंत्र इंजीनियर महीने में एक बार निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगा, अधिमानतः रियायतग्राही से मासिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, लेकिन किसी भी स्थिति में प्रत्येक माह के 20वें (बीसवें) दिन से पहले, और निर्माण की स्थिति, प्रगति, गुणवत्ता और सुरक्षा का अवलोकन प्रस्तुत करते हुए ऐसे निरीक्षण की एक रिपोर्ट ("निरीक्षण रिपोर्ट") तैयार करेगा, जिसमें अपनाई गई कार्य पद्धति, उपयोग की गई सामग्रियां और उनके स्रोत, तथा परियोजना के दायरे और विशिष्टताओं एवं मानकों के साथ निर्माण कार्यों की अनुरूपता शामिल होगी। निरीक्षण रिपोर्ट के एक अलग खंड में, स्वतंत्र इंजीनियर हवाई अड्डे के निर्माण में अपने द्वारा देखी गई चूकों, दोषों या कमियों का उचित विवरण देगा।

स्वतंत्र इंजीनियर निरीक्षण के 7 दिनों के भीतर अपनी निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति प्राधिकरण और रियायतग्राही को भेजेगा।

4.9 यदि कोई चूक, दोष या कमियां इस तरह के निरीक्षण की मांग करती हैं तो स्वतंत्र इंजीनियर महीने में एक से अधिक बार हवाई अड्डे का निरीक्षण कर सकता है।

4.10 यह निर्धारित करने के लिए कि निर्माण कार्य विशिष्टताओं और मानकों के अनुरूप हैं, स्वतंत्र इंजीनियर रियायतग्राही से गुणवत्ता आश्वासन के लिए उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले नमूना आधार पर परीक्षण करने या करवाने की मांग करेगा। इस पैराग्राफ 4.10 के प्रयोजनों के लिए, संरचनाओं, भवनों और उपकरणों के संबंध में प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रासंगिक पुस्तिकाओं ("गुणवत्ता नियंत्रण पुस्तिकाएं" / या उनके किसी संशोधन/प्रतिस्थापन में निर्दिष्ट परीक्षणों को गुणवत्ता आश्वासन के लिए उत्तम उद्योग पद्धति के अनुरूप परीक्षण माना जाएगा। स्वतंत्र इंजीनियर यह सुनिश्चित करने के लिए रियायतग्राही को आवश्यक निर्देश जारी करेगा कि परीक्षण निष्पक्ष और कुशल तरीके से आयोजित किए जाएं, और उनके परिणामों की निगरानी और समीक्षा करेगा।

4.11 पैराग्राफ 4.10 के तहत स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले परीक्षणों का नमूना आकार, गुणवत्ता नियंत्रण पुस्तिकाओं में प्रत्येक श्रेणी या प्रकार के परीक्षणों के लिए निर्धारित परीक्षणों की मात्रा या संख्या का 10% (दस प्रतिशत) होगा, बशर्ते कि स्वतंत्र इंजीनियर, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, परीक्षणों की कुछ श्रेणियों या प्रकारों के लिए पूर्वोक्त नमूना आकार को 10% (दस प्रतिशत) तक बढ़ा सकता है।

4.12 पैराग्राफ 4.10 में उल्लिखित परीक्षणों का समय, और उनके परिणामों की स्वीकृति/अस्वीकृति के मानदंड...

...गुणवत्ता नियंत्रण पुस्तिकाओं के अनुसार स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। परीक्षण एक यादृच्छिक नमूना (random sample) आधार पर किए जाएंगे और ये उन परीक्षणों के अतिरिक्त और स्वतंत्र होंगे जो रियायतग्राही द्वारा उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार अपने स्वयं के गुणवत्ता आश्वासन के लिए किए जा सकते हैं।

4.13 इस स्थिति में कि रियायतग्राही किसी भी दोष या कमियों को दूर करने या सुधारने के लिए कोई उपचारात्मक कार्य करता है, स्वतंत्र इंजीनियर रियायतग्राही से यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण करने या करवाने की अपेक्षा करेगा कि ऐसे उपचारात्मक कार्यों ने निर्माण कार्यों को विशिष्टताओं और मानकों के अनुरूप बना दिया है, और इस पैराग्राफ 4 के प्रावधान ऐसे परीक्षणों पर लागू होंगे।

4.14 इस स्थिति में कि रियायतग्राही किसी भी चरणबद्ध मील के पथर को प्राप्त करने में विफल रहता है, स्वतंत्र इंजीनियर निर्माण की प्रगति की समीक्षा करेगा और संभावित देरी, यदि कोई हो, की पहचान करेगा। यदि स्वतंत्र इंजीनियर यह निर्धारित करता है कि समझौते में निर्दिष्ट समय के भीतर हवाई अड्डे का पूरा होना संभव नहीं है, तो वह प्राधिकरण के माध्यम से रियायतग्राही से 15 दिनों के भीतर प्रगति में तेजी लाने के लिए प्रस्तावित कदमों और उस अवधि को इंगित करने की मांग करेगा जिसके भीतर कार्य पूर्णता प्राप्त की जाएगी। प्राधिकरण से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, स्वतंत्र इंजीनियर उसकी समीक्षा करेगा और तुरंत प्राधिकरण को अपनी टिप्पणियां भेजेगा।

4.15 यदि विकास अवधि के दौरान किसी भी समय, स्वतंत्र इंजीनियर यह निर्धारित करता है कि रियायतग्राही ने निर्माण के क्षेत्र में श्रमिकों और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की है, या कोई भी कार्य इस तरह से किया जा रहा है जिससे श्रमिकों और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को खतरा है, तो वह तुरंत प्राधिकरण को एक सिफारिश करेगा, जिसमें निर्माण कार्यों के पूरे या उस हिस्से की पहचान की जाएगी जिसे उसके संबंध में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निलंबित किया जाना चाहिए।

4.16 इस स्थिति में कि रियायतग्राही निलंबित कार्यों और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई उपचारात्मक उपाय करता है, प्राधिकरण लिखित नोटिस द्वारा स्वतंत्र इंजीनियर से ऐसे कार्यों का निरीक्षण करने की मांग कर सकता है, और ऐसा नोटिस प्राप्त होने के 3 (तीन) दिनों के भीतर, स्वतंत्र इंजीनियर निलंबित कार्यों का निरीक्षण करेगा और तुरंत प्राधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें यह सिफारिश की जाएगी कि प्राधिकरण द्वारा ऐसा निलंबन रद्द किया जाए या नहीं।

4.17 यदि निर्माण कार्यों का निलंबन ऐसे कारणों से है जो रियायतग्राही के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, तो स्वतंत्र इंजीनियर चरण I के लिए और बाद के चरणों के लिए भी चरण पूर्णता अनुसूची में निर्धारित तिथियों के विस्तार की सिफारिश करेगा, जिसका रियायतग्राही उचित रूप से हकदार है, और प्राधिकरण को इसकी सूचना देगा।

4.18 स्वतंत्र इंजीनियर रियायतग्राही द्वारा किए जा रहे सभी परीक्षणों का साक्षी बनेगा और अनुसूची जी में निर्दिष्ट परीक्षणों के परिणामों के आधार पर, स्थिति अनुसार पूर्णता या अनंतिम पूर्णता पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इस पैराग्राफ 4.18 के तहत अपने कार्यों और उससे संबंधित सभी मामलों को पूरा करने के लिए, स्वतंत्र इंजीनियर अनुच्छेद 14 और अनुसूची जी के प्रावधानों के तहत और उसके अनुसार कार्य करेगा।

4.19 प्राधिकरण से संदर्भ प्राप्त होने पर, स्वतंत्र इंजीनियर अनुच्छेद 17 में निर्धारित जानकारी, कार्य और सेवाएं प्रदान करने की लागत का उचित और उचित मूल्यांकन करेगा और प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को भुगतान के लिए ऐसी लागतों की तर्कसंगतता को प्रमाणित करेगा।

5 रियायत अवधि

5.1 रियायत अवधि के दौरान अपनी समीक्षा और टिप्पणियों के लिए स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा प्राप्त रेखाचित्रों, दस्तावेजों और रिपोर्टों के संबंध में, पैराग्राफ 4 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

5.2 स्वतंत्र इंजीनियर रियायतग्राही द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रखरखाव कार्यक्रम की समीक्षा करेगा और रखरखाव कार्यक्रम की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर प्राधिकरण और रियायतग्राही को उस पर अपनी टिप्पणियां भेजेगा।

5.3 स्वतंत्र इंजीनियर रियायतग्राही द्वारा प्रस्तुत मासिक और त्रैमासिक स्थिति रिपोर्ट की समीक्षा करेगा और ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर प्राधिकरण और रियायतग्राही को उस पर अपनी टिप्पणियां भेजेगा।

5.4 स्वतंत्र इंजीनियर महीने में एक बार हवाई अड्डे का निरीक्षण करेगा, अधिमानतः रियायतग्राही से मासिक और त्रैमासिक स्थिति रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, लेकिन किसी भी स्थिति में प्रत्येक माह के 20वें (बीसवें) दिन से पहले, और एक ओएंडएम निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें मुख्य निष्पादन संकेतकों, रखरखाव आवश्यकताओं और सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ इसकी अनुरूपता सहित संचालन एवं रखरखाव की स्थिति, गुणवत्ता और सुरक्षा का अवलोकन प्रस्तुत किया जाएगा। ओएंडएम निरीक्षण रिपोर्ट के एक अलग खंड में, स्वतंत्र इंजीनियर हवाई अड्डे के संचालन एवं रखरखाव में अपने द्वारा देखी गई चूकों, दोषों या कमियों का उचित विस्तार से वर्णन करेगा। स्वतंत्र इंजीनियर निरीक्षण के 7 दिनों के भीतर अपनी ओएंडएम निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति प्राधिकरण और रियायतग्राही को भेजेगा।

5.5 यदि कोई चूक, दोष या कमियां इस तरह के निरीक्षण की मांग करती हैं तो स्वतंत्र इंजीनियर महीने में एक से अधिक बार हवाई अड्डे का निरीक्षण कर सकता है।

5.6 स्वतंत्र इंजीनियर अपनी ओएंडएम निरीक्षण रिपोर्ट में उन परीक्षणों को निर्दिष्ट करेगा, यदि कोई हो, जिन्हें रियायतग्राही यह निर्धारित करने के उद्देश्य से करेगा या करवाएगा कि हवाई अड्डा रखरखाव आवश्यकताओं के अनुरूप है। वह ऐसे परीक्षणों के परिणामों और इस संबंध में रियायतग्राही द्वारा किए गए उपचारात्मक उपायों, यदि कोई हों, की निगरानी और समीक्षा करेगा।

5.7 अनुसूची 1 के पैराग्राफ 3 में संदर्भित किसी भी दोष या कमी के संबंध में, स्वतंत्र इंजीनियर, उत्तम उद्योग पद्धति के अनुरूप, विशिष्टताओं और मानकों के संदर्भ में विचलन या गिरावट की अनुमेय सीमा निर्दिष्ट करेगा और अनुमेय सीमा से परे किसी भी विचलन या गिरावट की मरम्मत या सुधार के लिए समय सीमा भी निर्दिष्ट करेगा।

5.8 स्वतंत्र इंजीनियर यह निर्धारित करेगा कि समझौते के अनुसार मरम्मत या उपचारात्मक कार्यों को पूरा करने में कोई देरी हुई है या नहीं, और ऐसी देरी के लिए देय नुकसानी, यदि कोई हो, का भी निर्धारण करेगा।

5.9 स्वतंत्र इंजीनियर यातायात में व्यवधान को कम करने की आवश्यकता और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार ऐसे रखरखाव/मरम्मत को पूरा करने के लिए आवश्यक समय को ध्यान में रखते हुए, रखरखाव/मरम्मत करने के लिए हवाई अड्डे को बंद करने के रियायतग्राही के अनुरोध की जांच करेगा।

5.10 इस स्थिति में कि रियायतग्राही प्राधिकरण और स्वतंत्र इंजीनियर को किसी ऐसे संशोधन के बारे में सूचित करता है जिसे वह हवाई अड्डे पर करने का प्रस्ताव करता है, तो स्वतंत्र इंजीनियर उसकी समीक्षा करेगा और प्रस्ताव प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर प्राधिकरण और रियायतग्राही को अपनी टिप्पणियां भेजेगा।

5.11 स्वतंत्र इंजीनियर, महीने में कम से कम एक बार, रियायतग्राही द्वारा स्थापित प्रणालियों की सटीकता की जांच के लिए उनका ऑडिट करेगा।

5.12 स्वतंत्र इंजीनियर रियायत अवधि (विस्तार, यदि कोई हो, सहित) के अंत में रियायतग्राही से प्राधिकरण को परियोजना परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर सहायता प्रदान करेगा और समझौते की शर्तों के अनुसार रियायतग्राही को निहित प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियों को करने में प्राधिकरण की सहायता करेगा।

6 समाप्ति

6.1 समाप्ति से 90 दिन पहले से शुरू होकर, लेकिन ऐसी समाप्ति से 15 दिन पहले के बाद नहीं, किसी भी समय स्वतंत्र इंजीनियर, एक... की उपस्थिति में...

6.2 स्वतंत्र इंजीनियर, रियायत समझौते के खंड 36 में निर्धारित विनिवेश आवश्यकताओं के रियायतग्राही द्वारा अनुपालन का निर्धारण करने के लिए, रियायतग्राही के एक प्रतिनिधि की उपस्थिति में, हवाई अड्डे का निरीक्षण करेगा और यदि आवश्यक हो, तो ऐसे अनुपालन का निर्धारण करने के लिए रियायतग्राही की लागत पर परीक्षण करवाएगा। यदि स्वतंत्र इंजीनियर यह निर्धारित करता है कि हवाई अड्डे की स्थिति ऐसी है कि उसकी मरम्मत और सुधार के लिए खंड 37.2 में उल्लिखित राशि से अधिक धनराशि की आवश्यकता होगी, तो वह एस्क्रो खाते में आवश्यक राशि बनाए रखने (प्रतिधारण) और उसके प्रतिधारण की अवधि की सिफारिश करेगा।

स्वतंत्र इंजीनियर खंड 37 के तहत, उसमें निर्दिष्ट दोषों या कमियों के संबंध में, रियायतग्राही के दायित्व को निर्धारित करने के लिए समाप्ति के बाद 90 (नब्बे) दिनों की अवधि के दौरान प्रत्येक 15 दिनों में एक बार हवाई अड्डे का निरीक्षण करेगा। यदि स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा ऐसा कोई दोष या कमी पाई जाती है, तो वह उचित विस्तार से एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे तुरंत प्राधिकरण एवं रियायतग्राही को भेजेगा।

7. लागत और समय का निर्धारण

7.1 स्वतंत्र इंजीनियर उन लागतों और/या उनकी तर्कसंगतता का निर्धारण करेगा, जिन्हें समझौते के तहत उसके द्वारा निर्धारित किया जाना अपेक्षित है।

7.2 स्वतंत्र इंजीनियर उस अवधि या उसके किसी विस्तार का निर्धारण करेगा, जिसे समझौते के तहत उसके द्वारा निर्धारित किया जाना अपेक्षित है।

8. विवाद समाधान में सहायता

8.1 किसी भी विवाद की स्थिति में दोनों में से किसी भी पक्ष द्वारा बुलाए जाने पर, स्वतंत्र इंजीनियर मध्यस्थता करेगा और पक्षों को एक सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुँचने में सहायता करेगा।

8.2 समझौते के किसी भी प्रावधान में निर्धारित उत्तम उद्योग पद्धति के अर्थ, दायरे और प्रकृति के संबंध में पक्षों के बीच किसी भी असहमति की स्थिति में, स्वतंत्र इंजीनियर उत्तम उद्योग पद्धति और प्रामाणिक साहित्य पर भरोसा करते हुए एक तर्कसंगत लिखित विवरण जारी करके ऐसे अर्थ, दायरे और प्रकृति को निर्दिष्ट करेगा।

9. अन्य कर्तव्य और कार्य

स्वतंत्र इंजीनियर समझौते में निर्दिष्ट अन्य सभी कर्तव्यों और कार्यों का निष्पादन करेगा।

10. विविध

10.1 स्वतंत्र इंजीनियर अपने निरीक्षण कार्यक्रम की सूचना प्राधिकरण और रियायतग्राही को देगा, जो अपने विवेक से निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहने के लिए अपने संबंधित प्रतिनिधियों को प्रतिनियुक्त कर सकते हैं।

10.2 स्वतंत्र इंजीनियर "एज-बिल्ट" रेखाचित्रों सहित अपने द्वारा प्राप्त सभी रेखाचित्रों और दस्तावेजों की कम से कम 1 प्रति अपने पास रखेगा और उन्हें अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

10.3 इसके तहत अपना कार्य पूरा होने पर, स्वतंत्र इंजीनियर सभी रेखाचित्रों, दस्तावेजों, परीक्षणों के परिणामों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों को विधिवत वर्गीकृत एवं सूचीबद्ध करेगा, तथा उन्हें प्राधिकरण या ऐसे अन्य व्यक्ति को सौंप देगा जिसे प्राधिकरण निर्दिष्ट करे, और उसकी लिखित रसीद प्राप्त करेगा। उक्त दस्तावेजों की 2 प्रतियां उनके संपादन योग्य डिजिटल प्रारूप में या ऐसे अन्य माध्यम या तरीके से भी प्रस्तुत की जाएंगी जो प्राधिकरण को स्वीकार्य हों।

10.4 जहाँ कहीं भी स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा सेवाएं प्रदान करने के लिए कोई अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई है, वहाँ स्वतंत्र इंजीनियर उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार अपने कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक दक्षता और तात्कालिकता के साथ कार्य करेगा।

अनुसूची ड
एस्करो समझौता
(खंड 29.1 देखें)

यह एस्करो समझौता ("समझौता") [] को [] के इस [] दिन, 201[] को किया गया है:

इनके द्वारा और इनके बीच:

1. [], [कंपनी अधिनियम, 2013] के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी, जिसका कॉर्पोरेट पहचान संख्या [] है और इसका पंजीकृत कार्यालय [] पर स्थित है (इसके बाद इसे "रियायतग्राही" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी, अनुमत समनुदेशिती और प्रतिस्थानी शामिल होंगे);

तथा

2. [ऋणदाता प्रतिनिधि का नाम और विवरण दर्ज करें] और इसका पंजीकृत कार्यालय [] पर स्थित है, जो इस समझौते से उत्पन्न या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में वरिष्ठ ऋणदाताओं (Senior Lenders) के विधिवत अधिकृत एजेंट के रूप में उनके लिए और उनकी ओर से कार्य कर रहा है (इसके बाद इसे "ऋणदाता प्रतिनिधि" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे);

तथा

3. [एस्करो बैंक का नाम और विवरण दर्ज करें], जिसका पंजीकृत कार्यालय [] पर है और अन्य स्थानों के अलावा, [] में एक शाखा कार्यालय है (इसके बाद इसे "एस्करो बैंक" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे);

तथा

4. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित एक निगमित निकाय, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय राजीव गांधी भवन, तीसरी मंजिल, सी-ब्लॉक, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली 110003, भारत में स्थित है (इसके बाद इसे "प्राधिकरण" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे);

चूंकि:

क. प्राधिकरण ने रियायत समझौते में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार, [उस राज्य का नाम जहां हवाई अड्डा स्थित है] राज्य में [उस शहर का नाम जहां हवाई अड्डा स्थित है] में हवाई अड्डे के लिए रियायतग्राही के साथ दिनांक [] का एक रियायत समझौता ("रियायत समझौता") किया है, और जिसकी एक प्रति इसके साथ संलग्न है और इस समझौते का हिस्सा बनने के लिए अनुलग्नक ए के रूप में चिह्नित है।

ख. वरिष्ठ ऋणदाता वित्तपोषण समझौतों में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार परियोजना को वित्तपोषित करने के लिए सहमत हुए हैं।

ग. रियायत समझौते के तहत रियायतग्राही को अन्य बातों के साथ-साथ, उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों पर एक एस्करो खाता स्थापित करने की आवश्यकता है।

अब, इसलिए, उपरोक्त बातों और इस समझौते में निर्धारित संबंधित अनुबंधों और समझौतों के प्रतिफल के रूप में, जिसकी प्राप्ति और पर्याप्तता को एतद्वारा स्वीकार किया जाता है, और इसके द्वारा कानूनी रूप से बाध्य होने के इरादे से, पक्ष निम्नानुसार सहमत हैं:

1 परिभाषाएँ और व्याख्या

1.1 परिभाषाएँ

इस समझौते में, निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, क्रमशः निम्नलिखित अर्थ होंगे:

"समझौता" का अर्थ यह एस्क्रो समझौता और इसमें निहित प्रावधानों के अनुसार इसमें किया गया कोई भी संशोधन है;

"रियायत समझौता" का अर्थ ऊपर रिकाइटल ए में संदर्भित और इसके साथ अनुलग्नक ए के रूप में संलग्न रियायत समझौता है, और इसमें इसके सभी रिकाइटल और अनुसूचियां तथा इसमें इस संबंध में निहित प्रावधानों के अनुसार किए गए कोई भी संशोधन शामिल होंगे;

"रियायतग्राही" का अर्थ उपरोक्त रिकाइटल्स में रियायतग्राही के रूप में संदर्भित व्यक्ति है;

"उपचार अवधि" का अर्थ रियायतग्राही द्वारा इस समझौते के किसी भी प्रावधान के किसी उल्लंघन या चूक को सुधारने के लिए इस समझौते में निर्दिष्ट अवधि है, और यह उस तिथि से शुरू होगी जिस दिन प्राधिकरण या ऋणदाता प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, द्वारा रियायतग्राही को ऐसा नोटिस दिया जाता है जिसमें उत्तरवर्ती को ऐसे नोटिस में निर्दिष्ट उल्लंघन या चूक को ठीक करने के लिए कहा जाता है;

"एस्करो खाता" का अर्थ इस समझौते की शर्तों के अनुसार और इसके तहत स्थापित एक एस्करो खाता है, और इसमें उप-खाते शामिल होंगे;

"एस्करो बैंक" का अर्थ उपरोक्त रिकाइटल्स में एस्करो बैंक के रूप में संदर्भित बैंक है;

"एस्करो डिफॉल्ट" का वही अर्थ है जो खंड 6.1.1 में दिया गया है;

"क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष" का वही अर्थ है जो खंड 9.2 में दिया गया है;

"क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष" का वही अर्थ है जो खंड 9.2 में दिया गया है;

"ऋणदाता प्रतिनिधि" का अर्थ उपरोक्त रिकाइटल्स में ऋणदाता प्रतिनिधि के रूप में संदर्भित व्यक्ति है;

"पक्ष" का अर्थ सामूहिक रूप से इस समझौते के पक्ष हैं और "पक्षकार" शब्द का अर्थ व्यक्तिगत रूप से इस समझौते के किसी भी पक्ष से है;

"भुगतान तिथि" का अर्थ, खंड 4.1 में निर्दिष्ट किसी भी भुगतान के संबंध में, ऐसे भुगतान के लिए निर्दिष्ट तिथि(यां) है; और

"उप-खाते" का अर्थ एस्क्रो खाते के संबंधित उप-खाते हैं, जिनमें खंड 4.1 में निर्दिष्ट धनराशि प्रत्येक माह जमा की जाएगी और देय होने पर भुगतान किया जाएगा, और यदि किसी माह में देय नहीं है, तो ऐसे माह में आनुपातिक रूप से विनियोजित की जाएगी और संबंधित उप-खातों में बनाए रखी जाएगी तथा भुगतान तिथि(यों) पर उसमें से भुगतान किया जाएगा।

1.2 व्याख्या

1.2.1 ऋणदाता प्रतिनिधि के संदर्भ, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, वरिष्ठ ऋणदाताओं के लिए और उनकी ओर से कार्य करने वाले ऋणदाता प्रतिनिधि के संदर्भ माने जाएंगे।

1.2.2 बड़े अक्षरों से शुरू होने वाले और इस समझौते में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो इसमें दिया गया है, और इस समझौते में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जो यहां परिभाषित नहीं हैं लेकिन रियायत समझौते में परिभाषित हैं, उनका अर्थ, जब तक कि संदर्भ के विपरीत न हो, वही होगा जो रियायत समझौते में दिया गया है।

1.2.3 खंडों के संदर्भ, जब तक अन्यथा न कहा गया हो, इस समझौते के खंडों के संदर्भ हैं।

1.2.4 रियायत समझौते के खंड 1.2, 1.3 और 1.4 में बताए गए व्याख्या के नियम, आवश्यक परिवर्तनों सहित इस समझौते पर लागू होंगे।

2 एस्क्रो खाता

2.1 ट्रस्टी के रूप में कार्य करने वाला एस्क्रो बैंक

2.1.1 रियायतग्राही एतद्वारा इसके संबंध में प्राधिकरण, ऋणदाता प्रतिनिधि और रियायतग्राही के लिए ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए एस्क्रो बैंक को नियुक्त करता है, और एस्क्रो बैंक को ऐसे अधिकारों, शक्तियों, प्राधिकरणों और विवेक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है जो विशेष रूप से इसके नियमों द्वारा एस्क्रो बैंक को सौंपे गए हैं, उन सभी अधिकारों, शक्तियों, प्राधिकरणों और विवेक के साथ जो इसके लिए उचित रूप से प्रासंगिक हैं, और एस्क्रो बैंक इसके नियमों के अनुसार ऐसी नियुक्ति को स्वीकार करता है।

2.1.2 रियायतग्राही एतद्वारा घोषित करता है कि एस्क्रो खाते के सभी अधिकार, स्वामित्व और हित एस्क्रो बैंक में निहित होंगे और प्राधिकरण, ऋणदाता प्रतिनिधि और रियायतग्राही के लिए ट्रस्ट में रखे जाएंगे, और इस समझौते की शर्तों के अनुसार लागू किए जाएंगे। प्राधिकरण, ऋणदाता प्रतिनिधि और रियायतग्राही के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को इस समझौते के तहत लाभार्थियों के रूप में या तीसरे पक्ष के लाभार्थियों के रूप में कोई अधिकार नहीं होगा।

2.2 एस्क्रो बैंक की स्वीकृति

एस्क्रो बैंक एतद्वारा इस रूप में कार्य करने और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार एस्क्रो बैंक को वितरित और उसके द्वारा रखे जाने वाले सभी भुगतानों और अन्य राशियों को स्वीकार करने के लिए सहमत होता है। एस्क्रो बैंक इस समझौते की अवधि के दौरान एस्क्रो खाते को बनाए रखेगा और उसकी सुरक्षा करेगा तथा एस्क्रो खाते की राशि को रियायतग्राही, वरिष्ठ ऋणदाताओं या प्राधिकरण द्वारा एस्क्रो बैंक के पास जमा की गई धनराशि के रूप में मानेगा। इस समझौते के तहत अपने कार्यों और कर्तव्यों का पालन करते हुए, एस्क्रो बैंक इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण, ऋणदाता प्रतिनिधि और रियायतग्राही या उनके नामितों, उत्तराधिकारियों या समनुदेशितियों के लाभ के लिए ट्रस्ट में और एजेंट के रूप में कार्य करेगा।

2.3 एस्करो खाते की स्थापना और संचालन

2.3.1 इस समझौते की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर, और किसी भी स्थिति में सीओडी से पहले, रियायतग्राही एस्करो बैंक की [] (शाखा का नाम) शाखा में एस्करो खाता खोलेगा और स्थापित करेगा। एस्करो खाता रुपये में नामित होगा।

2.3.2 एस्करो बैंक इस समझौते की शर्तों और अपनी सामान्य प्रथाओं और लागू विनियमों के अनुसार एस्करो खाते का संचालन करेगा, और उक्त खाते में शेष राशि पर समय-समय पर समान ग्राहकों को देय अधिकतम ब्याज दर का भुगतान करेगा।

2.3.3 एस्करो बैंक और रियायतग्राही, ऋणदाता प्रतिनिधि के साथ परामर्श के बाद, एस्करो खाते के लिए विस्तृत अधिदेशों, नियमों और शर्तों तथा संचालन प्रक्रियाओं पर सहमत होंगे, लेकिन इस समझौते और ऐसे अधिदेशों, नियमों और शर्तों या प्रक्रियाओं के बीच किसी भी संघर्ष या विसंगति की स्थिति में, यह समझौता मान्य होगा।

2.4 एस्करो बैंक का शुल्क

एस्करो बैंक उतनी राशि में और ऐसे समय पर अपना शुल्क और खर्च प्राप्त करने का हकदार होगा, जैसा कि एस्करो बैंक और रियायतग्राही के बीच सहमति हो।

2.5 पक्षों के अधिकार

रियायत समझौते में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, एस्करो खाते में रखी गई धनराशि में प्राधिकरण, ऋणदाता प्रतिनिधि और रियायतग्राही के अधिकार पूरी तरह से इस समझौते में निर्धारित हैं और प्राधिकरण, ऋणदाता प्रतिनिधि और रियायतग्राही के पास एस्करो खाते में जमा धनराशि के विरुद्ध या उसके संबंध में कोई अन्य अधिकार नहीं होंगे।

2.6 रियायतग्राही का प्रतिस्थापन

इसके पक्षकार स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि प्रतिस्थापन समझौते के अनुसरण में, नामित कंपनी के साथ रियायतग्राही के प्रतिस्थापन पर, इस समझौते के प्रयोजनों के लिए यह माना जाएगा कि नामित कंपनी इसकी एक पक्षकार है और तदनुसार नामित कंपनी को नामित कंपनी के साथ रियायतग्राही के प्रतिस्थापन की तारीख से और उस प्रभाव के साथ, इस समझौते के तहत रियायतग्राही के अधिकारों और दायित्वों का उत्तराधिकारी माना जाएगा।

3 एस्करो खाते में जमा

3.1 रियायतग्राही द्वारा जमा

3.1.1 रियायतग्राही सहमत होता है और वचन देता है कि वह निम्नलिखित आगमों और प्राप्तियों को एस्करो खाते में जमा करेगा या करवाएगा:

(क) बैंकों, वरिष्ठ ऋणदाताओं, अन्य ऋणदाताओं, शेयरधारकों, बीमा कंपनियों या किसी अन्य व्यक्ति से या अन्यथा परियोजना के संबंध में प्राप्त सभी धनराशियाँ;

(ख) हवाई अड्डे, परियोजना, परियोजना सुविधाओं और/या परियोजना परिसंपत्तियों से या उसके संबंध में सभी शुल्क और अन्य सभी राजस्व, जिसमें किसी भी किराए, जमा, पूंजीगत प्राप्तियों, बीमा दावों आदि से प्राप्त आय शामिल है; और

(ग) किसी भी बकाया मासिक रियायत शुल्क की कटौती के बाद, प्राधिकरण द्वारा किए गए सभी भुगतान।

शर्त यह है कि वरिष्ठ ऋणदाता वित्तपोषण समझौतों में इस संबंध में निहित व्यक्त प्रावधानों के अनुसार, ईपीसी ठेकेदार को सीधे संवितरण कर सकते हैं।

3.1.2 रियायतग्राही किसी भी समय अपने अन्य फंडों को एस्क्रो खाते में जमा कर सकता है, बशर्ते कि इस समझौते के प्रावधान ऐसे जमा पर लागू होंगे।

3.2 प्राधिकरण द्वारा जमा

प्राधिकरण सहमत होता है और वचन देता है कि, जब भी देय और भुगतान योग्य होगा, वह समाप्ति भुगतानों को एस्क्रो खाते में जमा करेगा और/या क्रेडिट करेगा।

शर्त यह है कि, खंड 4.1.1 के प्रावधानों के होते हुए भी, प्राधिकरण पूर्वोक्त राशियों में से रियायतग्राही द्वारा उसे देय और भुगतान योग्य किसी भी मासिक रियायत शुल्क को विनियोजित करने का हकदार होगा और शेष बची राशि को एस्क्रो खाते में जमा किया जाएगा।

3.3 वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा जमा

ऋणदाता प्रतिनिधि सहमत होता है, पुष्टि करता है और वचन देता है कि वरिष्ठ ऋणदाता परियोजना के संबंध में या उसके बाबत उनके द्वारा किए गए सभी संवितरणों को एस्क्रो खाते में जमा करेंगे और/या क्रेडिट करेंगे, बशर्ते कि इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, वरिष्ठ ऋणदाता वित्तपोषण समझौतों में इस संबंध में निहित स्पष्ट प्रावधानों के तहत और उनके अनुसार ईपीसी ठेकेदार को सीधे भुगतान करने के हकदार होंगे।

3.4 जमा पर ब्याज

एस्करो बैंक सहमत होता है और वचन देता है कि एस्करो खाते के शेष पर अर्जित सभी ब्याज एस्करो खाते में जमा किए जाएंगे, बशर्ते कि एस्करो बैंक एस्करो खाते के संबंध में रियायतग्राही से देय अपने शुल्क और खर्चों को उसमें से विनियोजित करने और शेष बची राशि को एस्करो खाते में क्रेडिट करने का हकदार होगा।

4 एस्करो खाते से निकासी

4.1 निकासी

4.1.1 प्रत्येक माह की शुरुआत में, या ऐसे छोटे अंतरालों पर जैसा कि ऋणदाता प्रतिनिधि और रियायतग्राही लिखित निर्देशों द्वारा निर्धारित कर सकते हैं, एस्करो बैंक एस्करो खाते से राशि निकालेगा और देय भुगतान करने के लिए प्रासंगिक उप-खातों में ऐसी राशि जमा करके निम्नलिखित क्रम में उन्हें विनियोजित करेगा, और यदि ऐसे भुगतान

किसी भी महीने में देय नहीं हैं, तो ऐसे उप-खातों में ऐसी धनराशि को बनाए रखेगा और भुगतान तिथि(यों) पर उसमें से भुगतान करेगा:

- (क) वैधानिक भुगतान, हवाई अड्डे के संबंध में रियायतग्राही द्वारा देय और भुगतान योग्य सभी कर;
- (ख) प्राधिकरण को देय और भुगतान योग्य मासिक रियायत शुल्क;
- (ग) रियायत समझौते के अनुसरण में प्राधिकरण को देय और भुगतान योग्य सभी भुगतान और/या रियायत समझौते के तहत रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को देय और भुगतान योग्य के रूप में प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित नुकसानी और
- (घ) एक लेखा वर्ष में देय ऋण सेवा का मासिक आनुपातिक प्रावधान।
- (ङ) शेष राशि, यदि कोई हो, रियायतग्राही के निर्देशों के अनुसार।

4.1.2 प्रत्येक लेखा वर्ष की शुरुआत से 60 (साठ) दिन पहले, रियायतग्राही ऋणदाता प्रतिनिधि के पूर्व लिखित अनुमोदन के साथ, एस्क्रो बैंक को इस खंड 4.1 में निर्धारित प्रत्येक भुगतान दायित्वों के लिए आवश्यक संभावित राशियों का विवरण प्रदान करेगा, बशर्ते कि ऐसी राशियों को बाद में ऋणदाता प्रतिनिधि के पूर्व लिखित अनुमोदन के साथ संशोधित किया जा सकता है, यदि वर्ष के दौरान प्राप्त नई जानकारी ऐसा संशोधन आवश्यक बनाती है।

4.2 समाप्ति पर निकासी

रियायत समझौते की समाप्ति पर, एस्क्रो खाते में क्रेडिट के रूप में जमा सभी राशियों को, इस समझौते में किसी भी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित क्रम में विनियोजित और निपटाया जाएगा:

- (क) पेट्रोल बकाया और वैधानिक भुगतान, हवाई अड्डे के लिए और उसके संबंध में रियायतग्राही द्वारा देय और भुगतान योग्य सभी कर;
- (ख) बकाया मासिक रियायत शुल्क;
- (ग) अन्य सभी राशियां जो रियायत समझौते की समाप्ति की तिथि पर रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को भुगतान की जानी बकाया हैं;
- (घ) इस समझौते के अनुसरण में प्राधिकरण को देय और भुगतान योग्य सभी भुगतान और/या रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को देय और भुगतान योग्य के रूप में प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित नुकसानी;
- (ङ) बकाया ऋण सेवा जिसमें देय ऋण की शेष राशि शामिल है;
- (च) शेष राशि, यदि कोई हो, रियायतग्राही के निर्देशों के अनुसार:

बशर्ते कि इस खंड 4.2 के उप-खंड (ङ) में निर्दिष्ट संवितरण प्राधिकरण द्वारा निहित प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद ही किए जाएंगे।

4.3 अपर्याप्त धनराशि का अनुप्रयोग

एस्करो खाते में धनराशि प्राथमिकता के क्रमिक क्रम में लागू की जाएगी, जैसा कि स्थिति अनुसार खंड 4.1 और 4.2 में निर्धारित है। यदि उपलब्ध धनराशि सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो एस्करो बैंक ऐसी धनराशि को समाप्त होने तक प्राथमिकता के क्रमिक क्रम में लागू करेगा।

4.4 बीमा आय का अनुप्रयोग

इस समझौते में किसी भी बात के होते हुए भी, जीवन और व्यक्तिगत चोट को छोड़कर, सभी बीमा दावों से प्राप्त आय एस्करो खाते में जमा और/या क्रेडिट की जाएगी और हवाई अड्डे की किसी भी आवश्यक मरम्मत, पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन, प्रतिस्थापन या सुधार के लिए उपयोग की जाएगी, और शेष बची राशि, यदि कोई हो, वित्तपोषण समझौतों में इस संबंध में निहित प्रावधानों के अनुसार लागू की जाएगी।

4.5 निलंबन के दौरान निकासी

इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, प्राधिकरण रियायत समझौते के अनुच्छेद 34 के तहत निलंबन की अवधि के दौरान रियायतग्राही के सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग कर सकता है। ऐसी अवधि के दौरान प्राधिकरण द्वारा एस्करो बैंक को दिए गए किसी भी निर्देश का अनुपालन उसी प्रकार किया जाएगा जैसे कि ऐसे निर्देश इस समझौते के तहत रियायतग्राही द्वारा दिए गए हों, और इसके तहत प्राधिकरण की सभी कार्यवाहियों को रियायतग्राही के लिए और उसकी ओर से लिया गया माना जाएगा।

5 एस्करो बैंक के दायित्व

5.1 धनराशि का पृथक्करण

इस समझौते के तहत एस्करो बैंक द्वारा प्राप्त धन और अन्य संपत्ति, जब तक कि इस समझौते के अनुसार उपयोग या लागू नहीं की जाती, एस्करो बैंक द्वारा उन उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट में रखी जाएगी जिनके लिए वे प्राप्त हुए थे, और एस्करो बैंक के अन्य फंडों और संपत्ति से अलग रखी जाएगी।

5.2 शेष राशि की अधिसूचना

प्रत्येक भुगतान तिथि से 7 व्यावसायिक दिन पहले (और इस उद्देश्य के लिए एस्करो बैंक प्रासंगिक भुगतान तिथियों के संबंध में रियायतग्राही और/या ऋणदाता प्रतिनिधि द्वारा पुष्टि पर भरोसा करने का हकदार होगा), एस्करो बैंक तुरंत पूर्ववर्ती व्यावसायिक दिन के कारोबार की समाप्ति पर एस्करो खाते और उप-खातों में शेष राशि के बारे में ऋणदाता प्रतिनिधि को सूचित करेगा।

5.3 संचार और नोटिस

इसके तहत अपने कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन में, एस्करो बैंक:

(क) अपनी ओर से दुर्भावना या घोर लापरवाही के अभाव में, तथ्य के किसी भी ऐसे मामले के संबंध में जो रियायतग्राही के ज्ञान के भीतर होने की उचित उम्मीद की जा सकती है, रियायतग्राही द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र पर भरोसा कर सकता है;

(ख) अपनी ओर से दुर्भावना या घोर लापरवाही के अभाव में, किसी भी ऐसे संचार या दस्तावेज की प्रामाणिकता पर भरोसा कर सकता है जिसे वह प्रामाणिक मानता है;

(ग) प्राप्ति के 5 व्यावसायिक दिनों के भीतर, एस्क्रो बैंक के रूप में अपनी क्षमता में रियायतग्राही, या इसके तहत या इसके संबंध में किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त किसी भी नोटिस या दस्तावेज की एक प्रति ऋणदाता प्रतिनिधि को देगा; और

(घ) प्राप्ति के 5 व्यावसायिक दिनों के भीतर, इसके संबंध में ऋणदाता प्रतिनिधि से प्राप्त किसी भी नोटिस या दस्तावेज की एक प्रति रियायतग्राही को देगा।

5.4 कोई सेट-ऑफ नहीं

एस्क्रो बैंक एस्क्रो खाते में जमा राशि के संबंध में सेट-ऑफ, बैंकर के ग्रहणाधिकार या अन्य अधिकार या उपाय का दावा या प्रयोग न करने के लिए सहमत है। एस्क्रो बैंक द्वारा एतद्वारा स्वीकार किया जाता है और सहमति व्यक्त की जाती है कि एस्क्रो खाते में एस्क्रो बैंक द्वारा रखी गई धनराशि और संपत्तियों को एस्क्रो बैंक की संपत्ति का हिस्सा नहीं माना जाएगा और ट्रस्ट संपत्ति होने के नाते, एस्क्रो बैंक के दिवालिया होने या परिसमापन के मामले में, ऐसे दिवालियापन या परिसमापन में एस्क्रो बैंक की संपत्ति से पूरी तरह से बाहर रखा जाएगा।

5.5 विनियामक स्वीकृतियां

एस्क्रो बैंक एस्क्रो खाते की स्थापना और संचालन के लिए आवश्यक सभी विनियामक स्वीकृतियों को प्राप्त करने, और उसके बाद उन्हें बनाए रखने और उनका अनुपालन करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा। एस्क्रो बैंक यह प्रतिज्ञान और आश्वासन देता है कि वह ऐसे किसी कारण से अवगत नहीं है जिससे ऐसी विनियामक स्वीकृतियां आमतौर पर एस्क्रो बैंक को नहीं दी जाएंगी।

6 एस्क्रो डिफॉल्ट

6.1 एस्क्रो डिफॉल्ट

6.1.1 निम्नलिखित घटनाएं रियायतग्राही द्वारा चूक की एक घटना ("एस्क्रो डिफॉल्ट") का गठन करेंगी, जब तक कि ऐसी चूक की घटना अप्रत्याशित घटना या प्राधिकरण या ऋणदाता प्रतिनिधि के किसी कार्य या चूक के परिणामस्वरूप न हुई हो:

(क) रियायतग्राही जैसा कि यहां प्रदान किया गया है, एस्क्रो खाते में किसी भी प्राप्ति को जमा करने में विफल रहकर इस समझौते का उल्लंघन करता है, और 5 व्यावसायिक दिनों की उपचार अवधि के भीतर एस्क्रो खाते में जमा करके ऐसे उल्लंघन को ठीक करने में विफल रहता है;

(ख) रियायतग्राही इस समझौते की शर्तों के उल्लंघन में एस्क्रो बैंक से रियायतग्राही के किसी भी खाते में धनराशि स्थानांतरित करवाता है और 5 व्यावसायिक दिनों की उपचार अवधि के भीतर एस्क्रो खाते में प्रासंगिक धनराशि जमा करके ऐसे उल्लंघन को ठीक करने में विफल रहता है; या

(ग) रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों का कोई अन्य उल्लंघन करता है या करवाता है और 5 व्यावसायिक दिनों की उपचार अवधि के भीतर उसे ठीक करने में विफल रहता है।

6.1.2 एस्क्रो डिफॉल्ट होने पर, इसके परिणामों से रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा।

7 एस्करो समझौते की समाप्ति

7.1 एस्करो समझौते की अवधि

7.1.1 यह समझौता तब तक पूर्ण रूप से प्रभावी और लागू रहेगा जब तक कि वरिष्ठ ऋणदाताओं से प्राप्त ऋण, गारंटी या वित्तीय सहायता के संबंध में रियायतग्राही से कोई राशि अग्रिम रूप में दी जानी शेष है या बकाया है, या प्राधिकरण के प्रति उसके किसी भी दायित्व का निर्वहन किया जाना शेष है, जब तक कि सभी पक्षों की सहमति से या अन्यथा इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार इसे पहले समाप्त न कर दिया जाए।

7.1.2 ऊपर खंड 7.1.1 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऊपर खंड 7.1.1 के अनुसार एस्करो समझौते की समाप्ति के साथ ही, रियायतग्राही निम्नलिखित संशोधनों के अधीन, उसी प्रारूप में एक नए एस्करो समझौते को निष्पादित करने के लिए एतद्वारा सहमत होता है:

- (क) ऋणदाता प्रतिनिधि को एस्करो समझौते के एक पक्षकार के रूप में प्राधिकरण या उसके किसी भी नामित व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ख) प्राधिकरण या उसका कोई भी नामित व्यक्ति, ऊपर (ए) के अनुसार एस्करो समझौते का एक पक्षकार होने के नाते, उन सभी कार्यों को निष्पादित और संपादित करेगा, जो ऋणदाता प्रतिनिधि के नाम पर निहित हैं;
- (ग) वरिष्ठ ऋणदाताओं और वित्तपोषण समझौतों तथा अन्य संबंधित शब्दों के सभी संदर्भों को प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार संशोधित किया जाएगा;
- (घ) ऐसा कोई भी एस्करो समझौता रियायत समझौते की समाप्ति के बाद ही समाप्त किया जाएगा, और कम से कम उस अवधि के लिए वैध रहेगा जिसके लिए खंड 37.2 के अनुसार एस्करो खाते में कोई राशि रखी जानी है; और
- (ङ) ऐसे अन्य परिवर्तन और संशोधन, जैसा कि उस समय प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जाए।

7.1.3 ऊपर खंड 7.1.1 के अनुसार एस्करो समझौते की समाप्ति के अधिकतम 24 (चौबीस) घंटों की अवधि के भीतर ऊपर खंड 7.1.2 के अनुसार एस्करो समझौते का निष्पादन न करना, रियायत समझौते के तहत रियायतग्राही की चूक माना जाएगा, जिसके परिणामी उपचार प्राधिकरण के पास उपलब्ध होंगे, जिसमें रियायत समझौते को समाप्त करने का अधिकार भी शामिल है।

7.2 एस्करो बैंक का प्रतिस्थापन

7.2.1 रियायतग्राही, एस्क्रो बैंक, प्राधिकरण और ऋणदाता प्रतिनिधि को कम से कम 45 (पैंतालीस) दिन पहले नोटिस देकर, इस समझौते को समाप्त कर सकता है और एक नए एस्क्रो बैंक की नियुक्ति कर सकता है, बशर्ते कि नया एस्क्रो बैंक ऋणदाता प्रतिनिधि को स्वीकार्य हो और एस्क्रो खाते में जमा राशि को उत्तराधिकारी एस्क्रो बैंक के पास स्थापित नए एस्क्रो खाते में स्थानांतरित करने के लिए ऋणदाता प्रतिनिधि के लिए संतोषजनक व्यवस्था की गई हो।

7.2.2 इस समझौते की समाप्ति प्रतिस्थानी एस्क्रो बैंक के साथ एक एस्क्रो समझौते के लागू होने पर ही प्रभावी होगी।

7.3 एस्क्रो खाता बंद करना

रियायत समझौते और वित्तपोषण समझौतों के तहत सभी बकाया राशियों के रियायतग्राही द्वारा भुगतान पर या उसके बाद, जिसमें खंड 4.2 में निर्दिष्ट भुगतान शामिल हैं, रियायतग्राही और ऋणदाता प्रतिनिधि के अनुरोध पर तथा ऐसे भुगतानों की प्राप्ति की पुष्टि होने पर, एस्क्रो बैंक एस्क्रो खाता और उप-खाते बंद कर देगा और उसमें जमा किसी भी राशि का भुगतान रियायतग्राही को कर देगा। इसके तहत एस्क्रो खाता बंद होने पर, एस्क्रो समझौता समाप्त माना जाएगा।

8 पूरक एस्क्रो समझौता

8.1 पूरक एस्क्रो समझौता

ऋणदाता प्रतिनिधि और रियायतग्राही, एस्क्रो बैंक के साथ एक पूरक एस्क्रो समझौता करने के हकदार होंगे, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, खंड 4.1.1 के अनुसरण में उप-खातों से निकासी के लिए विस्तृत प्रक्रियाओं और दस्तावेजों तथा इस समझौते के तहत शामिल नहीं किए गए मामलों, जैसे वरिष्ठ ऋणदाताओं और अधीनस्थ ऋण के ऋणदाताओं के अधिकार और दायित्व, अधिशेष धन का निवेश, इस समझौते के उल्लंघन की स्थिति में या एस्क्रो डिफॉल्ट होने पर रियायतग्राही द्वारा निकासी पर प्रतिबंध, एस्क्रो खाते के संचालन और उससे निकासी से संबंधित प्रक्रियाएं, रिपोर्टिंग आवश्यकताएं और उससे संबंधित किसी भी मामले का प्रावधान किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसे पूरक एस्क्रो समझौते में कोई ऐसा प्रावधान नहीं होगा जो इस समझौते के साथ असंगत हो, और इस समझौते के प्रावधानों और ऐसे पूरक एस्क्रो समझौते के बीच किसी भी विरोध या विसंगति की स्थिति में, इस समझौते के प्रावधान मान्य होंगे।

9 क्षतिपूर्ति

9.1 सामान्य क्षतिपूर्ति

9.1.1 रियायतग्राही इस समझौते के तहत अपने किसी भी दायित्व के रियायतग्राही द्वारा किसी भी उल्लंघन से या लागू कानूनों और लागू परमिटों का पालन करने में रियायतग्राही की विफलता के कारण होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति, लागत और व्यय के लिए किसी भी और सभी कार्यवाहियों, कार्रवाइयों और तीसरे पक्ष के दावों के विरुद्ध ऋणदाता प्रतिनिधि के माध्यम से कार्य करने वाले प्राधिकरण, एस्क्रो बैंक और वरिष्ठ ऋणदाताओं की क्षतिपूर्ति करेगा, उनका बचाव करेगा और उन्हें हानिरहित रखेगा।

9.1.2 प्राधिकरण, इस समझौते के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने में प्राधिकरण की विफलता के कारण होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति, लागत और व्यय के लिए किसी भी और सभी कार्यवाहियों, कार्रवाइयों और तीसरे पक्ष के दावों के विरुद्ध रियायतग्राही की क्षतिपूर्ति करेगा, उसका बचाव करेगा और उसे हानिरहित रखेगा, जो रियायत समझौते या इस समझौते के तहत रियायतग्राही के दायित्वों के निष्पादन को भौतिक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, सिवाय प्राधिकरण, उसके अधिकारियों, सेवकों और एजेंटों द्वारा उनके वैध कार्यों के निर्वहन में किए गए कृत्यों से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति, लागत और व्यय के।

9.1.3 एस्क्रो बैंक, इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में एस्क्रो बैंक की विफलता से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति, लागत और व्यय के लिए किसी भी और सभी कार्यवाहियों, कार्यवाइयों और तीसरे पक्ष के दावों के विरुद्ध रियायतग्राही की क्षतिपूर्ति करेगा, उसका बचाव करेगा और उसे हानिरहित रखेगा, जो रियायत समझौते के तहत रियायतग्राही के दायित्वों के निष्पादन को भौतिक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, सिवाय एस्क्रो बैंक, उसके अधिकारियों, सेवकों और एजेंटों द्वारा उनके वैध कार्यों के निर्वहन में किए गए कृत्यों से उत्पन्न किसी भी नुकसान, क्षति, लागत और व्यय के।

9.2 दावों की सूचना और प्रतिवाद

इस स्थिति में कि इसका कोई भी पक्ष किसी तीसरे पक्ष से ऐसा दावा प्राप्त करता है जिसके संबंध में वह खंड 9.1 के तहत क्षतिपूर्ति के लाभ का हकदार है या जिसके संबंध में वह प्रतिपूर्ति का हकदार है ("क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष"), तो वह दावा प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर इसके तहत ऐसे दावे की क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार दूसरे पक्ष ("क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष") को सूचित करेगा, और क्षतिपूर्ति करने वाले पक्ष के पूर्व अनुमोदन के बिना दावे का निपटारा या भुगतान नहीं करेगा, जिस अनुमोदन को अनुचित रूप से रोका या विलंबित नहीं किया जाएगा। यदि क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष दावे का विरोध या प्रतिवाद करना चाहता है, तो वह क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष के नाम पर कार्यवाही का संचालन कर सकता है और उसका विरोध करने में शामिल सभी खर्चों को वहन करेगा। क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष किसी भी दावे का विरोध करने में पूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान करेगा और ऐसे सभी लेखों और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा जिनकी क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष उचित रूप से मांग कर सकता है।

10 विवाद समाधान

10.1 विवाद समाधान

10.1.1 इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाला या इससे संबंधित कोई भी विवाद, मतभेद या दावा, जिसका सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान नहीं हुआ है, मध्यस्थता के माध्यम से ही तय किया जाएगा। इसके लिए मध्यस्थों का एक बोर्ड नियुक्त किया जाएगा, जिसमें विवाद के प्रत्येक पक्ष द्वारा नामित एक-एक व्यक्ति होगा और जहाँ ऐसे नामित व्यक्तियों की संख्या सम संख्या हो, वहाँ नामित व्यक्ति बोर्ड के लिए एक अन्य व्यक्ति का निर्वाचन करेंगे। ऐसी मध्यस्थता नियमों के अनुसार आयोजित की जाएगी तथा समय-समय पर यथा संशोधित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अधीन होगी।

10.1.2 मध्यस्थ कारणयुक्त निर्णय देंगे और ऐसा निर्णय पक्षकारों के लिए अंतिम तथा बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता का स्थान राज्य की राजधानी होगा और मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी।

11 विविध प्रावधान

11.1 लागू विधि और अधिकारिता

इस अनुबंध का निर्माण एवं व्याख्या भारत के कानूनों के अनुसार किया जाएगा और उन्हीं के द्वारा शासित होगा तथा राज्य के न्यायालयों को इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाले या इससे संबंधित सभी मामलों पर अधिकारिता प्राप्त होगी।

11.2 संप्रभु उन्मुक्ति का परित्याग

प्राधिकरण बिना किसी शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से:

- (क) सहमत है कि इस अनुबंध का निष्पादन, परिदान और पालन उसके द्वारा वाणिज्यिक कार्यों के रूप में किया गया है और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किया गया है;
- (ख) सहमत है कि यदि इस अनुबंध या इसके अंतर्गत परिकल्पित किसी लेन-देन के संबंध में किसी अधिकारिता में उसके विरुद्ध या उसकी परिसंपत्तियों, संपत्ति या राजस्व के विरुद्ध कोई कार्यवाही लाई जाती है, तो ऐसी कार्यवाही से कोई उन्मुक्ति प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से उसकी परिसंपत्तियों के संबंध में दावा नहीं की जाएगी;
- (ग) अपनी उन परिसंपत्तियों, संपत्ति या राजस्व के संबंध में उन्मुक्ति के किसी भी अधिकार का परित्याग करता है, जो वर्तमान में उसके पास है, भविष्य में अर्जित कर सकता है या जिसे किसी अधिकारिता के अंतर्गत उसे प्रदान किया जा सकता है; और
- (घ) उसके विरुद्ध किसी निर्णय या अवार्ड के प्रवर्तन के संबंध में, ऐसी किसी कार्यवाही में किसी भी अधिकारिता में किसी राहत दिए जाने या किसी प्रक्रिया जारी किए जाने के लिए सहमति देता है, जिसमें ऐसी कार्यवाही के संबंध में किसी आदेश या निर्णय के अनुसार उसकी किसी भी परिसंपत्ति, संपत्ति या राजस्व के विरुद्ध किसी आदेश का निर्माण, प्रवर्तन या निष्पादन शामिल है, चाहे उनका वर्तमान या अभिप्रेत उपयोग कुछ भी हो।

11.3 करारों की प्राथमिकता

रियायत अनुबंध और इस अनुबंध के बीच किसी भी विरोध की स्थिति में, रियायत अनुबंध में निहित प्रावधान इस अनुबंध पर प्रभावी होंगे।

11.4 शर्तों में परिवर्तन

इस अनुबंध में सभी जोड़, संशोधन, परिवर्तन और विविधताएँ तभी प्रभावी और बाध्यकारी होंगी जब वे लिखित रूप में हों और पक्षकारों के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित हों।

11.5 छूट

11.5.1 किसी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की इस अनुबंध के किसी प्रावधान या इसके अंतर्गत दायित्वों के पालन और निष्पादन में चूक के संबंध में दी गई छूट:

- (क) इस अनुबंध की किसी अन्य या बाद की चूक अथवा इसके अन्य प्रावधानों या दायित्वों के संबंध में छूट नहीं मानी जाएगी;
- (ख) तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक वह लिखित रूप में न हो और पक्ष के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित न की गई हो; और
- (ग) किसी भी प्रकार से इस अनुबंध की वैधता या प्रवर्तनीयता को प्रभावित नहीं करेगी।

11.5.2 किसी पक्ष द्वारा किसी अवसर पर इस अनुबंध की शर्तों, परिस्थितियों और प्रावधानों या उसके अंतर्गत किसी दायित्व के पालन पर जोर न देने की स्थिति, अथवा किसी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया गया कोई समय या अन्य रियायत, ऐसी चूक की छूट या इस अनुबंध के अंतर्गत किसी अधिकार के परिवर्तन अथवा परित्याग की स्वीकृति नहीं मानी जाएगी।

11.6 तृतीय पक्ष लाभार्थी नहीं

यह अनुबंध केवल पक्षकारों के लाभ के लिए है और किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को इसके अंतर्गत कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

11.7 उत्तरजीविता

11.7.1 इस अनुबंध की समाप्ति:

- (क) पक्षकारों को उन दायित्वों से मुक्त नहीं करेगी जो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से इसकी समाप्ति के बाद भी बने रहने वाले हैं; और
- (ख) जब तक इस अनुबंध के किसी प्रावधान में अन्यथा स्पष्ट रूप से न कहा गया हो, किसी पक्ष को दूसरे पक्ष के प्रति उस पक्ष द्वारा समाप्ति की प्रभावी तिथि से पहले किए गए या न किए गए कार्यों से उत्पन्न किसी हानि या क्षति के लिए उसके दायित्वों से मुक्त नहीं करेगी।

11.7.2 इस अनुबंध के रद्दीकरण, अवधि समाप्ति या समाप्ति के बाद बने रहने वाले सभी दायित्व इस अनुबंध की ऐसी समाप्ति या अवधि समाप्ति की तारीख से 3 (तीन) वर्ष की अवधि तक ही बने रहेंगे।

11.8 पृथक्करणीयता

यदि किसी कारण से इस अनुबंध का कोई प्रावधान अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय हो जाता है या सक्षम अधिकारिता के किसी न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है, तो शेष प्रावधानों की वैधता, विधिकता या प्रवर्तनीयता किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होगी। पक्षकार सद्भावपूर्वक बातचीत करेंगे ताकि ऐसे प्रावधान के स्थान पर यथासंभव समान वैध और प्रवर्तनीय प्रावधान पर सहमति हो सके। ऐसे प्रावधान पर सहमति न हो पाना इस अनुबंध के खंड 10.1 के अंतर्गत विवाद समाधान के अधीन नहीं होगा।

11.9 उत्तराधिकारी और हस्तांतरिती

यह अनुबंध पक्षकारों तथा उनके संबंधित उत्तराधिकारियों और अनुमत हस्तांतरितियों पर बाध्यकारी होगा और उनके लाभ के लिए प्रभावी होगा।

11.10 सूचनाएँ

इस अनुबंध के अंतर्गत दी जाने वाली या की जाने वाली सभी सूचनाएँ या अन्य संचार लिखित रूप में होंगे और या तो व्यक्तिगत रूप से दिए जाएंगे या कूरियर अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाएंगे, साथ ही उनकी एक अतिरिक्त

प्रति फैक्स या ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी। प्रत्येक पक्ष को सेवा प्रदान करने का पता, फैक्स नंबर और ई-मेल पता इस अनुबंध के हस्ताक्षर पृष्ठों पर उसके नाम के नीचे दिया गया है। कोई सूचना वास्तविक रूप से प्राप्त होने पर प्रभावी होगी; यदि वह किसी कार्य दिवस को शाम 5:30 बजे के बाद या किसी गैर-कार्य दिवस को प्राप्त होती है, तो उसे वास्तविक प्राप्ति के बाद आने वाले प्रथम कार्य दिवस को प्राप्त हुआ माना जाएगा। फैक्स या ई-मेल द्वारा सूचना देने वाला पक्ष उसकी एक प्रति तुरंत व्यक्तिगत रूप से देगा या कूरियर अथवा पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्तकर्ता को भेजेगा। कोई भी पक्ष सूचना द्वारा वह पता बदल सकता है जिस पर ऐसी सूचनाएँ और संचार उसे दिए या भेजे जाएंगे। ऐसा परिवर्तन सभी पक्षों को सूचना मिलने पर प्रभावी होगा।

11.11 भाषा

इस अनुबंध के अंतर्गत या इससे संबंधित AAI की सभी सूचनाएँ, प्रमाणपत्र, पत्राचार और कार्यवाहियाँ अंग्रेजी में होंगी।

11.12 अधिकृत प्रतिनिधि

प्रत्येक पक्ष लिखित सूचना द्वारा अपने संबंधित अधिकृत प्रतिनिधि को नामित करेगा, जिनके माध्यम से ही सभी संचार किए जाएंगे। कोई पक्ष ऐसी ही सूचना द्वारा अपने अधिकृत प्रतिनिधि को हटाने, उसके स्थान पर किसी अन्य को नियुक्त करने या नया प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा।

11.13 मूल दस्तावेज

इस अनुबंध को चार प्रतियों में निष्पादित किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक, निष्पादित और परिदत्त होने पर, इस अनुबंध की एक मूल प्रति मानी जाएगी।

इसके साक्ष्य में, पक्षकारों ने ऊपर प्रथम उल्लिखित तारीख को इस अनुबंध को निष्पादित और परिदत्त किया है।

रियायतग्राही की सामान्य मुहर निदेशक मंडल द्वारा 20__ के __ दिन आयोजित बैठक में पारित संकल्प के अनुसार लगाई गई है। मेरी उपस्थिति में, निदेशक _____, जिन्होंने इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, तथा कंपनी सचिव/अधिकृत अधिकारी _____, जिन्होंने इसकी प्रति-हस्ताक्षरित की।

(हस्ताक्षर) (नाम) (पदनाम) (पता) (फैक्स नं.) (ई-मेल पता)

वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से उनके ऋणदाता प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित, मुहरबंद और परिदत्त।

(हस्ताक्षर) (नाम) (पदनाम) (पता) (फैक्स नं.) (ई-मेल पता)

प्राधिकरण की ओर से वरिष्ठ ऋणदाताओं के लिए हस्ताक्षरित, मुहरबंद और परिदत्त।

(हस्ताक्षर) (नाम) (पदनाम) (पता) (फैक्स नं.) (ई-मेल पता)

एस्क्रो बैंक की ओर से वरिष्ठ ऋणदाताओं के लिए हस्ताक्षरित, मुहरबंद और परिदत्त।

(हस्ताक्षर) (नाम) (पदनाम) (पता) (फैक्स नं.) (ई-मेल पता)

की उपस्थिति में

अनुसूची ढ
चार्टर्ड अकाउंटेंटों का पैनल
(खंड 3.2.1 देखें)

1. चार्टर्ड अकाउंटेंटों का पैनल

अनुबंध के खंड 3.2.1 के प्रावधानों के अनुसार, प्राधिकरण भारत में अपना पंजीकृत कार्यालय रखने वाली छह (6) चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों का एक पैनल नामित करेगा। ऐसे पैनल को तैयार करने के मानदंड और इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इस अनुसूची एन में निर्धारित की जाएगी।

2. पैनल में शामिल करने के लिए आमंत्रण

2.1 प्राधिकरण उन सभी प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों से प्रस्ताव आमंत्रित करेगा जो निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करती हों:

- (क) फर्म ने कंपनी अधिनियम, 1956 या 2013, जैसा लागू हो, के अंतर्गत पंजीकृत कम से कम एक सौ कंपनियों के वार्षिक खातों का सांविधिक लेखा-परीक्षण किया हो, जिनमें से कम से कम दस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होने चाहिए;
- (ख) फर्म के पास कम से कम 5 (पाँच) कार्यरत चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए, जिनमें से प्रत्येक के पास पेशे में न्यूनतम 10 (दस) वर्ष का अनुभव हो;
- (ग) फर्म या उसके किसी भागीदार को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या प्राधिकरण द्वारा अयोग्य या वंचित घोषित नहीं किया गया हो;
- (घ) फर्म का राज्य में या किसी निकटवर्ती राज्य में कार्यालय होना चाहिए तथा ऐसे राज्य में उसके पैनल पर कम से कम 2 (दो) कार्यरत चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए।

2.2 पात्रता मानदंड पूरा करने वाली इच्छुक फर्मों को अपनी क्षमता का विवरण प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उनके पैनल पर सभी कार्यरत चार्टर्ड अकाउंटेंटों का बायोडाटा शामिल होगा। प्रत्येक फर्म को पिछले 5 (पाँच) लेखा वर्षों में किसी भी वर्ष में ऐसी फर्म द्वारा जिन कंपनियों के वार्षिक खातों का लेखा-परीक्षण किया गया है और जिनका वार्षिक कारोबार रु. 25,00,00,000 (पच्चीस करोड़ रुपये) से अधिक है, उनके नामों से संबंधित वर्षवार जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।

3. मूल्यांकन और चयन

3.1 प्रत्येक फर्म द्वारा प्रस्तुत जानकारी की प्राधिकरण द्वारा जाँच और मूल्यांकन किया जाएगा तथा ऊपर पैराग्राफ 2.2 में निर्दिष्ट कंपनियों के प्रत्येक वार्षिक लेखा-परीक्षण के लिए एक (1) अंक दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी फर्म ने ऐसी किसी कंपनी के वार्षिक खातों का 5 (पाँच) वर्षों तक लेखा-परीक्षण किया है, तो उसे 5 (पाँच) अंक दिए जाएंगे।

3.2 प्राधिकरण सभी पात्र फर्मों की सूची तैयार करेगा, जिसमें प्रत्येक फर्म द्वारा प्राप्त अंक दिए जाएंगे और सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली 6 (छह) फर्मों का चयन कर उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंटों के पैनल के प्रारूप में शामिल किया जाएगा।

4 रियायतग्राही के साथ परामर्श

प्राधिकरण उपर्युक्त फर्मों के पैनल को रियायतग्राही को जाँच और टिप्पणियों के लिए भेजेगा। रियायतग्राही को प्राधिकरण के संबंधित अभिलेखों की जाँच करने की अनुमति होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फर्मों का

चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है और वह पैनल प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, प्राधिकरण को भेजेगा।

5. चार्टर्ड अकाउंटेंटों का पैनल

5.1 प्राधिकरण सभी प्रासंगिक कारकों, जिनमें रियायतग्राही की टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, शामिल हैं, पर विचार करने के बाद 6 (छह) फर्मों के पैनल को अंतिम रूप देगा और गठित करेगा।

5.2 चार्टर्ड अकाउंटेंटों का पैनल तैयार किए जाने की तारीख से प्रत्येक 5 (पाँच) वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद, या प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच सहमत किसी इससे पूर्व अवधि पर, इस अनुसूची 6 के प्रावधानों के अनुसार एक नया पैनल तैयार किया जाएगा।

अनुसूची ण
निहिती प्रमाणपत्र
(खंड 36.4 देखें)

1. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, अपने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा प्रतिनिधित्वित, दिनांकित [____] के रियायत अनुबंध को संदर्भित करता है, जो प्राधिकरण और [____] [रियायतग्राही] के बीच [वह शहर जहाँ विमानपत्तन स्थित है] स्थित विमानपत्तन के लिए [वह राज्य जहाँ विमानपत्तन स्थित है] राज्य में किया गया है।
2. प्राधिकरण एतद्वारा रियायतग्राही द्वारा अनुबंध के अनुच्छेद 36 में निर्धारित विनिवेश आवश्यकताओं के अनुपालन और उनकी पूर्ति को स्वीकार करता है। इस निहिती प्रमाणपत्र के जारी होने पर प्राधिकरण को अर्जनकर्ता माना जाएगा और विमानपत्तन में या उससे संबंधित रियायतग्राही के सभी हक और हित प्राधिकरण में निहित माने जाएंगे तथा वे किसी भी प्रकार के भार, प्रभार और ग्रहणाधिकार से मुक्त होंगे।
3. उपर्युक्त में किसी विपरीत बात के होते हुए भी, इस निहिती प्रमाणपत्र की यह शर्त होगी कि इसमें निहित किसी बात को विनिवेश आवश्यकताओं में किसी दोष या कमी को सुधारने और दूर करने के रियायतग्राही के दायित्व का परित्याग करने या किसी भी प्रकार से रियायतग्राही को उससे मुक्त करने के रूप में नहीं समझा या व्याख्यायित किया जाएगा।

दिनांक ____ 201_ को हस्ताक्षरित।

सहमत, स्वीकृत और हस्ताक्षरित

हस्ताक्षरित, सीलड एवं दिया गया

के लिए और की ओर से

रियायतग्राही द्वारा

(हस्ताक्षर)

(नाम)

के लिए और की ओर से

प्राधिकरण द्वारा

(हस्ताक्षर)

(नाम)

(पदनाम)

(पता)

(पदनाम)

(पता)

उपस्थिति में

1.

2.

अनुसूची त
प्रतिस्थापन अनुबंध
(खंड 38.3.1 देखें)

यह “प्रतिस्थापन अनुबंध ” दिनांक ____ 20__ को निम्नलिखित के बीच किया गया है:

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा गठित एक निगमित निकाय, जिसका निगमित कार्यालय राजीव गांधी भवन, तीसरी मंजिल, ई-ब्लॉक, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली - 110003, भारत में है (जिसे आगे “प्राधिकरण” कहा गया है और जब तक संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसमें इसके उत्तराधिकारी और अनुमत हस्तांतरिती शामिल होंगे);

और

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित एक कंपनी, जिसका कॉर्पोरेट पहचान संख्या [] और पंजीकृत कार्यालय [] में है (जिसे आगे “रियायतग्राही” कहा गया है और जब तक संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसमें इसके उत्तराधिकारी, अनुमत हस्तांतरिती और प्रतिस्थापित पक्ष शामिल होंगे);

और

[ऋणदाता प्रतिनिधि का नाम और विवरण डालें], जिसका पंजीकृत कार्यालय [] में है, जो वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से उनके विधिवत अधिकृत एजेंट के रूप में इस अनुबंध से उत्पन्न या इससे संबंधित मामलों के संबंध में कार्य कर रहा है (जिसे आगे “ऋणदाता प्रतिनिधि” कहा गया है और जब तक संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसमें उसके उत्तराधिकारी और हस्तांतरिती शामिल होंगे)।

जबकि:

क. प्राधिकरण ने [विमानपत्तन स्थित शहर का नाम] स्थित विमानपत्तन के लिए [विमानपत्तन स्थित राज्य का नाम] राज्य में [] दिनांकित रियायत अनुबंध रियायतग्राही के साथ किया है, जो रियायत अनुबंध में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार है तथा जिसकी एक प्रति इस अनुबंध के साथ संलग्न है और इस अनुबंध का भाग बनाने हेतु अनुलग्नक A के रूप में चिह्नित है;

ख. वरिष्ठ ऋणदाताओं ने वित्तपोषण अनुबंध में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार परियोजना के वित्तपोषण पर सहमति व्यक्त की है;

ग. वरिष्ठ ऋणदाताओं ने इस अनुबंध और रियायत अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार रियायत को एक नामित कंपनी को असाइनमेंट , अंतरण और प्रतिस्थापन के माध्यम से अपने हितों की सुरक्षा हेतु प्राधिकरण से यह प्रतिस्थापन अनुबंध करने का अनुरोध किया है;

घ. परियोजना के कार्यान्वयन, जिसमें उसका संचालन, प्रबंधन और विकास शामिल है, को सक्षम बनाने के लिए प्राधिकरण ने इस अनुबंध और रियायत अनुबंध में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार रियायत को नामित कंपनी को अंतरित और समनुदेशित करने पर सहमति व्यक्त की है तथा ऐसा करने का वचन दिया है।

अतः, उपर्युक्त के प्रतिफल में तथा इस अनुबंध में निर्धारित संबंधित वचनों और करारों के प्रतिफलस्वरूप, जिसकी प्राप्ति और पर्याप्तता एतद्वारा स्वीकार की जाती है और इस आशय से कि वे विधिक रूप से बाध्य होंगे, पक्षकार निम्नानुसार सहमत होते हैं:

1. परिभाषाएँ एवं व्याख्या

1.1 परिभाषाएँ

इस प्रतिस्थापन अनुबंध में निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जब तक संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, क्रमशः नीचे दिया गया अर्थ होगा:

“अनुबंध ” का अर्थ यह प्रतिस्थापन अनुबंध और इसमें निहित प्रावधानों के अनुसार किया गया कोई भी संशोधन है।

“रियायत अनुबंध ” का वही अर्थ है जो प्रस्तावना में दिया गया है।

“वित्तीय चूक” का अर्थ वित्तपोषण करारों के नियमों और शर्तों का कोई महत्वपूर्ण उल्लंघन होना या रियायतग्राही द्वारा कम से कम 3 (तीन) महीने की अवधि तक ऋण सेवा में निरंतर चूक करना है।

“क्षतिपूर्ति प्राप्तकर्ता पक्ष” का वही अर्थ है जो नीचे खंड 7.2 में दिया गया है।

“क्षतिपूर्ति देने वाला पक्ष” का वही अर्थ है जो नीचे खंड 7.2 में दिया गया है।

“ऋणदाता प्रतिनिधि” का अर्थ उपर्युक्त प्रस्तावना में ऋणदाता प्रतिनिधि के रूप में संदर्भित व्यक्ति है।

“नामित कंपनी” का अर्थ कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित कंपनी, जिसमें उसका कोई पुनःअधिनियमन या संशोधन भी शामिल है, है, जिसे वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से ऋणदाता प्रतिनिधि द्वारा चुना गया हो और इस अनुबंध में दिए गए प्रावधान के अनुसार रियायत के असाइनमेंट /अंतरण के लिए प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तावित किया गया हो।

“वित्तीय चूक की सूचना” का वही अर्थ है जो खंड 3.2.1 में दिया गया है; और

“पक्षकार” का अर्थ सामूहिक रूप से इस अनुबंध के पक्षकार हैं और “पक्ष” का अर्थ व्यक्तिगत रूप से इस अनुबंध के किसी पक्षकार से है।

1.2 व्याख्या

1.2.1 ऋणदाता प्रतिनिधि के संदर्भ, जब तक संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हों, वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से और उनके लिए कार्य कर रहे ऋणदाता प्रतिनिधि के संदर्भ माने जाएंगे।

1.2.2 खंडों के संदर्भ, जब तक अन्यथा कहा न गया हो, इस अनुबंध के खंडों के संदर्भ होंगे।

1.2.3 बड़े अक्षरों से प्रारंभ होने वाले और इस अनुबंध में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो इस अनुबंध में उन्हें दिया गया है तथा इस अनुबंध में प्रयुक्त ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, लेकिन रियायत अनुबंध में परिभाषित हैं, जब तक संदर्भ के प्रतिकूल न हों, रियायत अनुबंध में दिए गए अर्थ के अनुरूप होंगे।

1.2.4 रियायत अनुबंध के खंड 1.2, 1.3 और 1.4 में उल्लिखित व्याख्या के नियम, आवश्यकतानुसार परिवर्तन सहित, इस अनुबंध पर लागू होंगे।

2. कार्यभार

2.1 कार्यभार

रियायतग्राही एतद्वारा इस अनुबंध और रियायत अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार, वित्तपोषण करारों के अंतर्गत वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा किए गए वित्तपोषण की सुरक्षा के संबंध में रियायत में अपने अधिकार, हक और हित ऋणदाता प्रतिनिधि को और उसके पक्ष में प्रतिभूति के रूप में समनुदेशित करने पर सहमत है। वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा वित्तपोषण करारों के अंतर्गत किए गए वित्तपोषण के संबंध में।

3. रियायतग्राही का प्रतिस्थापन

3.1 प्रतिस्थापन के अधिकार

3.1.1 खंड 2.1 के अंतर्गत समनुदेशित अधिकार, हक और हितों के अनुसार, ऋणदाता प्रतिनिधि इस अनुबंध और रियायत अनुबंध के प्रावधानों के अंतर्गत तथा उनके अनुसार, प्राधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित नामित कंपनी द्वारा रियायतग्राही का प्रतिस्थापन करने का हकदार होगा।

3.1.2 प्राधिकरण एतद्वारा इस अनुबंध के अनुसार ऋणदाता प्रतिनिधि द्वारा चयनित नामित कंपनी के पक्ष में रियायत अनुबंध पर पृष्ठांकन करके रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने पर सहमत है। वरिष्ठ ऋणदाता या ऋणदाता प्रतिनिधि रियायतग्राही के रूप में, चाहे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, विमानपत्तन का संचालन और रखरखाव करने के हकदार नहीं होंगे।

3.1.3 इस अनुबंध या रियायत अनुबंध में कहीं अन्यथा निहित किसी विपरीत बात के होते हुए भी, पक्षकार सहमत हैं कि यदि वरिष्ठ ऋणदाता, ऋणदाता प्रतिनिधि के माध्यम से कार्य करते हुए, इस अनुबंध की शर्तों के अनुसार रियायतग्राही को किसी नामित कंपनी से प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो प्राधिकरण को रियायतग्राही का इस प्रकार प्रतिस्थापन करने का अधिकार होगा कि इस अनुबंध के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण स्वयं नामित कंपनी होगा और नामित कंपनी के किसी भी संदर्भ का अर्थ प्राधिकरण होगा तथा प्रतिस्थापन अनुबंध के अन्य सभी नियम और शर्तों की तदनुसार व्याख्या की जाएगी।

3.2 वित्तीय चूक होने पर प्रतिस्थापन

3.2.1 उपर्युक्त खंड 2.1 के प्रावधानों के अधीन, वित्तीय चूक होने पर, ऋणदाता प्रतिनिधि रियायतग्राही को “**वित्तीय चूक की सूचना**” जारी कर सकता है, जिसमें उसके विवरण होंगे और उसकी एक प्रति प्राधिकरण को उसकी जानकारी और अभिलेख के लिए भेज सकता है। इस खंड 3.2 के अंतर्गत वित्तीय चूक की सूचना ऐसी वित्तीय चूक का निर्णायक साक्ष्य होगी और इस अनुबंध के प्रयोजनों के लिए रियायतग्राही पर अंतिम तथा बाध्यकारी होगी।

3.2.2 यहाँ वित्तीय चूक की सूचना जारी किए जाने पर, ऋणदाता प्रतिनिधि, इस अनुबंध या वित्तपोषण करारों के अंतर्गत अपने किसी अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही को नामित कंपनी से प्रतिस्थापित कर सकता है।

3.2.3 ऋणदाता प्रतिनिधि द्वारा वित्तीय चूक की सूचना जारी किए जाने के बाद किसी भी समय, वह सूचना द्वारा प्राधिकरण से रियायतग्राही के सभी अधिकारों को निलंबित करने और रियायत अनुबंध के अनुच्छेद 34 के प्रावधानों के अनुसार विमानपत्तन का संचालन और रखरखाव अपने हाथ में लेने की अपेक्षा कर सकता है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर प्राधिकरण रियायत अनुबंध के प्रावधानों के अंतर्गत और उनके अनुसार निलंबन करेगा। नामित कंपनी द्वारा

प्रतिस्थापन किए जाने पर निलंबन रद्द कर दिया जाएगा। यदि ऐसा प्रतिस्थापन निलंबन की तारीख से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के भीतर पूरा नहीं होता है, तो प्राधिकरण रियायत अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार समाप्ति सूचना जारी करके रियायत अनुबंध को तत्काल समाप्त कर सकता है। तथापि, ऋणदाता प्रतिनिधि और रियायतग्राही के लिखित अनुरोध पर, प्राधिकरण उक्त 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की अवधि को 90 (नब्बे) दिनों से अधिक न होने वाली अवधि तक बढ़ा सकता है। प्राधिकरण एतद्वारा स्पष्ट रूप से सहमत और वचनबद्ध होता है कि यहाँ किए गए निलंबन की तारीख से 270 (दो सौ सत्तर) दिनों के बाद किसी भी समय ऋणदाता प्रतिनिधि से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर वह रियायत अनुबंध को तत्काल समाप्त करेगा।

33.1 धारा के प्रावधानों का विषय

3.3.1 रियायतग्राही के डिफॉल्ट की स्थिति में प्रतिस्थापन

उपरोक्त के अनुसार, रियायतग्राही के डिफॉल्ट की स्थिति उत्पन्न होने पर प्राधिकरण, एक नोटिस द्वारा ऋणदाताओं के प्रतिनिधि को समाप्ति नोटिस जारी करने के अपने आशय से सूचित करेगा और ऋणदाताओं के प्रतिनिधि को 15 (पंद्रह) दिनों का समय देगा, ताकि वह रियायतग्राही को नामित कंपनी द्वारा प्रतिस्थापित करने के अपने आशय को बताते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सके।

33.2 यदि ऋणदाताओं का प्रतिनिधि धारा 33.1 में निर्दिष्ट 15 (पंद्रह) दिनों की अवधि के भीतर प्राधिकरण के समक्ष यह बताते हुए अभ्यावेदन करता है कि उसका आशय रियायतग्राही को नामित कंपनी द्वारा प्रतिस्थापित करना है, तो ऋणदाताओं का प्रतिनिधि इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की अवधि के भीतर रियायतग्राही का नामित कंपनी द्वारा प्रतिस्थापन करने और उसे पूरा करने का अधिकारी होगा। प्राधिकरण उक्त 180 दिनों की अवधि के लिए समाप्ति को रोककर रखेगा अथवा निलंबन की कार्रवाई नहीं करेगा। ऋणदाताओं के प्रतिनिधि और रियायतग्राही के लिखित अनुरोध पर प्राधिकरण उक्त अवधि को अधिकतम 90 (नब्बे) दिनों तक बढ़ा सकता है। ऋणदाताओं का प्रतिनिधि किसी भी समय अपना अभ्यावेदन वापस ले सकता है और ऐसा करने पर रियायतग्राही इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार अनुबंध समाप्त कर सकता है।

34. प्रतिस्थापन की प्रक्रिया

34.1 प्राधिकरण और रियायतग्राही सहमत हैं कि वित्तीय डिफॉल्ट की सूचना की तारीख से या, जैसा भी मामला हो, धारा 33.2 के अंतर्गत प्राधिकरण को किए गए अभ्यावेदन की तारीख से, ऋणदाताओं का प्रतिनिधि वरिष्ठ ऋणदाताओं के अन्य अधिकारों या उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निजी वार्ता अथवा सार्वजनिक नीलामी या निविदा के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित, बातचीत तथा प्राप्त कर सकता है, ताकि हवाई अड्डे का अधिग्रहण तथा हस्तांतरण नामित कंपनी को किया जा सके, बशर्ते नामित कंपनी रियायत अनुबंध के अंतर्गत प्राधिकरण के प्रति तथा वित्तपोषण करारों के अंतर्गत वरिष्ठ ऋणदाताओं के प्रति रियायतग्राही की देयताओं और दायित्वों को ग्रहण करे।

3.4.2 प्रतिस्थापन के लिए चयनित नामित कंपनी को उन पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा जो रियायत प्रदान करने के लिए बोलीदाताओं की शॉर्टलिस्टिंग हेतु प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए गए थे। ऋणदाताओं का प्रतिनिधि प्राधिकरण से अनुरोध कर सकता है कि परियोजना के हित में ऐसे किसी या सभी मानदंडों में छूट दी जाए और यदि प्राधिकरण निर्धारित करता है कि ऐसी छूट से परियोजना पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वह ऐसे किसी या सभी पात्रता मानदंडों में छूट दे सकता है।

34.3 नामित कंपनी के चयन के पश्चात ऋणदाताओं का प्रतिनिधि प्राधिकरण से अनुरोध करेगा कि वह:

(क) नामित कंपनी को रियायत अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे के प्रचालन , प्रबंधन और विकास के अधिकार हस्तांतरित करने की सहमति दे;

(ख) शेष विकास अवधि या रियायत अवधि के लिए समान नियमों और शर्तों पर रियायत को नामित कंपनी के पक्ष में अनुमोदित और हस्तांतरित करे; तथा

(ग) ऋणदाताओं के प्रतिनिधि और नामित कंपनी के साथ इस अनुबंध में निहित समान नियमों और शर्तों पर प्रतिस्थापन अनुबंध करे।

3.4.4 यदि प्राधिकरण को इस अनुबंध के अनुसार नामित कंपनी के पक्ष में रियायत के हस्तांतरण पर कोई आपत्ति है, तो वह ऋणदाताओं के प्रतिनिधि को सुनने के पश्चात प्रस्ताव की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर कारणयुक्त नोटिस देगा। यदि प्राधिकरण द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती है, तो नामित कंपनी को स्वीकार किया हुआ माना जाएगा। प्राधिकरण नामित कंपनी की स्वीकृति अथवा मानी गई स्वीकृति के पश्चात 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर रियायत का हस्तांतरण और अनुमोदन करेगा। यदि प्राधिकरण आपत्ति करता है, तो ऋणदाताओं का प्रतिनिधि किसी अन्य नामित कंपनी का प्रस्ताव कर सकता है और धारा 3.4 की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

3.4.5 रियायत का हस्तांतरण नामित कंपनी को रियायतग्राही की इक्विटी का 74% (चौहत्तर प्रतिशत) से कम हिस्सा हस्तांतरित करके भी किया जा सकता है। ऐसे हस्तांतरण के पश्चात रियायतग्राही को इस अनुबंध और रियायत अनुबंध के अनुसार नामित कंपनी माना जाएगा।

3.5 चयन बाध्यकारी होगा

नामित कंपनी के चयन के संबंध में ऋणदाताओं के प्रतिनिधि और प्राधिकरण का निर्णय अंतिम और रियायतग्राही पर बाध्यकारी होगा। रियायतग्राही अपरिवर्तनीय रूप से सहमत होता है और ऋणदाताओं के प्रतिनिधि, वरिष्ठ ऋणदाताओं या प्राधिकरण द्वारा इस अनुबंध के अनुसार की गई कार्रवाई, जिसमें नामित कंपनी के पक्ष में रियायत का हस्तांतरण/समनुदेशन शामिल है, को चुनौती देने के अधिकार का परित्याग करता है। रियायतग्राही को परियोजना की परिसंपत्तियों या रियायतग्राही के शेयरों के पुनर्मूल्यांकन की मांग करने का कोई अधिकार नहीं होगा। पक्षकार स्वीकार करते हैं कि ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के अधिकारों को चुनौती नहीं दी जाएगी और रियायतग्राही के पास प्रतिस्थापन और अनुमोदन के माध्यम से रियायत के हस्तांतरण को रोकने या बाधित करने का कोई अधिकार या उपाय नहीं होगा।

4 परियोजना अनुबंध

4.1 परियोजना करारों में नामित कंपनी का प्रतिस्थापन

रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक परियोजना अनुबंध में ऐसे प्रावधान हों जो नामित कंपनी को रियायतग्राही के स्थान पर उस परियोजना अनुबंध में प्रवेश करने की अनुमति दें, जब नामित कंपनी रियायत अनुबंध के अंतर्गत रियायतग्राही की देयताओं और दायित्वों को ग्रहण करती है।

5. रियायत अनुबंध की समाप्ति

5.1 वित्तीय डिफॉल्ट की स्थिति में समाप्ति

वित्तीय डिफॉल्ट की सूचना जारी किए जाने के बाद किसी भी समय ऋणदाताओं का प्रतिनिधि लिखित नोटिस द्वारा प्राधिकरण से रियायत अनुबंध को तत्काल समाप्त करने का अनुरोध कर सकता है और ऐसा नोटिस प्राप्त होने पर प्राधिकरण रियायत अनुबंध के अनुच्छेद 34 के अनुसार समाप्ति की कार्रवाई करेगा।

5.2 जब कोई नामित कंपनी चयनित न हो

यदि 180 (एक सौ अस्सी) दिनों या धारा 33.2 में निर्धारित विस्तार की अवधि के भीतर प्राधिकरण को स्वीकार्य कोई नामित कंपनी चयनित और ऋणदाताओं के प्रतिनिधि द्वारा अनुशंसित नहीं की जाती है, तो प्राधिकरण रियायत अनुबंध के अनुसार उसे तत्काल समाप्त कर सकता है।

5.3 राशि की वसूली

प्राधिकरण और रियायतग्राही स्वीकार और सहमत होते हैं कि किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऋणदाताओं का प्रतिनिधि रियायत अनुबंध की समाप्ति पर वरिष्ठ ऋणदाताओं को देय राशियां रियायत से, रियायतग्राही के किसी और संदर्भ या सहमति के बिना, प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

6. अनुबंध की अवधि

6.1 अनुबंध की अवधि

यह अनुबंध इसकी तारीख से प्रभावी होगा और निम्नलिखित में से जो घटना पहले घटित हो, उस पर समाप्त हो जाएगा:

(क) अनुबंध की समाप्ति; अथवा

(ख) वित्तपोषण करारों के अंतर्गत वरिष्ठ ऋणदाताओं को कोई राशि अग्रिम देने के लिए शेष न रहना और कोई राशि बकाया न होना।

7. क्षतिपूर्ति

7.1 सामान्य क्षतिपूर्ति

7.1.1 रियायतग्राही इस अनुबंध के अंतर्गत अपने किसी दायित्व के उल्लंघन अथवा लागू कानूनों और लागू परमिटों का पालन करने में विफलता के कारण उत्पन्न किसी भी प्रकार की हानि, क्षति, लागत और व्यय के संबंध में सभी कार्यवाहियों, कार्रवाइयों और तृतीय-पक्ष दावों से प्राधिकरण और ऋणदाताओं के प्रतिनिधि की क्षतिपूर्ति करेगा, उनका बचाव करेगा और उन्हें हानिरहित रखेगा।

7.1.2 प्राधिकरण इस अनुबंध के अंतर्गत अपने किसी दायित्व को पूरा करने में विफलता, जिससे रियायत अनुबंध या इस अनुबंध के अंतर्गत रियायतग्राही के दायित्वों का निष्पादन महत्वपूर्ण रूप से और प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है, से उत्पन्न हानि, क्षति, लागत और व्यय के संबंध में रियायतग्राही की क्षतिपूर्ति करेगा, उसका बचाव करेगा और उसे हानिरहित रखेगा; इसमें प्राधिकरण, उसके अधिकारियों, सेवकों और एजेंटों द्वारा अपने विधिक कार्यों के निर्वहन में किए गए कृत्यों से उत्पन्न हानि, क्षति, लागत और व्यय शामिल नहीं होंगे।

7.1.3 ऋणदाताओं का प्रतिनिधि अपने दायित्वों को पूरा करने में विफलता से रियायतग्राही के दायित्वों के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण उत्पन्न हानि, क्षति, लागत और व्यय के संबंध में रियायतग्राही की क्षतिपूर्ति करेगा, उसका बचाव करेगा और उसे हानिरहित रखेगा; इसमें उसके अधिकारियों, सेवकों और एजेंटों द्वारा अपने विधिक कार्यों के निर्वहन में किए गए कृत्यों से उत्पन्न हानि, क्षति, लागत और व्यय शामिल नहीं होंगे।

7.2 दावों की सूचना और प्रतिवाद

यदि कोई पक्ष किसी तृतीय पक्ष से ऐसा दावा प्राप्त करता है जिसके संबंध में उसे धारा 7 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का लाभ या प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है, तो वह दावा प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी पक्ष को सूचित करेगा और उसकी पूर्व स्वीकृति के बिना दावे का निपटारा या भुगतान नहीं करेगा। ऐसी स्वीकृति को अनुचित रूप से रोका या विलंबित नहीं किया जाएगा। यदि क्षतिपूर्ति देने वाला पक्ष दावे का प्रतिवाद करना चाहता है, तो वह क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष के नाम पर कार्यवाही कर सकता है और सभी संबंधित लागतें वहन करेगा। क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष पूर्ण सहयोग और सहायता देगा तथा आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा।

8. विवाद समाधान

8.1 विवाद समाधान

8.1.1 इस अनुबंध से उत्पन्न या इसके संबंध में कोई विवाद, मतभेद या दावा, जो सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं हुआ है, मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा और उसका निर्णय मध्यस्थों के एक बोर्ड द्वारा किया जाएगा, जिसमें प्राधिकरण, रियायतग्राही और ऋणदाताओं के प्रतिनिधि द्वारा एक-एक नामित मध्यस्थ होगा। मध्यस्थता नियमों के अनुसार आयोजित होगी और समय-समय पर संशोधित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अधीन होगी।

8.1.2 मध्यस्थ कारणयुक्त पंचाट निर्णय जारी करेंगे और ऐसा निर्णय पक्षकारों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता का स्थान राज्य की राजधानी होगा और भाषा अंग्रेजी होगी।

9. विविध प्रावधान

9.1 लागू कानून और अधिकारिता

इस अनुबंध का निर्माण और व्याख्या भारत के कानूनों के अनुसार की जाएगी और राज्य के न्यायालयों को इस अनुबंध से उत्पन्न या संबंधित सभी मामलों पर अधिकारिता होगी।

9.2 संप्रभु उन्मुक्ति का परित्याग

प्राधिकरण बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से:

(क) सहमत होता है कि इस अनुबंध का निष्पादन, सुपुर्दगी और पालन वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किए गए वाणिज्यिक कार्य हैं;

(ख) सहमत होता है कि इस अनुबंध या इसके अंतर्गत किसी लेन-देन के संबंध में उसके विरुद्ध या उसकी परिसंपत्तियों, संपत्ति या राजस्व के विरुद्ध कोई कार्यवाही होने पर वह संप्रभुता या अन्य आधार पर उन्मुक्ति का दावा नहीं करेगा;

(ग) उन्मुक्ति के किसी भी ऐसे अधिकार का परित्याग करता है जो उसे या उसकी परिसंपत्तियों, संपत्ति या राजस्व को किसी अधिकारिता में प्राप्त है या भविष्य में प्राप्त हो सकता है; तथा

(घ) किसी निर्णय या पंचाट को लागू कराने के संबंध में सामान्यतः सहमति देता है कि किसी ऐसी कार्यवाही में राहत दी जा सकती है अथवा प्रक्रिया जारी की जा सकती है, जिसमें उसके या उसकी किसी परिसंपत्ति, संपत्ति या राजस्व के विरुद्ध आदेश या निर्णय का निर्माण, प्रवर्तन या निष्पादन शामिल है।

9.3 करारों की प्राथमिकता

रियायत अनुबंध और इस अनुबंध के बीच किसी विरोध की स्थिति में रियायत अनुबंध के प्रावधान इस अनुबंध पर प्रभावी होंगे।

9.4 शर्तों में परिवर्तन

इस अनुबंध में सभी परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन और विविधताएं तभी प्रभावी और बाध्यकारी होंगी जब वे लिखित रूप में हों और पक्षकारों के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित हों।

9.5 छूट

95.1 किसी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के इस करार के अंतर्गत किसी प्रावधान या दायित्व के अनुपालन एवं निष्पादन में हुई चूक को माफ करना:

(क) इस करार के किसी पूर्ववर्ती या बाद के डिफॉल्ट अथवा इस करार के अन्य प्रावधानों या दायित्वों की छूट के रूप में कार्य नहीं करेगा और न ही इसकी व्याख्या इस प्रकार की जाएगी;

(ख) तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि यह लिखित रूप में न हो तथा संबंधित पक्ष के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित न किया गया हो; और

(ग) किसी भी प्रकार से इस करार की वैधता या प्रवर्तनीयता को प्रभावित नहीं करेगा।

95.2 किसी भी अवसर पर किसी पक्ष द्वारा इस करार के नियमों, शर्तों एवं प्रावधानों अथवा इसके अंतर्गत किसी दायित्व के पालन पर जोर न देने को, अथवा किसी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया गया समय या अन्य कोई रियायत प्रदान करने को, ऐसी चूक की छूट, किसी परिवर्तन की स्वीकृति अथवा इस करार के अंतर्गत ऐसे किसी अधिकार के परित्याग के रूप में नहीं माना जाएगा।

9.6 कोई तृतीय-पक्ष लाभार्थी नहीं

यह अनुबंध केवल पक्षकारों के लाभ के लिए है और किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को इसके अंतर्गत कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

9.7 उत्तरजीविता

9.7.1 इस अनुबंध की समाप्ति:

(क) पक्षकारों को उन दायित्वों से मुक्त नहीं करेगी जो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से इसकी समाप्ति के बाद भी बने रहने वाले हैं; तथा

(ख) किसी पक्ष को किसी अन्य पक्ष के प्रति उस हानि या क्षति के लिए दायित्व से मुक्त नहीं करेगी जो समाप्ति प्रभावी होने से पहले उसके कृत्यों या चूकों से या ऐसी समाप्ति से उत्पन्न हुई हो।

9.7.2 इस अनुबंध के रद्दीकरण, अवधि समाप्ति या समाप्ति के बाद जीवित रहने वाले सभी दायित्व समाप्ति या अवधि समाप्त होने की तारीख के बाद केवल 3 (तीन) वर्षों तक जीवित रहेंगे।

9.8 पृथक्करणीयता

यदि इस अनुबंध का कोई प्रावधान अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय है या हो जाता है अथवा सक्षम अधिकारिता के न्यायालय या अन्य निकाय द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है, तो शेष प्रावधानों की वैधता, वैधानिकता या प्रवर्तनीयता प्रभावित नहीं होगी। पक्षकार सद्भावपूर्वक ऐसे एक या अधिक प्रावधानों पर सहमत होने के लिए बातचीत करेंगे जिन्हें ऐसे प्रावधान के स्थान पर यथासंभव निकट रखा जा सके। ऐसे प्रावधान पर सहमत होने में विफलता धारा 8 के अंतर्गत विवाद समाधान के अधीन नहीं होगी।

9.9 उत्तराधिकारी और समनुदेशिती

यह अनुबंध पक्षकारों तथा उनके संबंधित उत्तराधिकारियों और अनुमत समनुदेशितियों पर बाध्यकारी होगा और उनके लाभ के लिए प्रभावी होगा।

9.10 नोटिस

इस अनुबंध के अंतर्गत दिए या किए जाने वाले सभी नोटिस और अन्य संचार लिखित रूप में होंगे तथा व्यक्तिगत रूप से वितरित किए जाएंगे या कूरियर अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाएंगे, साथ में फैक्स या ई-मेल द्वारा अतिरिक्त प्रति भेजी जाएगी। प्रत्येक पक्ष का सेवा हेतु पता, फैक्स नंबर और ई-मेल पता इस अनुबंध के हस्ताक्षर

पृष्ठ पर उसके नाम के नीचे दिया गया है। कोई नोटिस उसके वास्तविक रूप से प्राप्त होने पर प्रभावी होगा, सिवाय इसके कि यदि वह किसी दिन शाम 5:30 बजे के बाद या सार्वजनिक अवकाश वाले दिन प्राप्त होता है, तो नोटिस को वास्तविक प्राप्ति की तारीख के बाद आने वाले पहले कार्य दिवस को प्राप्त माना जाएगा। फैक्स या ई-मेल द्वारा नोटिस देने वाला पक्ष उसकी एक प्रति तुरंत व्यक्तिगत रूप से वितरित करेगा अथवा कूरियर या पंजीकृत डाक द्वारा भेजेगा। कोई भी पक्ष नोटिस द्वारा उस पते को बदल सकता है जिस पर ऐसे नोटिस और संचार उसे वितरित या डाक द्वारा भेजे जाने हैं। ऐसा परिवर्तन सभी पक्षकारों को सूचना मिलने पर प्रभावी होगा।

9.11 भाषा

इस अनुबंध के अंतर्गत या इसके संबंध में सभी नोटिस, प्रमाणपत्र, पत्राचार और कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी।

9.12 अधिकृत प्रतिनिधि

प्रत्येक पक्ष लिखित नोटिस द्वारा अपने संबंधित अधिकृत प्रतिनिधि को नामित करेगा, जिसके माध्यम से सभी संचार किए जाएंगे। कोई पक्ष समान नोटिस द्वारा ऐसे प्रतिनिधि को हटाने और/या प्रतिस्थापित करने अथवा नया प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकारी होगा।

9.13 मूल दस्तावेज

यह अनुबंध तीन प्रतियों में निष्पादित किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक, निष्पादित और सुपुर्द किए जाने पर, इस अनुबंध की एक मूल प्रति मानी जाएगी।

साक्ष्य स्वरूप उपरोक्त के साक्ष्य में, पक्षकारों ने इस करार को उस तारीख से निष्पादित एवं परिदत्त किया है, जो ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित है।

रियायतग्राही की सामान्य मुहर रियायतग्राही की सामान्य मुहर को प्राधिकरण के बोर्ड की ओर से और उसके लिए पारित संकल्प के अनुसरण में, दिनांक _____ को हुई बैठक में, इसके समक्ष उपस्थित निम्नलिखित की उपस्थिति में लगाया गया है—**निदेशक**, जिन्होंने इसका साक्ष्य स्वरूप इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए हैं; **तथा कंपनी सचिव/प्राधिकृत अधिकारी**, जिन्होंने इसका प्रतिहस्ताक्षर इस बात के साक्ष्य स्वरूप किया है।

(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
(नाम)	(नाम)
(पदनाम)	(पदनाम)
(पता)	(पता)
(फैक्सनंबर)	(फैक्सनंबर)
(ई-मेल पता)	(ई-मेल पता)

हस्ताक्षरित, मुहरबंद और सुपुर्द

वरिष्ठ ऋणदाताओं के लिए, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि द्वारा:

(हस्ताक्षर)

(नाम)

(पदनाम)

(पता)

(फैक्सनंबर)

(ई-मेल पता)

की उपस्थिति में

अनुसूची थ
सीएनएस/एटीएम अनुबंध
(धारा 20.2.1 देखें)

विषय-सूची

अनुच्छेद 1	परिभाषाएँ और व्याख्या	2
अनुच्छेद 2	वैधता और अवधि	4
अनुच्छेद 3	अभ्यावेदन और वारंटी	5
अनुच्छेद 4	प्राधिकरण के दायित्व	5
अनुच्छेद 5	रियायतग्राही के दायित्व	7
अनुच्छेद 6	सुविधाओं और उपकरणों का विकास और विस्तार	8
अनुच्छेद 7	संयुक्त सहयोग समिति	11
अनुच्छेद 8	राजस्व और प्रभार	11
अनुच्छेद 9	क्षतिपूर्ति	12
अनुच्छेद 10	दायित्व	12
अनुच्छेद 11	अप्रत्याशित घटना	12
अनुच्छेद 12	समाप्ति	14
अनुच्छेद 13	असाइनमेंट	15
अनुच्छेद 14	विवाद समाधान	16
अनुच्छेद 15	बीमा	17
अनुच्छेद 16	नोटिस	17
अनुच्छेद 17	डीमंड डिलीवरी	18
अनुच्छेद 18	विविध	18
अनुच्छेद 19	लागू कानून	20
अनुच्छेद 20	भाविप्रा द्वारा वचन	20
अनुसूची 1	भाविप्रा उपकरण और रियायतग्राही उपकरण	22
अनुसूची 2	सीएनएस/एटीएम सेवाएं	23
अनुसूची 3	कार्यालय और सुविधाएं	24
अनुसूची 4	तैयार किए गए हिस्से	25
अनुसूची 5	मौजूदा उपकरणों की सूची	26
अनुसूची 6	हवाई अड्डे पर सीएनएस/एटीएम उपकरणों का भावी रोडमैप	27

यह अनुबंध तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीएनएस/एटीएम सेवाओं के प्रावधान के लिए ("अनुबंध ") दिनांक ____ 20__ को इनके बीच किया गया है।

के द्वार और के मध्य

1. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 ("अधिनियम") के अंतर्गत स्थापित, जिसके अध्यक्ष द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है और जिसका प्रधान कार्यालय राजीव गांधी भवन, तृतीय तल, सी-ब्लॉक, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली - 110 003, भारत में है (जिसे आगे "प्राधिकरण" या "भाविप्रा " कहा जाएगा, जिसमें संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न होने पर उसके प्रशासक, उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी भी शामिल होंगे);

और दूसरी ओर,

2. भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय {____} में है (जिसे आगे "रियायतग्राही" कहा जाएगा, जिसमें संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न होने पर उसके उत्तराधिकारी, अनुमत समनुदेशिनी और प्रतिस्थापित पक्ष भी शामिल होंगे)।

"भाविप्रा " और "रियायतग्राही" का, जहां संदर्भ अपेक्षित हो, उनके संबंधित हित-उत्तराधिकारियों और अनुमत समनुदेशितियों सहित अर्थ लिया जाएगा और सामूहिक रूप से "पक्षकार" तथा व्यक्तिगत रूप से "पक्ष" कहा जाएगा।

जबकि

(क) रियायतग्राही ने केरल राज्य में तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रचालन , प्रबंधन और विकास के लिए प्राधिकरण के साथ एक रियायत अनुबंध किया है।

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के अनुसरण में भाविप्रा भारत में वायुक्षेत्र और सभी नागरिक हवाई अड्डों के भीतर वायु यातायात सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है।

(ग) उपरोक्त अधिनियम के अनुसार भाविप्रा इस अनुबंध में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार हवाई अड्डे पर सेवाएं प्रदान करेगा।

अतः उपर्युक्त और इस अनुबंध में निर्धारित संबंधित वचनों और करारों को ध्यान में रखते हुए, पक्षकार निम्नानुसार सहमत होते हैं:

1. परिभाषाएँ और व्याख्या

1.1 परिभाषाएँ

इस अनुबंध में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

“भाविप्रा विकास उपकरण” का वही अर्थ होगा जो धारा 6.4 में दिया गया है।

“भाविप्रा उपकरण” से तात्पर्य रियायतग्राही उपकरण के अतिरिक्त उन सभी उपकरणों और सुविधाओं से है जो भाविप्रा को इस अनुबंध तथा संबंधित इकाओं दस्तावेजों और अनुलग्नकों के अनुसार भाविप्रा सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हैं और, जैसा संदर्भ अपेक्षित हो, इसमें भाविप्रा विकास उपकरण भी शामिल होंगे।

“भाविप्रा सेवाएं” से तात्पर्य इस अनुबंध के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से है, जैसा कि धारा 5.1 में निर्धारित है।

“ईआईआरए” से तात्पर्य भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण से है, जो ऐरा अधिनियम के अंतर्गत स्थापित है और इसमें लागू कानूनों के अनुसार उसका कोई उत्तराधिकारी निकाय भी शामिल होगा।

“प्रभावित पक्ष” का वही अर्थ होगा जो धारा 11.1 में दिया गया है।

“संबद्ध संस्था” का वही अर्थ होगा जो रियायत अनुबंध में दिया गया है।

“एयरफील्ड प्रकाश व्यवस्था प्रणाली” से तात्पर्य हवाई अड्डे पर प्रकाश व्यवस्था प्रणालियों से है, जिसमें रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और एप्रोच के संबंध में प्रणालियां शामिल हैं, जो संबंधित इकाओं दस्तावेजों और अनुलग्नकों के अनुसार प्रस्तावित हवाई परिचालनों के लिए आवश्यक हैं।

“हवाई अड्डा” का वही अर्थ होगा जो रियायत अनुबंध में दिया गया है।

“सीओडी” का वही अर्थ होगा जो रियायत अनुबंध में दिया गया है।

“शिकागो कन्वेंशन” का वही अर्थ होगा जो रियायत अनुबंध में दिया गया है।

“सीएनएस/एटीएम शुल्क” का वही अर्थ होगा जो धारा 8.1 में निर्धारित है।

“सीएनएस/एटीएम उपकरण” से तात्पर्य भाविप्रा द्वारा सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक सभी उपकरणों और सुविधाओं से है और इसमें रियायतग्राही उपकरण तथा भाविप्रा उपकरण शामिल हैं।

“सीएनएस/एटीएम सेवाएं” से तात्पर्य संचार, नौवहन और निगरानी तथा वायु यातायात प्रबंधन सेवाओं से है, जो भाविप्रा द्वारा हवाई अड्डे पर प्रदान की जाएंगी और जिनका अधिक विशेष विवरण इस अनुबंध तथा अनुसूची 2 में दिया गया है।

“रियायत अनुबंध ” से तात्पर्य प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच दिनांक ____ को किया गया रियायत अनुबंध है।

“रियायतग्राही उपकरण” से तात्पर्य अनुसूची 1 के भाग I में निर्धारित रियायतग्राही के उपकरण और सुविधाओं से है और, जैसा संदर्भ अपेक्षित हो, इसमें रियायतग्राही विकास उपकरण भी शामिल होंगे।

“रियायतग्राही विकास उपकरण” का वही अर्थ होगा जो धारा 6.3.15 में दिया गया है।

“डीजीसीए ” से तात्पर्य नागर विमानन महानिदेशालय अथवा उसके किसी प्रतिस्थापित निकाय से है।

“विवाद” का वही अर्थ होगा जो धारा 14.1 में निर्धारित है।

“विस्तार” से तात्पर्य रियायत अनुबंध के अनुसार समय-समय पर रियायतग्राही द्वारा किए जाने वाले हवाई अड्डे की क्षमता के विस्तार से है।

“अंतिम सीएनएस/एटीएम विकास योजना” का वही अर्थ होगा जो धारा 6.2.1 में निर्धारित है।

“उड़ान सूचना क्षेत्र” से तात्पर्य निर्धारित आयामों वाले ऐसे वायुक्षेत्र से है जिसके भीतर उड़ान सूचना सेवा और चेतावनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

“अप्रत्याशित घटना” का वही अर्थ होगा जो धारा 11.2 में निर्धारित है।

“भारत सरकार” से तात्पर्य भारत सरकार और उसकी विधिवत अधिकृत किसी एजेंसी, प्राधिकरण, विभाग, निरीक्षणालय, मंत्रालय या वैधानिक निकाय से है, जो नागर विमानन मंत्रालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण और निर्देशन में हो।

“घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया” से तात्पर्य भाविप्रा और रियायतग्राही के बीच समय-समय पर सहमत की जाने वाली उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा घटनाओं और आपात स्थितियों की रिपोर्ट की जाएगी। यह प्रक्रिया संबंधित इकाओं दस्तावेजों और अनुलग्नकों के अनुरूप तथा संबंधित उड़ान सूचना क्षेत्र में रक्षा के वायुक्षेत्र प्रबंधन संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप होगी जिसमें हवाई अड्डा स्थित है।

क्षतिपूर्ति प्राप्तकर्ता पक्ष का वही अर्थ होगा जो खंड 9.2 में निर्धारित किया गया है।

क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष का वही अर्थ होगा जो खंड 9.2 में निर्धारित किया गया है।

जेसीसी का वही अर्थ होगा जो खंड 7.1 में निर्धारित किया गया है।

प्रचालन रिपोर्टिंग प्रक्रिया का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिस पर समय समय पर-भाविप्रा (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच सहमति होगी। यह भाविप्रा सेवाओं के निर्वहन और रियायतग्राही के दायित्वों से संबंधित जानकारी के संचार के लिए होगी। यह प्रक्रिया संबंधित इकाओं दस्तावेजों और अनुलग्नकों के अनुसार और उस संबंधित उड़ान सूचना क्षेत्र में रक्षा की समग्र हवाई क्षेत्र प्रबंधन आवश्यकताओं के अनुरूप होगी जहां हवाई अड्डा स्थित है।

प्रारंभिक सीएनएस/एटीएम विकास योजना/ का वही अर्थ होगा जो खंड 6.1.2 में निर्धारित किया गया है।

परियोजना का वही अर्थ होगा जो रियायत अनुबंध में निर्धारित है।

मार्ग नेविगेशन सुविधा शुल्क का अर्थ उन राशियों से है जो भाविप्रा द्वारा एयरलाइनों या विमान ऑपरेटरों से लागू कानूनों के अनुसार मार्ग नेविगेशन सुविधाएं प्रदान करने के लिए ली जाती हैं।

टर्मिनल नेविगेशनल लैंडिंग शुल्क का अर्थ उन राशियों से है जो भाविप्रा द्वारा लागू कानूनों के अनुसार हवाई अड्डे पर टर्मिनल नेविगेशनल लैंडिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एयरलाइनों या विमान ऑपरेटरों से ली जाती हैं या ली जानी हैं।

.12 व्याख्या

1.2.1 इस अनुबंध में बड़े अक्षरों से शुरू होने वाले और परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो यहाँ निर्धारित किया गया है। इस अनुबंध में उपयोग किए गए जो शब्द और अभिव्यक्तियाँ यहाँ परिभाषित नहीं हैं, लेकिन रियायत अनुबंध में परिभाषित हैं, उनका अर्थ संदर्भ के प्रतिकूल न होने पर रियायत अनुबंध के अनुसार ही होगा।

1.2.2 इस अनुबंध की व्याख्या को नियंत्रित करने वाली भाषा अंग्रेजी है। एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिए जाने वाले सभी आवश्यक नोटिस और अन्य सभी संचार और दस्तावेज़ जो इस अनुबंध से प्रासंगिक हैं विवाद समाधान कार्यवाही सहित(, अंग्रेजी भाषा में होंगे।

1.2.3 जब तक अन्यथा न कहा जाए, अनुच्छेदों, खंडों और अनुसूचियों के संदर्भ इस अनुबंध के अनुच्छेदों, खंडों और अनुसूचियों के संदर्भ हैं।

1.2.4 रियायत अनुबंध के खंड 1.2, 1.3 और 1.4 में बताए गए व्याख्या के नियम इस अनुबंध पर आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

2. वैधता और अवधि

2.1 इस अनुबंध के प्रावधान अनुच्छेद 1, 2, 12 से 14 और 16 से 20 को छोड़कर, जो इस अनुबंध की तारीख से पक्षों पर बाध्यकारी होंगे और इस (अनुबंध के तहत पक्षों के संबंधित अधिकार और दायित्व वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से पूर्ण रूप से लागू होंगे।

2.2 यदि रियायत समझौता पूर्व शर्तों को पूरा न करने के कारण समाप्त हो जाता है, तो यह समझौता तुरंत समाप्त हो जाएगा, और किसी भी पक्ष पर कोई दायित्व नहीं होगा।

2.3 इस अनुच्छेद 2 की शर्तों के अधीन, जब तक कि यह समझौता अनुच्छेद 12 के अनुसार समाप्त न हो जाए, यह रियायत अनुबंध की समाप्ति या उससे पहले रद्द होने तक पूर्ण रूप से प्रभावी रहेगा।

3. अभ्यावेदन और वारंटी

रियायत अनुबंध के अनुच्छेद 7 में बताए गए अभ्यावेदन और वारंटी इस अनुबंध पर आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

4. प्राधिकरण के दायित्व

4.1 भाविप्रा सेवाएं

4.1.1 भाविप्रा इस अनुबंध की अवधि के दौरान हर समय प्रत्येक दिन 24 घंटे के लिए आवश्यक मल्टी शिफ्ट-प्रचालन सहित, प्रासंगिक इकाओं दस्तावेजों और डीजीसीए आवश्यकताओं के अनुसार अपने स्वयं के खर्च और लागत पर:

(ए) अनुसूची 2 में विशेष रूप से प्रदान की गई सीएनएसएटीएम/ सेवाएं प्रदान करेगा।

(बी) भाविप्रा उपकरणों का रखरखाव करेगा, जिसमें भाविप्रा उपकरणों का आवधिक उड़ान अंशांकन और अन्य परीक्षण शामिल हैं। आवश्यकतानुसार समय समय पर-भाविप्रा उपकरणों को अपग्रेड और :या संवर्धित करेगा/

(सी) हवाई अड्डे पर प्रासंगिक भाविप्रा सेवाएं प्रदान करने के लिए; (b) इकाओं दस्तावेजों और डीजीसीए आवश्यकताओं का पालन करने के लिए; और)c) विस्तार के परिणामस्वरूप।

(डी) भाविप्रा सेवाओं को निष्पादित करने के लिए आवश्यक जनशक्ति तैनात करेगा।

4.1.2 विस्तार के कारण रियायतग्राही के अनुरोध पर भाविप्रा उपकरणों को स्थानांतरित करेगा, जिसका खर्च रियायतग्राही उठाएगा, बशर्ते ऐसा स्थानांतरण इस अनुबंध के तहत भाविप्रा के दायित्वों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करे। बशर्ते कि भाविप्रा अपने विवेक पर भाविप्रा उपकरणों को स्थानांतरित कर सकता है, इस शर्त पर कि ऐसा स्थानांतरण रियायत अनुबंध के तहत रियायतग्राही के दायित्वों और या हवाई अड्डे के सुचारु/प्रचालन को प्रभावित न करे।

4.1.3 भाविप्रा समयतायात के सुरक्षितसमय पर हवाई या-, त्वरित और व्यवस्थित प्रवाह के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं की समीक्षा और संशोधन करेगा।

4.1.4 भाविप्रा रियायतग्राही को दैनिक, साप्ताहिक और मासिक गतिविधियों के लिए हवाई यातायात की आवाजाही के सभी आंकड़े ऐसे प्रारूप, आवृत्ति और वितरण विधि में प्रदान करेगा, जो समयसमय पर दोनों पक्षों द्वारा सहमत हो।-

4.1.5 भाविप्रा ऐसी जानकारी का रिकॉर्ड रखेगा और रियायतग्राही तथा एयरमैन को नोटिस जारी करेगा जैसा कि प्रचालन या घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया के तहत आवश्यक है)भाविप्रा सेवाओं के ब्रेकडाउन सहित।(

4.1.6 भाविप्रा अपने खर्च पर, भाविप्रा सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग , भारत सरकार से विमानन मौसम विज्ञान सुविधाएं और सेवाएं प्राप्त करेगा। यह कार्य शिकागो कन्वेंशन, प्रासंगिक इकाओं दस्तावेजों, डीजीसीए आवश्यकताओं और भाविप्रा व IMD के बीच हुए किसी भी अनुबंध के अनुसार किया जाएगा। रियायतग्राही अपने खर्च पर, साइट पर आवश्यक बुनियादी ढांचा और स्थान प्रदान करेगा ताकि IMD उपकरण स्थापित कर सके और कार्यालय बना सके।

4.1.7 भाविप्रा सभी आवश्यक प्रक्रियाओं, मैनुअल और चार्ट्स को तैयार और प्रकाशित करेगा ताकि इकाओं और डीजीसीए आवश्यकताओं के अनुसार हवाई अड्डे और उसके आसपास के हवाई क्षेत्र में विमानों का सुरक्षित और व्यवस्थित प्रचालन सुनिश्चित हो सके।

4.2 मार्ग हवाई नेविगेशन और हवाई यातायात प्रवाह प्रबंधन सेवाएं

4.2.1 यदि भाविप्रा को आवश्यकता हो, तो वह अपने खर्च पर हवाई अड्डे या साइट पर मार्ग हवाई नेविगेशन सेवाओं के लिए आवश्यक किसी भी रडार, उपकरण, भवन, कार्य या सुविधाओं को स्थित करना जारी रख सकता है (या स्थानांतरित कर सकता है)।

4.2.2 भाविप्रा अपने खर्च पर हवाई अड्डे पर मार्ग हवाई नेविगेशन सेवाओं के लिए आवश्यक अतिरिक्त उपकरण या सुविधाएं स्थापित कर सकता है।

4.2.3 भाविप्रा अपने खर्च पर हवाई अड्डे और पूरे भारत में हवाई यातायात प्रवाह प्रबंधन सेवाओं के लिए आवश्यक अतिरिक्त उपकरण स्थापित कर सकता है, जिसके लिए रियायतग्राही की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी अनुचित जिसे) रूप से रोका नहीं जाएगा)।

4.2.4 स्थानांतरण और/या स्थापना करते समय/, भाविप्रा हवाई अड्डे के सामान्य प्रचालन में किसी भी बाधा से बचने के लिए उचित उपाय करेगा। उचित उपाय किए जाने पर, ऐसे कार्यों से होने वाली किसी भी बाधा के लिए भाविप्रा को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।

4.2.5 भाविप्रा यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा स्थापित सभी उपकरण, रडार, भवन आदि सर्वोत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार संचालित और अनुरक्षित हों।

4.3 सेवा के मानक

4.3.1 भाविप्रा हर समय प्रासंगिक इकाओं और डीजीसीए आवश्यकताओं के अनुसार सेवाएं प्रदान करेगा, और वह रियायतग्राही को भाविप्रा सेवाओं या उपकरणों के संबंध में कोई खर्च उठाने के लिए बाध्य नहीं करेगा।

4.3.2 भाविप्रा यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मचारी, रियायतग्राही की लागत पर, रियायतग्राही द्वारा शुरू किए गए किसी भी गुणवत्ता सुधार उपायों में भाग लें। भाविप्रा समान रनवे कॉन्फिगरेशन और मौसम की स्थिति के लिए अधिकतम विमान आवाजाही प्राप्त करने में रियायतग्राही की सहायता करेगा।

4.4 हस्तक्षेप न करना

भाविप्रा यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मचारी और एजेंट रियायत अनुबंध के तहत रियायतग्राही के दायित्वों के निर्वहन में हस्तक्षेप या कोई बाधा उत्पन्न न करें, सिवाय इसके जो भाविप्रा सेवाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक हो।

5. रियायतग्राही के दायित्व

5.1 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि:

- (क) रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और अप्रोच का निर्माण और रखरखाव इकाओं और डीजीसीए आवश्यकताओं के अनुसार किया जाए और वे विमान प्रचालन के लिए उपलब्ध हों।

(ख) रनवे के लिए स्ट्रिप्स, शोल्डर, स्टॉप वे और रनवे एंड सेफ्टी एरिया और टैक्सीवे के लिए स्ट्रिप्स और शोल्डर का निर्माण व रखरखाव इकाओ और डीजीसीए मानकों के अनुसार किया जाए।

(ग) हवाई अड्डे की बाधा सीमा सतहों और अप्रोच तथा टेकऑफ क्षेत्रों को बाधाओं से मुक्त रखा जाए। - कोई भी बाधाइकाओ और डीजीसीए मानकों की अनुमेय सीमा के भीतर हो और इसके लिए भाविप्रा की पूर्व स्वीकृति ली गई हो।

(घ) भाविप्रा द्वारा सीएनएसएटीएम/ उपकरणों के लिए पहचाने गए संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को किसी भी ऐसी बाधा से मुक्त रखा जाए जो उपकरणों के कामकाज में बाधा डाल सकती है या सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है।

(ङ) बचाव और अग्निशमन सेवाओं की उचित श्रेणी उपलब्ध कराई जाए और इकाओ व डीजीसीए मानकों के अनुसार उनका रखरखाव किया जाए।

(च) प्रचालन क्षेत्र और उसके आसपास पक्षीजानवरों के उपद्रव को रोकने के लिए उचित व्यवस्था की जाए।

(छ) हवाई अड्डे पर निम्नलिखित घटनाओं से निपटने के लिए उपयुक्त आकस्मिक व्यवस्था हो:

(i) रनवे से अक्षम विमानों को हटाना।

(ii) विमान या हवाई अड्डे पर बम की धमकी।

(iii) हवाई अड्डे और उसके आसपास विमान दुर्घटनाएं।

(iv) हवाई अड्डे पर गैर अनुसूचित-विमानों की मजबूर लैंडिंग।

(v) हवाई अड्डे पर आग लगना।

(vi) प्राकृतिक आपदाएं।

(vii) हवाई अड्डे और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक अशांति।

(viii) हवाई अड्डे पर नागरिक उड्डयन में अपहरण औरया गैरकानूनी हस्तक्षेप।/

(ix) टर्मिनल बिल्डिंग और या/प्रचालन क्षेत्र पर उग्रवादी हमले।

(ज) हवाई यातायात सेवा परिसर को हवाई अड्डा प्रबंधक और हवाई अड्डे पर स्थित सभी आपातकालीन सेवाओं (अग्निशमन), चिकित्सा, CISF और पुलिस सहितलिए आपातकालीन अलार्म से जोड़ने के (घंटियां स्थापित की जाएं।

(झ) भाविप्रा और उसके कर्मियों, वाहनों और एजेंटों को हवाई अड्डे और सभी प्रचालन क्षेत्रों तक ऐसी पहुँच प्रदान की जाए जो भाविप्रा सेवाओं के प्रदर्शन के लिए उचित रूप से आवश्यक हो।

(ञ) भाविप्रा सेवाओं के लिए उचित रूप से आवश्यक जानकारी भाविप्रा और उसके कर्मियों को प्रदान की जाए।

(ट) इसके कर्मचारी और एजेंट ऑपरेटिंग या घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अनुसार जानकारी दें, जैसे ही उन्हें निम्न के बारे में पता चले: (i) एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम में कोई विफलता या दोष; (ii) भाविप्रा

- के लिए किसी रियायतग्राही उपकरण की अनुपलब्धता; और)iii) रनवे, एप्रन, टैक्सीवे या अन्य आवाजाही क्षेत्रों पर कोई बाधा।
- (ठ) किसी भी रियायतग्राही उपकरण के प्रस्तावित बंद होने या वापसी के बारे में ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अनुसार भाविप्रा को सूचित किया जाए।
- (ड) आगमन का अपेक्षित समय प्राप्त होने पर विमानों के लिए पार्किंग बे और एयरो ब्रिज आवंटित किए जाएं, और इसकी सूचना भाविप्रा को दी जाए ताकि भाविप्रा विमान का मार्गदर्शन कर सके।

5.2 रियायतग्राही, अपने खर्च पर, निम्नलिखित कार्य करेगा:

- (क) भाविप्रा सेवाओं के प्रावधान के लिए भाविप्रा के कर्मचारियों और एजेंटों को अनुसूची 3 में निर्धारित कार्यालय स्थान सुविधाएं हर समय उपलब्ध कराएगा।
- (ख) एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम और मुख्य तथा स्टैंडबाय बिजली आपूर्ति प्रणालियों का रखरखाव इकाओ दस्तावेजों और डीजीसीए आवश्यकताओं के अनुसार करेगा।
- (ग) भाविप्रा के निर्देश पर, रनवे, एप्रन, अप्रोच, टैक्सीवे या अन्य आवाजाही क्षेत्रों से किसी भी बाधा को हटाएगा।
- (घ) विस्तार के कारणों से आवश्यक होने पर भाविप्रा उपकरणों को स्थानांतरित करेगा।
- (ङ) भाविप्रा सेवाओं के प्रावधान के लिए भाविप्रा उपकरणों और अनुसूची 3 में निर्धारित कार्यालय स्थानसुविधाओं को उपयोगिता आपूर्ति (दोहरी आपूर्ति स्रोत के साथ बिजली आपूर्ति सहित) प्रदान करेगा।

5.3 यदि रियायतग्राही भाविप्रा से इकाओ और डीजीसीए आवश्यकताओं से अधिक भाविप्रा उपकरणों को अपग्रेड करने की मांग करता है, तो भाविप्रा, JCC द्वारा इस अपग्रेडेशन को आवश्यक निर्धारित किए जाने के बाद, अपने खर्च पर इसे करेगा।

6. सुविधाओं और उपकरणों का विकास और विस्तार

6.1 विकास और विस्तार के लिए योजना

6.1.1 भाविप्रा और रियायतग्राही समय लू यातायात प्रवाह के कारण समय पर अंतर्राष्ट्रीय और घरे-सीएनएसएटीएम/ सेवाओं के लिए भविष्य की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करेंगे।

6.1.2 जिस तारीख को किसी पक्ष द्वारा सीएनएसएटीएम/ उपकरणों के अपर्याप्त होने का अनुमान लगाया जाता है, उससे अधिकतम 24 महीने पहले, वह पक्ष विकास, उन्नयन और") र के लिए एक प्रारंभिक योजनाया विस्ता/प्रारंभिक सीएनएसएटीएम/ विकास योजना ") प्रस्तुत कर सकता है। इसमें शामिल होंगे:

- (i) अनुमानित यातायात प्रवाह पर सभी सहायक डेटा के साथ विश्लेषण।
- (ii) भाविप्रा सेवाओं और रियायतग्राही सेवाओं में वृद्धि की आवश्यकता।
- (iii) अतिरिक्त उपकरणों या भाविप्रा उपकरणों के अपग्रेडेशन की आवश्यकता)इकाओ और डीजीसीए आवश्यकताओं से ऊपर।(
- (iv) सीएनएसएटीएम/ उपकरणों के स्थानांतरण की आवश्यकता।
- (v) रियायतग्राही द्वारा भाविप्रा और IMD को प्रदान किए जाने वाले बुनियादी ढांचे की आवश्यकता) :a) उपकरणों की स्थापना के लिए प्रचालन क्षेत्र में जगह; और)b) कार्यालयों के लिए जगह।
- (vi) भाविप्रा कर्मचारियों और एजेंटों के लिए आवश्यक अतिरिक्त कार्यालय स्थानसुविधाएं।/

6.2 विकास और विस्तार को संभालने की प्रक्रिया

6.2.1 प्रारंभिक योजना प्रस्तुत करने के 45 दिनों के भीतर, पक्ष योजना पर चर्चा करने के लिए मिलेंगे और सीएनएसएटीएम/ उपकरणों के विकास और कार्यक्रम की अंतिम योजना ")अंतिम सीएनएसएटीएम/ विकास योजना ") को अंतिम रूप देने का प्रयास करेंगे। विवाद होने पर मामला जेसीसी को भेजा जाएगा।

6.2.2 पक्ष इस अनुबंध के तहत अपने संबंधित दायित्वों के अनुसार अंतिम योजना के लिए आवश्यक अतिरिक्त सुविधाएं, उपकरण, जनशक्ति और उपयोगिता आपूर्ति अपने खर्च पर प्रदान करेंगे।

6.3 रियायतग्राही के विकास दायित्व

6.3.1 रियायतग्राही अंतिम योजना की आवश्यकताओं के अनुसार, अपने कार्यक्षेत्र में पहचाने गए अतिरिक्त उपकरणों और सुविधाओं को अपने खर्च पर डिजाइन, निर्माण, स्थापित, परीक्षण, कमीशन और संचालित करेगा ")रियायतग्राही विकास उपकरण ")।

6.3.2 यह स्पष्ट किया जाता है कि:

- (i) किसी भी रियायतग्राही विकास उपकरण के परीक्षण कमीशनिंग के लिए/भाविप्रा जिम्मेदार नहीं होगा, यह रियायतग्राही की जिम्मेदारी होगी।
- (ii) भाविप्रा कैलिब्रेशन उड़ानों का समन्वय करेगा ताकि रियायतग्राही अपने उपकरणों को कैलिब्रेट कर सके।
- (iii) रियायतग्राही विकास उपकरणों का स्वामित्व रियायतग्राही के पास होगा।

6.3.3 रियायतग्राही:

- (i) भाविप्रा को दोनों पक्षों के उपकरणों के बीच इंटरफेस की पहचान कराएगा।

- (ii) भाविप्रा और उसके कर्मचारियों को हवाई अड्डे तक पहुंच और आवश्यक जानकारी देगा।
- (iii) उपकरणों के कमीशन होने की अपेक्षित तिथि से कम से कम 60 दिन पहले भाविप्रा को सूचित करेगा।
- (iv) अच्छी उद्योग प्रथाओं के अनुसार अपने कार्यों की सुरक्षा और देखभाल के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

6.4 भाविप्रा के विकास दायित्व

- (i) भाविप्रा अंतिम योजना के अनुसार अपने दायरे में पहचाने गए उपकरणों और सुविधाओं ("भाविप्रा विकास उपकरण ") को अपने खर्च पर डिजाइन, निर्माण, स्थापित, परीक्षण, कमीशन और प्रचालित करेगा।
- (ii) यह सुनिश्चित करेगा कि रियायतग्राही के उपकरणों के कमीशन होने की अपेक्षित तिथि से कम से कम 30 दिन पहले भाविप्रा के उपकरण कमीशन हो जाएं।
- (iii) उपकरणों के बीच अनुकूलता और उचित इंटरफेसिंग सुनिश्चित करेगा, जिसकी लागत रियायतग्राही वहन करेगा।
- (iv) रियायतग्राही की लागत पर रियायतग्राही विकास उपकरणों के कैलिब्रेशन और बेंचमार्क परीक्षण में भाग लेगा।
- (v) सुनिश्चित करेगा कि भाविप्रा विकास उपकरण इकाओ और डीजीसीए मानकों के अनुसार कार्य कर सकते हैं।
- (vi) भाविप्रा उपकरणों को भाविप्रा द्वारा संचालित अन्य प्रासंगिक नेविगेशन और मौसम विज्ञान प्रणालियों के साथ एकीकृत करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।
- (vii) भाविप्रा उपकरणों को कमीशन करने के लिए आवश्यक कैलिब्रेशन उड़ानें भरेगा और जहां तक संभव हो रियायतग्राही के साथ समन्वय करेगा। रियायतग्राही के उपकरणों को कैलिब्रेट करने की लागत के लिए भाविप्रा जिम्मेदार नहीं होगा, और यदि भाविप्रा को कोई लागत आती है, तो उसकी वसूली रियायतग्राही से की जाएगी।
- (viii) अच्छी उद्योग प्रथाओं के अनुसार अपने कार्यों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

7. संयुक्त समन्वय समिति

7.1 दोनों पक्ष यह स्वीकार करते हैं कि अपने दायित्वों का पालन करने के लिए समन्वय आवश्यक है, इसलिए सीओडी से 1 महीने के भीतर एक संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) स्थापित की जाएगी। जेसीसी में:

- (i) 4 सदस्य होंगे, प्रत्येक पक्ष 2 सदस्य नियुक्त करेगा (सदस्य बैठकों के लिए प्रॉक्सी नामित कर सकते हैं)।
- (ii) अध्यक्ष रियायतग्राही द्वारा नामित व्यक्ति होगा।
- (iii) समिति हर महीने कम से कम एक बार हवाई अड्डे पर बैठक करेगी।

7.2 माना जाएगा कि पक्षों ने JCC के सदस्यों को JCC द्वारा विचार किए गए सभी मामलों के संबंध में संबंधित पक्ष का प्रतिनिधित्व करने और उसे बाध्य करने का पूरा अधिकार सौंप दिया है।

7.3 जेसीसी, सीएनएसएटीएम/ सेवाओं के संबंध में पक्षों की गतिविधियों के समन्वय और इससे उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए जिम्मेदार होगी।

(i) यदि JCC किसी निर्णय पर पहुँचने में असमर्थ है, तो कोई भी पक्ष मामले को रियायतग्राही के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भाविप्रा के अध्यक्ष के संयुक्त विचारविमर्श के लिए भेज सकता है।-

(ii) यदि उप) खंड-1) के तहत 15 कार्य दिवसों के भीतर मामला हल नहीं होता है, तो कोई भी पक्ष इसे अनुच्छेद 14 के तहत समाधान के लिए भेज सकता है।

8. राजस्व और शुल्क

8.1 भाविप्रा, अपनी सेवाएं प्रदान करने के विचार में, एयरलाइनों से सीधे रूट नेविगेशन सुविधा शुल्क और टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग शुल्क ")सीएनएसएटीएम/ Charges") वसूलने का हकदार होगा और रियायतग्राही का इन शुल्कों के संबंध में कोई दायित्व नहीं होगा।

8.2 भाविप्रा द्वारा सीएनएसएटीएम/ शुल्क एकत्र करने में विफलता किसी भी तरह से भाविप्रा को उसकी सेवाओं के प्रदर्शन से मुक्त नहीं करेगी।

8.3 यदि कोई व्यक्ति भाविप्रा को शुल्क का भुगतान करने में चूक करता है, तो भाविप्रा को उसे सेवाएं न देने और बकाया राशि की वसूली के लिए उचित कदम उठाने का अधिकार होगा। इसे भाविप्रा की ओर से डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा।

8.4 भाविप्रा द्वारा इस अनुबंध के तहत सेवाएं प्रदान करने में वहन की गई सभी लागतें और व्यय, भाविप्रा द्वारा ली जाने वाली सेवाओं के लिए शुल्क निर्धारण के लिए स्वीकार्य होंगे। भाविप्रा द्वारा सीधे वहन की गई किसी भी लागत की प्रतिपूर्ति रियायतग्राही द्वारा नहीं की जाएगी, या इसे एयरोनॉटिकल शुल्क के निर्धारण के लिए स्वीकार्य नहीं माना जाएगा।

8.5 रियायतग्राही द्वारा इस अनुबंध के तहत वहन की गई सभी लागतें और व्यय ऐरा द्वारा एयरोनॉटिकल शुल्क के निर्धारण के लिए स्वीकार्य होंगे, जिन्हें रियायतग्राही वसूल सकता है। रियायतग्राही द्वारा वहन की गई किसी भी लागत की प्रतिपूर्ति भाविप्रा द्वारा नहीं की जाएगी।

9. क्षतिपूर्ति

9.1 सामान्य क्षतिपूर्ति

प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष और उसके ठेकेदारों, प्रिंसिपलों और एजेंटों को किसी भी नुकसान, लागत, व्यय, दायित्व या क्षतिपूर्ति दावों से सुरक्षित रखेगा। यह उन दावों पर लागू होता है जो किसी भी पक्ष के दायित्वों (फोर्स मेज्योर घटना को छोड़कर) के प्रदर्शन के कारण तीसरे पक्षों से उत्पन्न होते हैं, जिसमें मृत्यु, चोट या संपत्ति के नुकसान के दावे शामिल हैं।

9.2 दावों की सूचना और विरोध

यदि किसी पक्ष ")Indemnified Party") को तीसरे पक्ष से कोई दावा प्राप्त होता है, तो वह 15 दिनों के भीतर क्षतिपूर्ति करने वाले पक्ष ")Indemnifying Party") को सूचित करेगा और पूर्व स्वीकृति के बिना दावे का निपटान नहीं करेगा। यदि क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष दावे का विरोध करना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है और सभी लागतें वहन करेगा। क्षतिपूर्ति प्राप्तकर्ता पक्ष दावे का विरोध करने में पूरा सहयोग देगा।

10. दायित्व

पक्षों का इरादा है कि इस अनुबंध में निहित अधिकार, दायित्व और देनदारियां एक विस्तृत विवरण होंगी। इस अनुबंध में स्पष्ट रूप से बताए गए उपाय ही पक्षों के एकमात्र और अनन्य उपाय होंगे। भाविप्रा सेवाओं के प्रावधान के संबंध में प्राधिकरण का दायित्व इकाओ दस्तावेजों द्वारा निर्धारित आउटेज समय औरया गुणवत्ता में गिरावट की / अवधि के अनुरूप टर्मिनल नेविगेशनल लैंडिंग शुल्क तक सीमित होगा।

11. अप्रत्याशित घटना

11.1 अप्रत्याशित घटना

अनुच्छेद 11 तब लागू होगा जब किसी पक्ष "(Affected Party)" द्वारा उसके दायित्वों का प्रदर्शन फोर्स मेज्योर के कारण आंशिक या पूर्ण रूप से बाधित या विलंबित होता है।

11.2 अप्रत्याशित घटना की परिभाषा

11.2.1 इस समझौते में। फोर्स मेज्योर" का अर्थ कोई भी कार्य", घटना या परिस्थिति या कृत्यों, घटनाओं और परिस्थितियों का संयोजन है, जिसमें इस खंड 11.2 में संदर्भित शामिल हैं, जो प्रभावित पक्ष के उचित नियंत्रण से परे हैं और जिन्हें प्रभावित पक्ष अच्छे उद्योग अभ्यास या किसी भी सुविधा के निर्माण के संबंध में उचित कौशल और देखभाल के अभ्यास से नहीं रोक सकता था, और जो, या जिसके कोई भी परिणाम, इस समझौते के तहत किसी भी पक्ष द्वारा अपने दायित्वों के प्रदर्शन को पूर्ण या आंशिक रूप से रोकते, बाधित करते या विलंबित करते हैं।

11.2.2 "फोर्स मेज्योरयाँ शामिल हैंमें निम्नलिखित घटनाएँ और परिस्थिति ", इस हद तक कि वे, या उनके परिणाम, उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा करते हैं:

(ए) निम्नलिखित प्रकार के कार्य, घटनाएँ या परिस्थितियाँ:

(i) किसी भी पक्ष या उसके ठेकेदारों, या उनके संबंधित उपठेकेदारों-, नौकरों या एजेंटों से जुड़े हड़ताल, तालाबंदी या अन्य औद्योगिक कार्रवाई या श्रम विवाद, ऐसे किसी भी मामले में भारत के भीतर काम के निष्पादन या भारत के भीतर माल या सेवाओं की आपूर्ति पर नियोजित हैं;

(iii) जल-प्रवाह/धूल जाना, भूस्खलन, मृदा अपरदन, धंसाव, सूखा अथवा जल की कमी, तथा अन्य असामान्य या अत्यधिक प्रतिकूल मौसम या पर्यावरणीय परिस्थितियाँ अथवा प्राकृतिक आपदाएँ, उल्कापिंड या विमान अथवा अन्य हवाई उपकरणों से गिरने वाली वस्तुएं, पराध्वनिक (सुपरसोनिक) गति से चलने वाले विमानों या अन्य हवाई उपकरणों के कारण उत्पन्न दबाव तरंगों की घटना, आग या विस्फोट, रासायनिक अथवा रेडियोधर्मी संदूषण या आयनकारी विकिरण (उन परिस्थितियों को छोड़कर जहाँ विस्फोट या संदूषण या विकिरण का स्रोत या प्रभावित पक्ष द्वारा या प्रभावित पक्ष द्वारा नियोजित या नियुक्त व्यक्तियों द्वारा स्थल पर या उसके निकट लाया गया है या लाया गया था, जब तक कि वह हवाई अड्डे के किसी भी भाग के निर्माण अथवा संचालन के लिए आवश्यक न हो या न रहा हो);

(iv) हवाई अड्डे पर कोई दुर्घटनाएँ;

(v) सीओडी (वाणिज्यिक प्रचालन तिथि) से पूर्व घटित, किसी भी माध्यम से पारगमन के दौरान और हवाई अड्डे में समावेशन हेतु आशयित माल (कार्गो) की कोई आकस्मिक हानि या क्षति;

(vi) हवाई अड्डे की हानि या गंभीर आकस्मिक क्षति;

(vii) महामारी;

(viii) युद्ध का कृत्य (चाहे घोषित हो या अघोषित), आक्रमण, सशस्त्र संघर्ष या विदेशी शत्रु का कृत्य, नाकाबंदी, प्रतिबंध (एम्बार्गो), क्रांति, दंगा, बम या नागरिक अशांति;

(ix) तोड़फोड़ (सबोटाज), आतंकवाद या ऐसे कृत्यों की धमकी;

(x) दैवीय आपदा (ईश्वरीय कृत्य); अथवा

(xi) पूर्वोक्त के सदृश प्रकृति का कोई कृत्य, घटना या परिस्थिति।

(ख) बशर्ते कि निम्नलिखित में से कोई भी मामला या उसके परिणाम अप्रत्याशित घटना (फोर्स मेज्योर) के घटित होने अथवा उसका कारण बनने में सक्षम नहीं होंगे:

(i) कोई भुगतान करने में विफलता या असमर्थता, अथवा

(ii) बाजार की स्थितियों के प्रभाव, जब तक कि ऐसी बाजार स्थितियां स्वयं किसी अप्रत्याशित घटना (फोर्स मेज्योर) के कारण उत्पन्न न हुई हों या उसका परिणाम न रही हों।

(ग) और आगे यह भी प्रावधान है कि उपरोक्त खंड 11.2.2(क) में निर्दिष्ट कोई कृत्य, घटना या परिस्थिति जो मुख्य रूप से किसी तीसरे पक्ष या तीसरे पक्षों (जिसके अंतर्गत बिना किसी सीमा के, निर्माण ठेकेदार या हवाई अड्डे के संचालक, किसी पक्ष के सहयोगी या किसी पक्ष अथवा उसके सहयोगी के उप-ठेकेदार शामिल हैं) को प्रभावित करती है और जो किसी पक्ष को अपने दायित्वों के निष्पादन में रोकती है, बाधा डालती है या विलंब करती है, वह इस अनुबंध के तहत ऐसे पक्ष के संबंध में यथास्थिति अप्रत्याशित घटना (फोर्स मेज्योर) के घटित होने, यदि और उस सीमा तक कि वह उस प्रकृति या स्वरूप की हो, जो यदि इस खंड पर निर्भर रहने के इच्छुक पक्ष के साथ घटित हुई होती, तो इस खंड 11 के अंतर्गत अप्रत्याशित घटना की परिभाषा के दायरे में आती।

11.3 अप्रत्याशित घटना के परिणाम

11.3.1 निष्पादन दायित्व

प्रभावित पक्ष इस समझौते के अंतर्गत अथवा उसके अनुसरण में किसी दायित्व का पालन करने में किसी विफलता, या पालन में विलंब के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और उसे उस सीमा तक अपने दायित्वों का निष्पादन करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिस सीमा तक ऐसी विफलता या विलंब अप्रत्याशित घटना (फोर्स मेज्योर) की किसी घटना के कारण प्रत्यक्ष रूप से हुआ हो तथा विशेष रूप से, किंतु बिना किसी सीमा के, ऐसे किन्हीं दायित्वों के निष्पादन के लिए अनुमत समय को तदनुसार बढ़ा दिया जाएगा।

11.1.2

11.3.2 अधिसूचना

यदि प्रभावित पक्ष यह दावा करता है कि उसे किसी अप्रत्याशित घटना के कारण इस समझौते के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने से रोका गया है, तो वह दूसरे पक्ष को दावे के आधार और परिणामों का उल्लेख करते हुए लिखित रूप में यथाशीघ्र व्यावहारिक रूप से सूचित करेगा।

11.1.3

11.3.3 शमन (प्रभाव को कम करना)

प्रभावित पक्ष अप्रत्याशित घटना के प्रभाव को कम करने के लिए सभी उचित कदम उठाएगा।

12 समाप्ति

12.1 रियायतग्राही (कन्सेशनेयर) की व्यतिक्रम (डिफॉल्ट) की घटनाएं

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) रियायतग्राही को समाप्ति की सूचना जारी करने का हकदार होगा, यदि:

(i) रियायतग्राही इस समझौते के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को देय किसी भी राशि का भुगतान नियत और देय होने पर करने में विफल रहता है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से डिफॉल्ट को निर्दिष्ट करने और उसके निवारण की मांग करने वाली सूचना प्राप्त होने के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर ऐसी विफलता का निवारण नहीं किया जाता है;

(ii) रियायतग्राही के परिसमापन, दिवालियापन अथवा विघटन के लिए कोई आदेश दिया जाता है या कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसे, यदि ऐसा किया जाना संभव हो, तो उसके 90 (नब्बे) दिनों के भीतर उन्मोचित (डिस्चार्ज) या यथास्थिति निरस्त (रिवोक) नहीं किया जाता है;

(iii) रियायतग्राही इस समझौते में किसी दायित्व (धन भुगतान के दायित्व के अलावा) का पालन करने या अनुपालन करने में इस हद तक विफल रहता है जिसका भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारों और दायित्वों पर सारवान और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और यदि उसका निवारण संभव हो, तो ऐसी विफलता भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से डिफॉल्ट निर्दिष्ट करने तथा उसके निवारण की मांग करने वाली सूचना की प्राप्ति के बाद 30 (तीस) दिनों की अवधि तक जारी रहती है।

बशर्ते कि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ऐसी समाप्ति सूचना जारी करने का हकदार नहीं होगा यदि रियायतग्राही द्वारा समय पर उपचारात्मक कार्रवाई को भारत सरकार, केरल सरकार अथवा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा रोका गया हो।

12.2 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की व्यतिक्रम की घटनाएं

रियायत समझौता में उपयुक्त संशोधन किए जाने के अध्यक्षीन, रियायतग्राही इस स्थिति में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को समाप्ति सूचना जारी करने का हकदार होगा कि लागू कानून रियायतग्राही को सीएनएस/एटीएम सेवाओं (संचार, नेविगेशन, निगरानी / वायु यातायात प्रबंधन सेवाएं) का निष्पादन करने की अनुमति देते हैं।

12.3 समाप्ति सूचना का प्रभाव

यदि किसी पक्ष द्वारा इस अनुच्छेद 12 के अनुसरण में समाप्ति की सूचना दी जाती है, तो ऐसी समाप्ति सूचना की तामील की तिथि के बाद 90 (नब्बे) दिनों की अवधि समाप्त होने के पश्चात किसी भी समय, जब तक कि समाप्ति सूचना जारी करने की परिस्थितियों का पूर्णतः निवारण न कर दिया गया हो या वे लागू न रह गई हों, समाप्ति सूचना जारी करने वाला पक्ष तत्काल प्रभाव से इस समझौते को समाप्त कर सकता है।

12.4 समाप्ति के परिणाम

12.4.1 यदि यह समझौता रियायतग्राही द्वारा खंड 12.2 के अनुसरण में समाप्त किया जाता है, और यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की सेवाओं की अनुपलब्धता के कारण हवाई अड्डे के संचालन प्रभावित या निलंबित न हों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण भारत सरकार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 38 के अनुसार तुरंत कार्रवाई करने में सक्षम बनाने हेतु पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर 'यथास्थिति जहां है' भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की सेवाओं के निष्पादन में तैयार किए गए सभी उपकरण, नियमावलियां (मैनुअल), चार्ट और अन्य जापनों को तत्काल भारत सरकार को सौंप देगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।

12.4.2 रियायतग्राही, अपने स्वविवेक से, उचित कदम उठाने तथा तीसरे पक्ष के माध्यम से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की सेवाओं के समकक्ष सेवाएं प्रदान करने हेतु भारत सरकार से परामर्श कर सकता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए रियायतग्राही को सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।

12.4.3 इस खंड 12.4 के प्रावधान इस समझौते के तहत उपलब्ध किसी भी पक्ष के अधिकार अथवा उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे।

13 असाइनमेंट

13.1 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा असाइनमेंट

इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण रियायतग्राही की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस समझौते के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार या दायित्व को समानुदेशित या अन्यथा हस्तांतरित नहीं करेगा, बशर्ते कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारों या दायित्वों का ऐसा समानुदेशन या हस्तांतरण किसी संविधि (कानून) के अधिनियमन के अनुसरण में हो। ऐसा समनुदेशिती (असाइनी) या अंतरिती इस समझौते के नियमों और शर्तों से बाध्य होगा।

13.2 रियायतग्राही द्वारा असाइनमेंट

इस समझौते में निहित किसी भी प्रतिकूल बात के बावजूद, लेकिन खंड 18.6 के अध्यक्षीन, रियायतग्राही भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस समझौते के तहत अपने अधिकारों या दायित्वों के सभी या किसी भी भाग को समानुद्देशित या अन्यथा हस्तांतरित नहीं करेगा:

परंतु, तथापि, रियायतग्राही ऐसी पूर्व लिखित सहमति के बिना, किंतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को पूर्व लिखित सूचना देकर निम्नलिखित कर सकता है:

- (i) इसके अंतर्गत अपने सभी या सारभूत रूप से सभी अधिकारों और दायित्वों को रियायतग्राही के किसी सहयोगी (एफिलिएट) को हस्तांतरित करना;
- (ii) रियायतग्राही में स्वामित्व हितों के क्रेता को इसके अंतर्गत अपने सभी या किसी भाग के अधिकारों और दायित्वों को हस्तांतरित करना;
- (iii) ऋणदाताओं को, इस समझौते के तहत रियायतग्राही के अधिकारों को किसी ऐसे समझौते के तहत देय राशियों के लिए कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में हस्तांतरित करना जिसके तहत रियायतग्राही ने धन उधार लिया है; अथवा
- (iv) रियायत समझौते की शर्तों के अनुसरण में इसके अंतर्गत अपने सभी या आंशिक रूप से सभी अधिकारों और दायित्वों को भारत सरकार को हस्तांतरित करना।

14 विवाद समाधान

14.1 वार्ता और समाधान

दोनों पक्ष इस समझौते से उत्पन्न, उसके संबंध में या उसके संदर्भ में पक्षों के बीच किसी भी विवाद, मतभेद, दावे, प्रश्न या विवाद ('विवाद') को वार्ता के माध्यम से आपस में सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए अपने-अपने उचित प्रयास करेंगे।

14.2 मध्यस्थ को संदर्भ

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अध्यक्षीन, जो उसमें दिए गए प्रावधानों के अनुसार विवादों पर न्यायनिर्णयन करने के लिए भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण की शक्ति और प्राधिकार से संबंधित हैं, कोई भी विवाद जिसे पक्षकार किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को विवाद के अस्तित्व की लिखित अधिसूचना दिए जाने के 60 (साठ) दिनों के भीतर (या ऐसी लंबी अवधि जैसा कि पक्षकार सहमत हों) खंड 14.1 के अनुसरण में समाधान करने में असमर्थ रहते हैं, तो उसे (भारतीय) मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और/या उसके किसी वैधानिक संशोधन के अनुसार तथा यूनिसिट्रल नियमों के अनुसार उक्त अधिनियम के तहत नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से अंतिम रूप से निर्धारित किया जाएगा।

14.3 प्रकीर्ण

मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा। प्रत्येक पक्ष नियमों के अनुसार मध्यस्थता के खर्चों का भुगतान करेगा और लागतों का अंतिम दायित्व मध्यस्थता निर्णय (आर्बिट्रल अवॉर्ड) की शर्तों के अनुसार होगा। कोई भी मध्यस्थ किसी भी पक्ष का वर्तमान या पूर्व कर्मचारी अथवा एजेंट, या सलाहकार या परामर्शदाता नहीं होगा और न ही किसी भी तरह से पक्षों से संबंधित या निकटता से जुड़ा होगा। मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी।

14.4 निर्णय / पंचाट (अवॉर्ड)

इस अनुच्छेद 14 के अनुसरण में नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ अधिकरण का कोई भी निर्णय या पंचाट पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। पक्षकार सक्षम अधिकार क्षेत्र के किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा ऐसे पंचाट की अपील या समीक्षा के किसी भी अधिकार का त्याग करते हैं, जहाँ तक ऐसा त्याग विधिमान्य रूप से किया जा सकता है। पक्ष सहमत हैं कि दिया गया कोई भी मध्यस्थता पंचाट संबंधित पक्ष की संपत्तियों के विरुद्ध पक्षों द्वारा लागू किया जा सकता है, चाहे वे संपत्तियाँ कहीं भी स्थित हों या पाई जाएं, और किसी भी मध्यस्थता पंचाट पर निर्णय (जहाँ भी आवश्यक हो) उसके सक्षम अधिकार क्षेत्र के किसी भी न्यायालय द्वारा दर्ज किया जा सकता है। पक्ष किसी भी

मध्यस्थता पंचाट के प्रवर्तन के प्रयोजनों के लिए ऐसे किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के समक्ष स्पष्ट रूप से समर्पण करते हैं।

15 बीमा

15.1 बीमा का अनुरक्षण

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अपनी संपत्ति की हानि या क्षति, तीसरे पक्ष की देयता, कर्मकार प्रतिकर नीति (वर्कमेन्स कम्पेन्सेशन पॉलिसी) और बेहतर औद्योगिक संबंध के अनुसार आवश्यक या विवेकपूर्ण समझे जाने वाले किसी अन्य बीमा को कवर करने के लिए हर समय अपनी स्वयं की लागत और व्यय पर अपेक्षित बीमा कराएगा और बनाए रखेगा।

15.2 पॉलिसियां

खंड 15.1 के तहत प्राप्त और अनुरक्षित किए जाने वाले अपेक्षित बीमा के संबंध में किसी भी बीमा पॉलिसी प्रमाण पत्र प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण रियायतग्राही को सूचित करेगा कि ऐसा बीमा प्राप्त कर लिया गया है और रियायतग्राही को ऐसे पॉलिसी प्रमाणपत्रों की प्रतियां, बीमा पॉलिसियों की प्रतियां और इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कि ऐसे बीमा के संबंध में बीमा प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को ऐसे निरस्तीकरण, संशोधन या गैर-नवीनीकरण की सूचना दिए जाने से कम से कम 45 (पैंतालीस) दिनों की समाप्ति तक कोई भी बीमा रद्द, संशोधित या समाप्त अथवा व्यपगत (लैप्स) नहीं होने दिया जाएगा।

15.3 बीमा कराने में विफलता का उपचार

यदि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उन सभी बीमाओं को कराने और प्रभावी रखने में विफल रहता है जिसके लिए वह इसके अनुसरण में उत्तरदायी है, तो रियायतग्राही के पास ऐसे किसी भी बीमा को प्रभावी रखने, और ऐसे प्रीमियम का भुगतान करने तथा उसकी लागत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से वसूलने का विकल्प होगा।

15.4 बीमा प्राप्तिर्यों का उपयोग

इस समझौते के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भुगतान किए गए सभी बीमा दावों का उपयोग क्षतिग्रस्त संपत्ति के पुनर्निर्माण के लिए किया जाएगा, सिवाय उन बीमा प्राप्तिर्यों के जो भौतिक क्षति से असंबंधित हैं।

16 सूचनाएं

16.1 लिखित में संचार

परिचालन रिपोर्टिंग प्रक्रिया और घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया के संबंध को छोड़कर, इस समझौते के तहत दी जाने वाली या की जाने वाली सभी सूचनाएं या अन्य संचार लिखित रूप में होंगे और उन्हें या तो व्यक्तिगत रूप से वितरित किया जाएगा या कूरियर अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा, जिसकी एक अतिरिक्त प्रति फैक्स या ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी।

16.2 पता

इस समझौते के तहत या उसके संबंध में किए जाने वाले या वितरित किए जाने वाले किसी भी संचार या दस्तावेज के लिए प्रत्येक पक्ष की तामील का पता, उसका फैक्स नंबर और ई-मेल पता (तथा विभाग या अधिकारी, यदि कोई हो, जिसके ध्यानार्थ संचार किया जाना है) नीचे निर्धारित किया गया है:

रियायतग्राहीकानाम:

फैक्सनंबर:

ई-मेलपता:

ध्यानार्थ:

भारतीयविमानपत्तनप्राधिकरण(एएआई):

राजीवगांधीभवन

तृतीयतल,सी-ब्लॉक

सफदरजंगहवाईअड्डा

नईदिल्ली-110003

भारत

फैक्स:01124641088

ई-मेलपता:

ध्यानार्थ: अध्यक्ष

अथवा कोई प्रतिस्थानी पता, फैक्स नंबर या विभाग अथवा अधिकारी जैसा कि एक पक्ष दूसरे पक्ष को कम से कम 5 (पांच) कार्य दिवसों की पूर्व सूचना देकर अधिसूचित कर सकता है।

17 मानित सुपुर्दगी

इस समझौते में अन्यथा प्रदान किए गए के अध्यक्षीन, इस समझौते के तहत या उसके अनुसरण में कोई भी संचार प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त माना जाएगा (यदि फैक्स द्वारा भेजा गया हो) उस स्थान पर अगले कार्य दिवस पर जहां यह भेजा गया है या (किसी अन्य मामले में) जब खंड 16.2 के तहत आवश्यक पते पर सौंपा गया हो या पंजीकृत डाक द्वारा डाक शुल्क पूर्व-भुगतान करके उस पते पर भेजे जाने के बाद ऐसे 10 (दस) कार्य दिवसों के भीतर। इन प्रयोजनों के लिए, कार्य दिवस शनिवार, रविवार और राजपत्रित अवकाशों के अलावा अन्य दिन हैं। पूर्वगामी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, फैक्स या ई-मेल द्वारा सूचना या संचार देने या करने वाला पक्ष, तुरंत उसकी एक प्रति व्यक्तिगत रूप से वितरित करेगा, या उसे कोरियर अथवा पंजीकृत डाक द्वारा ऐसी सूचना या संचार के पाने वाले को भेजेगा।

18 विविध

18.1 पृथक्करणीयता

यदि किसी भी कारण से, इस समझौते का कोई भी प्रावधान अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय है या हो जाता है अथवा सक्षम अधिकार क्षेत्र के किसी भी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकार द्वारा अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय घोषित किया जाता है, तो शेष प्रावधानों की वैधता, वैधता या प्रवर्तनीयता किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगी, और पक्ष सद्भावपूर्वक बातचीत करेंगे ताकि एक या अधिक ऐसे प्रावधानों पर सहमति बन सके जिन्हें ऐसे अमान्य, अप्रवर्तनीय या अवैध प्रावधानों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सके, जो ऐसे अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय प्रावधान के यथासंभव निकट हों। ऐसे किन्हीं प्रावधानों पर सहमत होने में विफलता अनुच्छेद 14 के तहत विवाद समाधान के अधीन नहीं होगी या अन्यथा नहीं होगी।

18.2 संपूर्ण समझौता

यह समझौता, इसके किसी भी अनुसूची या प्रदर्श (एग्जिबिट) सहित, इस समझौते की विषय-वस्तु के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच संपूर्ण समझौते को समाहित करता है और ऐसी विषय-वस्तु के संबंध में अन्य सभी समझौतों, चाहे वे लिखित हों या मौखिक, को अधिक्रमित करता है।

18.3 शर्तों में परिवर्तन

इस समझौते में सभी परिवर्धन, संशोधन और परिवर्तन केवल तभी प्रभावी और बाध्यकारी होंगे यदि वे लिखित रूप में हों और पक्षों के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित हों।

18.4 छूट

18.4.1 किसी पक्ष द्वारा इस समझौते के किसी प्रावधान या दायित्वों के अनुपालन और निष्पादन में दूसरे पक्ष के किसी डिफॉल्ट का छूट :

(i) इसके किसी अन्य या उत्तरवर्ती डिफॉल्ट अथवा इस समझौते के अन्य प्रावधानों या दायित्वों के अधित्यजन के रूप में संचालित नहीं होगा या उसका अर्थ नहीं लगाया जाएगा;

(ii) तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि यह लिखित रूप में न हो और पक्ष के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित न किया गया हो; तथा

(iii) किसी भी रीति से इस समझौते की वैधता या प्रवर्तनीयता को प्रभावित नहीं करेगा।

18.4.2 किसी भी अवसर पर किसी भी पक्ष द्वारा इस समझौते के नियमों, शर्तों और प्रावधानों या उसके तहत किसी दायित्व के निष्पादन पर जोर देने में विफलता, और न ही किसी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया गया समय या अन्य रियायत, ऐसे उल्लंघन का अधित्यजन या किसी परिवर्तन की स्वीकृति अथवा इसके तहत ऐसे किसी भी अधिकार का परित्याग नहीं माना जाएगा।

18.5 अतिरिक्त दस्तावेज और कार्रवाइयां

प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को ऐसे अतिरिक्त दस्तावेज निष्पादित करने और वितरित करने, तथा ऐसी अतिरिक्त कार्रवाई करने और ऐसा सहयोग प्रदान करने के लिए सहमत होता है, जैसा कि इस समझौते द्वारा परिकल्पित लेन-देन को पूरा करने और इसके आशय को प्रभावी करने के लिए उचित रूप से आवश्यक हो।

18.6 विलंबित भुगतान पर ब्याज

इस समझौते के अनुसरण में किसी पक्ष को उचित रूप से देय कोई भी राशि और भुगतान देय होने की तिथि के बाद अदत्त रहने पर उस पर ब्याज लगेगा (निर्णय से पहले और बाद दोनों में), ऐसा ब्याज उस तिथि से दैनिक आधार पर उपार्जित होगा जब ऐसा भुगतान देय था जब तक कि ऐसी राशि का समय-समय पर प्रभावी भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रधान उधार दर (प्राइम लेंडिंग रेट) से 2 (दो) प्रतिशत अंक अधिक की दर से पूर्ण भुगतान न हो जाए।

18.7 कोई साझेदारी नहीं

न तो यह समझौता, और न ही कोई अन्य समझौता या व्यवस्था जिसका यह एक भाग है, और न ही ऐसे किसी समझौते या व्यवस्था के तहत पक्षों द्वारा अपने संबंधित दायित्वों का निष्पादन, पक्षों के बीच साझेदारी का गठन करेगा। किसी भी पक्ष के पास किसी अन्य पक्ष को अपने एजेंट के रूप में या अन्यथा बाध्य करने का कोई अधिकार नहीं होगा (जब तक कि इस समझौते के आधार पर या अन्यथा लिखित रूप में स्पष्ट रूप से प्रदान न किया गया हो और निरस्त न किया गया हो)।

18.8 कोई तृतीय पक्ष लाभार्थी नहीं

यह समझौता केवल और विशेष रूप से इसके पक्षकारों के लाभ के लिए है और इसके तहत ऋणदाताओं को स्पष्ट रूप से दिए गए अधिकारों को छोड़कर, किसी तीसरे पक्ष के साथ संविदात्मक संबंध नहीं बनाएगा, या उसके पक्ष में वाद हेतु (कॉज ऑफ़ एक्शन) उत्पन्न नहीं करेगा।

18.9 उत्तरजीविता

18.9.1 इस समझौते की समाप्ति:

(i) पक्षों को इसके तहत किसी भी ऐसे दायित्व से मुक्त नहीं करेगी जो स्पष्ट रूप से या निहितार्थ से इसकी समाप्ति के बाद भी जीवित रहते हैं, तथा

(ii) इस समझौते के किसी भी ऐसे प्रावधान में अन्यथा प्रदान किए गए के अतिरिक्त जो किसी भी पक्ष के दायित्व को स्पष्ट रूप से सीमित करता है, किसी भी पक्ष को ऐसी समाप्ति के प्रभावी होने से पूर्व ऐसे पक्ष के कृत्यों या चूकों से उत्पन्न होने वाली या उसके कारण होने वाली, या ऐसी समाप्ति से उत्पन्न होने वाली दूसरे पक्ष की हानि या क्षति के लिए किन्हीं दायित्वों या देनदारियों से मुक्त नहीं करेगी।

18.9.2 इस समझौते के रद्दीकरण, समाप्ति या समापन के बाद जीवित रहने वाले सभी दायित्व इस समझौते की ऐसी समाप्ति या समाप्ति की तारीख के बाद केवल 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए ही जीवित रहेंगे।

18.10 उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी

यह समझौता पक्षों और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों और अनुमत समनुदेशितियों पर बाध्यकारी होगा और उनके लाभ के लिए प्रभावी होगा।

18.11 काउंटरपार्ट्स

यह समझौता एक या अधिक प्रतियों में निष्पादित किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक को मूल माना जाएगा और वे सभी मिलकर एक ही समझौता माने जाएंगे।

18.12 समय सारभूत तत्व है

उल्लिखित तिथियों, अवधियों या दिन के समय के संबंध में और इस समझौते के अनुसार उनके स्थान पर प्रतिस्थापित की जाने वाली किन्हीं तिथियों, अवधियों या दिन के समय के संबंध में, समय इस समझौते का एक सारभूत तत्व होगा।

18.13 समय की गणना

इस समझौते में निर्दिष्ट समय भारतीय मानक समय (आईएसटी) में हैं। इस समझौते के तहत निर्धारित या अनुमत समय की किसी भी अवधि की गणना करने में, उस कृत्य, घटना या व्यतिक्रम का दिन जिससे निर्दिष्ट समयावधि शुरू होती है, शामिल किया जाएगा। यदि इस प्रकार गणना की गई अवधि का अंतिम दिन कार्य दिवस नहीं है, तो वह अवधि अगले कार्य दिवस के अंत तक चलेगी।

19 शासी विधि

यह समझौता भारत के कानूनों के अनुसार समझा जाएगा और व्याख्यायित किया जाएगा तथा उसी द्वारा शासित होगा, और इस समझौते से उत्पन्न या उससे संबंधित सभी मामलों पर नई दिल्ली की अदालतों का अधिकार क्षेत्र होगा।

20 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा वचनबद्धताएं

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बिना शर्त और अप्रतिसंहरणीय रूप से:

(i) सहमत होता है कि, यदि इस समझौते या इस समझौते द्वारा परिकल्पित किसी भी लेनदेन के संबंध में किसी भी अधिकार क्षेत्र में उसके या उसकी संपत्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू की जाती है, तो उसके द्वारा या उसकी ओर से या उसकी संपत्तियों के संबंध में ऐसी कार्यवाही से किसी भी प्रतिरक्षा का दावा नहीं किया जाएगा;

(ii) सामान्य रूप से किसी भी अधिकार क्षेत्र में ऐसी किसी भी कार्यवाही में उसके खिलाफ किसी भी निर्णय या पंचाट के प्रवर्तन के संबंध में ऐसी कार्यवाही के संबंध में कोई राहत दिए जाने या कोई प्रक्रिया जारी किए जाने के लिए सहमति देता है (जिसके अंतर्गत किसी भी संपत्ति के विरुद्ध या उसके संबंध में, चाहे उसका उपयोग या अभीष्ट उपयोग कुछ भी हो, ऐसे किसी भी निर्णय या पंचाट या ऐसे किसी निर्णय या पंचाट से उत्पन्न होने वाले किसी आदेश को देना, लागू करना या निष्पादित करना शामिल है)।

जिसके साक्ष्य के रूप में पक्षों ने ऊपर लिखी गई प्रथम तिथि को इस समझौते को निष्पादित और वितरित किया है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की ओर से हस्ताक्षरित:

रियायतग्राही की ओर से हस्ताक्षरित:

साक्षी:

(1)

(2)

अनुसूची 1: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपकरण और रियायतग्राही उपकरण

भाग 1:

रियायतग्राही उपकरण

1.	धावन मार्ग (रनवे)
2.	रनवे प्रकाश व्यवस्था और चिह्नांकन
3.	टैक्सीवे
4.	टैक्सीवे प्रकाश व्यवस्था और चिह्नांकन
5.	संकेतक (साइनेज)
6.	एप्रन
7.	एप्रन प्रकाश व्यवस्था और चिह्नांकन
8.	सुविधा
9.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपकरण से संबंधित सिविल कार्य (केवल नींव)
10.	पीएपीआई (प्रिसिजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर) और अप्रोच लाइटिंग
11.	एरोड्रोम बीकन (टावर पर)
12.	लैंडिंग दिवस और रात्रि चिह्नांकन
13.	हवा की दिशा सूचक (प्रकाशयुक्त विंड डायरेक्शन इंडिकेटर)
14.	आइसोलेशन बे (पृथक्करण स्थल)
15.	द्वितीयक विद्युत आपूर्ति
16.	एटीसी (वायु यातायात नियंत्रण) और हवाई अड्डा अग्निशमन दल के बीच हॉट लाइन
17.	क्रैश बेल, केबलिंग और सायरन
18.	एयरफील्ड लाइटिंग के लिए नियंत्रण कक्ष और निगरानी प्रणाली
19.	विजुअल एड्स का उन्नयन (भविष्य में)
20.	स्थल हवाई अड्डा नेविगेशन उपकरण रडार तक पहुंच मार्गों के अतिरिक्त परिचालन क्षेत्र के पहुंच मार्ग।
21.	नेविगेशनल एड्स/रडार प्रतिष्ठानों के लिए भवन।
22.	प्रासंगिक आईसीएओ (ICAO) दस्तावेजों और अनुबंधों के अनुसार सिग्नल क्षेत्र।
23.	नया हवाई यातायात सेवा परिसर (जिसमें नियंत्रण टॉवर, तकनीकी ब्लॉक, स्थल पर और/या स्थल से बाहर नेविगेशनल एड्स रडार के लिए भवन शामिल होंगे) जैसा कि अंतिम सीएनएस/एटीएम विकास योजना के अनुसार आवश्यक हो, निर्मित किया गया।

भाग 2: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपकरण

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण प्रस्तावित विमान संचालन के लिए प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों के अनुसार सीएनएस-एटीएम सेवाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक उपकरण खरीदेगा और उपलब्ध कराएगा। ऐसे उपकरणों में निम्नलिखित शामिल होंगे, किंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे:

1. उपसाधनों सहित वीएचएफ (VHF) संचार सेट
2. डीवीओआर/डीएमई (DVOR/DME) अथवा एनडीबी (NDB)
3. वॉयस रिकॉर्डर
4. आईएलएस (ILS) उपकरण एवं उसके उपसाधन

5. रडार एवं उसके उपसाधन
6. एडीएस-बी (ADS-B) एवं उसके उपसाधन
7. एसएमजीसीएस (ASMGCS) एवं उसके उपसाधन

अनुसूची 2: सीएनएस/एटीएम सेवाएं

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण हवाई अड्डे पर ऐसे हवाई क्षेत्र की पार्श्व और ऊर्ध्वाधर सीमाओं के भीतर हवाई क्षेत्र विन्यास के अनुरूप निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेगा और उनका समन्वय करेगा:

1. एप्रन नियंत्रण सेवा को छोड़कर सतह संचालन नियंत्रण या भूमि नियंत्रण सहित हवाई अड्डा नियंत्रण सेवा;
2. दृष्टिकोण नियंत्रण / दृष्टिकोण रडार नियंत्रण सेवा (यदि नियोजित हो);
3. क्षेत्र नियंत्रण / क्षेत्र रडार नियंत्रण सेवा (यदि नियोजित हो);
4. संबद्ध सेवाएं जैसे वैमानिक संचल सेवा (एएमएस), वैमानिक स्थिर सेवाएं (एएफएस), वैमानिक सूचना सेवा (एआईएस), उड़ान सूचना सेवा, सलाहकार सेवा, सतर्कता सेवा और खोज एवं बचाव समन्वय सेवाएं, जैसा उपयुक्त हो;

यह सभी प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों के अनुसार और प्रस्तावित विमान संचालन के लिए आवश्यक रूप में होंगी।

अनुसूची 3: कार्यालय और सुविधाएं

रियायतग्राही भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की सेवाओं के प्रावधान के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और उसके कर्मियों एवं एजेंटों को निम्नलिखित कार्यालय स्थान और सुविधाएं (वातानुकूलन (जिसमें नियंत्रण टॉवर में आवश्यक अलग वातानुकूलन शामिल है), बिजली और पानी की निरंतर आपूर्ति और हाउसकीपिंग के प्रावधान के साथ) उपलब्ध कराएगा:

1. नियंत्रण टॉवर (कंट्रोल टावर): रियायतग्राही आवश्यकतानुसार विभिन्न एटीएस इकाइयों, नेव-एड्स और रडार भवन को समायोजित करने के लिए 12,311 वर्ग मीटर (यथा लागू) का क्षेत्र, तकनीकी ब्लॉक उपलब्ध कराएगा;
2. कार्यालय: उपरोक्त नियंत्रण टॉवर क्षेत्र में शामिल हैं;
3. कार पार्किंग: रियायतग्राही अपने कर्मियों और एजेंटों के उपयोग के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हवाई अड्डे पर 10 कार पार्किंग स्थल उपलब्ध कराएगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि वातानुकूलन, बिजली और पानी की निरंतर आपूर्ति तथा हाउसकीपिंग का प्रावधान रियायतग्राही की अपनी लागत और व्यय पर प्रदान किया जाएगा।

अनुसूची 4: पृथक किए गए क्षेत्र (काव्ड आउट एरियाज़)

क्रम सं.	परिसंपत्ति	भूमि का क्षेत्रफल (लगभग)
1.	एटीसी टॉवर	12,311 वर्ग मीटर (3.042 एकड़)
2.	सीएनएस/एटीएम/कर्मचारी आवास हेतु कोई भविष्य की भूमि आवश्यकता: क) गगन (GAGAN) ख) नया डीवीओआर ग) पारस्परिक आईएलएस घ) रडार ड) एसएमजीसीएस एसएमआर	22,257 वर्ग मीटर (5.5 एकड़) 32,374 वर्ग मीटर (8.0 एकड़) 14,164 वर्ग मीटर (3.5 एकड़) 8,093 वर्ग मीटर (2 एकड़) 2,500 वर्ग मीटर (0.62 एकड़)
3.	कुल	91,699 वर्ग मीटर (22.66 एकड़) लगभग

अनुसूची 5: विद्यमान उपकरणों की सूची

1. लोकलाइज़र - सीएटी I (CAT I)
2. ग्लाइड पाथ
3. एटीएस परिसर
4. एमएसएसआर (MSSR)
5. डीवीओआर (DVOR)
6. गगन एवं आईएफ रिसीवर
7. डीवीओआर (वैकल्पिक स्थल)
8. प्रस्तावित एसएमजीसीएस एसएमआर

अनुसूची 6: हवाई अड्डे पर सीएनएस-एटीएम उपकरणों का भावी रोडमैप

1. सीएनएस/एटीएम/कर्मचारी आवास हेतु भविष्य की कोई भी भूमि आवश्यकता:

क. गगन (GAGAN) - 22,257 वर्ग मीटर

ख. नया डीवीओआर (DVOR) - 32,374 वर्ग मीटर

ग. पारस्परिक आईएलएस (ILS) हेतु प्रस्तावित लोकलाइज़र एवं ग्लाइड पाथ - 14,164 वर्ग मीटर

घ. रडार (RADAR) - 8,093 वर्ग मीटर

ङ. एसएमजीसीएस एसएमआर (ASMGCS SMR) - 2,500 वर्ग मीटर

अनुसूची [द] :

सहमति ज्ञापन (एमओयू)

(खंड 4.1.2(घ)(ii) और खंड 4.1.3(i) देखें)

[उचित मूल्य के स्टॉप पेपर पर निष्पादित किया जाना है]

यह सहमति ज्ञापन ('एमओयू') आज दिनांक [] दिन [], 201[] को [] में निष्पादित किया गया है।

के द्वारा और बीच:

1. भारत के राष्ट्रपति, जो भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के सचिव के माध्यम से कार्य कर रहे हैं अथवा भारत सरकार द्वारा इस निमित्त नामित किसी व्यक्ति के माध्यम से (इसके बाद 'भारत सरकार' के रूप में संदर्भित, जिस अभिव्यक्ति में उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल माने जाएंगे); तथा
2. [], कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी, जिसका कॉर्पोरेट पहचान संख्या [] है और इसका पंजीकृत कार्यालय [] पर स्थित है (इसके बाद 'रियायतग्राही' के रूप में संदर्भित, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी, अनुमत समनुदेशिनी और प्रतिस्थानी शामिल होंगे)। जैसा कि संदर्भ में आवश्यक हो, भारत सरकार और रियायतग्राही को इसके बाद संयुक्त रूप से 'पक्ष' और व्यक्तिगत रूप से 'पक्ष' कहा जाएगा।

चूंकि:

- क. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ('प्राधिकरण') ने रियायत समझौते में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार [राज्य का नाम जहां हवाई अड्डा स्थित है] राज्य में [शहर का नाम जहां हवाई अड्डा स्थित है] स्थित हवाई अड्डे के लिए रियायतग्राही के साथ दिनांक [] का एक रियायत समझौता ('रियायत समझौता') किया है।
- ख. भारत सरकार स्वीकार करती है कि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए लागू कानूनों के अनुसार और इसके बाद निर्धारित किए गए अनुसार भारत सरकार द्वारा रियायतग्राही को निरंतर समर्थन और कतिपय अधिकारों का प्रदान किया जाना आवश्यक है, और यह परियोजना के लिए संसाधनों को जुटाने हेतु एक आवश्यक पूर्व-शर्त है।
- ग. परियोजना के सुचारू संचालन और व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार रियायतग्राही को इसमें उल्लिखित कतिपय सहायता प्रदान करने के लिए सहमत है।

अब एतद्वारा निम्नानुसार सहमति व्यक्त की जाती है:

1. परिभाषाएं और व्याख्या

1.1 परिभाषाएं

इस सहमति ज्ञापन (एमओयू) में, सिवाय उस सीमा तक जहां संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित हो, और जब तक कि नीचे या अन्यथा विशेष रूप से इस सहमति ज्ञापन में कहीं और परिभाषित न किया गया हो, इसमें प्रयुक्त अन्य बड़े अक्षरों वाले शब्द (जो इसमें परिभाषित नहीं हैं) किंतु रियायत समझौते के तहत परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो रियायत समझौते के तहत उस शब्द को दिया गया है:

'पशु संगरोध सेवाएं' (एनिमल क्वारंटाइन सर्विसेज) से आशय इसके साथ संलग्न अनुलग्नक 1 में निर्धारित संगरोध सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) से होगा;

'पशु संगरोध सेवा प्रतिनिधि' से आशय संयुक्त समन्वय समिति में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नामित पशु संगरोध सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा;

'लागू अनुमतियां' (एप्लीकेबल परमिट्स) से आशय इस सहमति ज्ञापन के अस्तित्व के दौरान परियोजना के संबंध में लागू कानूनों के तहत भारत सरकार या भारत सरकार के किसी विभाग/एजेंसी से प्राप्त किए जाने वाले और/या उसके बाद बनाए रखे जाने वाले सभी स्वीकृतियों, लाइसेंसें, परमिटों, प्राधिकरणों, अनापत्ति प्रमाण पत्रों, सहमतियों, अनुमोदनों और छूटों से होगा;

'मध्यस्थ अधिकरण' का वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 6.3.3 में इस शब्द को दिया गया है;

'प्राधिकरण' का वही अर्थ होगा जो प्रस्तावना क में इस पद को दिया गया है;

'प्राधिकरण प्रतिनिधि' से आशय प्राधिकरण के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा;

'रियायत समझौता' का वही अर्थ होगा जो ऊपर प्रस्तावना क में इसे दिया गया है;

'रियायतग्राही' का वही अर्थ होगा जो पक्षों की सूची में इस पद को दिया गया है अथवा कोई अन्य पक्ष जिसे प्राधिकरण द्वारा परियोजना के लिए रियायतग्राही के रूप में स्वीकार किया जाए;

'रियायतग्राही प्रतिनिधि' से आशय संयुक्त समन्वय समिति में रियायतग्राही द्वारा समय-समय पर नामित कम से कम निदेशक पद धारक प्रतिनिधि(यों) से होगा;

'सीमा शुल्क नियंत्रण' (कस्टम्स कंट्रोल) से आशय इसके साथ संलग्न अनुलग्नक 3 में निर्धारित सीमा शुल्क संबंधी सेवाओं से होगा;

'सीमा शुल्क नियंत्रण प्रतिनिधि' से आशय संयुक्त समन्वय समिति में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नामित सीमा शुल्क नियंत्रण सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा;

'डीजीसीए' से आशय नागर विमानन महानिदेशालय या उसके किसी प्रतिस्थानी से होगा;

'प्रभावी तिथि' से आशय इसमें अंतिम पक्ष द्वारा इस सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तिथि से होगा और ऐसी तिथि रियायत समझौते में यथा-प्रदत्त वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) से बाद की नहीं होगी;

'भारत सरकार' (जीओआई) का वही अर्थ होगा जो पक्षों की सूची में इस पद को दिया गया है;

'भारत सरकार सहायता' का वही अर्थ होगा जो इस सहमति ज्ञापन के खंड 2 में इस शब्द को दिया गया है;

'स्वास्थ्य सेवाएं' से आशय इसके साथ संलग्न अनुलग्नक 4 में निर्धारित अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) से होगा;

'स्वास्थ्य सेवा प्रतिनिधि' से आशय संयुक्त समन्वय समिति में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नामित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा;

'आव्रजन सेवाएं' (इमिग्रेशन सर्विसेज) से आशय लागू कानून के अनुसार संलग्न अनुलग्नक 5 में निर्धारित आव्रजन सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) से होगा;

'आव्रजन सेवा प्रतिनिधि' से आशय संयुक्त समन्वय समिति में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नामित आव्रजन सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा;

'संयुक्त समन्वय समिति' का वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 3.1.1 में इस पद को दिया गया है;

'मौसम विज्ञान सेवाएं' से आशय इसके साथ संलग्न अनुलग्नक 6 में निर्धारित मौसम विज्ञान सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) से होगा;

'मौसम विज्ञान सेवा प्रतिनिधि' से आशय संयुक्त समन्वय समिति में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नामित मौसम विज्ञान सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा;

'मोका' का वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 2.6 में इस पद को दिया गया है;

'सहमति जापन' या **'यह सहमति जापन'** से आशय इस सहमति जापन (एमओयू) से होगा;

'पादप संगरोध सेवाएं' (प्लांट क्वारंटाइन सर्विसेज) से आशय इसके साथ संलग्न अनुलग्नक 7 में निर्धारित संगरोध सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) से होगा;

'पादप संगरोध सेवा प्रतिनिधि' से आशय संयुक्त समन्वय समिति में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नामित पादप संगरोध सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा;

'परियोजना' का वही अर्थ होगा जो रियायत समझौते में इस शब्द को दिया गया है;

'आरक्षित सेवाएं' का वही अर्थ होगा जो खंड 2.3 में इस पद को दिया गया है;

'सुरक्षा सेवाएं' से आशय इसके साथ संलग्न अनुलग्नक 8 में निर्धारित सुरक्षा सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) से होगा;

'सुरक्षा सेवा प्रतिनिधि' से आशय संयुक्त समन्वय समिति में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नामित सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा;

'साझा टिल अनुमोदन' (शेयर्ड टिल अप्रूवल) का वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 2.2.1 में इस पद को दिया गया है; तथा

'अवधि' का वही अर्थ होगा जो खंड 4 में इस पद को दिया गया है।

1.2 व्याख्या के नियम

1.2.1 बड़े अक्षरों से प्रारंभ होने वाले और इस सहमति जापन में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो इसमें दिया गया है, तथा इस सहमति जापन में प्रयुक्त और इसमें अपरिभाषित किंतु रियायत समझौते में

परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जब तक कि संदर्भ के प्रतिकूल न हो, वही अर्थ होगा जो रियायत समझौते में दिया गया है।

1.2.2 खंडों के संदर्भ, जब तक अन्यथा न कहा गया हो, इस सहमति जापन के खंडों के संदर्भ हैं।

1.2.3 रियायत समझौते के खंड 1.2, 1.3 और 1.4 में उल्लिखित व्याख्या के नियम यथोचित परिवर्तनों सहित (म्यूटेटिस म्यूटेंडिस) इस सहमति जापन पर लागू होंगे।

2. भारत सरकार का सहयोग

प्रभावी तिथि से, भारत सरकार एतद्वारा परियोजना के संबंध में निम्नलिखित सहायता ('भारत सरकार सहायता') प्रदान करने का वचन देती है:

2.1 लागू अनुमतियां

2.1.1 भारत सरकार, रियायतग्राही से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर और रियायतग्राही द्वारा लागू कानूनों का अनुपालन करने के अध्यक्षीन, रियायतग्राही को संबंधित वैधानिक अवधि (यदि कोई हो) के भीतर परियोजना के लिए या उसके संबंध में अपेक्षित ऐसी लागू अनुमतियां प्रदान करने का प्रयास करेगी। पक्ष सहमत हैं कि जहां कोई वैधानिक अवधि निर्धारित नहीं है, वहां भारत सरकार रियायतग्राही द्वारा लागू अनुमतियां प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्दिष्ट सभी मानदंडों को पूरा करने के अध्यक्षीन, रियायतग्राही से ऐसा लिखित अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर परियोजना के संबंध में अपेक्षित लागू अनुमतियां प्रदान करने के लिए सभी उचित प्रयास करेगी।

2.1.2 रियायतग्राही एतद्वारा वचन देता है कि लागू अनुमतियों को शीघ्र प्रदान करने के लिए, वह तत्परतापूर्वक और समयबद्ध तरीके से:

(क) संबंधित प्राधिकरणों के समक्ष ऐसे आवेदन तैयार करेगा और दाखिल करेगा जो लागू कानून के पूर्ण अनुपालन में हों;

(ख) संबंधित प्राधिकरणों के साथ पूर्वोक्त आवेदनों का अनुवर्तन (फॉलो-अप) करेगा; तथा

(ग) अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण के सभी अनुरोधों का समयबद्ध तरीके से उत्तर देगा।

2.2 शुल्कों के निर्धारण और संशोधन के सिद्धांत

2.2.1 भारत सरकार ने दिनांक 15 जून 2016 की राष्ट्रीय नागर विमानन नीति के माध्यम से भारत के सभी हवाई अड्डों के लिए वैमानिक शुल्कों के निर्धारण और विनियमन हेतु 30% (तीस प्रतिशत) साझा-टिल (शेयर्ड-टिल) ढांचे को मंजूरी दी है ('साझा-टिल अनुमोदन'), और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसरण में शुल्क/वैमानिक शुल्क के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए एईआरए (AERA) द्वारा इस पर तदनुसार विचार किया जाएगा।

2.2.2 वैमानिक शुल्कों को साझा-टिल अनुमोदन, रियायत समझौते की शर्तों और लागू कानूनों के अनुसार विनियमित और निर्धारित/पुनर्निर्धारित किया जाएगा।

2.2.3 हवाई अड्डे के भीतर सीमा शुल्क, आव्रजन, पादप संगरोध सेवाएं, पशु संगरोध सेवाएं, मौसम विज्ञान सेवा, स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षा सेवाएं जैसी संप्रभु सेवाएं प्रदान करने के लिए रियायतग्राही द्वारा किसी भी सरकारी निकाय को किए गए किसी भी भुगतान को वैमानिक शुल्कों के निर्धारण के प्रयोजन के लिए अंतरण (पास थ्रू) माना जाएगा।

2.2.5 कहीं भी निहित किसी प्रतिकूल बात के बावजूद, रियायतग्राही एईआरए द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क (टैरिफ) की दरों पर, हवाई अड्डे के उपयोगकर्ताओं से रियायत समझौते के खंड 15.1.1 के अनुसार वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) से वैमानिक प्रभार लगाने, एकत्र करने और विनियोजित करने का हकदार होगा।

2.3 आरक्षित सेवाएं

2.3.1 भारत सरकार, पूरी अवधि के दौरान, हवाई अड्डे पर निम्नलिखित सेवाएं ('आरक्षित सेवाएं') प्रदान करेगी, या प्रदान करवाएगी:

- (क) सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (ख) आब्रजन सेवाएं;
- (ग) पादप संगरोध सेवाएं;
- (घ) पशु संगरोध सेवाएं;
- (ङ) स्वास्थ्य सेवाएं;
- (च) मौसम विज्ञान सेवाएं; तथा
- (छ) सुरक्षा सेवाएं।

2.3.2 रियायतग्राही हर समय निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसियों को हवाई अड्डे पर आरक्षित सेवाएं निष्पादित करने के लिए उनमें से किसी या सभी के लिए आवश्यक (क) हवाई अड्डे पर ऐसी पहुंच और सुविधाएं, तथा (ख) स्थान संबंधी आवश्यकताओं को प्रदान करना सुनिश्चित करेगा।

2.3.3 रियायतग्राही उस निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी की सहमति के बिना हवाई अड्डे पर किसी भी निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी को प्रदान किए गए स्थान और सुविधाओं को कम करने का हकदार नहीं होगा।

2.3.4 हवाई अड्डे पर किसी भी विस्तार, आधुनिकीकरण या पुनर्विकास की स्थिति में, जिसमें आरक्षित सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए या अन्यथा किसी निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी स्थान या सुविधाओं का स्थानांतरण या पुनर्गठन शामिल हो, रियायतग्राही निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी को विधिवत सूचित करेगा और रियायतग्राही तथा वह निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी उस निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी की स्थान आवश्यकताओं में किसी भी परिवर्तन पर चर्चा करेंगे और सहमत होंगे जो हवाई अड्डे पर ऐसे विस्तार, आधुनिकीकरण या पुनर्विकास के परिणामस्वरूप आवश्यक हो सकता है।

2.3.5 भारत सरकार एतद्वारा रियायतग्राही और आरक्षित सेवाएं प्रदान करने वाली प्रत्येक नामित भारत सरकार एजेंसी के बीच एक समझौता जापन के निष्पादन को सुनिश्चित करने का वचन देती है, जिसमें उन नियमों और शर्तों को निर्धारित किया जाएगा जिन पर संबंधित नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा आरक्षित सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

2.4 भारत सरकार की एजेंसियों के साथ समझौता जापन

भारत सरकार एतद्वारा रियायतग्राही और इसके अंतर्गत आरक्षित सेवाएं प्रदान करने वाले प्रत्येक भारत सरकार के विभाग/एजेंसी के बीच समझौता जापन के निष्पादन को सुनिश्चित करने का वचन देती है, जिसमें उन नियमों और शर्तों को निर्धारित किया जाएगा जिन पर प्रासंगिक भारत सरकार की एजेंसियों/विभागों द्वारा आरक्षित सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

2.5 द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौता

भारत सरकार के संप्रभु अधिकारों का उल्लंघन किए बिना या किसी भी तरह से प्रतिबंधित किए बिना, भारत सरकार हवाई अड्डे पर अनुसूचित एयरलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए उड़ान अधिकारों और सीट पात्रता के लिए अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों के अनुरोधों को स्वीकार करेगी और उनकी समीक्षा करेगी। भारत सरकार/नामित भारत सरकार प्राधिकरण हवाई अड्डे पर सेवाएं प्रदान करने के लिए एयरलाइनों के अनुरोधों के आधार पर ऐसे देशों के साथ सभी मौजूदा हवाई सेवा समझौतों में प्रवेश करने, संशोधन करने या नवीनीकरण करने का प्रयास करेगा। भारत सरकार हवाई अड्डे के संबंध में द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौतों में कोई अपवर्जन नहीं करेगी। अंतरराष्ट्रीय वाहकों को हवाई अड्डे पर परिचालन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, हवाई अड्डे पर उनकी अतिरिक्त आवृत्ति को द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौतों में नहीं गिना जाएगा। भारत सरकार हवाई अड्डे को प्रभावित करने वाले किसी भी मौजूदा हवाई सेवा समझौते को रद्द या समाप्त न करने का प्रयास करेगी। भारत सरकार किसी अन्य देश या उसके नामित वाहक(कों)

द्वारा हवाई सेवा समझौते के तहत अपने दायित्वों का पालन करने में विफलता के कारण, या ऐसे हवाई सेवा समझौते के दूसरे पक्ष द्वारा उल्लंघन या व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप किसी भी हवाई सेवा समझौते को रद्द या समाप्त करने की हकदार होगी।

2.6 सीमा शुल्क, आव्रजन और संगरोध

भारत सरकार हवाई अड्डे पर अपनी लागत पर सीमा शुल्क, आव्रजन और संगरोध प्रक्रियाओं को इस तरह से स्थापित या बनाए रखेगी (यथा लागू), कि ऐसी किसी भी या सभी सेवाओं के संबंध में भारत सरकार के लिए उत्तरदायी किसी प्रत्यक्ष कारण से रियायतग्राही के प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स) प्रभावित न हों। पक्षों का इरादा इस सहमति जापन के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाने वाली सीमा शुल्क और आव्रजन प्रक्रियाओं तथा संगरोध सेवाओं के संबंध में उपयुक्त सेवा स्तर मानकों पर सहमत होने के लिए उचित प्रयासों का उपयोग करना है और नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार ('मोका') इस संबंध में रियायतग्राही द्वारा अनुरोध किए जाने पर तदनुसार सहायता करने के लिए अपने प्रयासों का उपयोग करेगा।

2.7 सुरक्षा

2.7.1 भारत सरकार पुष्टि करती है कि जब तक इस सहमति जापन के तहत अन्यथा सहमति न हो, वह नामित भारत सरकार एजेंसी के माध्यम से लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे पर सभी विमानन सुरक्षा प्रदान करेगी। बशर्ते कि, भारत सरकार और रियायतग्राही, पारस्परिक विचार-विमर्श के बाद और यदि लागू कानूनों के अनुसरण में अनुमत हो तथा यदि इसे उचित माना जाता है, तो हवाई अड्डे पर संयुक्त रूप से विमानन सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था कर सकते हैं। पक्ष स्वीकार करते हैं कि प्रति प्रस्थान करने वाले यात्री से सुरक्षा के लिए लगाया जाने वाला शुल्क समान आकार और संवेदनशीलता वर्गीकरण वाले भारत के सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर ऐसे शुल्क के अनुरूप होना चाहिए और ऐसे शुल्क को सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए समान रूप से संशोधित किया जा सकता है।

2.7.2 इस सहमति जापन के अन्य प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही हवाई अड्डे की सुरक्षा के संबंध में बीसीएस (नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो) और किसी अन्य नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा स्थापित ऐसे नियमों और विनियमों का पालन करेगा। बशर्ते कि रियायतग्राही ऐसे नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होगा यदि वे नियम और विनियम समान या सदृश संवेदनशीलता वर्गीकरण वाले हवाई अड्डों पर सामान्य और निरंतर रूप से लागू नहीं किए जाते हैं।

2.7.3 रियायतग्राही हवाई अड्डे पर सुरक्षा के प्रावधान के लिए बीसीएस और किसी अन्य नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित ऐसे सभी सुरक्षा उपकरणों को उपलब्ध कराने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा, बशर्ते कि समान आकार और संवेदनशीलता वर्गीकरण वाले भारत के सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर समान दायित्व लगाए गए हों।

2.7.4 हवाई अड्डा भवन, यात्रियों, हवाई अड्डे पर काम करने वाले व्यक्तियों और हवाई अड्डे पर आने वाले अन्य आगंतुकों तथा हवाई अड्डे पर विमान, माल ढुलाई और अन्य संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं बीसीएस और किसी अन्य नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा निर्धारित की जाएंगी। रियायतग्राही बीसीएस और किसी अन्य नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा समय-समय पर जारी ऐसी सभी प्रक्रियाओं और निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा, बशर्ते कि ऐसी प्रक्रियाएं और निर्देश समान या सदृश संवेदनशीलता वर्गीकरण वाले हवाई अड्डों पर निरंतर रूप से लागू किए जाते हों।

2.7.5 रियायतग्राही हर समय नामित सुरक्षा एजेंसियों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग करेगा।

2.8 मौसम विज्ञान सेवा

2.8.1 भारत सरकार पुष्टि करती है कि वह भारत मौसम विज्ञान विभाग के माध्यम से या किसी अन्य नामित भारत सरकार एजेंसी के माध्यम से, अंतरराष्ट्रीय हवाई नेविगेशन के लिए मौसम विज्ञान सेवा पर शिकागो कन्वेंशन के अनुसरण में समय-समय पर स्थापित या अनुशंसित प्रथाओं के अनुसार हवाई अड्डे पर मौसम विज्ञान सेवाएं प्रदान करवाएगी।

2.8.2 भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा या किसी अन्य नामित भारत सरकार एजेंसी के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कार्य और इस खंड 2.8 के तहत रियायतग्राही द्वारा प्रदान की जाने वाली पहुंच और स्थान अच्छे उद्योग व्यवहार के अनुसार प्रदान किए जाएंगे।

2.9 गैर-भेदभाव

लागू कानूनों और समय-समय पर लागू अंतरराष्ट्रीय संधि दायित्वों के अध्यधीन, भारत सरकार हवाई अड्डे का उपयोग करने के लिए अनुमत हवाई यातायात के वर्गों या विवरणों के संबंध में गैर-भेदभाव की नीति का पालन करेगी और उचित विनियमों के अध्यधीन, हवाई अड्डे पर विमान की आवाजाही पर कोई अनुचित सीमा नहीं लगाने या अन्यथा हवाई अड्डे की क्षमता को प्रतिबंधित नहीं करने का प्रयास करेगी।

3. संयुक्त समन्वय समिति

3.1 संयुक्त समन्वय समिति का गठन

3.1.1 आरक्षित सेवाओं के सुचारू और कुशल निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए, पक्ष एतद्वारा एक संयुक्त समन्वय समिति ('संयुक्त समन्वय समिति') स्थापित करने का वचन देते हैं और सहमत होते हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (क) प्राधिकरण प्रतिनिधि;
- (ख) मोका का प्रतिनिधि;
- (ग) सीमा शुल्क नियंत्रण प्रतिनिधि;
- (घ) आव्रजन सेवा प्रतिनिधि;
- (ङ) मौसम विज्ञान सेवा प्रतिनिधि;
- (च) सुरक्षा सेवा प्रतिनिधि;
- (छ) पादप संगरोध सेवा प्रतिनिधि;
- (ज) पशु संगरोध सेवा प्रतिनिधि;
- (झ) स्वास्थ्य सेवा प्रतिनिधि; तथा
- (ञ) रियायतग्राही का प्रतिनिधि।

3.1.2 मोका (नागर विमानन मंत्रालय), भारत सरकार, इस समिति का गठन करेगा और आरक्षित सेवाओं के प्रावधान से संबंधित मुद्दों को हल करने के अधिदेश के साथ बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

3.2 बैठकें और सहायता

3.2.1 संयुक्त समन्वय समिति की अध्यक्षता सचिव, मोका द्वारा की जाएगी, और जब तक कि पक्षों द्वारा बाद की तारीख में बैठक आयोजित करने पर सहमति न हो, पहली बार में प्रभावी तिथि के 30 (तीस) दिनों के भीतर शुरू होकर, हवाई अड्डे पर प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक होगी।

3.2.2 भारत सरकार एतद्वारा हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास के संबंध में भारत सरकार के नियंत्रण और निर्देशन के तहत संबंधित एजेंसियों, प्राधिकरणों, विभागों, निरीक्षणालयों, मंत्रालयों के साथ संपर्क स्थापित करने में रियायतग्राही को सहायता प्रदान करने का वचन देती है।

4. अवधि और समाप्ति

4.1 अवधि

4.1.1 यह सहमति जापन प्रभावी तिथि से प्रभावी होगा।

4.1.2 यह सहमति जापन रियायत समझौते के किसी भी कारण से अवधारण और/या समयपूर्व समाप्ति के साथ स्वतः समाप्त हो जाएगा ('अवधि')।

4.2 समाप्ति

4.2.1 यदि रियायतग्राही द्वारा रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) प्राप्त नहीं की जाती है, तो यह सहमति जापन तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगा और प्रभावी नहीं होगा।

4.2.2 इस सहमति जापन के अनुसरण में रियायतग्राही को दिए गए अधिकार और लाभ रियायतग्राही के किसी भी उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिनी या किसी अन्य व्यक्ति (प्राधिकरण या प्राधिकरण के किसी उत्तराधिकारी सहित) को हस्तांतरित हो जाएंगे और उसके लाभ के लिए प्रभावी होंगे, जो रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार किसी भी समय हवाई अड्डे का संचालन कर सकता है।

5. अभ्यावेदन और वारंटियां

5.1 रियायतग्राही द्वारा

रियायतग्राही एतद्वारा भारत सरकार को अभ्यावेदन और वारंटी देता है कि रियायत समझौते के तहत उसके द्वारा किए गए प्रत्येक अभ्यावेदन और वारंटियां उसमें निहित प्रपत्र और रीति में इस सहमति जापन के प्रयोजनों के लिए यथोचित परिवर्तनों सहित सत्य और सही होंगी, जिसमें बिना किसी सीमा के इस सहमति जापन के निष्पादन और वितरण के लिए उसकी शक्ति एवं प्राधिकार तथा आवश्यक कॉर्पोरेट कार्रवाइयां शामिल हैं।

5.2 भारत सरकार द्वारा

भारत सरकार एतद्वारा रियायतग्राही को अभ्यावेदन और वारंटी देती है कि उसके पास इस सहमति जापन को निष्पादित करने, और अपने अधिकारों का प्रयोग करने तथा सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर इस सहमति जापन के तहत अपने कार्यों का निष्पादन करने का अधिकार, शक्ति और अधिकार है और उसने आवश्यक सभी कार्रवाइयां की हैं।

6. अधिशासी विधि और विवाद समाधान

6.1 अधिशासी विधि

यह सहमति जापन (इस खंड 6 सहित) और इसके निर्वचन के सभी प्रश्न भारत गणराज्य के कानूनों के अनुसार समझे जाएंगे।

6.2 क्षेत्राधिकार

नीचे खंड 6.3 के प्रावधानों के अध्यक्षीन, नई दिल्ली की अदालतों के पास इस सहमति जापन से उत्पन्न या संबंधित मामलों पर अनन्य क्षेत्राधिकार होगा।

6.3 विवाद समाधान

6.3.1 पक्ष सहमत हैं कि वे सद्भावपूर्वक परामर्श के माध्यम से, इस सहमति जापन के संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाने का प्रयास करेंगे, और ऐसा परामर्श किसी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को ऐसे परामर्श के लिए लिखित

अनुरोध दिए जाने के तुरंत बाद शुरू होगा। बशर्ते कि यदि ऐसे सद्भावपूर्ण परामर्श से ऐसे परामर्श शुरू होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर विवाद का समाधान नहीं निकलता है, तो खंड 6.3.2 के प्रावधान लागू होंगे।

6.3.2 ईईआरए अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, कोई भी विवाद, जिसे पक्षकारों द्वारा सौहार्दपूर्ण समाधान (जैसा कि ऊपर खंड 6.3.1 के तहत प्रदान किया गया है) के माध्यम से नहीं सुलझाया जा सका, समय-समय पर यथा संशोधित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार मध्यस्थता द्वारा अंतिम रूप से सुलझाया जाएगा।

6.3.3 विवादों को 3 (तीन) मध्यस्थों वाले एक अधिकरण को संदर्भित किया जाएगा। मध्यस्थता का प्रत्येक पक्ष 1 (एक) मध्यस्थ नियुक्त करेगा, और इस प्रकार नियुक्त 2 (दो) मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ का चयन करेंगे, जो अधिकरण के पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा (संयुक्त रूप से 'मध्यस्थ अधिकरण' का गठन करेंगे)। मध्यस्थता की कार्यवाही नियमों के अनुसार संचालित की जाएगी।

6.3.4 ऐसी मध्यस्थता, जब तक कि पक्षों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, नई दिल्ली, भारत में आयोजित की जाएगी। ऐसी मध्यस्थता की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी।

6.3.5 मध्यस्थ अधिकरण का निर्णय/निर्णय पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

7. विविध

7.1 सूचना

7.1.1 इस सहमति ज्ञापन की शर्तों के तहत अपेक्षित या अनुमत या लागू कानूनों द्वारा अपेक्षित कोई भी सूचना (जब तक कि अन्यथा सहमति न हो) लिखित रूप में होगी और व्यक्तिगत रूप से वितरित की जाएगी, यथोचित रूप से पंजीकृत डाक या हवाई डाक द्वारा भेजी जाएगी, उचित पते वाले लिफाफे में पूरी तरह से प्रीपेड की जाएगी या संबंधित पक्षों को निम्नानुसार फैक्स द्वारा भेजी जाएगी:

भारत सरकार:

सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार / अथवा भारत सरकार द्वारा इस निमित्त नामित कोई व्यक्ति

ई-मेल: []

फैक्स नंबर: []

प्राधिकरण:

पता: []

ध्यानार्थ: []

ई-मेल: []

फैक्स नंबर: []

रियायतग्राही:

पता: []

ध्यानार्थ: []

ई-मेल: []

फैक्स नंबर: []-[]

अथवा ऐसे अन्य पते या फैक्स नंबर पर जैसा कि समय-समय पर इसके अंतर्गत सूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

7.1.2 ऐसी कोई भी सूचना अंग्रेजी भाषा में होगी और उसे वास्तव में वितरित किए जाने के समय दिया गया माना जाएगा, यदि हाथ से वितरित की गई हो, या फैक्स द्वारा भेजे जाने के अगले कार्य दिवस पर या किसी अन्य स्थिति में पूर्वोक्त रीति से डाक द्वारा भेजे जाने के 3 (तीन) दिनों के भीतर।

7.2 पृथक्करणीयता

इस सहमति ज्ञापन में निहित नियमों, शर्तों या प्रावधानों में से किसी के, या किसी भाग के, किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी सीमा तक अमान्य, गैरकानूनी या अप्रवर्तनीय निर्धारित किए जाने की स्थिति में, ऐसे नियम, शर्त या

प्रावधान उस सीमा तक शेष नियमों, शर्तों और प्रावधानों से पृथक कर दिए जाएंगे, जो लागू कानून द्वारा अनुमत पूर्ण सीमा तक मान्य और प्रवर्तनीय बने रहेंगे।

7.3 संपूर्ण समझौता

यह सहमति जापन, इसके सभी अनुलग्नकों के साथ, इस सहमति जापन की विषय-वस्तु के संबंध में पक्षों के बीच संपूर्ण समझौते और समझ का प्रतिनिधित्व करता है और पक्षों के बीच हुए किसी भी पूर्व समझौते या समझ, चाहे वह लिखित हो या मौखिक, को अधिक्रमित करता है।

7.4 संशोधन

इस सहमति जापन का कोई भी परिवर्धन, संशोधन या रूपांतरण तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि वह लिखित रूप में न हो और पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित न हो।

7.5 असाइनमेंट

इसकी प्रभावी तिथि के बाद लागू कानून में किसी भी परिवर्तन के बावजूद, जो अन्यथा इस सहमति जापन के असाइनमेंट की अनुमति दे सकता है, कोई भी पक्ष इस सहमति जापन या इसके तहत या इसके अनुसरण में उत्पन्न होने वाले किसी भी अधिकार या दायित्व अथवा इसमें किसी लाभ या हित को समनुदेशित नहीं कर सकता है। परंतु तथापि, पूर्वगामी के होते हुए भी, भारत सरकार एतद्वारा प्रतिस्थापन समझौते की शर्तों के अनुसरण में चयनित प्रतिस्थानी निकाय अथवा परियोजना के संबंध में प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के रूप में स्वीकार किए गए किसी अन्य निकाय के पक्ष में इस सहमति जापन को हस्तांतरित और नवीनीकृत (नोवेट) करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमत है।

7.6 अधित्यजन का अभाव (नो वेवर)

भारत सरकार या प्राधिकरण द्वारा इस सहमति जापन के तहत किसी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार का प्रयोग करने में कोई विफलता, और उनके द्वारा इसके प्रयोग में कोई विलंब, उसके अधित्यजन के रूप में कार्य नहीं करेगा, और न ही किसी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार का कोई एकल या आंशिक प्रयोग उसके किसी अन्य या अग्रिम प्रयोग अथवा किसी अन्य अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार के प्रयोग को रोकेगा। जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो, इस सहमति जापन में प्रदान किए गए अधिकार, शक्तियां, विशेषाधिकार और उपचार संचयी हैं और किसी अन्य अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार (चाहे कानून द्वारा या अन्यथा प्रदान किए गए हों) के अनन्य नहीं हैं।

अनुलग्नक 1: पशु संगरोध सेवाएं

क. आगमन से पूर्व:

- (i) पशु के आयात के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, सभी बाड़ों और चारा भंडारों को अच्छी तरह से साफ किया जाता है, उपयुक्त कीटाणुनाशकों से कीटाणुरहित किया जाता है और धूमन (फ्यूमिगेशन) भी किया जाता है;
- (ii) सभी पशुओं को पशुओं की विभिन्न प्रजातियों के मानकों और आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त पशु वाहक में ले जाया जाता है;
- (iii) पशु वाहक को पशुओं के आगमन की निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व उचित रूप से कीटाणुरहित किया जाता है;
- (iv) आवश्यक नमूने एकत्र करने के लिए सभी व्यवस्थाएं की जाती हैं।

ख. प्रवेश स्थल पर आगमन पर:

- (i) आगमन के दिन और आयातक के साथ निश्चित किए गए समय पर, क्षेत्रीय/संगरोध अधिकारी और अन्य कर्मचारी हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं;
- (ii) पशु अथवा उत्पादों की शारीरिक रूप से पूरी तरह से जांच की जाती है;

- (iii) निर्दिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए पशुओं या उत्पादों के साथ आने वाले पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र की पूरी तरह से जांच की जाती है;
- (iv) यह सुनिश्चित करने के पश्चात कि पशु चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ हैं और खेप के साथ आने वाले स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ठीक हैं, सीमा शुल्क निकासी के लिए आयातक एजेंसी को मामले के आधार पर एक अनंतिम संगरोध निकासी प्रमाण पत्र (आयात) या पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (आयात) जारी किया जाता है;
- (v) आयातित जीवित पशुओं को क्षेत्रीय/संगरोध अधिकारी की देखरेख में संगरोध केंद्र में लाया जाता है;
- (vi) पशुओं की स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी के लिए पशुओं को 30 (तीस) दिनों के लिए या भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य प्रोटोकॉल में निर्दिष्ट अनुसार संगरोध में रखा जाता है;
- (vii) पशुधन उत्पादों के मामले में, स्वच्छता आयात परमिट में निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रासंगिक प्रयोगशालाओं में प्रतिनिधि नमूने लिए जाएंगे और उनका परीक्षण किया जाएगा।

अनुलग्नक ॥

(उपयोग में नहीं)

अनुलग्नक 3

सीमा शुल्क नियंत्रण

- (क) वॉकथ्रू चैनल पर सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (ख) हरित / लाल चैनल में बैगेज परीक्षण काउंटरों पर सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (ग) बैगेज हॉल के भीतर बैगेज सहायक / उप आयुक्त की सेवाओं का प्रावधान;
- (घ) रोके गए माल के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (ङ) गलत तरीके से प्रेषित / भटके हुए सामान के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (च) बहुमूल्य वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (छ) पुनः लदान माल के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (ज) जब्त किए गए माल के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (झ) निकास द्वार के समीप गेट अधिकारी की तैनाती;
- (ञ) निर्यात प्रमाण पत्र जारी करना;
- (ट) सीमा शुल्क कार्यों के संबंध में संबंधित अधिकारियों की सेवाएं;
- (ठ) वायु आसूचना इकाई।

अनुलग्नक 4

स्वास्थ्य सेवाएं

(क) पक्षकार इसके द्वारा दर्ज करते हैं कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का यह आशय है कि वह हवाई अड्डा टर्मिनल पर निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करने और निम्नलिखित गतिविधियों को संचालित करने का प्रयास करेगा ("स्वास्थ्य सेवाएं"):

(i) यात्रियों, आगंतुकों, एयरलाइन कर्मचारियों, भारत सरकार, प्राधिकरण, रियायतग्राही और अन्य प्रासंगिक सरकारी विभागों के कर्मियों के लाभ के लिए दिन के सभी समय हवाई अड्डा टर्मिनल और माल परिसर में चिकित्सा सुविधाएं;

(ii) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार हवाई अड्डा टर्मिनल पर तैनात किए जाने वाले चिकित्सा अधिकारी और अन्य स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय कर्मी;

(iii) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय समय-समय पर कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करेगा और हवाई अड्डे के आसपास चिकित्सा सुविधाओं का समय तय करेगा;

(iv) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय हवाई अड्डे पर ऐसे अन्य कार्य भी करेगा जो केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देशित किए जाएं।

(ख) यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ऊपर खंड (क) (i) में उल्लिखित सभी या किसी भी स्वास्थ्य सेवा और/या सुविधाओं को प्रदान नहीं करता है, तो रियायतग्राही के प्रति उसका किसी भी प्रकार का कोई दायित्व नहीं होगा। ऐसे किसी भी दायित्व को इसके द्वारा स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया जाता है। रियायतग्राही इसके द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि ऊपर खंड (क)(i) में उल्लिखित किसी भी स्वास्थ्य सेवा या सुविधा के अप्रदान या आंशिक प्रावधान के लिए उसके पास स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय या किसी अन्य सरकारी निकाय के विरुद्ध कोई कानूनी सहारा नहीं होगा।

अनुलग्नक 5

आव्रजन सेवाएं

लागू कानूनों के तहत हवाई अड्डे पर आव्रजन सुविधा और सेवा प्रदान करना तथा विदेशियों के पंजीकरण से संबंधित कार्य।

अनुलग्नक 6

मौसम विज्ञान सेवाएं

इसमें विमान संचालन की सुरक्षा की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के अनुलग्नक ३ और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के तकनीकी प्रावधानों के साथ-साथ नामित भारत सरकार एजेंसी के मानकों और अनुशंसित प्रथाओं तथा हवाई नेविगेशन में अभिसमयों के अनुसार विमानन मौसम सेवाओं का प्रावधान शामिल है।

अनुलग्नक 7

पादप संरक्षण एवं संगरोध सेवाएं

ये कार्य विनाशकारी कीट एवं नाशक जीव अधिनियम, 1914 और पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 और इसके संशोधनों के तहत देश में विदेशी कीटों और बीमारियों के प्रवेश के जोखिम को कम करने के लिए किए जाते हैं जो भारतीय कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। ये प्रथाएं अंतर्राष्ट्रीय पादप संरक्षण अभिसमय के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत हैं और विश्व व्यापार संगठन के स्वच्छता और पादप-स्वच्छता समझौते के तहत मान्यता प्राप्त हैं। ऐसे कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (क) विदेशी कीटों और बीमारियों के प्रवेश को रोकने के लिए आयातित कृषि वस्तुओं का निरीक्षण, परीक्षण, उपचार और निकासी;
- (ख) निर्यात के लिए लक्षित कृषि वस्तुओं का प्रत्यक्ष परीक्षण और उपचार;
- (ग) निर्यात के लिए लक्षित कृषि वस्तुओं के लिए पादप-स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करना;
- (घ) आयातित लकड़ी पैकेजिंग सामग्री का निरीक्षण और उपचार;
- (ङ) प्रवेश-पश्चात संगरोध निरीक्षण;
- (च) कृषि वस्तुओं का धूमन / विसंक्रमण / कीटाणुशोधन।

अनुलग्नक 8

सुरक्षा सेवाएं

(क) अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के शिकागो अभिसमय के अनुलग्नक १७ के अनुसार, विमानन सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए जिम्मेदार हवाई अड्डा संचालकों, एयरलाइंस संचालकों और उनकी सुरक्षा एजेंसियों के लिए नामित भारत सरकार एजेंसी के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि नामित भारत सरकार एजेंसी और सुरक्षा नियंत्रण लागू करने वाले उसके कर्मी उचित रूप से प्रशिक्षित हों और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक सभी दक्षताओं से युक्त हों;

(ग) विमानन सुरक्षा मामलों का नियोजन और समन्वय;

(घ) सुरक्षा कर्मचारियों की व्यावसायिक दक्षता और सतर्कता का परीक्षण करने के लिए नामित भारत सरकार एजेंसी के माध्यम से औचक/डमी जांच करना और आकस्मिक योजनाओं की प्रभावकारिता तथा विभिन्न एजेंसियों की परिचालन तत्परता का परीक्षण करने के लिए मॉक अभ्यास आयोजित करना।

जिसके साक्ष्य के रूप में, पक्षकारों ने ऊपर सर्वप्रथम लिखित दिन और वर्ष को अपने विधिवत अधिकृत अधिकारियों और प्रतिनिधियों द्वारा इस समझौता ज्ञापन को निष्पादित कराया है।

द्वारा हस्ताक्षरित:

भारत सरकार के निमित्त और उनकी ओर से

साक्षी द्वारा:

द्वारा हस्ताक्षरित:

रियायतग्राही के निमित्त और उनकी ओर से

साक्षी द्वारा:

द्वारा हस्ताक्षरित:

अनुसूचियां

अनुसूची एस: चयनित कर्मचारी

समूह	संवर्ग (सहायक महाप्रबंधक और नीचे)	त्रिवेन्द्रम
क		44
ई-3	प्रबंधक	21
ई-4	वरिष्ठ प्रबंधक	12
ई-5	सहायक महाप्रबंधक	11
ख-कार्यकारी		23
ई-1	कनिष्ठ कार्यपालक	10
ई-2	सहायक प्रबंधक	13
ख-गैर कार्यकारी		117
एन-9	वरिष्ठ अधीक्षक	66
एन-विशेष	वरिष्ठ अधीक्षक (विशेष ग्रेड)	40
ग		102
एन-4	कनिष्ठ सहायक	2
एन-5	सहायक	9
एन-6	वरिष्ठ सहायक	19
एन-7	पर्यवेक्षक	28
एन-8	अधीक्षक	31
एस-6	सहायक-विशेष ग्रेड-गैर कार्यकारी-६	6
एस-8	पर्यवेक्षक (विशेष ग्रेड)	7
घ	50	50
डी-6	परिचारक-विशेष ग्रेड-गैर कार्यकारी-६	-
एन-2	परिचारक	6
एन3	वरिष्ठ परिचारक	9
एस-4	वरिष्ठ परिचारक-विशेष ग्रेड-गैर	30

कार्यकारी-4		
एस-5	वरिष्ठ परिचारक-विशेष ग्रेड-गैर कार्यकारी-5	5
कुल योग		336

अनुसूची न

मौजूदा अनुबंध

शीर्षक: त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डा - मौजूदा राजस्व अनुबंधों की सूची

क्र.सं.	सुविधा / लाइसेंस / आवंटित या अधिनिर्णीत स्थान का नाम	पार्टी का नाम / पता	अनुबंध की अवधि (वर्ष/माह)	नियमित अनुबंध / तदर्थ या विस्तार, कृपया इंगित करें
1	शुल्क मुक्त दुकानें टर्मिनल-2 (आगमन एवं प्रस्थान क्षेत्र)	मैसर्स प्लस मैक्स डीएफएस (प्रा.) लि., 86/18, रॉयल कॉम्प्लेक्स, संकरी रोड, सीथारामपालयम, तिरुचेंगोडे, तमिलनाडु - 637209	03.09.2017 से प्रभावी - 7 वर्ष	चूंकि सीमा शुल्क विभाग ने उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया है, अतः दुकान 20.04.2018 से बंद है। (मामला केरल उच्च न्यायालय में लंबित है)।
2	एनआईटीबी में आंतरिक एवं बाह्य सिग्नल इकाइयों की स्थापना	सहायक महाप्रबंधक (जनसंपर्क), भारत संचार निगम लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम दूरसंचार जिला, बीएसएनएल भवन, उप्पलम रोड, तिरुवनंतपुरम - 635001	01.04.2011 से 31.03.2014 - 3 वर्ष (वर्तमान तिथि तक जारी)	एजेंसी ने केंद्र सरकार के स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम होने के नाते लाइसेंस जारी रखने का अनुरोध किया और आज तक लाइसेंस जारी रखा है। इसके अतिरिक्त, एजेंसी ने वर्तमान में प्रक्रियाधीन निविदा में सफल बोलीदाता के समान लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने की इच्छा व्यक्त की है।
3	ब्लूटूथ कियोस्क की स्थापना के लिए स्थान का आवंटन	पर्यटन विभाग, केरल सरकार, पार्क व्यू, तिरुवनंतपुरम - 695033	08.05.2013 से 07.05.2016, 07.05.2019 तक नवीनीकृत (3वर्ष)	नियमित अनुबंध
4	एनआईटीबी के सुरक्षा धारक क्षेत्र में	मैसर्स गुरुवायूर रिसॉर्ट्स, अंजना	26.08.2013 से 25.08.2018 (5	विस्तार पर, क्योंकि मैसर्स बर्ड कैटरिंग

	कार्यकारी लाउंज	नगर, रेलवे स्टेशन रोड, पार्थसारथी मंदिर के पीछे, गुरुवायूर	वर्ष)	एंड लाउंजेस प्रा. लि. को अभी तक नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की मंजूरी नहीं मिली है।
5	घरेलू टर्मिनल के सुरक्षा धारक क्षेत्र में स्वचालित पत्रिका / समाचार पत्र वेंडिंग मशीन की स्थापना	मैसर्स मातृभूमि प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग कं. लि., वी.एम. नायर मेमोरियल बिल्डिंग, मातृभूमि रोड, पो.बॉ. सं. ५९५९, वांचियूर डाकघर, त्रिवेंद्रम - 695035	16.07.2017 से 15.07.2020 (3 वर्ष)	नियमित अनुबंध
6	घरेलू टर्मिनल पर कार्यकारी लाउंज	प्रबंध निदेशक, मैसर्स मारामोन होटल एंड रिसॉर्ट प्रा. लि., मारामोन डाकघर, कोझनचेरी, पथानामथिट्टा जिला - 689641	18.02.2025 से 17.02.2020 (5 वर्ष)	नियमित अनुबंध
7	टीआर सह उपहार दुकान, घरेलू आगमन	मैसर्स एवीए मर्चेन्डाइजिंग सॉल्यूशंस प्रा. लि., नई दिल्ली	27.04.2015 से 26.04.2020 (5वर्ष)	नियमित अनुबंध। कॉर्पोरेट मुख्यालय की सलाह के अनुसार पुनर्स्थापित।
8	घरेलू प्रस्थान क्षेत्र में स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम)	स्टेट बैंक ऑफ़ त्रावणकोर, प्रधान कार्यालय, पूजप्पुरा डाकघर, त्रिवेंद्रम - 695012	21.09.2015 से 20.09.2018 (3 वर्ष)	विस्तार पर - एटीएम पर कॉर्पोरेट मुख्यालय की नई नीति के अनुसार निविदा कार्रवाई शुरू की जाएगी।
9	घरेलू टर्मिनल में दो स्थानों पर पत्रिका / समाचार पत्र वेंडिंग मशीन की स्थापना एवं संचालन	मैसर्स मलयाला मनोरमा, पो.बॉ. सं. 26, मनोरमा बिल्डिंग्स, के.के. रोड, कोट्टायम	12.2.2016 से 11.02.2019 (3 वर्ष)	नियमित अनुबंध
10	अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल के आगमन क्षेत्र में मुद्रा विनिमय काउंटर	मैसर्स सेंट्रम डायरेक्ट लि., कॉर्पोरेट कार्यालय: सेंट्रम	18.03.2016 से 17.03.2019 (3 वर्ष)	नियमित अनुबंध

हाउस, सीएसटी रोड,
कलिना, सांताक्रूज़
(पूर्व), मुंबई -
400098

11	अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल के प्रस्थान क्षेत्र में मुद्रा विनिमय काउंटर	मैसर्स थॉमस कुक इंडिया लि., थॉमस कुक बिल्डिंग, डॉ. डी.एन. रोड, फोर्ट, मुंबई - 400001	26.02.2016 से 25.02.2019 (3 वर्ष)	नियमित अनुबंध
12	अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल के प्रस्थान चेक-इन क्षेत्र में सामान लपेटने की मशीन (बैगेज रैपिंग मशीन - ०१ संख्या)	मैसर्स सिक्योर रैप (इंडिया) प्रा. लि., ३०/२ आरटी, प्रकाश नगर, बेगमपेट, हैदराबाद - ५०००१६	01.07.2016 से 30.06.2021 (5 वर्ष)	नियमित अनुबंध
13	अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन के बाहर हवाई अड्डा भोजनालय सह कर्मचारी कैटीन	मैसर्स स्काईबर कैफे, मंगेश भवन, टी.सी.43/203(4), थोट्टम, मणकाउद डाकघर, त्रिवेंद्रम - 695009	24.05.2016, छह महीने	सुविधा विस्तार पर चल रही है। नई निविदा कार्रवाई शुरू की गई है क्योंकि यह सुविधा खाद्य एवं पेय मुख्य रियायतग्राही के अंतर्गत शामिल नहीं है।
14	अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल पर दो स्थानों पर पत्रिका / वैडिंग मशीनें	मैसर्स मातृभूमि प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग कं. लि., वी.एम. नायर मेमोरियल बिल्डिंग, मातृभूमि रोड, पो.बॉ. सं. 5959, वांचियूर डाकघर, त्रिवेंद्रम - 695035	04.07.2016 से 03.07.2019 (3वर्ष)	नियमित अनुबंध
15	अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन में सामान्य साझा इन-बिल्डिंग समाधान	इंडस टावर्स लि., वंकरथ टावर्स, ८वीं मंजिल, राष्ट्रीय राजमार्ग-४७, पलारिवट्टोम, कोचीन - 682024	01.09.2016 से 31.08.2023 (7 वर्ष, अन्य ३ वर्षों के लिए विस्तार योग्य)	नियमित अनुबंध

16	घरेलू टर्मिनल के आगमन क्षेत्र में मुद्रा विनिमय काउंटर	मैसर्स सेंट्रम डायरेक्ट लि., कॉर्पोरेट कार्यालय: सेंट्रम हाउस, सीएसटी रोड, कलिना, सांताक्रूज़ (पूर्व), मुंबई - 400098	15.01.2016 से 14.10.2019 (3 वर्ष)	नियमित अनुबंध
17	कचरा / ठोस अपशिष्ट निपटान	मैसर्स कविता एंटरप्राइजेज, एल-३२३, महिपालपुर, नई दिल्ली - 110037	01.07.2017 से 30.06.2020 (3वर्ष)	नियमित अनुबंध
18	हवाई अड्डा प्रवेश / दर्शक टिकट	मैसर्स ओमेगा एंटरप्राइजेज, कमरा सं. 106, भवन-5, गणेश वाड़ी सहकारी गृहनिर्माण संस्था, आकृति टॉवर, भीम नगर, एमआईडीसी, अंधेरी पूर्व, मुंबई - 93	05.02.2018 से 04.02.2021 (3 वर्ष)	नियमित अनुबंध
19	मुख्य रियायतग्राही - खाद्य एवं पेय दुकानों के विकास, विपणन, स्थापना, संचालन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए रियायत	मैसर्स स्काईबर कैफे, मंगेश भवन, टीसी 43/203(4), थोट्टम, मणकाउद डाकघर, त्रिवेद्रम (मुख्य रियायतग्राही)	07.02.2018 से 06.02.2025 (7 वर्ष)	नियमित अनुबंध (07.02.2018 से आनुपातिक न्यूनतम गारंटी पर बिलिंग शुरू हुई)
20	स्वचालित पत्रिका / समाचार पत्र वेंडिंग मशीन संचालन हेतु लाइसेंस	वरिष्ठ प्रबंधक (प्रसार), मैसर्स मलयाला मनोरमा कंपनी लि., पो.बॉ. सं. 160, मनोरमा रोड, तिरुवनंतपुरम - 695001	01.05.2018 से 30.04.2019 (1 वर्ष, अन्य 6 महीनों के लिए विस्तार योग्य)	नियमित अनुबंध
21	अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल पर वाहन पार्किंग प्रबंधन अधिकार	मैसर्स सुशीला ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, सी-१५, डॉल्फिन गार्डन बिल्डिंग, पूनम सागर	19.03.2018 से 18.03.2021 (3 वर्ष)	नियमित अनुबंध

		कॉम्प्लेक्स, मीरा रोड (पूर्व), ठाणे - 401107, मुंबई, महाराष्ट्र		
22	विज्ञापन अधिकारों के लिए लाइसेंस - हवाई अड्डे पर विज्ञापन अवसर के डिजाइन, विकास, संचालन और विपणन हेतु रियायत	मैसर्स सृष्टि कम्युनिकेशंस, सं. 1218, 34वां क्रॉस, 28वां मेन, चौथा टी ब्लॉक, जयनगर, बैंगलोर - 560041, दूरभाष: 9945456789, ईमेल: कुमार@सृष्टिकम्युनि केशंस.इन	04.06.2018 से 03.06.2028 (10 वर्ष)	नियमित अनुबंध
23	घरेलू टर्मिनल पर वाहन पार्किंग प्रबंधन अधिकारों हेतु लाइसेंस	मैसर्स आंजनेय एंटरप्राइजेज, 142, बनर्जी लेआउट, भगवान नगर, एमएसईबी कार्यालय के पीछे, नागपुर, महाराष्ट्र	01.07.2018 से 30.06.2019 (1 वर्ष, अन्य 6 माह के लिए विस्तार योग्य)	नियमित अनुबंध
24	(मुख्य रियायतग्राही) त्रिवेन्द्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खुदरा दुकानों के विकास, विपणन, स्थापना, संचालन, रखरखाव और प्रबंधन हेतु रियायत	मैसर्स इवॉल्व बिजनेस वेंचर्स, #18/1, एस. करियप्पा रोड, मॉडल हाउस क्रॉस रोड, बसवनगुडी, बैंगलोर - 560004	24.08.2018 से 23.08.2025 (7 वर्ष)	नियमित अनुबंध
25	एनआईटीबी में एक स्थान पर एटीएम	भारतीय स्टेट बैंक	03.09.2018 से 02.09.2023 (5 वर्ष)	नियमित अनुबंध

वे पार्टियां जिन्होंने अभी तक सुविधा शुरू नहीं की है

क्र.सं.	सुविधा / लाइसेंस / स्थान का नाम	पार्टी का नाम / पता	अवधि	टिप्पणी / स्थिति
1	दो स्थानों पर कार्यकारी लाउंज के	मैसर्स बर्ड कैटरिंग एंड लाउंजेस प्रा. लि.,	पांच वर्ष	बिलिंग कार्रवाई 20.06.2018 से शुरू

	संचालन हेतु लाइसेंस	ई-9, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001		की गई।
2	त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल के सुरक्षा धारक क्षेत्र में धूम्रपान लाउंज और बिक्री कियोस्क का संचालन	मैसर्स ब्रांडमिडास हॉस्पिटैलिटी एंड एविएशन सर्विसेज प्रा. लि., पहली मंजिल, सं. 28, रामनाथन स्ट्रीट, टी. नगर, चेन्नई, तमिलनाडु - 600017	पांच वर्ष	बिलिंग कार्रवाई 09.09.2018 से शुरू की गई।
3	त्रिवेन्द्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ट्रॉलियों पर विज्ञापन के एवज में ट्रॉली पुनर्प्राप्ति हेतु लाइसेंस (ई-बोली संख्या: 2018 एएआई 12934)	मैसर्स आर एंड जे एक्सपोर्ट्स, श्रीजुस, टीसी 7/1231, सास्थमंगलम, वट्टियूरकावु डाकघर, त्रिवेन्द्रम	3वर्ष	प्राप्त शिकायत के आधार पर सलाह हेतु क्षेत्रीय मुख्यालय को भेजा गया।
4	एनआईटीबी प्रस्थान चेक-इन में एक (1) स्थान पर एटीएम सुविधा की स्थापना एवं संचालन हेतु लाइसेंस	द साउथ इंडियन बैंक लि., क्षेत्रीय कार्यालय, तीसरी मंजिल, वाईडब्ल्यूसीए भवन, त्रिवेन्द्रम - 1	5 वर्ष	-

मौजूदा पट्टों की सूची

विवरण: विदेशी और घरेलू निजी एयरलाइनों को आवंटित भूमि

क्र.सं.	एजेंसी का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	प्रयोजन	समझौता अवधि	टिप्पणियां
1.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	1. 4313.00 (कच्चा) 2. 578.00 (पक्का) कुल: 4891.00	विमानन ईंधन स्टेशन	01.03.2012 से 02.02.2015	1. पुराना घरेलू छोर विमानन ईंधन स्टेशन। 2. एनआईटीबी के पास ईंधन टैंकर (तेल बॉउज़र) की पार्किंग के लिए।
2.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)	700 (पक्का)	मोबाइल विमानन टरबाइन ईंधन	01.02.2012 से 08.02.2015	1. पहियों पर ईंधन भरने के उद्देश्य से और एनआईटीबी के पास ईंधन टैंकर पार्क करने के लिए।
3.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)	1. 4434.91 (कच्चा) 2. 400.00 (पक्का) कुल: 4834.91	विमानन ईंधन स्टेशन	01.03.2012 से 31.03.2015	1. घरेलू छोर पर कार्यालय। 02. नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल के पास केवल ईंधन भरने वाले वाहनों की पार्किंग के लिए पक्का क्षेत्र।
4.	जेट एयरवेज	1. 600 (पक्का)	भू-समर्थन उपकरण (जीएसई)	01.03.2011 से 28.02.2012	घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनलों के परिचालन क्षेत्र में भू-समर्थन वाहनों की पार्किंग के लिए।
5.	एयर इंडिया	1.4688.61 (कच्चा)	भू-समर्थन उपकरण	01.09.2011 से 31.08.2012	1. पुराने घरेलू टर्मिनल के शहर

		2. २२६८.८४ (पक्का) कुल: ६९५७.४५			की ओर और हवाई क्षेत्र में रखरखाव कार्यशाला के लिए। 2. एएआई प्रशासनिक भवन के पास माल दुलाई प्रयोजन हेतु। 3. एनआईटीबी हवाई क्षेत्र में भू- समर्थन वाहनों की पार्किंग के लिए।
6.	एयर इंडिया सैट्स	6418.00 (पक्का)	भू-समर्थन उपकरण	01.04.2016 से 31..03.2019	परिचालन क्षेत्र, एनआईटीबी छोर पर भू-समर्थन उपकरणों / यूनिट लोड उपकरणों / वाहनों की पार्किंग के लिए।
7.	इंडिगो	1430 (पक्का)	भू-समर्थन उपकरण	01..06.2016 से 31.05.2019	परिचालन क्षेत्र, एनआईटीबी छोर पर भू-समर्थन वाहनों की पार्किंग के लिए।
8.	आइलैंड एविएशन सर्विसेज	21.45 (पक्का)	भू-समर्थन उपकरण	01.03.2012 से 28.02.2015	भू-समर्थन उपकरणों की पार्किंग के लिए।
9.	मुथूट स्काईशेफ	70 (पक्का)	पार्किंग	16.02.2015 से 15.02.2018	उच्च उत्पादक वाहनों (हाई लोडर) की पार्किंग के लिए।
10.	एयरवर्क्स	50 (कच्चा)	रखरखाव	15.03.2016 से 14.03.2019	एयरलाइंस उपकरणों के लाइन रखरखाव के लिए।

11.	भद्रा इंटरनेशनल प्रा. लि.	2355.31 (1. 649.31 कच्चा, 2. 1706.00 पक्का)	भू-समर्थन उपकरण	16.09.2011 से 15.09.2012, 01.03.2011 से 28.02.2012	रैंप उपकरणों / वाहनों की पार्किंग के लिए।
12.	केएसआईईएल	6070 (कच्चा)	कार्गो	01.04.2012 से 31.03.2015	आयात/निर्यात माल ढुलाई प्रयोजन के लिए।
13.	आरजीएईटी	391.43 (कच्चा)	ईंधन भंडार	01.08.1997 से 31.03.1998	ईंधन भंडारण प्रयोजन के लिए।
14.	भारतीय वायु सेना	403.88 (1. 24008.00 कच्चा, 2. 16380.00 पक्का)	पार्किंग	14.02.1994 से 30 वर्ष	रक्षा प्रयोजन के लिए।
15.	भारत मौसम विज्ञान विभाग	639.28 (कच्चा)	कार्यालय प्रयोजन	01.04.1991 से आगे	मौसम विज्ञान और कर्मचारी आवास प्रयोजन के लिए।

प्रचालन / टर्मिनल प्रबंधन अनुभाग में चल रहे अनुबंधों की सूची - त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डा

श्रेणी: एमईएसएस / ईएसएस अनुबंध (रखरखाव एवं पर्यावरण सहायता सेवाएं)

क्र.सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम / पता	कार्य की अनुमानित लागत (रु.)	अधिनिर्णीत मूल्य (रु.)	प्रारंभ की तिथि	अनुबंध की अवधि (वर्ष/माह)
1	त्रिवेन्द्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एनआईटीबी का एमईएसएस (रखरखाव)	मैसर्स बीवीजी इंडिया लि., बीवीजी हाउस प्लाजा, पुणे-मुंबई रोड, चिंचवड, पुणे - 411019	रु. 7,27,73,217	रु. 6,87,76,365.68	01.05.2017	3 वर्ष
2	त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर घरेलू टर्मिनल और अनुषंगी/कार्यालय भवनों का ईएसएस (पर्यावरण सहायता सेवा/रखरखाव)	मैसर्स अपडेटर सर्विसेज (प्रा.) लि., सं. २/३०२ए यूडीसी रोड, ओल्ड महाबलीपुरम रोड के पास, थोरईपक्कम, चेन्नई - 600097	रु. 3,04,53,395	रु. 3,33,31,996.08	01.11.2018	3 वर्ष
3	त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर एप्रन, टैक्सीवे भवन, टर्मिनलों के लिए नगर की ओर पहुंच मार्ग तथा परिचालन क्षेत्र में अनुषंगी/कार्यालय भवनों और सीएनएस प्रतिष्ठानों का	श्री के.एम. सियाद, ठेकेदार, जलील मंजिल, अरूर डाकघर, केरल - 688534	रु. 46,45,623-	रु. 48,03,506.40	01.09.2017	2 वर्ष

ईएसएस
(रखरखाव)

कीट नियंत्रण

क्र.सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम / पता	कार्य की अनुमानित लागत (रु.)	अधिनिर्णीत मूल्य (रु.)	प्रारंभ की तिथि	अनुबंध की अवधि
1.	त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे के टर्मिनल भवनों, प्रशासनिक कार्यालयों, एटीसी परिसर/सीएन एस प्रतिष्ठानों में कीट एवं कृतक नियंत्रण संचालन, जैसे सामान्य विसंक्रमण, कृतक नियंत्रण/मच्छर-मक्खी नियंत्रण छिड़काव और फॉगिंग उपचार सेवाएं तथा परिचालन क्षेत्र में लार्वा नाशी और कृतक नियंत्रण	मैसर्स सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन, किन्फ्रा अपैरल पार्क, थुम्बा, पल्लीथुरा डाकघर, तिरुवनंतपुरम - 695586	रु. 17,12,410.32	रु. 15,31,142-	01.02.2018	3 वर्ष

अन्य कोई अनुबंध

क्र.सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम / पता	कार्य की अनुमानित लागत (रु.)	अधिनिर्णीत मूल्य (रु.)	प्रारंभ की तिथि	अनुबंध की अवधि
---------	--------------	----------------------	------------------------------	------------------------	-----------------	----------------

1	त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे के परिचालन क्षेत्र में पक्षी और पशु भगाने की सेवा के लिए कार्य अनुबंध	श्री के.एम. सियाद, ठेकेदार, जलील मंजिल, अरूर डाकघर, केरल - 688534	रु. 78,87,168/-	रु. 82,80,000/-	01.02.2018	2 वर्ष
2	हवाई अड्डा संचालन नियंत्रण केंद्र, त्रिवेन्द्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए डेटा प्रविष्टि सेवाएं प्रदान करना	मैसर्स ब्रांडमिडास हॉस्पिटैलिटी एंड एविएशन सर्विसेज प्रा. लि., रबी, पहली मंजिल, रामनाथन स्ट्रीट, टी नगर, चेन्नई - 600017	रु. 11,30,220/-	रु. 9,84,000/-	01.02.2018	1 वर्ष

पूँजीगत प्रगतिरत कार्य / चल रहे कार्यों की सूची - मौजूदा सिविल कार्यों की सूची - त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डा

क्र.सं.	कार्य / योजना का नाम	ठेकेदार का नाम और पता	कार्य की अनुमानित लागत (रु.)	अधिनिर्णीत मूल्य (रु.)	प्रारंभ की तिथि	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	३० जून २०१९ तक संभावित भौतिक प्रगति (%)
१	त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर 2018-20 के दौरान सिविल कार्यों की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव, उप-शीर्ष: नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन, कार्पार्क और परिचालन क्षेत्र में विविध सिविल कार्य।	मैसर्स एस.के.एस इंटीरियर्स, शिवशंकर, टीसी-3/1124{7}, ईस्ट पट्टम, एसआर नगर-41, तिरुवनंतपुरम - 695004	रु. 2,80,24,500/-	रु. 2,80,24,500/-	13.05.2018	12.05.2020	50%
2	एएनएस ब्लॉक, घरेलू टर्मिनल, तकनीकी भवन, कार्पार्क तथा आवासीय कॉलोनी, सीआईएसए	मैसर्स एस.के.एस इंटीरियर्स, शिवशंकर, टीसी-3/1124{7}, ईस्ट पट्टम, एसआर नगर-41, तिरुवनंतपुरम	रु. 2,80,00,000/-	रु. 2,80,00,000/-	17.05.2018	16.05.2020	50%

फ आवास म -
 शंगुमघम, 695004
 त्रिवेन्द्रम
 हवाई
 अड्डा,
 तिरुवनंतपुर
 म 2018-
 20 में
 अनुषंगी
 भवनों का
 दैनिक
 रखरखाव।

3	त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर 2018- 19 के दौरान पर्यावरण प्रबंधन योजना, उप-शीर्ष: (i) परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी (ii) शंगुमघम और चाकई स्थित टर्मिनल भवनों में ध्वनि स्तर की निगरानी।	मैसर्स ह्यूबर्ट एन्वायरो केयर सिस्टम्स प्रा. लि., सं. ए-21, तीसरा चरण, लेबर कॉलोनी, तिरु-वि-का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई - 600083	रु. 11,80,900 /-	रु. 8,72,001/-	17.06.201 8	16.06.201 9	100.00%
4	त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर 20-18- 19 के दौरान अग्निशमन प्रणाली का	श्री सैयद इस्माइल, टी.सी. 36/116-9, केरा गार्डन, एंजाक्कल, त्रिवेन्द्रम	रु. 15,16,000 /-	रु. 11,30,352 /-	08.07.201 8	07.07.201 9	92.00%

वार्षिक
रखरखाव
(एमआरएस
/ टर्मिनल
भवन हेतु)।

अनुसूची प

प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित कार्यों की सूची

पूँजीगत व्यय कार्यों की सूची - प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय संस्वीकृति स्वीकृत लेकिन कार्य अधिनिर्णीत किए जाने शेष हैं - तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा

सिविल कार्य

क्र.सं.	कार्य / योजना का नाम	कुल प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय संस्वीकृति मूल्य (करोड़ रु. में)
1	परिधि की चहारदीवारी के साथ सुरक्षा चौकी / वॉच टावर का निर्माण	0.22
2	घरेलू टर्मिनल भवन में चेक-इन काउंटरों का प्रावधान	00.165
3	एनआईटीबी में चेक-इन काउंटरों का प्रावधान	0.44
4	नाइट सॉइल पिट (मल गड्ढा) का निर्माण	0.22
5	त्रिवेन्द्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बे सं. २३ (चाकई छोर) के निकट अतिरिक्त भू-समर्थन उपकरण क्षेत्र का निर्माण	3.37
6	नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो हेतु कार्यालय कक्ष का प्रावधान	0.30
7	कॉलोनी में बच्चों के पार्क का प्रावधान और घरेलू टर्मिनल भवन में प्रवेश द्वार के पास भूनिर्माण कार्य	0.10
8	टीएपी में परिचालन क्षेत्र की दीवार से दीवार तक समतलीकरण (ग्रेडिंग)	0.80
9	त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर वर्षा जल संचयन प्रणाली की व्यवस्था	0.4
10	एनआईटीबी में आगमन यात्रियों के लिए कैनोपी और बस प्रतीक्षा शेड की व्यवस्था	0.50
11	एनआईटीबी में शौचालयों का संशोधन/परिवर्तन	1.40

योजनाबद्ध कार्यों / योजनाओं की सूची (विद्युत एवं सिविल)

क्र.सं.	योजनाबद्ध कार्य / योजना का नाम	कार्य का लाइन प्राक्कलन (लागत)
विद्युत		
1	घरेलू कार पार्क के लिए हाई मास्ट प्रकाश व्यवस्था का प्रावधान	-
2	घरेलू टर्मिनल भवन में मौजूदा प्रस्थान कन्वेयर को बदलना	-

3	अतिरिक्त सीवेज पंपों का प्रावधान	-
4	चिलर पंपों को आवश्यक विद्युत आपूर्ति का प्रावधान	-
5	एयरफील्ड लाइटिंग कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम का उन्नयन और संशोधन	-
6	स्टैटिक टैंक पंपों को बदलना	-
7	पुराने वाटर कूलर बदलना	-
8	घरेलू टर्मिनल भवन और कॉलोनी में बगीचे की रोशनी की व्यवस्था	-
9	घरेलू टर्मिनल भवन में बूम लिफ्ट और हाई लिफ्ट का प्रावधान	-
10	रिमोट बे के लिए उन्नत विजुअल डॉकिंग मार्गदर्शन प्रणाली का प्रावधान	-
11	डीवीओआर का निर्माण, उप-शीर्ष: विद्युत कार्य	-
सिविल		
12	चाकई में नए हवाई यातायात नियंत्रण परिसर / तकनीकी ब्लॉक का निर्माण (सिविल + विद्युत)	-
13	चाकई छोर पर घरेलू टर्मिनल भवन का निर्माण	-
14	टर्मिनल भवन में विस्तार	-
15	अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन में प्रशासनिक परिसर का निर्माण	-
16	त्रिवेन्द्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एकीकृत माल परिसर का निर्माण	-
17	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के लिए पारिवारिक आवास का निर्माण	-
18	त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे के घरेलू टर्मिनल भवन में सुरक्षा धारक क्षेत्र का विस्तार (सिविल + विद्युत + भूदृश्य)	-
19	एएआई कॉलोनी में बी, सी और डी प्रकार के आवासों का निर्माण	-
20	लाइन रखरखाव भवन का निर्माण	-
21	डीवीओआर का निर्माण	-
22	शंगुमघम आवासीय क्षेत्र में सामुदायिक भवन का निर्माण	-

23	त्रिवेन्द्रम आवासीय कॉलोनी में हवाई अड्डा निदेशक के आवास का निर्माण	-
24	आवासीय कॉलोनी में 'बी' प्रकार के आवासों की मौजूदा छत के ऊपर २ 'बी' प्रकार के आवासों का निर्माण	-
25	नगर छोर (सिटी साइड) रियायती भवन का निर्माण	-
26	चाकई छोर निकास का विकास	-
27	त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर अतिथि गृह का निर्माण	-
28	त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे के नगर छोर में भूनिर्माण कार्य प्रदान करना	-
२९	घरेलू टर्मिनल भवन में विद्युत कार्यों सहित सौंदर्यीकरण कार्य	-
30	तिरुवनंतपुरम में टर्मिनल के विस्तार के लिए हाल ही में अधिग्रहित १८ एकड़ भूमि के चारों ओर चहारदीवारी का निर्माण	-
31	त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर भित्ति कला स्थापना का प्रावधान	-
32	एनआईटीबी, त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर छोटे पूंजीगत कार्य	-
33	विश्राम कक्ष का संशोधन/परिवर्तन	-
34	प्रशासनिक ब्लॉक और तकनीकी ब्लॉक में शौचालयों का नवीनीकरण	-
35	त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर सीआईएसएफ के लिए अतिरिक्त बैरक का निर्माण	-
36	घरेलू टर्मिनल भवन में विद्युत कार्यों सहित सौंदर्यीकरण कार्य	-

अनुसूची फ

नवीयन विलेख का प्रारूप

यह नवीयन विलेख आज दिनांक [] माह [], [] को (जिसे आगे "नवीयन विलेख" कहा गया है), निम्नलिखित के मध्य निष्पादित किया गया है:

1. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जो विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित एक निगमित निकाय है और जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली - 110003, भारत में स्थित है (जिसे आगे "प्राधिकरण" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे);

2. [], जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है, जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या [] है और इसका पंजीकृत कार्यालय [] पर स्थित है (जिसे आगे "रियायतग्राही" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी, अनुमत समनुदेशिती और प्रतिस्थानी शामिल होंगे); तथा

3. [], जो [विधान दर्ज करें] के तहत [निगमित/पंजीकृत] एक [इकाई की प्रकृति दर्ज करें] है, जिसका पंजीकृत कार्यालय [] पर स्थित है (जिसे आगे "प्रतिपक्ष" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी शामिल होंगे)।

"प्राधिकरण", "रियायतग्राही" और "प्रतिपक्ष" को व्यक्तिगत रूप से "पक्षकार" और सामूहिक रूप से "पक्षकारों" के रूप में संदर्भित किया जाता है।

जबकि:

क. प्राधिकरण और प्रतिपक्ष ने दिनांक [] को एक समझौता किया था, जिसकी एक प्रति इस नवीयन विलेख के साथ परिशिष्ट 'क' के रूप में संलग्न है (जिसे आगे "नवीनीकृत समझौता" कहा गया है);

ख. प्राधिकरण ने [राज्य का नाम दर्ज करें जहाँ हवाई अड्डा स्थित है] राज्य में [उस शहर का नाम दर्ज करें जहाँ हवाई अड्डा स्थित है] में स्थित [हवाई अड्डे का नाम दर्ज करें] के संचालन, विकास और प्रबंधन के लिए रियायतग्राही के साथ दिनांक [] का एक रियायत समझौता ("रियायत समझौता") किया है;

ग. रियायत समझौता, अन्य बातों के साथ-साथ, प्राधिकरण के कुछ अनुबंधों के रियायतग्राही के पक्ष में नवीयन का प्रावधान करता है, जिसमें नवीनीकृत समझौता भी शामिल है;

घ. प्राधिकरण इसके तहत अपने सभी अधिकारों और दायित्वों को रियायतग्राही के पक्ष में नवीनीकृत करके नवीनीकृत समझौते का नवीयन करना चाहता है; तथा

ङ. प्रतिपक्ष इस नवीयन विलेख में उल्लिखित नियमों और शर्तों पर ऐसे नवीयन के लिए सहमत है।

अब, इसलिए, इस नवीयन विलेख में निर्धारित पारस्परिक वचनों के प्रतिफल में, पक्षकार एतद्वारा निम्नानुसार सहमत होते हैं:

1. वाणिज्यिक संचालन तिथि (जैसा कि रियायत समझौते में परिभाषित है) पर, नवीनीकृत समझौते का नवीयन इस प्रकार होगा कि:

(क) प्राधिकरण को रियायतग्राही द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) प्रतिपक्ष अब से नवीनीकृत समझौते के तहत प्राधिकरण के स्थान पर रियायतग्राही के लाभ के लिए अपने अधिकारों को लागू करेगा और अपने दायित्वों का पालन करेगा; तथा

(ग) रियायतग्राही अब से नवीनीकृत समझौते के तहत प्राधिकरण के सभी अधिकारों और दायित्वों को प्राप्त करेगा।

2. रियायतग्राही और प्रतिपक्ष के बीच, खंड १ में निर्धारित नवीयन को छोड़कर, नवीनीकृत समझौता पहले की तरह ही समान नियमों और शर्तों पर लागू रहेगा।
3. प्रतिपक्ष ऐसे नवीयन के लिए सहमति देता है और प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को इसके नवीयन के विरुद्ध नवीनीकृत समझौते में किसी भी निषेध, प्रतिबंध या शर्तों का परित्याग करता है।
4. प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच, लेकिन प्रतिपक्ष के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायत समझौता बाध्यकारी होगा, और रियायत समझौते तथा नवीयन विलेख के बीच किसी भी टकराव की स्थिति में, रियायत समझौता मान्य होगा।
5. इस नवीयन विलेख के तहत उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, १९९६ के प्रावधानों के अनुसार ३ (तीन) मध्यस्थों वाले एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को संदर्भित किया जाएगा, जिसमें से १ (एक) मध्यस्थ दावेदारों द्वारा सामूहिक रूप से नियुक्त किया जाएगा और १ (एक) प्रत्यर्थियों द्वारा सामूहिक रूप से नियुक्त किया जाएगा तथा तीसरा मध्यस्थ इस प्रकार नियुक्त २ (दो) मध्यस्थों द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ऐसी मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा और मध्यस्थता कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी होगी।
6. खंड 5 के अधीन, नई दिल्ली के न्यायालयों को इस नवीयन विलेख से उत्पन्न या संबंधित मामलों पर अनन्य क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा।

जिसके साक्ष्य के रूप में, पक्षकारों ने ऊपर लिखित दिन, माह और वर्ष को अपने हस्ताक्षर और मुहर लगा दी है:

प्राधिकरण के निमित्त और उनकी ओर से:	रियायतग्राही के निमित्त और उनकी ओर से:	प्रतिपक्ष के निमित्त और उनकी ओर से:
-------------------------------------	--	-------------------------------------

[_____]	[_____]	[_____]
---------	---------	---------

यह विलेख केवल संदर्भ प्रयोजनों के लिए है और आवश्यकतानुसार प्रत्येक मामले के आधार पर संशोधित किया जा सकता है।

परिशिष्ट क

[संबंधित नवीनीकृत समझौते की प्रति संलग्न की जानी है]